लोक सभा वाद-विवाद

का

हिन्दी संस्करण

[नौवां सत्र]

(खंड 29 में अंक 1 से 10 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

विषय-सूची

अंक 8, मंगलवार, 20 जुलाई, 1982 / 29 आषाढ़, 1904 (शक)

विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	1—21
*तारांकित प्रश्न संख्या : 163, 166 से 169, 171, 174 और 175	
प्रश्नों के लिखित उत्तर	21—210
तारांकित प्रश्न संख्या : 164, 165, 170, 172, 173, 176, 177, 179, 181 और 182	
अतारांकित प्रश्न संख्या : 1742 से 1883 और 1885 से 1974	
सभा पटल पर रखे गये पत्र	210—211
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति	211
पैंतालीसवां प्रतिवेदन	
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना	211—224
थल-सेना और नौ-सेना के लिए फर्जी कर्मचारियों को भर्ती करने वाले दफ्तर	
श्री चन्द्रपाल शैलानी	211
श्री आर० वेंकटरामन	216
श्री मनीराम बागड़ी	218
श्री जैनुल बशर	222
सीमा शुल्क टैरिफ (दूसरा संशोधन) विधेयक—पुरःस्थापित	224

* किसी नाम पर अंकित † चिन्ह इस बात का द्योतक है कि उस प्रश्न को सभा में उसी सदस्य ने पूछा था।

अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा निधि और बैंक (संशोधन) विधेयक 225—229

पुरःस्थापित करने का प्रस्ताव

श्री प्रणब मुखर्जी 225

श्री समर मुखर्जी 225

श्री सोमनाथ चटर्जी 226

नियम 377 के अधीन मामले 229—236

(एक) खीरी-लखीमपुर संसदीय निर्वाचन क्षत्र में टेलीफोन व्यवस्था के कार्यकरण में सुधार करने की आवश्यकता

श्रीमती ऊर्षा वर्मा 229

(दो) प्रस्तावित तालचेर-सम्बलपुर रेल लाइन के निर्माण की मांग

श्रीमती जयंती पटनायक 229

(तीन) बिहार में पेट्रो-रसायन परियोजना स्थापित करने में विलम्ब

श्रीमती कृष्णा साही 230

(चार) दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा जमीन के मालिकों को उनकी जमीन का अर्जन किये जाने पर पर्याप्त मुआवजा दिया जाना

श्री राम विलास पासवान 230

(पांच) 10+2+3 प्रणाली के कारण बिहार के छात्रों को दिल्ली विश्वविद्यालय में प्रवेश न दिये जाने का समाचार

श्री रामावतार शास्त्री 231

(छः) पंजाब में साम्प्रदायिक शान्ति स्थापित करने के लिए तत्काल कदम उठाये जाने की आवश्यकता

डा० कर्ण सिंह 232

(सात) राजस्थान सीमा में पाकिस्तान के डकैतों द्वारा लूट-पाट किये जाने के बारे में वक्तव्य की मांग

श्री कृष्ण कुमार गोयल 233

(आठ) केरल के चाय उत्पादकों को उत्पाद शुल्क में छूट देने तथा उनके लिए अन्य राहत उपाय किये जाने की मांग

श्री जेवियर अराकल 234

(नौ) स्वतंत्रता सेनानियों की स्मृति में स्मारक बनाना

श्री रामलाल राही 235

एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार (संशोधन) विधेयक 236—296

विचार करने का प्रस्ताव

श्री जगन्नाथ कौशल 236

श्री सोमनाथ चटर्जी 240

श्री भीकूराम जैन 247

प्रो॰ अजित कुमार मेहता 250

श्री चिन्तामणि पाणिग्रही 252

श्रीमती गीता मुखर्जी 256

श्री वाई॰ एस॰ महाजन 259

श्री रीतलाल प्रसाद वर्मा 262

श्री जगन्नाथ राव 264

श्री जयपाल सिंह कश्यप 266

श्री मूल चन्द डागा 268

श्री चित्त बसु 270

श्री गिरधारी लाल व्यास 274

श्री जगपाल सिंह 276

प्रो॰ मधु दण्डवते 278

खंड 2 से 5 और 1

पास करने का प्रस्ताव

श्री जगन्नाथ कौशल 296

कार्य-मंत्रणा समिति 297

बत्तीसवां प्रतिवेदन

देश के विभिन्न भागों में सूखे की स्थिति तथा सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के बारे में वक्तव्य 297—300

राव बीरेन्द्र सिंह 297

लोक सभा

मंगलवार, 20 जुलाई, 1982/29 आषाढ़, 1904 (शक)

लोक सभा ग्यारह बजे समवेत हुई ।

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

उड़ीसा में सिनेमा को उद्योग करार देने का निर्णय

*163. **डा० कृपा सिन्धु भोई** : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा सरकार ने सिनेमा को एक उद्योग करार देने का निर्णय किया है, यदि हां, तो उन वित्तीय संस्थानों का ब्यौरा क्या है जो सिनेमा उद्योग के विकास के लिए धन की व्यवस्था करेंगे ; और

(ख) केन्द्र सरकार इस बारे में क्या सहायता दे रही है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री वसन्त साठे) : (क) प्रदर्शन के लिए चलचित्रिकी फिल्मों के प्रमाणीकरण अर्थात् सेंसरशिप को छोड़कर सिनेमा का विषय राज्य विषय है । तथापि, केन्द्रीय सरकार को इस बात की जानकारी है कि उड़ीसा सरकार ने सिनेमाघरों तथा फिल्मों के निर्माण को ओद्योगिक गतिविधि के रूप में पंजीकृत करने तथा उड़ीसा राज्य उद्योग सहायता अधिनियम, 1978 के अधीन वित्तीय सहायता या सरकार की गारंटी प्राप्त करने के लिए इन्हें लघु उद्योगों की सूची में शामिल करने का निर्णय लिया है ।

इस प्रयोजन के लिए इस समय जो संस्थान ऋण/वित्तीय सहायता प्रदान कर रहे हैं उनकी सूची संलग्न है ।

(ख) राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम, जो इस मंत्रालय के अधीन सार्वजनिक क्षेत्र का एक उपक्रम है, की देश के शहरी, अर्ध शहरी तथा ग्रामीश क्षेत्रों में सिनेमाघरों के निर्माण के लिए तथा फिल्मों के निर्माण के लिए भी ऋण देने की योजना है । उड़ीसा में, इन योजनाओं को उड़ीसा फिल्म विकास निगम के सहयोग से कार्यान्वित किया जा रहा है ।

सूची

उड़ीसा में सिनेमाघरों/स्टूडियो के निर्माण/फिल्मों के निर्माण को वित्तपोषित करने वाले संस्थान

1. राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम।
2. उड़ीसा फिल्म विकास निगम लि०।
3. उड़ीसा राज्य वित्त निगम।
4. उड़ीसा राज्य औद्योगिक संवर्धन निगम :
5. इण्डियन बैंक।
6. विजया बैंक।
7. न्यू बैंक आफ इंडिया।
8. शहरी सहकारी बैंक।
9. औरियंटल बैंक आफ इंडिया।

डा० कृपा सिंधु भोई : मंत्री महोदय ने मेरे प्रश्न का उत्तर यह कहते हुए बहुत ही सुन्दर ढंग से दिया है कि पिछड़े क्षेत्रों में सिनेमा उद्योग की रक्षा करने के लिए बहुत सी योजनाएं हैं और यह कि अनेक निगम तथा बैंक राज्यों में सिनेमा गृहों तथा सिनेमा कारोबार की रक्षा के लिये सामने आ रहे हैं।

इस बात को ध्यान में रखते हुए कि उड़ीसा सबसे कम सिनेमा उद्योग, सिनेमा गृह तथा फिल्म उत्पादन केन्द्र वाला एक राज्य है, क्या मैं जान सकता हूं कि क्या यह सच है कि भारतीय रिजर्व बैंक उड़ीसा में सिनेमा उद्योग में धन लगाने के बिलकुल विरुद्ध है ?

इस विचार को वित्त मंत्रालय में उप मंत्री श्री जनार्दन पुजारी ने श्री सेठी के प्रश्न के उत्तर में प्रकट किया था :

> "मैंने मामले की छानबीन करवायी थी। यद्यपि उड़ीसा सरकार ने सिनेमा/थियेटर को छोटे उद्योग क्षेत्र में वर्गीकृत किया होगा, फिर भी यह भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित मापदंडों के अनुसार छोटे उद्योग क्षेत्र के अन्तर्गत नहीं आते।"

लेकिन मंत्री महोदय ने अब उतर दिया है :

> "सरकार ने सिनेमाघरों के निर्माण तथा फिल्मों के उत्पादन को औद्योगिक गतिविधि के रूप में पंजीकृत करने तथा उड़ीसा राज्य उद्योग सहायता अधिनियम 1978 के अधीन वित्तीय सहायता या सरकारी गारंटियां प्राप्त करने के लिए इन्हें लघु उद्योगों की सूची में शामिल करने का निर्णय लिया है।"

यह एक परस्पर विरोधी वक्तव्य है।

इस सम्बन्ध में, मैं मंत्री महोदय से स्पष्ट रूप से जानना चाहूंगा कि उड़ीसा में सिनेमा को एक 'उद्योग' घोषित किये जाने के बाद पिछले दो वर्षों के दौरान राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम ने सिनेमा उद्योग के लिये उड़ीसा को कुल कितनी राशि दी है और क्या राष्ट्रीयकृत बैंकों ने उड़ीसा में फिल्मों के उत्पादन तथा सिनेमा घरों के निर्माण के लिये ऋण दिये हैं और क्या किसी अन्य राज्य ने सिनेमा को एक 'उद्योग' घोषित किया है और क्या केन्द्रीय सरकार ने उनकी सहायता की है।

श्री वसंत साठे : जहां तक राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा सहायता दिये जाने का सम्बन्ध है, जैसा कि माननीय सदस्य ने स्वयं कहा है कि वित्त विभाग भारतीय रिजर्व बैंक के माध्यम से इस छोटे उद्योग के रूप में मान्यता देने के लिये तथा वित्तीय संस्थाओं से वित्तीय सहायता दिलाने के लिये सहमत नहीं हुआ है। हम अभी भी इस मामले के बारे में उद्योग और वित्त मंत्रालय से बात चीत कर रहे हैं और उन्हें इस बात के लिये राजी कर रहे हैं कि वे कम से कम छोटे बजट से बनी फिल्म को एक छोटे उद्योग के रूप में मान्यता देने की बात को स्वीकार कर लें।

लेकिन उसके अतिरिक्त उड़ीसा सरकार की पहल पर तथा राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम के सहयोग से अब तक उड़ीसा राज्य फिल्म विकास निगम ने 42 फिल्मों के लिये 18 लाख रुपये के ऋण दिये हैं।

राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम ने उड़ीसा राज्य फिल्म विकास निगम के सहयोग से तीन फिल्मों के लिये 11 लाख रुपये का ऋण दिया है।

जहां तक सिनेमा घरों के निर्माण का सम्बन्ध है, राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम तथा राज्य फिल्म विकास निगम ने उड़ीसा में सात सिनेमा घरों के लिये ऋण स्वीकृत किये हैं।

बैंक आफ उड़ीसा द्वारा दिये गये ऋण......

अध्यक्ष महोदय : आप इसे सभा पटल पर रख सकते हैं।

श्री वसंत साठे : यह पर्याप्त है। बैंक आफ उड़ीसा ने 12 लाख रुपये के ऋण दिये हैं और उड़ीसा राज्य वित्त निगम ने तीन लाख रुपये के ऋण दिये हैं।

डा० कृपासिंधु भोई : मेरा दूसरा अनुपूरक प्रश्न यह है।

अध्यक्ष महोदय : क्या आप कोई फिल्म उद्योग शुरू कर रहे हैं? आप नायक के लिए डाक्टर सुब्रह्मण्यम स्वामी के नाम की सिफारिश करूंगा।

डा० कृपा सिंधु भोई : क्या मंत्री महोदय उड़ीसा को अधिक सहायता देंगे क्योंकि उड़ीसा एक पिछड़ा राज्य है और लोग गरीब हैं और असंख्य बेरोजगार स्नातक इधर उधर घूम रहे हैं।

इसके अतिरिक्त हमारी पहली समस्या देश की जन संख्या नियंत्रण है; एक अच्छे ढंग से परिवार नियोजन को प्रेरणा तथा प्रोत्साहन देने के लिए तथा 20 सूत्री कार्यक्रम को भी विभिन्न फिल्मों तथा चलचित्रों द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है। परिवार नियंत्रण में उड़िसा का स्थान पहला है और उन्हें इनाम भी मिले हैं। इस बात को बिशेष तौर पर ध्यान में रखते हुए मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहूंगा कि क्या वह इस मामले को वित्त मंत्रालय के साथ उठायेंगे और साथ-साथ फिल्म विकास निगम द्वारा उड़ीसा में सिनेमा घरों तथा फिल्मों के निर्माण हेतु ऋण स्वीकार करने को प्राथमिकता देंगे।

श्री वसंत साठे : हम पिछड़े क्षेत्रों में दिलचस्पी रखते हैं और हम निश्चय ही इस बात को ध्यान में रखेंगे।

दिल्ली के लिए टेलीविजन टावर

*166. **श्री भीकूराम जैन** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली दूरदर्शन की प्रसारण रेंज बढ़ाने के लिए दिल्ली के लिए नया टेलीविजन टावर बनाने और अधिक शक्तिशाली ट्रांसमीटर लगाने का विचार है ;

(ख) उक्त परियोजना पर कितनी राशि खर्च की जायेगी ; और

(ग) नये टेलीविजन टावर की अन्य विशेषताएं क्या हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री वसंत साठे) : (क) जी, हां। मौजूदा 10 किलोवाट के ट्रांसमीटर के स्थान पर 2 × 10 किलोवाट का ट्रांसमीटर लगाने तथा टावर की ऊंचाई 100 मीटर से बढ़ाकर 235 मीटर करने का प्रस्ताव है। इससे सेवा की परिधि 68 किलोमीटर से बढ़कर 90 किलोमीटर हो जाएगी। सेवा परिधि में वृद्धि होने पर दूरदर्शन सेवा लगभग 140 लाख जनसंख्या को कवर करेगी इस समय यह 100 लाख जनसंख्या को कवर करती है।

(ख) कुल लागत लगभग 373 लाख रुपये होगी।

(ग) दिल्ली टी० वी० टावर की ऊंचाई 235 मीटर होगी। एक घूमने वाला रेस्टोरेंट तथा दृश्य गैलरी की व्यवस्था करने का प्रस्ताव है।

श्री भीकू राम जैन : मैं माननीय मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि इसका एशियाई खेलों के साथ-साथ निर्णय क्यों नहीं लिया गया ताकि इसका लाभ उन लोगों को भी मिल सकता जो रंगीन टेलीविजन देखेंगे। आप इस परियोजना को कब आरम्भ करना चाहते हैं और इसे पूरा करने में कितना समय लगेगा ?

श्री वसंत साठे : इसे एशियाई खेलों से पहले आरम्भ नहीं किया जा सकता क्योंकि यह

एशियाई खेलों के निर्माण कार्य का मुख्य अंग नहीं हो सकता। इस टावर के और घूमने वाले रेस्टोरेंट, गैलरी, आदि सहित इन पूर्व कम्पलेक्स को पूरा होने में लगभग दो वर्ष लगेंगे। अतः हम इस प्रकार की परियोजना को एशियाई खेलों से पूर्व पूरा करने की जल्दबाजी नहीं कर सकते। जहाँ तक एशियाई खेलों को रंगीन अथवा अन्य किसी तरीके से देखने का सम्बन्ध है, मौजूदा ट्रान्समीशन भी वर्तमान क्षेत्र को कवर कर लेगा और जिन भाग्यशाली लोगों के पास रंगीन टेलीविजन हैं वे उन्हें रंगीन देख सकेंगे।

श्री भीकू राम जैन : 377 लाख रुपये के इस अतिरिक्त खर्च से वर्तमान 100 लाख लोगों की बजाए 140 लाख लोगों को लाभ पहुंचेगा और इससे प्रसारण दूरी की परिधि भी 68 किलोमीटर से बढ़कर 90 किलोमीटर हो जाएगी, जिसका अर्थ हुआ दिल्ली से लगभग 56 मील। केवल 50 मीलों के लिए इतना अधिक खर्च करने की बजाय क्या थोड़ा सा अधिक खर्च करके इस परिधि को 100 मील तक बढ़ाना बेहतर नहीं होगा क्योंकि नई दिल्ली देश की राजधानी है?

श्री वसंत साठे : यह थोड़ा सा अधिक या थोड़ा सा कम का प्रश्न नहीं है। यह परिधि का प्रश्न है। आप एक सीमा तक ऊंचा जा सकते हैं और उस ऊंचाई से आप एक परिधि विशेष तक पहुंच सकते हैं। अन्यथा आपको उपग्रह पर निर्भर होना पड़ेगा। वह भी, निस्सन्देह; हम कर रहे हैं। (**व्यवधान**) वह एक प्रभावी परिधि है। परन्तु इस वृद्धि का अत्यन्त महत्वपूर्ण पहलू यह है कि अब अधिक ग्रामीण जनसंख्या टेलीविजन देख सकेंगे अब तक 26.89 लाख ग्रामीण लोग देख पाते थे, अब ये बढ़कर 58.26 लाख हो जाएंगे और 2523 गांवों की बजाए अब 5180 गांवों में टेलीविजन देखा जा सकेगा। यही सर्वाधिक महत्वपूर्ण बात है।

श्री जेवियर अराकल : ऐसा प्रतीत होता है कि सरकार की नीति बड़े शहरों के कुछ चुनिंदा लोगों को अधिकाधिक सुविधाएं और विलास सामग्री प्रदान करना है। मैं इस सभा में बार-बार माइक्रोवेव प्रणाली और टावर का उपयोग करने के लिए कहता रहा हूं। अब मेरा प्रश्न इसी बात से संबंधित है। इस देश की अधिकांशतः जनसंख्या का टेलीविजन देखने की सुविधा प्राप्त नहीं है और यदि मौजूदा माइक्रोवेव टावर और प्रणाली का उपयोग किया जाता है तो हम अधिक जनसंख्या को यह सुविधा प्रदान कर सकेंगे। अब दोनों मंत्री यहां उपस्थित हैं और मुझे यह देखकर बहुत प्रसन्नता है। क्या मैं माननीय मंत्रियों से प्रश्न पूछ सकता हूं? क्या ये दोनों विभाग परस्पर समन्वय स्थापित करेंगे और मौजूदा माइक्रोवेव प्रणाली और टावर का उपयोग करेंगे ताकि हम देश में व्यापक सुविधाएं उपलब्ध करा सकें?

श्री वसंत साठे : यह मामला हमारे दोनों मंत्रालयों के विचाराधीन है। विशेषज्ञों के एक छोटे दल का गठन कर दिया गया है। वे इस बात की जांच कर रहे हैं कि टेलीविजन प्रसारण सुविधा हेतु मौजूदा माइक्रोवेव टावरों का उपयोग किस प्रकार किया जा सकता। यदि इसका समाधान निकल आता है—क्योंकि उन्हें तकनीकी संभावनाओं को भी देखना है—तो मैं जानता हूं कि मौजूदा माइक्रोवेव प्रणाली के माध्यम से इस देश का एक बड़ा क्षेत्र टेलीविजन ट्रांसमीशन की रिले प्रणाली के अन्तर्गत आ जाएगा।

प्रेस परिषद को अतिरिक्त अधिकार

*167. **श्री जी० एम० बनातवाला** : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ऐसे समाचार-पत्रों के खिलाफ जो साम्प्रदायिक भावनाएं उभारते हैं और हिंसा का पाठ पढ़ाते हैं, कार्यवाही करने के लिए भारतीय प्रेस परिषद को, अतिरिक्त अधिकार देने के किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्री (श्री वसंत साठे) : (क) जी, हां ।

(ख) प्रस्ताव भारतीय प्रेस परिषद को ये अतिरिक्त अधिकार देने का है कि वह उस समाचारपत्रों, जिनकी उसके द्वारा भारत के संविधान के अनुच्छेद 19 (2) द्वारा कवर किए गए आधारों पर दत्त समय के अन्दर तीन या इससे अधिक बार निन्दा की गई हो, के मामले में केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों तथा सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों, इत्यादि को (क) विज्ञापनों को बन्द कर देने (ख) अखबारी कागज के आवंटन में कोई वृद्धि दर न देने या (ग) विशिष्ट अवधियों के लिए इस प्रकार के समाचारपत्रों के डाक पंजीकरण के मामले में रियायत को निलम्बित कर देने की अनुशंसा कर सके ।

श्री जी० एम० बनातवाला : इस प्रस्ताव को कब तक अन्तिम रूप दे दिया जाएगा और लागू किया जाएगा ? समस्या की गम्भीरता को देखते हुए मंत्री महोदय को 'यथा संभव शीघ्र' कहकर बात को टालना नहीं चाहिए । मुझे आशा है वह इसका निश्चित उत्तर देंगे ।

एक और बात और है तथा वह सिफारिशों या अनुशंसाओं के सम्बन्ध में है । एक सिफारिश यह है कि अखबारी कागज के कोटे में कोई वृद्धि दर नहीं होगी । उन ऐसे अखबारों के मामले में अखबारी कागज का कोटा एकदम समाप्त या कम क्यों नहीं कर दिया जाता ?

श्री वसंत साठे : इस मामले पर विचार करने का काम प्रेस परिषद का है । उन्होंने कुछ अतिरिक्त अधिकारों की मांग की है । यहां तक कि प्रेस आयोग से भी अपने प्रतिवेदन में प्रेस परिषद को ऐसे अधिकार देने का अनुमोदन किया है और इसीलिए हम इसकी जांच कर रहे हैं । परन्तु मैं यह कह सकता हूं कि ऐसे अधिकार देने से पूर्व उन्हें इस सम्बन्ध में मार्गदर्शी सिद्धान्त अवश्य निर्धारित कर देने चाहिए कि पत्रकारिता के आचार अथवा सार्वजनिक रुचि को बिगाड़ना किसे कहते हैं क्योंकि इसी के आधार पर उनका सेंसर किया जाएगा । अतः जब तक, फिल्म प्रमाणीकरण या सेंसरशिप की भांति वे इन आचारों हेतु मार्गदर्शी सिद्धान्त निर्धारित नहीं करते तब तक उन्हें केवल अधिकार देकर मनमानी करना कठिन है क्योंकि यह समाचार-पत्र वालों का निकाय है । अतः हम यह मामला प्रेस परिषद के साथ उठाने जा रहे हैं और उनसे पूछेंगे कि क्या वे इस प्रकार की आचार संहिता बना सकते हैं ।

श्री जी० एम० बनातवाला : महोदय, हम नहीं जानते कि इस प्रस्ताव को कब तक लागू किये जाने की आशा है क्योंकि इस मामले को अवश्य ही शीघ्रता से निपटाया जाना चाहिए। बहर-हाल, वर्तमान स्थिति के संदर्भ में क्या मैं जान सकता हूं कि क्या मंत्रालय ने समाचार-पत्रों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की है, यदि हां तो कितनों के विरुद्ध तथा उनकी भाषा-वार संख्या कितनी है ?

श्री वसंत साठे : नहीं, श्रीमन्। मंत्रालय स्वयं कोई कार्यवाही नहीं करता क्योंकि ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। मानहानि आदि के सामान्य कानून मौजूद हैं। यदि कोई कार्यवाही करना चाहता है वे वह सामान्य कानून के अन्तर्गत ऐसा कर सकता है। इस समय ऐसा कोई कानूनी प्रावधान नहीं है जिसके अधीन मंत्रालय दोषी पत्रकारों के विरुद्ध कार्यवाही कर सके। यह काम अवश्य ही प्रेस परिसद द्वारा किया जाना चाहिए। अतः जैसा कि मैंने कहा है कि प्रेस परिषद ने ऐसे पत्रकारिता के आचार अभी सहिताबद्ध नहीं किए हैं जिनका उल्लंघन करने पर दण्ड दिया जा सके अथवा सेन्सर किया जा सके।

श्री राम विलास पासवान : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि इस सम्बन्ध में प्रेस कौंसिल के पास क्या अधिकार है? क्योंकि इमर्जेन्सी के समय में हमने देखा है कि सारी चीजों को सप्रेस कर दिया जाता है। इसलिए क्या प्रेस कौंसिल गवर्नमेंट के इशारे पर चलने वाली बाडी है या प्रेस कौंसिल का कोई स्वतन्त्र अस्तित्व भी है? मैं जानना चाहता हूं इस सम्बन्ध में अभी तक प्रेस कौंसिल के पास क्या अधिकार हैं?

श्री वसंत साठे : प्रेस कौंसिल का जहां तक सवाल है, यह एक स्टैट्यूटरी बाडी है, गवर्नमैन्ट के इशारे पर चलने वाली बाडी नहीं है। इसके जो सदस्य हैं, यदि मैं आपको उनके नाम बताऊं तो कानून के अन्दर जो विभिन्न संस्थायें हैं उनके नामजद प्रतिनिधियों की यह संख्या होती है, कोई खाली सरकार द्वारा नियुक्त प्रतिनिधियों की संख्या नहीं होती है। इसीलिए आज प्रेस कौंसिल में जो मेम्बर्स हैं उनमें एडिटर्स के रिप्रेजेंटेटिव सेक्शन 5 (3) (अ) के अन्तर्गत हैं—सर्वश्री अरुण शोरी, एस० के० बोस, ओ० पी० शाह, विनोद मिश्र, एस० रामस्वामी "चो" डी० एस० सोंधी और वर्किंग जर्नलिस्ट्स के रिप्रेजेन्टेटिव हैं—सर्वश्री एस० विश्वम्, ए० राघवन, और रंगराजन...

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : नाम तो हम सभी जानते हैं।

श्री वसंत साठे : इतना जानते हुए भी कि राम जेठमलानी, उमा शंकर जोशी... फिर भी आपको तसल्ली नहीं है।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : इन्होंने नाम नहीं पूछा है, अधिकार पूछे हैं। आप नाम पढ़कर हमें प्रभावित करना चाहते हैं?

श्री वसन्त साठे : आप कैसे प्रभावित हो सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय : वाजपेयी जी नाम से प्रभावित होने वाले नहीं हैं।

श्री वन्सत साठे : वे खुद के नाम से भी प्रभावित नहीं होने वाले हैं। कानून जो बना है उसको यदि आप देख लीजिए तो सारे अधिकार आपको मालूम हो जायेंगे। वे और ज्यादा अधिकार चाहते हैं जिन पर अभी विचार चल रहा है। (**व्यवधान**) अभी इमर्जेन्सी का भूत लगता है आप पर छाया हुआ है।

श्री मनीराम बागड़ी : हमें जेल का डर लगता है। आपको भी जाना पड़ेगा।

अध्यक्ष महोदय : आप लोग किसी अच्छी जगह पर जाने की कोशिश कीजिए।

विदेशी दवा कम्पनियों को अधिक शेयर रखने देने के लिए नीति में परिवर्तन

*168. **प्रो० रूप चन्द पाल**
श्री रेणुपद दास

क्या **पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार विदेशी दवा कम्पनियों को अधिक शेयर रखने देने और उन्हें कई क्षेत्रों में भाग लेने देने की अनुमति देने के लिए नीति में परिवर्तन कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) सरकार भारतीय दवा निर्माताओं की सफलता में किस प्रकार सुधार करने पर विचार कर रही है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) और (ख) औषध नीति के अन्तर्गत विदेशी औषध कम्पनियों की विदेशी पूंजी में कमी करने संबंधी नीति और विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम की धारा 29 को लागू करने के लिए सरकार द्वारा जारी की गई मार्ग दर्शिका में परिवर्तन करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। महत्वपूर्ण क्षेत्र (परिशिष्ट 1) में प्रवेश करने के लिए विदेशी औषध कम्पनियों को पहले से ही अनुमति है।

(ग) 1978 की औषध नीति में औषध उद्योग में भारतीय कम्पनियों को वरीयता देने हेतु अनेक प्रावधान हैं। इसके अलावा डी० जी० टी० डी० के पास पंजीकरण की योजना को औषध उद्योग के सम्बन्ध में जारी रखा गया है। यह सुविधा केवल भारतीय गैर—एम० आर० टी० पी० यूनिटों के लिए उपलब्ध है। औषध नीति की घोषणा के पश्चात अनेक डी० जी० टी० टी० पंजीकरण प्रदान किए गए हैं।

प्रो० रूपचन्द पाल : महोदय, मेरे प्रश्न का उत्तर टाल दिया गया है। मेरा प्रश्न विदेशी-मुद्रा विनियमन अधिनियम में प्रस्तावित उदारीकरण के सम्बन्ध में था—जिसे वित्त मंत्रालय द्वारा

किया जा रहा है—कि क्या विदेशी दवाइयों की कम्पनियों को उनकी ईक्विटी के सम्बन्ध में उनको और अधिक अवसर प्रदान किए जायेंगे । लेकिन उत्तर यह दिया गया है कि विदेशी औषध कम्पनियों की विदेशी पूंजी में कमी करने सम्बन्धी नीति में परिवर्तन करने का कोई प्रस्ताव नहीं है । महोदय विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम में संशोधन करने के लिए वित्त मंत्रालय ने कुछ प्रस्ताव तैयार किए हैं, और मेरा प्रश्न यह था कि जो बहुराष्ट्रीय औषध कम्पनियां भारत में कार्यरत हैं उनके साथ कोई उदारीकरण की नीति अपनाई जाएगी ?

श्री पी० शिवशंकर : महोदय मैं यह नहीं समझ पाया हूं कि "अधिनियम का संशोधन करने" से मेरे माननीय मित्र का क्या अभिप्राय है । जहां तक अधिनियम को संशोधित करने का सम्बन्ध है, इसके लिए अभी तक कोई प्रस्ताव नहीं है । और विदेशी औषध कम्पनियों की ईक्विटी सहयोगिता के सम्बन्ध में वर्ष 1978 में जो नीति प्रतिपादित की गई थी उसमें ऐसा परिवर्तन करने का कोई प्रस्ताव नहीं है । जिससे वे अपनी ईक्विटी पूंजी में वृद्धि कर सकें ।

प्रो० रूपचन्द पाल : महोदय हिन्दुस्तान लीवर के अध्यक्ष द्वारा कुछ दिन पहले बम्बई में एक घोषणा की गई थी कि बिना किसी वरीयता के व्यवहार के उनको 51 प्रतिशत शेयर रखने की अनुमति दी गई है । और मंत्री महोदय ने—इस विभाग के नहीं अन्य विभाग के—इसका कोई खण्डन नहीं किया । बहुत से अन्य मामलों में भी हम यह देखते हैं कि बहु-राष्ट्रीय कम्पनियां यह कह रही हैं कि हमको अपने अधिक ईक्विटी शेयर रखने की अनुमति दी जा रही है । और उदारीकरण के प्रश्न पर विचार हो रहा है तथा बहुत सी कम्पनियों ने और विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम के उदारीकरण के लिए सरकार से आवेदन किया है । जिम्मेदार वर्ग के समाचार-पत्रों में यह समाचार छपे हैं कि दवाओं के उत्पादन के सम्बन्ध में विदेशी औषध कम्पनियों को और अधिक उदारता प्रदान की जाएगी ।

श्री पी० शिवशंकर : महोदय, मुझे खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि ऐसा प्रतीत होता है कि माननीय मित्र ने सारे विषय का गलत अर्थ लगाया है । मेरे माननीय मित्र को याद होगा कि विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम 1-1-1974 को लागू किया गया था । उसके तुरन्त पश्चात् विभिन्न औद्योगिक घरानों के सम्बन्ध में, जिन पर कि बहु-राष्ट्रीय कम्पनियों का प्रभुत्व था, नीति सम्बन्धी निर्णय लिए गये । जहां तक दवाओं के विषय का सम्बन्ध है—चूंकि हाथी समिति इस पर विचार कर रही थी तथा कानून के अनुसार सभी बहु-राष्ट्रीय कम्पनियों द्वारा आवेदन दिए जाने थे अतः उन्होंने, जिनमें औषध कम्पनियां भी शामिल थीं, आवेदन किए । जब वर्ष 1978 में नीति सम्बन्धी निर्णय लिया गया तब उस नीति निर्णय के अनुसरण में प्रौद्योगिकीविदों की एक उच्च-शक्ति-प्राप्त समिति नियुक्त की गई । उसने सारे प्रश्न पर विचार किया और यह निर्णय लिया कि ऐसी कौन-कौन सी कम्पनियां हैं जिन्हें अपने ईक्विटी को कम करना चाहिए ।

वर्ष 1978 में जारी किए गये औषध नीति सम्बन्धी वक्तव्य के आधार पर इन मामलों पर विचार किया गया । पैंतालीस कम्पनियों में से आज केवल बीस कम्पनियां ही—ऐसी बची हैं जिनका शेयर 40 प्रतिशत से अधिक है, और इन बीस कम्पनियों में से भी चार कम्पनियां अपने

शेयर को 40 प्रतिशत तक कम करने को सहमत हो गई हैं। इसके अलावा तीन और कम्पनियों को अपने शेयर कम करके 40 प्रतिशत तक करने को कहा गया है।

अतः इस प्रकार की सात कम्पनियां हो जाती हैं और शेष तेरह विभिन्न स्तरों पर हैं। वर्ष 1978 की औषध नीति के अनुसार जो कम्पनियां उच्च प्रौद्योगिकी को अपनाती हैं, ऐसी कुछ कम्पनियों को 40 प्रतिशत से कुछ अधिक ईक्विटी शेयर रखने की अनुमति दी गई है।

अध्यक्ष महोदय : श्री रेणुपद दास—अनुपस्थित। श्री भाटिया।

श्री रघुनन्दन लाल भाटिया : मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि क्या यह बात सच है कि कुछ विदेशी औषध कम्पनियों द्वारा सरकार से यह आवेदन किया गया है—कि चूंकि हम जीवन रक्षक औषधियों का उत्पादन कर रहे हैं, और कुछ दवाओं को बाहर निर्यात भी किया जा रहा है—इसलिए इन दोनों तथ्यों को ध्यान में रखते हुए उनको अपने ईक्विटी शेयर 40 प्रतिशत तक कम करने को न कहा जाए।

श्री पी० शिवशंकर : जैसा कि मैंने कहा है स्थिति यह है— कि यदि उच्च प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जाता है तब हम 40 प्रतिशत से अधिक तक शेयर बनाये रखने की अनुमति दे रहे हैं। प्रत्येक मामलों की स्थिति के अनुसार हम यह निश्चित करते हैं कि किस प्रतिशत तक ईक्विटी को कायम रखा जाए। यदि उच्च प्रौद्योगिकी का उपयोग नहीं किया जा रहा है तो इस सम्बन्ध में हम कम्पनियों को अपने ईक्विटी शेयर 40 प्रतिशत तक लाने के निर्देश दे चुके हैं। अन्ततः यह उच्च प्रौद्योगिकी के उपयोग पर ही निर्भर करता है। यदि यह जीवन रक्षक औषधियों का मामला है और इसमें उच्च प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जाता है, तब हम निश्चित ही इस पहलू को ध्यान में रखेंगे। लेकिन मान लीजिए यदि यह केवल जीवन रक्षक औषध का ही प्रश्न है और इसमें उच्च प्रौद्योगिकी अन्तर्ग्रस्त नहीं है, ऐसी स्थिति में 40 प्रतिशत से अधिक ईक्विटी शेयर बनाये रखने का प्रश्न ही नहीं उठता है।

ग्रामीण क्षेत्रों में फिल्मों का प्रदर्शन

*169. **डा० बसन्त कुमार पंडित** : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में कुल कितने सिनेमाघर हैं तथा प्रति 1000 लोगों के लिए उनमें कितने प्रतिशत सीटें हैं और अन्य विकासशील देशों की तुलना में यह प्रतिशत कितना है ;

(ख) क्या सरकार ग्रामीण क्षेत्रों के लिए छोटे सिनेमाघरों के निर्माण और ग्रामीणों के मनोरंजन के लिए 16 एम० एम० या 8 एम० एम० की टेक्नालाजी अपनाने के हक में है ; यदि हां, तो ऐसी योजनाओं का ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या राष्ट्रीय फिल्म नीति संबंधी कार्य-दल ने वर्तमान फिल्म प्रस्तुतीकरण के स्थान पर वीडियो टेक्नोलाजी का उपयोग करने का सुझाव दिया है ; और

(घ) यदि हां, तो राष्ट्रीय फिल्म समिति का ब्यौरा क्या है, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में आसानी से सस्ती दरों पर फिल्मों का प्रदर्शन करने के संबंध में ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री वसन्त साठे) : (क) देश में 31-3-82 को सिनेमाघरों की कुल संख्या 11,187 थी। यह मोटे तौर पर प्रति 1000 जनसंख्या के लिए 7.37 सीटें बनती हैं। यूनेस्को स्टेटिस्टिकल ईयर बुक, 1980 के अनुसार, प्रति 1000 जनसंख्या के लिए श्रीलंका में 13.3 सीटें, इंडोनेशिया में 4.5 सीटें, ईरान में 9 सीटें, बर्मा में 4.4 सीटें, बंगलादेश में 1.37 सीटें, अफगानिस्तान में 1.2 सीटें, मैक्सिको में 28.6 सीटें तथा मोरक्को में 8 सीटें हैं।

(ख) जी, हां। राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम, जो सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अधीन सार्वजनिक क्षेत्र का एक उपक्रम है, की देश में सिनेमाघरों के निर्माण के लिए वित्तपोषण की योजना है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

डा० वसन्त कुमार पंडित : महोदय, मुझे आपका संरक्षण चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : वह तो आपको पहले से ही प्राप्त है।

डा० बसन्त कुमार पंडित : मेरे प्रश्न के भाग दो का उन्होंने पूरा उत्तर नहीं दिया है। मैं वह सूचना प्राप्त करने के लिए अपने अनुपूरक प्रश्न पूछने के अधिकार को व्यर्थ नष्ट करना नहीं चाहता हूं। मैं यह जानना चाहूंगा कि क्या मंत्री महोदय उस उत्तर को पूरा करने के लिए तैयार हैं।

अध्यक्ष महोदय : वह किस बारे में हैं।

डा० बसन्त कुमार पंडित : मेरे प्रश्न के द्वितीय भाग का सही ढंग से उत्तर नहीं दिया गया है। मैंने पूछा था कि क्या सरकार छोटे आकार के सिनेमाघरों के निर्माण के हक में है।

श्री वसन्त साठे : मैंने कहा है "जी, हां।" क्या आप 'जी, हां' से सन्तुष्ट नहीं हैं ?

अध्यक्ष महोदय : उनकी 'हां' को 'ना' न समझे।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : महोदय वह कोई महिला नहीं है।

डा० बसन्त कुमार पंडित : इसमें बहुत-सी बातें छुपाई गई हैं। मैंने ग्रामीण मनोरंजन के लिए 16 एम एम या 8 एम एम की प्रौद्योगिकी को अपनाने के बारे में पूछा था। मैंने पूछा था कि क्या सरकार ऐसी योजना के हक में है, और यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है। इन्होंने बताया है कि एक ऐसी योजना है, और बस। वह ग्रामीण प्रदर्शन के लिए 16 एम एम और 8 एम एम

प्रौद्योगिकी के बारे में कुछ भी कहने को तैयार नहीं हैं। उन्होंने मुझे योजना का भी कोई ब्यौरा नहीं दिया है।

अध्यक्ष महोदय : वह यह जानना चाहते हैं कि क्या उसकी रूपरेखा तैयार की जा चुकी है या उसे लिखित रूप में तैयार किया जा चुका है अथवा उसके बारे में केवल विचार ही चल रहा है?

श्री वसन्त साठे : जहां तक 16 एम एम और 8 एम एम का सम्बन्ध है हम 16 एम एम प्रौद्योगिक का मूल्यांकन कर रहे हैं और यथासम्भव अधिक ग्रामीण क्षेत्र के लिए 16 एम एम प्रौद्योगिकी को अपनाने का प्रयास कर रहे हैं। 8 एम एम की प्रौद्योगिकी तो बहुत ही हल्की अथवा नीची है और आर्थिक रूप में भी ग्रामीण क्षेत्रों के लिए वास्तव में लाभकारी नहीं है। अब नवीन-तम और सर्वाधिक उपयोगी प्रौद्योगिकी है वीडियो और चौड़े पर्दे वाले प्रोजेक्टरों के उपयोग से वीडियो भी दूरदर्शन ही हो जाते हैं। यही वह प्रौद्योगिकी है जिससे जहां तक चलचित्र का सम्बन्ध है ग्रामीण क्षेत्रों में वास्तव में ही क्रान्ति आ जाएगी। केवल चलचित्र के क्षेत्र में ही नहीं, अपितु सभी शैक्षिक गतिविधियों और कार्यक्रमों में। हम उसकी जांच कर रहे हैं। और जहां तक ग्रामीण क्षेत्र का सम्बन्ध है वह वास्तविक सफलता होगी।

डा० बसन्त कुमार पंडित : मेरा प्रथम पूरक प्रश्न यह है कि देश में सिनेमाघरों की संख्या बहुत कम है और उनमें से भी अधिकांश देश के दक्षिणी भाग में है, अत: उत्तरी क्षेत्र का वास्तविक प्रतिशत उससे कहीं बहुत कम है जो कि यहां पर बताया गया है। आपकी योजना के अनुसार चल-चित्र विकास निगम को भी भूमिका निभानी है। अब तक ऐसे कितने छोटे-आकार के सिनेमाघरों का निर्माण किया जा चुका है जिनमें 16 एम एम प्रौद्योगिकी का प्रयोग किया जाएगा। आगामी दो वर्षों में कितने और बनकर तैयार हो जायेंगे?

श्री वसन्त साठे : श्रीमन्, जैसे कि मैंने कहा है कि हमने हाल ही में 16 एम एम में को अपनाना शुरू कर दिया है।

डा० बसन्त कुमार पंडित : छोटे आकार के सिनेमाघरों के बारे में क्या स्थिति है।

श्री वसन्त साठे : जहां तक एन० एफ० डी० से सिनेमाघरों के लिए कुल ऋण का प्रश्न है, हमने 25 सिनेमाघरों को ऋण दिया है, जो कि सभी लघु सिनेमाघर हैं। पर जैसा कि मैंने कहा, यह काफी नहीं हैं। यह सिनेमाघरों की आवश्यकता से बहुत कम है, खासतौर पर ग्रामीण क्षेत्रों में, और हम इस विषय पर विचार कर रहे हैं। इसका एक ही हल खोजा जा सकता है कि विभिन्न ग्रामीण क्षेत्रों के स्कूलों या सामुदायिक केन्द्रों में जहां कहीं भी हाल या ऐसे ही स्थान हों, वहां वीडियो प्रणाली स्थापित कर दी जाये। हम इस आधार पर विचार कर रहे हैं। 16 एम एम प्रोजेक्टर वाले छोटे सिनेमाघरों से हालांकि लागत में कमी आएगी, लेकिन अकेले इससे आवश्यक प्रयोजन सिद्ध नहीं होगा।

श्री संतोष मोहन देव : क्या माननीय मंत्री बतायेंगे कि देश में कुल सिनेमाघरों में से कितने

शहरी क्षेत्रों में और कितने ग्रामीण क्षेत्रों में हैं? मैं समझता हूं कि ग्रामीण क्षेत्रों में सिनेमाघरों की संख्या जरूरत से काफी कम है और यह देश के कुल सिनेमाघरों का केवल 10% ही हैं। माननीय मंत्री महोदय ने ठीक ही कहा है कि ग्रामीण क्षेत्रों में वीडियो प्रणाली को आरम्भ किया जाय। पहले राज्य और केन्द्रीय प्रचार विभाग ग्रामीण क्षेत्रों में मुफ्त सिनेमा शो का प्रदर्शन करते थे। लेकिन अब उन्होंने इसे बन्द कर दिया है।

श्री वसन्त साठे : अधिकतर सिनेमाघर शहरी क्षेत्रों में हैं। करीब 4248 अस्थायी या भ्रमणकारी सिनेमाघर हैं। उन्हें अस्थायी सिनेमाघर कहा जाता है। वे अर्द्ध-ग्रामीण क्षेत्रों में हैं। लेकिन ये बहुत कम हैं। इससे समस्या का थोड़ा-सा ही समाधान हो पाता है। आजकल हम अपने क्षेत्रीय प्रचार इकाइयों द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में 16 एम एम तकनीक द्वारा सिनेमा शो का प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन मैं खुद मानता हूं कि इससे बहुत कम क्षेत्र में यह कार्य हो पाता है।

डा० कर्ण सिंह : अध्यक्ष महोदय, ग्रामीण क्षेत्रों में सिनेमाघरों की समस्या के अलावा यह भी देखना होगा कि वहां कैसी फिल्में दिखाई जायें। अगर सिर्फ शहरी फिल्मों को, जिनमें डरावनी, मारधाड़ और बलात्कार वाली मनोवैज्ञानिक गंदगी होती है, गांवों में दिखाना है तो इससे केवल नुकसान ही होगा। क्या मंत्री महोदय हमें यह बतायेंगे कि इन सिनेमाघरों के निर्माण के अलावा क्या वह इस बुराई, इस गंदगी और इस तरह की फिल्मों पर, जो कि जान-बूझकर किशोर पीढ़ी को खराब करने के लिए बनाई जाती हैं, प्रतिबन्ध लगाने के बारे में कुछ कार्यवाही कर रहे हैं? फिल्म उद्योग में लाभ के तौर पर करोड़ों रुपये कमाये जा रहे हैं और साथ ही देश के नैतिक और आध्यात्मिक ढाचों को नष्ट किया जा रहा है। क्या मंत्री महोदय इस प्रकार की फिल्मों के प्रदर्शन पर रोक लगाने के लिए कदम उठायेंगे? वह इस बारे में क्या करने जा रहे हैं?

अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय, कृपया कुछ कठोर कदम उठायें।

श्री वसन्त साठे : श्रीमन्, मैं माननीय सदस्य द्वारा व्यक्त की गई भावनाओं से पूरी तरह सहमत हूं। लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि···(**व्यवधान**)

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : फिर वह यह कहेंगे कि आपको अधिकार नहीं है।

श्री वसन्त साठे : नहीं, अधिकार है।

अध्यक्ष महोदय : उसका इस्तेमाल करो।

श्री वसन्त साठे : जब कभी हम इस पर सेंसरशिप के स्पष्ट मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अधीन कार्यवाही करते हैं तो दो बातें होती हैं, या तो मामले पर न्यायालय से स्थगन आदेश ले लिया जाता है या इस सदन के या अन्य सदस्य मेरे पास आकर कहते हैं कि इस फिल्म को प्रमाण पत्र दे दिया जाए।

कुछ माननीय सदस्य : नहीं, नहीं। (**व्यवधान**)

श्री वसन्त साठे : यहां इस प्रकार कहना बहुत आसान है । लेकिन एक काम धारणा यह है है कि···(व्यवधान)

श्री हरिकेश बहादुर : आप नाम बताइए ।···(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आर्डर प्लीज, आर्डर प्लीज । मिस्टर पंडित बैठिए। देखिए, इस मसले का हल हो गया। (व्यवधान) एक मिनट बैठिए आप। हल यह हो गया कि सारे हाउस में इसके खिलाफ किसी ने आवाज नहीं उठाई । सारा सदन आपके साथ है । अगर कोई सदस्य आपके पास आता है तो कृपया उनका विवरण बताइए । इस पर आपको सारे सदन का समर्थन प्राप्त है ।

श्री वसन्त साठे : मुझे खुशी है कि मुझे आपका भी समर्थन प्राप्त है ।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : मैं एक बात कहना चाहता हूं । ये मनमानी न करें । एक मराठी में फिल्म बनी थी—"गल्ली से दिल्ली।" उसमें 'प्रतिष्ठान' शब्द था इसलिए इन्होंने उसको इजाजत नहीं दी ।

श्री वन्सत साठे : यह गलत बात है। हमने बिल्कुल नहीं रोका ।

प्रो० मधु दडंवते : हम उनको सिनेमा के कलात्मक पहलू को बदलने की अध्यारोही शक्ति नहीं देना चाहते हैं। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप इन दो विषतों को मिला क्यों रहे हैं ? हमें तो सिर्फ मारधाड़, अपराध, यौन और आतंक की मूलप्रवृत्ति को दबाना है ।

डा० कर्ण सिंह : हम इस पर किसी दिन आधे घंटे की चर्चा करना चाहते हैं ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं समझता हूं कि हमने आज कुछ अच्छा पास किया है···आपने एक अच्छा कार्य किया है । इसे जारी रखा जाना चाहिए ।

छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान तेल का उत्पादन

*171. †**श्री बी० वी० देसाई** :
श्री पी० एम० सईद :

क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि छठी पंचवर्षीय योजना के प्रथम दो वर्षों में तेल का उत्पादन लक्ष्यों से कम हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो उसके मुख्य कारण क्या हैं ;

(ग) क्या तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग ने तेल के उत्पादन के लिए 1980-1990 की दस वर्षीय योजना तैयार की है ;

(घ) क्या ये भी लक्ष्य से पीछे रह जाएगी ;

(ङ) यदि हां, तो उपरोक्त दोनों योजनाओं से लक्ष्यों की पूर्ति न होने के क्या कारण हैं ;

(च) छठी पंचवर्षीय योजना के लिए तेल के उत्पादन के लिए नियत लक्ष्य प्राप्त करने और प्रस्तावित 10 वर्षीय कार्यक्रम के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ; और

(छ) उचित परिणामों की प्राप्ति के बिना दोनों कार्यक्रमों का एक साथ अनुसरण करना कहां तक उचित होगा ?

पट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री पी० शिवशंकर) : (क) जी, हां ।

(ख) छठी पंचवर्षीय योजना के प्रथम दो वर्षों में तटीय उत्पादन में कमी के कारण मुख्यत: पूर्वी क्षेत्र में नागरिक गड़बड़ियां थीं ।

1980-81 में अपतटीय उत्पादन के लक्ष्य में लगभग 1% की मामूली कमी के कारण हैं दो प्लेटफार्मों को कुछ विलम्ब से आरम्भ करना और बी० एच० एन० के प्रोसेस प्लेटफार्मों और अन्य प्लेटफार्मों में अपेक्षित परिशोधन करना वर्ष 1981-82 में कमी (लक्ष्य की 5%) जेक-अप रिगों का विलम्ब से प्राप्त होना, खनिज तेल की किस्म में एकदम बड़ा परन्तु अस्थायी परिवर्तन ने देशी शोधनशालाओं द्वारा की जा रही उठान पर प्रभाव डाला है और अल्पावधि के लिए कुछ संचलनात्मक समस्याओं, जिनसे टैंकरों के लदान पर बुरा प्रभाव पड़ा था, के कारण हुई ।

(ग), (घ) और (ङ) तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग वर्ष 1980-90 की अवधि के लिए हाईड्रो-कार्बन्स के त्वरित अन्वेषण और दोहन के लिए एक विचारात्मक योजना ढांचा सूत्रबद्ध किया है । इस विचारात्मक योजना ढांचे में कुल 28.995 करोड़ रुपये के कुल परिव्यय की परिकल्पना की गई हैं और इसके लिए विस्तृत अध्ययन की आवश्यकता होती है और जिस अध्ययन को आरम्भ कर दिया गया है । इसलिए इस स्थिति में, लक्ष्यों को पूरा करने का प्रश्न नहीं उठता ।

(च) योजना अवधि के शेष भाग में उत्पादन को और आगे बढ़ाने के लिए प्रस्ताव दिया गया है और ऐसी आशा है कि छठी पंचवर्षीय योजना के उत्पादन लक्ष्यों को यदि उन्हें नहीं बढ़ाया जाता हैं, तो पूरा कर लिया जाएगा ।

(छ) अन्वेषण एक लगातार चलने वाली गति-विधि है, चालू कार्यक्रमों को कार्यान्वियन के लिए एक दीर्घ-अवधि ढांचा रखना आवश्यक होता है । इस स्थिति में कमियों को पूर्व अनुमानित करने की कोई कारण नहीं है ।

श्री बी० वी० देसाई : मेरे प्रश्न का उत्तर देते समय माननीय मंत्री ने यह स्वीकार किया

है कि तटीप तथा अपतटीय तेल के उत्पादन में कुछ कारणों की वजह से, जिनको उन्होंने स्पष्ट किया है, कमी हो रही है। उन्होंने कहा है कि तटीय क्षेत्रों में यह कमी पूर्वी क्षेत्रों में गड़बड़ियों के कारण हुई है और अपतटीय क्षेत्रों में यह कमी दो प्लेट फार्मों को कुछ विलम्ब से आरम्भ करने और तेल की श्रेणी में अस्थायी परिवर्तन करने व जेक-अप रिगो के देर से प्राप्त होने के कारण हुई है। उन्होंने यह भी कहा है कि अपटीय तेल के उत्पादन में यह कमी लक्ष्य से 4% और 5% तक थी। मैं जानना चाहूंगा कि क्या इन कारणों को टाला नहीं जा सकता था क्या इन कारणों को टालने के लिए जिनकी वजह से कमी हुई है, उचित कदम उठाये थे। माननीय मंत्री ने हमें आश्वासन दिया है कि छठी योजना में यदि अधिक नहीं तो इस लक्ष्य को प्राप्त कर लिला जायेगा। क्या वे कृपया इसका पुनः आश्वासन देंगे?

दूसरे, हमें खुशी है कि आपने 1980 से 1990 तक एक दस वर्ष के लिए एक वैचारिक योजना बनायी है और इसमें 29000 करोड़ रु० के भारी परिव्यय का प्रावधान किया गया है। महोदय, जहाँ तक भारतीय अर्थ व्यवस्था का सम्बन्ध है यह बहुत ही महत्वपूर्ण समस्या है। जब तक हम तेल के मामले में आत्म निर्भर नहीं हो जाते तब तक अर्थ-व्यवस्था को संभालना बहुत कठिन है। अतः मैं माननीय मंत्री से जानना चाहूंगा कि 1985 के लिए या छठी पंचवर्षीय योजना के लिए क्या लक्ष्य है और 1990 तक के किए क्या लक्ष्य है? तेल में आत्मनिर्भर होने में हमें इससे कितनी सहायता मिलेगी? और 1985 तक एवं 1985 तथा 1990 के बीच की अवधि में कितने तेल के आयात की आवश्यकता होगी?

अध्यक्ष महोदय : क्या 'एक ही प्रश्न में सारे पूरक प्रश्न?'

श्री पी० शिवशंकर : महोदय मेरे इन माननीय मित्र ने क्या प्रश्न पूछे हैं?

अध्यक्ष महोदय : मैं उन्हें प्रश्न पूछने का दूसरा अवसर नहीं दूंगा।

श्री पी० शिवशंकर : जहाँ तक अपतटीप तेल उत्पादन की कमियों का सम्बन्ध है मेरे माननीय मित्र ने पूछा है कि क्या उनको टाला जा सकता था। ठीक है अब यह भूतकाल की बात है। उनको टाला नहीं जा सका और इसलिए यह हुआ।

प्रश्न का दूसरा भाग उठाए गये कदमों से सम्बन्धित है। जैसा कि मैंने कहा है कि विलम्ब से कार्य शुरू करने तथा दूसरे कारणों की वजह से हम 1980-81 में लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर सके। एक वर्ष 4% की कमी थी और दूसरे वर्ष 5% की कमी थी। परन्तु इस माननीय सभा को सूचित करने में मुझे खुशी हो रही है कि इस वर्ष जनवरी से मार्च तक हम लक्ष्य से 2.6% आगे बढ़ गये हैं। मार्च में यह 102.6% था तथा अप्रैल से जून तक भी स्थिति यह है कि हम 2% आगे निकल गये हैं। मैं जान-बूझकर ओ० एन० जी० सी० तथा ओ० आई० एल० के बारे में विस्तृत सूचना नहीं दे रहा हूं परन्तु आज जैसी स्थिति है वह यह है कि हम लक्ष्य से आगे निकल गये हैं।

अब जहां तक वैचारिक योजना का सम्बन्ध है उस पर चर्चा की जा रही है। इस मामले पर वित्त मंत्री, योजना आयोग तथा पी० आई० बी० आदि द्वारा विचार किया जाना है।

जहां तक इस योजना का सम्बन्ध है, क्योंकि मेरे मित्र ने इस योजना के अन्तर्गत उत्पादन के लक्ष्यों के बारे में पूछा है, ओ० एन० जी० सी० ने इस वैचारिक योजना के अन्तर्गत वर्ष 1984-85 में दो योजनाओं का प्रस्ताव किया है—संख्या एक तथा संख्या दो। योजना संख्या एक के अन्तर्गत वे 27.2 मिलियन टन तक उत्पादन की आशा करते हैं और दूसरी के अन्तर्गत भी वही बात है। परन्तु जब 1989-90 के प्रश्न पर आते हैं, जो मेरे मित्र ने योजना संख्या एक के अन्तर्गत पूछा है, तो यह 96-50 मिलियन टन होगा और योजना संख्या दो के अन्तर्गत यदि यह पूरा हो जाता है यह 60-50 मिलियन टन होगा और यह उत्पादन 1990 में किया जायेगा। इस अवधि के सारे आंकड़े संभाव्य हैं। मेरे माननीय मित्र ने पूछा है कि 1985 में इसका कितना आयात किया जायेगा। महोदय इस समय इसका अनुमान लगाना मेरे लिए सम्भव नहीं है। परन्तु जितना उत्पादन बढ़ने की सम्भावना है उसको ध्यान में रखकर मैं माननीय सभा को यह आश्वासन दे सकता हूं कि आयात के प्रतिशत में बहुत कमी हो जाने की सम्भावना है।

श्री बी० वी० देसाई : महोदय मेरा दूसरा अनुपूरक है···

अध्यक्ष महोदय : श्री देसाई एकाधिकार मत बनाओ। बस हो गया।

श्री पी० वी० जी० राजू : महोदय मुझे सूचना मिली थी कि पश्चिमी गोदावरी में नरसापुर नामक स्थान पर तेल और गैस मिले हैं और माननीय मंत्री वहां पर स्थल का उद्घाटन करने के लिये गये थे। मैं जानना चाहूंगा कि जो कुछ वहां पर मिला है क्या वह वाणिज्यिक स्तर का है। मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि क्या गोदावरी-कृष्णा पेटी में भूकम्प-सर्वेक्षण कराया गया है? गोदावरी तथा कृष्णा आन्ध्र प्रदेश से होकर बहती हैं और मुझे विश्वास है कि इस क्षेत्र में तल के बहुत अधिक भंडार हैं।

श्री पी० शिव शंकर : उत्पादन परीक्षण के आधार पर भूगर्भ वैज्ञानिक तथा वैज्ञानिक इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि नरसापुर क्षेत्र में राजोल कुए में जहां पर हमने खुदाई की है हाईड्रो कार्बन की सम्भावना है परन्तु इस समय वाणिज्यिक स्तर पर उत्पादन के बारे में कुछ कहना बहुत कठिन है।

प्रो० एन० जी० रंगा : उन्होंने इस प्रकार से दो वर्ष तक खुदाई की है।

श्री पी० शिव शंकर : यह उत्पादन परीक्षण के पूरा होने पर निर्भर करता है और केवल इसके बाद ही मैं राजोल क्षेत्र के हाईड्रो कार्बन की वाणिज्यिक सम्भावना के बारे में कुछ कहने की स्थिति में हूंगा।

मेरे माननीय मित्र का अगला प्रश्न गोदावरी एवं कृष्णा क्षेत्र में भूकम्प सर्वेक्षण के सम्बन्ध में है। यह किया गया है, खोज की जा रही है और खुदाई कार्य को भी तीव्र कर दिया गया है।

उस क्षेत्र में पहले से परिचालित रिगों के अतिरिक्त, तटीय तथा अपतटीय क्षेत्रों में खुदाई के लिए दो और रिगो को लगाने के लिए निर्देश दिये जा चुके हैं।

नदियों के मुहानों से बिजली का उत्पादन

*174. **श्रीमती जयन्ती पटनायक** : क्या ऊर्जा मंत्री वह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विशेषज्ञों और वैज्ञानिकों ने देश की अधिकतर नदियों के मुहानों से बिजली के उत्पादन की संभावना के बारे में अपनी राय व्यक्त की है ;

(ख) क्या उनके मंत्रालय ने वैज्ञानिकों और विशेषज्ञों की राय पर ध्यान दिया है ;

(ग) यदि हां, तो क्या नदियों के मुहानों से बिजली प्राप्त करने की संभावना का पता लगाने सम्बन्धी प्रस्ताव पर विचार किया जाएगा ; और

(घ) इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा और क्या कदम उठाए जाएंगे ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) से (घ) नदियों के प्रवाह मार्ग के साथ साथ जहां कहीं भी शीर्ष (हैड) उपलब्ध है, वहां विद्युत उत्पादन के लिए शक्यता है। तथापि आर्थिक व्यवहार्यता पानी की मात्रा, शीर्ष, विकास पर आने वाली लागत आदि जैसे कई कारणों पर निर्भर करेगी। देश में उपलब्ध जल विद्युत शक्यता का केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा इस समय किए जा रहे सर्वेक्षण में निश्चत ही सभी संभव स्थल शामिल होंगे। कच्छ की खाड़ी में ज्वारीय विद्युत के विकास के लिए व्यवहार्यता अध्ययन पहले ही आरम्भ कर दिए गए हैं।

श्रीमती जयन्ती पटनायक : राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान के एक वैज्ञानिक श्री वी० केशव दास ने यह विचार व्यक्त किया है कि नदियों के मुहानों से 28,000 मेगावाट बिजली का उत्पादन किया जा सकता है। मैं यह पूछना चाहती हूं कि क्या सरकार इस सम्बन्ध में प्रयास करने अथवा परीक्षण करने पर गंभीरता से विचार कर रही है और निकट भविष्य में विभिन्न राज्यों, जिसमें उड़ीसा भी शामिल है, की कौन-कौन सी नदियों का सर्वेक्षण किए जाने की आशा है तथा सर्वेक्षण करने के मापदंड क्या हैं ?

ऊर्जा मंत्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : हमें देश की नदियों के मुहानों से बिजली का उत्पादन करने के बारे में विशेषज्ञों और वैज्ञानिकों द्वारा व्यक्त किए गए विचारों की जानकारी नहीं है। तथापि, केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण में देश की सभी नदियों की घाटियों में जल विद्युत उत्पादन क्षमता के पुर्नमूल्यांकन का काम व्यवस्थित रूप से चल रहा है। इसमें जल विद्युत विकास के सभी संभव स्थल शामिल होंगे। उड़ीसा भी इसमें शामिल है।

श्रीमती जयन्ती पटनायक : क्या इस परियोजना की तकनीकी व्यवहार्यता सिद्ध करने के लिए, प्रदर्शन एककों के गठन के लिए धन का आवंटन कर दिया गया है ? यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

श्री विक्रम महाजन : छठी योजना के अन्तर्गत जो योजनाएं मंजूर की गई हैं, उनके लिए योजना आयोग द्वारा धन आबंटित कर दिया गया है। हमने प्रदर्शन के लिए किसी यूनिट की स्थापना नहीं की। हम केवल ऊर्जा के नए स्रोत, ज्वारीय विद्युत, की के बारे में जांच कर रहे हैं, जिसके बारे में हम अन्य प्रश्न का उत्तर दे चुके हैं।

श्री जगपाल सिंह : देश को बाढ़ और सूखे, दोनों से बचाने का सवाल है। दोनों से बचाने के लिए डाक्टर दस्तूर की एक योजना पिछले दिनों अखबारों में छपी थी। यह जो योजना है यह हिमालय और शिवालक श्रृंखला से जितनी नदियां निकलती हैं उनके मुहानों को बन्द करके वहीं से बिजली प्राप्त करने के बारे में थी। मैं जानना चाहता हूं कि क्या ऐसी कोई योजना सरकार के विचाराधीन है ?

श्री विक्रम महाजन : यह सवाल इरिगेशन मिनिस्ट्री से किया जाना चाहिये क्योंकि उन्हीं को डाक्टर दस्तूर ने योजना दी थी।

प्रो० पी० जे० कुरियन : मुझे बताया गया है—और मंत्री महोदय इसे अच्छी तरह जानते होंगे—कि चीन में नदियों के प्रवाह मार्ग पर छोटी विद्युत इकाइयां स्थापित की गई हैं ; और इन विद्युत इकाइयों से छोटे धान के खेतों की पानी की आवश्यकता पूरी की जा सकती है। चीन में ऐसी कई लाख विद्युत इकाइयां हैं। हमारे देश में, विशेषकर दक्षिणी भाग में, ऐसी कई नदियां हैं जिनका प्रवाह इतना तेज है कि उसमें हजारों छोटी विद्युत इकाइयां स्थापित की जा सकती हैं, और जहां तक मैं समझता हूं इन्हें लगाने पर लागत भी बहुत कम आएगी। क्या मंत्री महोदय इस का अध्ययन करेंगे ? यदि आवश्यक हो, और यदि वह चीन में इसका अध्ययन करना चाहते हों, तो वह अपना एक प्रतिनिधि मंडल भी चीन भेज सकते हैं।

एक माननीय सदस्य : डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी को चीन भेजा जा सकता है।

प्रो० पी० जे० कुरियन : मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं। विद्युत उत्पादन के इस पहलू का अध्ययन क्यों नहीं किया गया जिससे पर्यावरण में कोई प्रदूषण नहीं फैलेगा अथवा हानि नहीं होगी ? मैं यह जानना चाहता हूं क्या वह इसकी जांच करेंगे ; क्या वह इस बारे में अध्ययन करने के लिए तैयार हैं और यहां इस बारे में कुछ बताएंगे।

श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी : यह परीक्षण हमारे देश में किया जा चुका है ; हमारे लोगों ने यह परीक्षण किया है। जहां तक छोटी यूनिटों का प्रश्न है, ठीक है, उसके लिए भी विभिन्न राज्य विद्युत बोर्डों को यह सुझाव दिया जा रहा है कि वह इस बारे में प्रयास करें ; और हमने उन्हें आवश्यक सहायता देने का भी वायदा किया है ; और हम राज्यों के विद्युत मंडलों को भी सहायता देने के लिए तैयार हैं। (**व्यवधान**)

जम्मू तथा काश्मीर के कारगिल जिले की स्पेडम जंसकार घाटी में उप डाकघर का खोला जाना

*175. **श्री पी० नामग्याल** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जम्मू काश्मीर राज्य के जिला कारगिल की स्पेडम, जंसकार घाटी में एक नया उप डाकघर खोले जाने के सम्बन्ध में नवीनतम स्थिति क्या है ; और

(ख) ऐसा उप डाकघर खोलने में विभाग के सामने क्या समस्याएं हैं और उन्हें दूर करने के लिए क्या उपाए किए गए ?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्रीविजय एन० पाटिल) : (क) स्पेडम जंसकार में एक मौसमी डाकघर पहले ही कार्य कर रहा है। यह जुलाई से अक्तूबर तक कार्य करता है। प्रस्ताव यह है कि यह सेवा पूरे वर्ष प्रदान की जाए। इस मामले में अभी तक अन्तिम निर्णय नहीं लिया गया है।

(ख) शेष आठ महीनों के दौरान कारगिल स्पेडम मार्ग पर सार्वजनिक परिवहन सेवाएं स्थगित रहती हैं। अतः डाक कारगिल अथवा लेह से रनर्स के जरिए भेजनी पड़ती है। अत्यधिक ऊंचाइयों पर विपरीत मौसमी परिस्थितियों में अधिक भार ढोना खतरनाक हो सकता है इसके अतिरिक्त दूरी अधिक होने के कारण पैदल भार ढोने की लागत पिछड़े क्षेत्रों के उदार मानदंड अपनाए जाने पर भी अधिक बैठेगी। तथापि विभाग इन मामले पर सक्रियता से विचार कर रहा है।

श्री पी० नामग्याल : जैसा कि आप जानते हैं, जंसकार की जनसंख्या 18,000 से अधिक है, जो कि 30 से कुछ अधिक गांवों में बसी हुई है। हिमाचल प्रदेश की लाहौल और स्पीति घाटियों की भांति, केलांग में भी एक उप-डाकघर है। उस क्षेत्र में सड़कें 6 महीनों से भी अधिक समय तक बन्द रहती हैं। उस क्षेत्र में आपने सेना के हेलिकाप्टर से डाक पहुंचाने की व्यवस्था की हुई है। क्या मंत्री महोदय इस स्थल-रुद्ध क्षेत्र में भी इस तरह की सुविधा देने पर विचार करेंगे ?

सचार मंत्री (श्री सी० एम० स्टीफन) : हम केवल इस क्षेत्र में ही सेना के हेलिकाप्टरों का लाभ नहीं उठा रहे, बल्कि श्रीनगर और लेह के बीच के क्षेत्रों में भी इस तरह की सुविधा का लाभ उठाया जा रहा है। जहां तक इस क्षेत्र विशेष का सम्बन्ध है, हमने राज्य सरकार को सुझाव दिया कि इसके लिए हेलिकाप्टर सेवा का प्रबंध किया जाए और हेलिकाप्टरों के द्वारा इस क्षेत्र में अन्य वस्तुएं भी पहुंचाई जा सकती हैं ; और वे उस पर आने वाले व्यय का कुछ हिस्सा हमारे साथ बांट सकते हैं। प्रश्न यह है कि इस अलग-अलग पड़े क्षेत्र को डाक सेवाएं प्रदान की जानी चाहिए, यह मामला राज्य सरकार के लिए भी विचारणीय है। हेलिकाप्टर वहां अन्य वस्तुएं भी ले जा सकते हैं और इसमें साझेदारी की जा सकती है। लेकिन उनका उत्तर नकारात्मक था। अतः हमारा उत्तर भी नकारात्मक रहा। इसीलिए हमारे सामने एकमात्र विकल्प यह है कि हरकारों की व्यवस्था की जाए। दोनों छोरों पर तीन-तीन हरकारों के दल की व्यवस्था की जाएगी। इस क्षेत्र की कुल लम्बाई 220 किलोमीटर है। इस क्षेत्र को इसके अन्तर्गत इसलिए लिया जाना है क्योंकि यहाँ मूल्यवान वस्तुएं ले जाई जाती हैं। अधिकतर ये वस्तुएं डाक पार्सलों से भेजी जाती हैं। उन क्षेत्रों की अन्य वस्तुएं भी ऐसे ही जाती हैं। इसकी जांच की जा रही है, लेकिन इसका व्यय अपेक्षाकृत बहुत अधिक बैठ रहा है। इस पर 24000 रुपये या इसके लगभग व्यय होने का अनुमान लगाया गया है। जो भी हो, हमें यह व्यय उठाना ही होगा। केवल इस क्षेत्र के लिए ही नहीं,

बल्कि अन्य क्षेत्रों के लिए भी ऐसा करना होगा। सर्वेक्षण किया जा रहा है। इन विशेष क्षेत्रों पर सामान्य मानदंड लागू नहीं होंगे। इस क्षेत्र विशेष में 24 गांव हैं और इसकी जनसंख्या 18000 नहीं बल्कि 7000 है।

श्री पी० नामग्याल : वहां 6000 से अधिक मतदाता हैं। आप उस हिसाब से गणना कर सकते हैं। **(व्यवधान)**

श्री सी० एम० स्टीफन : वह इस बात को अधिक अच्छी तरह जानते हैं। मैं यह स्वीकार करता हूं।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : सदन को गुमराह मत कीजिए।

श्री पी० नामग्याल : आपके आंकड़े ठीक नहीं हैं।

श्री सी० एम० स्टीफन : मैं मानता हूं। बात चाहे जो भी है, रनर्स के माध्यम से डाक व्यवस्था करने के इस प्रस्ताव पर हम पुनर्विचार कर रहे हैं। और इसे पुनः चालू करने की सोच रहे हैं यदि राज्य सरकार भी सहयोग दे तो हेलिकाप्टर का प्रस्ताव हमें स्वीकार होगा।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न काल समाप्त होता है।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

हैदराबाद और विशाखापत्तनम तथा दिल्ली और विशाखापत्तनम के बीच अनियमित एस० टी० डी० सेवा

*164. **श्री के० ए० स्वामी** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को हैदराबाद और विशाखापत्तनम तथा दिल्ली और विशाखापत्तन के बीच अनियमित एस० टी० डी० सेवा की जानकारी है ;

(ख) उक्त दोनों क्षेत्रों में एस० टी० डी० फोन सेवा की अविश्वसनीयता के क्या कारण हैं ; और

(ग) उक्त क्षेत्रों में एस० टी० डी० सेवा को सुधारने के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है ?

संचार मंत्री (श्री सी० एम० स्टीफन) : (क) जी, हां।

(ख) हैदराबाद तथा विशाखापत्तन के बीच एस० टी० डी० परियात को बरास्ता विजयवाड़ा

प्रेषित किया जाता है तथा दिल्ली-विशाखापत्तनम परियात को मद्रास-विजयवाड़ा होकर प्रेषित किया जाता है। सेवा में अविश्वसनीयता मुख्यतः विजयवाड़ा एवं विशाखापत्तनम तथा साथ ही दिल्ली-मद्रास के बीच सर्किटों की अपर्याप्तता के कारण है।

(ग) निम्नलिखित उपाय करके एस० टी० डी० सेवाओं में सुधार लाने के लिए उत्तरोत्तर प्रयत्न किए जा रहे हैं :

(1) परियात में होने वाली वृद्धि से निपटने के लिए विजयवाड़ा तथा विशाखापत्तनम के बीच जंक्शनों की संख्या बढ़ाना।

(2) प्रभावी नेटवर्क प्रबंध तथा नियंत्रण के लिए मद्रास, विजयवाड़ा तथा हैदराबाद में ऑन लाइन कंप्यूटर आधारित परियात रिकार्डिंग तथा रिपोर्टिंग सुविधा का शुभारंभ।

बिजली के उत्पादन के लिए उपयुक्त कोयला

*165. **श्री बी० आर० नहाटा** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रत्येक राज्य में, बिजली उत्पादन के लिए उपयुक्त श्रेष्ठ कोयले का पता लगाने हेतु अखिल भारतीय आधार पर कोई सर्वेक्षण किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो किन राज्यों में किन कोयला खानों में बिजली उत्पादन के लिए उपयुक्त कोयला पाया गया है ; और

(ग) प्रत्येक राज्य में श्रेष्ठ कोयले की कितनी मात्रा है और उन्हें किन बिजली परियोजनाओं से सम्बद्ध किया गया है ?

ऊर्जा मंत्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) से (ग) भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण कोककर और अकोककर दोनों प्रकार के कोयले के लिए प्रादेशिक समन्वेषण करता है। बिजली घरों को सामान्यतया घटिया ग्रेड के अकोककर कोयले की जरूरत रहती है जो व्यवहारतः सभी कोयला क्षेत्रों में उपलब्ध है जो अधिक राख अंश वाला कोयला अन्य बातों के साथ साथ बिजली उत्पादन के लिए उपयुक्त होता है और 1.2 मीटर तथा उसके अधिक मोटाई वाली सीमों में और 600 मीटर तक की गहराई तक पाया जाता है उसके इस समय देश में प्रमाणित भंडार 10754 मिलियन टन होने का अनुमान है। इन भंडारों का विस्तृत राज्यवार ब्यौरा तथा विभिन्न राज्यों में स्थित बिजलीघरों के नाम और उनसे संयोजित कोयला क्षेत्रों के नाम दो अलग विवरणों में सभा पटल पर रख दिए गए हैं। [ग्रंथालय में रखे गए देखिए संख्या एल० टी० 4290/82]

अतिरिक्त बिजली क्षमता के लिए योजना लक्ष्यों को पूरा न किया जाना

*170. **श्री सुनील मैत्रा** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू योजना के पहले दो वर्षों में अतिरिक्त बिजली उत्पादन क्षमता की स्थापना के लिए निर्धारित लक्ष्यों को पूरा करने में हुई असफलता के क्या कारण हैं;

(ख) क्या उन्हें इस बात की जानकारी है कि योजना आयोग ने इस कार्य को आगे ले जाये जाने पर गंभीर चिन्ता व्यक्त की है ; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या उपचारात्मक कार्यवाही करने का विचार है ?

ऊर्जा मंत्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) से (ग) कुछ कमियां हैं परन्तु कार्यक्रम में परिकल्पित क्षमता को बनाए रखने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं।

नई विद्युत उत्पादन क्षमता को चालू करने के बिलम्ब के मुख्य कारण हैं : राज्य बिजली बोर्डों (एस० ई० बी०) के परियोजना प्रबंध में कमियां, निर्माताओं द्वारा उपस्करों की सप्लाई में विलम्ब तथा राज्य बिजली बोर्डों के पास वित्तीय संसाधनों की अपर्याप्त उपलब्धता।

चालू करने के निर्धारित कार्यक्रम को बनाए रखने की आवश्यकता की सरकार को पूरी तरह जानकारी है। परियोजनाओं की प्रगति की सही तरीके से मानीटरिंग ऊर्जा मंत्रालय, केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण और योजना आयोग द्वारा की जा रही है। केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण परियोजना प्राधिकारियों और उपस्कर निर्माताओं के साथ आवधिक समन्वय बैठकों का आयोजन कर रहा है। इस्पात और सीमेंट जैसी आवश्यक मदों की व्यवस्था करने के लिए भी सहायता दी जा रही है। परियोजना प्रबंध को सुदृढ़ करने के लिए संविदा आयोजना के लिए मार्गदर्शी सिद्धान्त राज्य बिजली बोर्डों को जारी कर दिए गए हैं। राज्य बिजली बोर्डों की वित्तीय स्थिति को सुदृढ़ करने की आवश्यकता और परियोजनाओं को निधियों का कारगर ढग से आदान-प्रदान करने के लिए राज्य सरकारों को जोर दिया गया है।

राज्यों को की जाने वाली पेट्रोलियम उत्पादों की सप्लाई पर निगरानी रखने के लिए सैल

*172. **श्री जी० नरसिम्हा रेड्डी** : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विभिन्न राज्यों को कि जाने वाली मिट्टी के तेल, रसोई गैस आदि जैसे पेट्रोलियम उत्पादों की सप्लाई पर निगरानी रखने के लिए एक सैल स्थापित किया है;

(ख) क्या यह सैल प्रयोक्ताओं को परेशान किए जाने की घटनाओं पर भी निगरानी रखेगा;

(ग) किन-किन राज्यों में सप्लाई पर्याप्त नहीं है, इसके क्या कारण हैं और इनकी कमी कितनी हैं ; और

(घ) सप्लाई और वितरण व्यवस्था में सुधार करने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री शिव चन्द्र झा) : (क) और (ख) पेट्रोलियम विभाग द्वारा गठित तेल समन्वय समिति (ओ० सी० सी०) अन्य बातों के साथ-साथ देश के भीतर पेट्रोलियम उत्पादों की सप्लाई तथा उनके वितरण को मानीटर करती है। यह उत्पादों की होने वाली संभावित कमी को बताती है तथा तेल कम्पनियों के सहयोग से सुधारात्मक कार्यवाही करती है। तेल समन्वय समिति सचिवालय में एक शिकायत कक्ष भी कार्य कर रहा है। तथापि, उपभोक्ताओं की शिकायतों को दूर करने के लिये मुख्य भूमिका तेल कम्पनियों द्वारा स्वयं निभायी जाती है। तेल कम्पनियों द्वारा अपने प्रत्येक विपणन प्रभागीय कार्यालयों में उपभोक्ता सेवा कक्षों की स्थापना की गयी है। इन कक्षों की विद्यमानता का बहुत प्रचार किया गया है। उपभोक्ता की शिकायतों की इन कक्षों द्वारा जांच-पड़ताल की जाती है तथा उचित सुधारात्मक कार्यवाही की जाती है।

(ग) वर्तमान में तरलीकृत पेट्रोलियम गैस (खाना पकाने को गैस) को छोड़कर पेट्रोलियम उत्पादों की उपलब्धता सन्तोषजनक है। तरलीकृत पेट्रोलियम गैस के सम्बन्ध में भी स्थिति में सुधार हो रहा है। जबकि दो माह पूर्व, तरलीकृत पेट्रोलियम गैस की सप्लाई विद्यमान उपभोक्ताओं की अनुमानित मांग का लगभग 70 प्रतिशत थी, जून में सप्लाई बढ़कर विद्यमान उपभोक्ताओं की अनुमानित मांग का 82 प्रतिशत हो गयी थी।

(घ) सप्लाई तथा वितरण मशीनरी में सुधार लाने तथा इसे सरल और कामगर बनाने की योजनाओं की निरन्तर समीक्षा की जाती है। नये पाइपलाइन टर्मिनलों का निर्माण जैसे कि विजवासन, अम्बाला तथा जालंधर में बनाये गये हैं, रेलवे हैड डिपों टैंकजों तथा सुविधाओं में वृद्धि; और अधिक पेट्रोल तथा हाई स्पीड डीजल खुदरा बिक्री केन्द्र इत्यादि खोलकर खुदरा तन्त्र जाल का विकास इत्यादि कुछ उपाय, वितरण मशीनरी में और अधिक सुधार लाने तथा इसे कारगर बनाने के लिए, अपनाये गये हैं। तरलीकृत पेट्रोलियम गैस के सम्बन्ध में, दुलियाजन (असम) में तरलीकृत पेट्रोलियम गैस सयंत्र के चालू होने से तथा मथुरा तथा कोयाली (गुजरात) में कैटलिटिक क्रेकरों के चालू होने से जोकि निर्माणाधीन हैं, आने वाले महीनों में घरेलू उपलब्धता में काफी वृद्धि होने की आशा है।

अहमदाबाद के निकट तेल का पाया जाना

*173. **श्री माधव राय सिंधिया** : क्या **पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गुजरात में अहमदाबाद के निकट नये क्षेत्र में तेल पाया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस नये क्षेत्र में तेल और गैस का अनुमानित भंडार कितना है; और

(ग) इस क्षेत्र में उक्त भण्डार का पूरी तरह पता लगाये जाने और उपयोग किए जाने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) अभी हाल में गुजरात में अहमादाबाद के निकट एक छोटी नई संरचना में आग्नेज कुएं नं० 1 में प्रारंभिक परीक्षण उत्पादन के दौरान तेल मिला है।

(ख) कुएं का विस्तृत परीक्षण किए जाने के पश्चात क्षेत्र की उत्पादन क्षमता का पता चलेगा।

(ग) विस्तृत परीक्षणों के परिणामों पर आगे की अन्वेषण और दोहन नीति निर्भर करेगी।

इन्सैट-1 ए के माध्यम से टेलीफोन चैनल

*176. **श्री चिंगवांग कोनयक :**
श्री बालासाहिब विखे पाटिल } : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत के राष्ट्रीय उपग्रह-1 ए से टेलीफोन चैनलों का विस्तार करने में सहायता मिलेगी ;

(ख) यदि हां, तो टेलीफोन चैनलों के विस्तार से किन क्षेत्रों को लाभ होगा और वे कब तक चालू हो जाएंगे ; और

(ग) इन्सैट-1 ए के छोटे होने से होने वाली टेलीफोन चैनलों की अधिकता और अन्य समस्याओं को दूर करने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

संचार मंत्री (श्री सी० एम० स्टीफन) : (क) जी हां।

(ख) कलकत्ता, दिल्ली, मद्रास, बम्बई, शिलांग, जयपुर, लखनऊ, जालंधर पटना, भुवनेश्वर हैदराबाद, अहमदाबाद, एर्नाकुलम, श्रीनगर, जोधपुर, भुज, पंजिम, मिनीकाय, गांतोक, इटानगर, कोदि्मा, इम्फाल, अगरतला, लेह, पोर्ट ब्लेयर, ऐजकाल, कवार बत्ती तथा कार-निकोबार स्थित अट्टाइस भू-केन्द्र उपग्रह नेटवर्क से जोड़े जा रहे हैं। परीक्षण कार्य पहले से ही शुरू हैं।

(ग) इन्सैट 1 ए अन्तरिक्ष यान अन्तरिक्ष में संभवतः 2.5 वर्ष तक कार्य करेगा। इन्सैट 1 बी को 4 जुलाई 83 को छोड़े जाने का कार्यक्रम है।

राजस्थान में गैस पर आधारित उर्वरक संयंत्र की स्थापना

*177. **श्री वृद्धि चन्द्र जैन** : क्या **पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान में बम्बई हाई गैस पर आधारित एक उर्वरक कम्पलैक्स स्थापित किए जाने का प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) जी, हां। पश्चिमी तट से उपलब्ध गैस पर आधारित एक उर्वरक संयंत्र की स्थापना राजस्थान में करने का निर्णय किया गया है।

(ख) संयंत्र के स्थान, स्वामित्व और लागत आदि जैसे ब्यौरों के बारे में अभी निर्णय नहीं लिया गया है।

"टेलीफोन क्रिमेशन" शीर्षक समाचार

*179. **श्री आर० एन० राकेश** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान दिनांक 26 जून, 1982 के "हिन्दुस्तान टाइम्स" में प्रकाशित "टेलीफोन क्रिमेशन" शीर्षक समाचार की ओर दिलाया गया है, जिसके अनुसार टेलीफोन कन्ज्यूमर्स गाइडेंस सोसाइटी आफ इन्डिया ने टेलीफोन विभाग का विरोध करते हुए कलकत्ता में टेलीफोन शव-यात्रा निकाली थी ;

(ख) यदि हां, तो कलकत्ता में टेलीफोनों के अनियमित और उचित ढंग से काम न करने के सम्बन्ध में लोगों की शिकायतों को दूर करने के लिए क्या उपाय करने का विचार है ; और

(ग) टी० सी० जी० सोसाइटी के प्रतिनिधियों तथा महाप्रबंधक कलकत्ता टेलीफोन के बीच 25-6-1982 को हुई बैठक में किन मुख्य मुद्दों पर चर्चा की गई थी ?

संचार मंत्री (श्री सी० एम० स्टीफन) : (क) जी हां।

(ख) मुख्यतः जन उपयोगी एजेंसियों द्वारा सड़क खुदाई गतिविधियों के कारण केवल क्षतिग्रस्त होने, टेलीफोन सामान की चोरी तथा बिजली की कटौती के कारण कलकत्ता की टेलीफोन सेवा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। वाह्य संयंत्र में सुधार लाने के लिए एक कार्यदल निम्नलिखित उपाय कर रहा है :

(एक) पी० वी० सी० डक्टों में केबुलों का बिछाना।

(दो) केबुलों का दावीकरण

(तीन) वितरण नेटवर्क के लिए जैली भरे केबुलों का प्रयोग

(चार) डिजिटल माइक्रोवेव प्रणाली प्रदान करना जिसमें सड़क खुदाई से उत्पन्न खतरों का सामना नहीं करना पड़ता है। बिजली की कटौती से निपटने के लिए प्रमुख क्षेत्रों के टेलीफोन एक्सचेंजों में स्पेशल पावर फीडर लगाए जा रहे हैं।

(ग) टी० सी० जी० सोसाइटी के प्रतिनिधियों एवं कलकत्ता के महाप्रबंधक टेलीफोन के बीच 25-6-82 को कोई बैठक नहीं हुई थी ।

मध्यवर्ती औषधियों पर से सीमा-शुल्क हटाया जाना

*181. **श्री भीखा भाई :** क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि क्लोरम-फैनी कोल तथा एथमबुटोल एच० सी० आई० के प्रारंभिक अवस्थाओं से ही उत्पादन को प्रोत्साहन देने के लिए कुछ मध्यवर्ती औषधियों पर लगे सीमा-शुल्क को नवम्बर 1981 में हटा लिया गया था ;

(ख) प्रारम्भिक अवस्थाओं से होने वाले उत्पादन में तुलनात्मक रूप से कितनी वृद्धि हुई है ;

(ग) इन औषधियों के लघु एककों द्वारा किए जाने वाले उत्पादन में कितनी गिरावट आई है ; और

(घ) सरकार का विचार मांग और उत्पादन के बीच के अन्तराल को किस प्रकार दूर करने का है ; और इस मामले में प्रभावित लघु एककों की सहायता करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री पी० शिवशंकर) : (क) वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग की दिनांक 27 नवम्बर, 1981 की अधिसूचना द्वारा सरकार ने निम्नलिखित दो औषध इंटरमीडियेट्स, जिनका क्लोरमफैनीकोल पाउडर और एथमबुटोल के उत्पादन में प्रयोग होता है, से सीमा-शुल्क की रियायती दर समाप्त कर दी :—

(1) एल-बेस

(2) डी 2-अमिनोबुटानोल

(ख) और (ग) प्रारंभिक अवस्थाओं से निर्माण करने वाले निर्माताओं द्वारा क्लोरमफैनी-कोल पाउडर का उत्पादन जनवरी से नवम्बर, 1981 के 11 महीने के दौरान 53.66 टन किया गया और दिसम्बर, 1981—जून, 1982 के दौरान 24.43 टन किया गया लघु उद्योग क्षेत्र में क्लोरमफैनीकोल पाउडर एक्स-एल-बेस के एक उत्पादक, जिसने जनवरी-नवम्बर, 1981 के दौरान 23.98 टन क्लोरमफैनीकोल का उत्पादन किया था, ने दिसम्बर-मई, 1982 के बीच 6.45 टन के उत्पादन की सूचना दी है । लघु उद्योग क्षेत्र में अनेक अन्य ऐसे एकक हैं जो क्लोरमफैनीकोल पाउडर एक्स-एल-बेस का उत्पादन कर रहे हैं । उनके उत्पादन के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं ।

जहां तक डी० एल-2 अमीनोबुटानोल की आरंभिक अवस्था से एथमबुटोल के उत्पादन का

सम्बन्ध है, डी 2-अमीनोबुटानोल से सीमा कर की रियायत हटाने के बाद दो एककों द्वारा उत्पादन किए जाने की सूचना प्राप्त हुई है, अर्थात् लिफिन कैमिकल्स प्रा० लि०, और मै० लुपिन लेबोरेटरीज प्रा० लि० से इन दोनों एककों ने मूल्य निर्धारण के लिए सरकार से आवेदन किया है।

जहां तक संगठित क्षेत्र में एथमबुटोल के उत्पादन का संबंध है, जनवरी-नवम्बर, 1981 के दौरान 56.57 टन के उत्पादन की तुलना में दिसम्बर, 1981-मार्च, 1982 के दौरान 16.01 टन के उत्पादन की सूचना दी गई है। डी-2 अमीनोबुटानोल से एथमबुटोल उत्पादित करने वाले लघु उद्योग क्षेत्र के एककों ने अभी तक उत्पादन रिपोर्ट नहीं भेजी है।

(घ) जहां तक क्लोरमफैनीकोल पाउडर का संबंध है, भारतीय राज्य व्यापार निगम के पास पंजीकृत एककों की वर्ष 1982-83 की हकदारी 128 टन है। लघु उद्योग क्षेत्र के दो एककों ने बताया है कि वे मिलकर विभिन्न एककों की हकदारी को पूरा करने के लिए 15 टन प्रति महीने की दर से राज्य व्यापार निगम को क्लोरमफैनीकोल की आपूर्ति करेंगे। क्लोरमफैनीकोल पाउडर का उत्पादन लघु उद्योग क्षेत्र में अनेक अन्य एककों तथा संगठित क्षेत्र द्वारा भी किया जा रहा है। जहां तक एथमबुटोल हाइड्रोक्लोराइड का संबंध है, चूंकि यह औषधि भी देश में अनेक एककों द्वारा पहले ही उत्पादित की जा रही है तथा कुछ और एकक इसका उत्पादन करने जा रहे हैं, अत: अपर्याप्त उपलब्धता की समस्या की कोई आशंका नहीं है।

सरीन समिति की रिपोर्ट

*182. **श्री जैनुल बशर** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने डाक तथा तार विभाग के विभाजन पर सरीन समिति की रिपोर्ट पर कोई निर्णय ले लिया है ;

(ख) यदि हां, तो लिए गये निर्णय का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

संचार मंत्री (श्री सी० एम० स्टीफन) : (क) और (ख) जी नहीं। सरीन समिति की संबंधित सिफारिशों पर अभी विचार हो रहा है।

(ग) इन सिफारिशों का डाक-तार विभाग के कार्य तथा दोनों संचार सेवाओं के भविष्य पर दूरगामी प्रभाव पड़ता है। सभी सम्भव निहितार्थों का, काफी गहराई और विस्तार के साथ अध्ययन करना होगा। इनका अध्ययन किया जा रहा है और जितनी जल्दी सम्भव हुआ, निर्णय ले लिए जायेंगे।

दिल्ली दूरदर्शन से हरियाणा राज्य की उपलब्धियों का प्रसारण

1742. **श्री सोमनाथ चटर्जी :** क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली दूरदर्शन ने राज्य सरकार की उपलब्धियों का प्रसारण का के बारे में क्या नीति अपनाई है ; और

(ख) क्या हरियाणा राज्य सरकार की उपलब्धियाँ दिल्ली दूरदर्शन पर दिखाई गई हैं ।

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री वसन्त साठे) : (क) दूरदर्शन केन्द्र राज्य सरकारों या केन्द्रीय सरकार की उपलब्धियों को प्रचारित नहीं करते ; किन्तु केन्द्र राज्य सरकारों सहित कारों की सभी विकासीय और योजनागत गतिविधियों को अवश्य करते हैं ।

यह उल्लेखनीय है कि दूरदर्शन केन्द्रों सहित सरकारी माध्यम एककों को जारी किए गये मार्गदर्शी सिद्धान्तों में उनसे यह अपेक्षित है कि वे सरकार के कार्यक्रमों, नीतियों, उपलब्धियों और विकासीय गतिविधियों को प्रभावी रूप से कवर करें । इस संबंध में उनको यह भी सूचित किया गया है कि उनका विशेष कार्य आर्थिक, प्रौद्योगिकी, सामाजिक और सांस्कृतिक जैसे क्षेत्रों में विकास, उसके महत्व, उपलब्धियों और समस्याओं को कवर करना होना चाहिए।

(ख) जी, हां ।

बिलासपुर और गैयारबिन, स्वारघाट और बिलासपुर के बीच सीधी टेलीफोन/टेलीग्राम संपर्क

1743. **प्रो० नारायण चन्द्र पराशर** : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की करेंगे कि :

(क) क्या बिलासपुर और गैयारविन तथा स्वारघाट और बिलासपुर के बीच सीधा टेली-फोन-टेलीग्राम सम्पर्क को स्वीकृत किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उनकी स्वीकृति की तारीख क्या है और उनमें से प्रत्येक सेवा को संभवतः किस तारीख को स्थापित किया जाएगा ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) (i) बिलासपुर तथा गैयारविन के बीच सीधी टेलीफोन/तार संपर्क की मंजूरी दे दी गई हैं ।

(ii) स्वारघाट तथा बिलासपुर के बीच सीधी टेलीफोन/तार लाइन/सम्पर्क की मंजूरी नहीं दी गई है ।

(ख) (i) सीधे टेलोफोन संपर्क की मंजूरी 4-12-80 को दे दी गई थी। इसे 15-5-82 को संस्थापित कर दिया गया है।

(ii) गैयारविन तथा बिलासपुर के बीच सीधे वायरलेस तार सम्पर्क को मंजूरी 13-7-80 को दे दी गई है। विलासपुर वायरलेस स्टेशन की स्थापना पहले ही की जा चुकी है। स्टेशन गैयार-विन में वायरलेस स्टेशन की स्थापना के लिए प्रयास किए जा रहे हैं तथा इसके बाद ही सम्पर्क संस्थापित किया जा सकेगा।

बस्तर, मध्य प्रदेश में गैस एजेंसी का आवंटन

1744. **श्री लक्ष्मण कर्मा** : क्या **पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश के आदिवासी जिला बस्तर के लिए रसोई गैस एजेंसी आवंटित की गई है ;

(ख) यदि नहीं, तो क्या सरकार का विचार जिले के आदिवासी के लिए आरक्षण की व्यवस्था करके यह एजेंसी इस जिले के किसी आदिवासी बेरोजगार युवक को देने का है ; और

(ग) यदि हां, तो एजेंसी के आवंटन पत्र कब तक मांगे जायेंगे ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री पी० शिवशंकर) : (क) से (ग) हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा 6 अनुसूचित जनजाति श्रेणी के अन्तर्गत मध्य प्रदेश में जिला मुख्यालय कस्बे बस्तर में जगदलपुर के स्थान पर एक एल पी जी डिस्ट्रीब्यूटरशिप के लिए दिनांक 15-12-1981 को एक विज्ञापन दिया गया था। दिनांक 24-2-1982 को साक्षात्कार का आयोजन किया गया था परन्तु चयन समिति द्वारा कोई उम्मीदवार उपयुक्त नहीं पाया गया था। इस बात को ध्यान में रखते हुए डिस्ट्रीब्यूटरशिप को उसी श्रेणी के अन्तर्गत पुनः शीघ्र ही विज्ञापित किया जा रहा है जिसमें अनुसूचित जन जातियों के पात्र उम्मीदवारों से आवेनन-पत्र पुनः आमंत्रित किए गये हैं।

नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड में नैमित्तिक मजदूर समस्या के कारण हुआ घाटा

1745. **श्री अजित बाग** : क्या **पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय को मालूम है कि प्रबन्धों की मजदूर विरोधी नीति और नैमित्तिक मजदूर की समस्याओं से अकुशल ढंग से निपटने के कारण नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड को माल-

गाड़ी के डिब्बों से माल न उठाने के कारण रेल विभाग को भुगतान किए जाने वाले विलम्ब शुल्क के तौर पर भारी नुकसान उठाना पड़ा है ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में क्या कार्यवाही की गई है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) नेशनल फर्टिलाइजर्स लि० रेलवे बेगनों पर माल लादने-उतारने के लिए कोई नैमित्तिक मजदूर नियुक्त नहीं करता। आकस्मिक तथा परिवर्तनीय होने के कारण इसे ठेकेदारों के माध्यम से किया जाता है। ठेकेदारों द्वारा नैमित्तिक मजदूर नियुक्त किए जाते हैं तथा एन. एफ. एल. मुख्य नियोजक होने के नाते यह सुनिश्चित करता है कि ठेकेदार ठेका श्रम (विनियमन और उत्पादन) अधिनियम के अधीन अपने दायित्वों का पालन करें। अतः नैमित्तिक मजदूरों के साथ किसी प्रकार अकुशल ढंग से निपटने या एन. एफ. एल. प्रबन्धकों की श्रमिक विरोधी नीति का प्रश्न ही नहीं उठता।

तथापि, नेशनल फर्टिलाइजर लि० ने सूचित किया है कि एक यूनियन के हस्तक्षेप के कारण मार्च, 1982 में एन. एफ. एल. के पानीपत एकक में कोयला उतारने का काम कुछ अव्यवस्थित हो गया था। इस घटना के कारण कोयले के रेक्स को छोड़ने में विलम्ब हुआ जिसके परिणामस्वरूप 43,803 रु० की राशि के विलम्ब शुल्क का भुगतान करना पड़ा।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

कलकत्ता टेलेक्स आफिस में टेलेक्स मैकेनिक

1746. **श्री आनन्द पाठक** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कलकत्ता टेलेक्स आफिस में कोई स्थाई टेलेक्स मैकेनिक हैं ;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) इस बारे में क्या कार्यवाही की जाएगी ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

भारत सऊदी तेल सन्धि

1747. **श्री दिगम्बर सिंह** : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोई दीर्घकालीन भारत-सऊदी तेल सन्धि हुई है ;

(ख) यदि हां. तो पूर्ण ब्यौरा क्या है ; और

(ग) क्या अब तेल बाजार में तेल आसानी से उपलब्ध हो जाता है और क्या सरकार द्वारा इस वर्ष (30-6-1982 तक) कोई नई खरीद की गई यदि हां, तो कहां से और कितना तेल खरीदा गया तथा यह खरीदा गया तेल सऊदी तेल की तुलना में कितना न्यूनाधिक था ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री पी० शिवशंकर) : (क) और (ख) जी हां इस वर्ष अन्तिम रूप दी गयी संविदा में लगभग 2 मि० मी० टन प्रति वर्ष की दर से अशोधित तेल के सप्लाई किए जाने की व्यवस्था है। इस संविदा के अन्तर्गत इस वर्ष प्रचलित मूल्यों के आधार पर 270.00 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत पर लगभग 1.2 मि० मी० टन अशोधित तेल सप्लाई किया जाएगा।

(ग) केवल एक बार जनवरी, 1982 में अशोधित तेल की मौके पर खरीद की गयी थी। जबकि 33.94/बी. बो. एल.सी. आई. एफ. बम्बई की दर से 231.000 मी०टन अरब लाईट अशोधित तेल खरीदा गया था। अन्यथा वर्ष 1982 के लिए आयातित अशोधित तेल की आवश्यकता को ईरान, ईराक, यू. ए. ई. नाइजीरिया, बेनेजुला, सोवियत संघ, साऊदी अरेबिया जैसे देशों की राष्ट्रीय तेल कम्पनियों के साथ पहले ही किये गए लम्बी अवधि के समझौतों द्वारा और साथ ही बम्बई हाई अशोधित तेल के स्वैप द्वारा पूरा किया जाता है। इन प्रबन्धों को कार्यरूप देने में कोई कठिनाई नहीं हुई थी।

भूतपूर्व कोयला बोर्ड के कर्मचारियों की परिवार की पेंशन

1748. **श्री सुधीर गिरि** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सरकार ने कोयला क्षेत्र के तैनात भूतपूर्व कोयला बोर्ड के कर्मचारियों को परिवार पेंशन देने के लिए क्या कदम उठाये हैं ?

कोयला, ऊर्जा मंत्रालय के विभाग में राज्य मंत्री (श्री गार्गी शंकर मिश्र) : हाल ही में 10.5.1982 को एक बैठक आयोजित की गई थी। यह बैठक कुछ उन सदेहों को दूर करने के लिए आयोजित की गई थी जो कोयला बोर्ड के भूतपूर्व कर्मचारियों को कोल इंडिया लि० में खपाने की शर्तों के संबंध में पहले ही सूचित कर दिए गए निर्णय लागू करते समय पैदा हुए थे। संबद्ध मामलों को हल कर लिया गया है और निर्देश जारी कर दिए गए हैं कि इन मामलों को जल्दी निपटाया जाए।

दिल्ली में गैस कनैक्शन के लिए विचाराधीन आवेदन-पत्र

1749. **श्री ए० नीलालोहिथादसन नाडार** : क्या **पेट्रोलियम रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में रसोई गैस कनैक्शन के लिए इस समय कितने आवेदन-पत्र विचाराधीन हैं ; और

(ख) कनैक्शन देने के बाद उन आवेदन-पत्रों को कब तक निपटाये जाने की आशा है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री पी० शिवशंकर) : (क) दिनांक 31-3-1982 की यथा स्थिति को संघ शासित प्रदेश दिल्ली में खाना पकाने की गैस (एल. पी. जी.) के कनैक्शनों के लिए लगभग 4,06,700 आवेदन-पत्र बकाया पड़े हैं।

(ख) संघ शासित प्रदेश दिल्ली में एल. पी. जी. कनैक्शनों के लिए विद्यमान प्रतीक्षा सूची के 1984-85 तक पूरा किए जाने की आशा है।

पब्लिक लिमिटेड कम्पनियों का प्राइवेट कम्पनियों में बदला जाना

1750. **श्री नवल किशोर शर्मा** : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है अनेक फर्में अपने को प्राइवेट लिमिटेड कम्पनियों में बदल रही हैं ;

(ख) क्या सरकार को इस बात का पता चला है कि उक्त परिवर्तन करने के बाद ये प्राइवेट लिमिटेड कम्पनियां बहुत कम लाभ दर्शाती हैं और लेखा-जोखा इस प्रकार तैयार करती है कि सरकार को या तो टैक्स देना ही न पड़े और देना भी पड़े तो बहुत कम ;

(ग) क्या यह भी सच है कि इन प्राइवेट लिमिटेड कम्पनियों में परिवार के सदस्य होते हैं और लाभ को कम करने के लिए उन्हें वेतन के रूप में मोटी रकम दी जाती है ; और

(घ) उनके वेतन की सीमा निर्धारित करने के लिए सरकार का क्या क़दम उठाने का विचार है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि अपनी फर्मों को प्राइवेट लिमिटेड कम्पनी में बदलने से पूर्व वे जो लाभ दर्शाते थे, उससे कम लाभ न दर्शायें ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० ए० रहीम) : (क) संभवतः माननीय सदस्य पब्लिक लिमिटेड कम्पनियों (और फर्में नहीं) के सम्बन्ध में, जो अपने आपको प्राइवेट लिमिटेड कम्पनियों में परिवर्तित कर रही हैं, के विषय में सूचना चाहने के इच्छुक हैं। पब्लिक लिमिटेड कम्पनियां, जो तीन वर्षों 1978-79 से 1980-81 की अवधि में कम्पनी अधिनियम की धारा 31/43क के अन्तर्गत प्राइवेट लिमिटेड कम्पनियों में परिवर्तित हुई हैं, की संख्या निम्न प्रकार है :

प्राइवेट लिमिटेड कम्पनियों में परिवर्तित पब्लिक लिमिटेड कम्पनियों की संख्या

1978-79	1979-80	1980-81
37	24	17

उपरोक्त सूचना से यह मानना पड़ेगा कि पब्लिक लिमिटेड कम्पनियों की प्राइवेट लिमिटेड कम्पनियों में परिवर्तन में बढ़ोतरी नहीं हुई है।

(ख) इस प्रकार की प्रवृत्ति की विभाग को कोई जानकारी नहीं है ।

(ग) तथा (घ) धारा 3 (i) (iii) के उपबन्धों के अनुसार, प्राइवेट लिमिटेड कम्पनी केवल 50 सदस्य रख सकती है और उसको जनता से उसके अंशों में जमा आमंत्रित करने से भी निषिद्ध किया गया है । वस्तुत: निकटस्थ धारित प्राइवेट उद्यम की प्रवृत्ति होने पर, "जनहित" का प्रश्न, उनके मामले में अधिक तात्विक नहीं है । इसलिए प्राइवेट लिमिटेड कम्पनियां, प्रबन्धकीय कार्मिकों जैसे प्रबन्धक और पूर्णकालिक निदेशकों को वेतनों की अदायगी के सम्बन्ध में, कम्पनी अधिनियम के नियंत्रक उपबन्धों के अधीन नहीं है। तदनुसार, प्राइवेट लिमिटेड कम्पनियों द्वारा देय वेतनों की सीमा तय करने का सरकार द्वारा कोई कदम उठाने का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है ।

कलकत्ता टेलीफोन का कार्यकरण

1751. **श्री सनत कुमार मंडल**
श्री सत्य गोपाल मिश्र } : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कलकत्ता टेलीफोन की हालत बहुत खराब है ;

(ख) क्या कलकत्ता के टेलीफोन अधिकारी लोगों की शिकायतों के प्रति बिलकुल उदासीन हैं ; और

(ग) यदि हां, तो उनका विचार कलकत्ता टेलीफोन के कार्यकरण में अमूल सुधार करने और टेलीफोन सेवाओं को सामान्य बनाने के लिए क्या कार्यवाही करने का है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी नहीं ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता । फिर भी, सेवाओं में आगे और सुधार करने के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं ।

गोदावरी बेसिन में गैस का उत्पादन

1752. **श्री सुभाष चन्द्र बोस अल्लूरी** : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह देखते हुए कि गोदावरी बेसिन में गैस जल रही है, गैस द्वारा निकाली जा सकेगी ;

(ख) यदि हां, तो गैस का उत्पादन शीघ्र करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ; और

(ग) क्या इस क्षेत्र में काम को तेज करने के लिए ड्रिलिंग रिगों की संख्या बढ़ाने के बारे में कोई प्रस्ताव है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री पी० शिवशंकर) : (क) दो तटीय कुओं में गैस का धमाका हुआ है। जबकि एक कुए को गैस उत्पादन के लिए सुधारा नहीं जा सकता है, अन्य कुऐं को प्राप्त करने के प्रयास किए जा रहे हैं।

(ख) गोदावरी बेसिन अभी तक बहुत अधिक अन्वेषण की प्रारम्भिक स्थितियों में है। गैस की लगातार उत्पादन पर विचार करने से पूर्व अतिरिक्त कुओं का खोदा जाना और परीक्षण करना आवश्यक है।

(ग) जी, हां।

अण्डमान और निकोबार के लिए दूरदर्शन केन्द्र

1753. **श्री मनोरंजन भक्त** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह, मिजोरम इत्यादि जैसे देश के सुदूर एकाकी सीमान्त क्षेत्रों के लिए हमारे उपग्रह के माध्यम से दूरदर्शन प्रसारण करने की बात सरकार के ध्यान में है ;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या सरकार को केन्द्र शासित प्रदेश अण्डमान और निकोबार द्वीप समूहों में दूरदर्शन प्रसारण उपलब्ध कराने के बारे में कोई अभ्यावेदन/प्रस्ताव मिला है ; और

(घ) यदि हां, तो कब और किस से, और सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है, तत्सम्बन्धी पूरा ब्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री वसन्त साठे) : (क), (ख) और (घ) अल्प शक्ति वाले टी० वी० ट्रांसमीटर लगा कर तथा "इन्सेट" का उपयोग करके पोर्ट ब्लेयर सहित दूरवर्ती क्षेत्रों के लिए दूरदर्शन सेवा उपलब्ध करने की एक योजना तैयार की गई है। इसका कार्यान्वयन संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करेगा।

(ग) जी, हां।

फिल्मों का निर्यात

1754. **श्री नवीन रवाणी** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विदेशों में भारतीय फिल्मों की बहुत अधिक मांग हैं ;

(ख) यदि हां, तो ऐसे देशों के नाम क्या हैं ; और

(ग) क्या सरकार का विचार इस व्यापार के सम्बन्ध में अन्य देशों से भी बातचीत करने का है?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री वसन्त साठे) : (क) और (ख) जी, हां। अफगानिस्तान, दुबई, मिश्र, फिजी, जाम्बिया, गुयाना, इंडोनेशिया, इराक, जार्डन, लेसाथो, लागोस, मारिशस, मोरक्को, मलयेशिया, नाइजीरिया, श्रीलंका, सन्ना (धार), सिंगापुर, तंजानिया, त्रिनिदाद, इंगलैंड और अमरीका में भारतीय फिल्मों की अच्छी मांग है।

(ग) जी, हां। राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम लि०, बम्बई द्वारा इस दिशा में प्रयास किए जा रहे हैं।

कलकत्ता में खराब टेलेक्स मशीन

1755. **श्री सत्य गोपाल मिश्र** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मालूम है कि कलकत्ता की दो टेलेक्स मशीनों में से एक हमेशा खराब रहती है ; और

(ख) सरकार ने इस स्थिति में सुधार करने के लिए क्या कार्यवाही की है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

मई, 1982 में हुए विधान सभा चुनावों में दल-वार चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार

1756. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 19 मई, 1982 को पश्चिमी बंगाल, केरल, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश में आम चुनाव हुए थे ;

(ख) यदि हां, तो चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों का राज्य-वार और दल-वार ब्यौरा क्या है ;

(ग) उन उम्मीदवारों (पार्टी-वार) का ब्यौरा क्या है जिनकी जमानतें जब्त हुईं और इससे सरकार को राज्य-वार कितनी आमदनी हुई ; और

(घ) सरकार का इन चुनावों पर राज्य-वार कितना खर्च हुआ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री जगन्नाथ कौशल) : (क) से (घ) जानकारी इकट्ठी की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

दामोदर घाटी निगम का बारिया
विद्युत संयंत्र

1757. **श्री सुशील भट्टाचार्य** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि दामोदर घाटी निगम का बारिया विद्युत संयंत्र अपनी पूरी क्षमता से कब तक बिजली उत्पादन शुरू कर देगा ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : दामोदर घाटी निगम के दुर्गापुर ताप विद्युत केन्द्र के चौथे यूनिट को पहली बार 5-12-1981 को समकालित किया गया था। विभिन्न आनुषयिक उपस्करों में प्रारम्भिक कठिनाइयों के अतिरिक्त इस यूनिट में बड़ी कठिनाइयां जैसे कन्डेनसर आशोधन, जनरल वियरिंग संख्या 2 का क्षतिग्रस्त हो जाना तथा उसके बाद मरम्मत किया जाना, आई० पी० टी० में उच्च डिफरेन्शियल एक्स्पेंशन होना तथा फर्नेन्स वाटर वाल में कारनर टयूब का फट जाना था। उपर्युक्त खराबियों को अब दूर कर दिया गया है तथा यूनिट को 14-7-82 को समकालित किया गया है। लगभग 3 से 4 सप्ताह तक पूर्ण भार प्रचालन पर इसकी प्रतिक्रिया देखने के पश्चात मशीन को 4 से 5 सप्ताह के लिए बन्द करने का प्रस्ताव है ताकि भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लि० स्क्रीन टयूब सम्बन्धी आशोधन कार्य कर सके तथा उच्च डिफरेन्शियल एक्सपेंशन को समस्या से छुटकारा पाने के लिए निर्बाध संचालन हेतु सेंट्रल पैडस्टल को भी साफ कर सके। यदि अन्य कोई बड़ी कठिनाई नहीं आई तो आशा की जाती है कि यह मशीन पुनः सितम्बर, 1982 के पहले सप्ताह तक पूर्ण भार पर कार्य करना आरम्भ कर देगी।

पंजाब में नए टेलीफोन एक्सचेंजों और डाक
और तार कार्यालयों की स्थापना

1758. **श्री रघुनन्दन लाल भाटिया** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चालू वर्ष के दौरान पंजाब के कुछ स्थानों को एस० टी० डी० सुविधा से जोड़े जाने की संभावना है और यदि हां, तो दिल्ली, अमृतसर और लुधियाना से जोड़े जाने वाले स्थान कौन से हैं ;

(ख) इस वर्ष पंजाब में कौन से नए टेलीफोन एक्सचेंज स्थापित किए जाएंगे और किन्हें स्वचालित बनाया जाएगा ; और

(ग) चालू वर्ष के दौरान पंजाब में स्थापित किए जाने वाले नए डाक और तार घरों की, जिलेवार संख्या क्या है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी नहीं।

(ख) (i) जैसा कि संलग्न विवरण एक में दिया गया है चालू वर्ष के दौरान पंजाब में 25 लाइनों वाले 24 छोटे आटो एक्सचेंज संस्थापित किए जाने का प्रस्ताव है, बशर्ते कि समय पर उपस्कर उपलब्ध हों।

(ii) चालू वर्ष के दौरान कोई एक्सचेंज स्वचालित नहीं बनाया जाएगा।

(ग) जैसा कि विवरण-दो और विवरण-तीन में क्रमशः दिया गया है चालू वर्ष के दौरान पंजाब में 13 नए ग्रामीण डाकघर तथा 12 तारघर खोले जाने की उम्मीद है।

विवरण-एक

25 लाइनों वाले छोटे नए आटो एक्सचेंजों की सूची

1. बानार
2. बस्सी गुजन
3. भानोशाली
4. धईपाई
5. दीप सिंहवाला
6. घुमान
7. हादिया
8. कमरोन
9. कच्चापब्बा
10. खुबान
11. कलाबकरा
12. हाथोड़
13. मण्डी अमीनगंज
14. मुधीड़
15. निदामपुर
16. परोवल
17. पंचात
18. सुतराना
19. थरमल प्लांन्टसाईटरोपर
20. थिबड़ीवाल
21. ताहावाला जाटान
22. विविखुर्द
23. टाखनवाला
24. बधाबंगर

विवरण-दो

13 नए ग्रामीण डाकघरों की सूची

जिला	खोले जाने वाले डाकघरों की संख्या
अमृतसर	1
गुरुदासपुर	2
जालन्धर	1
कपुर थाला	1
फिरोजपुर	1
होशियारपुर	1
भटिंडा	2
फरीदकोट	1
पटियाला	1
शंगरूर	1
लुधियाना	1
योग :	13

विवरण-तीन

12 तारघरों की सूची

	जिला	खोले जाने वाले तारघरों की सं०
1.	अमृतसर	1
2.	भटिंडा	2
3.	फरीदकोट	1
4.	गुरुदासपुर	2
5.	होशियारपुर	1
6.	जालन्धर	1
7.	कपुरथाला	1
8.	लुधियाना	1
9.	शंगरूर	1
10.	पटियाला	1
	योग :	12

संसदीय विशेषाधिकारों के बारे में भारतीय विधि संस्थान की रिपोर्ट

1759. **श्री एन० डेनिस** : क्या विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री भारतीय विधि संस्थान द्वारा विधि आयोग के अनुरोध पर तैयार की गई संसदीय विशेषाधिकारों के बारे में रिपोर्ट की प्रति सदन के पटल पर रखने की कृपा करेंगे ?

विधि न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री जगन्नाथ कौशल) : भारतीय विधि संस्थान ने भारतीय प्रेस परिषद के अनुरोध पर न कि विधि आयोग के आग्रह पर "संसदीय विशेषाधिकार और प्रेस" नामक एक अध्ययन तैयार किया है। प्रेस परिषद इस पर विचार कर रही है। भारतीय विधि संस्थान द्वारा तैयार किए गए अध्ययन की एक प्रति सदन के पटल पर रखी जाने के प्रश्न पर तभी विचार होगा जब भारतीय प्रेस परिषद उसे अपनी सिफारिशों के साथ सरकार को भेजेगी।

उड़ीसा में विद्युत परियोजनाएं

1960. **श्री चिंतामणि जेना** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा में चल रही विद्युत परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है और प्रत्येक परियोजना की उत्पादन क्षमता कितनी है ; और

(ख) उड़ीसा की निष्पादनाधीन विद्युत परियोजनाओं के नाम क्या हैं और उनमें से प्रत्येक के कब तक पूरा होने और कार्य आरम्भ कर देने की संभावना है तथा इनमें से प्रत्येक विद्युत परियोजना की लक्षित विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) उड़ीसा में कार्य कर रहे प्रमुख विद्युत केन्द्रों तथा उनकी विद्युत उत्पादन क्षमता दिखाने वाला विवरण-एक संलग्न है।

(ख) उड़ीसा में निर्माणाधीन विद्युत परियोजनाओं की क्षमता और चालू करने का सम्भावित कार्यक्रम दिखाने वाला विवरण संलग्न है।

विवरण-एक

उड़ीसा में प्रमुख विद्युत उत्पादन केन्द्र

क्रम संख्या	परियोजना का नाम	प्रतिष्ठापित क्षमता (मेगावाट)
	ताप विद्युत	
1.	तलचेर	360.00
	जल विद्युत	
2.	हीराकुण्ड	270.00
3.	बलीमेला	360.00
4.	मचकुण्ड (राज्य का 30% हिस्सा)	34.42

विवरण-दो

उड़ीसा में चल रही परियोजनाओं का स्तर

क्रम संख्या	परियोजना का नाम	क्षमता (मेगावाट)	चालू करने का संभावित कार्यक्रम
1.	2.	3.	4.
जल विद्युत			
1.	रेंगाली	2×50	84—85
2.	अपर कोलाब	3×80	84—85 85—86
3.	अपर इन्द्रावती	4×150	86—87 87—88
ताप विद्युत			
1.	तलचेर चरण-तीन (यूनिट-6)	110	3/83

श्रीलंका से लौटे व्यक्तियों का पुनर्वास

1761. **श्री के० टी० कोसलराम** : क्या **पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि श्रीलंका से लौटे 50,000 से भी अधिक व्यक्ति पिछले कई महीनों से उटकमंड (तमिलनाडु) में बिना किसी आश्रय के रह रहे है ; और

(ख) यदि हां, तो उनके पुनर्वास के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

पूर्ति और पुनर्वास मंत्रालय में उप मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) यह नहीं कहा जा सकता है कि श्रीलंका से लौटे 50,000 से भी अधिक व्यक्ति पिछले कई महीनों से अटकमंड (तमिलनाडु) में बिना किसी आश्रय के रह रहे हैं। उनमें से अधिकांश को कोई-न-कोई आश्रय प्राप्त है लेकिन उन्हें स्थायी मकानों के निर्माण के प्रयोजन के लिए आवासीय ऋण का पात्र नहीं पाया गया है। यह सूचना प्राप्त हुई है कि इनमें से कई परिवार बड़ी संख्या में (लगभग 14,000 परिवार) तमिलनाडु के अन्य जिलों से, पुनर्वास सहायता के रूप में कारोबार ऋण प्राप्त करने के बाद या अन्य योजनाओं को छोड़कर, जहां उन्हें भेजा गया था, स्वेच्छा से नीलगरि में चले गए हैं।

(ख) इन 14,000 परिवारों में से उन पात्र प्रत्यावासियों को जिन्होंने मकानों के निर्माण

हेतु पट्टे पर भूमि प्राप्त कर ली है, आवासीय ऋण मंजूर कर दिए गए हैं/किए जा रहे हैं। लेकिन उन प्रत्यावासियों को आवासीय ऋण मंजूर नहीं किए जा सकते जिन्होंने पिछले अतिक्रमणकारियों से सरकारी (पोरोमबोक) भूमि खरीदी है क्योंकि उनके पास हस्तान्तरणीय आवास स्थल नहीं है। तथापि, यह सूचना प्राप्त हुई है कि उनमें से अधिकांश ने इन भूमियों पर मकान निर्मित कर लिए हैं। इसके अतिरिक्त, तान्तिया, नीलगिरि में बसाए गए 2.267 परिवारों की आवासीय सुविधाएं प्रदान कर दी गई है।

गुजरात में ध्रानगध्रा-सुरेन्द्रनगर टेलीफोन लाइनों के अन्तर्गत दोहरी टेलीफोन लाइन

1762. **श्री दिग्विजय सिंह** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात में ध्रानगध्रा-सुरेन्द्रनगर टेलीफोन लाइन की क्षमता को दुगना करने का प्रस्ताव है ; और

(ख) यह कब तक लागू किया जाएगा ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी, हां। सुरेन्द्रनगर एवं ध्रानगध्रा के बीच एक रेडियो प्रणाली की मंजूरी दे दी गई है।

(ख) इसके 1984-85 के दौरान संस्थापित किये जाने की संभावना है।

विदेशी सहयोग से संचार परियोजनाएं

1763. **श्री अरुण कुमार नेहरु** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विदेशी सहयोग प्राप्त उन परियोजनाओं की कुल संख्या क्या है, जिन्हें संचार मंत्रालय द्वारा स्वीकृति किया गया है और तत्सम्बन्धी पार्टियों के नाम क्या हैं ; और

(ख) उनके साथ हुए ठेकों का मूल्य क्या है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) और (ख) विदेशी सहयोग से चालू की जाने वाली उन परियोजनाओं का विस्तृत विवरण, जिन्हें चालू पचवर्षीय योजनाकाल (1980-85) में, अब तक संचार मंत्रालय की मंजूरी मिली है, नीचे लिखे अनुसार हैं :

(क) मैसर्स इण्डियन टेलीफोन इण्डस्ट्रीज लिमिटेड, बँगलौर के अधीन विदेशी सहयोग वाली परियोजनाएं

(एक) बेल्जियम की मैसर्स बेल टेलीफोन मैन्युफैक्चरिंग कम्पनी के तकनीकी सहयोग से रायबरेली में, भारतीय क्रासबार परियोजना के डिजाइन वाले क्रासबार स्विचिंग उपस्कर की 2 लाख लाइनों की वार्षिक उत्पादन क्षमता स्थापित करना। फर्म के साथ हुए अनुबन्ध का कुल मूल्य 34.73 करोड़ रुपए है।

(दो) जापान के मैसर्स तमुरा इलैक्ट्रिक वर्क्स लिमिटेड, के तकनीकी सहयोग से नया डायल बनाने की क्षमता स्थापित करना। फर्म के साथ हुए अनुबन्ध का कुल मूल्य 89.693 लाख रुपए है।

(तीन) मैसर्स निप्पोन इलैक्ट्रिक कम्पनी, जापान के तकनीकी सहयोग से आवृत्ति माड्यूलेशन/आवृत्ति विभाजक मल्टीप्लेक्सिंग प्रणाली का उत्पादन। फर्म के साथ हुए अनुबन्ध का कुल मूल्य 163.39 लाख रुपए है।

(ख) हिन्दुस्तान टेलीप्रिंटर्स लिमिटेड, मद्रास के अधीन विदेशी सहयोग वाली परियोजनाएं

मैसर्स आलिवटी ऑफ इटली के साथ हुए विदेशी सहयोग से बिजली से चलने वाले टाइपराइटरों की उत्पादन क्षमता स्थापित करना। फर्म के साथ हुए अनुबन्ध का कुल मूल्य लगभग 153.72 लाख रुपए है।

हिन्दुस्तान पेट्रोलियम निगम लिमिटेड द्वारा विज्ञापित पदों के वेतनमान

1764. **श्री राजेश कुमार सिंह**
श्री रशीद मसूद : } : क्या **पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री** हिन्दुस्तान पेट्रोलियम निगम द्वारा विज्ञापित पदों के बारे में 21 अप्रैल, 1981 के अतारांकित प्रश्न संख्या 8102 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उस पद का वेतनमान (850-1550 रुपये), जिस पद की विज्ञापन में कुल परिलब्धियां 1190/- रुपये उल्लिखित थीं ; विज्ञापित पद से निचले पद के लिए ग्राह्य था, यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और यदि नहीं, तो विज्ञापन में वेतनमान का उल्लेख न करने के क्या कारण थे ;

(ख) विज्ञापित पद के लिए साक्षात्कार हेतु जिन उम्मीदवारों को बुलाया गया था, लेकिन जिन्हें निचले पद की पेशकश की गई थी, उन नियुक्ति पत्रों में वेतनमान और कुल परिलब्धियां क्या-क्या दर्शायी गई थीं ; और

क्या उनके नियुक्ति पत्रों में यह सूचित किया गया था कि उन्हें विज्ञापित दो ऐसे पदों, जिनके लिए उनका साक्षात्कार किया गया था, से निचले पदों की पेशकश की गई है ; यदि हां, तो उनके नियुक्ति पत्रों में सम्बद्ध खंड का ब्यौरा क्या है ; और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) 850-1550 रुपये का वेतनमान अधिकारियों के लिये निविष्टि स्तर वेतनमान है तथा किसी अधिकारी की भी भर्ती निचले वेतनमान में नहीं की गई है। उपरोक्त वेतनमान निविष्टि स्तर अधिकारियों के सभी पदों

पर जैसे कि विक्रय प्रतिनिधि (विक्रय अधिकारी), विक्रय इंजीनियर, डिपो सुपरवाइजर, टर्मिनल सुपरवाइजर लागू होता है । यह वेतनमान विज्ञापित किये गये अधिकारी के पद से नीचे ग्राह नहीं है यह सभी पद सममूल्य है तथा एच० पी० सी० वेतन वर्ग "क" में अनुवर्ग है । विज्ञापन में वेतन-मानों का उल्लेख नहीं किया गया था चूंकि उस समय कम्पनी की प्रक्रिया यह थी कि आरम्भ का कुल पारिश्रमिक दर्शाया जाता था ।

(ख) किसी भी उम्मीदवार का विज्ञापित किये गये पद से नीचे का पद देने का प्रस्ताव नहीं किया गया था ।

(ग) दिये जाने के लिये प्रस्तावित पद बराबर थे तथा उनका वेतनमान एक सा था ।

पिथौरागढ़ जिले में सम्भावित पन बिजली परियोजनाओं का तकनीकी-आर्थिक सर्वेक्षण

1765. **श्री हरीश रावत** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड को पिथौरागढ़ जिले में विभिन्न सम्भावित पनबिजली परियोजनाओं की विद्युत उत्पादन क्षमता का तकनीकी-आर्थिक सर्वेक्षण करने के लिए निदेश जारी किए हैं ; और

(ख) यदि नहीं, तो इस जिले में उपलब्ध विपुल पन बिजली उत्पादन क्षमता का लाभ उठाने के लिये कौन सी वैकल्पिक योजना तैयार की जा रही है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) उत्तर प्रदेश के सिंचाई विभाग ने अध्ययन किए हैं और शारदा घाटी में धौली गंगा, गौरी गंगा और पूर्वी रामगंगा नदियों पर कुछ स्कीमों का पता लगाया है । राष्ट्रीय जल विद्युत निगम (ऊर्जा मंत्रालय के अधीन एक निगम) ने एक जल विद्युत केन्द्र स्थापित करने के उद्देश्य से धौलीगंगा परियोजना के अन्वेषण का कार्य शुरू कर दिया है ।

(ख) ऊपर (क) के उत्तर को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता ।

गाजीपुर उत्तर प्रदेश में गैस पर आधारित उर्वरक संयंत्रों की स्थापना

1766. **श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री** : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार उत्तर प्रदेश में स्थापित किए जाने वाले चार संयंत्रों में से गाजीपुर के सईदपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में एक उर्वरक संयंत्र स्थापित करने के लिये कोई कार्य-वाही कर रही है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : जी नहीं।

बिहार में खुले मुंह वाली "ओपन कास्ट" कोयला खान की व्यवहार्यता

1767. **श्रीमती माधुरी सिंह :** क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कोल इंडिया लिमिटेड ने बिहार में खुले मुंह वाली (ओपन कास्ट) कोयला-खानों की व्यवहार्यता का अध्ययन करने के लिए सोवियत रूस से विशेषज्ञों को आमंत्रित किया था ;

(ख) क्या खुले मुंह वाली (ओपन कास्ट) खानों में उत्पादन बढ़ाने के लिए कोई प्रयास किये जा रहे हैं ; और

(ग) चालू वर्ष के दौरान उत्पादन में कितनी वृद्धि की आशा है ?

ऊर्जा मंत्रालय के कोयला विभाग में राज्य मंत्री (श्री गार्गी शंकर मिश्र) : (क) सोवियत विशेषज्ञ बिहार की मुकुन्डा ओपेन कास्ट परियोजना की विस्तृत साध्यता रिपोर्ट तैयार करने में कोल इन्डिया से सहयोग कर रहे हैं।

(ख) जी, हां।

(ग) ओपेन कास्ट कोयला खानों में वर्ष 1981-82 के 46.20 मिलियन टन के उत्पादन को बढ़ाकर वर्ष 1982-83 में 47.50 मिलियन टन करने का प्रस्ताव है।

मध्य प्रदेश को टेलीविजन के सम्बन्ध में "इन्सेट" के लाभ

1768. **श्री शिव कुमार सिंह :** क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश को टेलीफोन आदि के सम्बन्ध में "इन्सेट" का लाभ नहीं मिला है, जबकि इसकी सीमा से जुड़े अन्य सभी राज्यों को यह लाभ प्रांप्त हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो क्या मध्य प्रदेश को, भविष्य में छोड़े जाने वाले अन्य "इन्सेट" की सेवाओं का लाभ मिलेगा और क्या मध्य प्रदेश के खंडवा और देवास तथा अन्य जिलों को भी उसका लाभ मिलेगा ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री वसन्त साठे) : (क) दूरदर्शन कवरेज के लिए "इन्सेट" के उपयोग की योजना में, अनुकूलतम और समय अवधि के अन्दर उपग्रह सुविधा के समय विभाजन को सुनिश्चित करने के लिए राज्यों की संख्या 6 अर्थात आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, महाराष्ट्र, गुजरात, बिहार और उत्तर प्रदेश तक सीमित करनी पड़ी है। तथापि, मध्य प्रदेश का वर्तमान ट्रांसमीटर भी इन्सेट के माध्यम से राष्ट्रीय कार्यक्रमों को प्राप्त और टेलीकास्ट करेगा। मध्य प्रदेश के अन्य क्षेत्रों को दूरदर्शन के विस्तार की भावी योजनाओं में कवर किए जाने की उम्मीद है।

असम में विधान सभा के निर्वाचन करवाना

1769. **श्री अमर राय प्रधान** : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार अगले वर्ष मार्च से पहले असम में घिधान सभा के निर्वाचन करवाने पर विचार कर रही है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री (श्री जगन्नाथ कौशल) : (क) सरकार का इरादा असम में विधान सभा निर्वाचन यथासंभव शीघ्र कराने का है। किन्तु, निर्वाचन तारीख के बारे में अभी तक तोई विनिश्चय नहीं किया गया है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

उत्तर प्रदेश के किसानों को सिंचाई कार्यों के लिए बिजली की सप्लाई

1770. **श्री दया राम शाक्य** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि समूचे उत्तर प्रदेश में सिंचाई कार्यों के लिए किसानों को समय पर कभी भी बिजली सप्लाई नहीं की गई है और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ख) क्या इससे राष्ट्र और किसानों को भारी हानि हो रही है ; और

(ग) यदि हां, तो यह सुनिश्चित करने के लिए सरकार क्या कार्यवाही कर रही है कि राष्ट्र और किसानों को ऐसी हानियां न हों ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) से (ग) उत्तर प्रदेश में विद्युत की स्थिति पिछले वर्ष की अपेक्षा इस वर्ष अच्छी है। उत्तर प्रदेश काफी समय से विद्युत की कमी का सामना कर रहा है। मांग और उपलब्धता के अन्तर को कम करने के लिए राज्य विभिन्न श्रेणी के उपभोक्ताओं पर विद्युत कटौतियां लगा रहे हैं। तथापि उद्योगों पर अधिक कटौतियां लगा करके भी कृषि उपभोक्ताओं की मांग को पूरा किया जाए इसके लिए सावधानी बरती गई है। विद्युत की कमी के समय के कृषि उपभोक्ताओं को औसतन 5 से 7 घंटे प्रतिदिन बिजली दी गई थी। उत्तर प्रदेश में विद्युत सप्लाई की स्थिति में अब पहले से सुधार हुआ है और उत्तर प्रदेश में कृषि उपभोक्ता इस समय 10 घंटे विद्युत की सप्लाई प्रति दिन प्राप्त कर रहे हैं। अतः यह कहना सच नहीं है कि उत्तर प्रदेश में किसानों को सिंचाई प्रयोजनों के लिए समय पर विद्युत की सप्लाई नहीं की गई।

मध्य प्रदेश कर्नाटक और केरल को डीजल रसोई की गैस की सप्लाई

1771. श्री एच० एन० नन्जे गौडा
श्री डी० एम० गुत्ते गौडा
श्री गुफरान आजम
: क्या पेट्रोलियम रसायन, और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और केरल में डीजल और रसोइं गैस की सप्लाई असंतोषजनक है।

(ख) क्या कोचीन तेल शोधन कारखाने के बन्द हो जाने के कारण दक्षिणी राज्यों पर प्रभाव पड़ा है ; और

(ग) इस स्थिति में सुधार करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री पी० शिवशंकर) : (क) जी हां, अप्रैल, 1982 माह के दौरान ;

(ख) अप्रैल, 1982 में हाई स्पीड डीजल तेल (एच. एस. डी.) तथा खाना पकाने की गैस सप्लाई पर भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड की बम्बई शोधनशाला में औद्योगिक सम्बन्ध समस्याओं और कोचीन शोधनशाला के और अधिक समय तक बन्द रहने और साथ ही आयात में किसी के परिणामस्वरूप प्रभार पड़ा था।

(ग) आयातों को तेज करने के लिए कदम उठाये गए थे। कोचीन शोधनशाला द्वारा पोषण किए जा रहे क्षेत्रों को बैकल्पिक स्रोतों से तरलीकृत पेट्रोलियम गैस उपलब्ध कराई गई थी। अप्रैल, 1982 के दौरान खाना पकाने की गैस की उपलब्धता में हुई कमी को पूरा करने के लिए केरल, कर्नाटक तथा आन्ध्र प्रदेश राज्यों को मिट्टी के तेल का अतिरिक्त आवंटन किया गया था। तेल उद्योग द्वारा सम्बन्धित राज्य सरकारों के प्राधिकारियों के साथ निकट सम्पर्क रखा गया था। बम्बई तथा कोचीन शोधनशालाओं के पुनः प्रवाह में आने से मई, 1992 में स्थिति में सुधार हुआ था तथा वर्तमान में बाजार की मांग को पर्याप्त रूप में पूरा किया जा रहा है।

कलकत्ता से अमरीका हांगकांग और पश्चिम जर्मनी को सीधी टेलेक्स प्रणाली का पुनः स्थापित किया जाना

1772. श्री गदाधर साहा
डा० सरदीश राय
: क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लोगों की कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए सरकार कलकत्ता से अमरीका, हांगकांग और पश्चिमी जर्मनी को सीधी टेलेक्स प्रणाली को पुनः स्थापति करने वाली है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) से (ग) कलकत्ता से संयुक्त राज्य अमेरिका, हांगकांग और पश्चिम जर्मनी को प्रयोक्ता द्वारा सीधे डायल कर और आपरेटर द्वारा डायल कर मिलाई जाने वाली टेलेक्स कालों के बारे में कोई कठिनाई टेलेक्स प्रयोक्ताओं ने नहीं सूचित की है।

जो टेलेक्स सरणियां पहले उच्च आवृत्ति रेडियो परिपथों के माध्यम से चलाई जाती थीं, अब उन्हें अन्तर्राष्ट्रीय पारेषण अभिग्रहण टेलेक्स एक्सचेंज नई दिल्ली तथा उपग्रह की विश्वसनीय सरणियों के माध्यम से ले जाया जा रहा है।

तीस हजारी स्थित सिविल न्यायालय, दिल्ली का विभाजन

1773. **श्री के० लकप्पा**
श्री गुफरान आजम } : क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इस समय तीस हजारी में स्थित सिविल न्यायालयों को शहर के विभिन्न स्थानों में स्थापित किए जाने के लिए पांच जिला न्यायालयों में विभाजित करने का विनिश्चय किया है ;

(ख) क्या यह सच है कि दिल्ली बार एसोसियेशन ने प्रस्तावित विभाजन का विरोध किया है ;

(ग) यदि हां, तो क्या इसका विभाजन करने से पूर्व वकीलों के विचारों पर ध्यान दिया गया है ; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री जगन्नाथ कौशल) : (क) सरकार इस प्रस्ताव से सहमत है कि न्याय के दक्ष प्रशासन के लिए दिल्ली को पांच पृथक जिलों अर्थात् पूर्व, पश्चिम, मध्य, उत्तर और दक्षिण जिलों में विभाजित किया जाए। न्यायालयों के स्थान का अभी तक विनिश्चय नहीं किया गया है।

(ख) से (ग) दिल्ली उच्च न्यायालय की रजिस्ट्री से प्राप्त जानकारी के अनुसार अप्रैल, 1982 के प्रारंभ में तीस हजारी स्थित बार (अधिवक्ता समुदाय) के कुछ सदस्य, प्रस्तावित पांच जिलों के सृजन के विरोध में बार के एक वर्ग की प्रेरणा पर तीस हजारी स्थित न्यायालयों में उपस्थित नहीं

हुए। उनका यह विरोध इससे पूर्व हुई इस सहमति के प्रतिकूल था कि सिविल न्यायालयों को तभी हटाया जाएगा जब पांच जिलों वाली स्कीम लागू होगी न कि 1980 के प्रारंभ में और फिर 1981 में शाहदरा और नई दिल्ली बार द्वारा की गई मांग को पूरा करने के लिए। इन दोनों बार एसोसियेशनों और उच्च न्यायालय बार ने प्रस्ताव का समर्थन किया है और तीस हजारी बार का भी एक काफी बड़ा भाग इसके विरुद्ध नहीं है।

इस प्रकार सरकार की प्रतिक्रिया व्यक्त करने के लिए कोई अवसर नहीं है।

उच्च न्यायालयों में लंबित मामलों का निपटारा और न्यायाधीशों के रिक्त स्थानों का भरा जाना

1774. **श्रीमती कृष्णा साही**
श्री पी० के० कोडियन : क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत के विभिन्न उच्च न्यायालयों में 6,78,951 मामले लंबित हैं ;

(ख) क्या विभिन्न उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों के 78 पद अभी भी रिक्त पड़े हैं ; और

(ग) यदि भाग (क) और (ख) का उत्तर सकारात्मक है, तो उच्च न्यायालयों में लंबित मामलों को निपटाने और न्यायाधीशों के रिक्त स्थानों को भरने के लिये क्या कदम उठाए गए हैं ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री जगन्नाथ कौशल) : (क) 31-12-80 को विभिन्न उच्च न्यायालयों में 6,78,951 मामले लंबित थे।

(ख) 31-12-81 को विभिन्न उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों के 78 पद रिक्त थे।

(ग) उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों के रिक्त पदों को भरने के लिए अधिकतर मामलों में राज्य प्राधिकारियों से पूर्ण रूप से ठोस प्रस्ताव अभी प्राप्त होने हैं। उन्हें इस बारे में बार-बार स्मरण कराया जा रहा है। उच्च न्यायालयों में लंबित मामलों की संख्या में कमी करने के लिए किए गए उपाय संलग्न विवरण में बताए गए हैं।

विवरण

उच्च न्यायालयों में लंबित मामलों की संख्या में कमी करने के लिए किए गए उपाय

उच्च न्यायालयों में लंबित मामलों की संख्या कम करने के लिए निम्नलिखित उपाय किए गए हैं :

1. उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश के द्वितीय अपील में निर्णय से लेटर्स पेटेंट अपील को समाप्त करने के लिए सिविल प्रक्रिया संहिता में 1976 में संशोधन किया गया (देखिए धारा 100 क)।

2. विधि आयोग की सिफारिशों पर आधारित दंड प्रक्रिया संहिता 1973 में अधिनियमित की गई और उसका 1978 और 1980 में संशोधन किया गया।

3. उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या में समय-समय पर वृद्धि की गई है।

4. उपर्युक्त के अतिरिक्त, कुछ उच्च न्यायालय, मामलों के बेहतर निपटारे को सुनिश्चित करने के लिए, निम्नलिखित उपाय कर रहे हैं :

(क) कई उच्च न्यायालय ऐसे मामलों को जिनमें एक जैसे प्रश्न जुड़े होते हैं, एक ग्रुप में रखते हैं ;

(ख) सूचना की तामील के लिए थोड़ा समय देकर सुनवाई के लिए मामले नियत किए जाते हैं ;

(ग) अभिलेख के मुद्रण की आवश्यकता को समाप्त करना ;

(घ) कुछ अधिनियमों के अधीन आने वाले मामलों में शीघ्र कारंवाई करना और उन्हें पूर्विकता देना।

5. सरकार ने देश में न्यायिक प्रशासन प्रणाली की समीक्षा करते रहने के लिए विधि आयोग (10 वें विधि आयोग) की भी नियुक्ति की है। विधि आयोग को सौंपे गए विषयों में से कुछ निम्नलिखित हैं :

(क) यह सुनिश्चित करने के लिए कि न्यायिक प्रशासन प्रणाली समयोचित मांगों के अनुकूल हो और विशेष रूप से—

(i) इस आधारभूत सिद्धांत पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना कि विनिश्चय न्यायोचित और निष्पक्ष होने चाहिए, मामलों के शीघ्र और कम खर्च पर निपटारे को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से विलंब समाप्त करने, बकाया मामलों को शीघ्र निपटाने और खर्चों में कमी करने के लिए ;

(ii) तकनीकी बारीकियों और बिलम्बकारी युक्तियों को कम करने और उन्हें समाप्त करने के उद्देश्य से जिससे कि वह साध्य के रूप में नहीं बल्कि न्याय प्राप्त करने के साधन के रूप में कार्य करे, प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए; और

(iii) न्याय प्रशासन से सम्बद्ध सभी व्यक्तियों के स्तरों में सुधार करने के लिए ;

न्यायिक प्रशासन प्रणाली की समीक्षा करते रहना।

(ख) सार्वजनिक महत्व के केन्द्रीय अधिनियमों का पुनरीक्षण करना जिससे कि उन्हें सरल बनाया जा सके और उनकी विषमताओं, संदिग्धताओं और अनुचित बातों को दूर किया जा सके।

(ग) अप्रचलित विधियों और अधिनियमितियों को या उनके ऐसे भागों को जिनकी उपयोगिता समाप्त हो गई है, निरसित करके कानून पुस्तक को अद्यतन बनाने के उपायों की सरकार को सिफारिश करना।

एस० टी० डी० सेवाओं में सुधार करना

1775. **श्री डी० पी० जडेजा**
श्री मोहन लाल पटेल : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने एस०टी०डी० सेवाओं में सुधार करने के लिए किन्हीं विदेशी एजेंसियों अथवा नियमों की तकनीकी सहायता मांगी है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) एस० टी० डी० सेवाओं की निगरानी करने और इनमें सुधार लाने के लिए की गई कार्यवाही का पूरा ब्यौरा क्या है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) एस० टी० डी० सेवा की कार्यप्रणाली में सुधार करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं।

(1) महत्वपूर्ण मार्गों पर लम्बी दूरी के एस० टी० डी० जंक्शनों की उपलब्धता को निदेशालय में नित्यप्रति मानीटर किया जाता है।

(2) एस० टी० डी० सेवा की गुणवत्ता की क्षेत्रीय परियात अधीक्षक संगठन द्वारा समय-समय पर जांच की जाती है, एस० टी० डी० काल कम्पलीशन रेट को भी सर्किल और निदेशालय स्तर पर प्रबंध सूचना प्रणाली रिपोर्टों के माध्यम से मानीटर किया जाता है।

(3) एस० टी० डी० सेवा में सुधार करने के लिए एस०टी०डी०/टी० ए० एक्स/केन्द्रों में उपस्कर और परीक्षा पद्धति को समय-समय पर समुन्नत किया जा रहा है।

(4) जहां आवश्यक होता है, जंक्शनों में वृद्धि करने की योजना बनाने के लिए समय-समय पर एस० टी० डी० जंक्शनों की पर्याप्तता की जांच की जाती है।

(5) एस. टी. डी. कार्यप्रणाली की पुनरीक्षा करने के लिए विभिन्न अनुरक्षण यूनिटों के बीच समय-समय पर समन्वय बैठकें आयोजित की जाती हैं।

(6) एस.टी.डी. परियात की गति को सही समय पर मानीटरिंग करने के लिए टी.ए. एक्स केन्द्रों में आटोमेटिक ट्रैफिक रिकार्डिंग और विश्लेषण उपस्कर उत्तरोत्तर स्थापित किए जा रहे हैं। इससे नेटवर्क के कार्य निष्पादन आंकड़ों को इकठ्ठा करने और उनका विश्लेषण करने में मदद मिलेगी।

(7) नेटवर्क की असामान्य स्थितियों का पता लगाने और नेटवर्क नियंत्रण प्रारंभ करने अथवा अन्य सुधारात्मक कार्रवाई करने के लिए नेटवर्क प्रबंध तकनीक शुरू करना।

अखबारी कागज के मूल्यों में वृद्धि

1776. **श्री दौलत राम सारण :** क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अखबारी कागज के मूल्यों में काफी वृद्धि हुई है ; और

(ख) क्या इसके परिणामस्वरूप समाचारपत्र उद्योग में गम्भीर संकट है और यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री वसन्त साठे) : (क) 48.8 जी० एस० एम० के आयातित अखबारी कागज की मानक किस्म का हाई सी बिक्री मूल्य अप्रैल-जून, 1982 की तिमाही के दौरान 6,120 रुपए प्रति टन था, जबकि 1981 की इसी तिमाही में यह 4,945 रुपए प्रति टन था। तथापि, नेपा अखबारी कागज का मूल्य 1 जुलाई, 1981 के बाद 4700 रुपए प्रति टन पर स्थिर रहा है।

(ख) जी, नहीं।

राष्ट्रीय ट्रंक सेवाओं की कुशलता में गिरावट

1777. **श्री मूल चन्द डागा :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय ट्रंक सेवाओं की कुशलता में गिरावट के क्या कारण हैं ; और

(ख) स्टेशन पर कौनसा सबसे अच्छा और कौन सा सबसे खराब कार्यरत टेलीफोन एक्सचेंज है और वहाँ ऐसे कार्यकरण के क्या कारण हैं ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) 1980-81 की तुलना में 1981-82 में नेशनल ट्रंक सर्विस की कार्य कुशलता में कोई कमी नहीं देखी गई है।

(ख) देश में ट्रंक सर्विस के बारे में सबसे अच्छे तथा बुरे चालू टेलीफोन एक्सचेंज क्रमशः तमिलनाडु में नागरकोइल तथा असम में उत्तरी लखीमपुर में हैं। सभी मुख्य शहरों के बीच खुले तार तथा सहधुरीय केबुलों पर कार्य कर रहे अधिक विश्वसनीय एवं स्थायी ट्रंक सर्किटों के कारण नागरकोइल ट्रंक एक्सचेंज का कार्यकरण अच्छा रहा है तथा अनुरक्षण सम्बन्धी समस्याएं भी नहीं रही हैं। उत्तरी लखीमपुर में असन्तोषजनक कार्य निष्पादन की जांच की जा रही है।

बिजली में कटौती के कारण डबल रोटी की कमी

1778. **श्री ई० बालानन्दन**
श्री सुशील भट्टाचार्य } : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि दिल्ली में डबल-रोटी के निर्माता बिजली में की जाने वाली कटौतियों के कारणों अपनी पूरी क्षमता से उत्पादन नहीं कर सके जिससे राजधानी में डबल रोटी की कमी हो गई ; और

(ख) राजधानी में डबल रोटी की कमी दूर करने के लिए इस बारे में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) दिल्ली की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त विद्युत उपलब्ध है। तथापि रोहतक रोड के ट्रांस्फार्मर के फेल हो जाने के कारण अस्थायी रुकावट आ गई थी। केवल विद्युत में रुकावट आ जाने के कारण डबल रोटी के उत्पादन में हानि होने के बारे में हमारे पास कोई सूचना नहीं है। यद्यपि वहां पर कुछ विद्युत रुकावटें हुई थीं।

(ख) महरौली में एक 100 एम० वी० ए० 220/66 के० वी० ए० के एक ट्रांस्फार्मर, रिज वैली में 30 के० वी० ए० 66/33 के० वी० के दो ट्रांस्फार्मर तथा पार्क स्ट्रीट में 30 एम० वी० ए० के एक ट्रांस्फार्मर के चालू हो जाने पर दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान रोहतक रोड में ट्रांस्फार्मर के बन्द हो जाने के कारण प्रभावित क्षेत्रों में लोड शैडिंग को पूर्ण रूप से समाप्त करने की स्थिति में हो गया है।

आन्ध्र प्रदेश के एक्सचेंजों में "इनडायलिंग" प्रणाली

1779. **श्री पी० राजगोपाल नायडू** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार एक्सचेंजों में "इनडायलिंग" प्रणाली लागू कर रही है ; और

(ख) यदि हां, तो आन्ध्र प्रदेश में ऐसे एक्सचेंज कितने हैं जिनमें आज तक ऐसी प्रणाली लागू कर दी गई है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी, हां। प्रायोगिक आधार पर।

(ख) 152.

दवाईयों की कमी

1780. **श्री मोहन लाल पटेल** : क्या पैट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को कतिपय ब्रांड की दवाइयों की कमी के बारे में कुछ शिकायतें मिली हैं :

(ख) यदि हां, तो उन दवाईयों के नाम क्या हैं ; और

(ग) उक्त समस्या के समाधान के लिये सरकार ने क्या निर्णय किया है ?

पैट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) से (ग) देश के विभिन्न स्थानों से आवधिक रूप से विशिष्ट ब्राण्ड वाली दवाइयों की कमी की सूचना मिली है। इनमें मियोडिल इन्जेक्शन, एलकरन इन्जेक्शन की तरह के आयातित फार्मूलेशन्स, इन्ट्रावल सोडियम, इन्जेक्शन, थिराएड गोलियां, इलट्राक्सिन गोलियां जैसे आयातित प्रपूंज औषधों पर आधारित फार्मूलेशन तथा अन्य दवाइयों जैसे कि डेपसोन गोलियां, शामिल हैं।

जहां तक आयातित फार्मूलेशनों का सम्बन्ध है, उन्हें मरीजों, पंजीकृत डाक्टरों, तथा अस्पतालों द्वारा आयात नीति के उपबन्धों के अधीन आयात किया जा सकता है। थिराएड गोलियों, एलट्राक्सिन गोलियों इन्ट्रावल सोडियम इन्जेक्शन तथा डेपसोन गोलियों की कमी के मामले में उनके समकक्ष उत्पाद उपलब्ध हैं। ऐसे सभी मामलों में सरकार समकक्ष उत्पादों के उत्पादकों को सलाह देती है कि कमी को दूर करने के लिए अपने ब्राण्ड का माल शीघ्र भेजें।

वेस्टर्न कोलफील्ड्स के एक बुलडोजर की चोरी

1781. **श्रीमती प्रमिला दंडवते** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कोरबा मानिकपुर-विलासपुर क्षेत्र स्थित वेस्टर्न कोलफील्ड्स का एक बुलडोजर दिन-दहाड़े चोरी कर लिया गया था ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) क्या बुलडोजर बरामद कर दिया गया है ?

ऊर्जा मंत्रालय के कोयला विभाग में राज्य मंत्री (श्री गार्गी शंकर मिश्र) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचन के सम्बन्ध में जारी किए गए मार्गदर्शन सिद्धांत

1782. **श्री अटल बिहारी वाजपेयी**
श्री सूरज भान } : क्या विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जिन राज्यों में गत 19 मई को निर्वाचन हुए थे, उनके सत्ताधारी दलों को भारत निर्वाचन आयोग द्वारा क्या मार्गदर्शक सिद्धांत जारी किए गए थे तथा इन मार्गदर्शक सिद्धांतों के उल्लंघन के समाचार पत्रों में प्रकाशित अथवा निर्वाचन आयोग को अभ्यावेदित मामलों का ब्यौरा क्या है और तदनुसार क्या अनुवर्ती कार्यवाही की गई है ?

(ख) इस सम्बन्ध में सरकार की नीति क्या है ; और

(ग) क्या इन मार्गदर्शक सिद्धांतों को उपांतरित करने का कोई प्रस्ताव है ; यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री (श्री जगन्नाथ कौशल) : (क) भारत निर्वाचन आयोग ने राज्यों में सत्तारूढ़ दलों को जो मार्गदर्शक सिद्धांत जारी किए हैं वे राजनैतिक दलों और अभ्यर्थियों के मार्गदर्शन के लिए आदर्श आचरण संहिता के भाग vii में दिए गए हैं। यह संहिता आयोग द्वारा 17 अप्रैल, 1982 को जारी की गई थी। संहिता के इस भाग की एक प्रति संलग्न है। इन मार्गदर्शक सिद्धांतों के अतिक्रमण की घटनाओं का ब्यौरा इकट्ठा किया जा रहा है और सदन के पटल पर रख दिया जाएगा।

(ख) सरकार ने आदर्श संहिता के उपबंधों की जिसमें सुस्पष्ट सिद्धांत अंतर्विष्ट हैं, नोट कर लिया है।

(ग) निर्वाचन आयोग से पता चला है कि इस समय मार्गदर्शक सिद्धांतों में उपान्तर करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

विवरण

राजनैतिक दलों और अभ्यर्थियों के मार्गदर्शन के लिए आदर्श आचरण संहिता

vii. **सत्ताधारी दल :**

सत्ताधारी दल को, चाहे वह केन्द्र में हो या सम्बन्धित राज्य या राज्यों में हो, यह सुनिश्चित करना चाहिए कि यह शिकायत करने का कोई मौका न दिया जाए कि उस दल ने अपने निर्वाचन अभियान के प्रयोजनों के लिए अपने सरकारी पद का प्रयोग किया है, और विशेष रूप से—

(i) (क) मंत्रियों को अपने शासकीय दौरों को निर्वाचन में निर्वाचन से सम्बन्धित प्रचार कार्य के साथ नहीं जोड़ना चाहिए और निर्वाचन के दौरान प्रचार करते हुए शासकीय मशीनरी अथवा कार्मिकों का प्रयोग नहीं करना चाहिए ;

(ख) सरकारी वाहन, मशीनरी और कार्मिकों का सत्ताधारी दल के हितों को बढ़ावा देने के लिए प्रयोग नहीं करना चाहिए ;

(ii) सत्ताधारी दल को चाहिए कि वह सार्वजनिक स्थान जैसे मैदान, इत्यादि, पर निर्वाचन सभाएं आयोजित करने के लिए अपना एकाधिकार न जमाएं। ऐसे स्थानों का प्रयोग दूसरे दलों और अभ्यर्थियों को भी उन्हीं शर्तों पर करने दिया जाए जिन शर्तों पर सत्ताधारी दल उनका प्रयोग करता है ;

(iii) दूसरे दलों और अभ्यर्थियों को भी विश्राम गृहों, डाक-बंगलों और अन्य सरकारी आवासों का प्रयोग निष्पक्ष तरीके से करने की अनुमति होनी चाहिए ;

(iv) निर्वाचन अवधि के दौरान सरकारी खर्चे से समाचार पत्रों में या अन्य माध्यमों से ऐसे विज्ञापनों का जारी किया जाना कर्तव्यनिष्ठ होकर बिल्कुल बन्द रहना चाहिए जिनमें सत्ताधारी दल के हितों को अग्रसर करने की दृष्टि से उनकी उपलब्धियां दिखाई गई हों ;

(v) मंत्रियों और अन्य प्राधिकारियों को उस समय से जब से निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचन घोषित किए जाते हैं, वैवेकिक निधि में से अनुदानों/अदायगियों की स्वीकृति नहीं देनी चाहिए ; और

(vi) मंत्रियों और अन्य प्राधिकारियों को, उस समय से जब से निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचन घोषित किए जाते हैं, निर्वाचकों को सड़क निर्माण करने, पीने के पानी की प्रसुविधाएं देने, आदि जो मतदाताओं को सत्ताधारी दल के हित में प्रभावित कर सकते हैं, किसी प्रकार का विश्वास नहीं दिलाना चाहिए।

एल० पी० जी० सिलेंडरों का विस्फोट होना

1783. **श्री सूर्य नारायण सिंह** : क्या **पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हाल ही में बहुत से "एल० पी० जी०" सिलेंडरों के विस्फोट होने की सूचना मिली है ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह सच है कि विस्फोटक विभाग ने अपने वार्षिक प्रतिवेदन, 1981 में कुछ सिफारिशें की हैं ताकि जहां तक सम्भव हो, इस प्रकार के विस्फोट न होने दिये जायें; और

(ग) यदि हां, तो वे सिफारिशें क्या हैं और उस पर सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) विस्फोटक विभाग ने अपनी वर्ष 1980-81 की वार्षिक रिपोर्ट में यह बताया है कि कुकिंग गैस (एल० पी० जी०) सिलेण्डरों से हुई बड़ी संख्या में दुर्घटनाएं, जो इस वर्ष में बताई गई हैं, एल० पी० जी० सिलेन्डरों से प्रयोग में लाये जाने वल्वों के दोषपूर्ण डिजाइन और

एल० पी० जी० डीलरों द्वारा काम में लगाये गये कम प्रशिक्षित अप्रशिक्षित डिलिवरी कार्मिक-मैकेनिकों की लापरवाही के कारण थी। विस्फोटक विभाग द्वारा सिफारिश की गई है कि उनकी सुरक्षा को सुनिश्चित के लिए 'एफ' टाईप वल्व जो, सिलेन्डरों में प्रयोग में लाये जाते हैं, को बेहतर स्वयं बन्द होने वाले वल्व से प्रतिस्थापित किये जाएं। तेल कम्पनियों ने पहले ही बेहतर एल० पी० जी० सिलेन्डर वल्वों को "एफ" टाई वल्वों के स्थान पर आरम्भ करने के लिए कदम उठाये हैं। इसके अतिरिक्त वे अपने एल० पी० जी० वितरकों द्वारा लगाये गये डिलिवरी कार्मिक/मैकेनिकों को प्रशिक्षण दे रहे हैं।

टेलीफोन विभाग का कार्यकरण

1784. **श्री राम प्यारे पनिका :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली और उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में टेलीफोन विभाग का कार्यकरण संतोषजनक नहीं है ; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं और गत चार महीनों के दौरान विभिन्न प्रकार की कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं और उनमें से अब तक कितनी शिकायतें दूर की गई हैं और दिल्ली तथा उत्तर प्रदेश में जिलावार अभी तक कितनी शिकायतें लंबित पड़ी हुई हैं।

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

राज्यों में नए टेलीफोन कनेक्शनों के लिए लंबित मामले

1785. **श्री टी० आर० शमन्ना :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न राज्यों में टेलीफोन कनेक्शनों की मंजूरी के लिए कितने मामले लम्बित हैं ; और

(ख) आवेदकों को टेलीफोन कनेक्शन प्रदान करके लम्बित मामले कब तक निपटा दिए जाएंगे ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) विभिन्न दूरसंचार प्रशासनिक कार्यालयों में 1-4-1982 को राज्य वार प्रतीक्षा सूची में आवेदकों की संख्या के बारे में एक विवरण संलग्न है।

(ख) ऐसी आशा है कि केवल कुछ (अव्यवहार्य मामलों को छोड़कर 1-4-1982 तक रजिस्टर्ड अधिकांश आवेदकों को छठी पंचवर्षीय योजना के अन्त तक उत्तरोत्तर टेलीफोन कनेक्शन प्रदान कर दिए जाएंगे।

विवरण

1-4-1982 को देश में प्रतिक्षा सूची का विवरण

क्रम संख्या	राज्य/संघ शासित प्रदेश		1-4-1982 को प्रतीक्षा-सूची
1.	आन्ध्र प्रदेश	...	29,356
2.	बिहार	...	6,357
3.	गुजरात	...	46,304
	दमन दीव एवं सलवासा (संघ शासित प्रदेश)		
4.	जम्मू एवं कश्मीर	...	4,201
5.	कर्नाटक	...	20,555
6.	केरल	...	29,747
	माहे एवं लक्षद्वीप (संघ शासित क्षेत्र)		
7.	महाराष्ट्र	...	1,98,059
	गोवा (संघ शासित क्षेत्र)		
8.	मध्य प्रदेश	...	14,670
9.	आसाम	...	4,685
	त्रिपुरा, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश (उत्तर-पूर्वी दूरसंचार सर्किल)		
10.	पंजाब	...	34,813
	हरियाणा, हिमाचल प्रदेश एवं चंडीगढ़ (उत्तर-पश्चिमी दूरसंचार सर्किल)		
11.	उड़ीसा	...	3,462
12.	राजस्थान	...	16,988
13.	तमिलनाडु	...	37,616
	पांडिचेरी (संघ शासित क्षेत्र)		
14.	उत्तर-प्रदेश	...	26,022
15.	पश्चिम बंगाल	...	31,357
	सिक्किम एवं अंडमान, निकोबार (संघ शासित क्षेत्र)		
16.	दिल्ली (संघ शासित क्षेत्र)	...	89,762
		योग :	5,93,754

श्रीलंका से लौटे व्यक्तियों का पुनर्वास

1786. **श्री चित्त बसु :** क्या पूर्ति और पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि तमिलनाडु सरकार ने चार दक्षिणी राज्यों के मुख्य मंत्रियों के 4 जून, 1982 को हुए सम्मेलन में श्रीलंका से लौटे व्यक्तियों के पुनर्वास के लिए एक योजना प्रस्तुत की थी ;

(ख) यदि हां, तो उस योजना का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) क्या सरकार ने इस सम्बन्ध में कोई निर्णय कर लिया है ?

पूर्ति और पुनर्वास मंत्रालय में उप मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) जी, नहीं। तमिलनाडु सरकार के मुख्य सचिव ने सम्मेलन में केवल यह कहा था कि यदि तमिलनाडु में रामानाथपुरम जिले में भूमिगत जल संसाधन को विकसित किया जाए, जो अब तक पूर्णतः उपयोग में नहीं लाया गया, तो उस क्षेत्र में काफी बड़ी संख्या में परिवारों को कृषि में बसाना संभव होगा।

(ख) योजना का ब्यौरा अभी राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत किया जाना है।

(ग) राज्य सरकार से योजना प्राप्त होने पर उसकी जाँच की जाएगी।

कोयले के मूल्यों में हाल में हुई वृद्धि

1787. **श्री रणजीत सिंह :** क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी कोयले की कंपनियों ने हाल ही में कोयले की विभिन्न किस्मों के मूल्यों में वृद्धि की है ; और

(ख) की गई वृद्धि की दरें क्या हैं और इस वृद्धि के क्या कारण हैं ?

ऊर्जा मंत्रालय के कोयला विभाग में राज्य मंत्री (श्री गार्गी शंकर मिश्र) : (क) और (ख) दिनांक 27-5-1982 से कोयले का औसत खान-मुहाना मूल्य कोल इंडिया के मामले में रु० 128.02 प्रति टन से बढ़ाकर रु० 145.90 प्रति टन किया गया है और सिंगरेनी कोलियरी कं० लि० के मामले में रु० 136.85 प्रतिटन से बढ़ाकर रु० 154.75 प्रति टन किया गया है। कीमत में वृद्धि इन कारणों से आवश्यक हो गई थी—उत्पादन सामग्रियों की लागत में वृद्धि कामगारों की मजदूरी में वृद्धि, मूल्य ह्रास और ब्याज में वृद्धि, आदि।

खुली मुंह वाली खदान और भूमिगत खदान के जरिए उत्पादन

1788. **श्री कमला मिश्र मधुकर :** क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गत पाँच वर्षों में कोल इण्डिया लिमिटेड के कोयले उत्पादन में पूरी

वृद्धि खुली मुंह वाली खदान से हुई है जबकि भूमिगत खदान से उत्पादन स्थिर रहा है अथवा इसमें कमी हुई है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या उत्पादन में इस प्रवृत्ति से कोल इण्डिया लिमिटेड के कोयले की किस्म पर प्रभाव पड़ा है और जिसके परिणाम-स्वरूप कोयले के प्रयोक्ताओं को अत्यधिक कठिनाइयां हो रही हैं ; और

(घ) यदि हां, तो भूमिगत खानों से कोयले के उत्पादन में वृद्धि करने लिए क्या उपाय किये जा रहे हैं ?

ऊर्जा मंत्रालय के कोयला विभाग में राज्य मंत्री (श्री गार्गी शंकर मिश्र) : (क) और (ख) कोल इण्डिया लि० की भूमिगत और ओपेनकास्ट खानों में कोयले के उत्पादन की प्रवृति निम्न लिखित है :

(आंकड़े मी० टन में)

वर्ष	भूमिगत	ओपेनकास्ट	कुल
1977-78	64 05	24.91	88.96
1978-79	61.14	28.91	90.05
1979-80	59.13	32.31	91.44
1980-81	60.99	39.96	100.95
1981-82	63.25	46.36	109.61

भूमिगत उत्पादन वर्ष 1978-79 और 1979-80 में कम हुआ परन्तु 1980-81 से फिर बढ़ना शुरू हो गया। इन दो वर्षों में भूमिगत उत्पादन में कमी का मूल कारण रानीगंज और झरिया कोयला क्षेत्रों की खानों में बाढ़ था। यह बाढ़ सितम्बर, 1978 में अभूतपूर्व वर्षा के कारण आई थी। यह विनाशकारी प्रभाव 1979-80 तक चलता रहा क्योंकि खानों को पूरी तरह से ठीक करने में बहुत समय लगा। कोल इण्डिया लि० ने भूमिगत खानों से वर्ष 1982-83 में 67.19 मि० टन उत्पादन करने की योजना बनाई है और इस प्रकार 1981-82 के उत्पादन की तुलना में 6.2% की वृद्धि दर होगी।

(ग) यह सच है कि बड़ी ओपेनकास्ट खानों में यंत्रीकरण में वृद्धि के कारण खानों में उत्पादित कोयला एक आकार का नहीं है। कोल इण्डिया लि० ने कोयला-रख-रखाव संयंत्र लगाने के लिए एक कार्यक्रम बनाया है और कार्यक्रम की निगरानी हो रही है और शीघ्रता से कार्यान्वयन किया जा रहा है।

(ख) भूमिगत खानों में उत्पादन बढ़ाने के लिए उपाय किए गए हैं। भूमिगत खानों का यंत्रीकरण शुरू कर दिया गया है। अत्यधिक उत्पादक भूमिगत उपकरण, जो अब देश में ही बन रहे हैं, को लगाने से भूमिगत खानों से उत्पादन में काफी वृद्धि होगी और साथ ही खनन खतरों से घिरे कामगारों की संख्या कम करके सुरक्षा की दशाओं में भी सुधार होगा।

खाना पकाने की गैस की मांग और पूर्ति

1789. **श्री विजय कुमार यादव** : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में राज्यवार खाना पकाने की गैस की अब तक मांग और पूर्ति क्या है ;

(ख) उपभोक्ताओं की मांग पूरी करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये जाने का विचार है ; और

(ग) क्या यह सच है कि मांग और खाना पकाने की गैस एजेन्सियों की संख्या में भारी अन्तराल है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री पी० शिवशंकर) : (क) मिट्टी के तेल, बनाने की लकड़ी जैसे वैकल्पिक ईंधनों के प्रयोग को ध्यान में रखते हुए देश में एल० पी० जी० (खाना पकाने की गैस) की सही मांग बताना संभव नहीं है। वर्ष 1981-82 के दौरान सप्लाई की गई एल० पी० जी० के राज्य-वार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ख) शोधनशालाओं में एल०पी०जी० के उत्पादन को अधिकतम करने के लिए कदम उठाये गए हैं। विद्यमान ग्राहकों की मांग को पूरा करने के लिए वर्तमान वर्ष में एल० पी० जी० के आयात की व्यवस्था की गई है। बम्बई हाई, कोयाली शोधनशाला और आयल इंडिया लिमिटेड ने संभावित अतिरिक्त एल० पी० जी० की उपलब्धि होने पर, ऐसी आशा है वर्तमान वर्ष के दौरान 14 लाख नए एल० पी० जी० कनैक्शन और वर्ष 1983-84 के दौरान 16 लाख कनैक्शन जारी किये जायेंगे।

(ग) विद्यमान एल० पी० जी० डिस्ट्रीब्यूटरों सहित पहले से ही नियुक्त किए गए नए एल० पी० जी० डिस्ट्रीब्यूटरों की संख्या विद्यमान उपभोक्ताओं की मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त समझी गई है। तेल कम्पनियों द्वारा आगामी वर्षों में एल० पी० जी० की मांग को पूरा करने के लिए अतिरिक्त डिस्ट्रीब्यूटर-शिपों की योजना बनाई गई है।

विवरण

वर्ष 1981-82 के दौरान सप्लाई की गई एल० पी० जी० के राज्य-वार/संघ शासित प्रदेश-वार ब्योरे

राज्य/संघ शासित प्रदेश का नाम	एल० पी० जी० की बिक्री (मिलियन मी० टनों में)
1. दिल्ली	54,516
2. चण्डीगढ़	4,025
3. हरियाणा	9,814
4. हिमाचल प्रदेश	836
5. जम्मू और कश्मीर	2,084
6. पंजाब	8,677
7. राजस्थान	6,970
8. उत्तर प्रदेश	36,752
9. असम*	3,868
10. बिहार	9,710
11. उड़ीसा	2,626
12. पश्चिम बंगाल	20,736
13. गुजरात	41,382
14. महाराष्ट्र	1,61,735
15. मध्य प्रदेश	16,474
16. गोवा दमन और दीव	1,751
17. आन्ध्र प्रदेश	37,577
18. कर्नाटक	22,136
19. केरल	8,381
20. तमिलनाडु**	40,903
योग	4,90,953

*मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड त्रिपुरा तथा सिक्कम को सम्मिलित करके
**पांडेचेरी को सम्मिलित करके

केरल में गैस एजेंसी मंजूर किया जाना

1790. **श्री के० कुन्हम्बु** : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1981-82 के दौरान केरल में किन्हीं गैस एजेन्सियों को मंजूरी दी गई है ; और

(ख) यदि हां, तो कितनी और क्या अनुसूचित जाति के किसी उम्मीदवार का चयन किया गया है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री पी० शिवशंकर) : (क) जी, हां ।

(ख) वर्ष 1981-82 के लिए 10 गैस एजेन्सियों की योजना बनाई गई थी । जिसमें से 3 अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित थीं । 10 में से, अब 8 एजेन्सियों के लिए आशय पत्र जारी किए जा चुके हैं जिनमें 2 अनुसूचित जातियों के लिए शामिल हैं ।

कलकत्ता से अमरीका, पश्चिम जर्मनी और हांगकांग को सीधी टेलेक्स चैनल समाप्त किया जाना

1791. **डा० सरदीश राय** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कलकत्ता से अमरीका, पश्चिम जर्मनी और हांगकांग को सीधी टैलेक्स चैनल को समाप्त करने के क्या कारण हैं ;

(ख) क्या संदेशों को कलकत्ता से सीधे भेजने के बजाय बम्बई होकर अमरीका, पश्चिम जर्मनी और हांगकांग भेजना अधिक आसान है ; और

(ग) यदि नहीं, तो सीधी चैनल को कलकत्ता कार्यालय से बन्द करके बम्बई ले जाने के क्या कारण हैं ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) दिल्ली के टैलेक्स पारेषण अभिग्रहण केन्द्र से विश्वसनीय उपग्रह सरणियों द्वारा कलकत्ता से अमेरिका और पश्चिम जर्मनी को प्रयोक्ता द्वारा सीधे और आपरेटर द्वारा डायल कर मिलने वाली टैलेक्स सेवा सुलभ होने के बाद, उच्च आवृत्ति रेडियों परिपथों के माध्यम से चल रही सीधी करचल टैलेक्स सेवाओं को बन्द कर दिया गया है । हांगकांग के लिए उच्च आवृत्ति रेडियो के माध्यम से सुलभ सीधे करचल टैलेक्स परिपथ अभी कार्य कर रहे हैं । इसके अलावा फिलहाल हांगकांग को, उपग्रह के माध्यम से प्रयोक्ता द्वारा और प्रचालक द्वारा डायल कर मिलने वाली टैलेक्स सेवा भी विकल्प रूप में सुलभ है ।

(ख) उन देशों की संख्या में वृद्धि होने पर जहां के लिए अन्तर्राष्ट्रीय टैलेक्स सुविधाएं

सुलभ हैं, अब संसार भर का रुझान संचार के इस परियात् का अन्तर्राष्ट्रीय पारेषण अभिग्रहण टैलेक्स एक्सचेंज तथा विश्वसनीय उपग्रह परिपथों के माध्यम से निपटाने की ओर हो गया है। इस परिवर्तन के बाद कलकता के टैलेक्स प्रयोक्ताओं ने, अमरीका, पश्चिम जर्मनी तथा हांगकांग को टैलेक्स संदेश भेजने में कोई कठिनाई सूचित नहीं की हैं।

(ग) सरकार ने विश्व व्यापी रुझान के अनुरूप जो पारेषण अभिग्रहण स्विचिंग टैलेक्स केन्द्रों का उपयोग और उपग्रह सरणियों को बड़ी विश्वसनीयता की तरफ है, कलकत्ता से अमेरिका और पश्चिम जर्मनी के बीच सीधी उच्च आवृत्ति रेडियो सरणि का प्रयोग बन्द कर दिया है।

लोअर पेरियार बिजली परियोजना को स्वीकृति देना

1792. **श्री के० ए० राजन** : क्या **ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग ने केरल में 80 करोड़ रुपये लागत वाली लोअर पेरियार बिजली परियोजना को स्वीकृति दे दी है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) और (ख) मार्च, 1982 में लोअर पेरियार जल विद्युत परियोजना को राज्य की योजना में शामिल करने के लिए योजना आयोग को सिफारिश की गई है। तथापि, योजना आयोग की स्वीकृति की अभी प्रतीक्षा है।

तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा हैलीकाप्टरों की खरीद किया जाना

1793. **श्री अजय विश्वास** : क्या **पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग बम्बई और अन्य क्षेत्रों में अपनी तट दूर गतिविधियों के लिए बारह हैलीकाप्टर खरीदेगा ;

(ख) यदि हां, तो इन हैलीकाप्टरों की लागत क्या होगी ;

(ग) इन हैलीकाप्टरों पर करोड़ों रुपये खर्च करने का आधार और औचित्य क्या है ; और

(घ) इस मामले में उनकी प्रतिक्रिया क्या है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री पी० शिवशंकर): (क) से (घ) तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग की अपतटीय गतिविधियों के लिए हैलीकाप्टरों के अधिग्रहण का प्रस्ताव सरकार के विचारा-

धीन है। क्योंकि यह अभी अन्तिम रूप से स्वीकृत नहीं किया गया है इसलिए अन्य ब्यौरे प्रकट करना असामयिक होगा।

कल्लदा परियोजना के लिए जापान से मशीनरी का आयात

1794. **श्री स्कारिया थामस** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार ने कल्लदा परियोजना के लिए जापान से मशीनरी के आयात करने हेतु केन्द्र से अनुमति ली है ;

(ख) यदि हां, तो क्या आयात के लिए अनुमति दी गई है ; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) से (ग) जी, हां। मौजूदा प्रक्रिया के अनुसार, उत्पादन उपस्करों की खरीद के लिए विश्व-व्यापी निविदाओं के उत्तर में प्राप्त विभिन्न प्रस्तावों को उपस्करों आदि को प्राप्त करने के स्रोतों के बारे में निर्णय लेने के लिए भारी उद्योग मंत्रालय में शक्ति प्रदत्त समिति को भेजे जाते हैं।

तदनुसार राज्य प्राधिकारियों को इस मामले में आगे कार्रवाई करने के लिए, पूरे प्रस्ताव इस मंत्रालय को भेजने की सलाह दी गई है जिसकी अभी प्रतीक्षा की जा रही है।

परियोजनाओं के संयंत्रों और मशीनरी पर पूंजी निवेश में कमी होना

1795. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान वर्ष 1981-82 के लिए कम्पनी अधिनियम के कार्यकरण पर इस आशय की रिपोर्ट की ओर दिलाया गया है कि संयंत्रों और मशीनरी पर पूंजी निवेश का अनुपात सातवें दशक में परियोजना लागत के लगभग 65 प्रतिशत से घट कर वर्ष 1979-80 में 35 प्रतिशत रह गया था ; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार कम्पनियों के कार्यक्रम में इस प्रवृत्ति का गहराई से अध्ययन कर रही है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० ए० रहीम) : (क) तथा (ख) संभवत: माननीय सदस्य का ध्यान कम्पनी अधिनियम 1956 के कार्यकरण एवं प्रशासन पर, 1980-81 के वर्ष की रिपोर्ट की ओर है, 1981-82 की रिपोर्ट की ओर नहीं, जो अभी संसद के समक्ष प्रस्तुत की जानी है।

यह सत्य है कि वार्षिक रिपोर्ट में यह वर्णित है कि 1979-80 में संयंत्र एवं मशीनरी में नियोजन का अनुपात 35 प्रतिशत था, जबकि यह 1965-66 से 1970-71 तक के वर्षों में 65 प्रतिशत के लगभग था। संयंत्र एवं मशीनरी में नियोजन के अनुपात में 1974 के प्रारंभण की अवधि में जब फेरा लागू हुआ था, में भी विभिन्न श्रेणियों में अवनति अनुभव की गई थी। इस विषय के विश्लेषण से प्रतीत हुआ है कि फेरा की अपेक्षाओं के पालन की दृष्टि से, एक संख्या में विदेशी कम्पनियों को अपनी साम्य पूंजी को कम करना पड़ा था एवं नवीन धन, जो इस प्रकार बढ़ा, वह कार्य पूंजी बढ़ाने में प्रयोग किया गया था, निश्चित परिसम्पत्तियों के नियोजनार्थ नहीं। पुनः उनमें से कुछ ने निश्चित नियोजन के लिये किसी नवीन परियोजना एवं प्रोग्राम के बिना ही साम्य पूंजी में वृद्धि की।

मद्रास रिफाइनरीस लिमिटेड में एल० पी० जी०
सिलिण्डरों की चोरी

1796. **श्री एस० बी० सिदनाल** : क्या **पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मालूम है कि मद्रास रिफाइनरीस लिमिटेड में एल. पी. जी. सिलेंडरों की चोरी के कारण प्रतिदिन 50,000 रुपये की हानि होती है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि भरे गए सिलेंडरों तथा वापस किए गए खाली सिलेंडरों की गणना नहीं की जाती ; और

(ग) उनकी निगरानी रखने तथा कदाचारों को रोकने के लिए क्या उपाय किए गए हैं ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री पी० शिवशंकर) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) तेल कंपनियों के पास शोधनशालाओं/बाटलिंग संयंत्रों, अपने डीलरों को दिए गए और वापिस प्राप्त किए गए खाना पकाने की गैस (एल. पी. जी.) के भरे और खाली सिलेंडरों का हिसाब रखने के लिए एक बहुत सुव्यवस्थित प्रणाली है। यदि कोई विसंगति ध्यान में आती है तो एल. पी. जी. डीलरों, परिवहन ठेकेदारों से खोए गए सिलेंडरों की लागत जुर्माने की दर पर वसूल की जाती है और उनको यथोचित चेतावनी भी दी जाती है। जांच पड़ताल के लिए शिकायतें पुलिस में भी दर्ज करायी जाती हैं।

कोयले मूल्यों में हाल की वृद्धि का विद्युत क्षेत्र पर प्रभाव

1797. **श्री नीरेन घोष** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोयला मूल्यों में हाल में हुई वृद्धि के कारण विद्युत क्षेत्र पर, जिसमें कोयले की बहुत अधिक खपत होती है, बहुत प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा ; और

(ख) यदि हां, तो उनकी इस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

ऊर्जा मंत्रालय के कोयला विभाग में राज्य मंत्री (श्री गार्गी शंकर मिश्र) : (क) और (ख) हाल के कोयले के मूल्यों में हाल ही में किए गए संशोधन के कारण बिजली क्षेत्र भी प्रभावित होगा। परन्तु, कोयले के मूल्य में वृद्धि इन कारणों से अपरिहार्य थी—उत्पादन सामग्रियों की लागतों, मजदूरियों, ब्याज, मूल्य ह्रास, आदि में वृद्धि।

सरीन समिति का प्रतिवेदन

1798. **श्री एम० बी० चन्द्रशेखर मूर्ति** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डाक-तार विभाग ने व्यक्तिगत टेलीफोन लाइनों के लिए स्वचालित मीटर निगरानी उपकरण खरीद लिए हैं जिनके साथ प्रयोक्ता द्वारा की गई सभी कालों को ब्यौरे से रिकार्ड किया जा सकेगा ;

(ख) यदि हां, तो उसके ब्यौरे क्या हैं ;

(ग) उपकरण कब तक लगाए जाएंगे ;

(घ) उन पर कुल कितना खर्च आएगा ; और

(ङ) सरीन समिति की सिफारिशों को कब तक पूरी तरह से कार्यान्वित किया जाएगा ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) कुछ एक्सचेंजों में क्षेत्रीय परीक्षण के लिए स्वचल मीटर प्रेक्षण उपस्कर के कुछ सैट उपलब्ध हो गये हैं। ये प्रत्येक टेलीफोन के लिए अलग-अलग नहीं होंगे।

(ख) यह उपस्कर काल किया गया नम्बर, काल करने का समय तथा काल की अवधि आदि दर्ज कर सकेगा। इसका बिलों की शिकायतों के निपटान हेतु लाइनों के प्रेक्षण में प्रयोग किया जायेगा।

(ग) इस उपस्कर का क्षेत्रीय परीक्षण आरम्भ हो गया है।

(घ) एक लाइन प्रेक्षण उपस्कर की लगभग कीमत 50,000 रु० प्रति इकाई है।

(ङ) दूर संचार समिति ने 437 सिफारिशें की हैं (जिसमें 3 उप सिफारिशें भी शामिल हैं (209 सिफारिशें पहले ही कार्यान्वित की जा चुकी हैं। 24 सिफारिशें सरकार द्वारा स्वीकार नहीं की गई। 28 सिफारिशें, जिनमें डाक-तार विभाग का पुनर्गठन तथा इसका द्विशाखन एवं भारतीय टेलीफोन उद्योग का दो इकाइयों में विखण्डन भी शामिल है, अभी विचाराधीन है। इन सिफारिशों का सेवाओं के भविष्य पर व्यापक प्रभाव पड़ेगा तथा सभी सम्भव समस्याओं का अध्ययन किया जाना है। शेष 176 सिफारिशों को लागू करने के लिए कार्रवाई की जा रही है एवं आशा है कि इनके क्रियान्वयन का निर्णय कुछ ही महीनों में पूरा हो जायेगा।

श्रीलंका से लौटे व्यक्तियों का पुनर्वास

1799. **श्री कुसुम कृष्णमूर्ति** : क्या **पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) श्रीलंका से लौटे उन व्यक्तियों की संख्या कितनी है जो भारत में अपने पुनर्वास की प्रतिक्षा कर रहे हैं ;

(ख) उनके पुनर्वास के लिए क्या योजनाएं तैयार की गई हैं ; और

(ग) जिन राज्यों में स्वदेश लौटे इन व्यक्तियों को बसाये जाने का विचार है वहां की राज्य सरकारों को केन्द्रीय सरकार द्वारा कितनी धनराशि दी जा रही है ?

पूर्ति और पुनर्वास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) जून, 1982 के अंत तक श्रीलंका से 3,89,067 (67,514 परिवार) प्रत्यावासी भारत आए। इनमें से अप्रैल, 1982 के अंत तक 74,862 परिवार, जो पुनर्वास सहायता के पात्र थे और जिन्होंने सहायता के लिए राज्य सरकारों से सम्पर्क किया था, बसा दिए गए हैं। राज्य सरकारों के पास अन्तिम निपटान के लिए पड़े कुछ आवेदन-पत्रों को छोड़कर अधिकांश शेष परिवार या तो पात्र नहीं हैं या उन्होंने आवश्यक सहायता के लिए प्राधिकारियों के साथ सम्पर्क नहीं किया है।

(ख) जो प्रत्यावासी पुनर्वास सहायता के पात्र हैं उन्हें विभिन्न बागान योजनाओं, प्रत्यावासी सह ारी वित्त तथा विकास बैंक की योजनाओं के माध्यम से रोजगार में लघु व्यवसाय तथा व्यापार में, भूमि उपनिवेशन तथा कृषि योजनाओं में, तमिलनाडु राज्य फार्म निगम की परियोजनाओं तथा कताई मिलों आदि जैसी औद्योगिक योजनाओं में पुनर्वास प्रदान किया गया है।

(ग) केन्द्रीय सरकार द्वारा तमिलनाडु, आन्ध्र, प्रदेश, कर्नाटक, केरल तथा गुजरात की राज्य सरकारों को इन प्रत्यावासियों के पुनर्वास के लिए 56.68 करोड़ रुपए (ऋण के रूप में 50 करोड़ रुपये, जिनमें बर्मा और श्रीलंका प्रत्यावासियों के पुनर्वास के लिए सयुक्त औद्योगिक योजनाओं के लिए प्रदान किया गया ऋण भी शामिल है ; तथा 6.68 करोड़ रुपये अनुदान के रूप में) की धन राशि दी गई है।

बाँदा जिले में स्वचालित टेलीफोन एक्सचेंज की स्थापना करना

1800. **श्री राम नाथ दुबे** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बांदा जिले में एक स्वचालित टेलीफोन एक्सचेंज की स्थापना करने और इसके लिए एक इमारत का निर्माण करने के लिए स्वीकृति दी गई है ; और

(ख) यदि नहीं, तो इस मामले पर सरकार द्वारा कोई कार्यवाही न करने के क्या कारण हैं जब कि लोगों को भारी असुविधा हो रही है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी हां। छठी योजना के अंत तक बांदा में एक डब्बायुक्त इलेक्ट्रानिक एक्सचेंज प्रदान करने का प्रस्ताव है। इस डब्बायुक्त इलेक्ट्रानिक एक्सचेंज के साथ सम्बद्ध इमारत का भी निर्माण किया जाएगा।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

माउन्ट श्राबू भारतीय तेल निगम के पाइप लाइन का नष्ट हो जाना

1801. **श्री कृष्ण चन्द्र पांडे** : क्या पेट्रोलियम, **रसायन श्रौर उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय तेल निगम का पम्पिंग स्टेशन तथा पाइप लाइन एक भयानक आग में नष्ट हो गए थे जो राजस्थान में माउंट आबू रोड़ में लगी थी ;

(ख) उनकी तत्काल मरम्मत के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं तथा कितनी हानि हुई है ;

(ग) क्या आग की इस दुर्घटना के पीछे किसी संगठित गिरोह का हाथ है ; और

(घ) यदि नहीं, तो आग लगने के क्या कारण हैं तथा भविष्य में इस प्रकार की दुर्घटनाओं से बचने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

पेट्रोलियम, रसायन श्रौर उर्वरक मंत्री (श्री पी० शिवशंकर) : (क) और (ख) दिनांक 26 मई, 1982 को आग लगने की एक घटना के कारण आबू रोड पम्प स्टेशन में कुछ उपकरणों को नुकसान पहुंचा था। तथापि, इंडियन आयल कारपोरेशन लिमिटेड से प्राप्त रिपोर्टों के अनुसार मुख्य पाइप लाइन को कोई नुकसान नहीं पहुंचा था। लगभग 2 करोड़ रुपये की हानि होंने का अनुमान है। क्षतिग्रस्त उपकरणों की मरम्मत/प्रतिस्थापन के लिए पहले ही कार्यवाही आरम्भ कर दी गयी है। इसी बीच मथुरा शोधनशाला को पर्याप्त मात्रा में अशोधित तेल का बहाव सुनिश्चित करने के लिए भी प्रबन्ध किए गए हैं।

(ग) अभी तक ऐसा कोई प्रमाण नहीं पाया गया है।

(घ) इंडियन आयल कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा कारणों की जांच के लिए नियुक्त की गयी समिति इस घटना के लिए कोई विशेष कारण निर्दिष्ट नहीं कर पायी है। तथापि पम्प स्टेशन पर आग बुझाने के तथा सुरक्षा के प्रबन्धों को बढ़ाने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं।

श्राकाशवाणी दिल्ली से "बृज माधुरी" कार्यक्रम का प्रसारण

1802. **श्री चन्द्र पाल शैलानी** : क्या **सूचना श्रौर प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उत्तर प्रदेश के पश्चिमी जिलों तथा विशेष रूप से आगरा डिवीजन तथा राजस्थान एवं मध्य प्रदेश के विभिन्न पूर्वी जिलों के लोग बृज भाषा बोलते एवं समझते हैं और यदि हां, तो बृज क्षेत्र के लोगों की भावनाओं तथा मांग को देखते हुए सरकार का विचार आकाशवाणी के दिल्ली केन्द्र से "बृज माधुरी" कार्यक्रम का प्रसारण पुनः आरंभ करने तथा इसके प्रसारण समय में वृद्धि करने का है ;

(ख) यदि हां, तो यह कार्यक्रम कब से पुनः आरंभ किया जाएगा ; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री वसन्त साठे) : (क) जी, हां। बृज भाषा उत्तर प्रदेश के आगरा, मथुरा, अलीगढ़, एटा और मैनपुरी जिलों तथा राजस्थान के भरतपुर और धौलपुर जिलों में समझी जाती है। इस समय इस कार्यक्रम की अवधि बढ़ाने या पहले वाली अवधि, जो प्रतिदिन 30 मिनट की होती थी, को बहाल करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) इस कार्यक्रम की वर्तमान अवधि 20 मिनट है। इसे पर्याप्त समझा जाता है। वास्तव में कम की गई अवधि में से 5 मिनट संस्कृत समाचार बुलेटिन को दिए जाते हैं और अन्य 5 मिनट "विचार बिन्दु" नामक एक नये कार्यक्रम को जो बहुत लोकप्रिय सिद्ध हुआ है।

कोयला खानों में सुरक्षा

1803. **श्री डी० एम० पुत्ते गौडा** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या घातक खनन दुर्घटनाओं को कम करने के लिए कोल इंडिया लिमिटेड ने कोई सुरक्षा प्रोत्साहन लागू किया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी पूर्ण ब्यौरा क्या है ; और

(ग) सुरक्षा के उपाय बरतने के लिए व्यक्तियों को प्रशिक्षण देने हेतु सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ?

ऊर्जा मंत्रालय के कोयला विभाग में राज्य मंत्री (श्री गार्गी शंकर मिश्र) : (क) और (ख) कोल इंडिया लिमिटेड की सहायक कम्पनियों में से० को० लि० सुरक्षा प्रबन्ध बेहतर करने के लिये 1979-80 से प्रोत्साहन योजना लागू करती रही थी। जो योजना वर्ष 1981-82 में वास्तव में लागू थी वह निम्नलिखित है :

जिस कोलियरी में कोयले के उत्पादन और ऊपरी मलबा हटाने का लक्ष्य किसी घातक दुर्घटना अथवा गंभीर चोट लगने के मामलों के बिना ही पूरा हो जाएगा वह एक लाख रुपये के पुरस्कार की हकदार हो जाएगी। अनेक कोलियरियों वाली जिस परियोजना को ऐसी ही सफलता

मिलेगा उसे 2 लाख रुपये का पुरस्कार दिया जाएगा। अनेक परियोजनाओं वाले जिस एरिया में किसी घातक दुर्घटना या गंभीर चोट के बिना ही उत्पादन लक्ष्य पूरा हो जायेगा उसे 5 लाख रुपये का पुरस्कार दिया जायेगा। यदि उपर्युक्त सफलता किसी छोटी दुर्घटना के हुए बिना ही मिलेगी तो पुरस्कार की धनराशि बढ़ा कर दुगनी कर दी जायेगी।

कोल इंडिया लि० की अन्य सहायक कम्पनियों को भी सलाह दी गई है कि सुरक्षा प्रबन्ध बेहतर करने की दृष्टि से प्रोत्साहन योजनाएं तैयार करें।

(ग) कुछ चुने हुए खान कामगारों और अधिकारियों को बचाव और प्राथमिक सहायता का प्रशिक्षण दिया जाता है। बचाव और प्राथमिक सहायता प्रतियोगिताओं में भाग लेने से ऐसे प्रशिक्षण कार्यक्रमों को प्रोत्साहन मिलता है। कामगारों की व्यावसायिक प्रशिक्षण संबंधी आवश्यकताओं के संबंध में, प्रशिक्षश की किस्म पर विशेष ध्यान देते हुए समय-बद्ध कार्य योजनाएं तैयार की जाती हैं और कार्यान्वित की जाती हैं। सुरक्षा व्यवस्था बेहतर करने के दीर्घकालीन उपाय के रूप में ऐसी विस्तृत प्रशिक्षण योजनाएं शुरू की गई हैं जिनसे कामगार सुपरवाइजरों और अधिकारियों की व्यावसायिक कुशलता बढ़ती है। यह योजनाएं उनके ज्ञान और कुशलता को लगातार उच्चतर करते रहने और उसे अद्यतन करते रहने की दृष्टि से बनाई जाती है।

राज्यों की राजधानियों में दूरदर्शन केन्द्रों की स्थापना

1804. **श्री सत्य नारायण जटिया** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन राज्यों की राजधानियों के नाम क्या हैं जहाँ दूरदर्शन केन्द्र स्थापित नहीं किए गये हैं ;

(ख) क्या उन राज्यों की राजधानियों में दूरदर्शन केन्द्र स्थापित करने के लिए कोई योजनाबद्ध कार्यक्रम बनाया गया है जिनमें यह सुविधा उपलब्ध नहीं है और यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ;

(ग) मध्य प्रदेश में ऐसे बड़े नगरों, जिनमें नगर-निगम के अधीन क्षेत्र भी शामिल हैं, के नाम क्या हैं, जिन्हें दूरदर्शन क्षेत्र के अन्तर्गत लाये जाने का विचार है और उन स्थानों पर यह सुविधा कब तक उपलब्ध कराए जाने की संभावना है ; और

(घ) प्रस्तावित भोपाल और इन्दौर दूरदर्शन केन्द्रों की प्रसारण-रेंज क्या होगी तथा वहाँ दूरदर्शन केन्द्र कब तक स्थापित कर दिए जाएंगे और क्या एशियाई खेलों के दौरान प्रसारित कार्यक्रमों को भी वहाँ देखा जा सकेगा ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री वसन्त साठे) : (क) एक विवरण संलग्न है।

(ख) जी, हां। गुजरात, केरल, असम और कर्नाटक के राज्यों की राजधानियों में दूरदर्शन केन्द्र स्थापित करने की व्यवस्था छठी योजना में की गई है। इसके अलावा, योजना आयोग ने उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में दूरदर्शन सेवा उपलब्ध करने के लिए छठी योजना में 7 करोड़ रुपये का परिव्यय स्वीकृत किया है। शेष राज्यों की राजधानियों में दूरदर्शन केन्द्रों की स्थापना के लिए एक भावी योजना तैयार की गई है। इस योजना का कार्यान्वियन संसाधनों की उपलब्धता और सापेक्ष प्राथमिकताओं पर निर्भर करेगा।

(ग) और (घ) फिलहाल, मध्य प्रदेश में केवल भोपाल और इन्दौर में ही दूरदर्शन केन्द्र स्थापित करने का प्रस्ताव है। तथापि, उनकी स्थापना संसाधनों और उपकरणों की उपलब्धता पर निर्भर करेगी। चालू हो जाने पर इन ट्रांसमीटरों की सेवा परिधि लगभग 70 किलोमीटर होगी।

विवरण

जिन राज्यों की राजधानियों में दूरदर्शन केन्द्र अभी तक स्थापित नहीं किए गये हैं उनके नामों को दर्शाने वाला विवरण

क्रम संख्या	राज्यों की राजधानियाँ	राज्य
1	2	3
1.	अहमदाबाद	गुजरात
2.	अगरतला	त्रिपुरा
3.	भोपाल	मध्य प्रदेश
4.	भुवनेश्वर	उड़ीसा
5.	चंडीगढ़	पंजाब और हरियाणा
6.	गोहाटी	असम
7.	गंगतोक	सिक्किम
8.	इम्फाल	मणिपुर
9.	कोहिमा	नागालैंड
10.	पटना	बिहार
11.	शिमला	हिमाचल प्रदेश

1	2	3
12.	शिलांग	मेघालय
13.	त्रिवेन्द्रम	केरल

नोट : उपरि उल्लिखित राज्यों में से कुछ राज्यों में दूरदर्शन केन्द्र उनकी राजधानियों से भिन्न स्थानों पर हैं ;

1.	पंजाब	जलंधर / अमृतसर
2.	गुजरात	पिज
3.	उड़ीसा	सम्बलपुर
4.	बिहार	मुजफ्फरपुर

बड़े समाचार पत्रों को डी० ए० वी० पी० विज्ञापनों में कटौती

1805. **श्रीमती किशोरी सिन्हा** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डी. ए. वी. पी. को बड़े समाचार पत्रों को विज्ञापन राशि की प्रतिशतता घटाने के लिए कोई आदेश जारी किए गए हैं ; और

(ख) यदि नहीं, तो क्या कोई प्रस्ताव विचाराधीन है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री वसंत साठे) : (क) जी, हां । 1-10-1980 से लागू वर्तमान विज्ञापन नीति में सरकारी विज्ञापनों के मामले में छोटे और मझोले समाचार पत्रों को उपयुक्त उपलक्ष-धन (वेटेज) रियायत देने के लिए नीति मार्गदर्शी सिद्धान्त शामिल हैं । अब यह निर्णय लिया गया है कि बड़े और मझोले/लघु समाचार पत्रों को विज्ञापन 40:60 के अनुपात में रिलीज किए जाने चाहिए ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

हिमालय क्षेत्र में शारदा की जल विद्युत क्षमता का पता लगाना

1806. **श्री गुलाम मोहम्मद खां** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उत्तर प्रदेश के हिमालय क्षेत्र में शारदा की जल विद्युत क्षमता का लाभ उठाने के लिए कोई कार्यक्रम बनाया है ;

(ख) यदि हां, तो इस परियोजना से कितनी पन-बिजली पैदा होगी ; और

(ग) धौलीमंगा परियोजना का कार्य शुरू होने पर वनों का संरक्षण और परिस्थिति विज्ञान संबंधी संतुलन को किस प्रकार बनाए रखने के लिए क्या विशेष कदम उठाए गए हैं ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) और (ख) प्रारंभिक अध्ययनों के आधार पर उत्तर प्रदेश की सरकार ने शारदा घाटी में कुछेक जल विद्युत परियोजनाओं का पता लगाया है। प्रस्तावित स्कीमों की कुल प्रतिष्ठापित क्षमता 3340 मेगावाट बताई गई है। शारदा घाटी में धौलीमंगा और टनकपुर परियोजनाओं के अन्वेषण संबंधी कार्य राष्ट्रीय जल विद्युत निगम के माध्यम से केन्द्रीय क्षेत्र में हाल में लिए गए हैं।

(ग) परियोजना संबंधी प्रस्तावों को तैयार करते ससय वनों के संरक्षण तथा परिस्थितिक संतुलन के अनुरक्षण के लिए आवश्यक उपायों को समुचित रूप से ध्यान में रखा जायेगा।

घटिया स्तर के लुब्रीकेन्ट्स की बिक्री

1807. **डा० ए० यू० आजमी** : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पेट्रोल पम्पों द्वारा बेचे जा रहे लुब्रीकेन्ट्स प्रायः घटिया स्तर के होते हैं जिनके कारण वाहनों को नुकसान पहुंचता है और 100,200 ग्राम के छोटे सील बन्द डिब्बों के उपलब्ध न होने के कारण लोगों को विवश होकर खुले लुब्रीकेन्ट्स खरीदने पड़ते हैं ;

(ख) यदि हां, तो पेट्रोल पम्पों द्वारा बेचे जा रहे लुब्रीकेन्ट्स की किस्म की जांच के लिए तथा देश में पेट्रोल पम्पों के पास छोटे डिब्बों में इन्हें उपलब्ध कराने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ; और

(ग) यदि नहीं ; तो उसके क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री पी० शिवशंकर) : (क) पेट्रोल पम्पों पर बेचे जाने वाले स्नेहक तेल कम्पनियों द्वारा सप्लाई किए जाते हैं तथा मानक विनिर्देशनों के होते हैं। 500 तथा 1000 मि० ली० क्षमता वाले सील किए हुए बन्द डिब्बे सामान्यता पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होते हैं। प्रमुख तेल कम्पनियां छोटे बन्द डिब्बो में स्नेहक तेलों का विपणन नहीं करती है।

(ख) स्नेहक तेलों के लिए "अनुशासन योजना" के अन्तर्गत तेल कम्पनियों के स्टाक द्वारा पेट्रोल पम्पों पर अचानक जांच की जाती है तथा स्नेहकों के पैकड तथा बल्क दोनों भण्डारों के नमूने लिए जाते हैं तथा तेल कम्पनियों की प्रयोगशालाओं में इनकी किस्म की जांच के लिए विश्लेषण किया जाता है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि पर्याप्त भण्डार उपलब्ध हैं, तेल कम्पनियों के

क्षेत्र स्टाफ द्वारा पेट्रोल पम्पों पर छोटे बन्द डिब्बों की उपलब्धता की भी जांच की जाती है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

राजस्थान में डाकघर तथा तारघर खोलना

1808. **श्री जयनारायण रौत** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान राज्य के आदिवासी क्षेत्रों में उन स्थानों के नाम क्या हैं जहां चालू वर्ष के दौरान डाकघर तथा तारघर खोले जाएंगे ; और

(ख) इस प्रयोजन के लिए कितनी धनराशि आबंटित करने का विचार है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) राजस्थान राज्य के जनतन्त्रीय क्षेत्रों में चालू योजना के दौरान जिन स्थानों पर डाकघर तथा तारघर खोले जाने हैं, उनके नाम निम्न प्रकार हैं :

डाकघर

डूंगरपुर जिले के कोटरा, झनियारा, डूंगर शारन, गमरी, रथ धमरी, टाण्डा-मंगला, अन्नपुरा, देव-सोमनाथ तथा सुरजा-जी का गड़ा । सिरोही जिले में दोयत्रा । चित्तौड़गढ़ जिले में कनोरा, मोपई, मचन्द्रा तथा सलरपुर कला तथा उदयपुर जिले में सारे ।

तारघर

किरवार, छोटी सरवान, अंजना, तेजपुर, सारवान, करावारा, लवनिया, केसरियावाद, छावनी, कुवान, बुन्देवारा, जलाई, पलनिधवा, कोटरी तथा तेजपुर ।

डाकघर

(ख) निधि के आवंटन के उद्देश्य से सामान्यता इस बात पर ध्यान दिया जाता है कि पहले वर्ष डाकघर की औसत अवधि 6 महीने है। इस आधार पर लगभग 87,500 रु० की आवश्यकता होने का अनुमान है।

तारघर

पृथक कार्यों के लिए खास तौर पर नीधि की मंजूरी नहीं दी जाती है। उपरोक्त वर्णित कार्य सहित पूरी सर्किल को एक साथ ही सभी कार्यों हेतु निधि का आबंटन किया जाता है।

बिहार में कम विद्युत उत्पादन के कारण
और उसे बढ़ाने के लिए कदम

1809. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि बिहार में कम

विद्युत उत्पादन और विद्युत की अत्यधिक कमी के निश्चित कारण क्या हैं और बिहार तथा संपूर्ण देश में अधिकतम उत्पादन सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : बिहार एक ताप विद्युत प्रणाली प्रधान राज्य है, तथा राज्य में विद्युत की कमी मुख्य रूप से पतरातू और बरौनी ताप विद्युत केन्द्रों के असन्तोषजनक कार्यनिष्पादन के कारण है। राज्य में ऊर्जा की आवश्यकता प्रतिदिन लगभग 12 मिलियन यूनिट है जबकि इसकी तुलना में विद्युत उपलब्धता 8 मिलियन यूनिट प्रतिदिन है। फरातू तथा बरौनी ताप विद्युत केन्द्रों के कार्य निष्पादन में सुधार करने की दृष्टि से कई उपाय किए गए हैं। इनमें निम्नलिखित शामिल हैं :

(1) पतरातू ताप विद्युत केन्द्र के लिए रूसी विशेषज्ञों की सेवाएं प्राप्त की गई हैं।

(2) स्वदेशी और विदेशी स्रोतों से फालतू पुर्जों की व्यवस्था की जा रही है।

(3) कृतिक बल द्वारा जिसमें के० वि० प्रा०, भेल तथा आई० एल० के० के अधिकारी शामिल हैं, पतरातू ताप वि० केन्द्र में भेल की 110 मेगावाट की यूनिट के लिए एक कार्यवाही की योजना तैयार की जा रही है।

(4) बरौनी ताप विद्युत केन्द्र के लिए एक संयंत्र सुधार कार्यक्रम तैयार किया गया है।

(5) भारी वर्षा के मामले में कोयला का गारा तथा पेस्ट बनने से रोकने के लिए कोयले का भण्डार तैयार किया जा रहा है।

देश में विद्युत उपलब्धता में सुधार करने की दृष्टि से छठी योजना अवधि के दौरान 20000 मेगावाट की सीमा तक तेजी से क्षमता में वृद्धि करने का कार्यक्रम बनाया गया है। ताप विद्युत केन्द्रों के कार्य निष्पादन तथा ताप विद्युत उत्पादन में सुधार करने के लिए अन्य कई उपाय भी किए गए हैं। ऊर्जा की अधिकता वाले राज्यों से ऊर्जा की कमी वाले राज्यों को सहायता का प्रबन्ध भी किया जा रहा है।

चालू वर्ष के लिए कोयला उत्पादन का लक्ष्य

1810. **श्री राम स्वरूप राम** : क्या उर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वित्तीय बर्ष के लिये कोयले के उत्पादन के क्या लक्ष्य नियत किये गये हैं; और

(ख) क्या सरकार ने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिये तथा आम आदमी को सस्ती दर पर कोयले की सप्लाई के लिए कोई ठोस कार्यक्रम तैयार किया है और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरे क्या हैं ?

ऊर्जा मंत्रालय के कोयला विभाग में राज्य मंत्री (श्री गार्गी शंकर मिश्र) : (क) वर्ष 1982-83 के दौरान कोयला उत्पादन का लक्ष्य 135.50 मि० टन है।

(ख) लक्ष्य पूरा करने के लिए अनेक कदम उठाए जा रहे हैं। इन कदमों में यह शामिल हैं—आधारभूत सुविधाओं में सुधार, नई खानों की स्वीकृति, बंगाल—बिहार कोयला क्षेत्रों में गृहीत विद्युत उत्पादक यूनिटों को लगाना, कोयला खनन के लिए भूमि अधिग्रहण में शीघ्रता करना और कर्मचारियों और मशीनरी की उत्पादकता में सुधार।

घरेलू ईंधन के रूप में प्रयोग किए जाने वाले कोयले और साफ्ट कोक का उत्पादन देश में मांग पूरा करने के लिये पर्याप्त है। परिवहन की अड़चनें खत्म करने के लिए कोयला कम्पनियां रेल द्वारा कोयले के संचलन में सुधार के लिये सभी स्तरों पर रेलवे के साथ लगातार संपर्क रखती हैं। कोल इंडिया ने देश के विभिन्न उपभोक्ता केन्द्रों में 52 टालें डम्प भी खोल दी हैं। यह टालें (डम्प) उपभोक्ताओं को उचित कीमतों पर अधिक कोयला और कोक उपलब्ध कराने की दृष्टि से खोली गई हैं। जिस कीमत पर कोल इंडिया साफ्टकोक बेचती है उसमें आर्थिक राज-सहायता है।

कृष्णा-गोदावरी बेसिन में छिद्रण

1811. **श्रीमती उषा प्रकाश चौधरी** : क्या **पेट्रोलियम रसायन, और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कृष्णा गोदावरी बेसिन में प्रारम्भिक छिद्रण कार्यों से सिद्ध हुआ है कि वहां तेल की संभावना है।

(ख) यदि हां, तो वहां चल रहे वर्तमान कार्यों का ब्यौरा क्या है और भविष्य की योजनाएं क्या हैं ;

(ग) क्या कृष्णा-गोदावरी बेसिन में तेल का पता लगाने के लिए विश्व बैंक से ऋण लेने हेतु बातचीत चल रही है ; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) अपतटीय एवं तटीय दोनों कूपों में हाइड्रोकार्बन होने के संकेत मिले हैं। तथापि अभी तक किसी व्यापारिक क्षेत्र का पता नहीं चला है।

(ख) वर्तमान में, तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग तटीय क्षेत्रों में दो स्थलों अर्थात नरसापुर-2 तथा राजोल-1 में व्यधन कार्य कर रहा है। अपतटीय क्षेत्र में अभी हाल ही में एक कूप जी. एस. 3-1 का 4092 मीटर तक व्यधन करके पूरा किया गया है। कूप में परीक्षण के दौरान गैस के चिन्हों

सहित केवल जब उत्पन्न हुआ था । रिग को बेसिन में अन्य स्थल अर्थात जी-13-1 पर ले जाया गया है ।

बेसिन के तटीय भाग में वर्तमान में 2 रिगों के लगाये जाने से तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग का 1982-83 के दौरान (अन्तिम भाग में) रिगों को बढ़ाकर 3 करने का 1983-84 के दौरान 4 तथा 1984 के दौरान 5 करने का प्रस्ताव है । अपतटीय क्षेत्र में अन्वेषणात्मक व्यधन को तेज करने के लिए 1982-83 के अन्त में एक और रिग लगाये जाने का प्रस्ताव है ।

(ग) और (घ) जी हां, प्रायोजना की विदेशी मुद्रा लगाने के एक भाग की वित्त व्यवस्था करने के लिये बातचीत का अन्तिम दौर जून 1982 के अन्तिम सप्ताह में हुआ था । ऋण की धनराशि लगभग 165.50 मि० यू. एस. होने की आशा है ।

अखबारी कागज का वितरण

1812. **श्री मोहम्मद असरार अहमद** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सावधिक पत्रिकाओं और समाचारपत्रों के प्रकाशकों तथा मालिकों को पत्रिका अथवा समाचारपत्र के प्रथम संस्करण के प्रकाशित होने के लगभग छह महीने के बाद अखबारी कागज आवंटित और वितरित किया जाता है ; यदि हां, तो इतनी अधिक अवधि के बाद अखबारी कागज देने के क्या कारण हैं ;

(ख) क्या यह सच है कि इन पत्रों में सरकारी विज्ञापन लगभग छह महीने के बाद ही दिए जाते हैं, यदि हां, तो कितने विज्ञापन दिए जाते हैं ;

(ग) क्या सरकार को मालूम है कि इन पत्रों और पत्रिकाओं की मुद्रण और प्रकाशन की उच्च लागत के कारण इनमें से अधिकांश पत्र और पत्रिकाएं अपने पैरों पर खड़े होने से पूर्व ही समाप्त हो जाते हैं ; और

(घ) यदि हां, तो इन कठिनाइयों को दूर करने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री वसन्त साठे) : (क) और (ख) जी, नहीं । अखबारी कागज आवंटन नीति के अनुसार, नए/प्रस्तावित समाचारपत्र अपना प्रकाशन शुरू करने से पहले भी अखबारी कागज के अग्रिम आबंटन के पात्र हैं । इस प्रकार के आबंटन अनन्तिम आधार पर किए जाते हैं तथा उन्हें बाद में समंजित किया जाता है । तथापि, इस प्रकार के समाचारपत्र निरन्तर और नियमित प्रकाशन के चार मास पूरा कर लेने के बाद ही सरकारी विज्ञापन प्राप्त करने के पात्र बनते हैं ।

(ग) समाचारपत्रों के केवल मुद्रण और प्रकाशन की उच्च लागत के कारण ही बन्द होने के कोई विशिष्ट उदाहरण सरकार के ध्यान में नहीं आए हैं ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

अधिष्ठापित क्षमता विद्युत उत्पादन और मांग

1813. **श्री एल० टी० पाटिल** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) (i) अधिष्ठापित क्षमता और (ii) मांग के संदर्भ में वर्ष 1981-82 के दौरान विद्युत उत्पादन में राज्यवार कितनी कमी आई है ;

(ख) सामान्यतया इसके कारण क्या हैं और विशेषकर प्रशासनिक कठिनाइयां और अक्षमताएं इसके लिए कहां तक उत्तरदायी हैं ;

(ग) इस स्थिति से अर्थव्यवस्था और योजना पर क्या कुप्रभाव पड़ा है ; और

(घ) अधिष्ठापित क्षमता की पूरी सीमा तक विद्युत उत्पादन को सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने क्या उपाय किए हैं ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) वर्ष 1981-82 के दौरान विद्युत उत्पादन क्षमता तथा ऊर्जा उत्पादन के बारे में राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण एक में दिया गया है। वर्ष 1981-82 के दौरान ऊर्जा की आवश्यकता और उपलब्धता के बारे में राज्य-वार ब्यौरा विवरण-दो में दिए गए विवरण में दिया गया है।

(ख) और (ग) वर्ष 1981-82 के दौरान पिछले वर्ष की तुलना में ऊर्जा उत्पादन में 10.2 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। इससे देश में 1979-80 के दौरान विद्युत की कमी 16.1 प्रतिशत से घटकर 1981-82 के दौरान 10.9 प्रतिशत रह गई। सीमान्त विद्युत कमी की परिस्थितियों का सामना करने की दृष्टि से विभिन्न श्रेणियों के उपभोक्ताओं को की जाने वाली विद्युत सप्लाई विद्युत कटौतियां/प्रतिबन्ध लगाकर नियंत्रित की गयी हैं ताकि कृषि तथा महत्वपूर्ण औद्योगिक क्षेत्र को पर्याप्त विद्युत सुनिश्चित की जा सके।

(घ) ताप विद्युत संयंत्रों की क्षमता समुपयोजन में सुधार करने के लिए काफी संख्या में उपाय किए गए हैं। इनमें ये उपाय शामिल हैं :

(1) संयंत्र सुधार कार्यक्रम तैयार करने और आरम्भ करने के लिए राज्य बिजली बोर्डों/विद्युत केन्द्रों को सहायता।

(2) बन्दी की अवधियों को कम करने के लिये सुरक्षात्मक अनुरक्षण तकनीक अपनाना।

(3) स्वदेशी तथा विदेशी स्रोतों से अतिरिक्त पुर्जों की व्यवस्था करना।

(4) अपेक्षित गुणवत्ता तथा मात्रा में कोयले की व्यवस्था।

(5) शीघ्र स्थिरीकरण तथा बेहतर कार्य निष्पादन के लिए, विशेषकर 110/120 तथा 200/210 मेगावाट की यूनिटों के लिए कृतिक बलों का गठन करना।

(6) प्रचानल प्रक्रियाओं की मोनटरिंग करने तथा सलाह देने के लिए के० वि० प्रा० से प्रचालन विशेषज्ञों के भ्रमणकारी दलों के दौरों की व्यवस्था करना तथा

(7) विद्युत केन्द्रों के इंजीनियरों और प्रचालन तथा अनुरक्षण कार्मिकों को प्रशिक्षण देना।

विवरण-एक

1981-82 के दौरान देश में विद्युत सप्लाई की राज्य-वार स्थिति दिखाने वाला विवरण

(आंकड़े मि० यूनिट में)

राज्य का नाम	आवश्यकता	उपलब्धता	कमी	कमी/अधिशेष
1. हरियाणा	4089	3972	(—) 117	(—) 2.9
2. हिमाचल प्रदेश	386	387	(+) 1	(+) 0·3
3. जम्मू व कश्मीर	1042	1067	(+) 25	(+) 2.4
4. पंजाब	6487	5776	(—) 711	(—) 11.0
5. राजस्थान	4990	4219	(—) 771	(—) 15.5
6. उत्तर प्रदेश	15149	11781	(—)1360	(—) 22.2
7. दिल्ली	3110	3282	(+) 72	(+) 2.3
8. चण्डीगढ़	244	249	(+) 5	(+) 2.0
9. गुजरात	9976	10132	(+) 156	(+) 1.6
10. मध्य प्रदेश	7057	6448	(—) 609	(—) 8.6
11. महाराष्ट्र	22595	18583	(—)4312	(—) 10.1
12. गोआ	475	320	(—) 155	(—) 32.6
13. आन्ध्र प्रदेश	7420	8117	(+) 689	(+) 9.3
14. कर्नाटक	8559	7873	(—) 686	(—) 8.0
15. केरल	3571	3899	(+) 328	(+) 9.2
16. तमिल नाडु	11704	11338	(—) 366	(—) 3.1
17. पांडिचेरी	180	180	—	—
18. बिहार	4023	2527	(—)1516	(—) 37.5
19. प० बंगाल	7140	5553	(—)1587	(—) 22.2
20. दा० धा० नि०	5481	4666	(—) 815	(—) 14.9
21. उड़ीसा	3321	3513	(+) 192	(+) 5.8
22. सिक्किम	36	27	(—) 9	(—) 25.0
23. उत्तर-पूर्वी क्षेत्र	1367	1175	(—) 192	(—) 14.0
अखिल भारत	129245	115274	(—)13971	(—) 10.8

(—) कमी
(+) अधिशेष

विवरण-दो

1981-82 के दौरान राज्यवार विद्युत उत्पादन क्षमता (ह्रासित) तथा ऊर्जा का उत्पादन दिखाने वाला विवरण

राज्य/प्रणाली का नाम	क्षमता (ह्रासित) (मेगावाट)	उत्पादन (मिलियन यूनिट)
भाखड़ा प्रबन्ध बोर्ड	1205	6089
ब्यास निर्माण बोर्ड	900	4384
हिमाचल प्रदेश	300	625
जम्मू और कश्मीर	197.5	786
दिल्ली	1030.5	3643
हरियाणा	420	1323
पंजाब	578	2139
राजस्थान	711	1715
उत्तर प्रदेश	3926.4	12563
गुजरात	2404	10207
मध्य प्रदेश	1677.5	7035
महाराष्ट्र	4765.5	20813
आन्ध्र प्रदेश	2269.2	9331
कर्नाटक	1712.2	7144
केरल	1011.5	5539
तमिलनाडु	2929	11226
बिहार	915	2551
दामोदर घाटी निगम	1571.5	6001
उड़ीसा	990	3159
पश्चिम बंगाल	1569	5509
सिक्किम	12	15
असम	312.5	709
मेघालय, त्रिपुरा और नागालैण्ड	136.7	419
अखिल भारत	31535	122925

एल० पी० जी० विस्फोट से हुई दुर्घटनाएं

1814. **श्रीमती गीता मुखर्जी :** क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली तथा अन्य महत्वपूर्ण शहरों में वर्ष 1981 के दौरान एल. पी. जी. विस्फोटों के कारण कितनी दुर्घटनाएं हुईं तथा इन दुर्घटनाओं के कारण कितने व्यक्ति मरे, घायल हुए और कितनी संपत्ति की हानि हुई ; और

(ख) एल. पी. जी. प्रयोक्ताओं की सुरक्षा के लिए क्या उपाय किए जाने का विचार है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री पी० शिवशंकर) : (क) विस्फोटकों के मुख्य नियंत्रक ने 1981 के दौरान देश में दिल्ली और अन्य महत्वपूर्ण शहरों में कुकिंग गैस (एल. पी. जी.) सिलेण्डरों से हुई कुल 47 दुर्घटनायें रिपोर्ट की हैं । इन दुर्घटनाओं में कुल 22 व्यक्तियों के मर जाने और 50 व्यक्तियों के जख्मी हो जाने का बताया गया । सम्पत्ति हानि के अनुमान की सूचना शीघ्र उपलब्ध नहीं है ।

(ख) तेल कम्पनियों द्वारा पहले से ही निम्नलिखित कदम उठाए गये हैं :—

1. सिलेण्डरों की उचित रूप से रख-रखाब देखभाल के सम्बन्ध में निर्देश कार्ड/पुस्तिकाएं उपलब्ध कराके ग्राहकों का प्रशिक्षण ।

2. एल. पी. जी. के सुरक्षित प्रयोग पर फिल्में दिखाना ।

3. एल. पी. जी. सिलेण्डरों के उचित रख-रखाव में डिस्ट्रीब्यूटर के कर्मचारियों और डिलीवरी करने वाले लड़कों को प्रशिक्षण ।

4. जब सिलेण्डर पुनः भरने के लिए आते हैं तो उनके बाल्बों के निरीक्षण और अनुरक्षण के लिए सख्त निर्देश जारी करना ।

5. डिस्ट्रीब्यूटर स्तर पर अनधिकृत गतिविधियों पर अधिक सतर्कता रखना ।

6. अधिक सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए दीर्घ-अवधि उपाय के रूप में वर्तमान में एल. पी. जी. सिलेण्डरों में प्रयोग में लाए जा रहे "एफ" किस्म के बाल्वों को स्वयं—बन्द होने वाले किस्म के बाल्वों से प्रतिस्थापित करने के लिए तेल कम्पनियों ने कदम उठाए हैं । उपर्युक्त पहलुओं पर अधिक ध्यान देने के लिए तेल कम्पनियों को अनुदेश दोहराए गए हैं ।

उद्योगों की बिजली संबंधी राज सहायता

1815. **श्री तारिक अनवर :** क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न उद्योगों में विभिन्न लघु, मध्यम और बड़ी इकाइयों को बिजली संबंधी राज-सहायता का, राज्य-वार ब्योरा क्या है ; और

(ख) गैर पिछड़े हुए तथा अधिसूचित पिछड़े हुए क्षेत्रों में स्थित विभिन्न आकारों की इकाइयों के लिए बिजली की प्रति यूनिट दरों का राज्य-वार ब्योरा क्या है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

परिधान निर्यात संवर्द्धन परिषद

1816. **श्री अशफाक हुसैन :** क्या विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री परिधान निर्यात संवर्द्धन परिषद के बारे में 20-4-1982 के अतारांकित प्रश्न संख्या 8543 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किस तारीख को क्षेत्रीय निदेशक, कम्पनी विधि मंडल, कानपुर ने परिधान निर्यात संवर्द्धन परिषद को सुधारात्मक कार्यवाही करने के लिए लिखा था, जैसा कि उपर्युक्त उत्तर में बताया गया है ;

(ख) क्या अनुपालन के लिए कोई समय सीमा निर्धारित की गई थी, और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) किन तारीखों को क्षेत्रीय निदेशक ने प्रशासनिक मंत्रालय, वाणिज्य मंत्रालय को इस सुधारात्मक कार्यवाही सम्बन्धी विषय पर अथवा अनुच्छेदों में अन्य संशोधनों के लिए लिखा था ;

(घ) क्या मंत्रालय से कोई उत्तर प्राप्त हुआ था, यदि हां, तो किस तारीख/तारीखों को ;

(ङ) क्या इस कम्पनी ने उपर्युक्त भाग (क) तथा (ख) के सम्बन्ध में कोई कार्यवाही की ;

(च) उपर्युक्त भाग (क) में वर्तमान स्थिति क्या है ; और

(छ) क्या किसी अन्य सरकारी विभाग को कम्पनी अधिनियम के अधीन किसी मामले पर सिफारिश करने अथवा निर्णय लेने का अधिकार है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० ए० रहीम) : (क) तथा (ख) प्रादेशिक निदेशक, कम्पनी कार्य विभाग, कानपुर ने परिधान निर्यात संवर्द्धन समिति को दिनांक 14-4-1982, 30-4-1982 तथा 7-7-1982 को पत्र लिखे थे। जबकि दिनांक 14-4-1982 के पत्र में समिति को तत्काल पालन करने के लिए कहा गया था, वहां, दिनांक 30-4-1982 के पत्र में 10 दिन की समय सीमा सूचित की गई थी।

(ग) तथा (घ) प्रादेशिक निदेशक, कानपुर द्वारा ऊपर कथित समिति को लिखे गये दिनांक 7-7-1982 के पत्र की एक प्रति वाणिज्य मंत्रालय को भी भेजी गई थी। इस विषय पर एक अंतः विभागीय बैठक का आयोजन भी किया गया था एवं कथित मंत्रालय से दिनांक 9-7-1982 को उत्तर प्राप्त हो गया है।

(ङ) तथा (च) कम्पनी ने बताया है कि इसके सदस्यों के अनेक वर्गों के मध्य विभेदकारी मताधिकारों का मामला, दिल्ली उच्च-न्यायालय में एक बाद का विषय है तथा इस मामले के निर्णयाधीन होने से, प्रादेशिक निदेशक द्वारा आगे कार्यवाही को आस्थगित रक्खा जाए।

(छ) कम्पनी अधिनियम के लागूकरण से सम्बन्धित मामलों पर अन्तत: इस अधिनियम के अन्तर्गत विहित प्राधिकारियों द्वारा ही निर्णय किए जाएगे।

लखनऊ में विभिन्न टेलीफोन केन्द्रों में लगाए गए उपकरणों का कार्यकाल

1817. **श्री राम लाल राही** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें तथ्य की जानकारी है कि लखनऊ संचार सर्किल के अधीन विभिन्न टेलीफोन केन्द्रों में लगाए गए टेलीफोन उपकरणों का कार्यकाल 1954 में ही समाप्त हो चुका था लेकिन उनका अभी भी उपयोग किया जा रहा है जिसके परिणामस्वरूप इनमें निरन्तर दोष आ रहे हैं तथा उपभोक्ताओं को अत्यधिक कठिनाई हो रही है ; और

(ख) यदि हां, तो इस सर्किल के अधीन उन टेलीफोन केन्द्रों की संख्या कितनी है जिनका कार्यकाल 20 वर्ष था लेकिन जिन्हें 30 वर्ष से भी अधिक समय से उपयोग में लाया जा रहा है, तथा उन्हें अभी तक न बदलने के क्या कारण हैं और इस सम्बन्ध में पूर्ण ब्यौरा क्या है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी, नहीं।

(ख) उपस्कर की सामान्य अवधि 25 वर्ष है। उत्तर प्रदेश सर्किल में स्थापित सबसे पुराने मेन आटो एक्सचेंज जो कि निर्धारित अवधि पूरी कर चुके हैं, निम्नलिखित हैं :—

इलाहबाद 700 लाइन	—	1954
कानपुर 2000 लाइन	—	1954

देश में अपनी कार्य अवधि पूरी करने वाले सभी एक्सचेंजों को तुरन्त बदलने के लिए पर्याप्त उपस्कर उपलब्ध नहीं हैं। उपस्कर की उपलब्धता के आधार पर यह कार्य उत्तरोत्तर किया जा रहा है। इस दौरान पर्याप्त अनुरक्षण द्वारा इन एक्सचेंजों के कार्यकरण को संतोषजनक रूप में रखा जा रहा है।

तेल और गैस की खोज

1818. **श्री एस० एम० कृष्ण** : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन स्थानों के नाम क्या हैं जहां पिछले तीन महीने के दौरान तेल तथा गैस पाई गई है ;

(ख) पता लगाने ये नए कुओं की क्षमता कितनी है ;

(ग) अगले तीन महीनों के दौरान और कितने कुएं खोदने का विचार है ; और

(घ) क्या यह सच है कि गैस को यथाशीघ्र काम में लाने में तंत्र की असफलता के कारण भारी मात्रा में गैस बेकार जा रही है और जलाई जा रही है?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री पी० शिवशंकर) : (क) तेल और/अथवा गैस **अप्रैल से** जून 1982 तक निम्नलिखित स्थानों पर अन्वेषी कूपों में पाई गई।

राज्य	स्थानों के नाम
असम	लकवा और गेलकी
गुजरात	कलोल, अहमदाबाद, अगनेज जोतना, लिंच और सिसोदरा।
नागालैंड	चेम्पंग
त्रिपुरा	बारामुरा

(ख) व्यक्तिगत कूपों की क्षमता देना जनहित में नहीं होगा।

(ग) 48 कूप

(घ) तेल क्षेत्र के विकास के प्रारंभिक स्तर में, गैस जो तेल उत्पादन के साथ सम्बद्ध होती है को जलाया जाता है जब तक उपयुक्त उपभोक्ताओं की व्यवस्था नहीं होती है। गैस की कुछ मात्रा का जलाया जाना आवश्यक भी हो जाता है अगर वचनबद्ध मात्रा का उठान उपभोक्ताओं द्वारा नहीं किया जाता है अथवा उपकरण मशीनरी रूप से खराब हो जाता है। तथापि, गैस की उपलब्धता और इसके प्रयोगों पर समय-समय पर अध्ययन किए जाते हैं ताकि गैस नष्ट न हो। पेट्रोलियम विभाग द्वारा एक कार्यकारी दल गठित किया गया है जो इनमें हुए किसी प्रकार के परिवर्तनों और समय-समय पर होने वाले परिवर्तनों को ध्यान में रखते हुए इसकी उपलब्धता और इसकी उपयोगिता की जांच निरन्तर करेगी।

औषधियों की कीमतों में वृद्धि

1819. **श्री सत्य साधन चक्रवर्ती** : क्या **पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने श्रेणी चार की औषधियों की कीमतों में 15 प्रतिशत वृद्धि करने की अनुमति दी है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि सभी औषधि निर्माता कीमतों में केवल 15 प्रतिशत की ही वृद्धि करें उससे अधिक नहीं ; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 1979 में उसकी तीसरी अनुसूची के श्रेणी I, श्रेणी III में निर्दिष्ट फार्मूलेशनों के मूल्यों पर नियंत्रण की व्यवस्था है। शेष फार्मूलेशनों पर कोई मूल्य नियंत्रण नहीं है और उत्पादक अपने मूल्य इस प्रकार निर्धारित करने के लिए स्वतंत्र हैं कि फार्मूलेशनों को बिक्री पर कर के भुगतान के पूर्व उनका अधिकतम लाभ औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश 1979 को पांचवीं अनुसूची में यथा निर्दिष्ट प्रतिशतता से अधिक न हो। यदि समग्र लाभ निर्धारित प्रतिशतता से अधिक होता है तो सरकार को औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश 1979 के पैराग्राम 15 के अधीन यह अधिकार प्राप्त है कि वह संबंधित उत्पादक द्वारा बाजार में बेचे जा रहे एक या अधिक फार्मूलेशनों, ऐसे फार्मूलेशनों सहित जिन पर मूल्य नियंत्रण नहीं है, के मूल्य पुनरीक्षित करें। इन तीन मूल्य नियंत्रक श्रेणी के फार्मूलेशनों पर निर्धारित किया गया मार्क अप मूल्य यह सुनिश्चित करता है कि आवश्यक तथा जीवन रक्षक फार्मूलेशन उपभोक्ताओं को उचित तथा उपयुक्त मूल्यों पर उपलब्ध हो।

शान्ति घाटी परियोजना संबंधी प्रतिवेदन

1820. **प्रो० पी० जे० कुरियन**
श्री बी० एस० विजयराघवन
श्री ई० बालानन्दन : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि शान्ति घाटी परियोजना संबंधी विशेषज्ञ समिति के चेयरमैन ने प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है ;

(ख) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इस परियोजना की स्वीकृति में और विलम्ब किए जाने के क्या कारण हैं ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) जी, नहीं। साइलैंट वैली जल-विद्युत परियोजना के संबंध में प्रो० एम. जी. के. मेनन, सदस्य, योजना आयोग की अध्यक्षता में संयुक्त केन्द्र-राज्य समिति की रिपोर्ट की अभी प्रतीक्षा है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

खाना पकाने की गैस की एजेंसियों के आवंटन सम्बन्धी नीति का नवीकरण

1821. **श्री एम० रामगोपाल रेड्डी** : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने खाना पकाने की गैस की एजेंसियों के लिए लाइसेंस जारी करने संबंधी अपनी नीति में परिवर्तन कर दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री पी० शिवशंकर) : (क) जी, नहीं ।

(ख) उपर्युक्त (क) को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता ।

करनाल तथा मैंगलौर में तेल शोधक कारखाने स्थापित करने का प्रस्ताव

1822. **श्री गुलाम रसूल कोचक** : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी क्षेत्र की तीनों तेल कम्पनियां, भारतीय तेल निगम, भारत पेट्रोलियम तथा हिन्दुस्तान पेट्रोलियम, करनाल तथा मैंगलौर में स्थापित किए जाने वाले दो प्रस्तावित मूल तेल-शोधक कारखानों को खोलने का दावा कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो क्या उनके मंत्रालय ने इस प्रस्ताव पर अभी तक विचार नहीं किया है ;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या मुख्य कारण हैं ;

(घ) क्या उनके मंत्रालय को व्यवहार्यता प्रतिवेदन प्राप्त हो चुका है ; और

(ङ) यदि हां, तो उसकी मुख्य सिफारिशें क्या हैं ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) से (ग) दो नई ग्रास रूट शोधनशालाओं के स्वामित्व के प्रश्न पर इस समय सक्रिय रूप से विचार किया जा रहा है और आशा है कि इस मामले पर शीघ्र ही अन्तिम रूप से निर्णय लिया जाएगा ।

(घ) जी, नहीं ।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता ।

आई० डी० पी० एल० के चेयरमैन द्वारा त्यागपत्र

1823. **श्री पी० के० कोडियन** : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इंडियन ड्रग्स एण्ड फार्मेस्युटिकल्स लिमिटेड के चेयरमैन ने त्यागपत्र दे दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा और कारण क्या है ; और

(ग) क्या नये चेयरमैन की नियुक्ति कर ली गई है, यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) इस्तीफा व्यक्तिगत कारणों के आधार पर प्रस्तुत किया गया है और उसे स्वीकार कर लिया गया है।

(ग) जी, नहीं।

केरल में डाक व तार श्रमिकों द्वारा "नियम के अनुसार काम" आन्दोलन

1824. **श्रीमती सुशीला गोपालन** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन कर्मचारियों की संख्या क्या है, जिनके विरुद्ध (एक) नियम 5 सेवा से निकालना, (दो) नियम 5 नोटिस, (तीन) निलम्बन, (चार) नियम 37 स्थानान्तरण, (पांच) दूर के स्थानों में स्थानान्तरण, (छः) नियम 16 चार्ज शीट, (सात), नियम 14 चार्ज शीट (आठ) सेवा में अन्तराल, (नौ) "डाईसनोन" के अधीन केरल में मई, 1982 में डाक तार श्रमिकों द्वारा नियम के अनुसार काम आन्दोलन के बाद कार्यवाही की गई है ;

(ख) श्रमिकों की मांगें क्या थीं ; और

(ग) बड़े पैमाने पर सजा दिए बिना समझौते न किए जाने के क्या कारण हैं ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) मई, 1982 महीने के दौरान नियमानुसार कार्य आन्दोलन के बाद विभाग की डाक एवं दूरसंचार शाखाओं के जिन कर्मचारियों के विरुद्ध कार्रवाई की गई थी उनकी संख्या कुल 2,472 है।

मदवार आंकड़े निम्नानुसार है :—

1. नियम 5 बर्खास्त	5
2. नियम 5 नोटिस	15
3. मुअत्तिल	35
4. नियम 37 संस्थानांतरण	74
5. दूरवर्ती स्थानों पर स्थानांतरण	शून्य
6. नियम 16 चार्ज शीट	161
7. नियम 14 जार्च शीट	14
8. सेवा में अवरोध	580
9. अकार्यदिवस	1580
कुल :	2472

(ख) एवं (ग) कर्मचारी संघों की मांगें दो प्रकार की थीं :—

19-1-82 को अनुपस्थित रहने वाले कर्मचारियों के विरुद्ध की गई कार्रवाई को वापिस लेना तथा विभाग द्वारा अपनाई गई रोटेशनल ट्रांसफर की नीति के अनुरूप कुछ कर्मचारियों के रोटेशनल ट्रांसफर रोकना। जहां तक 19-1-82 को ड्यूटी पर अनुपस्थित रहने के बारे में कार्रवाई का प्रश्न है, संघों को सूचित किया गया कि यदि सम्बन्धित कर्मचारी यह अभ्यावेदन दें कि उनकी अनुपस्थिति हड़ताल के कारण नहीं थी तो उचित राहत देने के लिए उनके अभ्यावेदन पर समुचित विचार किया जा सकता है। रोटेशनल ट्रांसफर का जहां तक प्रश्न है ; इस बारे में संघो को यह बताया गया था कि अंतरिक कर्मचारी उक्त आदेशों का पालन करने के पश्चात् अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत कर सकते हैं और सर्किल अध्यक्ष ऐसे अभयावेदनों पर तेजी से विचार करेंगे। इस प्रकार समझौते का रास्ता खुला रखा गया। फिर भी, संघों ने आन्दोलन का रास्ता अपनाया अतः नियमों के अनुसार कार्रवाई करनी पड़ी।

अनुसूचित जातियों के लिए विशेष संघटक योजना के अन्तर्गत व्यय

1825. **श्री सूरज भान :** क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मंत्रालय में पृथकतः वर्ष 1880-81 और 1981-82 के लिए "विशेष संघटक योजना" के अधीन अनुसूचित जाति के लोगों की उन्नति और विकास के लिए कुल कितनी धनराशि का प्रावधान किया गया है ;

(ख) उपर्युक्त योजना के अन्तर्गत पृथकतः उक्त दो वर्षों के दौरान वास्तव में कितनी धनराशि खर्च की गई है ; और

(ग) प्रत्येक वर्ष के संबंध में, कोई व्यय न करने/कम व्यय करने के क्या कारण हैं ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) देश के संसाधओं के संबंध में नीति निर्धारण विकास और विनियमन तथा देश में कोयला और लिग्नाइट भण्डारों के विकास और उपयोग करने की जिम्मेदारी ऊर्जा मंत्रालय के विद्युत विभाग तथा कोयला विभाग की है। चूंकि मंत्रालय अनुसूचित जाति के विकास से प्रत्यक्ष रूप में संबंध नहीं रखता है, इसलिए मत्रालय के बजट में वर्ष 1980-81 तथा 1981-82 की विशेष 'सघंटक योजना' में इसके लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया था।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

दिल्ली नगर निगम में सफाई कार्य

1826. **श्री मंगल राम प्रेमी :** क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली नगर निगम के डेसू विभाग में सफाई का काम ठेकेदारों के द्वारा कराया

जा रहा है और क्या सरकार ने ठेका प्रणाली, बंधुआ प्रणाली पर प्रतिबंध लगाने के आदेश जारी किए हैं ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं कि सफाई का काम ठेकेदारों से कराया जा रहा है ;

(ग) क्या यह सच है कि सफाई कर्मचारियों का पैनल बनाया गया है ;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं कि पैनल में से नियुक्तियां नहीं की गई हैं ;

(ङ) क्या अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन जातियों के उम्मीदवारों को डेसू में चपरासियों के सभी आरक्षित पदों पर नियुक्त किया गया है ; यदि नहीं तो उसके क्या कारण हैं ;

(च) चपरासी के पद के पैनल में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों के कितने उम्मीदवार हैं ;

(छ) चपरासियों के पदों पर दैनिक मजूरी पर कितने कर्मचारी काम कर रहे हैं ; और

(ज) इसके क्या कारण हैं कि पैनल में से भर्ती नहीं की जा सकी ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) जी हां। डेसू की कुछ कालोनियों में सफाई कार्य ठेके के आधार पर किया जा रहा है। इस प्रणाली को समाप्त करने का निर्णय अप्रैल, 1981 में लिया गया था।

(ख) यह कार्य दिल्ली नगर निगम को सौंपने के लिए दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान और दिल्ली नगर निगम के बीच विचार विमर्श अभी चल रहा है।

(ग) 23 सफाई कर्मचारियों का एक पैनल, जो 15-3-80 को बनाया गया था, 14-3-82 को समाप्त कर दिया गया है।

(घ) पैनल की बढ़ायी गई वैध अवधि के दौरान 23 व्यक्तियों के पैनल में से 17 व्यक्तियों को नियुक्त किया गया है।

(ङ) जी, हां।

(च) 21-9-1981 को बनाए गए चपरासियों के पैनल में 62 अनुसूचित जाति और एक अनुसूचित जनजाति का व्यक्ति है।

(छ) कोई नहीं।

(ज) उपरोक्त भाग (छ) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

तेल के कुओं की खुदाई

1827. **श्री चतुर्भुज** : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तेल की खोज हेतु पूरे देश में दिनांक 30 जून, 1982 तक तेल के कितने कुएं खोदे गए और उनमें से कितने कुओं की खुदाई का काम स्थगित कर दिया गया ;

(ख) क्या सरकार ने तेल के उन कुओं की खुदाई के काम को पुन : शुरू करने का प्रयास किया है ; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरे क्या हैं ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री पी० शिवशंकर) : (क) दिनांक 31 मार्च 1982 तक व्यधन किए गए कूपों की कुल संख्या 2420 थी जिनमें से 572 को छोड़ दिया गया था।

(ख) परित्याग किये गये कूपों में व्यधन कार्य पुनः शुरू नहीं किया गया है चूंकि किसी कूप को त्यागने का निर्णय तभी लिया जाता है जबकि या तो और आगे व्यधन सम्भव न हो या व्यापारिक आधार पर कोई औचित्य सिद्ध न हो।

(ग) प्रश्न नहीं उठना।

राजभाषा नीति के उचित कार्यान्वयन के लिए की गई व्यवस्था

1828. **श्री आर० पी० यादव** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिजली विभाग तथा इसके सम्बद्ध कार्यालयों में केन्द्र की राजभाषा नीति के उचित कार्यान्वयन के लिए क्या व्यवस्था की गई है ;

(ख) बिजली विभाग द्वारा इन कार्यालयों में विभिन्न हिन्दी पदों पर नियुक्त किए गए व्यक्तियों की संख्या तथा प्रत्येक ऐसे व्यक्ति के एक ही स्थान पर ठहरे रहने सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या हिन्दी कार्मिकों की भरती/तैनाती/स्थानान्तरण के सम्बन्ध में सरकार की नीति का उचित ढंग से पालन किया जा रहा है ;

(घ) क्या इस सम्बन्ध में निर्धारित सिद्धान्तों से हट कर कोई कार्य किया गया है जिसके परिणामस्वरूप कार्मिकों का भविष्य अन्धकारमय हो गया है ; और

(ङ) यदि हां, तो सरकारी तन्त्र के इस प्रकार के कार्य करने के लिए कौन जिम्मेदार है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) से (ङ) राजभाषा नीति के कार्यान्वयन से संबंधित कार्य विद्युत विभाग में तथा इसके सम्बद्ध कार्यालय केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण में गठित किए गए हिन्दी अनुभागों को सौंपा गया है। हिन्दी के प्रगामी प्रयोग के बारे में भारत सरकार की नीति की अनुपालना करने के लिए गृह मंत्रालय (राजभाषा विभाग) से समय-समय पर प्राप्त अनुदेशों तथा आदेशों का पूर्णतः अनुपालन किया जाता है। सरकार द्वारा निर्धारित किए गए मानदण्डों के अनुसार अपेक्षित विभिन्न श्रेणियों के कुछ हिन्दी पद विद्युत विभाग में तथा केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण में स्वीकृत किए गए हैं।

क्रम सं०	पदधारी का नाम	वर्तमान पद नाम	ड्यूटी के वर्तमान स्थल पर नियुक्ति की तारीख
1.	**विद्युत विभाग**		
1.	श्री आर० डी० पाठक	हिन्दी अधिकारी	4-6-1982
2.	श्री एस० के० शर्मा	हिन्दी अनुवादक ग्रेड-i	11-12-79
3.	श्री रमेश चन्द	हिन्दी अनुवादक ग्रेड-ii	25-6-76
4.	श्री डी० के० मूलवंशी	हिन्दी अनुवादक ग्रेड-ii	15-12-79
5.	श्री तारा सिंह	हिन्दी अनुवादक ग्रेड-ii	31-10-1979
2.	**केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण**		
1.	श्री रणधीर सिंह	हिन्दी अधिकारी	4-1-1974
2.	श्रीमती सी० के० खट्टर	हिन्दी अनुवादक ग्रेड-i	1-5-1979
3.	श्री ए० के० कुकरेजा	हिन्दी अनुवादक ग्रेड-ii	12-12-1979
4.	श्री एम० जी० वर्मा	हिन्दी अनुवादक ग्रेड-ii	15-12-1979

रंगीन टेलीविजन के ट्रांसमीटर

1829. **श्री जगदीश टाईटलर** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने यह सुनिश्चित करने के लिए अपेक्षित व्यवस्था करली है कि एशियाई खेलों से एक वर्ष के भीतर-भीतर टेलीविजन के छः ट्रांसमीटरों को रंगीन परिवर्तित कर दिया जाएगा ;

(ख) यदि हां, तो टेलीविजन के लिए रंगीन ट्रांसमीटर कहां-कहां स्थापित किये जायेंगे ; और

(ग) परियोजना का ब्यौरा क्या है तथा उस पर अनुमानत: कितनी लागत आएंगी ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री वसन्त साठे) : (क) से (ग) दिल्ली, मसूरी,बम्बई पुणे, मद्रास, बंगलौर, कलकत्ता और जलंधर के 8 टी.वी. ट्रांसमीटरों को एशियाई खेलों से पहले रंगीन परिचालन हेतु परिवर्तित करने के लिए कार्रवाई शुरू कर दी गई है ।

रंगीन परिचालन के लिए 8 ट्रांसमीटरों को परिवर्तित करने की अनुमानित लागत 77.00 लाख रुपये है।

निर्धनों को विधिक सहायता के विषय में विधि मंत्रियों का सम्मेलन

1830. **श्री कुंवर राम** : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) निर्धनों को विधिक सहायता दिए जाने के प्रश्न पर हाल में हुए विधि मंत्रियों के सम्नेलन में क्या निर्णय लिए गए ; और

(ख) इस सहायता कार्यक्रम के अंतर्गत किन-किन राज्यों ने सराहनीय कार्य किया है और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री जगन्नाथ कौशल) : (क) यह विनिश्चय किया गया है कि निर्धनों को विधिक सहायता देने के कार्यक्रमों का क्रियान्वयन और अधिक प्रभावी रूप से सुनिश्चित करने के लिए तथा जहां आवश्यक हो, केंद्रीय विधिक सहायता समिति की वित्तीय सहायता से उसके विस्तार को सुनिश्चित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाए। इस संबंध में जब भी वित्तीय सहायता के लिए अनुरोध प्राप्त होंगे, उन पर विचार किया जाएगा ।

(ख) विधिक सहायता स्कीम कार्यान्वियन समिति द्वारा तैयार की गई आदर्श स्कीम के आधार पर राज्य विधिक सहायता और सलाह बोर्ड आंध्र प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, महाराष्ट्र, उड़ीसा, पंजाब, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और दिल्ली संघ राज्यक्षेत्र में स्थापित किए गए हैं। असम, बिहार, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, जम्मू-कश्मीर, केरल, मध्य प्रदेश, राजस्थान, त्रिपुरा, पश्चिमी बंगाल राज्यों तथा दादरा नागर हवेली, गोवा, दमण और दीव तथा पांडिचेरी संघ राज्यक्षेत्रों की अपनी अलग-अलग विधिक सहाहता स्कीमें हैं। अभी तक कोई सामान्य निर्धारण नहीं किया गया है ।

मार्च, 1979 से कोयले के मूल्य

1831. **श्री रवीन्द्र वर्मा** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मार्च, 1979 में कोक और कोयले के बिक्री मूल्य क्या-क्या थे;

(ख) कोक और कोयले के वर्तमान मूल्य क्या क्या हैं ; और

(ग) वर्ष 1980, 1981 और 1982 में कितनी-कितनी बार मूल्यों में वृद्धि हुई ; किन-किन तारीखों को मूल्य-वृद्धि का निर्णय लिया गया तथा हर बार कितनी-कितनी वृद्धि की गई ?

ऊर्जा मंत्रालय के कोयला विभाग में राज्य मंत्री (श्री गार्गी शंकर मिश्र) : (क) मार्च, 1979 में कोल इंडिया लि० के अकोककर कोयला, कोककर कोयला और हार्ड कोक की प्रति टन खान मुहाना कीमतें क्रमशः रु० 37.90 से रु० 77.75, रु० 63.10 से रु० 100.80 और 170 से रु० 327 के बीच थी। यह कीमतें उनके उष्मा मूल्य और राख के अंश पर निर्भर करती थी। साफ्ट कोक की कीमत रु० 86.00 प्रति टन थी। सिंगरैनी कोलियरीज कम्पनी लि० के मामले में खान-मुहाना कीमत रु० 67.6. प्रति टन थी।

(ख) और (ग) वर्ष 1980 के दौरान कोक और कोयला की कीमतों में कोई वृद्धि नहीं हुई। वर्ष 1981 और 1982 में कीमतों में निम्नलिखित वृद्धि की गई थी :

तारीख जिससे लागू	कोल इंडिया लि० के मामले में लाभदायक ऊष्मा मूल्य और राख के अंश पर निर्भर प्रति टन खान मुहाना कीमत			
	अकोकर कोयला	कोककर कोयला	हार्डकोक	साफ्ट कोक
14-12-81	रु० 48.00 से रु० 165.00 के बीच	रु० 151 से रु० 190 के बीच	रु० 350 से रु० 600 के बीच	रु० 150
27-5-82 (चालू कीमत)	रु० 56.00 से रु० 200.00 के बीच	रु० 172 से रु० 216 के बीच	रु० 400.00 से रु० 950.00 के बीच	रु० 175

सिंगरैनी कोलियरीज कम्पनी लि० के मामले में खान-मुहाना कीमत प्रति टन

तारीख जिससे लागू	नियत कीमत
14-2-1981	रु० 136.85
27-5-1982	रु० 154.75

निर्धनों की विधिक सहायता

18:2. **श्री भीखा भाई** : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पिछले दो वर्षों के दौरान सामान्य तौर पर सारे देश में और विशेष रूप से राजस्थान में निर्धनों को विधिक सहायता देने की योजना के अन्तर्गत कितने लोगों को विधिक सहायता दी गई ?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री (श्री जगन्नाथ कौशल) : अनेक राज्यों में जिसके अन्तर्गत राजस्थान भी है, ऐसे राज्य बोर्ड और स्वेच्छिक संगठन हैं जो निर्धनों की विधिक सहायता देने के कार्य में लगे हुए हैं। केन्द्रीय सरकार इन स्वेच्छिक संगठनों और राज्य बोर्डों को अनुमोदित परियोजनाओं और स्कीमों के लिए सहायता अनुदान, उनसे अनुरोध प्राप्त होने पर देती है। उन व्यक्तियों की, जिन्हें सहायता दी गयी है कुल संख्या के बारे में जानकारी केन्द्रीय सरकार के पास उपलब्ध नहीं है।

पड़ौसी देशों के साथ दूरसंचार संपर्क

1833. **श्री निहाल सिंह** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार एशिया और सुदूर पूर्व के लिए संयुक्त राष्ट्र आर्थिक परिषद, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम और अन्तर्राष्ट्रीय दूरसंचार पद्धति में हुए समझौते के परिणामस्वरूप दक्षिण एशिया में एशियाई दूरसंचार पद्धति के अंग के रूप में हमारे पड़ौसी देशों के साथ दूरसंचार सम्पर्क की स्थापना करने का है ;

(ख) यदि हां, तो इसमें सम्बद्ध व्यय कितना है ; और

(ग) क्या इस विस्तार से हमारी आन्तरिक दूरसंचार पद्धति के कार्यक्रम में सुधान होने में सहायता मिलने की संभावना है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी हां।

(ख) इस पर लगभग 4 करोड़ रुपये का खर्चा होने का अनुमान है।

(ग) किसी-सीमा तक इससे अप्रत्यक्ष रूप में आंतरिक प्रणाली को मदद मिलेगी। तथापित, इस प्रकार के विस्तार से पृथक तौर पर अपनी आंतरिक प्रणाली के कार्यकरण में उत्तरोत्तर सुधार लाने के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं।

बंगाल की खाड़ी में तेल की खोज

1834. **श्री निहाल सिंह** : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सुन्दरवन क्षेत्र के निकट बंगाल की खाड़ी में तेल की भण्डारों के बारे में तेल की खोज का कार्य शुरू कर दिया है ;

(ख) यदि हां, तो उस कम्पनी का नाम क्या है जिसे तेल की खोज का कार्य सौंपा गया है ; और

(ग) इससे शुरू किए गए खोज कार्य तथा इस सम्बन्ध में की गई प्रगति का ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री पी० शिवशंकर) : (क) जी हां।

(ख) तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग को अन्वेषण कार्य सौंपा गया है।

(ग) वर्ष 1974-75 के दौरान नाटोमस-कार्लादर्ग (इंडिया) द्वारा बंगाल की खाड़ी में 5600 लाईन किलोमीटर भू-कम्पीय सर्वेक्षण किया गया था। उन्होंने 2 कूपों का व्यधन किया था तथा इनमें हाइड्रोकार्बन होने के कोई संकेत नहीं मिले थे।

बाद में बंगाल की खाड़ी में सुन्दरवन के आसपास तथा सुन्दरवन की नदियों के साथ-साथ नवम्बर, 1979 में भू-कम्पीय सर्वेक्षण शुरू किये गये थे जो जून, 1981 में पूरे हुये थे।

हालांकि सर्वेक्षण आंकड़ों का संसाधन कार्य पूरा हो गया है परिणामों का इन आंकड़ों की व्याख्या किये जाने के पश्चात ही पता चलेगा।

पश्चिमी बंगाल में तेल प्राकृतिक गैस आयोग कम्पलेक्स के निर्माण का प्रस्ताव

1835. **श्री सोमनाथ चटर्जी** : क्या **पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिमी बंगाल में तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग कम्पलेक्स का निर्माण करने का कोई प्रस्ताव है क्योंकि उसके कार्यालय और संस्थापनाएं दूर-दूर स्थित हैं ;

(ख) क्या पश्चिमी बंगाल सरकार ने उक्त कम्पलेक्स के लिये उपयुक्त भूमि आबंटित करने के लिये अपनी सहमति प्रकट की है ;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(घ) उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ) पश्चिमी बंगाल सरकार के साथ अभी भी मामले पर अनुवर्ती कार्यवाही की जा रही है और अभी अन्तिम निर्णय लिया जाना है।

गागरेट-दबलतपुर चौक-तलवारा तार सर्किट की स्वीकृति

1836. **श्री नारायण चन्द्र पराशर** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर-पश्चिमी दूर-संचार सर्किट में गागरेट-दबलतपुर चौक-तलवारा तार सर्किट की स्वीकृति प्रदान कर दी गई ;

(ख) यदि हां, तो उसकी स्वीकृति कब दी गई थी और क्या उसे संस्थापित कर दिया गया है; और

(ग) यदि नहीं, तो सर्किट के कब तक संस्थापित किये जाने की संभावना है और देरी होने के क्या कारण हैं?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) इसे 25-11-80 को मंजूरी दी गई थी। लाइन-भंडारों की कमी के कारण इसे अभी तक संस्थापित नहीं किया जा सका है। जैसे ही अपेक्षित भंडार उपलब्ध होगा सर्किट संस्थापित कर दिया जाएगा।

गांवों में डाक का दैनिक वितरण

1837. **प्रो० नारायण चन्द्र पराशर** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिमाचल प्रदेश, हरियाणा पंजाब और जम्मू-काश्मीर के सभी गांवों में डाक के दैनिक वितरण की व्यवस्था है;

(ख) यदि हां तो इन राज्यों में यह व्यवस्था किस तारीख से की गई है; और

(ग) यदि नहीं, तो यह व्यवस्था किए जाने की संभावित तारीख क्या है और देरी के क्या कारण हैं?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) एवं (ख) हिमाचल प्रदेश के सभी गांवों में 31-7-1979 से दैनिक डाक वितरण योजना लागू कर दी गई है। हरियाणा तथा पंजाब के सभी गांवों में 1-4-76 से उक्त योजना लागू की गई है। जम्मू एवं कश्मीर राज्य के 6503 गांवों में से 6482 में दैनिक डाक वितरण योजना लागू की गई है। एक गांव में तीन सप्ताह में एक बार, 13 गांवों में दो सप्ताह में एक बार तथा 7 गांवों में प्रति सप्ताह एक बार डाक वितरित की जाती है।

(ग) जम्मू एवं कश्मीर राज्य के लेह, कारगिस तथा डोडा जिलों के कुछ क्षेत्र पर्वतीय बर्फीले तथा अगम्य हैं तथा संचार साधन खतरों से पूर्ण है। अगले दो वर्षों के बाद डाक वितरण बारंबारता में सुधार की आशा है।

दिल्ली में बिना बारी के टेलीफोन कनेक्शन

1838. **श्री भीखा भाई** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि दिल्ली में जुलाई, 1981 से जून 1982 के दौरान बिना बारी के श्रेणी-वार कितने टेलीफोन कनेक्शन दिए गए?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : 1 जुलाई, 1981 से 30 जून, 1982 तक की अवधि के दौरान बिना बारी के मंजूर किए गए टेलीफोन के मामले श्रेणीवार नीचे दिए गए हैं :

ओ वाई टी = 575

नानओ वाई टी = 458

मौजूदा नीति के अनुसार बिना बारी के कनेक्शन दूतावासों, विदेशी शिष्टमण्डलों, विदेशी मुद्रा अर्जित करने वालों, समाचार पत्रों, लघु उद्योगों, डाक्टरों, अधिकृत संवाददाताओं, संसद एवं विधायकों, वरिष्ठ सेवा निवृत्त सरकारी कर्मचारियों को तथा अन्य योग्य मामलों में निजी योग्यताओं के आधार पर दिए जाते हैं। इसके अलावा नियमों के अनुसार यातायात एवं तकनीकी आधार पर जैसे कि निजी शाखा एक्सचेंज जंक्शनों और एक्सचेंज क्षेत्र स्थानान्तरण के मामलों में बारी के बिना टेलीफोन कनेक्शन मंजूर किया जा सकता है।

आकाशवाणी के बुलेटिनों में राष्ट्रीय दलों को समय दिया जाना

1839. **श्री अजित बाग** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि आकाशवाणी के दिल्ली केन्द्र से प्रसारित होने वाले अखिल भारतीय बुलेटिनों और स्थानीय समाचार बुलेटिनों में राष्ट्रीय दलों को समय देने के लिये अपनाई गयी नीति का ब्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री वसन्त साठे) : आकाशवाणी द्वारा समाचारों को कवर किए जाने के मामले में, प्रत्येक समाचार के निर्णय उसके समाचारिक महत्व पर लिया जाता है। राजनीतिक दलों को कवर करने के संबंध में कोई अलग नीति नहीं है। तथापि, राजनैतिक मुद्दों के बारे में समाचार देते समय प्रसारण माध्यमों का मार्गदर्शन वस्तुनिष्ठता और निष्पक्षता द्वारा किया जाता है। उद्देश्य विभिन्न दृष्टिकोणों को समुचित रूप से प्रस्तुतीकरण करने का होता है।

मथुरा तेल शोधक कारखाने को पूरा करना

1840. **श्री दिगम्बर सिंह** : क्या **पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मथुरा तेलशोधक कारखाने की परियोजना को पूरा करने के बारे में वर्तमान स्थिति क्या है और इस बारे में लाभकारी बचनबद्धता के प्रति 31 मार्च, 1982 को इस पर कुल कितना व्यय हुआ ;

(ख) सलावा-बीरमगाम-मथुरा और मथुरा-दिल्ली प्राइवेट पाइपलाइन और अम्बाला-जालधंर तक से परे पाइपलाइन कहां तक पूरी हुई है ;

(ग) मथुरा तेलशोधन कारखाने द्वारा इस समय विभिन्न श्रेणियां (दोनों तकनीकी और गैर-तकनीकी) में कुल कितने अधिकारी और कर्मचारी नियुक्त किये गये हैं ; और

(घ) क्या स्थानीय लोगों को कम से कम सेवा की छोटी श्रेणी में प्राथमिकता नहीं दी जा रही है ; यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं और क्या वह इस क्षेत्र में रोजगार की संभावना उत्पन्न करने के लिये कारखाने के स्थल अथवा इसके निकट स्थानीय लोगों के लिये विभिन्न नौकरियों में किसी प्रकार का प्रशिक्षण केन्द्र खोलने की वांछनीयता का विचार करेंगे ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) मथुरा शोधनशाला में परीक्षण उत्पादन पहले ही प्रारम्भ हो गया है तथा वर्तमान में प्रतिवर्ष लगभग 4 से 4.5 मि० मी० टन की क्षमता पर प्रचालन किया जा रहा है। दिनांक 31-3-1982 की यथा स्थिति को मथुरा तेल शोधनशाला प्रायोजना पर 245,23 करोड़ रुपये का कुल व्यय किया गया है तथा दिनांक 31-3-1982 की यथा स्थिति को की गयी कुल संचित बचनबद्धता 251.96 करोड़ रुपये की है।

(ख) वीरमगाम के रास्ते से सलाया से मथुरा तक अशोधित तेल पाइपलाइन पहले ही पूरी हो गयी है और चालू हो गयी है। जबकि मथुरा दिल्ली अम्बाला जालन्धर उत्पाद पाइपलाइन का मथुरा-दिल्ली खण्ड अप्रैल, 1982 में चालू किया गया, दिल्ली अम्बाला तथा अम्बाला जालन्धर खंडों के क्रमशः जुलाई, 1982 तथा अक्तूबर, 1982 में शुरू किये जाने का कार्यक्रम है ।

(ग) दिनांक 31-3-1982 की यथा स्थिति को मथुरा शोधनशाला में कार्यरत तकनीकी तथा गैर तकनीकी शोधनशालाओं तथा कर्मचारियों दोनों की कुल संख्या का ब्यौरा नीचे दिया गया है :

	तकनीकी	गैर तकनीकी	योग
अधिकारी	270	45	315
स्टाक	616	346	962
			1277

(घ) उन सभी पदों पर जिनका वेतन 500 रु० प्रति माह (मई 1978 से संशोधन कर-के 800 रुपये प्रति माह कर दिया गया है से कम है, स्थानीय रोजगार कार्यालय के माध्यम से भरती की जाती है। केवल उस समय जबकि रोजगार कार्यालय अनुपलब्धता प्रमाणपत्र जारी करता है, पदों को विज्ञापित किया जाता है। इन मामलों में भी उत्तर प्रदेश के उम्मीदवारों को प्राथमिकता दी जाती है।

जहाँ तक प्रशिक्षण का सम्बन्ध है, प्रारम्भ में इंडियन आयल कारपोरेशन लिमिटेड ने आई० टी० आई०, वृन्दावन के माध्यम से भूमि खोने वालों के आश्रितों के लिए विभिन्न व्यक्तियों में प्रशिक्षण का आयोजन किया था तथा इन में से कइओं को नियमित रोजगार में रख लिया गया है।

और आगे प्रशिक्षण का प्रशिक्षुता अधिनियम के अधीन योजना के ढांचे के अन्तर्गत नियमन किया जा रहा है जिसके लिए शोधनशाला द्वारा पहले ही प्रशिक्षण विभाग का गठन किया जा चुका है ।

पावर इन्जीनियरी ट्रेनिंग सोसाइटी के बोर्ड द्वारा एल० डी० सी० के पदों के लिए आमन्त्रित आवेदन पत्र

1841. **श्री भीखा भाई** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पावर इन्जीनियर्स ट्रेनिंग सोसाइटी (भारत सरकार का एक संगठन) थर्मल पावर स्टेशन पर्सोनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, बदरपुर दिल्ली-44 द्वारा जुलाई-अगस्त, 1981 के दौरान एल० डी० सी० के पदों के लिए 10 रुपए के पोस्टल आर्डर सहित आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए थे ;

(ख) आवेदकों द्वारा 10 रुपये के पोस्टल आर्डर भेजे जाने के बावजूद उन्हें परीक्षा अथवा साक्षात्कार में न बुलाये जाने के क्या कारण हैं ;

(ग) यदि आवेदकों को परीक्षा अथवा साक्षात्कार में नहीं बुलाया गया था तो उन्हें अपेक्षित शुल्क वापस न किये जाने के क्या कारण हैं ; और

(घ) क्या उनका विचार यह सुनिश्चित करने के लिए कार्यवाही करने का है कि भविष्य में ऐसी बातें न हों ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) जी, हां । जून, 1981 में आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए थे ।

(ख) आवेदन पत्र मंगाने के लिए विज्ञापन में यह स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया था कि अभ्यार्थियों की संबंधित परीक्षाओं में द्वितीय श्रेणी होनी चाहिए या कम से कम 50% नम्बर होने चाहिए । सोसाइटी में प्राप्त 206 आवेदन पत्रों में से, 136 अभ्यार्थियों को जिनकी मैट्रिक में या अन्य उच्चतर परीक्षाओं में द्वितीय श्रेणी थी या अनुसूचित जन जाति/अनुसूचित जाति के अभ्यार्थी थे या विभागीय अभ्यार्थी थे, उनको 21 तथा 23 सितम्बर, 1981 को लिखित परीक्षा के लिए बुलाया गया था । शेष 70 अभ्यार्थियों को जो अपेक्षित अर्हता पूरी नहीं करते थे, परीक्षा के लिए नहीं बुलाया गया था ।

(ग) और (घ) इस संबंध में विभिन्न सरकारी संगठनों में अपनाई गई सामान्य प्रक्रिया के अनुसार प्रत्याशियों से प्राप्त शुल्क की राशि वापस नहीं लौटायी जानी थी ।

एस० टी० डी० द्वारा दिल्ली से जोड़े गए स्थान

1842. **श्री ए० नीलालोहिथादसन नाडार** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस समय कितने स्थान एस० टी० डी० द्वारा दिल्ली से जुड़े हुए हैं; तथा उनका ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या और अधिक स्थानों को एस० टी० डी० द्वारा दिल्ली में जोड़ने का कोई प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) ग्रेट ब्रिटेन सहित इस समय देश में 161 स्टेशन लेवल "0" और "9" पर एस० टी० डी० द्वारा दिल्ली के साथ जुड़े हुए हैं, इनका ब्यौरा विवरण में दिया गया है।

(ख) जी हां।

(ग) निम्नलिखित स्टेशनों को 1983 तक एस० टी० डी० द्वारा दिल्ली से जोड़े जाने की संभावना है।

1. चित्रदुर्गा	2. बुलसार	3. बिलासपुर
4. खंडवा	5. देवास	6. मह
7. भिलाई	8. भागलकोट	9. कूचबिहार
10. दार्जिलिंग		

विवरण

लेवल "0" पर दिल्ली के साथ जुड़े हुए एस० टी० डी०
स्टेशनों की सूची

क्रम संख्या	स्टेशन	डायलिंग कोड
1.	आगरा	0562
2.	ऐजवाल	03032
3.	इलाहाबाद	0532
4.	अलेपी	0477
5.	अलवाई	04054
6.	अम्बाला	0171
7.	अनाकापल्ली	08924
8.	अनंतपुर	08664

क्रम सं०	स्टेशन	डायलिंग कोड	
9.	अदांल	03441	
10.	अर्राह्	06102	
11.	आसनसोल	0341	
12.	बंगलूर	0812	
13.	बेहूला	03442	
14.	बाराकर	03446	
15.	बरेली	0501	(रात्रि सेवा)
16.	बड़ौदा	0265	
17.	बेलगांव	0931	
18.	बेल्लारी	00392	
19.	भद्रावती	001020	
20.	भटिंडा	0184	
21.	भीमावरम	08816	
22.	भुवनेश्वर	0674	
23.	बम्बई	022	
24.	बर्दवान	0342	
25.	बुरनपुर	03448	
26.	कलकत्ता	033	
27.	कन्नानूर	0497	
28.	चंडीगढ़	0172	
29.	चेंगामूर	047812	
30.	छपरा	06152	
31.	चिदंबरम	04144	
32.	चिंगलेपुट	04114	
33.	कोयम्बतूर	0422	
34.	कटक	0671	
35.	दरभंगा	06272	
36.	देवनगिरी	0891	
37.	धनबाद	0326	
38.	धरमपुरी	04342	
39.	दिसपुर (गोहाटी)	0361	
40.	दुर्गापुर	0343	
41.	एर्नाकुलम	0484	

क्रम सं०	स्टेशन	डायलिंग कोड
42.	इरोड्र	0424
43.	फिरोजपुर	01632
44.	गांधीनगर	0271
45.	गंगतोक	0359
46.	गोरखपुर	0551
47.	गुडीवाडा	08674
48.	गुंटूर	0863
49.	हल्दिया	03224
50.	हुबली	0९36
51.	हैदराबाद	0842
52.	जमशेदपुर	0657
53.	जमूरिया	03443
54.	जालंधर	0181
55.	काकीनाडा	0884
56.	खम्माम	08742
57.	खड़गपुर	0321
58.	कोहिमा	0386
59.	कोसीकलां	05662
60.	कोटा	0744
61.	कोविलपट्टी	04632
62.	कोट्टायम	0481
63.	कोजीकोड (कालीकट)	0495
64.	लुधियाना	0171
65.	मछलीपत्तनम	08672
66.	मद्रास	044
67.	मदुरै	0452
68.	माल्दा	03512
69.	मंगलोर	0824
70.	पन्नारगुडी	04367
71.	मावेलीकारा	047816
72.	मयूरम	04364
73.	महसापा	0276
74.	मेरधारा	08272

क्रम सं०	स्टेशन	डायलिंग कोड	
75.	मुजफ्फरपुर	0621	
76.	मैसूर	0821	
77	नादियाड	0268	
78	नागापट्टीनम	04365	
79	नागपुर	0712	
80	नाराकल	04852	
81	नेयामतपुर	03445	
82	आंगोलों	08592	
83	ऊटी	0423	
84	पालाकोले	08814	
85	पालघाट	0461	
86	पंजिम (पणजी)	0832	
87	पटियाला	0175	
88	पांडिचेरी	0413	
89	पुणे	0212	
90	क्विलोन	0474	
91	रायबरेली	0535	
92	राजामुदरी	0883	
93	रजा-पलायम	04563	
94	राजकोट	0281	
95	रांची	0651	
96.	रानीगंज	03447	
97.	राऊरकेला	0661	
98.	रुपनारायणपुर	03444	
99.	शाहजहांपुर	05842	(रात्रि सेवा)
100.	सलेम	0427	
101.	समस्तीपुर	06274	
102.	सासाराम	06184	
103.	शिलांग	0364	
104.	शिमोगा	08182	
105.	सिलीगुड़ी	0353	
106.	सीतापुर	05862	(रात्रि सेवा)
107.	सूरत	0261	

क्रम सं०	स्टेशन	डायलिंग कोड
108.	थेनी	04546
109.	तिरुचिरापल्ली	0431
110.	तिरुपति	08574
111.	तिरूपुर	0421
112.	तिरुवल्ला	047811
113.	तिरुवरूर	043866
114.	त्रिचूर	0487
115.	त्रिवेन्द्रम	0471
116.	टुमकर	0816
117.	तूतीकोरिन	0461
118.	उदयपुर	0294
119.	उदीप्पी	08552
120	उदमलपेट	04252
121.	उज्जैन	0734
122.	वाराणसी	0542
123.	बेल्लोरे	0416
124.	विजयवाडा	0866
125.	बिल्लूपुरम	04146
126.	विश्शूनकर	04562
127.	विशाखापत्तनम	0891
128.	विजयनगरम्	08992
129.	वारंगल	08712

नई दिल्ली से लेवल "9" पर जुड़े हुए एस० टी० डी० स्टेशनों की सूची

क्रम सं०	स्टेशन	कोड
1.	अहमदाबाद	975
2.	अलीगढ़	954
3.	अलवर	981
4.	अमृतसर	9183

क्रम सं०	स्टेशन	कोड
5.	भिवानी	974
6.	भोपाल	977
7.	बुलंदशहर	955
8.	देहरादून	935
9.	गुड़गांव	9227
10.	ग्वालियर	976
11.	हापुड़	9112
12.	हिसार	983
13.	इंदौर	978
14.	जयपुर	914
15.	जम्मू	9191
16.	जोधपुर	986
17.	कानपुर	951
18.	करनाल	984
19.	लखनऊ	952
20.	मेरठ	913
21.	मोदीनगर	9223
22.	मुरादाबाद	985
23.	मसूरी	93585
24.	मुजफ्फरनगर	956
25.	पानीपत	933
26.	पटना	972
27.	रोहतक	932
28.	सहारनपुर	982
29.	शिमला	9177
30.	सोनीपत	9226
31.	श्रीनगर	9194
32.	ग्रेट ब्रिटेन	900-44

केरल में खाना पकाने की गैस के लिए लम्बित पड़े आवेदन पत्र

1843. **श्री ए० नीलालोहिथादसन नाडार** : क्या **पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय केरल में खाना पकाने की गैस के नए कनेक्शन के लिए कितने आवेदन पत्र लम्बित पड़े हैं ; और

(ख) उन्हें कब तक गैस कनेक्शन दे दिये जाने की संभावना है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री पी० शिवशंकर) : (क) केरल राज्य में खाना पकाने की गैस (एल० पी० जी०) के कनैक्शनों की प्रतीक्षा सूचियों में लगभग 48,400 आवेदन कर्ता हैं ।

(ख) ऐसी आशा है कि राज्य की एल० पी० जी० कनैक्शनों की वर्तमान सूचियों का निपटान वर्ष 1984-85 तक कर दिया जाएगा ।

बिजली की मांग तथा सप्लाई में अन्तर

1844. **श्री सुनील मैत्रा** : क्या **ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1980-81 और 1981-82 में बिजली की मांग तथा सप्लाई का राज्य-वार कितना अन्तर रहा है ; और

(ख) राज्यों तथा संघ क्षेत्रों को पृथक-पृथक कितनी केन्द्रीय सहायता दी गई है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) देश में विद्युत की स्थिति पिछले वर्ष की अपेक्षा इस वर्ष अच्छी है। वर्ष अच्छी है। वर्ष 1980-81 और 1981-82 के दौरान ऊर्जा की आवश्यकता और ऊर्जा की सप्लाई के बीच राज्य-वार अन्तर को दिखाने वाला विवरण संलग्न है ।

(ख) विभिन्न राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों को विशेष परियोजनाओं के लिए विद्युत आबंटन के आधार पर केन्द्रीय क्षेत्र की परियोजनाओं से ऊर्जा उत्पादन का वितरण किया जाता है। तथापि, विभिन्न राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों में विद्युत की कमी की स्थिति को ध्यान में रखने के बाद कुछ विशिष्ट अवधियों के लिए केन्द्रीय परियोजनाओं से विद्युत सप्लाई के मामले में कुछ व्यवस्था की जाती है। विद्युत विभाग और केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण ताप विद्युत संयंत्रों के क्षमता समुपयोजन में सुधार लाने के लिए तथा देश में विद्युत उत्पादन और विद्युत की उपलब्धता में बढ़ोतरी करने के लिए विभिन्न राज्य बिजली बोर्डों तथा उत्पादन एजेंसियों को सभी संभव सहायता दे रहे हैं ।

विवरण

पूरे भारत में विद्युत की अधिकता/कमी के राज्य/प्रणाली-वार ब्यौरे

अवधि, 1980-1981 तथा 1981-82

(आंकड़े मि० यूनिट में)

क्रम सं०	पूरे भारत में राज्य/प्रणाली-वार	अधिक ऊर्जा/कम ऊर्जा (मिलियन यूनिट) 1980-81	1981-82
1.	हरियाणा	(—) 386	(—) 117
2.	हिमाचल प्रदेश	(+) 28	(+) 1
3.	जम्मू व कश्मीर	(+) 107	(+) 25
4.	पंजाब	(—) 403	(—) 711
5.	राजस्थान	(—) 413	(—) 771
6.	उत्तर प्रदेश	(—)3342	(—)3368
7.	दिल्ली	(+) 38	(+) 72
8.	चण्डीगढ़	(+) 3	(+) 5
9.	एन. एफ. एफ.	(—) 80	(—) 225
10.	गुजरात	(+) 112	(+) 156
11.	मध्य प्रदेश	(—)1213	(—) 609
12.	महाराष्ट्र	(—)3131	(—)4312
13.	गोआ	(—) 56	(—) 155
14.	आन्ध्र प्रदेश	(—) 290	(+) 689
15.	कर्नाटक	(—)1345	(—) 686
16.	केरल	(+) 352	(+) 328
17.	तमिल नाडु	(—) 270	(—) 366
18.	पांडिचेरी	—	—
19.	बिहार	(—)1486	(—)1516
20.	प० बंगाल	(—)1502	(—)1587
21.	दा० घा० नि०	(—)1685	(—) 815
22.	उड़ीसा	(—) 33	(+) 192
23.	सिक्किम	(+) 7	(—) 7
24.	एन. ई. क्षेत्र	(—) 198	(—) 192
	अखिल भारत	(—)15186	(—) 13969

(+) अधिक

(—) कमी

विरला, टाटा, डालमिया बन्धुओं के कर्मचारियों का पारिश्रमिक आदि

1845. **श्री सनत कुमार मंडल** : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री बिरला, टाटा, डालमिया बन्धुओं के कार्यकारियों का पारिश्रमिक आदि के बारे में 27 अप्रैल, 1982 के अतारांकित प्रश्न संख्या 9751 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन वर्षों में (i) प्रबंध निदेशकों/पूर्ण कालिक निदेशकों और प्रबंधकों और निदेशकों से सम्बन्धित कार्यकारियों के पारिश्रमिक (ii) प्रथम छह बड़े औद्योगिक घरानों द्वारा नियंत्रित कम्पनियों में अन्य कार्यकारियों के वेतन और परिलब्धियों के सम्बन्ध में कम्पनी अधिनियम, 1956 के उल्लंघन के मामले सरकार के ध्यान में लाये गये हैं ;

(ख) क्या उन्हें पता है कि वैधानिक लेखा-परीक्षक नियुक्ति/पुनर्नियुक्ति के लिए स्वयं निदेशकों की दया पर निर्भर रहते हैं ;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार शेयर होल्डरों के धन की सुरक्षा के लिए नियुक्ति और पारिश्रमिक और 1 लाख रुपये से ऊपर वेतन पाने वाले कार्यकारियों की परिलब्धियों को अपने अधिकार क्षेत्र में लाने की आवश्यकता पर विचार करेगी ; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० ए० रहीम) : (क) प्रथम छः बृहद् औद्योगिक घरानों (यथा, बिड़ला, टाटा, मफतलाल, जे० के० सिंहानियां, थापर, आई० सी० आई०) द्वारा नियंत्रित कम्पनियों में, गत तीन वर्षों के दौरान, प्रबन्ध निदेशकों/पूर्ण-कालिक निदेशकों या प्रबन्धकों तथा निदेशकों से सम्बन्धित कार्यकारियों के पारिश्रमिक के बारे में कम्पनी अधिनियम का कोई उल्लंघन दृष्टि गोचर नहीं हुआ था। अन्य कार्य-कारियों (उन सभी सहित, जो कथित छः बृहद् औद्योगिक घरानों द्वारा नियंत्रित कम्पनियों में नियुक्त हैं) की वेतन एवं परिलब्धियां कम्पनी अधिनियम की सीमान्तर्गत नहीं आतीं, अतः सरकार के किसी विशिष्ट विनियम के अधीन नहीं हैं।

(ख) सांविधिक लेखा परीक्षक, कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 224 के अन्तर्गत, हिस्सेधारियों की साधारण बैठक में, कम्पनी द्वारा नियुक्त/पुनर्नियुक्त किए जाते हैं। तथापि, यह विश्वास करने का कोई कारण नहीं है कि लेखा-परीक्षक अपने व्यावसायिक कार्यों का उचित रूप से निर्भयतापूर्वक, कम्पनी अधिनियम के उपबन्धों की किसी अपर्याप्तता के कारण निर्वहण नहीं कर पाते।

(ग) तथा (घ) उत्पन्न नहीं होते, तथा न ही वर्तमान में इस आशय का कोई प्रस्ताव ही है।

पूर्ति और निपटान महानिदेशालय द्वारा खरीदे गए बाटा कम्पनी के जूते

1846. **श्री सनत कुमार मंडल :** क्या पूर्ति और पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पूर्ति और निपटान महानिदेशालय ने 1981-82 और 1982-83 (30 जून, 1982 तक) के दौरान बाटा इंडिया लिमिटेड कलकत्ता से कुल कितनी मात्रा में जूते खरीदे और उनकी कीमत क्या थी ;

(ख) यह खरीद निविदा द्वारा की गई थी या बातचीत द्वारा ;

(ग) क्या यह सच है कि बाटा बन्धु अधिकांशतया आगरा, कानपुर और अन्य बाजारों से ये जूते खरीदते हैं और उन पर अपनी मोहर लगा देते हैं ; और

(घ) सप्लाई किए गये जूतों की किस्म की जांच करने वाली एजेंसी कौन-सी है और क्या यह काम कलकत्ता में किया जाता है या कहीं और ?

पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) 1981-82

	मात्रा	मूल्य (रु०)
(1) बूट जंगल—	77,289 जोड़े	28,39,461.00
(2) कैन्वस के जूते—	16,58,344 जोड़े	2,70,10,492.00
कुल	17,35,633 जोड़े	2,98,49,953.00

1982-83 (30-6-82 तक)

बूट जंगल—64,400 जोड़े 25,12,254.00

(ख) पूर्ति और निपटान महानिदेशालय द्वारा अपनाई जाने वाली विज्ञापित/नियंत्रित टेंडर प्रणाली के माध्यम से।

(ग) पूर्ति और निपटान महानिदेशालय, चमड़े के जूतों या चमड़े की चप्पलों आदि की कोई खरीद, बाटा से नहीं करता। केवल जंगल बूटों और कैन्वस के जूतों की खरीद, असैनिक और सैनिक आवश्यकताओं के लिए, की जाती है। कैन्वस के जूते और जंगल बूट स्वयं फर्म के ही बने होते हैं तथा उनका निरीक्षण ठेकों में निर्धारित शर्तों के अनुसार, उनकी फैक्टरी की इमारत में ही किया जाता है।

(घ) असैनिक मांगकर्ताओं को सप्लाई किए जाने वाले माल का निरीक्षण, कलकत्ता के निरीक्षण निदेशक, या उनके प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा किया जाता है तथा नमूनों का राष्ट्रीय परीक्षणशाला, कलकत्ता के माध्यम से परीक्षण करा कर, माल रिलीज कर दिया जाता है। रक्षा विभाग के लिए नमूनों का परीक्षण मुख्य वस्तु तथा कपड़ा निरीक्षणालय, कानपुर द्वारा किया जाता है—भण्डार महानिरीक्षक, कलकत्ता द्वारा नमूने ड्रा किए जाते हैं।

कोयला खानों के मुहानों पर कोयले का भंडार और उसकी ढुलाई

1847. **श्री बाला साहिब विखे पाटिल** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले वर्ष की तुलना में मई और जून, 1982 के अन्त तक कोयला खानों के मुहानों पर कोयले का कितना भण्डार जमा था ; और

(ख) पिछले वर्ष की तुलना में उत्पादन बढ़ जाने के फलस्वरूप उपभोक्ताओं को कोयला भेजने में तेजी लाने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं ?

ऊर्जा मंत्रालय के कोयला विभाग में राज्य मंत्री (श्री गार्गी शंकर मिश्र) : (क) मई और जून, 1982 में और वर्ष 1981 की इसी अवधि में कोयले का स्टाक निम्नलिखित रहा :—

(स्टाक मि० टन में)

महीना	1981	1982 (अनंतिम)
मई	17.08	19.69
जून	16.82	19.77

(ख) सरकार उपभोक्ताओं को कोयले के प्रेषण में वृद्धि के लिए सभी कदम उठा रही है। इस प्रकार मई, 1982 के महीने में कोयले का प्रेषण 10.04 (अनंतिम) मि० टन था जबकि इसके मुकाबले मई, 1981 में प्रेषण 9.11 मि० टन था। इसी प्रकार जून, 1982 में कोयले का प्रेषण 9.66 मि० टन (अनन्तिम) था जबकि जून, 1981 में कोयले का प्रेषण 9.12 मि० टन था। यह वृद्धि विभिन्न संचलन स्तरों पर रेलवे और उपभोक्ताओं के साथ इस दृष्टि से निरन्तर सम्पर्क बनाये रखने के कारण हुई है ताकि रेलवे वैगनों से कोयले के संचलन को अधिकतम किया जा सके। कोयला कम्पनियां भी सड़क द्वारा भी ले जाने के लिए उतना कोयला देती हैं जितना रेल द्वारा ले जाने में कम रह जाता है।

महाराष्ट्र में बिजली दिए गए गांव

1848. **श्री बाला साहिब विखे पाटिल** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र राज्य के विशेष सन्दर्भ में, देश में 1980, 1981 और 1982 (अब तक) के दौरान राज्य-वार कितने गांवों, शहरों को बिजली दी गई ;

(ख) 1982-83 में कितने गांवों में बिजली देने का विचार है ;

(ग) ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम के अधीन प्रत्येक राज्य को 1982-83 के दौरान कितना वित्तीय आवंटन किया गया है अथवा करने का विचार है ; और

(घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक राज्य में कितनी पन बिजली परियोजनाएं चालू की गईं और इस समय प्रत्येक राज्य में कितनी परियोजनाएं हाथ में ली गई हैं ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) महाराष्ट्र राज्य में विद्युतीकृत गांवों/कस्बों की संख्या के ब्यौरे नीचे दिए जाते हैं :—

महाराष्ट्र में गांवों की कुल संख्या :	35778
मार्च, 1979 के अन्त तक विद्युतीकृत किए गये गांव :	23,384
1979-80 के दौरान विद्युतीकरण	2073
1980-81 के दौरान विद्युतीकरण	2,168
1981-82 के दौरान विद्युतीकरण	1,226
महाराष्ट्र में कस्बों की कुल संख्या	289
31-3-1979 की स्थिति के अनुसार विद्युतीकृत कस्बे :	289

मार्च, 1979 के अन्त तक विद्युतीकृत गांवों की संख्या के बारे में ब्यौरे तथा उसके पश्चात् वर्ष-वार तथा राज्य-वार विद्युतीकृत गांवों के ब्यौरे उपबन्ध-1 में दिए गए हैं। [**ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी०** 4291/82]

अभी तक राज्य-वार विद्युतीकृत किए गए कस्बों की संख्या उपबन्ध-2 में दिए विवरण में दिखाई गई हैं। [**ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी०** 4291/82]

(ख) वर्ष 1982-83 के दौरान 25,512 गांवों को विद्युतीकृत करने का प्रस्ताव है।

1982-83 के दौरान गांवों को राज्य-वार विद्युतीकृत करने का लक्ष्य दिखाने वाला एक विवरण उपाबंध-3 में संलग्न है। [**ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी०** 4291/82]

(ग) 1982-83 के दौरान प्रत्येक राज्य में ग्राम विद्युतीकरण के लिए अनन्तिम परिव्यय का ब्यौरा उपाबंध-4 में दिए गए विवरण में दिखाया गया है। [**ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी०** 4291/82]

(घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक राज्य में अभी तक चालू/रोल की गई जलविद्युत परियोजनाओं की संख्या के बारे में ब्यौरा उपाबंध-5 में दिए गए विवरण में दिखाया गया है। निर्माणाधीन जलविद्युत परियोजनाओं के बारे में ब्यौरा उपाबंध-6 में दिए गए विवरण में संलग्न है। [**ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी०** 2491/82]

योजना आयोग द्वारा स्वीकृत विद्युत परियोजनायें

1849. **श्री सुभाष चन्द्र बोस अल्लूरी** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग ने चालू वित्त वर्ष में कुछ विद्युत परियोजनाओं को स्वीकृति प्रदान की है;

(ख) यदि हां, तो विभिन्न राज्यों में ऐसी विद्युत परियोजनाओं के नाम क्या हैं;

(ग) प्रत्येक विद्युत परियोजना की अनुमानित लागत और क्षमता क्या है; और

(घ) इन विद्युत परियोजनाओं का कार्य कब आरम्भ होगा ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ) चालू वित्तीय वर्ष में योजना आयोग द्वारा अनुमोदित की गई परियोजनाओं के ब्यौरे दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

विवरण

योजना आयोग द्वारा स्वीकृत की गई विद्युत परियोजनाएं

परियोजना का नाम	क्षमता (मेगावाट)	अनुमानित लागत (लाख रुपयों में)	निर्माण कार्य के प्रारंभ की तारीख
1. थीन बांध बहुद्देश्यीय परियोजना तथा अपर बारी दोआब नहर चरण-दो (पंजाब)	4×120 3×15	26316.00	निर्माणाधीन

परियोजना का नाम	क्षमता (मेगावाट)	अनुमानित लागत (लाख रुपयों में)	निर्माण कार्य के प्रारंभ की तारीख
2. थिरोट जल वि० परियोजना (हिमाचल प्रदेश)	3×1	434.50	1982-83
3. गज ज० वि० परियोजना (हिमाचल प्रदेश)	3×3.5	1286.00	1982-83
4. चेतलत (लक्षद्वीप) में डीजल उत्पादन क्षमता की वृद्धि तथा वितरण प्रणाली		5.06	1982-83
5. घटाप्रभा ज० वि० परियोजना (कर्नाटक)	2×16	1882.00	1982-83
6. सेरलूई "क" माइक्रो जल स्कीम (मिजोरम)	1×500 कि० वा० 2×250 कि० वा०	102.62	1982-83
7. किनतान (लक्षद्वीप) में डीजल उत्पादन क्षमता की वृद्धि तथा वितरण प्रणाली		4.23	1982-83
8. कुण्डा चरण-5 विस्तार (पार्सन वैली यूनिट-पावर हाउस-6 (तमिलनाडु)	1×30	1373.00	1982-83
9. गांधी नगर ता० वि० केन्द्र विस्तार (गुजरात)	1×210	12391.00	1982-83

नए टेलीफोन एक्सचेंजों की स्थापना

1850. **श्री सुभाष चन्द्र बोस अल्लूरी** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस देश में इलेक्ट्रानिक एक्सचेंजों की स्थापना करने के लिए सामग्री की सप्लाई नार्वे करने जा रहा है ;

(ख) देश में लगाए जाने वाले ऐसे इलेक्ट्रानिक एक्सचेंजों की कुल संख्या क्या है ; और

(ग) इस संबंध में ब्यौरा क्या है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी हां।

(ख) पांच (5)-जिसमें एक प्रशिक्षण उद्देश्य तथा एक साफ्टवेयर केन्द्र के लिए होगा ।

(ग) इन एक्चेंजों को निम्नलिखित स्थानों पर संस्थापित किया जाएगा :—

1. नैनीताल	768 लाइनें
2. अलमोड़ा	384 लाइनें
3. उझानी	256 लाइनें
4. उच्च स्तरीय दूरसंचार प्रशिक्षण केन्द्र, गाजियाबाद स्थित साफ्टवेयर केन्द्र—	64 लाइनें
5. दूरसंचार प्रशिक्षण केन्द्र, लखनऊ स्थित प्रशिक्षण केन्द्र—	64 लाइनें

ये एक्सचेंज नार्वे सामग्री सहायता कार्यक्रम के अन्तर्गत प्राप्त हो रहे हैं तथा इसकी कुल कीमत अनुमानत: 5 मिलियन नार्वे क्रोनर्स है। ये एक्सचेंज डिब्बायुक्त हैं तथा पूरी तरह से तार युक्त स्थिति में प्राप्त होंगे ।

अधिक बिजली उत्पादन के लिए राज्य बिजली बोर्ड को नकद धनराशि तथा सामान के रूप में सहायता

1851. **श्री सुभाष चन्द्र बोस अल्लूरी** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अधिक बिजली उत्पादन के लिए राज्य बोर्डों को नकद धनराशि तथा सामान के रूप में सहायता देने की पेशकश की है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उन राज्य सरकारों के नाम क्या हैं जिन्होंने उक्त सहायता के लिए योजनाएं प्रस्तुत की हैं ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) और (ख) राज्यों को उनकी वार्षिक योजनाओं के लिए केन्द्रीय सहायता राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा स्वीकृत फार्मूले के आधार पर ब्लाक ऋणों और ब्लाक अनुदानों के रूप में उपलब्ध करायी जाती है। यह सहायता हरेक राज्य को समस्त योजना के लिए दी जाती है तथा न कि किसी क्षेत्र में किसी विशिष्ट परियोजना के लिए।

कोयला उत्पादन का लक्ष्य

1852. **श्री सुभाष चन्द्र बोस अल्लूरी** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कोल इंडिया लिमिटेड ने आगामी दो वर्षों के लिए कोयला उत्पादन के क्या लक्ष्य निर्धारित किए हैं ;

(ख) क्या पिछले साल के लिए निर्धारित किए गये लक्ष्य को पूरा कर लिया गया था ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

ऊर्जा मंत्रालय के कोयला विभाग में राज्य मंत्री (श्री गार्गी शंकर मिश्र) : (क) कोल इंडिया लि० द्वारा वर्ष 1982-83 के लिए कोयले का उत्पादन 118.50 मि० टन है और 1983-84 के लिए 132.0 मि० टन नियत किए जाने की संभावना है।

(ख) और (ग) जी, हां। पिछले वर्ष के लिए नियत लक्ष्य पूरी तरह प्राप्त कर लिया गया है। कोल इंडिया लि० में वर्ष 1981-82 के दौरान कोयले का उत्पादन 109.62 मि० टन था जो वर्ष के लिए नियत 108.7 मि० टन के लक्ष्य से अधिक है।

अण्डमान में दिगलीपुर में एक नया टेलीफोन एक्सचेंज

1853. **श्री मनोरंजन भक्त** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि संघ शासित क्षेत्र अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह में दिगलीपुर के लिए एक टेलीफोन एक्सचेंज की स्वीकृति दी गई है ;

(ख) यदि हां, तो कब और एक्सचेंज के निर्माण में कितनी प्रगति हुई है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) प्रस्तावित एक्सचेंज के निर्माण के लिए उपयुक्त भूमि का आबंटन करने के लिए, अंडमान निकोबार द्वीप समूह के स्थानीय प्रशासन को लिखा गया है।

अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह में दूर संचार व्यवस्था

1854. **श्री मनोरंजन भक्त** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह में दूरसंचार व्यवस्था की असंतोषजनक स्थिति के बारे में जानकारी है तथा पोस्ट ब्लाक्स और कार निकोबार को अंतर्राष्ट्रीय उपग्रह से जोड़ने के बाद मात्र इन दो स्टेशनों पर तो दूरसंचार व्यवस्था में सुधार हुआ है लेकिन अन्य द्वीपसमूहों को अभी यह व्यवस्था सुलभ नहीं हुई है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इसमें सुधार हेतु कोई सुझाव प्राप्त किये हैं यदि उत्तर हां हो, तो किससे, कब और किस प्रकार के सुझाव मिले हैं ; और

(ग) क्या सरकार का विचार घरेलू संचार व्यवस्था को सुधारने के लिए हमारे अपने ही उपग्रह "एपल" के माध्यम से दूरदराज के द्वीपसमूहों और अन्य दुलर्भ क्षेत्रों को संचार व्यवस्था से जोड़ने का है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी, हां । अन्तर्द्वीप संचार व्यवस्था में सुधार की आवश्यकता है ।

(ख) संघ शासित क्षेत्र अंडमान एवं निकोबार की संचार प्रणाली में सुधार सम्बन्धी प्रक्रिया निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जिसके लिए सार्वजनिक व्यक्तियों तथा क्षेत्रीय दूरसंचार सर्किल से सुझाव प्राप्त हुए हैं । अधिक संख्या में वायरलेस सेवा चालू करने के लिए उपस्कर तो उपलब्ध हैं परन्तु स्थान एवं पर्याप्त ढुलाई व्यवस्था न होने के कारण अभी तक इनको प्रयोग में नहीं लाया गया है ।

(ग) जी, नहीं एप्पल एक प्रायोगिक उपग्रह है ।

विद्युत-आवश्यकता

1855. **श्री मनोरंजन भक्त** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) समूचे देश में राज्य/संघ शासित क्षेत्र-वार कुल अद्यतन घरेलू कृषि और औद्योगिक विद्युत आवश्यकता कितनी है और राज्य/संघ शासित क्षेत्रों की अधिष्ठापित क्षमता कितनी है और उनका विद्युत उत्पादन कितना है और ऐसे विद्युत उत्पादन की एकक वार लागत क्या है ; और

(ख) सम्पूर्ण देश में विद्युत की स्थिति को सुधारने के लिए सरकार ने कौन से कदम उठाए हैं ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) वर्ष 1981-82 के दौरान राज्य-वार ऊर्जा आवश्यकता का ब्यौरा संलग्न विवरण-एक में दिया गया है । उपभोक्ता की श्रेणीवार ऊर्जा की आवश्यकता उपलब्ध नहीं है । वर्ष 1981-82 के दौरान राज्य-वार उत्पादन क्षमता तथा उत्पादन का ब्यौरा संलग्न विवरण-दो में दिया गया है ।

(ख) देश में ऊर्जा उत्पादन में 1981-82 के दौरान पिछले वर्ष इसी अवधि में हुए उत्पादन की तुलना में 10.2 प्रतिशत की वृद्धि नोट की गई है । इससे देश में 1979-80 में 16.1 प्रतिशत विद्युत की कमी घटकर 1981-82 में 10.9 प्रतिशत हो गई । तथापि देश में विद्युत उपलब्धता में सुधार करने के लिए कई उपाय किए जा रहे हैं । उन उपायों में निम्नलिखित उपाय शामिल हैं :—

(1) छठी पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान लगभग 20,000 मेगावाट की तेजी से वृद्धि ।

(2) ताप विद्युत केन्द्रों के कार्य निष्पादन में सुधार तथा

(3) ऊर्जा की कमी वाले राज्यों को ऊर्जा की अधिकता वाले राज्यों से सहायता देने की व्यवस्था करना।

विवरण-एक

राज्य/प्रणाली-वार, अखिल भारत ऊर्जा की सम्पूर्ण आवश्यकता ब्योरा

अवधि : 1981-82

क्रम सं० राज्य	समग्र आवश्यकता (मेगावाट)
1. हरियाणा	4334
2. हिमाचल प्रदेश	409
3. जम्मू और कश्मीर	1106
4. पंजाब	6876
5. राजस्थान	5289
6. उत्तर प्रदेश	16058
7. दिल्ली	3297
8. चण्डीगढ़	259
9. एन० एफ० एफ०	864
10. गुजरात	10575
11. मध्य प्रदेश	7480
12. महाराष्ट्र	23950
13. गोवा	504
14. आन्ध्र प्रदेश	7874
15. कर्नाटक	9073
16. केरल	3785
17. तमिलनाडु	12406
18. पांडिचेरी	191
19. बिहार	4286
20. पश्चिम बंगाल	7568
21. दामोदर घाटी निगम	5810
22. उड़ीसा	3520
23. सिक्किम	38
24. उत्तर पूर्वी क्षेत्र	1449
अखिल भारत	137000

विवरण-दो

श्रेणी वार, राज्यप्रणाली वार, अखिल भारत, कुल क्षमता तथा समग्र ऊर्जा का उत्पादन

अवधि : 1981-82

क्रम सं०	राज्य/प्रणाली	श्रेणी	31-3-82 की स्थिति के अनुसार इरासित क्षमता	उत्पादन (मेगावाट अवर)
1	2	3	4	5
1	भाखड़ा	जल विद्युत	1205	6089
2	ब्यास कन्ट्रोल बोर्ड	जल ,,	900	4384
3	हिमाचल प्रदेश	जल ,,	300	625
4	जम्मू और कश्मीर	ताप ,,	22.5	18
		जल ,,	175	768
		जोड़	197.5	786
5	दिल्ली	ताप विद्युत	1030.5	3643
6	हरियाणा	ताप ,,	420	1323
7	पंजाब	ताप ,,	440	1593
		जल ,,	138	546
		जोड़	578	2139
8	राजस्थान	न्यूक्लीय	440	1057
		जल विद्युत	271	658
		जोड़	711	1715
9.	उत्तर प्रदेश	ताप विद्युत	2714	8728
		जल ,,	212.4	3835
		जोड़	3926.4	12563
10	गुजरात	ताप विद्युत	2104	9068
		जल ,,	300	1139
		जोड़	2404	10207
11	मध्य प्रदेश	ताप विद्युत	1562.5	6717
		जल ,,	115	318
		जोड़	1677.5	7035

1	2	3	4	5
12	महाराष्ट्र	ताप विद्युत	3033	12500
		न्यूक्लीय	420	1964
		जल विद्युत	1303.5	6349
		जोड़	4765.5	20813
13	आन्ध्र प्रदेश	ताप विद्युत	1242.4	5093
		जल ,,	1026.7	4238
		जोड़	2269.2	9331
14	कर्नाटक	जल विद्युत	1712.2	7144
15	केरल	जल ,,	1011.5	5539
16	तमिल नाडु	ताप ,,	1560	6570
		जल ,,	1369	4656
		जोड़	2929	11226
17	बिहार	ताप विद्युत	765	2376
		जल ,,	150	175
		जोड़	915	2551
18	दामोदर घाटी निगम	ताप विद्युत	1467.5	5779
		जल विद्युत	104	222
		जोड़	1571.5	6001
19	उड़ीसा	ताप विद्युत	360	786
		जल विद्युत	630	2373
		जोड़	990	3159
20	पश्चिम बंगाल	ताप विद्युत	1536	5443
		जल विद्युत	33	66
		जोड़	1569	5509
21	सिक्किम	जल विद्युत	12	15
22	असम	ताप ,,	312.5	709
23	मेघालय	जल विद्युत	136.7	419
24	त्रिपुरा	जल विद्युत		
25	नागालैन्ड	जल विद्युत		
	अखिल भारत	ताप विद्युत	18570	70346
		न्यूक्लीय	860	3021
		जल विद्युत	12106	49558
		जोड़	31535	122925

गुजरात में अमरेली टेलीफोन एक्सचेंज की टेलीफोन सेवा

1856. **श्री नवीन रवाणी** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गुजरात के अमरेली जिले में अमरेली टेलीफोन एक्सचेंज की सेवा अत्यधिक खराब चल रही है ;

(ख) क्या इस सम्बन्ध में सरकार को कतिपय आभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं और अमरेली टेलीफोन एक्सचेंज में टेलीफोन सेवा को सुधारने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ; और

(ग) गुजरात के अमरेली जिले में लालवल्डार में "माइक्रोवेव स्टेशन" का निर्माण कार्य पूरा होने के सम्बन्ध में स्थिति क्या है और यह कब से काम करना आरम्भ कर देगा।

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) । (क) जी नहीं।

(ख) अमरेली वाणिज्य मंडल से लगभग $2\frac{1}{2}$ महीने पहले एक शिकायत प्राप्त हुई थी जिस पर तुरन्त ध्यान दिया गया था। ऊपरी लाइनों की रुकावटों को नियंत्रित करने और अतिरिक्त सर्किट प्रदान करने के लिए कार्रवाई की जा रही है।

(ग) उपस्करण, जिसकी कि प्रतीक्षा की जा रही है, प्राप्त हो जाने पर अमरेली-भावनगर के बीच सूक्ष्म तरंग प्रणाली स्थापित कर दी जाएगी।

रिहंद और अनपारा में 1000 मेगावाट
विद्युत संयंत्रों के लिए ठेके

1857. **श्री सुशील भट्टाचार्य**
श्री आर० एन० राकेश } : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण ने उत्तर प्रदेश में एक रिहंद में और अनपारा में 1000 मेगावाट का एक-एक विद्युत संयंत्र लगाने के दोनों करारों की जांच पड़ताल कर ली है जिनमें से पहला एन० टी० पी० सी० और नादर्न इंजीनियरिंग इन्डस्ट्रीज नामक एक ब्रिटिश फर्म के साथ तथा दूसरा उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद और जापान की तोशिवा फर्म के साथ किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो इन दोनों संयंत्रों के सम्बन्ध में सापेक्ष लागत, कार्य पूरा करने के लिए अपेक्षित समय, आयात किए जाने वाले उपकरण पर ब्याज की दरें तथा भुगतान की अवधि के बारे में ब्रिटेन और जापान की फर्मों ने क्या शर्तें रखी हैं ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) और (ख) उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले में स्थापित किए जाने वाले रिहन्द सुपर ताप विद्युत केन्द्र के चरण-एक (2×500 मेगावाट) के निर्माण के लिए यू० के० की फर्म नार्दन इंजीजिनियरी इंडस्ट्रीज (एन० ई० आई०) के साथ राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम ने करार पर हस्ताक्षर किए हैं। तकनीकी-आर्थिक अनुमोदन प्रदान

करते समय केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा परियोजना की जाँच की गई है। मौजूदा प्रक्रिया के अन्तर्गत केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा करार की अलग से जांच करना अपेक्षित नहीं है।

करार के अनुसार, एन० ई० आई० उपस्करों की तथा संयंत्र की सर्विस, तथा निर्माण, परीक्षण और चालू करने की व्यवस्था करेगा। ब्रिटिश सरकार वित्तीय सहायता उपलब्ध करेगी तथा उनके द्वारा प्रस्तावित वित्तीय पैकेज 340 मिलियन पौण्ड के विदेशी ऋण और इसके अलावा 110 मिलियन पौण्ड अनुदान के रूप में दिए जाएगे। यू० के० द्वारा प्रस्तावित निर्यात ऋण सुविधा पर $7\frac{1}{4}\%$ प्र वर्ष की नियत दर पर ब्याज लिया जाएगा तथा विद्युत केन्द्र की प्रस्तावित दो यूनिटों के चालू होने की अनुमानित तारीख से 10 वर्षों की अवधि में लौटाया जाएगा। रिहन्द सुपर ताप विद्युत केन्द्र की पहली 500 मेगावाट की यूनिट के 1987-88 तक चालू हो जाने की सम्भावना है।

अनपारा "बी" परियोजना के मामले में उत्तर प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड ने किसी भी संविदा को अन्तिम रूप नहीं दिया है।

कोयले से उत्पादन पर विकास उपकर

1858. **श्री बी० वी० देसाई** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोयला विभाग कुछ राज्य परियोजनाओं को वित्त प्रदान करने के लिए कोयले के उत्पादन पर एक विकास उप-कर लगाने का विचार कर रहा है ;

(ख) यदि हां, तो क्या विभाग इस योजना के अन्तर्गत धनबाद में सड़क बनाने की लागत को पूरा करने के लिए कम-से-कम 50 करोड़ रुपये एकत्र करने पर विचार कर रहा है ;

(ग) क्या विभाग ने योजना को अन्तिम स्वीकृति दे दी है और इसे स्वीकृति देने के लिए मंत्रिमंडल से अनुरोध किया है ; और

(घ) इसे कब तक स्वीकृति दिये जाने की संभावना है ?

ऊर्जा मंत्रालय के कोयला विभाग में राज्य मंत्री (श्री गार्गी शंकर मिश्र) : (क) जी नहीं।

(ख), (ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठता।

अखबारी कागज का स्टाक, मांग और सप्लाई

1859. **श्री सत्य गोपाल मिश्र** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अखबारी कागज का स्टाक और उसकी सप्लाई की वर्तमान स्थिति खराब है ;

(ख) हमारे देश में अखबारी कागज के स्टाक, मांग और सप्लाई की वर्तमान वास्तविक स्थिति क्या है ; और

(ग) अखबारी कागज का स्टाक और सप्लाई बढ़ाने के लिए सरकार का क्या प्रस्ताव है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री वसन्त साठे) : (क) जी, नहीं ।

(ख) 1982-83 के लिए अखबारी कागज की कुल आवश्यकता 3.60 लाख टन होने का अनुमान लगाया गया है । समाचारपत्रों को 1.75 लाख टन की मात्रा (1.30 लाख टन आयातित और 0.45 लाख टन स्वदेशी) भारत के समाचारपत्रों के पंजीयक द्वारा अग्रिम में दी गई है । आयातित अखबारी कागज में से, राज्य व्यापार निगम ने लगभग 1.3 लाख टन का आवंटन किया है । इसके पास लगभग 15,000 टन अखबारी कागज का स्टाक भी है । स्वदेशी अखबारी कागज के स्टाक और आपूर्ति की स्थिति के बारे में सूचना तुरन्त उपलब्ध नहीं है ।

(ग) राज्य व्यापार निगम को पहले ही यह सलाह दे दी गई है कि वह आने वाले महीनों में बड़ी मात्रा में अखबारी कागज आयात करे । चालू वित्तीय वर्ष के दौरान दो पेपर मिलों के शुरू हो जाने के कारण स्वदेशी अखबारी कागज के निर्माण में वृद्धि होने की संभावना है ।

वाराणसी टेलीफोन के सम्बन्ध में शिकायतें

1860. **श्री जैनुल बशर** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मंत्रालय को वाराणसी में टेलीफोन सेवा में गम्भीर अव्यवस्था और अनियमिततायें होने के सम्बन्ध में शिकायतें प्राप्त हुई हैं ;

(ख) ये शिकायतें कहां से प्राप्त हुई हैं और तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या इन शिकायतों की जांच करने के लिए किसी जांच दल को वाराणसी भेजा गया है ; और

(घ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में इस समय क्या कार्यवाही की जा रही है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) उपलब्ध जानकारी के अनुसार वाराणसी टेलीफोन सेवा के बारे में लोक सभा में 30-4-1982 को नियम 377 के अधीन माननीय संसद सदस्य द्वारा उठाए गए मामले, जिसके जवाब में 13-7-1982 को माननीय संसद सदस्य को वाराणसी की टेलीफोन सेवाओं की स्थिति से अवगत कराया गया था, को छोड़कर कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ग) जी, नहीं ।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता ।

ब्रिटानिया इन्डस्ट्रीज लिमिटेड

1861. **श्री सनत कुमार मंडल** : क्या **विधि, न्याय, और कम्पनी कार्य** मंत्री ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा कथित प्रतिबंधात्मक व्यापार व्यवहार के बारे में 8 दिसम्बर, 1981 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2664 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिस्कुट आदि के निर्माण, विपणन और वितरण का व्यापार करते हुए ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज लिमिटेड, बम्बई और कलकत्ता द्वारा विभिन्न प्रकार के प्रतिबंधात्मक व्यापार करने और अनियमितताएं करने पर की गई जाँच का परिणाम क्या है ; और

(ख) इस कम्पनी द्वारा एकाधिकार तथा प्रतिबंधात्मक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम का विभिन्न प्रकार से उल्लंघन करने और उसका विश्वास भंग करने पर इसके विरुद्ध कौन से कदम उठाए गए हैं अथवा उठाऐ जाने का विचार है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० ए० रहीम) : (क) तथा (ख) मै० ब्रिटानिया इन्डस्ट्रीज लिमिटेड के विरुद्ध अवरोधक व्यापारिक व्यवहारों के आरोपों के लिये दिनांक 17 फरवरी, 1977 तथा 22 दिसम्बर, 1979 को आयोग द्वारा संस्थापित जांचें, अभी तक आयोग द्वारा पूर्ण नहीं हुई हैं। जांचों के पूर्ण हो जाने पर यथा वांछित कार्यवाही की जायेगी।

पश्चिमी बंगाल में छिद्रण कार्य में तोड़ फोड़

1862. **डा० कृपा सिन्धु भोई** : क्या **पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्राकृतिक तेल और गैस आयोग कर्मचारी संघ ने पश्चिम बंगाल में पेट्रोलियम छिद्रण अन्वेषण कार्य में "जान-बूझकर और इच्छा पूर्वक तोड़फोड़" की जांच कराने की मांग की है ;

(ख) क्या यह सच है कि वहां पर खोज कार्य आवश्यकतानुसार नहीं किया गया है जबकि इसकी विशाल क्षमता मौजूद थी ;

(ग) क्या यह भी आरोप लगाया गया था कि बहुराष्ट्रीय कम्पनियां और अन्य निहित स्वार्थी लोग खोज कार्य में इस तोड़ फोड़ में अपनी भूमिका निभा रहे हैं ; और

(घ) क्या इस मामले की कोई जांच कराई गई है और यदि हां, तो उसके परिणाम क्या निकले ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) जी हां, ।

(ख) क्षेत्र में हाईड्रो कार्बन की आशाजनक संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए आवश्यकतानुसार अन्वेषण कार्य पश्चिम बंगाल में किया जा रहा है ।

(ग) जी हां।

(घ) किसी प्रकार की जांच कराने का कोई कारण नहीं है क्योंकि पश्चिम बंगाल में हाईड्रो कार्बन का पता लगाने के लिए अन्वेषण कार्य को जानबूझ कर अथवा इच्छानुसार नहीं रोका गया था।

वास्तविक मांग के बजाय "प्रतिबंधित मांग"
को पूरा करने के लिए विद्युत उत्पादन

1863. **श्री सुनील मैत्रा** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सरकार द्वारा केवल "प्रतिबंधित माँग" को पूरा करने के लिए विद्युत उत्पादन करने की योजना बनाने और वास्तविक मांग को पूरा न किए जाने के क्या कारण हैं?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : पंचवर्षीय योजनाएं तैयार करते समय योजना आयोग अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में संभव विकास को ध्यान में रखता है तथा इस आधार पर योजना अवधि के अन्त में विद्युत की संभावित मांग का अनुमान लगाता है तथा योजना अवधि के अन्त में माँग और सप्लाई स्थिति को समतुल्य रखने के लिए योजना बनाता है। तथापि विभिन्न कठिनाइयों जैसे वित्तीय स्रोतों की कमी, उपस्कर, सामग्री की सुपुर्दगी में देरी आदि के कारण, आयोजना के अनुसार क्षमता में अभिवृद्धि करना कठिन हो जाता है। इसके अतिरिक्त विद्यमान विद्युत केन्द्रों के क्षमता समुपयोजन में सुधार करने के लिए प्रयास भी किए जाते हैं। इनसे इस वर्ष विद्यमान केन्द्रों से अतिरिक्त विद्युत उत्पादन होने के परिणाम निकले हैं।

सोडा एश के भंडार

1864. **श्री के० टी० कौशलराम** : क्या पैट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) स्वदेशी निर्माताओं के पास सोडा एश का कितना भण्डार है; और

(ख) पिछले तीन वर्षों में कितनी मात्रा में सोडा एश का (देशवार) आयात किया गया?

पैट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० शिवशंकर) : (क) दिनांक 1-6-82 को निर्माताओं के पास (उनके एजेन्टों और वितरकों सहित) सोडा ऐश का भण्डार 80,491 टन था।

(ख) 1979-80 और 1980-81 (अक्तूबर 1980 तक) के दौरान आयातों के देश वार ब्यौरे विवरण में दिए गए हैं। महानिदेशक वाणिज्यिक आसूचना और सांख्यिकी कलकत्ता द्वारा आयात सांख्यिकी का संकलन किया जाता है और प्रकाशित किया जाता है। अक्तूबर से बाद की अवधि के लिए सांख्यिकी अभी प्रकाशित की जानी है। सांख्यिकी का संकलन हो जाने पर उसे भारतीय विदेश व्यापार (खण्ड-ii) की मासिक सांख्यिकी में प्रकाशित किया जाएगा जिसकी प्रतियां संसद ग्रन्थागार में उपलब्ध होंगी।

विवरण

1979-80 और 1980-81 (अक्तूबर 1980 तक) वर्षों के दौरान
सोडा ऐश का आयात, प्रेषक देश सहित

(आंकड़ों टनों में)

प्रेषक देश	मात्रा	
	1980-81 (अक्तूबर 1980 तक)	1979-80
1 बेल्जियम	36,051	63,082
2 बुलगारिया	10,849	15,621
3 फ्रांस	5,680	249
4 जर्मन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक	2,458	959
5 कीनिया	300	4,800
6 नीदरलैण्ड	795	5,797
7 रुमानिया	4,933	584
8 स्पेन	2,074	—
9 स्वीटजरलैंड	1,610	—
10 यूनाइटेड किंगडम	102	14,650
11 यूनाइटेड स्टेट आफ अमेरिका	11,477	21,341
12 आस्ट्रेलिया	100	—
13 इटली	1,449	—
14 यू० एस० एस० आर०	5,500	—
15 फेडरल रिपब्लिक आफ जर्मनी	1,102	2,839
16 जापान	—	466
17 अन्य	—	4,309
योग	52,846*	1,34,697

*टिप्पणी : आंकड़े अस्थाई हैं।

उद्योगों में बिजली की कटौती से हानि

1865. **श्री बी० वी० देसाई** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मई, 1982 के दौरान "इकानामिक टाइम्स" ने उन उद्योगों के बारे में जिन्हें बम्बई, कलकता, अहमदाबाद, नई दिल्ली, मद्रास और बंगलौर में बिजली की कटौती का सामना करना पड़ा था घटनास्थल पर जांच की थी ;

(ख) यदि हाँ, तो क्या सर्वेक्षण से यह ज्ञात हुआ है कि उपर्युक्त नगरों में बिजली कटौती के कारण उत्पादन में भारी हानि हुई थी ;

(ग) यदि हां, तो बिजली की कटौती के कारण भारत में कितनी औद्योगिक हानि हुई, इन औद्योगिक-गृहों को बिजली की कटौती को कहां तक बंद कर दिया गया है और इन उद्योगों को दी जाने वाली सामान्य की व्यवस्था कब से की जायेगी ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

मध्य प्रदेश को टेलीफोन ट्रंक लाइंस के सम्बन्ध 'इन्सैट'' के लाभ

1866. **श्री शिव कुमार सिंह** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश को टेलीफोन ट्रंक-लाइंस आदि के सम्बन्ध में "इन्सैट" का लाभ नहीं मिला है, जबकि इसकी सीमा से जुड़े अन्य सभी राज्यों को यह लाभ प्राप्त हुआ है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या मध्य प्रदेश को, भविष्य में छोड़े जाने वाले अन्य "इन्सैट" की सेवाओं का लाभ मिलेगा और क्या मध्य प्रदेश के खंडवा और देवास जिलों को भी उसका लाभ मिलेगा ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी, हां । फिलहाल मध्य प्रदेशं को इन्सैट का लाभ नहीं प्राप्त हुआ है ।

(ख) "इन्सैट" के माध्यम से मध्य प्रदेश में दूरसंचार सेवाएं उपलब्ध कराने का फिलहाल कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ।

मद्रास में सेंसर-बोर्ड का कार्यकरण

1867. **श्री टी० आर० शमन्ना** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह बात सरकार के ध्यान में आई है कि मद्रास में सेंसर बोर्ड के कार्यकरण की आलोचना हुई है ; और

(ख) क्या सरकार का विचार मद्रास में तथा देश के अन्य भागों में भी, सेंसर-बोर्ड के कार्यकरण को सुव्यवस्थित करने के उपाय करने का है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री वसन्त साठे) : (क) और (ख) जी, हां । मुख्य आलोचना यह है कि सेंसर बोर्ड के विभिन्न कार्यालयों द्वारा सेंसरशिप के विभिन्न मानक अपनाये जा रहे हैं और यह कि विभिन्न भाषाओं की फिल्मों के बारे में अपनाए जाने वाले मानकों में भिन्नताएं हैं ।

सरकार द्वारा चलचित्र अधिनियम, 1952 के अन्तर्गत जारी किये गये मार्गदर्शी सिद्धान्त सभी फिल्मों के लिए समान हैं और इसलिए मानकों में भिन्नता के लिए कोई अवसर नहीं होना चाहिए । तथापि, वैयक्तिक दृश्यों के रूप में गणितीय समानता सुनिश्चित करना संभव नहीं है, क्योंकि कोई ऐसा दृश्य, जो किसी फिल्म विशेष के सन्दर्भ में उल्लंघनकारी न हो, वह सेंसरशिप सम्बन्धी मार्गदर्शी सिद्धान्तों का अन्य फिल्म में विभिन्न सन्दर्भ में पूर्णतया उल्लंघनकारी हो सकता है । बोर्ड द्वारा यह सुनिश्चित करने का पूरा प्रयास किया जाता है कि फिल्म के समग्र प्रभाव के रूप में सेंसरशिप सम्बन्धी मार्गदर्शी सिद्धान्तों के सभी फिल्मों पर लागू करने में समानता और संगतता हो ।

वादनगर और मेहसाना के बीच सीधी टेलीफोन सेवा

1868. **श्री मोती भाई आर० चौधरी** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वादनगर और मेहसाना के बीच सीधी टेलीफोन सेवा देने के लिए लम्बे समय से मांग की जा रही है और यदि हां, तो क्या इसे शीघ्र स्वीकार कर लिया जाएगा, क्योंकि वादनगर से मेहसाना समीप ही है ; और

(ख) क्या सहायक महाप्रबन्धक गुजरात सर्कल के पत्र सं० टी. टी. आर/94/सी आर. ओ. ओ./11 दिनांक 23 फरवरी, 1980 के अनुसार यह आश्वासन दिया गया था, कि वह सम्पर्क अगले वर्ष आठ चैनलों से स्थापित कर दिया जाएगा और यदि हां, तो क्या इस आश्वासन को अब पूरा किए जाने की सम्भावना है, यद्यपि अब दो वर्ष बीत चुके हैं ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी, हां । वादनगर तथा मेहसाना के बीच एक सीधे ट्रंक सर्किट का औचित्य पाया गया है तथा वादनगर-विसनगर-मेहसाना के बीच 8-चैनल कैरियर प्रणाली संस्थापित हो जाने के बाद उक्त सर्किट प्रदान कर दिया जाएगा ।

(ख) जी हां, वादनगर तथा मेहसाना के बीच सीधा ट्रंक सर्किट 1983 में उपलब्ध करा दिया जाएगा, बशर्ते कि भंडार उपलब्ध हों ।

गुजरात में कलोल-मेहसाना में कोयला का पाया जाना

1869. **श्री मोती भाई आर० चौधरी** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात में कलोल-मेहसाना तेल क्षेत्र में अधिक गहराई में कोयला पाया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो कोयले को गैस में बदलने की योजना में क्या प्रगति हुई है और उसका पूर्ण ब्योरा क्या है ?

ऊर्जा मंत्रालय के कोयला विभाग में राज्य मंत्री (श्री गार्गी शंकर मिश्र) : (क) तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा लगाए गए कच्चे अनुमान के अनुसार लगभग 3755 मिलियन टन कोयले के भंडार गुजरात के कलोल तेल क्षेत्र में 1000 मी० से 1500 मी० तक की गहराई में तेल उत्पादक संस्तरों के साथ स्थित हैं ।

(ख) सरकार ने हाल ही में विशेषज्ञों का एक दल यूरोप के दो देशों में भूमिगत कोयला गैसीकरण के पायलट संयंत्र प्रयोग देखने के लिए भेजा था । परन्तु यह दल अपना अध्ययन पूरा नहीं कर सका क्योंकि जिन देशों में विशेषज्ञ दल गया था, वह देश प्रक्रिया संबंधी गोपनीय सूचना इस स्थिति में नहीं देना चाहते थे । विशेषज्ञ दल ने यह विचार व्यक्त किया है कि भूमिगत कोयला गैसीकरण परियोजनाओं को भारत में शुरू करने से पहले विदेशी प्रौद्योगिकी और तकनीकी ज्ञान की पहले से जानकारी होनी चाहिए ।

भूमिगत कोयले के उत्पादन में गतिरोध

1870. **डा० कृपा सिंधु भोई** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1981-82 में तेल उत्पादन के सरकारी आंकड़े भूमिगत कोयले के मामले में गत 5 वर्षों में गतिरोध आ जाने की ओर ध्यान खींचते हैं हालांकि केन्द्रीय सरकार राष्ट्रीयकृत कोयला उद्योग के विकास हेतु इसे वित्त पोषित करने हेतु प्रत्येक वर्ष बढ़े हुए भारी संसाधनों का पूंजी-निवेश कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ; और

(ग) इन खामियों को दूर करने और उत्पादन में वृद्धि करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

ऊर्जा मंत्रालय के कोयला विभाग में राज्य मंत्री (श्री गार्गी शंकर मिश्र) : (क) और (ख) को० इं० लि० और सि० को० कं० लि० की भूमिगत खानों से कोयला उत्पादन की प्रवृति निम्नलिखित है :

(आंकड़े मि० टनों में)

वर्ष	उत्पादन		कुल
	को० इं० लि०	सि० को० कं० लि०	
1977-78	64.05	8.91	72.96
1978-79	61.14	9.01	70.15
1979-80	59.13	9.20	68.23
1980-81	60.99	9.61	70.60
1981-82	63.25	10.93	74.18

सि० को० कं० लि० की भूमिगत खानों में कोयले के उत्पादन में लगातार वृद्धि की प्रवृति दिखाई देती रही है।

को० इं० लि० की भूमिगत खानों में कोयले का उत्पादन 1979-80 तक घटा और 1980-81 से बढ़ना शुरू हो गया है। वर्ष 1978-79 और 1979-80 में उत्पादन में कमी आने का मूल कारण रानीगंज और झरिया कोलफील्ड्स की खानों में बाढ़ आना था। यह बाढ़ सितम्बर, 1978 में हुई अभूतपूर्व वर्षा के कारण आई और इससे ई० को० लि० और भा० को० को० लि० की भूमिगत खानें 15.9.1978 से 5.10.1978 तक जल मग्न रही। ई० को० लि० और भा० को० को० लि० के कुल 393 भूमिगत कार्यकारी जिलों में से 190 भूमिगत कार्यकारी जिले पूरी तरह डूब गए थे और 3 मि० टन से अधिक कोयले के उत्पादन की हानि हुई। बाढ़ के कारण भूमिगत मशीनरी बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई थी। इस बाढ़ का प्रभाव 1979-80 में जारी रहा क्योंकि खानों को जल रहित करने में महगी भूमिगत मशीनरी उपलब्ध कराने में और क्षतिग्रस्त उपकरण की मरम्मत कराने में समय लगा।

(ग) कोयले का उत्पादन बढ़ाने के लिए कई कदम उठाए जा रहे हैं। इन कदमों में यह बातें शामिल हैं—अनुपस्थिति को नियंत्रित करना, आधारभूत सुविधाओं में सुधार, नई खादों की स्वीकृति, बंगाल-बिहार कोयला क्षेत्रों में ग्रहीत बिजली उत्पादन क्षमता की स्थापना, कोयला खनन के लिए भूमि अधिग्रहण में शीघ्रता करना और पुरुषों, कर्मचारियों और मशीनरी की उत्पादकता बढ़ाना।

बड़े नगरों में दोषयुक्त टेलीफोन सेवा

1871 डा० कृपा सिंधु भोई
श्री ए० नीलालोहिथादसन नाडार
प्रो० पी० जे० कुरियन
श्री एम० रामगोपाल रेड्डी
: क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विशेषकर बड़े नगरों में टेलीफोन के दोषयुक्त कार्यकरण के कारणों का पता लगाया है और दो वर्षों में टेलीफोन पद्धति में सुधार लाने का एक कार्यकरण बनाया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इनके कार्यकरण में सुधार लाने के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) टेलीफोनों के ठीक ढंग से कार्य न करने के कारणों का पता चल गया है। कलकत्ता और दिल्ली में तीन वर्षों के समय-बद्ध कार्यक्रम के अंतर्गत बाह्य संयंत्र को समुन्नत बनाने और टेलीफोन सेवाओं में सुधार करने के लिए कार्य-बलों का गठन किया गया है।

इसके अतिरिक्त देश में टेलीफोन सेवाओं को सुधारने के लिए दूरसंचार समिति की स्वीकृत सिफारिशों को प्राथमिकता देते हुए लागू किया जा रहा है।

(ख) (i) जनोपयोगी सेवाएं प्रदान करने के लिए सड़क खोदने के कार्य में लगी हुई एजेंसियों द्वारा भूमिगत केबलों को अक्सर क्षति पहुंचाना।

(ii) उपभोक्ताओं के कनेक्शनों के लिए प्रयुक्त अन-इनस्यूलेटिड लाइन वायर भी दिक्कतों का कारण है।

(iii) उपभोक्ताओं के घरों में लगाई गई तारों में अल्युमिनियम तारों का प्रयोग करने के कारण शोर और धीमी आवाज की समस्या रहती है। इनसे टेलीफोन कट जाने के दोष भी उत्पन्न हो जाते हैं।

(iv) उपभोक्ताओं के अहातों में खराब टेलीफोन लगाये जाने के कारण भी शिकायतों में अक्सर वृद्धि होती है।

(ग) टेलीफोन प्रणाली की कार्य-प्रणाली को सुधारने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए जा रहे हैं :—

(एक) टूट-फूट से बचाने के लिए केबुलों को पी. वी. सी. नलिकाओं में बिछाना।

(दो) टूट-फूट का पता लगाने की प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाने के लिए शुष्क वायु द्वारा भूमिगत केबलों का दाबीकरण।

(तीन) टेलीफोन लाइनों के लिए इन्स्यूलेटिड डाय वायर का प्रयोग किया जा रहा है।

(चार) उपभोक्ताओं के अहातों में लगी अल्युमिनियम की तारों को तांबे की तारों द्वारा बदलना।

(पांच) टेलीफोन प्रणाली में एक नये विकसित टेलीफोन उपकरण को शामिल किया जा रहा है।

आन्ध्र प्रदेश में पत्रों की वितरण व्यवस्था

1872. **श्री के० ए० स्वामी** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को आम जनता की इस भावना की जानकारी है कि आन्ध्र प्रदेश में बड़ी संख्या से पत्रों को नष्ट किया जा रहा है और उन्हें पर्याप्त संख्या में वितरित नहीं किया जाता है ;

(ख) आन्ध्र प्रदेश में जनता के डर को दूर करने के लिए सतर्कता रखने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं ; और

(ग) इस मामले में आरम्भ किए गए उपायों का ब्यौरा क्या हैं ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) से (ग) सरकार को आंध्र प्रदेश की आम जनता में व्याप्त ऐसी भावना की जानकारी नहीं है। जब भी कभी विरल और इक्के-दुक्के मामलों में किसी कर्मचारी द्वारा ऐसी शरारत करने का पता चलता है, तो मामले की पूर्ण जांच की जाती है और उसके खिलाफ विभागीय एवं कानूनी कार्रवाही की जाती है। मौजूदा विभागीय नियमों और अनुदेशों में वितरण स्टाफ की नियमित जांच करने तथा पर्यवेक्षण करने की व्यवस्था है।

उपभोक्ताओं के विभिन्न श्रेणियों से लिए जाने वाले विद्युत प्रभार

1873. **श्री बी० आर० नहाटा** : क्या ऊर्जा मंत्री निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले पांच वर्षों के दौरान प्रत्येक राज्य में घरेलू, औद्योगिक और अन्य श्रेणियों के उपभोक्ताओं से लिए जाने वाले विद्युत प्रभार क्या रहे हैं ;

(ख) पिछले पांच वर्षों के दौरान विद्युत की बिक्री के परिणामस्वरूप प्रत्येक राज्य को कुल कितनी आय हुई ;

(ग) प्रत्येक राज्य में कितने यूनिट विद्युत का उत्पादन हुआ और पिछले पांच वर्षों के दौरान उपभोक्ताओं से कितने यूनिट विद्युत के प्रभार लिए गए ; और

(घ) पिछले पांच वर्षों में प्रत्येक राज्य में एक विद्युत प्रभारों के रूप में कितनी राशि वसूल की गई और (दो) प्रति यूनिट कितना वसूल किया गया ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

राज्याध्यक्ष समिति की सिफारिशों का क्रियान्वयन

1874. **श्री बी० आर० नहाटा** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राज्याध्यक्ष समिति की सिफारिशों के क्रियान्वयन में अब तक क्या कार्यवाही की गई है ;

(ख) समिति की किन सिफारिशों को सरकार ने स्वीकार किया है और इन सिफारिशों के क्रियान्वयन के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ;

(ग) किन सिफारिशों को सरकार द्वारा अस्वीकार किया गया है और कौन-कौन सी सिफारिशें अभी विचाराधीन है ; और

(घ) इन सिफारिशों के क्रियान्वयन में सरकार कितना समय लेगी ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन): (क) से (घ) विद्युत समिति ने अन्य बातों के साथ-साथ केन्द्रीय विद्युत उत्पादन के लिए अधिक भूमिका निभाने, क्षेत्रीय स्तर पर विद्युत सप्लाई उद्योग के संगठनात्मक ढांचे को मजबूत करने तथा राज्य बिजली बोर्डों के प्रबंध और वित्तीय कार्यनिष्पादन को सशक्त बनाने की सिफारिश की है। इन सिफारिशों पर राज्यों से अपने विचार भेजने के लिए अनुरोध किया गया है। चूंकि इसमें नीति सम्बन्धी समस्याएं शामिल हैं इसलिए इन सिफारिशों के क्रियान्वयन से पूर्व राज्यों से पूर्व परामर्श करना आवश्यक समझा गया है।

समिति ने विशेषरूप से परियोजना क्रियान्वयन, वर्तमान सुविधाओं के प्रचालन एवं अनुरक्षण, कार्मिकों के लिए प्रशिक्षण आदि के सम्बन्ध में विद्युत सप्लाई उद्योग के कार्य निष्पादन में सुधार करने के लिए भी अनेक सिफारिशें की हैं। इनमें से बहुत सी सिफारिशें राज्यों के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत हैं तथा उनके द्वारा क्रियान्वित की जा सकती हैं। इन सिफारिशों की सूची जिसे केन्द्र तथा राज्य दोनों स्तर पर सम्बन्धित एजेंसियों द्वारा क्रियान्वयन के लिए सरकार द्वारा स्वीकृत किया गया है, उपाबन्ध में दी गई हैं। [**ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल० टी० 4292/82**] संबंधित एजेंसियों के साथ परामर्श करके इन सिफारियों को क्रियान्वित किया जा रहा है। चूंकि इसमें दीर्घकालिक तकनीकी तथा प्रशासनिक उपाय शामिल हैं इसलिए इन सिफारिशों के पूर्णरूप से कारगर होने में कुछ समय लगेगा। केन्द्र में तथा राज्य स्तर पर सम्बन्धित एजेंसियों के साथ परामर्श करके बाकी की सिफारिशों पर भी कार्रवाही की जायेगी।

विद्युत उत्पादन हेतु विश्व बैंक से बातचीत

1875. **प्रो० रूप चन्द पाल**
श्री सुनील मैत्रा } : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हाल ही में विश्व बैंक के अधिकारियों ने ऊर्जा मंत्रालय से विद्युत उत्पादन के बारे में बातचीत की है ;

(ख) यदि हां, तो उक्त बातचीत की मुख्य विशेषताएं क्या है ;

(ग) विश्व बैंक द्वारा रखे गए प्रस्ताव क्या हैं ; और

(घ) मंत्रालय द्वारा स्वीकार किए गए प्रस्ताव क्या हैं ; और उनका ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) से (घ) विद्युत सैक्टर में विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित की जा रही परियोजनाओं के अतिरिक्त, सहायता के लिए विश्व बैंक को प्रस्तुत अन्य परियोजनाओं का बैंक द्वारा मुल्यांकन किया जा रहा है। इस संबंध में मूल्यांकन प्रक्रिया के एक भाग के रूप में, बैंक के अधिकारियों के साथ विचार-विमर्श किया जा रहा है। इन परियोजनाओं के लिए विश्व बैंक की सहायता स्वीकृति से सम्बन्धित शर्तों को अभी अंतिम रूप दिया जाना है।

न्यूजपेपर्स और पब्लिकेशन लिमिटेड पटना

1876. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री न्यूज पेपर्स और पब्लिकेशन लिमिटेड, पटना के बारे में 27 अप्रैल, 1982 के अतारांकित प्रश्न संख्या 9691 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय प्रेस परिषद ने बिहार सरकार के विरुद्ध शिकायत पर "प्रासेसिंग" पूरी कर ली है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है तथा ये शिकायतें क्या-क्या हैं और उन पर क्या कार्यवाही की जा रही है ;

(ग) क्या समाचारपत्रों की स्वतंत्रता सम्बन्धी पनतिता को दृष्टि में रखते हुए केन्द्रीय सरकार बिहार सरकार को न्यूजपेपर्स और पब्लिकेशन लिमिटेड, पटना के मामलों में अनुचित हस्तक्षेप करना बन्द कन देने की सलाह दे रही है ; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री वसन्त साठे) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) और (घ) केन्द्रीय सरकार का प्रेस की स्वतंत्रता में दृढ़ विश्वास है । तथापि, जहां तक न्यूजपेपर्स एंड पब्लिकेशन्स लिमिटेड, पटना की शिकायत का सम्बन्ध है, भारतीय प्रेस परिषद द्वारा इसकी पहले ही जांच की जा रही है ।

सुदर्शन चिट (कर्नाटक) लिमिटेड का पंजीकरण

1877. **डा० वन्सत कुमार पंडित** : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कम्पनी रजिस्टार ने सुदर्शन ट्रेडिंग कम्पनी को "सुदर्शन चिट (कर्नाटक) लिमिटेड" नामक एक सहायक कम्पनी का बंगलूर में मई, 1979 में रजिस्ट्रेशन सं० 3675/79 के अन्तर्गत पंजीकृत किया है ;

(ख) क्या सुदर्शन ट्रेडिंग कम्पनी लिमिटेड द्वारा संचालित सुदर्शन चिटफंड स्कीम को रोक दिया गया है और उस पर जमाकर्ताओं द्वारा न्यायालय में मुकदमा चलाया जा रहा है ;

(ग) जब इसी नाम की कम्पनी पर न्यायालय के अधीन रोक लगा दी गई थी तथा इस कम्पनी के वही निदेशक थे जो इस निषिद्ध कम्पनी के थे, तब रजिस्ट्रार द्वारा इस दूसरी कम्पनी को पंजीकृत क्यों किया गया ; और

(घ) क्या सरकार ने इस मामले की जांच करा ली है ; यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले ; और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० ए० रहीम) : (क) प्रश्नाधीन कम्पनी को 5-12-1979 को बंगलौर में पंजीकृत किया गया था।

(ख) इस विभाग को दोनों में से किसी को भी जानकारी नहीं है कि सुदर्शन टेडिंग कम्पनी लिमिटेड पर चिट फंड योजना के संचालन पर या जमाकर्ताओं द्वारा न्यायालयों में प्रस्तुत मुकदमों से कोई प्रतिबन्ध लगाया गया है। तथापि, 1973 में, इस कम्पनी ने नये चिट फंड व्यापार को अपनी एक सहायक कम्पनी को हस्तांतरित किया था।

(ग) तथा (घ) उपरोक्त (ख) को दृष्टिगत करते हुए उत्पन्न नहीं होता।

मध्य प्रदेश में अतिरिक्त विद्युत पारेषण कार्य के लिए योजनायें

1878. **डा० बसन्त कुमार पंडित** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश राज्य ने सरकार का अतिरिक्त विद्युत पारेषण कार्यों की कितनी योजनाएं पेश की थीं और उनमें से कितनी योजनाएं योजना आयोग के पास लम्बित हैं ;

(ख) उपर्युक्त में से वर्ष 1980 और 1981 के दौरान कितनी योजनाओं को शुरू करने और पूरा करने की मंजूरी दी गई थी, तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) क्या योजना आयोग ने वर्ष 1982 और 1983 के लिए अतिरिक्त विद्युत पारेषण योजनाओं को मंजूरी दी है अथवा दे रहा है, तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) और (ख) मध्य प्रदेश राज्य में अतिरिक्त विद्युत पारेषण कार्य में वृद्धि के लिए सरकार को प्रस्तुत की गई कोई भी स्कीम योजना आयोग के पास लम्बित नहीं है, तथापि, एक स्कीम जिसमें (1) 400 के० वी० सिंगल सर्किट पारे-

षण लाइन (821 सर्किट किमी०) और (II) कोरबा, सतपुड़ा, इन्दौर तथा भिलाई में 400 के० वी० के उप-केन्द्रों की स्थापना, जिसे योजना आयोग ने 7-7-1979 को स्वीकृति प्रदान कर दी थी, को बाद में संशोधित किया गया तथा उसमें निम्न कार्य शामिल हैं :

(1) 400 के० वी० सिंगल सर्किट पारेषण लाइन (845 सर्किट किमी०)

(2) कोरबा, भिलाई और इन्दौर में 400 के० वी० के उप-केन्द्रों की स्थापना।

इस संशोधित स्कीम को योजना आयोग द्वारा अभी निवेश सम्बन्धी स्वीकृति दी जानी है।

मध्य प्रदेश में 220 के० वी० 132 के० वी० की पारेषण प्रणाली की एक अन्य स्कीम को योजना आयोग ने छठी योजना के दौरान कार्यान्वित करने के लिए 12157.56 लाख रुपये की लागत पर 23-5-1980 को निवेश सम्बन्धी निर्णय दे दिया है। स्कीम में निम्नलिखित कार्य शामिल हैं :

(1) 220 के० वी० पारेषण लाइनें—1239.2 सर्किट किमी०

(2) 132 के० वी० पारेषण लाइनें—2470 सर्किट किमी०

(3) सतना, नेपानगर, रतलाम, भोपाल, टीकमगढ़, पिंचोर, बिलासपुर में 220 के० वी० उप-केन्द्रों की स्थापना तथा इन्दौर, उज्जैन, बुरवाहा, इटारसी, ग्वालियर, जबलपुर, कोरबा, तथा सतपुड़ा में वर्तमान 220 के० वी० उप-केन्द्रों में वृद्धि।

(4) 26 स्थलों पर 132 के० वी० उप-केन्द्रों की स्थापना तथा वर्तमान 132 के० वी० उप-केन्द्रों, जिनकी संख्या 59 है, में वृद्धि।

मध्य प्रदेश और आन्ध्र प्रदेश के मध्य एक अन्तर्राज्यीय पारेषण लाइन (220 के० वी० लोअर सिलेरु लाइन) भी योजना आयोग द्वारा स्वीकृत की गई थी, जिस पर 1981-82 के दौरान कार्य पूरा हो गया था। लाइन की कुल लम्बाई 207 किमी० है जिसमें से 170 किमी० मध्य प्रदेश में तथा शेष आन्ध्र प्रदेश में है।

(ग) पारेषण स्कीमें प्रति वर्ष के आधार पर नहीं बनाई जातीं, परन्तु योजनावधि के दौरान समग्र आवश्यकता को ध्यान में रखा जाता है, पारेषण स्कीमें स्वीकृति प्राप्त करने के लिए केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा तैयार की जाती हैं तथा योजना आयोग द्वारा स्वीकार की जाती हैं।

कोयला खानों के राष्ट्रीयकरण के बाद से कोयले के मूल्य में वृद्धि

1879. **श्री सुनील मैत्रा** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कोयला खानों के राष्ट्रीयकरण के बाद से सरकार ने कितनी बार कोयले के मूल्यों में वृद्धि की है; और यह वृद्धि प्रति मीटरी टन कितनी थी ;

(ख) कोयले के मूल्यों में प्रत्येक समय वृद्धि होने पर लोगों को कितना अधिक धन खर्च करना पड़ता था ;

(ग) क्या सरकार को कोयले के मूल्य में इस प्रकार की वृद्धि की अन्य वस्तुओं पर हुई प्रतिक्रिया की जानकारी है ; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा उन अन्य वस्तुओं के मूल्यों को बढ़ने से रोकने के लिए कौन-से ठोस कदम उठाए गए हैं जिन्हें आवश्यक औद्योगिक आदानों के रूप में कोयले का प्रयोग करना होता है?

ऊर्जा मंत्रालय के कोयला विभाग में राज्य मंत्री (श्री गार्गी शंकर मिश्र) : (क) और (ख) राष्ट्रीयकरण के समय कोयले की औसत खान-मुहाना कीमत रु० 37.50 प्रति टन थी। तब से औसत खान-मुहाना कीमत पांच बार बढ़ाई गई है जो निम्नलिखित है :

वृद्धि की तारीख	औसत खान-मुहाना कीमत (प्रति टन)	
	कोल इन्डिया लि०	सिंगरेनी कोलियरीज कं० लि०
1-4-1979	रु० 47.50	रु० 50.50
1-7-1975	रु० 64.92	रु० 67.65
17-7-1979	रु० 101.18	रु० 99.92
14-2-1981	रु० 128.02	रु० 135.85
27-5-1982	रु० 145.90	रु० 154.75

(ग) और (घ) कोयले की कीमतों में संशोधन का भार विभिन्न उपभोक्ता उद्योगों पर अधिक नहीं पड़ा है।

संविधान का गलत अनुवाद

1880. **श्री भोगेन्द्र झा :** क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या "धर्म निरपेक्ष" शब्द "सेक्युलर" का गलत अनुवाद है और यह एक बहुत गलत अर्थ यथा अकर्त्तव्यनिष्ठ अथवा इससे मिलते जुलते अन्य अर्थ की ओर इंगित करता है ;

(ख) यदि हां, तो क्या हमारे संविधान और अन्य प्रयोजनों के लिए "सेक्युलर" शब्द का अनुवाद "असांप्रदायिक" करने का विचार है ; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगन्नाथ कौशल) : (क) से (ग) अंग्रेजी-हिन्दी शब्द कोशों में "सेक्युलर" के हिन्दी पर्याय के रूप में कतिपय अन्य शब्दों के साथ साथ "धर्म निरपेक्ष" और "असांप्रदायिक" शब्द भी दिए गए हैं (देखिए डा० बाहरी और डा० बुल्के के शब्द कोश)। "सेक्युलर" शब्द के अलग अलग अर्थ हैं और उसके लिए सही पर्याय का अवधारण उस संदर्भ के अनुसार करना पड़ेगा जिसमें उक्त शब्द का प्रयोग विशिष्ट अंग्रेजी पाठ में हुआ है। प्रश्न के भाग (ख) में दिए गए सुझाव को नोट कर लिया गया है।

छठी योजना के दौरान विद्युत उत्पादन कार्यक्रम

1881, **श्री वी० बी० देसाई**
श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति } : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) यदि दोषपूर्ण विद्युत कार्यक्रम को उपचारात्मक उपायों के माध्यम से सुधारा नहीं जाता है, छठी योजना के क्रियान्वयन पर गम्भीर रूप से प्रभाव पड़ेगा ;

(ख) यदि हां, तो क्या योजना के प्रथम दो वर्षों में अतिरिक्त विद्युत उत्पादन क्षमता में 32 प्रतिशत की गिरावाट आई है और योजना में निर्धारित लक्ष्य 19666 मेगावाट अतिरिक्त क्षमता के लक्ष्य की तुलना में केवल 3998 मेगावाट का ही उत्पादन हुआ ;

(ग) क्या उपर्युक्त आंकड़ों के अनुसार लगभग 15668 मेगावाट उत्पादन करना होगा ;

(घ) क्या यह पता चला है कि "भेल" और अन्य निकायों द्वारा उपकरणों की सप्लाई में अत्यधिक विलम्ब होने से ही यह स्थिति हुई है ; और

(ङ) यदि हां, तो अन्य कौन व्यक्ति इसके लिए जिम्मेदार हैं और इस बारे में क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) पंचवर्षीय योजना तैयार करते समय पंचवर्षीय योजना के अंत तक विद्युत की मांग और पूर्ति की स्थिति को संतुलित करने की आयोजना की जाती है। तथापि, निधियों की कमी, कीमतों में बढ़ोतरी, उपस्कर तथा सामग्री की सुपुर्दगी में विलम्ब आदि जैसी बहुत सी बाधाओं की वजह से नई उत्पादन यूनिटों के चालू करने में विलम्ब के कारण कमियां हुई हैं। विद्युत की मांग को सप्लाई के बराबर करने के हमेशा प्रयास किए जाते हैं।

(ख) और (ग) योजना अवधि (1980-85) के लिए 19666 मेगावाट क्षमता की बढ़ोतरी का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। पहले वर्ष (1980-81) में 2687 मेगावाट के कार्यक्रम की तुलता में 1823 मेगावाट का लक्ष्य प्राप्त किया गया था। दूसरे वर्ष (1981-82) में 3212 मेगावाट के कार्यक्रम की तुलना में 2175 मेगावाट का लक्ष्य प्राप्त किया गया था।

(घ) भेल द्वारा उपस्करों की सप्लाई में विलम्ब कमियों का एक मुख्य कारण है ।

(ङ) इसके अन्य जिम्मेदार कारण ये हैं :

1. निधियों की अपर्याप्त व्यवस्था ।
2. भूमि अधिग्रहण में विलम्ब।
3. स्थल का अपर्याप्त अन्वेषण ।
4. परियोजनाओं के लिए इंजीनियरी विशिष्टियों को अंतिम रूप देने में बिलम्ब ।
5. आनुषंगिक उपस्करों के लिए आर्डर देने/ठेके देने में विलम्ब ।
6. सीमेंट आदि जैसी निर्माण सामग्री की कमी ।
7. सिविल कार्यों में विलम्ब ।
8. असंतोषजनक औद्योगिक सम्बन्ध ।

बाधाओं को दूर करने की दृष्टि से परियोजनाओं की मानीटरिंग अधिक कर दी गई है। परियोजनाओं की विभिन्न गतिविधियों की ध्यानपूर्वक मानीटरिंग करने के लिए केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण में निर्माण मानीटरिंग निदेशालय स्थापित किए गए हैं। केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण में परियोजना प्राधिकारियों, उपस्कर सप्लायरों, निर्माताओं, निर्माण एजेंसियों आदि के साथ समन्वय और समीक्षा बैठकों का नियमित रूप से आयोजन किया जाता है। सुधारात्मक कार्रवाई करने के लिए सभी कठिनाइयों की कड़ी निगरानी की जाती है। राज्य सरकारों तथा केन्द्र सरकार द्वारा उपयुक्त कार्रवाई करने के लिए विद्युत विभाग में समीक्षा बैठकों का भी आयोजन किया जाता है। ऊर्जा मंत्री के स्तर पर राज्य विद्युत मंत्रियों की बैठकों का आयोजन भी राष्ट्रीय स्तर पर किया जाता है, जिसमें उपचारात्मक कार्रवाई करने के लिए निर्माणाधीन विद्युत परियोजनाओं को चालू करने के लिए समीक्षा की गई। परियोजना स्तर पर प्रबंध व्यवस्था में सुधार लाने के लिए राज्य बिजली बोर्डों को जुलाई, 1980 में विस्तृत मार्गदर्शी सिद्धान्त जारी किए गए हैं। प्रमुख सप्लायर नामशः बी० एच० ई० एल० तथा आई० एल० के० से उपस्करों की समय पर प्राप्ति तथा परियोजना प्राधिकारियों द्वारा अन्य विभिन्न निवेशों की उपलब्धता का कारगर समन्वय करने के लिए हारमोनोग्रामस की एक प्रणाली इस वर्ष आरम्भ की गई है। भविष्य में चालू करने के कार्यक्रम का समन्वय परियोजना प्राधिकरण द्वारा हारमोनोग्रामस द्वारा किया जाएगा।

शान्त घाटी परियोजनाएं

1882. **श्री के० ए० राजन :** क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल के मुख्य मंत्री ने हाल ही में विवादास्पद शान्त घाटी परियोजनाओं के लिए स्वीकृति मांगी थी ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ।

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) साइलैंट वेली जल विद्युत परियोजना को कार्यान्वित करने के सम्बन्ध में ऊर्जा मंत्रालय में केरल के मुख्य मंत्री की ओर से हाल ही में कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

राजस्थान व अन्य राज्यों में उद्योगों के लिए बिजली की कटौती

1883. श्री माधव राव सिंधिया
श्री अशोक गहलौत
श्री अजित बाग
श्री सत्य साधन चक्रवर्ती
: क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान में उद्योगों को बिजली की अत्यधिक कटौती को ध्यान में रख कर केन्द्रीय सरकार ने उस राज्य में उद्योगों की मांग पर कम से कम 25 प्रतिशत बिजली देने के लिए कदम उठाने का निर्णय किया है ;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में किए गये निर्णय का ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या अन्य राज्यों में भी उद्योगों में इसी प्रकार, बिजली में कटौती की गई है ; और

(घ) यदि हां, तो प्रत्येक राज्य में चालू वित्तीय वर्ष में अब तक बिजली की कितनी कटौती की गई है और वहां अधिक बिजली देने के सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) और (ख) राजस्थान परमाणु विद्युत केन्द्र की दोनों यूनिटों के 4 मार्च से 27 जून, 1982 तक बन्द हो जाने के कारण राजस्थान विद्युत की कमी का सामना कर रहा है। मांग तथा उपलब्धता के बीच के अन्तर को समाप्त करने के लिए राज्य ने विभिन्न श्रेणियों के उपभोक्ताओं पर विद्युत प्रतिबन्ध लगाए हैं। जिसमें गैर-प्राथमिकता प्राप्त उच्च वोल्टता उद्योगों पर 30 से 100 प्रतिशत तक की कटौती, प्राथमिकता प्राप्त उच्च वोल्टता उद्योगों पर 20 से 75 प्रतिशत तक की कटौती, मध्यम उद्योगों पर 20 से 50% तक की कटौती शामिल है। उपर्युक्त विद्युत कटौतियां, दिन-प्रतिदिन की उपलब्धता पर निर्भर करते हुए, भिन्न-भिन्न थीं।

राजस्थान में विद्युत की अत्यधिक कमी को ध्यान में रखते हुए केन्द्रीय क्षेत्र के बदरपुर ताप विद्युत केन्द्र से राजस्थान को मार्च, 1982 में लगभग 79.72 यूनिट अप्रैल, 1982 में 82.57 मिलियन यूनिट मई में 70.30 मिलियन यूनिट तथा जून, 1982 में 57.41 मिलियन यूनिट की सहायता दी गई। तथापि उद्योगों सहित विभिन्न समूहों के उपभोक्ताओं में उपलब्ध विद्युत का वितरण करने का मुख्य दायित्व राज्य सरकार का है।

(ग) राजस्थान की तरह देश के अन्य किसी भी राज्य में उद्योगों पर इस स्तर की विद्युत कटौतियां लागू नहीं की जा रही हैं।

(घ) अप्रैल-जून, 1982 के दौरान विभिन्न राज्यों में लगाई गई विद्युत कटौतियों के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं। [**ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल०टी० 4293/82**]

विभिन्न राज्यों में विद्युत की उपलब्धता में सुधार करने के लिए अनेक कदम उठाए गए हैं। इन उपायों में निम्नलिखित उपाय शामिल हैं :—

1. 1982-83 के दौरान नई उत्पादन क्षमता में लगभग 3500 मेगावाट की शीघ्र वृद्धि करना ;

2. क्षमता समुपयोजन तथा वर्तमान ताप विद्युत उत्पादन यूनिटों के कार्य-निष्पादन में सुधार करने के लिए राज्य सरकार और राज्य बिजली बोर्डों की सहायता करना ;

3. फालतू बिजली वाले राज्यों से कम ऊर्जा वाले राज्यों की सहायता के लिए प्रबन्ध करना।

आगरा-ग्वालियर-जबलपुर को-एक्सिल स्कीम

1885. **श्री माधव राव सिंधिया** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रस्तावित आगरा-ग्वालियर-जबलपुर कोएक्सिल योजना के लिए किए गये सर्वेक्षण को ध्यान में रखते हुए क्या निर्णय लिया गया है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : योजना को सिद्धान्त रूप में स्वीकार कर लिया गया है। विस्तृत सर्वेक्षण कार्य प्रगति पर है।

ग्वालियर को नई दिल्ली टी० ए० एक्स० से जोड़ना

1886. **श्री माधव राव सिंधिया** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ग्वालियर को नई दिल्ली टी० ए० एक्स० से जोड़ने और ग्वालियर तथा राजधानी के बीच एस० टी० डी० सुविधा प्रदान करने सम्बन्धी प्रस्ताव की जांच की गई है ; और

(ख) क्या इसे व्यवहार्य, किफायती अथवा वांछनीय नहीं समझा गया है और यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) (i) जी, हां।

(ii) ग्वालियर तथा दिल्ली के बीच प्वाइंट-टू-प्वाइंट उपभोक्ता ट्रंक डायलिंग सेवा पहले से ही उपलब्ध है।

(ख) (i) अन्तरिम व्यवस्था के बतौर ग्वालियर को दिल्ली टी० ए० एक्स० के साथ इसके सीमित पारगमन-परियात के विस्तार के पश्चात् जोड़े जाने का प्रस्ताव है।

(ii) राष्ट्रीय उपभोक्ता डायलिंग योजना के एक भाग के रूप में ग्वालियर को आगरा में संस्थापित किए जाने वाले टी. ए. एक्स. के साथ जोड़ने का प्रस्ताव है।

सीमावर्ती पर्वतीय क्षेत्रों में दूरसंचार सेवा

1887. **श्री चिंगवांग कोनयक** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) छठी योजना में दूर संचार और डाक सेवाओं के विस्तार पर कितनी राशि खर्च की जाएगी ;

(ख) इस अवधि में शुरू की जाने वाली मुख्य परियोजनाएं क्या हैं ; और

(ग) देश के सीमावर्ती पर्वतीय क्षेत्रों में बेहतर दूर संचार सेवा उपलब्ध कराने के लिए लक्षित नई योजनाएं कौन-सी हैं ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) छठी योजनावधि के दौरान दूर संचार सेवाओं के विस्तार पर 2336 करोड़ रुपये की राशि तथा डाक सेवाओं के विस्तार पर 172 करोड़ रुपये की राशि खर्च की जाएगी ।

(ख) दूर संचार विस्तार योजना में 13.30 लाख नये टेलीफोन कनैक्शन प्रदान करने, 20,000 नये सार्वजनिक टेलीफोन घर खोलने तथा समान संख्या में तारघर खोलने की मुख्य परियोजनाएं शामिल हैं । विस्तार कार्यक्रम में लम्बी दूरी के पारेषण माध्यम में और अधिक माइक्रोवेव रेडियों रिले प्रणाली तथा को-एक्सिअल प्रणाली की संस्थापन के जरिए सुधार करना भी शामिल है । छठी योजना के दौरान दूरसंचार क्षेत्र में इलेक्ट्रानिक स्विचिंग प्रौद्योगिकी भी चालू की जाएगी । विस्तार कार्यक्रम में, योजना अवधि के दौरान दूरवर्ती तथा अगम्य इलाकों की आवश्यकता पूरी करने के लिए उपग्रह संचार संस्थापित किया जाना भी शामिल है ।

(ग) देश के सीमावर्ती तथा अगम्य पहाड़ी इलाकों में बेहतर दूरसंचार सुविधाएं प्रदान करने के लिए उपग्रह—संचार परियोजना के अन्तर्गत भू-केन्द्रों की संस्थापना की गई है । पहाड़ी इलाकों में रेडियों रिले प्रणाली की भी योजना बनाई गई है ।

समेकित दूरसंचार व्यवस्था कार्यक्रम

1888. **श्री वृद्धि चन्द जैन** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) समेकित दूरसंचार व्यवस्था कार्यक्रम में शामिल करने के लिए देश के किन-किन जिलों को चुना गया है ;

(ख) इन जिलों में इस समेकित कार्यक्रम के विस्तार और विकास में अब तक कितनी प्रगति हुई है ; और

(ग) यह कार्य पूरी तरह से कब तक पूरा हो जाने की सम्भावना है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) चुने गए जिलों के नाम निम्नानुसार हैं :

1. आगरा
2. अलेपी
3. वाडमेर
4. बेलयाम
5. भोपाल/सीहोर
6. जलपाईगुड़ी
7. कटिहार/पूर्णिया
8. कोहिमा/मोकोन्कचुंग/सेन्सांग
9. कोलाबा
10. कोरापुट
11. कृष्णा
12. मथुरा
13. मेहसाना
14. मुर्शिदाबाद
15. नादियाड
16. उत्तरी लखीमपुर
17. संगरूर
28. दक्षिण अरकूट/पांडिचेरी

(ख) इन जिलों में समेकित जाल कार्य योजनाओं को लागू करने सम्बन्धी प्रस्ताव विभाग के विचाराधीन है।

(ग) कार्य के छठी योजना में पूरा होने की सम्भावना है।

कोलगेट पामोलिव (इण्डिया) लि०

1889. **श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री** : क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोलगेट पामोलिव (इंडिया) लिमिटेड बाजार में अपने द्वारा निर्मित अन्य कम प्रचलित मदों की बिक्री बढ़ाने के लिए अपने टूथपेस्टों और टूथपाउडरों का प्रयोग कर रहा है जिससे एम. आर. टी. पी. अधिनियम का उल्लंघन होता है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा और उसके तथ्य क्या हैं तथा स्थिति को ठीक करने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० ए० रहीम) : (क) तथा (ख) एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार आयोग को मै० कोलगेट पामोलिव (इंडिया) लिमिटेड के एक व्यापारी से अप्रैल, 1981 में इन आरोपोंयुक्त एक शिकायत प्राप्त हुई थी कि कम्पनी एक अधिक बिकने वाली वस्तु कोलगेट टूथपेस्ट के साथ अन्य कम बिकने वाली वस्तुएं जैसे टूथपाउडर, शेम्पू, टूथ ब्रुश आदि खरीदने का बंधन लगाती है। तथापि, आयोग द्वारा सम्बन्धित बाजार में की गई जांचों से इन आरोपों की पुष्टि के लिए साक्ष्य प्राप्त नहीं हुए।

बिजली के फेल हो जाने से कार्यक्रम घंटों का नुकसान

1890. **श्री आर० एन० राकेश** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वित्तीय वर्ष 1981-82 के दौरान बिजली फेल हो जाने के कारण कितनी बार दूरदर्शन कार्यक्रमों में बाधा आई ;

(ख) उपर्युक्त अवधि के दौरान बिजली की सप्लाई के उपलब्ध न होने के कारण कितने कार्यक्रम घंटों का नुकसान हुआ ; और

(ग) भाविष्य में इस समस्या को दूर करने के लिए सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री वसन्त साठे) : (क) और (ख) वित्तीय वर्ष 1981-82 के दौरान, बिजलीं की सप्लाई उपलब्ध न होने के कारण विभिन्न दूरदर्शन केन्द्रों पर दूरदर्शन कार्यक्रमों में 1,172 बार बाधा आई और कुल 94 घन्टे और 4 मिनट के कार्यक्रम घन्टों का नुकसान हुआ।

(ग) दूरदर्शन केन्द्रों के लिए बिजली की विश्वसनीय और स्थायी सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए दूरदर्शन राज्यों के विद्युत प्राधिकारियों के निरन्तर सम्पर्क में हैं। इसके अलावा, जिन स्थानों पर बिजली की सप्लाई अत्यन्त अविश्वसनीय है, उनके कुछ केन्द्रों को सेवा जारी रखने के लिए अल्प क्षमता वाले डीजल जनरेटर उपलब्ध किए गए हैं।

अहमदाबाद रेडियो स्टेशन की क्षमता

1891. **श्री आर० पी० गायकवाड़** : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि आकाशवाणी, अहमदाबाद की क्षमता आरम्भ से ही केवल 50 किलोवाट रही है ; जबकि अहमदाबाद शहर की जनसंख्या वर्ष 1951 में 8.1 लाख से बढ़कर वर्ष 1981 में 25 लाख हो गई है ;

(ख) क्या सरकार को इस बात की जानकारी भी है कि वर्तमान चैनल पर दबाव और

अहमदाबाद स्टेशन में, सीमित क्षमता होने के कारण गुजराती भाषा के कार्यक्रम में कटौती करनी पड़ती है और विशेषकर जन जाति तथा पिछड़े वर्ग के लोगों के कार्यक्रम डांग्स और पंचमहल जिलों में नहीं सुनाई देते ;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार आकाशवाणी अहमदाबाद में 50 किलोवाट का दूसरा चैनल उपलब्ध कराने का है ; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री वसंत साठे) : (क) अहमदाबाद में अकाशवाणी केन्द्र की स्थापना एक किलोवाट मीडियम वेव के अल्प शक्ति वाले एक ट्रांसमीटर के साथ 1949 में की गई थी। वर्ष 1954 में इस ट्रांसमीटर की शक्ति बढ़ाकर 50 किलोवाट कर दी गई थी। यद्यपि 1951 के बाद जनसंख्या बढ़ गई है तो भी यह ट्रांसमीटर गुजरात राज्य के बड़े हिस्से को संतोषजनक सेवा प्रदान कर रहा है।

(ख) यह केन्द्र गुजराती, हिन्दी, अंग्रेजी और सिन्धी भाषाओं में कार्यक्रम दो चैनलों पर प्रसारित करता है एक 50 किलोवाट के मीडियम वेव के ट्रांसमीटर पर विकीर्ण होता है और अन्य विविध भारती वाणिज्यिक सेवा एक किलोवाट मीडियम वेव ट्रांसमीटर पर। इन कार्यक्रमों में से 44 प्रतिशत कार्यक्रम गुजराती भाषा में प्रसारित किए जा रहे हैं। डांग्स और पंचमहल जिलों को आकाशवाणी के अहमदाबाद केन्द्र द्वारा आंशिक रूप से कवर किया जाता है। पंचमहल आकाशवाणी इन्दौर के 100 किलोवाट मीडियम वेव के ट्रांसमीटर के सेवाक्षेत्र के अन्दर आता है।

(ग) और (घ) कुछ हद तक संसाधनों के अभाव और समग्र प्राथमिकताओं के कारण किन्तु मुख्यतया दूसरे चैनल की सेवा की अत्यधिक आवश्यकता के अभाव के कारण इस प्रकार का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है।

मंत्रालय/डाक तार बोर्ड में अधिकारियों के ग्रेड के अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति के लोगों का अभ्यावेदन

1892. **श्री भीखा भाई** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) संचार मंत्रालय/डाक-तार बोर्ड में केन्द्रीय सचिवालय सेवा के कितने अनुभाग अधिकारी/अवर सचिव/सहायक महानिदेशक हैं ;

(ख) उपरोक्त भाग (क) में, पदवार कुल कितने प्रतिशत अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति के लोग हैं ;

(ग) क्या यह सच है कि उपरोक्त भाग (क) में उल्लिखित पदों के संबंध में मंत्रालय/डाक-तार बोर्ड में 40 प्वाइंट रोष्टर का पालन नहीं किया गया है ;

(घ) क्या जब तक गृह मंत्रालय से योग्यता प्राप्त और नियमित उम्मीदवार नहीं होते, तब तक के लिए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति के उम्मीदवरों को प्रारम्भिक रूप से नियुक्त किए जाने के प्रश्न की जांच की गई है ; यदि हां, तो उसके क्या परिणाम रहे ; और

(ङ) इस सम्बन्ध में सरकार की नीति क्या है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) संचार मंत्रालय में (डाक तार बोर्ड सहित) अनुभाग अधिकारी/अवर सचिव/सहायक महानिदेशकों की कुल संख्या नीचे लिखे अनुसार हैं :

	कुल संख्या
अनुभाग अधिकारी	100
अवर सचिव/सहायक महानिदेशक (केन्द्रीय सचिवालय सेवा का ग्रेड-1)	19

(ख)	अनुभाग अधिकारी ग्रेड	अवर सचिव/सहायक महानिदेशक (के० स० सेवा का ग्रेड-1)
अनुसूचित जातियों का प्रतिशत	10%	31.57%
अनुसूचित जनजातियों का प्रतिशत	1%	शून्य

(ग) अनुभाग अधिकारी ग्रेड में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति के कर्मचारियों के आरक्षण के लिए संचार मंत्रालय में भर्ती के प्रत्येक तरीके में विधिवत् स्वतंत्र रोस्टर रखे जाते हैं। अवर सचिव और सहायक महानिदेशकों (के० स० सेना का ग्रेड-1) के मागले में संवर्ग नियंत्रक प्राधिकारी कार्मिक तथा प्रशासनिक सुधार विभाग हैं और केन्द्रीय आधार पर वह विभाग ही रोस्टर रखता है।

(घ) और (ङ) अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति के आरक्षण के बारे में आम नीति और मार्ग निर्देश, गृह मंत्रालय (कार्मिक तथा प्रशासनिक सुधार विभाग) द्वारा बनाए जाते हैं। यद्यपि तदर्थ नियुक्ति के लिए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के आरक्षण की औपचारिक व्यवस्था नहीं है तथापि वर्तमान अनुदेशों में यह उपबन्ध है कि लोक हित में तदर्थ प्रोन्नत्तियों का टालना मुश्किल होने पर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जातियों के, पात्र अधिकारियों के दावों पर विधिवत् विचार किया जाए। तदर्थ/नियमित नियुक्तियां करते समय गृह मंत्रालय (कार्मिक तथा प्रशासनिक सुधार विभाग) द्वारा जारी उपर्युक्त अनुदेशों तथा अन्य अनुदेशों का संचार मंत्रालय में निष्ठापूर्वक पालन किया जा रहा है।

राजाध्यक्ष समिति की रिपोर्ट पर राज्य सरकारों की प्रतिक्रिया

1893. **श्री जैनुल बशर :** क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विद्युत उत्पादन वितरण को केन्द्रीय सूची में शामिल करने के बारे में राजाध्यक्ष समिति की रिपोर्ट पर राज्यों की प्रतिक्रिया प्राप्त हो गई है ;

(ख) प्रतिक्रिया भेजने वाले राज्यों के नाम क्या हैं तथा संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) क्या राज्य विद्युत बोर्डों की खराब हालत तथा देश की प्रगति में बिजली के महत्व को देखते हुए विद्युत उत्पादन/वितरण को केन्द्रीय सूची में शामिल करने के लिए केन्द्रीय सरकार अपने स्तर पर कोई कार्यवाही कर रही है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) से (ग) विद्युत समिति ने अन्य बातों के साथ-साथ यह सिफारिश की है कि विद्युत उत्पादन में केन्द्र की भूमिका को बढ़ाने की आवश्यकता होगी ताकि 2000 ईसवी तक समस्त उत्पादन क्षमता का कम से कम 45 प्रतिशत का स्वामित्व प्राप्त किया जा सके समिति ने यह भी सिफारिश की है कि ऐसी अतिरिक्त उच्च वोल्टता पारेषण लाइनों और उप-केन्द्रों का स्वामित्व प्राप्त करने के लिए केन्द्र को तुरंत कदम उठाने चाहिए। इससे क्षेत्रीय ग्रिड का अधिकनम प्रचालन किया जा सकेगा । गुजरात, हिमाचल प्रदेश, जम्मु और कश्मीर, मणिपुर और नागालैण्ड ने इन सिफारिशों पर अपने विचार बता दिए हैं। गुजरात, हिमाचल प्रदेश तथा जम्मू और कश्मीर ने इस बारे में कुछ आपत्तियां प्रकट की हैं।

केन्द्रीय सूची में विद्युत उत्पादन/वितरण को शामिल करने का इस समय कोई प्रस्ताव नहीं है। राज्य बिजली बोर्डों के समग्र कार्य-निष्पादन में सुधार लाने के लिए भारत सरकार संबंधित राज्य सरकारों के साथ परामर्श करके उनके कार्य निष्पादन की ध्यान पूर्वक मानीटरिंए कर रही है।

नया गैर कानूनी गैस कनेक्शन

1894. **श्री एच० एन० नन्जे गौडा**
श्री डी० एम० पुत्ते गौडा } : क्या **पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में बहुत से नए गैर कानूनी गैस कनेक्शनों का पता चला है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या सरकार का विचार गैर-कानूनी गैस कनेक्शन का पता लगाने के लिए घर-घर जाकर पूरी जांच करने का है ; और

(घ) यदि हां, तो कब और इस बारे में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री पी० शिवशंकर) : (क) और (ख) सितम्बर 1979 से नवम्बर, 1981 के बीच देश में खाना पकाने की गैस (एल. पी. जी) के नगभग 94,380 अनधिकृत कनेक्शनों को तेल कम्पनीयों द्वारा नियमित कर दिया गया है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) वास्तविक ग्राहकों को केवल सप्लाई करने के लिए तेल कम्पनियों द्वारा अपने एल. पी. जी. बितरकों को आवश्यक निर्देश जारी कर दिग गए हैं।

मथुरा तेल शोधक कारखाने का कार्यक्रम

1895. **श्री एच० एन० नन्जे गौडा**
श्री डी० एम० पुत्ते गौडा : क्या **पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नए चालू किए गए मथुरा तेल शोधक कारखाने के असंतोषजनक कार्यकरण के कारण पेट्रोलियम उत्पादों के खरीददार असुविधा महसूस कर रहे हैं ;

(ख) मथुरा तेलशोधक कारखाने के कार्यकरण को सुचारू बनाने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं ;

(ग) क्या यह भी सच है कि तेल शोधक कारखाने के विपणन केन्द्र द्वारा खरीददारों को दिये गये उत्पाद महंगे होते हैं और जब उन्हें फैक्ट्री के द्वार पर लाया जाता है, तो टैंकर्स में लिखी गई मात्रा से कम मात्रा से कम पाई जाती है ; और

(घ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) और (ख) मथुरा शोधनशाला को जनवरी 1982 के अन्त में परीक्षण उत्पादन शुरू किया गया। चूंकि अनुपूरक शोधक सुविधाएं अभी चालू होनी हैं, यह इस समय प्रति वर्ष 4.0 से 4.5 मि० मी० टन की क्षमता पर काम कर रही है। इन सुविधाओं के चालू होने की सम्भावना है, के साथ शोधनशाला पूरी क्षमता प्राप्त कर लेगी।

(ग) और (घ) मथुरा शोधनशाला से डिलवर किए गए उत्पाद मथुरा शोधनशाला द्वारा परीक्षण उत्पादन करने से पहले की तुलना में अधिक मंहगे नहीं हैं और अन्य शोधनशालाओं/आयात द्वारा सप्लाई किये गये थे।

पेट्रोलियम उत्पादों को मथुरा शोधनशाला में टैंक वैगनों/टैंक गाड़ियों में लादे जाते हैं और बांट एवं माप विभाग द्वारा प्रमाणित पैमाने द्वारा मापे जाते हैं। इस प्रकार शोधनशाला बिक्री केन्द्र पर फिलिंग में कोई अल्प-फिलिंग नहीं होती है। तथापि, इंडियन आयल कारपोरेशन लि० द्वारा

मथुरा से भट्टी तेल के कम होने के मामले में कुछ शिकायतें प्राप्त की गई हैं जो टैंकों, ट्रकों जिनका ताप वातावरणीय ताप से अधिक था में लदान के कारण था। इंडियन आयल कारपोरेशन लि० द्वारा उपभोक्ताओं को अनुरूपी विश्वास देने के लिए कार्रवाई की जा रही है।

भारतीय तेल निगम द्वारा डामर की सप्लाई

1896. **श्री एच० एन० नन्जे गौडा** : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय तेल निगम देश में डामर के उपभोक्ताओं की मांग पूरी करने में समर्थ हैं ;

(ख) यदि हां, तो मथुरा तेल शोधक कारखाने में 1981-82 के दौरान होने वाले डामर के उत्पादन का ब्यौरा क्या है ;

(ग) भारतीय तेल निगम का विचार अपने उत्पाद का उपभोक्ताओं में किस प्रकार वितरण करने का है ;

(घ) क्या उपभोक्ताओं को लाभ होगा ; और

(ङ) यदि हां, तो किस प्रकार ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) देश में बिटुमन का विपणन केवल इंडियन आयल कारपोरेशन लिमिटेड/आई. ओ. सी. द्वारा ही नहीं किया जाता है, बल्कि भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड (बी.पी.सी.एल.) और हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड (एच. पी. सी. एल) द्वारा भी किया जाता है। मांग के अनुमान तेल समन्वय समिति द्वारा तैयार किए जाते हैं। बजट बद्ध मागों को पूरा करने के लिए बिटुमन की उपलब्धता को पर्याप्त समझा गया है।

(ख) वर्ष 1981-82 के दौरान मथुरा शोधनशाला में बिटुमन का कोई उत्पादन नहीं हुआ हैं।

(ग) राज्य-वार किये गये आवंटनों और कम्पनी-वार सप्लाई के ब्यौरों को ध्यान में रखते हुए मथुरा शोधनशाला में उत्पादित बिटुमन को विभिन्न उपभोक्ताओं में वितरित करने का प्रस्ताव दिया गया है।

(घ) और (ङ) उन उपभोक्ताओं को लाभ होगा जो बिटुमन की अपनी बडी मात्राओं की सप्लाई को बिपुल रूप में प्राप्त करते हैं, क्योंकि अन्य लाभों के अतिरिक्त बिपुल मात्रा में बिटुमन पैक किए गए बिटुमन की तुलना में सस्ता होता है। विपुल रूप में बिटुमन पहली बार बड़ी मात्राओं में उत्तरी भारत में मथुरा शोधनशाला में उपलब्ध होगा।

तेल निर्यातक देशों के संगठन द्वारा तेल के उत्पादन पर रोक

1897. **श्री एच० एन० नन्जे गौडा :** क्या **पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व में तेल की अभूतपूर्व भरमार के कारण तेल निर्यातक देशों के संगठन ने अपने मूल्य न गिरने देने के लिए तेल के उत्पादन पर रोक लगाने का निर्णय किया है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि तेल निर्यातक देशों के संगठन ने अपने कुल उत्पादन तथा अलग-अलग उत्पादन कोटों पर अधिकतम सीमा बनाये रखने का निर्णय किया है ;

(ग) क्या उपरोक्त (क) और (ख) के परिणामस्वरूप पेट्रोल पम्प पर पेट्रोल का मूल्य न्यूनाधिक रूप से स्थिर रहेगा ; और

(घ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री पी० शिवशंकर) : (क) से (घ) समाचार-पत्र में दी गई रिर्पोटों के अनुसार बाजार को स्थिर रखने के लिए 1 अप्रैल, 1982 से ओ. पी. ई. सी. के खनिज तेल उत्पादन पर एक उच्चतम सीमा लगाने का निर्णय ओ. पी. ई. सी. ने लिया था।

पेट्रोल का मूल्य, खनिज तेल के अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य सहित अनेक तथ्यों पर निर्भर करता है इन समस्त तथ्यों की लगातार पुनरीक्षा की जा रही है ।

नियंत्रण समाप्त की गई औषधियों के लिए व्यापार लाभ

1898. **श्री के० लकप्पा :** क्या **पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आल इंडिया आर्गेनाइजेशन आफ केमिस्ट्स एण्ड ड्रगिस्ट्स तथा प्रमुख औषध निर्माता एसोसियेशनों के प्रतिनिधियों ने औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश की श्रेणी-चार के अन्तर्गत आने वाली नियंत्रण समाप्त की गई औषधियों के लिए व्यापार लाभ (ट्रेड मार्जिन) लागू करने का निर्णय किया है :

(ख) यदि हां, तो खुदरा-विक्रेताओं तथा वितरकों के लिए कितना लाभ (मार्जिन) एक समान रखा जाएगा :

(ग) क्या सरकार ने ऐसी समस्याओं के समाधान के लिए कोई समन्वय समिति गठित की है ; और

(घ) यदि हां, तो इस बारे में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) से (घ) भारतीय औषध निर्माता संघ (भा. औ. नि. स.) और भारतीय फार्मास्युटिकल्स उत्पादन संगठन (भा. फा. उ. स.) द्वारा सरकार को सूचित किया गया है कि दोनों संघों ने कैमिस्टों और ड्रगिस्टों के उपरोक्त संघों से मूल्य अनियंत्रित औषधों पर व्यापार लाभ के बारे में अलग-अलग करार किया है।

औषधों (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 1979 में निर्धारित व्यापार लाभ जो मूल्य नियंत्रित औषधों पर लागू है गैर-इथिकल औषधों के सम्बन्ध में 10 प्रतिशत और खुदरा विक्रेताओं के लिए इथिकल औषधों के सम्बन्ध में 12 प्रतिशत और थोक विक्रेताओं के लिए 2 प्रतिशत है।

व्यापार लाभ के प्रश्न पर कार्यवाही करने हेतु सरकार ने कोई समन्वय समिति गठित नहीं की है। तथापि, इन लाभों में वृद्धि करने के लिए उपरोक्त दोनों संघों द्वारा सरकार से सिफारिश की गई थी। यह प्रस्ताव सरकार द्वारा स्वीकार नहीं किया गया था।

तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग के अधिकारियों की लापरवाही के कारण दुर्घटनायें

1899. **श्री रामनाथ सोनकर शास्त्री** : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग, बम्बई के अधिकारियों की लापरवाही के कारण पिछले दो वर्षों में कुछ दुर्घटनाएं हुई हैं ;

(ख) यदि हां, तो कुल कितनी दुर्घटनाएं हुई हैं और प्रत्येक दुर्घटना में हुए नुकसान का ब्योरा क्या है ; और

(ग) इसके लिए जिम्मेदार अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ;

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री पी० शिवशंकर) : (क) से (ग) अभी हाल में इरान क्षेत्र में कुछ दुर्घटनाएं हुई हैं एक जांच समिति की स्थापना की गई है। केवल जांच समिति द्वारा अपनी रिपोर्ट पुस्तुत करने के बाद ही परिणामों का पता चलेगा।

डाक सामग्री का वितरण न किया जाना

1900. **श्री डी० पी० जदेजा**
श्री नवीन रवाणी } : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को उन शिकायतों की जानकारी है जिनमें कहा गया है कि डाक कर्मचारी डाक सामग्री का वितरण न करके उसे नष्ट कर देते हैं ;

(ख) सरकार ने दोषी व्यक्तियों को पकड़ने के लिए सतर्कता के कौन से उपाय किए है ; और

(ग) 1981 और 1982 में ऐसे कितने दोषी व्यक्तियों का पता लगा है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) (क) और (ख) पूर्ण जांच पड़ताल के बाद जब इस प्रकार के मामलों का, जो कि बिरले तथा इक्के दुक्के ही होते हैं, पता लग जाता है तो भारतीय डाकघर अधिनियम 1998 के तहत विभागीय एवं वैधानिक कार्रवाई की जाती है। विभागीय नियमों तथा अनुदेशों में वितरण कर्मचारियों की जांच एवं निगरानी की पर्याप्त व्यवस्था है।

(ग) वर्ष 1981-82 के दौरान इस प्रकार के मामलों में 21 विभागेतर/विभागीय कर्मचारी लिप्त पाए गए।

राज्य विधान सभाओं में आरक्षित सीटों का बारी-बारी बदला जाना

1901. **श्री दौलत सिंह जी जदेजा**
श्री मोहन लाल पटेल : क्या विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को विधान सभाओं और संसद की आरक्षित सीटों के बारी-बारी बदले जाने संबंधी प्रस्तावों पर शीघ्र विचार करने के लिए अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं ; और

(ख) निर्वाचन आयोग की इस सिफारिश विशेष को कार्यान्वित करने में विलम्ब होने के क्या करण हैं ?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री (श्री जगन्नाथ कौशल) : (क) और (ख) जी हां। निर्वाचन संबंधी सुधारों के बारे में निर्वाचन आयोग की सिफारिशों के साथ-साथ अन्य सिफारिशें/सुझाव मंत्रिमंडल की निर्वाचन सुधार समिति के विचाराधीन हैं। सिफारिशों के क्रियान्वयन का प्रश्न तभी उत्पन्न होगा जब इस विषय में कोई अन्तिम विनिश्चय कर लिया जाएगा।

नेशनल फर्टिलाइजर कम्पनी लिमिटेड द्वारा अर्जित लाभ

1902. **श्री दौलत राम सारण** : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1981-82 के दौरान नेशनल फर्टिलाईजर्स कम्पनी लिमिटेड द्वारा अर्जित वास्तविक लाभ क्या है ;

(ख) क्या यह सच है कि यह लाभ देश में सरकारी और गैर सरकारी उर्वरक कम्पनियों में अधिकतम हैं ;

(ग) इस वर्ष अधिकतम लाभ अर्जित करने में सहायक मुख्य बातें क्या हैं ; और

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान स्थिति क्या थी और उसके क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) वर्ष 1981-82 के दौरान नेशनल फर्टिलाइजर लि० ने कुल 37.14 करोड़ रुण्ये का अस्थायी संचालन लाभ अर्जित किया।

(ख) 1981-82 के लिए सरकार के पास उपलब्ध अनन्तिम आंकड़ों के अनुसार उपर्युक्त लाभ सरकारी क्षेत्र की उर्वरक कम्पनियों में से अधिकतम हैं। इस अवधि के लिए निजी क्षेत्र की उर्वरक कम्पनियों द्वारा अर्जित लाभ के आंकड़े इस समय उपलब्ध नहीं हैं।

(ग) उपर्युक्त लाभ अर्जित करने में कम्पनी की सहायता करने वाले मुख्य पहलू निम्नलिखित हैं :

(i) नांगल एक्सपेंशन, पानीपत तथा भटिण्डा के संयंत्र वर्ष के दौरान अच्छी प्रकार चलते रहे।

(ii) इन्फ्रास्ट्रक्चर में काफी सुधार हुआ जिसके परिणास्वरूप कम्पनी कच्चे माल तथा फरनेस आयल, एल० एस० एच० एस० आदि जैसी उपयोगी वस्तुओं की नियमित आपूर्ति प्राप्त कर सकी।

(iii) वर्ष के दौरान बिजली सम्बन्धी रुकावटें तुलनात्मक रूप से कम पड़ीं।

(घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान संचालन लाभ/हानि की स्थिति निम्न प्रकार हैं :

1978-79	रुपये 2.28 करोड़ (हानि)
1979-80	रुपये 14.26 करोड़ (हानि)
1980-81	रुपये 41.61 करोड़ (हानि)

हानि के मुख्य कारण फीड स्टाक और कोयले की अपर्याप्त उपलब्धता बिजली रुकावट तथा उसमें उतार-चढ़ाव थे। इसके अतिरिक्त, 1978-79 के दौरान, भटिंडा और पानीपत के संयंत्र निर्माणाधीन थे और नांगल एक्सपेंशन संयंत्र ने अपना वाणिज्यिक उत्पादन 1-11-78 से आरम्भ किया। पानीपत और भटिंडा संयंत्रों ने क्रमशः 1-9-79 और 1-10-79 से वाणिज्यिक उत्पादन आरम्भ किया।

तेल तथा अन्य पेट्रोलियम उत्पादों में आत्मनिर्भरता

1903. **श्री मूल चन्द डागा :** क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत तेल तथा अन्य पेट्रोलियम उत्पादों के क्षेत्र में वर्ष 1985 तक आत्मनिर्भर हो जाएगा ;

(ख) यदि हां, तो इस समय देश में तेल तथा विभिन्न प्रकार के पेट्रोलियम उत्पादों की कितनी आवश्यकता है ; और

(ग) इस समय कुल आवश्यकता की तुलना में कितने प्रतिशत तेल और पेट्रोलियम उत्पाद देश में उत्पादित हो रहे हैं ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री पी० शिवशंकर) : (क) जबकि स्वदेशी कच्चे तेल के उत्पादन और स्वदेशी शोधन क्षमता दोनों को बढ़ाने के लिए कई उपाय किए गए हैं, जिससे कच्चे तेल और पेट्रोलियम उत्पादों की सम्पूर्ण आवश्यकता कम हो जाएगी, इस सम्बन्ध में आत्म निर्भरता पेट्रोलियम की मांग में वृद्धि की दर और पहले से ही खोजे गये क्षेत्रों से वास्तव में प्राप्त किये गये और नये क्षेत्रों जिन्हें भविष्य में खोजा जायेगा से प्राप्त स्वदेशी कच्चे तेल के उत्पादन स्तरों पर निर्भर होगी।

(ख) वर्ष 1982-83 के लिए देश की शोधनशालाओं में परिशोधन करने के लिए कच्चे तेल की अनुमानित आवश्यकता करीब 31.7 मि० मी० टन है। वर्ष के लिए पेट्रोलियम उत्पादों की आवश्यकताओं का अनुमान 35.7 मि० मी० टन है।

(ग) स्वदेशी उत्पादन की कुल आवश्यकता की प्रतिशतता निम्न प्रकार हैं :

कच्चा तेल	66.1 प्रतिशत
पेट्रोलियम उत्पाद	82.05 प्रतिशत

न्यायालयों में अनिर्णीत मामलों के निपटान संबंध में विधि मंत्रियों के सम्मेलन में लिया गया निर्णय

1904. **श्री मूल चन्द डागा :** क्या विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) लोगों को सस्ता, आसान और शीघ्र ही न्याय दिलाने हेतु अभी हाल ही में हुए विधि मंत्रियों के सम्मेलन में कौन कौन से महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं ; और

(ख) क्या सरकार ने सभी राज्यों के उच्च न्यायालयों, सत्र न्यायालयों और सिविल न्यायालयों में इस समय पड़े अनिर्णीत मामलों की संख्या का पता लगाया है और सम्मेलन में इतनी अधिक संख्या में मामले अनिर्णीत पड़े रहने के क्या कारण बताए गए हैं और इस सम्मेलन में इन मामलों को शीघ्र निपटाने के लिए क्या निर्णय लिए गए हैं ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री जगन्नाथ कौशल) : (क) और (ख) : हाल ही में हुए विधि मंत्रियों के सम्मेलन में न्यायालय फीस के प्रश्न पर विचार-विमर्श हुआ था और वह न्यायालय फीस को पूर्ण रूप से समाप्त करने की अपेक्षा उसके सुव्यवस्थीकरण के पक्ष में था। इस बात पर सभी एक मत थे कि वास्तविक रूप से जरूरतमंद व्यक्तियों की सहायता की जानी चाहिए और ऐसे विशेष प्रकार के मामलों का उल्लेख किया जाना चाहिए जिनके लिए न्यायालय फीस न्यूनतम कर दी जानी चाहिए। इस पहलू पर विचार करने के लिए राज्यों के 5 विधि मंत्रियों की एक समिति गठित की गई है। निर्धनों को विधिक सहायता देने के कार्यक्रम के और अधिक प्रभावी रूप से क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए प्रोत्साहित किया गया।

31-12-1980 को विभिन्न उच्च न्यायालयों और अधीनस्थ न्यायालतों में लंबित मामलों की संख्या वही थी जो संलग्न विवरण में दी गई है। मामलों के लंबित रहने के कारण जटिल हैं।

सरल और शीघ्र न्याय उपलब्ध कराने के लिए उक्त सम्मेलन ने उन न्यायिक अधिकारियों के उचित रूप से चयन के महत्व पर बल दिया जो विधि का प्रशासन शीघ्रता से करेंगे और उसने इस संदर्भ में अखिल भारतीय न्यायिक सेवा की स्थापना की बात सिद्धांतरूप में स्वीकार की। राज्यों से यह भी अनुरोध किया गया कि वे न्यायालयों में बकाया मामलों की संख्या में कमी करने के लिए विधि आयोग द्वारा उसकी 77 वीं और 79 वीं रिपोर्टों में की गई सिफारिशों को और उनको भेजे गए अन्य सुझावों को कार्यान्वित करें।

विवरण

उच्च न्यायालयों में लंबित मामले (31-12-80 को)	—	6,78,951
लंबित मामले (31-12-80 को)		
सेशन न्यायालय	—	1,59,489
मजिस्ट्रेट न्यायालय	—	59,51,299
जिला न्यायालय (मूल)	—	29,11,803
जिला न्यायालय (अपील)	—	2,09,218

फिल्मों में कामोत्तेजक तथा हिंसात्मक दृश्यों के चित्रण पर प्रतिबंध

1905. **श्री मूल चन्द डागा** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान कामोत्तेजक तथा हिंसात्मक दृश्यों का चित्रण करने वाली कौन-कौन सी फिल्मों पर प्रतिबन्ध लगाया गया है ; और

(ख) यदि ऐसी किसी फिल्म पर प्रतिबन्ध नहीं लगाया गया है, तो इसके क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री बसन्त साठे) : (क) और (ख) संभवतया माननीय सदस्य उन फिल्मों के नाम जानना चाहते हैं जिन्हें शुरू में बोर्ड द्वारा प्रमाणीकृत किया गया था और बाद में सरकार द्वारा अप्रमाणीकृत या निलम्बित कर दिया गया था। वर्ष 1979 में, "जादू टोना" (हिन्दी) और "दि एक्सार्सिस्ट" (अंग्रेजी) (संशोधित) नामक फिल्में अप्रमाणीकृत कर दी गई थीं, क्योंकि इन फिल्मों में अन्य बातों के साथ साथ हिंसा, क्रूरता और आतंक के वर्जनीय दृश्य थे। तथापि आवेदक द्वारा दायर की गई एक रिट याचिका पर, "जादू टोना" (हिन्दी) नामक फिल्म के बारे में केन्द्रीय सरकार के आदेश को मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा रद्द कर दिया गया था।

1980 में "लोक परलोक" (हिन्दी) नामक फिल्म का प्रदर्शन दो मास के लिए निलम्बित कर दिया गया था, क्योंकि इस फिल्म में अन्य बातों के साथ साथ सार्वजनिक व्यवस्था और शालीनता से संबंधित उपबंधों का उल्लंघन करने वाले दृश्य थे । तथापि, आपत्तिजनक समझे गए अंशों को निकाल दिए जाने के बाद इस फिल्म को रिलीज किए जाने की अनुमति दे दी गई थी।

1981 में, 'मिडनाइट एक्सप्रेस' (अंग्रेजी) नामक फिल्म को केन्द्रीय सरकार द्वारा अप्रमाणीकृत कर दिया गया था, क्योंकि इस फिल्म में अन्य बातों के साथ-साथ विदेशों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों शालीनता और नैतिकता तथा किसी अपराध का करना उद्दीप्त होने से संबंधित उपबन्धों का उल्लंघन करने वाले दृश्य थे । "मेरी आवाज सुनो" (हिन्दी) नामक फिल्म का प्रदर्शन 19.12.81 को निलम्बित कर दिया गया था, क्योंकि यह महसूस किया गया था कि यह फिल्म हिंसा, क्रूरता, किसी अपराध का करना उद्दीप्त होना तथा अभद्रता से संबंधित मार्गदर्शी सिद्धान्तों का उल्लंघन करती थी। इसके साथ साथ आवेदक को फिल्म के अप्रमाणीकरण के लिए कारण बताओ नोटिस भी जारी किया गया था। तथापि, फिल्म के वितरकों ने विभिन्न उच्च न्यायालयों में रिट याचिकाएं दायर की और स्थगन मिलम्बन आदेश प्राप्त कर लिए। सभी रिट याचिकाओं को उच्चतम न्यायालय में स्थानांतरित करने के लिए एक याचिका 9.1.1982 को दायर की गई थी। तथापि, उच्चतम न्यायालय ने स्थानांतरण याचिका को 15.2.1982 को खारिज कर दिया, क्योंकि निलम्बन की अवधि 18.2.1982 को समाप्त होती थी और उसके बाद रिट याचिकाएं निष्फल हो जाती थीं। आवेदक ने कारण बताओ नोटिस के बारे में एक रिट याचिका कलकत्ता उच्च न्यायालय में दायर की है और इस प्रकार मामला न्याय निर्णाधीन है।

इनसेट-1 ए पर टेलीफोन चेनल

1906. **श्री जी० नरसिम्हा रेड्डी** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इनसेट सुविधाओं के माध्यम से अब टेलीफोन पर लम्बी दूरी तक बातचीत सरलता से की जा सकेगी ;

(ख) क्या इस सेवा से टेलीफोन सेवा को किसी अन्य प्रकार से भी लाभ पहुंचेगा ; और

(ग) क्या टेलीफोन और रेडियो टेलीफोन सेवाओं को इनसेट से कोई सहायता मिलेगी और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी, हां।

(ख) जी, नहीं।

(ग) दिल्ली, बंबई, मद्रास, शिलांग, कलकत्ता, जयपुर, लखनऊ, जालंधर, पटना, भुवनेश्वर, हैदराबाद, अहमदाबाद, एर्नाकुलम, श्रीनगर, जोधपुर, भुज, पंजिम, मिनीकाय, गांतोक, इटानगर, कोहिमा, इम्फाल, अगरतला, लेह, पोर्टब्लेयर, ऐजल, कवारत्ती तथा कार निकोबार (दूरवर्ती) स्थित 28 भू-केन्द्र स्थापित करने से उपग्रह माध्यम ने केवल वर्तमान ट्रंक माध्यम की क्षमता में ही वृद्धि होने की संभावना है . अपितु यह देश के दूरवर्ती इलाकों की लंबी दूरी की टेलीफोन/तार सेवाओं के लिए भी विश्वसनीय विकल्प प्रदान करेगा।

"कण्डक्टरों" की कमी

1907. **श्री पी० राजगोपाल नायडू** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हमारे पास कण्डक्टरों की कमी है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार इस कमी को दूर करने के लिए अपने कारखाने स्थापित कर रही है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

विजयवाड़ा और हैदराबाद आकाशवाणी से प्रसारित किए गए वार्तालाप

1908. **श्री पी० राजगोपाल नायडू** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1981-82 के दौरान विजयवाड़ा और हैदराबाद आकाशवाणी से वार्तालाप प्रसारित करने वालों के नाम क्या हैं तथा इन वार्तालापों के विषय क्या हैं ; और

(ख) इस पर कितनी धनराशि खर्च की गई ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री वसन्त साठे) : (क) सूचना एकत्र की जा रही है और उसको सदन की मेज पर रख दिया जाएगा।

(ख) 1981 और 1982 (30-6-1982 तक) के दौरान आकाशवाणी, विजयवाड़ा और आकाशवाणी, हैदराबाद द्वारा प्रसारित की गई वार्ताओं पर खर्च हुई कुल राशि 6,54,482.50 रुपये है जिसका केन्द्र-वार ब्यौरा इस प्रकार है :—

विजयवाड़ा	—	3,90,326.75 रुपये
हैदराबाद	—	2,64,155.75 रुपये
	कुल :	6,54,482.50 रुपये

विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय द्वारा छोटे तथा मझौले समाचारपत्रों तथा पत्रिकाओं को विज्ञापन

1909. **श्री अटल बिहारी वाजपेयी**
श्री सूरज भान : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विज्ञापन तथा दृश्य प्रचार निदेशालय द्वारा पिछले तीन वर्षों में प्रतिवर्ष तथा चालू वर्ष में दिए गये कुल विज्ञापनों में से कितने विज्ञापन छोटे तथा मझौले समाचारपत्रों और पत्रिकाओं को दिए गए ; और

(ख) क्या छोटे तथा मझौले समाचारपत्रों और पत्रिकाओं को दिए जाने वाले विज्ञापनों में कुछ कमी आई है, और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इसके लिए क्या उपाय किए गये हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री वसन्त साठे) : (क) गत तीन वर्षों के बारे में सूचना नीचे की तालिका में दी गई है :—

वर्ष	क्रम सं०	समाचारपत्रों की श्रेणी	लागत (रुपयों में)	प्रतिशतता
1979-80	1.	छोटे	57,76,239	20.39
	2.	मझौले	56,43,878	19.92
	1. और 2. का योग :		114,20,117	40.31
	3.	बड़े	169,11,291	59.69
	1, 2 और 3 का योग :		383,31,408	100.00
1980-81	1.	छोटे	90,40,561	25.79
	2.	मझौले	82,46,891	23.53
	1 और 2 का योग :		172,87,452	49.32
	3.	बड़े	177,68,094	50.68
	1, 2 और 3 का योग :		350,55,546	100.00
1981-82	1.	छोटे	93,13,196	23.74
	2.	मझौले	102,89,770	26.22
	1 और 2 का योग :		196,02,966	49.96
	3.	बड़े	196,36,913	50.04
	1, 2 और 3 का योग :		392,39,879	100.00

चालू वर्ष के आंकड़े अभी तैयार नहीं हैं।

(ख) जी, नहीं।

दिल्ली में खाना पकाने की गैस की अनधिकृत बिक्री करने वाला गिरोह

1910. **श्री राम प्यारे पनिका : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली और नई दिल्ली में खाना पकाने की गैस की अनधिकृत बिक्री करने वाला गिरोह बहुत अधिक सक्रिय है ;

(ख) यदि हां, तो उसके परिणामस्वरूप प्रतिदिन अनुमानतः कितना घाटा हो रहा है ;

(ग) क्या उस गिरोह को समाप्त करने के लिए सरकार कोई कार्यवाही कर रही है ; और

(घ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री पी० शिवशंकर) ; (क) तेल कम्पनियों द्वारा दिल्ली में सक्रिय कुकिंग गैस (एल. पी. जी) की अनधिकृत बिक्री करने वाले किसी संगठित गिरोह की रिपोर्ट मंत्रालय को नहीं मिली है। तथापि इण्डियन आयल कारपोरेशन लि० (आई. ओ. सी) ने एक अनधिकृत एजेंसी, जो अपने आपको नियमित इंडेन वितरकों के रूप में दिखा कर उपभोक्ताओं का नाम दर्ज कर रहे थे, का एक मामला रिपोर्ट किया है।

(ख) आई. ओ. सी. को इस कारण कोई हानि नहीं हुई है।

(ग) और (घ) मामले की आई. ओ. सी. द्वारा जांच की गई और उनके द्वारा दर्ज की गई शिकायत पर दोषी व्यक्तियों को पुलिस द्वारा पकड़ा गया जिससे उनकी गैर-कानूनी गति विधि समाप्त हो गई।

समाचारपत्रों को व्यापारिक हितों से अलग करना

1911. **श्री चित्त बसु : क्या सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या द्वितीय प्रेस आयोग ने समाचारपत्रों को व्यापारिक हितों से अलग करने की की सिफारिश की है ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री वसन्त साठे) : (क) और (ख) द्वितीय प्रेस आयोग की सिफारिशों की जांच की जा रही है। उन पर की गई कार्रवाई के ज्ञापन के साथ रिपोर्ट सदन की मेज पर यथासमय रख दी जाएगी।

कोल इण्डिया लिमिटेड द्वारा उत्तरी करणपुरा में श्रोपनकास्ट परियोजनाश्रों के लिए सोवियत संघ से सहायता

1912. **श्री कमला मिश्र मधुकर :** क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने प्रतिवर्ष 5 करोड़ टन की क्षमता की एक ओपन कास्ट परियोजना के लिए, जिसकी कोल इंडिया लिमिटेड द्वारा बिहार के उतरी करणपुरा में स्थापना की जाएगी, सोवियत संघ से सहायता मांगी है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और उस पर सोवियत संघ की सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

ऊर्जा मंत्रालय के कोयला विभाग में राज्य मंत्री (श्री गार्गी शंकर मिश्र) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

गैस कनेक्शन देने में कदाचार

1913. **श्री विजय कुमार यादव :** क्या पेट्रोलियम रसायन, श्रौर उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गैस एजेंसियां देने में और उपभोक्ताओं की गैस की सप्लाई में धांधली और कदाचार हो रहे हैं ; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इस धांधली और कदाचार को रोकने का है ; यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) और (ख) जी, नहीं। तथापि खाना पकाने की गैस (एल. पी. जी) के डीलरों/डिस्ट्रीब्यूटरों के चयन को एक उचित और समान ढंग से करने के लिए और चयन में अनियमितताओं के विरुद्ध सम्भव शिकायतों को दूर करने के लिए भी सरकार ने वर्ष 1982-83 से नीति/पद्धति को संशोधित करने का प्रस्ताव दिया है।

जहां तक उपभोक्ताओं को खाना पकाने की गैस (एल. पी. जी) की सप्लाई का सम्बन्ध है खाना पकाने की गैस (एल. पी. जी) के डिस्ट्रीब्यूटरों के कथित कदाचारों के बारे में समय-समय पर शिकायतें मिलती हैं। तेल कम्पनियों ने अपने विभिन्न वितरण केन्द्रों पर ग्राहकों से शिकायतें प्राप्त करने के लिए ग्राहक सेवा कक्ष स्थापित किए हैं। उनके ग्राहक सेवा कक्षों द्वारा शिकायतों की जांच की जाती है और जहां आवश्यक होता है तुरन्त सुधारात्मक कार्यवाही की जाती है।

बहुराष्ट्रीय औषध कम्पनियों की भूमिका

1914. **श्री विजय कुमार यादव**
श्री नवल किशोर शर्मा
श्री मोहन लाल पटेल : क्या **पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में बहुराष्ट्रीय औषध कंपनियों की भूमिका हमारे राष्ट्रीय हित को नुकसान पहुंचाने वाली है और 1978 में घोषित की गई औषधी नीति के विपरीत है ; और

(ख) यदि हां, तो बहुराष्ट्रीय औषध कंपनियों की भूमिका का पुनरीक्षण करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का विचार है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) और (ख) राष्ट्रीय उद्देश्यों और हितों के संदर्भ में विदेशी औषध कंपनियों की भूमिका की परिभाषा 1978 की औषध नीति में की गई है। जिसका कार्यान्वयन किया जा रहा है।

जीवन रक्षक औषधियों की कमी

1915. **श्री विजय कुमार यादव** : क्या **पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि बाजार में जीवन रक्षक तथा अन्य औषधियों की कमी है ; और

(ख) यदि हां, तो उस कमी को दूर करने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) और (ख) राज्य औषध नियंत्रकों, केन्द्रीय औषध नियंत्रण संगठन के क्षेत्रीय कार्यालयों और जनता से समय-समय पर प्राप्त कमी की शिकायतों के आधार पर बाजार में औषध फार्मूलेशनों की उपलब्धता की मेरे मंत्रालय में निरंतर देख-रेख की जा रही है। समय-समय पर कुछ स्थानों में कुछ ब्रांड उत्पादों की कमी की शिकायत प्राप्त हुई थी। अधिकतर मामलों में समान फार्मूलेशन उपलब्ध थे। तथापि, जैसे ही किसी स्थान पर किसी विशेष दवाई की कमी की सूचना प्राप्त होती है, संबंधित उत्पाद और समान उत्पादों के निर्माताओं को संबंधित क्षेत्रों में सप्लाई भेजने की सलाह दी जाती है। सरकार की सलाह के अनुसार सम्बन्धित निर्माता अधिकतर मामलों में कमी को दूर करने के लिए सप्लाई भेजते रहे हैं।

रेल डाक सेवा का पुनर्गठन

1916. **श्री विजय कुमार यादव** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार रेल डाल सेवा को पुनर्गठित करने का है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी, हां। डाक पारेषण की प्रक्रिया को सरल और कारगर बनाने तथा उसमें तेजी लाने से रेल डाक सेवा के कार्यकरण पर कड़ी निगरानी रखने का निर्णय लिया गया है।

(ख) जो प्रस्ताव विचाराधीन हैं, उनमें पारेषण अनुभागों के रूप में छंटाई अनुभागों का चयनात्मक परिवर्तन, डाकघरों में प्राथमिक छंटाई प्रारम्भ करना और दीर्घकालीन निदेशक सिद्धांतों के अनुसार अन्य डाकघर कार्य के साथ छंटाई कार्य को जोड़ना शामिल है।

अगरतला में आकाशवाणी केन्द्र का कार्यकरण

1917. **श्री अजय विश्वास**
श्री बाजु बन रियान } : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को अगरतला में आकाशवाणी केन्द्र के कार्यकरण के बारे में कोई शिकायत मिली है ;

(ख) यदि हां, तो इस शिकायत का स्वरूप क्या है ;

(ग) उस शिकायत पर सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ; और

(घ) यदि अब तक कोई कदम नहीं उठाए गए हैं, तो इस विलम्ब के क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री वसन्त साठे) : (क) जी, हां।

(ख) त्रिपुरा के मुख्य मंत्री ने यह आरोप लगाया था कि आकाशवाणी का अगरतला केन्द्र राज्य सरकार के महत्वपूर्ण निर्णयों को सन्तोषजनक ढंग से कवर नहीं करता। उन्होंने केन्द्र द्वारा जिला परिषद के चुनावों को कवर किए जाने के बारे में भी असन्तोष व्यक्त किया था। डेमोक्रेटिक यूथ फेडरेशन आफ इंडिया नामक एक संगठन ने भी इसी प्रकार के विचार व्यक्त किए थे।

(ग) शिकायतों की जांच की गई थी और यह पाया गया था कि अगरतला केन्द्र राज्य सरकार के सभी निर्णयों को पर्याप्त और उपयुक्त रूप से कवर करता रहा था। जिला परिषद के चुनावों को भी चुनाव कवरेज सम्बन्धी मार्गदर्शी सिद्धान्तों के आधार पर कवर किया गया था। मुख्य मंत्री को मेरे द्वारा उत्तर भी भेज दिया गया था।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

टेलीफोन की खराबियों की जाँच करने के लिए नयी प्रणाली लागू करना

1918. **श्री स्कारिया थामस** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उपभोक्ताओं के टेलीफोनों की खराबियों की जांच करने के लिए एक नई प्रणाली को लागू करने का निर्णय लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) कोई नई प्रणाली चालू नहीं की गई है किन्तु दोषों का पता लगाने एवं संभावित शिकायतों को दूर करने के लिए उपभोक्ताओं के टेलीफोनों का समय-समय पर निरीक्षण करने की योजना का सख्ती से पालन किया जा रहा है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

खाना पकाने की गैस आवंटन के लिए चयन समिति का गठन

1919. **श्री बाला साहिब विखे पाटिल** : क्या **पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार का विचार खाना पकाने की गैस के आबंटन हेतु चयन समिति के वर्तमान गठन को बदलने का है ताकि प्रयोक्ताओं के हितों का समुचित रूप से प्रतिनिधित्व हो सके ;

(ख) यदि हां, तो नई समिति कब बनायी जानी है ; और

(ग) क्या सरकार का विचार खाना पकाने की गैस की एजेंसी लेने के लिए बैंक वित्तपोषण से गरीब क्रेताओं की सहायता करने का है और यदि हां, तो क्या मानदण्ड निर्धारित किए गए हैं और इस बात को सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं कि प्रक्रिया का दुरुपयोग न हो ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) और (ख) डीलरों/डिस्ट्रीब्यूटरों के चयन को एक उचित और समान ढंग से सुनिश्चित करने के लिए और चयन में अनियमिताओं के विरुद्ध संभव शिकायतों को दूर करने के लिए भी सरकार ने वर्ष 1982-83 से पेट्रोलियम उत्पादों के लिए डीलरशिप आवंटित करने की वर्तमान नीति मार्गदर्शी सिद्धांतों/कार्य प्रणाली में संशोधन करने के लिए प्रस्ताव दिया है।

(ग) उन डीलरों को जिनके पास डीलरशिप/डिस्ट्रीब्यूटरशिपें चलाने के लिए अपेक्षित वित्त

व्यवस्था नहीं है उन्हें उचित शर्तों पर वित्तीय सहायता देने के लिए एक माडल वित्तीय योजना पर सम्बन्धित प्राधिकारियों के साथ परामर्श करने जांच की जा रही है ।

दिल्ली में बिजली की निरन्तर सप्लाई की जांच करने के लिए कार्य दल

1920. **श्री बाला साहिब विखे पाटिल** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने दिल्ली में बिजली की निरन्तर सप्लाई की जांच करने के लिए एक कार्य दल का गठन किया है ;

(ख) क्या अन्य महानगरों के लिए इस प्रकार के कार्य दल के गठन का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ;

(ग) दिल्ली के लिए गठित कार्य दल अपनी रिपोर्ट कब तक देगा ; और

(घ) यदि भाग (ख) का उत्तर स्वीकारात्मक है तो कौन-कौन से महानगरों में इस प्रकार के कार्य दल गठित किये जायेंगे ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) जी, हां।

(ख) अभी ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है ।

(ग) कृतिक बल द्वारा अपनी रिपोर्ट जुलाई के अन्त तक प्रस्तुत करने की संभावना है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

सतग्राम कोयला खान में दुर्घटना और सुरक्षा के उपाय

1921. **श्री आनन्द पाठक** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान 18 अप्रैल, 1982 को सतग्राम कोयला खान क्षेत्र में छत ढह जाने के परिणामस्वरूप हुई दुर्घटना की ओर आकर्षित किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस बात को सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं कि सुरक्षा नियमों का ठीक-ठीक पालन किया जाए और मजदूरों के लिए सुरक्षा उपायों की व्यवस्था हो ।

ऊर्जा मंत्रालय के कोयला विभाग में राज्य मंत्री (श्री गार्गी शंकर मिश्र) : (क) जी, हां। दुर्घटना दिनांक 18.4.1982 को ई० को० लि० के सतग्राम एरिया की पूरे सीयरसोल कोलियरी में हुई । यह दुर्घटना छत गिरने से हुई परिणामस्वरूप एक सामान्य मजदूर की चोटों के कारण मृत्यु हो गई ।

(ख) दुर्घटनाओं को रोकने के लिए सुरक्षा से संबंधित नियमों और विनियमों को कड़ाई से लागू किया जा रहा है । कोयला खान सुरक्षा संबंधी समिति की सिफारिशों को भी लागू किया जा रहा है ।

दामोदर घाटी निगम द्वारा कोल इण्डिया लिमिटेड को सप्लाई में कमी

1922. **श्री नीरेन घोष** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दामोदर घाटी निगम कोल इंडिया लिमिटेड को बिजली की कम सप्लाई कर रहा है और उसके परिणामस्वरूप कोयला उत्पादन को हानि हो रही है ;

(ख) यदि हां, तो दामोदर घाटी निगम द्वारा कोल इंडिया लिमिटेड को बिजली की सप्लाई में कमी किए जाने के क्या कारण हैं ;

(ग) क्या सरकार इस प्रकार के कार्यों के लिए जिम्मेदारी निर्धारित करेगी ; और

(घ) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) से (ग) दामोदर घाटी निगम से कोल इण्डिया लि० को विद्युत सप्लाई में कोई कमी नहीं आई है जैसाकि नीचे दिए गए ब्यौरे में देखा जा सकता है :

कोल इण्डिया लि० को विद्युत सप्लाई

अवधि	सप्लाई (मिलियन यूनिट में)
1979	1134
1980	1136
1981	1312
1982	663
(जून, 82 तक)	

तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग के अधिकारियों की लापरवाही से हुई हानि

1923. **श्री नवल किशोर शर्मा** : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान 19, जून, 1982 के 'बिलिट्ज' में प्रकाशित इस आशय के समाचार की ओर आकर्षित किया गया है कि तेल और प्राकृतिक गैस आयोग की लापरवाही के कारण लगभग

7 करोड़ रुपये की हानि हुई है जो चार प्रमुख दुर्घटनाओं 5000 टन की क्षमता वाला एक टैंक फटने 60,000 टन की भंडारन क्षमता वाला विशाल टैंक झुक जाने, एयर कम्प्रैशर में विस्फोट होने और खराब ब्लेड्स के कारण टूर्बाइन के ठीक काम न करने के कारण हुई जो गत मास गिर गई थी, ये सब यूरान टर्मिनल के प्रारम्भ से दो वर्ष के भीतर ही हो गया ;

(ख) क्या उपरोक्त मामलों में कोई जांच करायी गई है ; और यदि हां, तो उसके क्या परिणाम रहे ; और

(ग) क्या अब तक इसके लिए कोई जिम्मेदारी निश्चित की गई है और यदि हां, तो इसके लिए कौन व्यक्ति जिम्मेदार हैं और उनके खिलाफ क्या कार्यवाही की गई है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री पी० शिवशंकर) : (क) से (ग) सरकार ने रिपोर्ट देख ली है। एक जांच समिति स्थापित की गई है। इसके परिणाम केवल जांच समिति द्वारा अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के बाद पता चलेंगे ।

बम्बई में तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा अपशिष्ट पदार्थ जमा किया जाना

1924. **श्री नवल किशोर शर्मा** : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बम्बई में तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग अपशिष्ट पदार्थों को जमा करता है और गैस को हवा में फेंकता है ;

(ख) क्या सरकार को पता है कि बड़े पैमाने पर गैस की फेंकने और अपशिष्ट पदार्थों को समुद्र में जमा करने से बम्बई वासियों को खतरा बना हुआ है ;

(ग) क्या तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग के अधिकारी समुद्र में जमा किए गए अपशिष्ट पदार्थों और हवा में निरन्तर फेंकी गई गैस का हिसाब रखते है ;

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ;

(ङ) क्या यह सच है कि जब तक प्रदूषण को रोकने के लिए कठोर कार्यवाही नहीं की जाती, तब तक बम्बई शीघ्र ही गैस चेम्बर में बदल जायेगा ; और

(च) इस बारे में क्या उपचारात्मक उपाय किए गए हैं ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री पी० शिव शंकर): (क) और (ख) तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग के अपतटीय प्लेटफार्मों पाइपलाइनों तथा तटीय टर्मिनल संयंत्रों का निर्माण प्रदुषण के परिवर्तन को ध्यान में रखकर किया गया है।

(ग) जी हां।

(घ) और (ङ) कड़े प्रदुषण नियंत्रण उपाय लागू किए गए हैं जिनको नियमित रूप से मानीटर किया जाता है।

(च) हो सकने वाले थोड़े प्रदुषण के निपटान के लिए तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग ने निम्नलिखित कदम उठाये हैं :

(i) यू. एन. डी. पी. आयोग की रिपोर्ट के आधार पर तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग के स्वामित्व वाले अपतटीय सप्लाई पोतों में पिलों टेंकों को लगाया जायेगा।

(ii) तेल के छलकने के रख रखाव के लिए तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा प्राप्त किया जाने वाला प्रस्तावित बहु-उद्देशीय अवलंब पोत निर्माणाधीन है तथा इसके वर्ष के अन्त से पूर्व डिलीवर किए जाने की आशा है।

(iii) महाराष्ट्र राज्य विद्युत बोर्ड तथा टाटा इलैक्ट्रिक कम्पनी के पावर संयंत्रों को गैस की सप्लाई की जा रही है जो कि वातावरण में सुधार लाने में सहायक है चूंकि वरना इन संयंत्रों को कोयले या एल. एस. एच. एस. का प्रयोग करना होगा।

राष्ट्रीय कार्यक्रमों का प्रसारण

1925. **श्री कुसुम कृष्ण मूर्ति** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सभी दूरदर्शन केन्द्रों से, 90 मिनट की अवधि के राष्ट्रीय कार्यक्रमों के एक साथ प्रसारण करने की योजना तैयार की है ; और

(ख) इस मामले में तैयार की गई योजनाओं का ब्यौरा क्या है और यह कब शुरू की जायेगी ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री वसन्त साठे) : (क) जी, हां।

(ख) 15 अगस्त, 1982 से दूरदर्शन केन्द्र दिल्ली-बम्बई-मद्रास-कलकत्ता-जलंधर-लखनऊ बंगलौर, जिन्हें डाक-तार माइक्रोवेव द्वारा जोड़ा गया है, से रात्रि 8-00 से 9-30 बजे तक 90 मिनट की अवधि का एक राष्ट्रीय कार्यक्रम चालू किया जाएगा। साथ साथ इस कार्यक्रम को "इनसैट" के माध्यम से उपग्रह दूरदर्शन केन्द्रों और जयपुर, हैदराबाद, कटक, रायपुर, मुजफ्फरपुर, नागपुर अहमदाबाद और गुलबर्गा के दूरदर्शन रिले केन्द्रों को उपलब्ध किया जाएगा।

बांदा में विभागीय तारघर खोलना

1926. **श्री राम नाथ दुबे** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लगभग दो वर्ष पूर्व बांदा जिले में एक विभागीय तारघर खोलने के लिए कोई निर्णय किया गया था ; और

(ख) यदि हां, तो इसे न खोलने के क्या कारण हैं जबकि इसके लिए वहां पर एक भवन उपलब्ध है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) बांदा में विभागीय तारघर खोलने की मंजूरी 18.4.81 को जारी की गई थी।

(ख) उपयुक्त स्थान उपलब्ध न होने के कारण अभी तक विभागीय तारघर नहीं खोला जा सका। उपयुक्त स्थान की खोज की जा रही है।

पटदी टेलीफोन एक्सचेंज को सीधी डायलिंग प्रणाली द्वारा अहमदाबाद के साथ जोड़ना

1927. **श्री मोती भाई आर० चौधरी** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पटदी टेलीफोन एक्सचेंज को सीधी डायलिंग प्रणाली द्वारा अहमदाबाद के साथ जोड़ने की कोई मांग की गई है और यदि हां, तो क्या उसे स्वीकार कर लिया गया है ;

(ख) क्या इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि पटदी के आसपास का क्षेत्र नमक उद्योग के लिए विख्यात है और इसका प्रत्येक पड़ोसी गांव में 10 से 30 तक टेलीफोन कनेक्शन हैं और इन सभी नमक उद्योगों को देश के विभिन्न बड़े नगरों से सम्पर्क स्थापित करने होते हैं ; इस मांग को शीघ्र स्वीकार किया जाएगा ;

(ग) क्या पटदी को अहमादाबाद के साथ टेलीप्रिंटर लाइन से जोड़ने की मांग को भी स्वीकार किया जाएगा ; और

(घ) क्या पहले पटदी को यह सुविधा दी गई थी कि जिसे कुछ समय पूर्व वापस ले लिया गया और क्या अब उन्हें वीरमगाम के जरिए सम्पर्क स्थापित करने होते हैं जिससे अत्यन्त बिलम्ब होता है और यदि हां, तो क्या इस सुविधा को शीघ्र ही पुन: बहाल किया जाएगा ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) अहमदाबाद के लिए एक सीधे डायलिंग सर्किट की मांग प्राप्त हुई है परन्तु परियात को मद्देनजर रखते हुए इसका औचित्य नहीं है।

(ख) अहमदाबाद के लिए एक सीधा डायलिंग सर्किट प्रदान करने पर तभी विचार किया जाएगा जब परियात काफी अधिक बढ़ जाएगा।

(ग) परियात की दृष्टि से फिलहाल पटदी और अहमदाबाद के बीच टेलीप्रिंटर लिंक का औचित्य नहीं है ।

(घ) पटदी से अहमदाबाद के लिए एक सीधा मैनुअल ट्रंक सर्किट उपलब्ध है । सीधे ट्रंक सर्किट पर रुकावट होने के कारण कुछ दिनों के लिए पटदी से अहमदाबाद के लिए ट्रंक परियात बरास्ता वीरमगाम प्रदान किया गया था जिसको अब पुनः चालू कर दिया गया है ।

अम्बलियासन और मेहसाना के बीच नई टेलीफोन लाइन

1928. **श्री मोती भाई आर० चौधरी** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अम्बलियासन और मेहसाना के बीच एक अतिरिक्त टेलीफोन लाइन बिछाने की मांग कब तक पूरी की जाएगी ; और

(ख) क्या इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि अम्बलियासन एक व्यापारिक केन्द्र है और मेहसाना जिला और तादुगा केन्द्र है और दोनों के बीच संचार महत्व पूर्ण हैं, इस बारे में तत्काल कार्यवाही किये जाने का विचार है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) अम्बलियासन और मेहसाना के बीच अतिरिक्त ट्रक टेलीफोन लाइन 1-9-1982 को चालू हो गई है ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

समाचारपत्र विकास आयोग का गठन करना

1929. **श्री राजेश कुमार सिंह**
श्री रामविलास पासवान } : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने दूसरे प्रेस आयोग के प्रतिवेदन में दिये गए सुझाव के अनुसार छोटे तथा मध्यम समाचारपत्रों की सहायता के लिए समाचारपत्र विकास आयोग का गठन कर दिया है ।

(ख) यदि हां, तो उस आयोग का गठन क्या है ; और

(ग) इसके कृत्य क्या हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री वसन्त साठे) : (क) जी, नहीं ।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते ।

फिल्म डिवीजन द्वारा निर्मित वृत्त-चित्र

1930. **श्री राजेश कुमार सिंह**
प्रो० अनिल कुमार मेहता } : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1981 और 1982 (आज तक) के दौरान सरकार ने फिल्म डिवीजन पर कितना वार्षिक व्यय किया है और फिल्म डिवीजन ने कितनी समाचार रीलों तथा वृत्त-चित्रों का निर्माण किया है और इन फिल्मों के निर्माण पर कितना व्यय किया गया ;

(ख) फिल्म डिवीजन द्वारा निर्मित कितने वृत्त-चित्र दहेज, मद्यपान तथा औषधियों, आदि, जैसी सामाजिक बुराइयों के विषयों पर बनाये गये हैं ; और

(ग) फिल्म डिवीजन अपनी फिल्मों के माध्यम से जनता को शिक्षित करने में कहां तक सफल रहा है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री वसन्त साठे) : (क) सूचना इस प्रकार है :

वर्ष	सरकार द्वारा फिल्म प्रभाग पर किया गया व्यय (लाखों रुपये में)	बनाई गई फिल्मों की सं०		फिल्मों के निर्माण पर हुआ व्यय (लाख रुपयों में)
		समाचार चित्र	वृत्तचित्र	
1981	551.90	113	159	224.50
1982	383.37	59	80	123.88
(30-6-82/13-7-82 तक)				

(ख) और (ग) फिल्म प्रभाग ने भूतकाल में दहेज, मद्यपान और मारक द्रव्यों का सेवन, आदि जैसी सामाजिक बुराइयों के विषय पर अनेक फिल्में बनाई हैं। 1981-82 के दौरान फिल्म प्रभाग द्वारा इस प्रकार की कोई फिल्म नहीं बनाई गई है, किन्तु उपर्युक्त विषयों पर 3 फिल्में खरीदी गई हैं और एक फिल्म भेंट स्वरूप स्वीकार की गई है। इस समय इन विषयों पर 5 फिल्में फिल्म प्रभाग के निर्माण कार्यक्रम में शामिल हैं।

फिल्म प्रभाग की फिल्में जनता को शिक्षित करने में अवश्य भूमिका निभाती हैं।

टेलीविजन कार्यक्रम

1931. **श्रीमती किशोरी सिन्हा :** क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या टेलीविजन कार्यक्रमों के स्तर के बारे में कोई मूल्यांकन किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या निष्कर्ष निकले ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री वसन्त साठे) : (क) और (ख) जी, हां। दूरदर्शन केन्द्रों को श्रोता अनुसंधान यूनिट दूरदर्शन केन्द्रों द्वारा टेलीकास्ट किये गए विभिन्न कार्यक्रमों की गुणवत्ता के बारे में दर्शकों की राय का आकलन करने के लिए अध्ययन/सर्वेक्षण हाथ में लेती हैं। वैयक्तिक अध्ययनों में सिफारिशें/कार्रवाई मुद्दे शामिल होते हैं जिनका पुनर्विलोकन सम्बन्धित दूरदर्शनकेन्द्रों/दूरदर्शन महानिदेशालय द्वारा लिया जाता है और जहां आवश्यक समझा जाता है शोधक उपाय किए जाते हैं।

उपग्रह के माध्यम से पर्वतीय स्थानों की दूर संचार सेवा

1932. **श्री हरीश रावत :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार 12 अप्रैल, 1982 को छोड़े गये उपग्रह के माध्यम से देश के पर्वतीय क्षेत्रों को दूरसंचार सेवा से जोड़ने की कोई योजना तैयार कर रही है।

(ख) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या उत्तर प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों को इस योजना में सम्मिलित किया गया है ; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) (क) जी हां।

(ख) उपग्रह के माध्यम से लेह और ऐजल के लिए टेलीफोन सुविधा पहले से ही उपलब्ध है जबकि शिलांक, गंतोक, कोहिमा, अगरतल्ला, श्रीनगर, इटानगर और इम्फाल में परीक्षण कार्य आरंभ किया जा चुका है।

(ग) जी हां। उत्तर प्रदेश के कुछ पहाड़ी क्षेत्रों में इनसेट के माध्यम से टेलीफोन सुविधाएं उपलब्ध कराने की योजना है।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

बागेश्वर टेलीफोन एक्सचेंज का दर्जा बढ़ाया जाना

1933. **श्री हरीश रावत** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बागेश्वर (उ०प्र०) टेलीफोन एक्सचेंज का दर्जा बढ़ाने के बारे में कोई प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो उनके मंत्रालय ने इस बड़े तहसील मुख्यालय के टेलीफोन उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए अन्य क्या उपाय किए हैं ; और

(ग) इस एक्सचेंज का दर्जा कब तक बढ़ाया जाएगा ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क), (ख) और (ग) वर्तमान मांग को देखते हुए विस्तार करने का औचित्य नहीं बनता। इसी वर्ष के दौरान 3 चैनल कैरियर प्रणाली स्थापित करके बागेश्वर और अल्मोड़ा के बीच ट्रंक सेवाओं में सुधार करने का प्रस्ताव है।

उत्तर प्रदेश के थारचूला बार्डर रीजन के अन्तर्गत दुघतू, तवाघाट, सोसा सिरखा, पांगू, गूंजी और बूंदी में सार्वजनिक टेलीफोन केन्द्र की स्थापना किया जाना

1934. **श्री हरीश रावत** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिथौरागढ़ जिले (उ० प्र०) के धारचूला बार्डर रीजन के अन्तर्गत दुघतू, तवाघाट, सोसा, सिरखा; पान्गू, गूंजी और बूंदी स्थानों में सार्वजनिक टेलीफोन केन्द्रों की स्थापना करने का कोई प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि हां, तो इस कार्य के कब तक पूरा होने की संभावना है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

अल्मोड़ा (उ० प्र०) में माइक्रोवेव स्टेशन का निर्माण

1935. **हरीश रावत** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अल्मोड़ा, उत्तर प्रदेश के माइक्रोवेव स्टेशन का निर्माण कार्य कब तक पूरा हो जाने की संभावना है ; और

(ख) क्या स्टेशन में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए आवासीय क्वार्टरों का निर्माण कार्य भी शीघ्र ही शुरू किया जायेगा, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) निर्माण कार्य के 1983-84 में पूरा होने की संभावना है।

(ख) आवश्यक अनुरक्षण स्टाफ के दो टाइप-iii एवं एक टाइप-ii आवासीय क्वार्टरों का निर्माण किया जा रहा है।

विभागीय प्रणाली के कारण झरिया से कोयले की ढुलाई में बाधा

1936. **श्री निहाल सिंह** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोयले की ढुलाई की गई विभागीय प्रणाली लागू किये जाने के कारण झरिया क्षेत्र से कोयला खानों से रेल-स्थानों तक कोयले की ढुलाई में बाधा पड़ी है ; और

(ख) यदि हाँ, तो स्थिति में सुधार करने के लिए सरकार ने क्या कार्रवाई की है।

ऊर्जा मंत्रालय के कोयला विभाग में राज्य मंत्री (श्री गार्गी शंकर मिश्र) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

ऊर्जा के विकास के लिए बिहार और उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा बनाई गई योजना

1937. **श्री निहाल सिंह** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार और उत्तर प्रदेश सरकारों ने बिहार राज्य विद्युत बोर्ड के सहयोग से कोई ऊर्जा विकास योजना बनाई है ;

(ख) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी रूपरेखा क्या है ; और

(ग) उन राज्यों में 1982-83 के दौरान कितने गाँवों में बिजली पहुंचाई जायेगी और तत्पश्चात कितने गांव बिना बिजली लगे रह जायेंगे ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) और (ख) तकनीकी-आर्थिक स्वीकृति के लिए केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण में ऐसी कोई स्कीम प्राप्त नहीं हुई है।

(ग) बिहार तथा उत्तर प्रदेश के राज्यों में मार्च, 1982 के अन्त तक विद्युतिकृत गांवों की कुल संख्या, वर्ष 1982-83 के दौरान गांवों को विद्युतिकृत करने के लिए रखा गया लक्ष्य तथा 1982-83 के बाद विद्युतीकरण के लिए शेष रहने वाले गांवों की संख्या का ब्यौरा यहां दिया गया है :

राज्य का नाम	गांवों की कुल संख्या (1971 की जनगणना के अनुसार)	31-3-82 की स्थिति के अनुसार विद्युतिकृत गांवों की संख्या	1982-83 के दौरान विद्युतिकरण के लिए प्रस्तावित गांवों की संख्या	1982-83 के बाद विद्युतिकृत किए जाने वाले गांवों की संख्या
बिहार	67,566	23,108 (ख)	4,440	40,018
उत्तर प्रदेश	1,12,561	47,525	3,100	61,936

(ख) 28-2-1982 की स्थिति के अनुसार।

राजस्थान में नाइट्रोजनयुक्त तथा फास्फोटिक उर्वरक संयंत्रों की स्थापना

1938. **श्री जयनारायण रौत :** क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार छठी योजना अवधि में राजस्थान में नये नाइट्रोजन युक्त उर्वरक संयंत्र तथा फास्पेटिक उर्वरक संयंत्र स्थापित करने का है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं; तो इसके क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) और (ख) राजस्थान में पश्चिमी तट से उपलब्ध गैस पर आधारित नाइट्रोजनयुक्त उर्वरक संयंत्र स्थापित करने का निर्णय किया गया है। उदयपुर जिले में झामरकोटर के रॉक फास्फेट भंडारों पर आधारित एक फास्फेटिक उर्वरक संयंत्र तथा राजस्थान के सीकर जिले में सलादीपुरा में उपलब्ध पाइराइटस पर आधारित तथा सल्फ्यूरिक एसिड फोस्फेटिक उर्वरक के उत्पादन में प्रयुक्त एक इन्टरमीडिएट के उत्पादन के लिए एक और संयंत्र स्थापित करने पर भी विचार करने का प्रस्ताव है।

तथापि, वास्तविक स्थान, कार्यान्वयन की अवधि परियोजनाओं की लागत, आदि के ब्यौरे अभी तक निश्चित नहीं किए गए हैं।

राजस्थान में एल० पी० जी० एजेंसियों का आवंटन

1939. **श्री जयनारायण रौत :** क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वर्ष के दौरान राजस्थान राज्य के किन-किन स्थानों में एल० पी० जी० एजेंसियां आबंटित की जायेंगी ;

(ख) इन एजेंसियों के आवंटन के लिए क्या मानदंड अपनाये जायेंगे ;

(ग) क्या यह सच है कि सरकार को इन एजेंसियों के आबंटन के लिए आवेदन-पत्र प्राप्त हुए हैं ; और

(घ) यदि हां, तो इन आवेदकों का ब्यौरा क्या है और इस मामले में अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) तेल कंपनियों ने अपनी वर्ष 1982-83 की योजना के अन्तर्गत राजस्थान में निम्नलिखित स्थानों में 17 एल० पी० जी० डिस्ट्रीब्यूटरशिपें स्थापित करने के लिए प्रस्ताव दिया है :

1. हनुमान गढ़
2. आबू रोड
3. कोटा (3)
4. किशन गढ़
5. धौलपुर
6. बरान
7. सुजान गढ़
7. खेतड़ी
9. जयपुर (3)
10. नसीराबाद
11. उदयपुर
12. फतहपुर
13. सरदार शहर

(ख) क्योंकि पेट्रोलियम उत्पादों की डीलर शिप/डिस्ट्रीब्यूटरशिपें आबंटित करने की नीति कार्य-प्रणाली में संशोधन किया जा रहा है, अतः जब तक इनको अन्तिम रूप नहीं दिया जाता है, किसी प्रकार के ब्यौरे प्रस्तुत नहीं किये जा सकते ।

(ग) विज्ञापनों के सन्दर्भ में प्रत्याशित उम्मीदवारों से निर्धारित प्रपत्र पर आवेदन-पत्र सम्बन्धित तेल कंपनियों द्वारा प्राप्त किये जाते हैं, सरकार द्वारा नहीं ।

(घ) उपर्युक्त भाग (ग) में स्पष्ट की गई स्थिति को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता ।

कोयले की तस्करी

1940. **श्री रामस्वरूप राम** : क्या **ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें कोयला क्षेत्र विशेषकर धनबाद के आस पास संगठित गिरोहों के बड़े पैमाने

पर किए जा रहे कार्यों की रिपोर्टों की जानकारी है और यह गिरोह बड़े पैमाने पर कोयले की तस्करी कर रहे हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या प्रभावित क्षेत्रों में कोई सुरक्षा उपाय किए गए हैं ; और

(ग) इन सुरक्षा कार्यों के परिणाम क्या हैं ?

ऊर्जा मंत्रालय के कोयला विभाग में राज्य मंत्री (श्री गार्गी शंकर मिश्र) : (क) यह सच नहीं है कि धनबाद के आस-पास की कोयला बैल्ट में बड़े पैमाने पर कोयले की तस्करी हो रही है।

(ख) और (ग) जब भी चोरी के मामले पकड़े जाते हैं तो कोयला कंपनियां उचित कार्रवाई करती हैं। कोयला चोरी रोकने और धनबाद में कानून एवं व्यवस्था की स्थिति में सुधार के लिए अन्य उपायों के साथ साथ निम्नलिखित महत्वपूर्ण उपाय किए गए हैं :

1. अनेक पुलिस थाने और पुलिस चौकियां खोली जा चुकी हैं और धनबाद जिले में एक पुलिस 'नियंत्रण कक्ष' काम कर रहा है।
2. भा० को० को० लि० क्षेत्र में, खान मुहानों से दूर पांच केन्द्रीकृत बिक्री डिपो खोले जा रहे हैं।
3. निजी कोयला डिपो की संख्या कम की जा रही है।
4. कोयला, कोक और रेत के सड़क परिवहन का विभागीकरण किया जा रहा है और निजी ठेकेदारों को सिविल कामों से भी हटाया जा रहा है।
5. उन विभिन्न स्थानों पर चारदीवारी बनाई जा रही है जहाँ नियमित आधार पर कोयला स्टाक किया जाता है।

अधिक कुकिंग गैस एजेंसियों का आवंटन

1941. **श्री नवीण रवाणी**
श्री के० कुन्हम्बु
श्री मोहनलाल पटेल : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार वर्ष 1982 में देश में कुकिंग गैस वितरित करने के लिए अधिक संख्या में एजेंसियां खोलने पर विचार कर रही है ;

(ख) यदि हाँ, तो राज्यवार इनकी संख्या कितनी है ;

(ग) क्या सरकार कुकिंग गैस एजेंसियां देने के मामले में कदाचारों को दूर करने के लिए एजेंसियां देने के लिये मार्गदर्शी सिद्धांतों में संशोधन करने पर विचार कर रही है ;

(घ) यदि हाँ, तो उन आधारों का ब्यौरा क्या है जिन पर मार्ग दर्शी सिद्धांत संशोधित किये जाने की संभावना है ; और

(ङ) कुकिंग गैस एजेंसी आवंटित करने के लिये क्या मानदंड अपनाये गये हैं ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) और (ख) तेल कंपनियों ने संलग्न विवरण में दिये गये ब्यौरों के अनुसार वर्ष 1982-83 की योजना (अंतरिम) में लगभग 440 एल० पी० जी डिस्ट्रीब्यूटरशिपें स्थापित करने का प्रस्ताव दिया है।

(ग) से (ङ) पेट्रोलियम उत्पादों के डीलरों/डिस्ट्रीब्यूटरों का चयन उचित और समान ढंग से सुनिश्चित करने के लि! और चयन में अनियमितताओं के विरुद्ध संभव शिकायतों को दूर करने के लिए भी, सरकार ने वर्ष 1982-83 से वर्तमान नीति मार्गदर्शी सिद्धांतों/कार्य-प्रणाली को संशोधित करने के लिए प्रस्ताव दिया है। संशोधित नीति को केवल अन्तिम रूप दिए जाने के बाद ही ब्यौरे उपलब्ध होंगे।

विवरण

क्रम सं० राज्य	वर्ष 1982-83 (अंतरिम योजना के दौरान एल० पी० जी० डीलरशिपें खोलने के लिए प्रस्तावों की संख्या
1	2
1. आन्ध्र प्रदेश	47
2. बिहार	21
3. गुजरात	32
4. हरियाणा	17
5. हिमाचल प्रदेश	8
6. जम्मू और कश्मीर	8
7. कर्नाटक	22
8. केरल	23
9. मध्य प्रदेश	21
10. महाराष्ट्र	56
11. उड़ीसा	11
12. पंजाब	20

1	2
13. राजस्थान	17
14. तमिलनाडु	46
15. उत्तर प्रदेश	51
16. पश्चिम बंगाल	35
17. दिल्ली	13
18. चण्डीगढ़	3
19. गोवा दमन और दीव	3
20. पांडिचेरी	2
21. उत्तर पूर्वी राज्य	11
योग	440

गुजरात में विद्युत केन्द्रों का कोयले की कमी के कारण बार-बार बन्द हो जाना

1942. **श्री नवीन रवाणी** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को जानकारी है कि देश में, विशेष कर गुजरात में अनेक विद्युत संयंत्र कोयले की कमी या उसकी समय पर न पहुंचने के कारण बार-बार बन्द हो जाते हैं या नियमित रूप से विद्युत उत्पादन नहीं कर रहे हैं जिससे अनेक कारखाने बन्द हो गये हैं और परिणाम स्वरूप श्रम और बेरोजगारी की समस्यायें पैदा हो रही हैं ;

(ख) यदि हां, तो उन राज्यों के नाम क्या हैं जिन्हें उनकी आवश्यकतानुसार कोयला नहीं मल रहा है ; और

(ग) बिजली घरों को उच्चतम प्राथमिकता के आधार पर कोयले की नियमित और पर्याप्त सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए केन्द्रीय सरकार ने कौन से कदम उठाये हैं ताकि कारखानों को परेशानी न उठानी पड़े ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) से (ग) ताप विद्युत केन्द्रों को कोयले की सप्लाई की स्थिति पिछले एक वर्ष से सन्तोषजनक है। वर्ष 1981-82 के दौरान विद्युत केन्द्रों को 44.4 मिलियन टन कोयला प्राप्त हुआ तथा 43.5 मिलियन टन कोयला खपत हुआ। वर्ष 1980-81 की तुलना में यह वृद्धि क्रमश: 20.24 प्रतिशत तथा 18.24 प्रतिशत है। अप्रैल-जून, 1982 की अवधि के दौरान पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में कोयले की प्राप्ति में 12

प्रतिशत की और वृद्धि हुई है। अप्रैल-जून, 1982 की अवधि के दौरान गुजरात के ताप विद्युत केन्द्रों द्वारा कोयले की प्राप्ति तथा खपत क्रमशः 11,74,000 टन तथा 10,64,000 टन हुई है। पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में कोयले की प्राप्ति में 41 प्रतिशत वृद्धि हुई तथा कोयले की खपत में 31 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

तथापि, उकाई (गुजरात), पारली (महाराष्ट्र), दुर्गापुर (दा० घा० नि०) तथा बरौनी (बिहार) जैसे कुछ विद्युत केन्द्रों को कुछ अवसरों पर कम भण्डार की स्थिति में प्रचालन करना पड़ा था।

विभिन्न ताप विद्युत केन्द्रों के गुणवत्ता तथा मात्रा के रूप में कोयले की सप्लाई की रेल मंत्रालय के साथ घनिष्ठ परामर्श करके ऊर्जा मंत्रालय द्वारा लगातार मानीटरिंग की जाती है। ताप विद्युत केन्द्रों को कोयले की सतत तथा बिना बाधा के सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक उपाय सुझाने की दृष्टि से बड़े ताप विद्युत केन्द्रों को कोयले की सप्लाई के ब्यौरों का अध्ययन करने के लिए सरकार ने अभी हाल ही में एक कृतिक बल का गठन किया है। इस कृतिक बल में ऊर्जा मंत्रालय और रेल मंत्रालय के प्रतिनिधि शामिल हैं।

चलचित्रों में सेक्स तथा हिंसा

1943. श्री मोहम्मद असरार अहमद
श्री नवल किशोर शर्मा
श्री मूल चन्द डागा
: क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 21 जून, 1982 के अंग्रेजी दैनिक "इण्डियन एक्सप्रेस" में प्रकाशित "लेटर टू साठे आन सेक्स आन एण्ड वायलेंस इन सिनेमा" शीर्षक समाचार की ओर दिलाया गया है ; यदि हां तो तत्सम्बन्धी पूर्ण ब्यौरा क्या है ;

(ख) सरकार इन पत्रों की विषय वस्तु तथा लोक मत को ध्यान में रखते हुए क्या कार्यवाही कर रही है ; और

(ग) क्या इस सम्बन्ध में कोई मूल्यांकन किया गया है, यदि हां, तो कब और उसके क्या परिणाम निकले ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री वसन्त साठे) : (क) और (ख) सरकार ने समाचार को देखा है। यह सही है कि सरकार को बिहार के मुख्य मंत्री और श्री एस. सेन से फिल्मों में सेक्स, अपराध और हिंसा के चित्रण के बारे में पत्र मिले हैं। प्रमाणीकरण से पहले, सभी फिल्मों की जांच फिल्म सेंसर बोर्ड द्वारा चलचित्र अधिनियम, 1952 और उसके अन्तर्गत जारी किए गए मार्गदर्शी सिद्धान्तों के उपबन्धों के अनुसार की जाती है। मार्गदर्शी सिद्धान्तों की प्रति संलग्न है। [ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल०टी०4294/82] फिल्म सेंसर बोर्ड को हाल ही में इन मार्गदर्शी सिद्धान्तों

को लागू करने में अत्यंत कड़ाई बरतने के लिए अनुदेश दिए गए हैं। बोर्ड ने उक्त पत्रों के विषय को सभी सदस्यों और क्षेत्रीय कार्यालयों के ध्यान में ला दिया है।

(ग) अपराध सम्बन्धी फिल्मों के सामाजिक प्रभाव के बारे में कोई औपचारिक सर्वेक्षण नहीं किया गया है। तथापि, भारतीय जन संचार संस्थान ने फिल्म सेंसर शिप के प्रति फिल्म दर्शकों की प्रतिक्रियाओं को जानने के लिए 1979 में एक अध्ययन शुरू किया है। दक्षिण क्षेत्र में किए गए अध्ययन पर संस्थान की रिपोर्ट में अन्य बातों के साथ-साथ यह कहा गया है कि आन्ध्र प्रदेश और तमिलनाडु के लगभग आधे तथा कर्नाटक और केरल के एक तिहाई प्रतिवादी इस कथन से सहमत थे कि अपराध के मुख्य विषय वाली फिल्में कुछ लोगों को आपराधिक प्रवृत्तियां विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करती हैं।

भारत पेट्रोलियम, कारपोरेशन, बम्बई में ताला-बन्दी

1944. श्री ए० टी० पाटिल : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन के प्रबंधकों ने 16 जनवरी, 1982 को अथवा इसी तारीख के आसपास बम्बई स्थित अपने तेल-शोधक कारखाने में तालाबन्दी घोषित की थी, यदि हां, तो किन कारणों से प्रबन्धकों ने ऐसा निर्णय किया ;

(ख) क्या प्रबन्धकों ने तालाबन्दी को अब समाप्त कर दिया है ; यदि हां, तो कब से और प्रबंधकों ने किन कारणों से ऐसा निर्णय किया ; और

(ग) तेल-शोधक कारखाने तथा मजदूरों को कितनी हानि हुई ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) बम्बई में भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन की शोधनशाला को कर्मचारियों जिसमें सुरक्षा और अग्नि कर्मचारी शामिल हैं के काम बन्द करने के निर्णय के बाद 15-1-82 को बन्द करना पड़ा था। तथापि शोधनशाला की मुख्य क्रूड डिस्टिलेशन यूनिट का संचालन कम्पनी के अधिकारियों द्वारा अन्य सरकारी संगठनों और नगर-निगम की सहायता से किया गया।

(ख) कर्मचारी 17-6-82 को भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लि० के प्रबन्धक के साथ किये गये करार के पश्चात काम पर लौट आये हैं।

(ग) हड़ताल के अवधि के दौरान शोधनशाला द्वारा कम क्रूड प्रेषण जो आम दैनिक प्रेषण के करीब 70% था के हिसाब से हुआ। कर्मचारियों को हड़ताल के लिए मजदूरी नहीं दी गई है।

एशियाई खेलों का रंगीन प्रसारण

1945. श्री अमर राय प्रधान : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सभी दूरदर्शन केन्द्रों से रंगीन टेलीविजन पर एशियाई खेल दिखाये जाएंगे ; और

(ख) यदि हां, तो उन केन्द्रों के नाम क्या हैं, और यदि नहीं, तो तत्सम्बन्धी कारण क्या हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री वसन्त साठे) : (क) और (ख) एशियाई खेलों को दिल्ली, मसूरी, मद्रास, बंगलोर, कलकत्ता, बम्बई, पुणे और जलन्धर के ट्रांसमीटरों से रंगीन में टेलीकास्ट किया जायेगा ।

हिमाचल प्रदेश में दूरसंचार सलाहकार समिति तथा डाक सलाहकार समिति का गठन

1946. **श्री नारायण चन्द पराशर** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में विभिन्न सर्किलों/राज्यों के लिए (एक) दूरसंचार सलाहकार समितियों और (दो) डाक सलाहकार समितियों के गठन का स्वरूप और प्रक्रिया क्या है ;

(ख) क्या सभी सर्किलों/राज्यों के लिए ये समतियां गठित की गई हैं और कार्य कर रही हैं ;

(ग) यदि हां, तो हिमाचल प्रदेश में वर्तमान समितियों के गठन का मानदंड और ब्यौरा क्या है और कितनी अवधि तक वे कार्य करेंगी ; और

(घ) यदि नहीं, तो अभी तक उनका गठन न किए जाने के क्या कारण हैं और किस तारीख तक उनका गठन किए जाने की संभावना है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) (I) प्रत्येक राज्य/संघ शासित क्षेत्र के लिए एक दूरसंचार सलाहकार समिति (टीएसी) तथा प्रत्येक टेलीफोन जिले के लिए टेलीफोन सलाहकार समिति गठित की जाती है । समिति में विभिन्न व्यावसायिक श्रेणियों जैसे कि राज्य प्रशासन, राज्य विधान मंडल, संसद, प्रेस, व्यवसाय, वाणिज्य एवं उद्योग, चिकित्सा व्यवसाय, कानूनी व्यवसाय समाज सेवक आदि को शामिल किया जाता है । विभिन्न व्यवसायों का प्रतिनिधित्व करने वाले नामों की सूची सम्बन्धित दूरसंचार सर्किल अथवा टेलीफोन जिले के अध्यक्ष से प्राप्त की जाती है । संसद सदस्यों को संसदीय कार्य विभाग द्वारा नामित किया जाता है । सरकार द्वारा (1) महाप्रबंधक (2) सीधे मंत्रालय द्वारा भेजे गए और (3) संसदीय कार्य विभाग से प्राप्त नामों की सूची पर विचार करने के पश्चात ही दूरसंचार सलाहकार समिति में नामांकन किया जाता है ।

(II) डाक सलाहकार समितियां

विभिन्न सर्किलों की डाक सलाहकार समिति में ग्रामीण हितों, व्यापार एवं वाणिज्य, लघु

उद्योग तथा समाचार पत्र जैसे व्यवसायों और राज्य सरकारों के सरकारी तथा गैर सरकारी प्रतिनिधियों का नामांकन राज्य सरकार की सिफारिशों पर किया जाता है जबकि संसद सदस्यों का नामांकन संसदीय कार्य विभाग की सिफारिशों पर किया जाता है। संचार मंत्रालय गैर प्रतिनिधित्व वाले व्यवसायों के प्रतिनिधित्व हेतु सदस्यों का नामांकन करता है।

(ख) (i) देश में 30 दूरसंचार सलाहकार समितियां तथा 29 टेलीफोन सलाहकार समितियां गठित की जानी होती हैं। 13.7.82 को 51 समितियां कार्य कर रही हैं। 8 दूरसंचार सलाहकार समितियों के गठन पर कार्रवाई की जा रही है।

(ii) 8 डाक सलाहकार समितियों के अतिरिक्त शेष सभी समितियों का पुनर्गठन कर दिया गया है तथा वे कार्य कर रही हैं।

(ग) एवं (घ) हिमाचल प्रदेश की दूरसंचार सलाहकार समिति के बारे में विस्तृत ब्यौरा विवरण में दिया गया है। हिमाचल प्रदेश की दूरसंचार सलाहकार समिति 31.5.83 तक कार्य करेगी।

डाक सलाहकार समिति के सम्बन्धित प्राधिकारियों से सिफारिशें प्राप्त होने में कुछ बिलम्ब हुआ था। पुनर्गठन के प्रस्ताव पर कार्रवाई की जा रही है और शीघ्र ही इसकी घोषणा की जाएगी। समिति की अवधि पुनर्गठन की तारीख से दो वर्ष के लिए होती है।

हिमाचल प्रदेश के लिए दूरसंचार सलाहकार समिति

1. **राज्य प्रशासन** (1)

   उप सचिव (जी० एंड डी०) हिमाचल प्रदेश सरकार,
   एलेलेरेली बिल्डिंग, शिमला

2. **राज्य विधान** (2)

   i. श्री वछितरा सिंह, विधान सभा सदस्य
   ii. श्री कौल सिंह ठाकुर, विधान सभा सदस्य

3. **संसद सदस्य** (2)

   i. श्रीमती उषा मल्होत्रा, संसद सदस्य
   ii. श्री किशन दत्त सुल्तानपुरी, संसद सदस्य

4. **समाचार पत्र** (1)

   श्री एस० एस० बुनियाल,
   संवाददाता, हिन्दुस्तान टाइम्स, शिमला

5. **चिकित्सा व्यवसाय** (1)

   डा० आर० आर० गुप्ता,
   प्रोफेसर ऑफ सर्जरी, स्नोडॉन हास्पिटल, हिमाचल प्रदेश

6. व्यापार, वाणिज्य एवं उद्योग (2)

i. श्री एम० एम० भंडारी, मैनेजर, मैसर्स गबरेल इंडिया लिमि०, पोस्ट ऑ० पारवानू, जिला सोलन (हि०प्र०)

ii. श्री आर० एल० सेठ, प्रेसीडेंट, व्यापार मंडल, शिमला

7. जन सेवक (3)

i. श्री जगदीश शर्मा, जिला कोर्ट, हमीरपुर, शिमला

ii. पंडित विद्याधर, भूतपूर्व विधान सभा सदस्य, महा सचिव

iii. श्री ज्ञान सिंह नेगी,

प्रेसीडेंट, किन्नौर, हिमाचल-प्रदेश

दूरसंचार सर्किलों में "भंडार सामग्री" की कमी

1947. **प्रो० नारायण चन्द पराशर** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में विभिन्न दूरसंचार सर्किलों में "भंडार सामग्री" की भारी कमी है जिसके परिणामस्वरूप देश में सामान्यतया और ग्रामीण क्षेत्रों में विशेषकर दूरसंचार सुविधाएं जुटाने के विकास कार्यों की गति धीमी पड़ गई है ;

(ख) यदि हां, तो वित्तीय वर्ष 1982-83 के प्रथम तिमाही में भंडार सामग्री की, विशेषकर टेलीफोन केन्द्रों और सार्वजनिक टेलीफोनों/सी० ओज० की स्थापना से सम्बन्धित कितनी कमी थी और तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ;

(ग) इस कमी को दूर करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं। करने का विचार है ; और

(घ) किस तारीख तक यह कमी दूर हो जाने की संभावना है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) देश में भंडार की कुछ कमी रही है। एलमूनियम, पिग आयरन तथा वायर रोड आदि जैसे कच्चे माल की बेहतर उपलब्धता के कारण 1980-81 की तुलना में 1981-82 के दौरान भंडार की सप्लाई की स्थिति में पर्याप्त सुधार हुआ है।

(ख) पी० सी० ओ०/एक्सचेंज/सी० ओ० की संस्थापना कार्यक्रम के अनुसार ही की जा रही है। स्टाक आदि जैसी कुछ मदों की सप्लाई अभी भी पूरी नहीं है।

(ग) सप्लाई के अतिरिक्त स्रोतों का पता लगाने के लिए वेंडर डवलपमेंट पद्धति लागू की गई है। विशेष किस्म की मदों के लिए दूरसंचार फैक्टरियों को आधुनिक रूप दिया जा रहा है तथा बेहतर मशीनें प्राप्त करके उनकी क्षमता में वृद्धि की जा रही है।

(घ) 1982-83 के दौरान भंडार की सभी मदों की सप्लाई की स्थिति में और अधिक सुधार होने की आशा है ।

महाराष्ट्र और बिहार की डीजल/पेट्रोल की मांग

1948. **श्री तारिक अनवर :** क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले दो वर्षों के दौरान महाराष्ट्र और बिहार सरकारों ने डीजल और पेट्रोल की कितनी मात्रा की मांग की और उन्हें अलग-अलग कितनी मात्रा सप्लाई की गई ;

(ख) क्या इन राज्यों में विकास के निर्माण कार्यों के लिए पेट्रोल तथा डीजल की मांग निरन्तर बढ़ रही है ; और

(ग) यदि हां, तो उसे पूरा करने के लिए सरकार क्या उपाय कर रही है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) महाराष्ट्र और बिहार राज्य सरकारों द्वारा दिसम्बर, 1980 में बताई गई हाई स्पीड डीजल (एच०एस०डी०) तेल की मांग क्रमशः प्रतिवर्ष 12,60,000 मी० टन और 7,20,000 मी० टन थी । इन दो राज्यों के सम्बन्ध में वर्ष 1980-81 और 1981-82 के लिए एच०एस०डी० की बिक्री निम्न प्रकार है :

(आंकड़े मी० टनों में)

वर्ष	महाराष्ट्र (बिक्री)	बिहार (बिक्री)
1980-81	12,01,592	4,23,424
1981-82	12,77,433	4,14,619

इस समय राज्यों और संघ शासित प्रदेशों को एच० एस० डी० की पर्याप्त मात्रा में सप्लाई की जा रही है।

जहां तक पेट्रोल का सम्बन्ध है, इस उत्पाद की बिक्री तेल कम्पनियों के फुटकर पेट्रोल पम्पों द्वारा बिना किसी प्रतिबन्ध से की जाती है । इन राज्यों से पेट्रोल की सप्लाई को, बढ़ाने के लिए कोई विशिष्ट अनुरोध प्राप्त नहीं किये गए हैं । गत दो वर्षों में महाराष्ट्र और बिहार में पेट्रोल की हुई बिक्री इस प्रकार है :

(आंकड़े मी० टनों में)

राज्य का नाम	1980-81 (बिक्री)	1981-82 (अप्रैल 1981 से फरवरी 1982) (बिक्री)
महाराष्ट्र	2,74,000	2,68,000
बिहार	61,000	57,000

(ख) जी, हां।

(ग) महाराष्ट्र और बिहार में डीजल और पेट्रोल की आवश्यकताएं पर्याप्त रूप से पूरी की जा रही हैं।

कान्ति ताप बिजली घर के कोयला हैंडल संयंत्र के लिए ठेके

1949. **श्री तारिक अनवर :** क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार में कान्ति ताप बिजली घर के कोयला हैंडलिंग संयंत्र के निर्माण का ठेका दिल्ली की एक कम्पनी को दिया गया था और जिसे यह कार्य 1982 के अन्त तक पूर्ण करना है ;

(ख) यदि हां, तो अब तक इस कार्य में कितनी प्रगति हुई है और इसके कब तक पूरा हो जाने की संभावना है ;

(ग) क्या उक्त केन्द्र के लिए बायलर के निर्माण का ठेका दिल्ली की एक कम्पनी को दिया गया था।

(घ) यदि हां, तो ठेके की शर्तों के अनुसार बायलर निर्माण का कार्य कब तक पूरा हो जाना चाहिए था और इसके कब तक पूरा हो जाने की संभावना है ;

(ङ) क्या यह सच है कि 20 अप्रैल, 1982 को आई आंधी और वर्षा के कारण लगभग 25000 बोरी सीमेंट खराब हो गया था ; और

(च) यदि हां, तो यह सीमेंट किसका था और इसके लिए कौन-से व्यक्ति उत्तरदायी थे ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) यह अनुमान है कि यह प्रश्न मुजफ्फरपुर ताप विद्युत केन्द्र के बारे में है। कोयला हैण्डलिंग संयंत्र के भवन के लिए ठेका तीन कम्पनियों को दिए गए हैं। इनमें से एक दिल्ली की कम्पनी है। ठेके के अनुसार दिल्ली की कम्पनी को इसका कार्य सितम्बर 1983 तक पूर करना अपेक्षित है।

(ख) कार्य प्रगति पर है और कोयला हैण्डलिंग संयंत्र दिसम्बर 1983 तक पूरा किए जाने की संभावना है ।

(ग) वायलर के उत्थापन सहित समस्त परियोजना के कार्यान्वियन का कार्य टर्न-की-आधार पर मैसर्स बी. एच. ई. एल. को सौंपा गया है ।

(घ) ठेके के अमुसार इस परियोजना की दो यूनिटों को क्रमशः 8/83 और 2/84 में चालू किया जाना है । तथापि अब ये यूनिटें क्रमशः 5/84 और 2/85 में चालू किए जाने की संभावना है ।

(ङ) और (च) सूचना एकत्र की जा रही है और शीघ्र ही सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

बिहार में बिना बिजली वाले गांवों की संख्या

1950. **श्री तारिक अनवर :** क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1982-83 के अन्त तक कितने गांवों में बिजली न लग सकने की संभावान है ; और

(ख) उनमें कब तक बिजली लग जायेगी ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) बिहार में कुल 67,566 गांवों में से फरवरी, 198॰ के अन्त तक 22,108 गांव विद्युतीकृत किए गए हैं। 1982-83 की वार्षिक योजना में बिहार में 4,440 गांवों के विद्युतीकरण करने का प्रावधान है। इस प्रकार 1982-83 के अन्त में लगभग 40,000 गांव विद्युतीकरण किए बिना रह जाएंगे ;

(ख) राज्य की संदर्शी योजना में 1994-95 तक राज्य के सभी गांवों का विद्युतीकरण करने के लिए प्रावधान है ।

बल्क औषधियों का सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षण

1951. **श्री आशफाक हुसेन :** क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केवल सार्वजनिक क्षेत्र के लिए बल्क औषधियों की कोई आरक्षित सूची है :

(ख) यदि हां, तो इस सूची का ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या यह सच हैं कि चार महत्वपूर्ण औषधियों का आरक्षण खत्म किया जा रहा है ; और

(घ) यदि हां, तो उन बल्क औषधियों के नाम क्या हैं और उनके पुनः आरक्षण के क्या कारण हैं ;

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) जी हां। 1978 के औषध नीति विषयक विवरण पत्र के साथ एक निर्देशिका सूची संलग्न की गई थी।

(ख) औषध उद्योग के सरकारी क्षेत्र को लाइसेंस के लिए आरक्षित औषधों की अद्यतन निर्देशिका सूची संलग्न है।

(ग) और (घ) चूंकि सूची केवल निर्देशिका है, उसकी आवधिक समीक्षा की जाती है।

सूची

1. पेनिसिलिन
2. स्ट्रेप्टोमाइसिन
3. टेट्रासाइक्लीन
4. आक्सी-टेट्रासाइक्लीन
5. एम्पीसिलिन

डाक्सीसाइक्लीन

7. ग्रीसियोफलुविन
8. जेन्टामाइसिन
9. सल्फागुनिडाइल
10. सल्फाडिमिडाइन
11. सल्फासिटामाइड
12. सल्फामेथोक्सी-पाइरेडेजाइन
13. सल्फाडिमिथोक्सिन
14. विटामिन बी-1
15. विटामिन बी-2
16. फोलिक एसिड
17. मेट्रोनिडाजोल
18. पिपराजाइन और इसके लवण
19. क्वीनाइन
20. एनलजिन
21. एमीडोपाइरीन
22. फिनोबारबिटोन
23. मोरफिन
24. पोलिओ वेक्सिन

पूर्वी क्षेत्र में 1983 तक विद्युत संकट समाप्त करने के लिए योजना

1952. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश के पूर्वी क्षेत्र में वर्ष 1983 तक विद्युत संकट समाप्त करने के लिए कोई योजना बनाई है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इस योजना से लाभान्वित होने वाले राज्यों के नाम क्या हैं और उनकी विद्युत सप्लाई के बारे में वर्तमान स्थिति क्या है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) से (ग) छठी योजना के दौरान पूर्वी क्षेत्र में 3323 मेगावाट की उत्पादन क्षमता की बढ़ोतरी करने की परिकल्पना की गई है। इसमें से 1980-81 और 1981-82 के दौरान 505 मेगावाट पहले ही चालू की गई है। 1982-83 के दौरान 498 मेगावाट की अतिरिक्त क्षमता का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। स्कीम-वार ब्यौरा इस प्रकार है :

जल विद्युत

जल ढाका यूनिट 1 और 2 (पश्चिम बंगाल)	—	8 मेगावाट

ताप विद्युत

बन्डेल यूनिट 5 (पश्चिम बंगाल)	—	210 मेगावाट
टीटागढ़ यूनिट 1 (पश्चिम बंगाल)	—	60 मेगावाट
बरौनी यूनिट 6 (बिहार)	—	110 मेगावाट
तलचेर यूनिट 6 (उड़ीसा)	—	110 मेगावाट

उत्पादन क्षमता में इष्टतम बढ़ोत्तरी करने के लिए विभिन्न विद्युत केन्द्रों के निर्माण की प्रगति की ध्यानपूर्वक मानीटरिंग की जा रही है। मौजूदा विद्युत संयंत्रों से इष्टतम उत्पादन करने के लिए कई अल्पकालीन और दीर्घकालीन कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जा रहे हैं। पूर्वी क्षेत्र में भार प्रेषण केन्द्र भी स्थापित किया जा रहा है। इससे क्षेत्र में विभिन्न विद्युत प्रणालियों का समेकित प्रचालन तथा फालतू बिजली वाले राज्यों से कमी वाले राज्यों को विद्युत का अन्तरण तथा आपातकालीन बन्दी की स्थितियों में विद्युत का आदान-प्रदान हो सकेगा।

जून, 1982 के अंत तक पूर्वी क्षेत्र के विभिन्न राज्यों में विद्युत सप्लाई की स्थिति विवरण में दी गई है।

विवरण

पूर्वी क्षेत्र में विद्युत सप्लाई की स्थिति (जून, 1982)

	बिहार	दामोदर घाटी निगम	उड़ीसा	पश्चिम बंगाल	सिक्किम	पूर्वी क्षेत्र
अधिकतम उपलब्धता (मेगावाट)	530	840	430	960	7	2500
अधिकतम मांग (मेगावाट)	700	900	560	1340	9.2	3070
कमी (मेगावाट)	170	60	130	380	2.2	570
विद्युत उपलब्धता (मिलियन यूनिट)	247	462	211	623	3	1546
विद्युत आवश्यकता (मिलियन यूनिट)	380	485	310	625	3	1803
कमी (मिलियन यूनिट)	133	23	99	2	—	257

कोल-इण्डिया के मुनाफे में वृद्धि के बावजूद कोयले के दामों में बढ़ोत्तरी

1953. **श्री रामावतार शास्त्री :** क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वर्ष 1981-82 के दौरान कोल इण्डिया को हुए मुनाफे में वृद्धि हुई है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या यह भी सच है कि इस मुनाफे के बावजूद कोयले के दाम बढ़े हैं ; और

(घ) यदि हां, तो यह वृद्धि क्यों की गई है ?

ऊर्जा मंत्रालय के कोयला विभाग में राज्य मंत्री (श्री गार्गी शंकर मिश्र) : (क) और (ख) कोल इण्डिया लि० को वर्ष 1981-82 में रु० 35.83 करोड़ (अनंतिम) का लाभ हुआ।

(ग) और (घ) कोयले के मूल्यों में संशोधन इन कारणों से आवश्यक हो गया था—उत्पादन

सामग्रियों की लागत में वृद्धि, कामकारों की मजदूरियों में वृद्धि, मूल्य ह्रास और ब्याज का अधिक भार, आदि।

टेलीफोन एक्सचेंजों के संयंत्रों का जीवन काल

1954. श्री रामलाल राही : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें इस बात की जानकारी है कि देश के विभिन्न भागों में कुछ टेलीफोन उपकरणों की जीवन अवधि लगभग 20 वर्ष है, लेकिन वे 30 वर्ष से भी अधिक समय से काम में लाए जा रहे हैं जिसके फलस्वरूप कई त्रुटियाँ सामने आई हैं और टेलीफोन सेवा में लगातार गड़बड़ी रहती है तथा टेलीफोन लाइनों में त्रुटियों के कारण प्रयोक्ताओं को बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ता है ;

(ख) यदि हां, तो देश में ऐसे कितने टेलीफोन केन्द्र हैं, और उनकी कब तक मरम्मत की जाएगी या नये उपकरणों में बदला जाएगा ; और

(ग) इस मामले में क्या उपचारात्मक कार्यवाही .ी जा रही है और उसका पूर्ण ब्यौरा क्या है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) स्वचलित एक्सचेंज उपस्कर की सामान्य कार्य अवधि 25 वर्ष है। देश में इस समय ऐसा कोई एक्सचेंज नहीं है जो 30 वर्ष से अधिक समय से कार्य कर रहा हो तथा जिसके लिए प्रतिस्थापन अदेश न दे दिए गए हों। गहन-अनुरक्षण प्रयास के जरिए इस प्रकार के उपस्करों जिन्हें बदला जाना है, के निष्पादन को संतोषजनक स्तर पर बनाए रखा जाता है।

(ख) और (ग) 37 एक्सचेंजों के पुराने उपस्करों को बदला जाना है। नये उपस्कर की उपलब्धता पर इन्हें उत्तरोत्तर रूप से बदला जा रहा है। घिसे-पिटे पुर्जों को भी संतोषजनक निष्पादन सुनिश्चित करने के लिए बदला जा रहा है।

तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग को आत्म निर्भर बनाना

1955. श्री रेणु पद दास : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग को आत्म निर्भर बनाने का विचार है ताकि तेल की खोज के प्रयास निबोध गति से किए जा सकें ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या कदम उठाए हैं ; और

(ग) यदि कोई कदम नहीं उठाए गए हैं तो अत्याधिक विलम्ब के क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) से (ग) तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग को क्रूड आयल के लिए जिसका वे उत्पादन करते हैं, भुगतान किये गए मूल्य में जुलाई 1981 में वृद्धि के साथ तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग ने अब अपने अन्वेषण और उत्पादन कार्यक्रम हेतु वित्तीय प्रबन्ध करने के लिए बड़ी मात्रा में आत्म निर्भरता प्राप्त कर ली है। इसे आगे और तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा विभिन्न प्रकार के बेहतर उपकरणों को प्राप्त करके और तकनीकी कार्मिकों की भर्ती करने के गहन कार्यक्रम द्वारा बढ़ाया जायेगा ताकि इसे यथा सम्भव अल्पकाल में आत्म निर्भर बनाया जा सके।

बी० सी० सी० एल० क्षेत्र में कर्मचारियों के विभागीकरण के कारण डकैतियों की संख्या में वृद्धि

1956. **श्री रेणु पद दास** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बी० सी० सी० एल० क्षेत्र में ठेकेदारों के कर्मचारियों के विभागीकरण के कारण ठेकेदारों और "माफिया किंग्स" की आय के साधन बंद हो गए हैं जिसके परिणामस्वरूप इस क्षेत्र में डकैतियों और अधिकारियों पर हमले की घटनाओं में वृद्धि हुई है ;

(ख) यदि हां, तो ठेकेदारों के कितने कर्मचारियों का विभागीकरण किया गया है ; और

(ग) सरकार का विचार ठेकेदारों के विरुद्ध क्या कदम उठाने का है ?

ऊर्जा मंत्रालय के कोयला विभाग में राज्य मंत्री (श्री गार्गी शंकर मिश्र) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

नया औषध मूल्य नियंत्रण आदेश

1957. **श्री सत्य साधन चक्रवर्ती** : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार निकट भविष्य में नया औषध मूल्य नियंत्रण आदेश जारी करने का है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो औषधियों के मूल्यों में अत्यधिक वृद्धि को ध्यान में रख कर नया आदेश जारी न करने के क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) अगर सभी अन्य वस्तुओं को एक साथ मिला लिया जाए तो उनकी तुलना में औषधियों के मूल्यों में अधिक वृद्धि नहीं हुई है, जैसा कि निम्नलिखित तालिका में सूचकांक से पता चलेगा।

1970-71=100=आधार वर्ष

वर्ष	औषध और दवाइयां	अन्य वस्तुएं जिन्हें एक साथ लिया गया है
1979-80	135.2	217.6
198:-81	137.5	257.1
1981-82	151.6	280.4

पुनर्वास की प्रतीक्षा करने वाले विस्थापित परिवार

1958. **श्री मनोरंजन भक्त** : क्या **पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में, राज्य-वार, ऐसे परिवारों की जनसंख्या-वर्ग-वार संख्या कितनी है जिनको अभी बसाया जाना है ; और

(ख) भूतपूर्व पाकिस्तान, बर्मा तथा श्रीलंका से आए व्यक्तियों के पुनर्वास के लिए सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है, उनका ब्यौरा क्या है ?

पूर्ति और पुनर्वास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) और (ख) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

विस्थापित व्यक्तियों की श्रेणी	राज्य-वार पुनर्वास की प्रतीक्षा कर रहे परिवारों की कुल संख्या		उनके पुनर्वास के लिए तैयार की गई योजनाएं
1	2	3	4
1. भूतपूर्व पूर्वी पाकिस्तान (अब बंगलादेश) से आए नए प्रवासी	बिहार	73	इन परिवारों को कृषि तथा गैर-कृषि व्यवसायों में छठी योजनावधि के अन्दर बसाए जाने की आशा है।
	मध्य प्रदेश	297	
	महाराष्ट्र	83	
	उत्तर प्रदेश	486	
		939	

1	2	3	4
2. भारत-पाक संघर्ष 1971 से सम्बन्धित विस्थापित व्यक्ति	राजस्थान	3,300	3330 परिवारों में से 2992 परिवारों को राजस्थान नहर परियोजना क्षेत्र में भूमि आवंटित कर दी गई है और इन्हें शीघ्र ही पुनर्वास स्थलों पर भेजा जाना है। शेष 308 परिवारों के लिए राज्य सरकार से उनके पुनर्वास हेतु आवश्यक भूमि खोजने के लिए अनुरोध किया गया है।
3. श्रीलंका से आए प्रत्यावासी	—	—	जून, 1982 के अन्त तक 97,514 परिवार भारत आए थे। इनमें से 74,862 परिवारों को अप्रैल, 1982 तक चार दक्षिणी राज्यों—तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और केरल में बसाया गया है। राज्य सरकारों के पास निपटान के लिए पड़े कुछ आवेदन-पत्रों को छोड़कर, शेष परिवारों ने या तो अधिकारियों के साथ आवश्यक सहायता के लिए सम्पर्क नहीं किया है अथवा किसी पुनर्वास सहायता पाने के पात्र नहीं हैं।
4. बर्मा से आए प्रत्यावासी	—	—	1978 तक लगभग 70,000 बर्मा प्रत्यावासी परिवार भारत आए थे और लगभग 68,700 परिवारों को बसा दिया गया है। इन प्रत्यावासियों को उनके पहुंचने के समय से एक वर्ष के भीतर राज्य सरकारों को सहायता हेतु अपने आवेदन-पत्र प्रस्तुत करने अपेक्षित थे। समय-सीमा के भीतर दिए गए आवेदन-पत्रों और अन्यथा सहायता पाने के लिए पात्र प्रत्यावासियों के लिए कुछ मामले लम्बित हो सकते हैं, परन्तु उनका ब्यौरा उपलब्ध नहीं है।

अखबारी कागज का स्टाक मांग और सप्लाई

1959. **श्री सत्य गोपाल मिश्र** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अखबारी कागज का स्टाक और उसकी सप्लाई की वर्तमान स्थिति खराब है ;

(ख) हमारे देश में अखबारी कागज के स्टाक, मांग और सप्लाई की वर्तमान वास्तविक स्थिति क्या है ; और

(ग) अखबारी कागज का स्टाक और सप्लाई बढ़ाने के लिए सरकार का क्या प्रस्ताव है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री वसन्त साठे) : (क) जी, नहीं ।

(ख) 1982-83 के लिए अखबारी कागज की कुल आवश्यकता 3.60 लाख टन होने का अनुमान लगाया गया है । समाचारपत्रों को 1.75 लाख टन की मात्रा (1.30 लाख टन आयातित और 0.45 लाख टन स्वदेशी) भारत के समाचारपत्रों के पंजीयक द्वारा अग्रिम में आवंटित कर दी गई है । आयातित अखबारी कागज में से, राज्य व्यापार निगम ने लगभग 1.3 लाख टन का आवंटन किया है । इसके पास लगभग 15,000 टन अखबारी कागज का स्टाक भी है । स्वदेशी अखबारी कागज के स्टाक और आपूर्ति की स्थिति के बारे में सूचना तुरन्त उपलब्ध नहीं है ।

(ग) राज्य व्यापार निगम को पहले ही यह सलाह दे दी गई है कि वह आने वाले महीनों में बड़ी मात्रा में अखबारी कागज आयात करे । चालू वित्तीय वर्ष के दौरान दो पेपर मिलों के शुरू हो जाने के कारण स्वदेशी अखबारी कागज के निर्माण में वृद्धि होने की सम्भावना है ।

एशियाड—1982 का प्रसारण

1960. **श्री सत्यगोपाल मिश्र**
श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश भर में एशियाड-1982 खेलों का सीधा प्रसारण करने के लिए क्या कदम उठाए जाने का विचार है ;

(ख) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) क्या सरकार ने इस सम्बन्ध में अन्य देशों से कोई सहायता मांगी है ? यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री वसन्त साठे) : (क) से (ग) एशियायी खेलों के उद्घाटन और समापन समारोह को तथा दिन की मुख्य घटनाओं को भी "जीवन्त" टेलीकास्ट किया

जाएगा । इसके अलावा, महत्वपूर्ण अंशों के दैनिक कैपसूल भी टेलीकास्ट किए जाएंगे । कवरेज 4 रंगीन ओ० बी० बेनों तथा 5 सादे ओ० बी० बेनों के माध्यम से किया जाएगा । कुछ घटनाएं ई० एन० जी० उपकरणों पर रिकार्ड की जाएगी । दिन के महत्वपूर्ण अंशों का 45 मिनट का कैपसूल रंगीन में तैयार किया जाएगा तथा उसे उसी दिन प्रस्तुत किया जाएगा ।

एशियायी खेलों को कवर करने के लिए अपेक्षित सभी निर्माण और इंजीनियरी कर्मचारियों का चयन कर लिया गया है। कामेंटेटरों की सूची तैयार कर ली गई है तथा कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया जा रहा है।

दिल्ली, मसूरी, मद्रास, बम्बई, कलकत्ता, पुणे, जलंधर और बंगलौर के 8 ट्रांसमीटरों को रंगीन प्रेषण के लिए परिवर्तित करने की कार्रवाई शुरू कर दी गई है।

खेलों को माइक्रोवेव सर्किटों के माध्यम से दिल्ली, मसूरी, बम्बई, पुणे, मद्रास, कलकत्ता, बंगलौर, श्रीनगर, लखनऊ, कानपुर और जलंधर-अमृतसर से टेलीकास्ट किया जाएगा । हैदराबाद, सम्बलपुर, गुलबर्गा, अहमदाबाद, मुजफ्फरपुर, रायपुर, जयपुर तथा नागपुर केन्द्रों से कवरेज इनसेट-1 ए के माध्यम से किया जाएगा ।

कवरेज दूरदर्शन के अपने कर्मचारियों/उपकरणों द्वारा किया जाएगा। एशियायी खेलों को कवर करने से सम्बन्धित इंजीनियरी और निर्माण कर्मचारियों को प्रशिक्षित करने में विदेशी संगठनों से सहायता मांगी गई है।

प्राथमिकता के आधार पर टेलीफोन कनेक्शन

1961. **श्री दयाराम शाक्य** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली में प्राथमिकता के आधार पर टेलीफोन कनेक्शन दिए जा रहे हैं ;

(ख) यदि हां, तो इस समय प्राथमिकता के आधार पर टेलीफोन कनेक्शनों हेतु कितने लोगों के नाम पंजीकृत हैं तथा कितनों को इस बीच टेलीफोन कनेक्शन दिए जा चुके हैं ;

(ग) क्या यह सच है कि पांच वर्ष से अधिक समय से पंजीकृत लोगों को टेलीफोन नहीं दिए गए हैं ; और

(घ) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) सरकार की शक्तियों के अधीन ही प्राथमिकता के आधार पर बिना बारी के टेलीफोन कनेक्शन की मंजूरी दी जा सकती है । यह शर्त संघ शासित क्षेत्र दिल्ली तथा देश के अन्य इलाकों पर समान रूप से लागू होती है ।

(ख) टेलीफोन कनेक्शन के लिए आवेदन पत्र का पंजीकरण संबंधित श्रेणी में निर्धारित अग्रिम जमा की अदायगी के क्रम में किया जाता है। पंजीकरण के लिए "प्राथमिकता" की कोई श्रेणी नहीं है। मंजूरी के बाद ही टेलीफोन कनेक्शन प्रदान किए जाते हैं।

(ग) जी हां।

(घ) कुछ एक्सचेंज इलाकों में, पांच वर्ष से अधिक समय से पंजीकरण वाले आवेदन उन एक्सचेंजों में अतिरिक्त क्षमता न होने के कारण टेलीफोन कनेक्शन हेतु अपनी बारी की प्रतीक्षा कर रहे हैं। छठी योजना के दौरान अतिरिक्त एक्सचेंज उपस्कर तथा अनुरूप बाह्य प्लान्ट का संस्थापना करके अधिकांश प्रतीक्षा सूची निपटा दी जाएंगी।

निर्धनों को सहायता देने के लिए उठाए गए कदम

1962. **श्री उत्तम भाई एच० पटेल** : क्या **विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि निर्धनों और समाज के कमजोर वर्गों की सहायता टेने के लिए सरकार द्वारा ऐसे कौन से कदम उठाए जा रहे हैं जिससे कि उन्हें सरकारी वकीलों और अभिवक्ताओं की सेवाएं प्राप्त करने, न्यायालय फीस और अन्य सभी खर्चों का भुगतान न करने जैसी सभी सुविधाएं मिल सकें और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री जगन्नाथ कौशल) : तारीख 26 सितम्बर, 1980 के एक संकल्प द्वारा सरकार ने व्यापक विधिक सहायता स्कीमें तैयार करने और क्रियान्वयन के लिए एक छोटी सी उच्च शक्ति प्राप्त समिति उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, न्यायमूर्ति श्री पी० एन० भगवती की अध्यक्षता में गठित की है। समिति ने राज्य सरकारों और संघ राज्य-क्षेत्र प्रशासनों द्वारा अपनाए जाने के लिए एक आदर्श स्कीम तैयार की है। भगवती समिति द्वारा तैयार की गई आदर्श स्कीम के अधीन ऐसा प्रत्येक नागरिक जिसकी सभी स्रोतों से आय पांच हजार रुपए प्रतिवर्ष से अधिक नहीं है, निःशुल्क विधिक सेवाओं के लिए पात्र होगा। आय संबंधी यह परिसीमा विवादों के ऐसे मामलों में लागू नहीं होगी जिसमें एक पक्षकार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, विमुक्त जाति और खानाबदोश जनजाति का है अथवा वह महिला या बालक है।

आदर्श स्कीम के पैरा 4 (1) में यह अनुबंध हैं कि राज्य विधिक सहायता और सलाह बोर्ड का यह कर्तव्य होगा कि वह राज्य में समाज के कमजोर वर्गों की निःशुल्क विधिक सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए राज्य में एक विधिक सहायता कार्यक्रम स्थापित करने के लिए कार्रवाई करे तथा वह बोर्ड द्वारा बनाई गई किसी स्कीम या नियमों के उपबंधों के अधीन रहते हुए निःशुल्क विधिक सेवाएं, जिनके अन्तर्गत किसी न्यायालय में अथवा किसी लोक प्राधिकारी के समक्ष किसी कार्यवाही में विधिक सहायता भी है, उपलब्ध कराने का प्रयास करेगा। इसके अंतर्गत साधारणतया, वकील को नियुक्त करने और मुकदमा संबंधी व्ययों जैसी सभी सुविधाएं हैं। समिति ने समाज के कमजोर

वर्गों के साथ संपर्क स्थापित करने, उन्हें प्रारंभिक जानकारी देने और उनकी सहायता करने के लिए एक लोक हित-सेल (पब्लिक इन्ट्रेस्ट सेल) की स्थापना भी की है।

अतिरिक्त बिजली उत्पादन क्षमता

1963. **श्री बी० वी० देसाई :** क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मंत्रालय ने विद्युत उत्पादन क्षमता में वृद्धि करने की दर बढ़ा दी है ;

(ख) यदि हां, तो चालू वित्तीय वर्ष के दौरान कुल कितनी अतिरिक्त विद्युत क्षमता बढ़ाई जानी है और यह गत वित्तीय वर्ष की तुलना में कितनी अधिक होगी ;

(ग) यदि हां, तो इस प्रयोजन हेतु कुल कितना निवेश किया गया है ; और

(घ) इसमें अब तक कितनी सफलता प्राप्त की जा चुकी है और सरकार को देश में विद्युत की स्थिति में कब तक सुधार ले आने का विश्वास है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) जी, हां।

(ख) चालू वित्तीय वर्ष के दौरान 3500 मेगावाट की विद्युत उत्पादन क्षमता के जोड़े जाने की संभावना है। इसकी तुलना में 1981-82 के दौरान 2175 मेगावाट की वृद्धि हुई थी।

(ग) वर्ष 1982-83 में विद्युत उत्पादन के लिए 264319 लाख रुपयों का परिव्यय अनुमोदित किया गया है।

(घ) चालू वर्ष में अभी तक 370 मेगावाट की क्षमता चालू की गई है। पंचवर्षीय योजना तैयार करते समय, पंचवर्षील योजना के अन्त में मांग और सप्लाई में अन्तर को संतुलित करने के लिए आयोजना की जाती है। निधियों की कमी, मूल्यों में वृद्धि, उपस्कर तथा सामग्री आदि की डिलीवरी में देरी आदि जैसी बहुत सी बाधाओं के कारण नई उत्पादन यूनिटों को चालू करने में देरी होने के कारण कमी होती है। तथापि मांग और सप्लाई समानता बनाए रखने के लिए हमेशा प्रयत्न किया जाता है।

मध्य प्रदेश के देवास या शाजापुर में गैस पर आधारित उर्वरक संयंत्र की स्थापना

1964. **श्री फूल चन्द वर्मा :** क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश में उर्वरक संयंत्र की स्थापना करने के लिए स्थान का चयन करने संबंधी प्रस्ताव की जांच कर ली गई है ;

(ख) स्थान का चयन करते समय किन-किन बातों का ध्यान रखा गया है ;

(ग) क्या उर्वरक कारखाना खोलने के लिए उपयुक्त स्थान के रूप में देवास या शाजापुर के मामले पर विचार किया गया है ; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) सरकार द्वारा नियुक्त की गई स्थल चयन समिति, मध्य प्रदेश राज्य में स्थापित किए जाने वाले गैस पर आधारित एक उर्वरक संयंत्र के लिए मध्य प्रदेश सरकार द्वारा सुझाए गए विभिन्न संभावित स्थलों की जांच पहले ही कर चुकी है।

(ख) स्थलों की जांच करने में समिति ने इन्फ्रास्ट्रक्चर की उपलब्धता, पर्यावरणीय पहलू, तकनीकी-आर्थिक और अन्य सम्बन्धित पहलुओं को ध्यान में रखा है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

पूर्वोत्तर क्षेत्र में अर्थ स्टेशन की स्थापना

1965. **श्री चिंगवांग कोनयक :** क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि टेलीविजन जाल का विस्तार करने और पूर्वोत्तर क्षेत्र में अर्थ स्टेशन की स्थापना के लिए योजना बना ली गई थी ; और

(ख) यदि हां, तो इस प्रयोजन के लिए कितना धन निर्धारित किया गया है और इसे कितनी अवधि में क्रियान्वित किया जायेगा ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री वसन्त साठे) : (क) और (ख) उत्तर पूर्वी क्षेत्र में दूरदर्शन सेवा प्रदान करने के लिए 25.7 करोड़ रुपये की राशि की एक विशेष योजना मंत्रालय द्वारा तैयार की गई थी जिसमें छठी योजना में 15.20 करोड़ रुपए की योजना शामिल थी। योजना को योजना आयोग द्वारा अनुमोदित कर दिया गया है। छठी योजना के दौरान 7.00 करोड़ रुपये की लागत की एक स्कीम कार्यान्वित न करने का प्रस्ताव है।

'इनसेट' उपग्रह का उपयोग

1966. **श्री पी० एम० सईद**
श्रीमती किशोरी सिन्हा
डा० कृपा सिंधु भोई : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सुनिश्चित करने के लिए अनेक अनुसंधान और मूल्यांकन अध्ययन करने पर

विचार किया जा रहा है कि "इनसैट" उपग्रह के उपयोग की योजना के प्रथम चरण में पर्याप्त ग्रामीण क्षेत्रों में टेलीविजन कार्यक्रम दिखाए जाएं ;

(ख) "इनसैट" टेलीविजन कार्यक्रम के प्रथम चरण में कौन-कौन से जिले आयेंगे ;

(ग) क्या कार्यक्रम के घंटों की संख्या को भी अन्तिम रूप दे दिया गया है ; और

(घ) कार्यक्रमों का प्रसारण कब तक आरम्भ होगा ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री वसन्त साठे) : (क) जी, हां । अनुसंधान आंकड़ों के आधार पर आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के राज्यों में उन गांवों को चुना गया है जिनमें टेलीविजन सेट (सीधे संग्रहण सैट) लगाने का प्रस्ताव है । महाराष्ट्र में, जांच पड़ताल/चुनने का कार्य चल रहा है ।

इसके अलावा, कृषि स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्रों में "दर्शक रूपरेखा" और "आवश्यकता मूल्यांकन" पर फीड फावर्ड अध्ययन मुकम्मल कर लिए गए हैं ताकि कार्यक्रम निर्माता टेलीकास्ट किए जाने हेतु ऐसे कार्यक्रम आकल्पित कर सकें जो लोगों की जरूरतों एवं आवश्यकताओं से सीधे सम्बन्धित हैं ।

(ख) प्रथम चरण में, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और महाराष्ट्र राज्यों को कवर करने का प्रस्ताव है । कवर किए जाने वाले विशिष्ट जिले इस प्रकार हैं :

आन्ध्र प्रदेश : रंगरेड्डी, महबूबनगर, कुर्नूल ।

उड़ीसा : ढेंकानल, बोयंगीर, सम्बलपुर ।

महाराष्ट्र : नागपुर, भंडारा, चन्द्रपुर ।

(ग) जी, हां । लगभग 500 घन्टों का कार्यक्रम मौजूदा कार्यक्रम संग्रहालयों से चुना गया है ।

आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के राज्यों के लिए "इनसैट" पर हर सोमवार से शुक्रवार तक 5 से 8 और 9-11 वर्ष के आयु वर्ग के लिए 45-45 मिनट की अवधि की प्रातः कालीन शैक्षणिक सेवा होगी । हर शनिवार को अध्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रमों का कार्यक्रम है ।

सायंकालीन प्रेषण के लिए प्रस्तावित प्रेषण समय इस प्रकार है :

रात 7-30 बजे से रात 8-00 बजे तक

साईट उत्तरवर्ती दूरदर्शन ट्रांसमीटरों पर हिन्दी में सामान्य विकास कार्यक्रम ।

रात 8-00 बजे से रात 9-30 बजे तक

सभी ट्रांसमीटरों पर अंग्रेजी/हिन्दी और प्रादेशिक भाषाओं में राष्ट्रीय कार्यक्रम ।

(घ) "इनसैट" पर दूरदर्शन कार्यक्रम सेवा को 15 अगस्त, 1982 से शुरू करने का कार्यक्रम है ।

मद्रास में सेंसर-बोर्ड का कार्यकरण

1967. **श्री टी० आर० शमन्ना :** क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह बात सरकार के ध्यान में आई है कि मद्रास में सेंसर बोर्ड के कार्यकरण की आलोचना हुई है ; और

(ख) क्या सरकार का विचार मद्रास में तथा देश के अन्य भागों में भी, सेंसर-बोर्ड के कार्यकरण को सुव्यवस्थित करने के उपाय करने का है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री वसन्त साठे : (क) और (ख) जी, हां। मुख्य आलोचना यह है कि सेंसर बोर्ड के विभिन्न कार्यालयों द्वारा सेंसरशिप के विभिन्न मानक अपनाये जा रहे हैं और यह कि विभिन्न भाषाओं की फिल्मों के बारे में अपनाए जाने वाले मानकों में भिन्नताएं हैं।

सरकार द्वारा चलचित्र अधिनियम, 1952 के अन्तर्गत जारी किये गये मार्गदर्शी सिद्धान्तों सभी फिल्मों के लिए समान हैं और इसलिए मानकों में भिन्नता के लिए कोई अवसर नहीं होना चाहिए। तथापि, वैयक्तिक दृश्यों के रूप में गणितीय समानता सुनिश्चित करना संभव नहीं है, क्योंकि कोई ऐसा दृश्य, जो किसी फिल्म विशेष के सन्दर्भ में उल्लंघनकारी न हो, वह सेंसरशिप सम्बन्धी मार्गदर्शी सिद्धांतों का अन्य फिल्म में विभिन्न सन्दर्भ में पूर्णतया उल्लंघनकारी हो सकता है। बोर्ड द्वारा यह सुनिश्चित करने का पूरा प्रयास किया जाता है कि फिल्म के समग्र प्रभाव के रूप में संसरशिप सम्बन्धी मार्गदर्शी सिद्धांतों के सभी फिल्मों पर लागू करने में समानता और संगतता हो।

पेट्रोलियम और डीजल में पानी का सम्मिश्रण किया जाना

1968. **श्री डी० एम० पुत्ते गौडा :** क्या **पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल ही में इन्डो-बर्मा पेट्रोलियम कम्पनी लिमिटेड के खुदरा निकासी केन्द्रों में पेट्रोलियम और डीजल में पानी मिलाए जाने के 55 मामले पकड़े हैं ;

(ख) क्या सरकार द्वारा अन्य पेट्रोलियम कम्पनियों के खुदरा डिपो में ऐसी जांच पड़ताल हुई है ; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) इण्डो-बर्मा पेट्रोलियम

कम्पनी के फुटकर पेट्रोल बिक्री केन्द्रों के नवम्बर 1978 से अक्तूबर 1981 की अवधि के दौरान पेट्रोल/डीजल के साथ पानी मिलाए जाने वाले 56 मामले सरकार के ध्यान में लाये गये थे।

(ख) जी, हां।

(ग) अन्य तेल कम्पनियों के फुटकर पेट्रोल बिक्री केन्द्रों में मिश्रण करने के ऐसे मामलों की संख्या निम्न प्रकार है :

तेल कम्पनी का नाम	रिपोर्ट किए गए मामलों की संख्या
इंडियन आयल कारपोरेशन लि०	168
भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लि०	54
हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लि०	48

पानी का मिश्रण सामान्यतः डिप/फिल प्वाइंट के मेनहोल के ढकनों के जरिए पानी रिसने के कारण, विशेषकर वर्षा ऋतु के दौरान होता है। यह जंग लगने अथवा मशीनरी तौर पर खराबियों के कारण टैंकों/पाइपलाइनों और फिटिंग्ज के जरिए भी हो सकता है। सामान्यतः कोई डीलर पेट्रोल/डीजल के साथ एक ही समय अल्पावधिक लाभ के लिए पानी नहीं मिलायेगा क्योंकि पानी और पेट्रोल/डीजल का मिश्रण नहीं होता है।

पानी की मिलावट के सभी मामलों में पानी निकाला जाता है।

जहां तक तेल कम्पनियों द्वारा भिन्न पद्धतियों के अपनाये जाने का सम्बन्ध है, जहां कहीं कम्पनी अधिकारी अथवा डीलर की ओर से कोई लापरवाही देखी गई थी, सामान्यतः चेतावनियाँ जारी की गई हैं।

तेल उद्योग द्वारा अब अधिकतर विपणन नियंत्रण के लिए सामान मार्ग-दर्शी सिद्धांत तैयार किए गए हैं जिनमें अन्य बातों के साथ साथ पानी के गड्डों का दैनिक रिकार्ड रखने, कम्पनी के नियंत्रण रखने वाले कार्यालय को पानी की विद्यमानता शीघ्र रिपोर्ट करने दैनिक बिक्री करने से पूर्व पानी की विद्यमानता के लिए नमूना परीक्षण करना, फुटकर पेट्रोल बिक्री केन्द्रों पर कम्पनी के उपकरण का सही रख-रखाव और कम्पनी के बिक्री अधिकारी और वरिष्ठ प्रबन्धकों द्वारा आवधिक निरीक्षण करने की व्यवस्था है।

दो अथवा अधिक तेल कम्पनियों के साथ गठित किये गये संयुक्त निरीक्षण दलों द्वारा फुटकर पेट्रोल बिक्री केन्द्रों पर आकस्मिक निरीक्षण भी किये जाते हैं। निरीक्षण के दौरान जहां गम्भीर अनियमितताएं पाई जाती हैं, उत्पाद की सप्लाई रोक दी जाती है और बार-बार ऐसा होने पर मामले के तथ्यों के आधार पर जो उसके जिम्मेदार होते हैं, उसके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जा सकती है।

मैसर्स इन्डियन टोबेको कं० लि०

1969. श्री राकेश कुमार सिंह : क्या विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने गत पांच बर्षों के दौरान मै० इंडियन टोबेको कं० लि० के कार्यकरण की जांच की है ;

(ख) क्या यह सच है कि उक्त कम्पनी एम० आर० टी० पी० अधिनियम का उल्लंघन कर रही है ;

(ग) क्या यह भी सच है कि इंडियन टोबेको कं० ने कुछ ऐसे व्यक्तियों को अपने एकमात्र बिक्री एजेन्टों के रूप में नियुक्त किया है, जो कम्पनी के निदेशकों/प्रबन्ध निदेशकों के सम्बन्धी हैं, और यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(घ) क्या सरकार का इस कम्पनी को लोक हित में अपने हाथ में लेने का विचार है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० ए० रहीम) : (क) नहीं, श्रीमान् जी। प्रसंगवश कम्पनी का वर्तमान नाम आई० टी० सी० लिमिटेड है।

(ख) कम्पनी को एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम, 1969 की धारा 22 का उल्लंघन करने के आरोप के लिए 8 मार्च, 1982 को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। कारण बताओ नोटिस के संदर्भ में दिये गये उत्तर पर विचार किया जा रहा है।

(ग) कम्पनी अधिनियम के उपबन्धों के अन्तर्गत एकमात्र बिक्री एजेन्टों और वितरण करने वाले एजेन्टों की नियुक्ति के अनुमोदन के लिए कम्पनी से इस विभाग को कोई आवेदन पत्र प्राप्त नहीं हुआ है।

(घ) सरकार के विचाराधीन, इस प्रकार का कोई प्रस्ताव नहीं है।

क्यूबा सरकार के सहयोग से औषधियों का निर्माण

1970. **श्री निहाल सिंह** : क्या **पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक** मंत्री दवाइयों और औषध निर्माण में तकनीकी सहयोग के लिए क्यूबा के साथ करार के बारे में 16 मार्च, 1982 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3640 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दवाइयों और औषध के निर्माण के लिए क्यूबा सरकार के साथ करार के सम्बन्ध में अब तक क्या प्रगति हुई है ; और

(ख) दवाइयों और औषधियों का निर्माण कार्य कब तक आरम्भ होने की सम्भावना है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) इस सम्बन्ध में आगे की गई प्रगति नीचे दर्शाई गई है।

क्यूबा द्वारा अपेक्षित औद्योगिक रसायन के लिए प्रक्रिया प्रोद्योगिकी का संक्षिप्त ब्यौरा क्यूबा सरकार को भेजा गया है। ट्राईमेथोप्रिम और सल्फामिडाइन के फार्मूलेशनों के नमूने भेजने के लिए आई०डी०पी०एल० ने औषध नियंत्रक (भारत) से आवश्यक स्वीकृति प्राप्त कर ली है और उन्होंने अपने हैदराबाद संयंत्र से इन गोलियों को उत्पादित करने का अनुरोध किया है। ज्योंहि ये गोलियों तैयार हो जाएंगी वे क्यूबा में नैदानिक परीक्षण के लिए नई दिल्ली में क्यूबा के दूतावास को दे दी जाएंगी। औषधीय बूटियों से मूल तत्वों को निकालने सम्बन्धी प्रस्ताव पर "सेन्ट्रल इन्सटिट्यूट आफ मेडिसीनल एण्ड ऐरोमेटिक प्लांट्स" लखनऊ के विचार क्यूबा सरकार को भेजे गए हैं।

(ख) इसका अभी अनुमान नहीं लगाया जा सकता।

राजस्थान के ग्रामीण लोगों के लिए मनोरंजन के साधनों का प्राविधान

1971. **श्री कृष्ण कुमार गोयल :** क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राजस्थान के ग्रामीण लोगों के मनोरंजन के लिए सिनेमाओं, ड्रामों और अन्य साधनों की बहुत अधिक कमी है जिस के कारण वहां के लोग मनोरंजन के अस्वास्थ्यकारी साधनों की ओर आकर्षित होते हैं ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने राज्य में ग्रामीण लोगों के लिए इस कमी को दूर करने और मनोरंजन के साधनों को उपलब्ध करने के लिए क्या कार्यवाही करने पर विचार किया है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री वसन्त साठे) : (क) और (ख) सूचना और प्रसारण मंत्रालय फिल्मों के प्रमाणीकरण से सम्बन्धित है। राज्य सरकारें अपने अपने राज्य में सिनेमाघरों के निर्माण के लिए लाइसेंस देती हैं। इसी प्रकार, नाटक के विकास और अन्य मनोरंजन गतिविधियों के बारे में भी राज्य सरकारों द्वारा कार्रवाई की जाती है। तथापि, सूचना और प्रसारण मंत्रालय राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम के माध्यम से अच्छे सिनेमा का सन्वर्धन करने का प्रयास करता रहा है। राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम अच्छी फिल्मों के निर्माण के लिए और राज्यों में सिनेमाघरों के निर्माण के लिए भी सहायता प्रदान करता है। इस मंत्रालय का गीत और नाटक प्रभाग, जिसका जोधपुर में एक कार्यालय है, अपनी तीन विभागीय सीमावर्ती मंडलियों और 29 पजिकृत दलों के माध्यम से मुख्यतया लोगों को मनोरंजन के माध्यम से सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों से सूचित करने के लिए रंगमंचीय प्रदर्शनों का आयोजन करता है। प्रभाग का सैनिक स्कन्ध राजस्थान के सीमावर्ती क्षेत्रों में सैनिकों के लिए मरोरंजन कार्यक्रमों का आयोजन करता है। क्षेत्रीय प्रचार निदेशालय का एक क्षेत्रीय कार्यालय जयपुर में है और उसकी 13 क्षेत्रीय यूनिटें राजस्थान के बड़े क्षेत्र को कवर करती हैं। क्षेत्रीय यूनिटें फिल्म शो तथा गीत और नाटक कार्यक्रमों सहित विकासोन्मुखी मनोरंजन कार्यक्रमों का आयोजन करती हैं।

टी० बी० के इलाज के लिए "ईथम्बुटोल" नामक औषधि की कमी

1972. **श्री के० लकप्पा :** क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि क्षयरोग के इलाज के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली "ईथम्बुटोल" नाम की एक महत्वपूर्ण औषधि की देश में भारी कमी हैं;

(ख) क्या यह भी सच है कि देश में निर्माताओं ने इस औषधि का उत्पादन बन्द कर दिया है और इसके आयात में विलम्ब के कारण इसकी भारी कमी पैदा हो गई है ; और

(ग) इस महत्वपूर्ण औषधि को उपलब्ध करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीरसिंह) : (क) से (ग) देश में इथम्बूटोल फार्मूलेशनों की भारी कमी नहीं है। यह रिपोर्ट मिली है कि चार प्रमुख भारतीय कम्पनियों द्वारा दिसम्बर, 1981 से मार्च 1982 तक 16 मी० टन इथम्बूटोल का स्वदेशी उत्पादन किया गया है। चूंकि इस औषध की समस्त मांग को स्वदेशी उत्पादन से पूरा नहीं किया जाता अतः एस. टी. सी. द्वारा प्रत्येक वर्ष आयात भी किया जाता है। इस वर्ष अनेक वास्तविक प्रयोगकर्ताओं को इस औषध को सीधे तौर पर आयात करने के लिए अनुमति भी दी गई है। चूंकि इस वर्ष कुछ नये यूनिटों में उत्पादन प्रारंभ कर दिया है। अतः इस वर्ष के दौरान स्वदेशी उत्पादन में महत्वपूर्ण वृद्धि होने की आशा है।

औषधियों के मूल्य घटाने के लिए उठाए गए कदम

1973. **श्री सज्जन कुमार :** क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पिछले कई वर्षों से बड़ी मात्रा में औषधियों का उत्पादन हो रहा है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि अधिक उत्पादन होने के बावजूद भी औषधियों का मूल्य बहुत अधिक है ; और

(ग) यदि हां, तो सरकार ने औषधियों का मूल्य कम करने के लिए क्या कदम उठाए हैं ताकि गरीब लोगों को राहत मिल सके ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) जी, हां। गत तीन वर्षों के दौरान देश में औषधों और फार्मूलेशनों के उत्पादन का मूल्य निम्नप्रकार है :

वर्ष	बल्क औषधों का उत्पादन रु०/करोड़	फार्मूलेशनों का उत्पादन रु०/करोड़
1979-80	226	1150
1980-81	240	1200
1981-82	275	1300

(ख) औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 1979 के प्रावधानों के अन्तर्गत औषधों के मूल्यों को कानूनी रूप से नियंत्रित किया जाता है। हाल ही के वर्षों में अन्य वस्तुओं की तुलना में औषधों और दवाइयों के मूल्यों में हुई वृद्धि को निम्नलिखित तालिका से देखा जा सकता है :—

1970-71 = 100—आधार वर्ष

वर्ष	औषध और दवाइयां	अन्य वस्तुओं सहित
1975-76	118.7	173.0
1976-77	133.9	176.6
1677-78	136.3	185.8
वर्ष	औषधें और दवाइयां	अन्य वस्तुओं सहित
1978-79	136.1	185.8
1979-80	135.2	217.6
1980-81	137.5	257.1
1981-82	151.6	280.4

औषधों के मूल्य में मामूली वृद्धि मुख्यतया पेट्रोलियम के मूल्यों में वृद्धि के कारण हुई है।

(ग) उपभोक्ताओं को उपयुक्त मूल्यों पर पावश्यक दवाइयाँ उपलब्ध करना सरकार का प्रयास रहा है। आवश्यक दवाईयों के मूल्यों को, औषण (मूल्य नियत्रण) आदेश 1979 के अन्तर्गत कानूनी रूप से नियंत्रित किया जाता है। ऐसी दवाइयों के मूल्य निर्धारित करते समय यह सुनिश्चित किया जाता है कि आवश्यक और जीवन रक्षक दवाइयों पर कारखाने से बाहर लागत पर कम मार्क-अप की स्वीकृति दी जाए। इसके अतिरिक्त अनेक आवश्यक जीवन रक्षक दवाइयों तथा उनके बदले प्रयोग की जाने वाली कुछ बल्क औषधों और/अथवा जिनका पूर्ण या पर्याप्त रूप से आयात किया जाता है को सीमा शुल्क का भुगतान करने से पूर्ण छूट दी गई है। कुछ आवश्यक औषधों के उत्पादन के लिए अपेक्षित कुछ मध्यवर्तियों पर रियायती सीमा शुल्क दरें लागू की गई हैं ताकि ऐसी औषधों के मूल्य का स्तर नीचा रहे। देश में निर्मित अनेक आवश्यक दवाइयों पर उत्पाद शुल्क का भुगतान करने की भी छूट दी गई है। मूल्य नियंत्रित बल्क औषधों के मूल्य, औद्योगिक लागत और मूल्य ब्यूरो द्वारा समय-समय पर किए गए लागत अध्ययनों के आधार पर निर्धारित किए जाते हैं। ऐसे अध्ययनों के परिणामस्वरूप कुछ औषधों के मूल्यों में कमी भी होती है।

फास्फेट के उत्पादन में कमी

1974 **श्री पी० राजगोपाल नायडू** : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की करेंगे कि :

(क) क्या देश में फास्फेट के उत्पादन में कोई कमी है ; और

(ख) यदि हां, तो इस कमी को सरकार किस प्रकार पूरा करेगी ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

प्रो० मधु दंडवते (राजापुर) : मैंने आपको एक महत्वपूर्ण नोटिस दिया है।

अध्यक्ष महोदय : उनका पत्र आया हुआ है। वह तो मैंने पहले ही भेज दिया है। मैं उसे पहले ही भेज चुका हूं।

प्रो० मधु दंडवते : मुझे एक निवेदन करने दीजिए और हम जो कुछ कह रहे हैं आप उसे समझने की कोशिश कीजिए (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : आप मुझे पहले ही लिख चुके हैं। जो कुछ आपने लिखा मैं उसका पहले ही पालन कर चुका हूँ। आपको क्या कहना है ? (**व्यवधान**)

प्रो० मधु दंडवते : जो कुछ मैंने कहा उसका पालन आपने कैसे किया है ? (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : आपने मुझे एक पत्र भेजा था।

प्रो० मधु दंडवते : मैंने सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति के सभापति के विरुद्ध विशेषाधिकार भंग करने का एक नोटिस भेजा था। (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : आप अनावश्यक ही सभा का समय नष्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं इसे पहले ही भेज चुका हूँ।

प्रो० मधु दंडवते : मैंने आपका ध्यान इस बात की ओर दिलाया है कि···(**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : आप कोई भी नई बात सामने नहीं लाये हैं।

प्रो० मधु दंडवते : क्या यह सच नहीं है कि समिति के छः सदस्यों ने एक पत्र पेश किया था ? (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : नहीं कोई प्रश्न नहीं। मैंने वह पत्र पहले ही प्राप्त कर लिया है। मैं इसका जिक्र पहले ही कर चुका हूँ।

प्रो० मधु दंडवते : वे कब उत्तर देंगे ?

अध्यक्ष महोदय : यह सभापति पर निर्भर करता है। आप अनावश्यक तौर पर सभा का समय नष्ट कर रहे हैं। मैं आपसे इसकी आशा नहीं रखता था। (**व्यवधान**)

प्रो० मधु दंडवते : मैं यह बताना चाहूँगा कि विलम्ब के फलस्वरूप क्या होगा। श्री अंतुले के मामले में मेरे विरुद्ध विशेषाधिकार भंग करने का नोटिस दिया गया था। आपने उसे व्यपगत होने दिया। यहाँ भी वही बात होगी (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : इसके लिए कोई अनुमति नहीं। मैं आपको बता चुका हूँ। कोई प्रश्न नहीं। (**व्यवधान**)

प्रो० मधु दंडवते : श्री मधुसूदन वैराले उत्तर नहीं दे रहे हैं। (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : कोई समस्या नहीं (**व्यवधान**)

श्री हरिकेश बहादुर (गोरखपुर) : मैंने भी श्री वैराले के विरुद्ध विशेषाधिकार भंग करने का नोटिस दिया था (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : कोई प्रश्न नहीं। इसके लिए कोई अनुमति नहीं।

प्रो० मधु दंडवते : कृपया इन नोटिसों को कम महत्व न दें।

श्री मनीराम बागड़ी (हिसार) : अध्यक्ष महोदय, सदन में हम लोगों को धरना देना पड़ा था। मंडल कमीशन की रिपोर्ट को पेश करने और उस पर बहस करने के लिए...

अध्यक्ष महोदय : क्या आप कभी सोचते हैं कि आप क्या कह रहे हैं ? मैंने आपको पहले ही कहा था, आज फिर कहता हूँ कि यह बिजनेस एडवाइजरी कमेटी के पास है। मैंने एडमिट कर रखा है। जिस दिन वह तय करेंगे, उसी दिन मैं करवा दूँगा। आप उन सबसे बात करिए। सरकार तैयार है।

श्री मनीराम बागड़ी (हिसार) : मुझे न सरकार से मतलब है और न गैर सरकार से मतलब है। मुझे कमेटी से मतलब नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : तो किससे मतलब है ?

श्री मनी राम बागड़ी : मैं सोच कर बात कहता हूँ कि अगर ये विरोधी सदस्य भी इस काम में रुकावट डालते हैं, तो ये भी दोषी हैं।

अध्यक्ष महोदय : तो और कौन सा तरीका है, आप बताइए।

श्री मनीराम बागड़ी : आप उसमें बैठते होंगे।

अध्यक्ष महोदय : मैं बैठता हूँ। मैंने मंजूर कर रखा है। प्रश्न तो समय का है।

श्री मनीराम बागड़ी : तो फिर किसने रोका है ?

अध्यक्ष महोदय : आप पूछिए कि मंडल कमीशन की रिपोर्ट को क्यों नहीं आने देते हैं। इसका फैसला बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग में होगा। श्री परुलेकर ?

श्री बापूसाहिब परुलेकर (रत्नगिरि) : मैंने विशेषाधिकार उल्लंघन का एक नोटिस दिया हैं। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : ठीक है। कुछ भी नहीं...

श्री बापूसाहिब परुलेकर : मैंने एक नोटिस दिया है।

"नई उपलब्ध सामग्री को ध्यान में रखते हुए समिति के दो सदस्यों ने कहा है—"

अध्यक्ष महोदय : इसमें कोई नई बात नहीं है। यह पहले ही मेरे विचाराधीन है और मैं यह पहले ही कह चुका हूँ। (व्यवधान)

श्री बापूसाहिब परुलेकर : आपने क्या कार्यवाही की है ? क्या यह आपके विचाराधीन है ? (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : इसके लिए कोई अनुमति नहीं। श्री परुलेकर को अनुमति नहीं। (व्यवधान)

श्री ए० नीलालोहिदासन नाडार (त्रिवेन्द्रम) : मैंने......के विरुद्ध विशेषाधिकार उल्लंघन का एक नोटिस दिया है **

** कार्यवाही-वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय : इसकी अनुमति नहीं ।

श्री बापूसाहिब परुलेकर : आप इस पर कब तक निर्णय ले रहे हैं ? **(व्यवधान)**

श्री हरिकेश बहादुर : मैंने श्री मधुसूदन वैराले के विरुद्ध विशेषाधिकार भंग करने का नोटिस दिया है ।

अध्यक्ष महोदय : आपने कब दिया है ?

श्री हरिकेश बहादुर : मैंने कल दिया था ।

अध्यक्ष महोदय : ठीक है । बस ठीक है । **(व्यवधान)** हम इसे पहले ही समिति को भेज चुके हैं ।

श्री हरिकेश बहादुर : आपने किस मामले को सौंपा है । यह तो एक बड़ा घोटाला है ।

अध्यक्ष महोदय : श्री पासवान, क्या आपको कुछ कहना है ? **(व्यवधान)** श्री जगन्नाथ कौशल । **(व्यवधान)**

श्री हरिकेश बहादुर : आप कब तक निर्णय लेंगे ?

अध्यक्ष महोदय : मैं अपना समय लूंगा; जब मुझे रिपोर्ट प्राप्त हो जाएगी । **(व्यवधान)**

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी (बम्बई उत्तर-पूर्व) : क्या आपको इसमें घोटाले का सन्देह नहीं है ?

अध्यक्ष महोदय : मुझे किसी भी बात का सन्देह नहीं है, मैं केवल वास्तविकता देखता हूँ ।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : यह एक बहुत ही बड़ा घोटाले वाला मामला है । **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : आप समिति से भी कह सकते हैं । **(व्यवधान)**

श्री राम विलास पासवान (हाजीपुर) : अध्यक्ष महोदय, मैंने एडजार्नमेंट मोशन का नोटिस दिया है । सरकार ने 28 संगठनों के ऊपर······

अध्यक्ष महोदय : स्थगन प्रस्ताव का कोई प्रश्न नहीं ।

श्री राम विलास पासवान : पहले आप सुन तो लीजिए ।

अध्यक्ष महोदय : इसके लिए अनुमति नहीं है । **(व्यवधान)** ** कुछ भी कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं होगी । मैंने किसी को भी अनुमति नहीं दी है । **(व्यवधान)**

श्री बापूसाहिब परुलेकर : क्या मैं यह नहीं जान सकता कि आप इस बारे में क्या कर रहे हैं ?

अध्यक्ष महोदय : मैंने बता दिया आपको । बार-बार क्या बताऊँ ? कमेटी के पास है । आपको भी समिति के पास जाने का हक है । मेरा समय बर्बाद न करें । **(व्यवधान)** चिल्लायें नहीं । **(व्यवधान)** उन्हें अनुमति नहीं दी गई है । शैलानी जी आप बोलिए ।

** कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया ।

श्री आर० एन० राकेश (चैल) : मैंने प्रिविलेज मोशन दिया है……

अध्यक्ष महोदय : कोई भी विशेषाधिकार प्रस्ताव नहीं। कृपया निवेश संख्या 115 के अन्तर्गत चलें। अगर आ गया है तो कर देंगे, ठीक है। क्यों शोर कर रहे हैं ?

आप हमेशा क्यों जोर से बोलते हैं ? (व्यवधान) विशेषाधिकार का कोई प्रश्न नहीं। स्थगन का कोई प्रश्न नहीं। कुछ मत लिखिये।

सभा पटल पर रखे गए पत्र

एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार आयोग (कर्मचारियों की भर्ती) संशोधन नियम, 1982, उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश (यात्रा भत्ता) संशोधन नियम, 1982 तथा उच्च न्यायालय न्यायाधीश (यात्रा भत्ता) संशोधन नियम 1982

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (जी जगन्नाथ कौशल) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ :—

(1) एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम, 1969 की धारा 67 की उपधारा (3) के अन्तर्गत एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार आयोग (कर्मचारियों की भर्ती), संशोधन नियम, 1982 की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण), जो 5 जून 1982 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 503 में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 4272/82]

(2) उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश (सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1958 की धारा 24 की उपधारा (3) के अन्तर्गत उच्च न्यायालय न्यायाधीश (यात्रा भत्ता) संशोधन नियम, 1982 की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण), जो 12 जून, 1982 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 531 में प्रकाशित हुए थे।

(3) उच्च न्यायालय न्यायाधीश (सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1954 की धारा 24 की उपधारा (3) के अन्तर्गत उच्च न्यायालय न्यायाधीश (यात्रा भत्ता) संशोधन नियम, 1982 की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण), जो 12 जून, 1982 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 532 में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल० टी० 4273/82]

औषध (मूल्य नियन्त्रण) (तीसरा संशोधन) आदेश, 1981

पैट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री पी० शिवशंकर) : मैं आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उपधारा (6) के अन्तर्गत औषध (मूल्य नियन्त्रण) (तीसरा संशोधन) आदेश, 1981, जो 20 मई, 1982 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का० आ० 376 (अ) में प्रकाशित हुआ था, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूँ।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 4274/82]

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 1944 के अन्तर्गत अधिसूचनायें

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : मैं केन्द्रीय उत्पादन शुल्क नियम, 1944 के अंतर्गत जारी की गई निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूँ।

(1) सा० का० नि० 494 (अ), जो 14 जुलाई, 1982 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन, जिनके द्वारा 2 नवम्बर, 1981 की अधिसूचना में "तट पर" शब्द शामिल करने के बारे में 2 नवम्बर, 1981 को अधिसूचना संख्या 178/81 के उ० शु० में कतिपय संशोधन किया गया है।

(2) सा० का० नि० 495 (अ), जो 14 जुलाई, 1982 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन, जिसके द्वारा ताने-बाने के बिना बने कुछ वस्त्रों पर उत्पाद शुल्क की प्रभावी दर के बारे में 15 जुलाई, 1977 की अधिसूचना संख्या 226/77 के० उ० शु० में कतिपय संशोधन किया गया है।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल० टी० 4275/82]

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति

45 वां प्रतिवेदन

श्री जी० लक्ष्मणम (मद्रास उत्तर) : गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति का 45वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूँ।

अविलम्बनीय लोक महत्त्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

थल सेना और नौ सेना के लिए फर्जी कर्मचारियों की भर्ती करने वाले फर्जी दफतर

श्री चन्द्रपाल शैलानी (हाथरस) : अध्यक्ष महोदय, मैं अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्नलिखित विषय की ओर रक्षा मंत्री का ध्यान आकर्षित करता हूँ और प्रार्थना करता हूँ कि वह इस के ऊपर एक वक्तव्य दें :

"थल सेना और नौसेना के लिए बड़ी संख्या में फर्जी कर्मचारियों की भर्ती करने वाले फर्जी दफतरों का पता लगने के समाचार।" (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : रूल के हिसाब से नहीं देखते तो अपने गले के हिसाब से देखिए। आप का गला खराब हो जाएगा।

[श्री आर० वेंकट राम]

रक्षा मंत्री (श्री आर० वेंकटरामन) : पिछले 6 सालों में 221 मामले धोखेबाजी से भर्ती करने के थल सेना अधिकारियों के ध्यान में आए हैं। इन सभी मामलों को जाँच के लिए पुलिस को सौंप दिया गया है।

2. ऐसा दिखाई पड़ता है कि ये धोखेबाज व्यक्ति सम्भावित उम्मीदवारों को भर्ती करने के लिए उनसे पैसा एंठने के लिए उन्हें फुसलाते थे।

3. बेईमान ऐजेन्टों और उनके दलालों द्वारा इस तरह के गलत तरीकों से लोगों को फँसाने के खिलाफ समुचित उपाय अपनाए गए हैं। इस सम्बन्ध में अपनाए गए साधनों में से कुछ इस प्रकार हैं :—

(क) भर्ती अधिकारियों को सामान्यत: प्रत्येक दो वर्ष के बाद बदल दिया जाता है।

(ख) एक अधिकारी पर सारे काम के बारे में निर्णय लेने के दायित्व न सौंप कर अधिकारियों का एक बोर्ड बनाया गया है।

(ग) परीक्षायें सब के सामने ली जाती हैं।

(घ) ब्रांच भर्ती अधिकारियों का दर्जा बढ़ाकर उसका रैंक ले० कर्नल के बराबर कर दिया गया है।

(ङ) भर्ती और चुनाव प्रणाली पर इस समय एक अध्ययन दल अध्ययन कर रहा है।

(च) भर्ती होने वाले उम्मीदवारों को इन बेईमान तत्वों का शिकार न बनने की सलाह देते हुए काफी बड़े पैमाने पर प्रचार किया जा रहा है। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : बैठ जाइये, बहुत हो गया। यह हद से बाहर हो रहा। बैठ जाइए। मैं जानता हूँ, बैठ जाइए। (व्यवधान) मैंने किसी को भी अनुमति नहीं दी है। कुछ भी कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं होगा (व्यवधान)** अति मत कीजिए, बैठ जाइए। आप कुछ और दीजिए। स्थगन प्रस्ताव का कोई भी प्रश्न नहीं है। इसके लिए स्थगन प्रस्ताव आवश्यक नहीं है। नहीं। स्थगन प्रस्ताव का कोई प्रश्न ही नहीं है। इसके लिए कोई अनुमति न हो। (व्यवधान)** कोई प्रश्न नहीं। आप बैठ जाइए। आपका गला खराब हो जाएगा। (व्यवधान) मेरी अनुमति बिना जो कुछ भी बोला जाएगा वह कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। ये मेरी अनुमति बिना बोल रहे हैं। (व्यवधान) आप बैठ जाइए, शास्त्री जी। आप तो बुजुर्ग आदमी हैं। आप सभी लोग बैठ जाइए। एक बहुत काम की बात है, उसको हो जाने दीजिए। कोई तरीका भी होता है। क्या तरीका है, आपका ? यह क्या है ? बैठ जाइए आप लोग क्यों चिल्लाते हैं ? (व्यवधान) कोई प्रश्न नहीं। यह स्थगन प्रस्ताव के लिए प्रश्न नहीं है। कोई प्रश्न नहीं। कोई अनुमति नहीं। नहीं। (व्यवधान) आप हर समय चिल्लाते क्यों हैं ?

**कार्यवाही-वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

डा० कृपासिंधु भोई (सम्बलपुर) : स्थिति का सामना करने के लिए एक मनश्चिकित्सक की सेवायें क्यों न ली जायें ?

श्री रामावतार शास्त्री (पटना) : अध्यक्ष जी, क्या इस देश में पीसफुल डिमांस्ट्रेशन करना भी कोई गुनाह है ? मैंने आपको······

अध्यक्ष महोदय : आप डिस्कशन के लिए कुछ लाइए। एडजर्नमेंट के लिए यह नहीं है। कालिंग अटेन्शन में आ सकता है तो देख लेंगे। स्थगन प्रस्ताव का कोई प्रश्न नहीं। कोई अनुमति नहीं। कोई प्रश्न नहीं। (व्यवधान)

बैठ जाइए, कोई अनुमति नहीं। मैंने इसके लिए अनुमति नहीं दी है। मुझे उत्तेजित करने का प्रयास न करें। मैं उत्तेजित नहीं होता। (व्यवधान) कोई आपकी पार्टी का आदमी है, जो आपको समझा सके। अब बहुत हो गया है। मुझे उत्तेजित करने का प्रयास मत करो। (व्यवधान) अनुमति नहीं है। (व्यवधान) श्री जगपाल जी, मुझे इसका पता है। अपनी सीमा से न लाघें। अब बैठ जाओ। कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए। (व्यवधान) मैं इस पर विचार करूंगा। लेकिन इस तरह नहीं। इस प्रकार इसे कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। यह कोई तरीका नहीं है। यह स्थगन का मामला नहीं है। कुछ और हो सकता है। जी हां, बैठ जाइए। (व्यवधान)

श्री सत्यनारायण जटिया (उज्जैन) : मध्य-प्रदेश के सौ रुपये के जाली नोट चल रहे हैं। और···(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं उस पर विचार कर रहा हूँ। आपने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव रखा है। स्थगन का प्रश्न ही नहीं है। उसे पहले ही स्वीकार कर लिया गया है। ठीक है।

श्री मनीराम बागड़ी (हिसार) : अध्यक्ष महोदय मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। इनके जवाब पर क्या इनका जवाब देंगे ?

अध्यक्ष महोदय : आपका टाइम आ रहा है। आप पूछ लीजियेगा। इनसे आप जवाब मांग लीजिएगा।

श्री हरिकेश बहादुर (गोरखपुर) : श्री मधुसूदन वैराले यहां उपस्थित हैं, वह उत्तर दे सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय : कोई प्रश्न नहीं किया जायेगा।

श्री नीलालोहिथादसन नाडार (त्रिवेन्द्रम) : मेरे विशेषाधिकार प्रस्ताव का क्या हुआ ?

अध्यक्ष महोदय : कोई प्रश्न नहीं किया जायेगा, कृपया बैठ जाइये। आप हमेशा खड़े होने का प्रयत्न क्यों करते हैं। आप तो ग्रुप के नेता हैं।

श्री नीलालोहितदासन नाडार : परन्तु आप सुन नहीं रहे हैं, आप कुछ कर नहीं रहे हैं। (व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : मैं जो कुछ कर सकता हूँ, कर रहा हूँ, आप बैठ जाइए।

गृह मन्त्रालय और संसदीय कार्य विभाग में राज्य मन्त्री (श्री पी० वेंकट सुब्बय्या) : अध्यक्ष महोदय, श्री नाडार अध्यक्षपीठ की निन्दा कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : उन्हें पता ही नहीं है कि वे क्या बोल रहे हैं।

श्री पी० वेंकट सुब्बय्या : अध्यक्ष महोदय, यह कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया जाना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : कार्यवाही वृतान्त में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया गया है, क्योंकि जो कुछ वह बोले हैं मेरी अनुमति के बिना बोले हैं और उन्हें यह पता नहीं है कि वह बोल क्या रहे हैं।

श्री हरिकेश बहादुर : कल श्री जयपालसिंह कश्यप ने जो कुछ बोला था उसे कार्यवाही वृत्तान्त में से निकाल दिया गया है, उसमें कुछ भी अपमान जनक नहीं था, कुछ भी गलत नहीं था..........(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : श्री शैलानी कृपया अपना भाषण जारी रखिए। मैंने कोई अनुमति नहीं दी है। आप सदैव कुछ चीजें थोपने की कोशिश क्यों करते रहते हैं? कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए। (व्यवधान)** कृपया बैठ जाइए। (व्यवधान)

श्री हरिकेश बहादुर : वह कल जो कुछ बोल रहे थे उसे कार्यवाही वृत्तान्त से निकाल दिया गया है।

अध्यक्ष महोदय : क्या ?

श्री हरिकेश बहादुर : आज, जो कुछ श्री नाडार जी बोले थे आप बता रहे हैं............ (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : वह मेरी अनुमति के बिना बोल रहे हैं। (व्यवधान)** वह जो कुछ मेरी अनुमति बिना बोलेंगे वह कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। (व्यवधान)

श्री चन्द्रपाल शैलानी (हाथरस) : अध्यक्ष महोदय, हमारी सेनाएं, चाहे थल सेना हो चाहे नौ सेना हो या चाहे वायु सेना हो—सारे देश की सेनाओं पर देश की सुरक्षा का दायित्व होता है। (व्यवधान)

** कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइये। यदि आपको कुछ कहना है तो मेरे पास आइए। **(व्यवधान)** हरिकेश जी आप सदैव अनावश्यक रूप से तरफदारी करते रहते हैं। कृपया बैठ जाइये।...**(व्यवधान)**...

अध्यक्ष महोदय : मैं बिल्कुल भी एक्सपंज नहीं करता हूँ। एक शब्द भी नहीं करता हूँ।

मेरी अनुमति के बिना जो कुछ कहा जाता है वह कार्यवाही वृतान्त का अंश नहीं होता है। **(व्यवधान)** मैं नहीं करूँगा।

श्री हरिकेश बहादुर : आपके कहने पर सारा एक्सपंज होता है। मैंने देखा है।

अध्यक्ष महोदय : आप रोज ही गलत देख लेते हैं। **(व्यवधान)** क्या आप अपना स्थान ग्रहण नहीं करेंगे ? आप मुझसे आकर मिलिए, लेकिन यहाँ नहीं।

श्री हरिकेश बहादुर : ठीक है, महोदय, फिर मैं आपको दिखा दूँगा।

अध्यक्ष महोदय : आप मुझे दिखायेंगे, आपका स्वागत है। **(व्यवधान)**

श्री चन्द्रपाल शैलानी : माननीय अध्यक्ष महोदय, सेनाओं का क्या महत्त्व है, इसके विषय में अपनी बात प्रारम्भ कर रहा था। हमारी सेनायें चाहे थल सेना हो, चाहे नौ-सेना हो या वायु सेना हो—उस पर देश की सुरक्षा का दायित्व है। विदेशी आक्रमण जब होता है, तब हमारे बहादुर सैनिक दुश्मन से मोर्चा लेते हैं और प्राणों की परवाह न करते हुए दुश्मन से संघर्ष करते हैं। कल जो कुछ अखबारों में छपा-फर्जी दफ्तरों में जहाँ पर कि नौ-सेना और थल सेना के लिए सैनिक भर्ती किए जाते हैं, इतना बड़ा घोटाला और इतनी बड़ी धोखाधड़ी और जालसाजी की यह बात है। यह बहुत ही गम्भीर मामला है। मेरा आपसे इस सम्बन्ध में निवेदन है कि आप अपने माध्यम से सरकार से यह पूछें कि यह मामला कितने दिनों से चला आ रहा है और इस पर अभी तक क्या कार्यवाही की गई है।

जैसा कि अखबारों में खबर छपी है कि हमारे देश में बहुत से ऐसे केन्द्र हैं जहाँ फर्जी और जालसाज लोग पढ़े लिखे लोगों को, जो रोजगार की तलाश में रहते हैं, बहला-फुसला कर, उनको नौकरी दिलाने का प्रलोभन देकर, जाली प्रमाण-पत्र और जाली मोहरों का इस्तेमाल करके सेना में भर्ती करते हैं। इस तरह के केन्द्र आगरा, लखनऊ, मेरठ, रांची तथा अन्य कई स्थानों पर पाये गये हैं। अतः मैं माननीय रक्षा मंत्री जी से इस सम्बन्ध में चन्द सवाल पूछना चाहता हूँ और मुझे विश्वास है कि वे सदन को पूरी जानकारी प्रदान करेंगे ताकि इस तरह की चीजों का पर्दाफाश हो सके और भविष्य में ऐसे काण्डों की पुनरावृत्ति न हो सके।

1. कल जब समाचार पत्रों में यह खबर छपी कि देश के अनेक स्थानों पर ऐसे भर्ती केन्द्र और प्रशिक्षण केन्द्र कार्यरत हैं जहां सेना और नौ सेना के लिए फर्जी सैनिक एवं अधिकारी भर्ती किये जाते हैं, क्या इससे पूर्व सरकार को इस विषय में कोई जानकारी थी ? यदि थी, तो उसमें सरकार ने क्या कार्यवाही की और पिछले 6 वर्षों में यह धन्धा कैसे पनपता रहा ?

2. क्या इस धन्धे में सेना और नौ सेना के अधिकारियों एवं अन्य कर्मचारियों का भी

[श्री चन्द्रपाल शैलानी]
हाथ है ? यदि है, तो अब तक इस जुर्म में कितने अधिकारी और अन्य कर्मचारी गिरफ्तार किए गए हैं ?

3. क्या इसमें किसी विदेशी एजेन्सी का भी षड्यन्त्र हो सकता है जो हमारी फौजी ताकत को कमजोर करना चाहती हो ?

4. क्या सरकार इस बात का पता लगायेगी कि सेना एवं नौसेना के जो अधिकारी इस फर्जी धन्धे के दोषी पाये जाते हैं उनके बारे में यह जांच कराई जाय कि उनके किस किस देश के किन-किन लोगों एवं संघठनों से सम्बन्ध हैं ?

5. भविष्य में इस प्रकार के धन्धे की पुनरावृत्ति न हो, इसके लिये सरकार क्या ठोस कदम उठाने जा रही है ?

6. जैसा कि अखबारों से पता चला है कि ये भर्ती कार्यालय आगरा, मेरठ, लखनऊ, कटक, दीनापुर, जोधपुर और रांची में कार्य कर रहे थे, क्या सरकार पूरे देश में इस प्रकार का सर्वेक्षण करायेगी जिससे पता चल सके कि अन्य स्थानों पर भी इस तरह के फर्जी धन्धे नहीं हो रहे हैं ?

7. हमारे देश में जालसाजों और फर्जी धन्धा करने वालों का जाल बिछा हुआ है। जैसे पासपोर्ट, बीजा, कालिज और यूनीवर्सिटीज की डिग्रियां और सर्टिफिकेट्स, सिक्के, करेंसी नोट्स, आदि सभी कुछ जाली मिल जाते हैं। क्या सरकार इन देश-द्रोहिता के काम करने वालों से निपटने के लिये कोई विशेष कानून बनाने पर विचार कर रही है, जिसके तेहत ऐसे लोगों को सख्त से सख्त सजा देने का प्रावधान हो ?

श्री आर० वेंकट रामन : मैं इस मामले को उठाने के लिए माननीय सदस्य को धन्यवाद देता हूँ क्योंकि मैं यह आवश्यक समझता हूँ कि हम सारी बात खोलकर सभा और देश को बता दें।

मेरे विचार से इन धोखेबाज लोगों के काम करने के ढंग के बारे में सदन मुझसे जानना नहीं चाहेगा क्योंकि इससे इस प्रकार की धोखेबाजी करने के लिए अन्य लोगों को भी प्रोत्साहन मिलेगा। इसलिए मैं किसी प्रकार का ब्यौरा नहीं दूंगा अपितु सभा को प्रमुख विशेषताएं बताऊँगा जिससे कि सदन को यह पता चल जाए कि जो उपाय किए गए हैं ······(**व्यवधान**)**

श्री पी० जे० कुरियन (मवेलीकारा) : क्या आप यह सोचते हैं कि संसद सदस्य ऐसा करना आरम्भ कर देंगे ?

श्री आर० वेंकट रामन : नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं संसद सदस्यों का सम्मान करता हूँ। मैं बुराई के उन्मूलन में उनके सहयोग की अपेक्षा करता हूँ। इसके बारे में कोई सन्देह नहीं है। दूसरे लोग इसे सीखकर अपनाने का प्रयत्न करेंगे।

गत छः वर्षों में कुछ अनाधिकारी लोगों ने जो पूर्णतया सेना से असंबद्ध थे अपने को चयन अधिकारी बताकर यह काम किया। वे ठग कुछ स्थानों पर किसी कमरे में बैठ जाते और इच्छुक जवानों को फुसलाकर कार्यालय में बुलाते थे और सेना में भर्ती कराने के बहाने उनसे पैसा एँठते

थे। वे करते यह थे कि उन्हें जाली प्रमाण-पत्र बनाकर दे देते थे जिसे वे सेना मुख्यालय या प्रशिक्षण केन्द्र में जाकर दिखाते थे कि वे चुन लिए गये हैं।

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

उन्होंने ग्रस्पष्ट-सी नकली मोहरें बनवा रखी हैं जिससे कि उन्हें देखा न जा सके ग्रौर फिर इस मोहर को लगाकर वे प्रशिक्षण केन्द्रों में चले जाते हैं। जब ये लोग प्रशिक्षण केन्द्रों में जाते हैं तो कमान्डेन्ट या कोई प्रभारी ग्रधिकारी उन प्रमाण पत्रों को देखता है ग्रौर प्रथम दृष्टया यदि वह इन्हें ठीक पाता है तो उन्हें ले जाता है।

परन्तु एक प्रक्रिया है जिसके ग्रनुसार भर्ती ग्रधिकारी उन लोगों के नाम-तालिका की दूसरी प्रति, जो कि भर्ती किए जाते हैं, सम्बद्ध प्रशिक्षण केन्द्रों को भेजता है। जो लोग इस प्रकार के नकली प्रमाण-पत्र लाते हैं यदि उनके नाम दूसरी सूची में नहीं होते हैं तो उन्हें तुरन्त पकड़ करके पदच्युत कर दिया जाता है। हम ग्रन्य कार्यवाही, ग्रपराधिक कार्यवाही करते हैं जो कि उन गरीब लड़कों के विरुद्ध नहीं की जाती है जिनको कि ठगा गया है परन्तु हम यह पता लगाने की कोशिश करते हैं कि उन्हें कैसे ठगा गया है ग्रौर उन लोगों को ढूंढते हैं जो कि इस प्रकार की धोखेबाजी के लिए जिम्मेवार होते हैं।

छः वर्ष की ग्रवधि में हमने 3,00,000 लोग भर्ती किए जिसमें धोखा देकर भर्ती होने वालों की संख्या लगभग 237 है। प्रश्न यह पूछा गया था कि वे कौन से केन्द्र हैं जिनमें ये घटनाएं घटी हैं। जिन केन्द्रों में ये घटनाएँ होती रही हैं वे हैं : ग्रागरा, कटक, दीनापुर, जोधपुर, लखनऊ, मेरठ ग्रौर रांची। यदि ग्रापको पूरा ब्यौरा चाहिए तो मैं बताता हूँ। मेरठ में 178, ग्रागरा में 25, रांची में 7, जोधपुर में 2, लखनऊ में 6, दीनापुर में 3 ग्रौर कटक में 2 झूठे मामले पाये गये थे।

ऐसी सूचना के मिलने के तुरन्त बाद सेना अधिकारी इसे पुलिस को सौंप देते हैं ग्रौर पुलिस मामले की छान-बीन शुरू कर देती है। मेरठ के मामले में हमें पता चला है कि मेरठ के इस नकली स्टेगर ने ग्रहमदनगर को चार ग्रादमी भेजे थे ग्रौर इन सभी को ले लिया गया था। बहुत-से व्यक्ति पकड़े गये। सेना ग्रधिकारी इन मामलों के ग्रसैनिक प्राधिकारियों यथा पुलिस को सौंप देते हैं ग्रौर उसकी जिम्मेदारी समाप्त हो जाती है। मामले की पुलिस ग्रागे छान-बीन करती है। ग्रब, हमारे पास यह सूचना तो है नहीं कि कितने लोगों को सजा हुई है परन्तु हमारे पास कुछ ऐसी सूचनाएँ हैं जिसमें कुछ लोगों को छोड़ दिया गया है कुछ को गिरफ्तार कर लिया गया है ग्रादि। परन्तु सेना के पास पूरी सूचना नहीं है।

यदि ग्राप उस दूसरी स्थिति में, कोई प्रश्न पूछें तो गृहमन्त्री होने के नाते तो मैं ग्रापको सूचना दे सकता हूँ।

जहाँ तक इस दूसरे मुद्दे का प्रश्न है, कि क्या पुलिस ने इस बारे में कोई सूचना दी है? हमने यह सूचना पुलिस को दी थी ग्रौर पुलिस को इस बारे में कुछ पता नहीं था। सूचना पुलिस को मिलती है तो वे कार्यवाही करते हैं, उनको गिरफ्तार करके ग्रभियोग चलाते हैं ग्रौर कुछ मामलों में उन्हें गिरफ्तार किया गया है ग्रौर कुछ मामलों में ग्रभियोग चल रहा है।

[श्री आर० वेंकट रामन]

माननीय सदस्य ने तीसरा मुद्दा यह उठाया था कि क्या सेना के लोग और इन धोखेबाज लोगों में कोई मिलीभगत तो नहीं है ? हमें ऐसे किसी मामले का पता नहीं चला है। फिर भी मैं यह स्वीकार करता हूँ कि एक मामला ऐसा भी है जिसमें मेरठ के लेखन-सामग्री विभाग के एक लिपिक ने इन धोखेबाजों को प्रपत्र दिए थे। हमने उन्हें गिरफ्तार कर लिया है और अभियोग चला दिया है।

जहाँ तक सेना का सम्बन्ध है हमारे ध्यान में एक भी ऐसा मामला नहीं आया है, जिसमें किसी सैनिक और इन नकली भर्ती कर्त्ताओं में कोई मिलीभगत हो।

वह यह जानना चाहते थे कि क्या गिरफ्तार व्यक्तियों को दण्डित किया जायेगा। वास्तव में न्यायालयों में इन पर अभियोग चल रहे हैं।

जहाँ तक विदेशी हाथ के होने का सम्बन्ध है, हमने मामले पर गौर किया है। इस मामले में किसी विदेशी हाथ के होने का कोई साक्ष्य नहीं मिला है। यह तो उन साधारण चोरों का काम लगता है जो नकली दस्तावेज बनाने का सस्ता अपराध करके धोखा देते हैं, जो अपनी मिलीभगत का फायदा उठाते हैं तथा जो उनकी बेरोजगारी का शोषण करते हैं और ठगने का और रुपये ऐंठने का प्रयास करते हैं। वे समाज के बहुत ही निम्न और गंवारू, अशिष्ट तबके के लोग लगते हैं।

श्री सतीश अग्रवाल (जयपुर) : वे छः साल तक नहीं पकड़े जा सके ?

श्री आर० वेंकट रामन : इसका पता प्रति वर्ष लगाया गया और तभी उन्हें सेवा से निकाल दिया गया। समाचार-पत्रों में ऐसा प्रभाव पैदा किया गया है कि उनका पता बहुत बाद में चला। यह ठीक नहीं है। अतः मैंने यह बात स्पष्ट कर दी है। प्रत्येक वर्ष इनका पता लगाया गया था। जैसे ही कोई व्यक्ति नकली प्रमाण-पत्र लेकर जाता है तो पहले तो उसे भर्ती कर लिया जाता है, परन्तु जब भर्ती कार्यालय अपनी दूसरी प्रतिलिपि भेजता है तो वे इससे मिलान करते हैं और जब उन्हें उसमें उनका नाम नहीं मिलता है तो उसे तुरन्त गिरफ्तार करके उसके विरुद्ध कार्यवाही की जाती है। इसलिए प्रत्येक वर्ष, वर्ष-दर-वर्ष ऐसा किया जाता है।

देश के अन्य भागों में भी इस धोखाधड़ी के जाल के फैले होने का कोई पता नहीं चला है। यह अधिकांशतः मेरठ और आगरा में ही व्याप्त है। हमने यह देखने के लिए कि युवा लोग ठगे न जाएँ हर कोशिश की है। अब तो हम समाचार-पत्रों में प्रकाशित करवा रहे हैं और लोगों को बता भी रहे हैं कि इन लोगों से गुमराह न होकर सीधे भर्ती कार्यालयों में जाएं। हमने अब भर्ती को खुला कर दिया है। यह सभी लोगों की उपस्थिति में होती है। एक व्यक्ति द्वारा भर्ती किए जाने का प्रश्न ही नहीं उठता है। चयनकर्त्ताओं का एक बोर्ड होता है जो बैठकर लोगों को भर्ती करता है। सही ढंग से भर्ती करने और भर्ती के तरीकों में सुधार करने के समग्र प्रश्न पर विचार करने के लिए जनरल पिन्टो के अधीन एक समिति भी नियुक्त की गई है। हमें आशा है कि जैसे ही प्रतिवेदन आयेगा हम कुछ कर सकेंगे।

श्री मनीराम बागड़ी (हिसार) : यह सवाल जो है, बड़ा गम्भीर सवाल है। यह गंभीर मामला है और अच्छा किया जो इसको लोक सभा में उठाने की अनुमति दे दी। अच्छा

होता यदि रक्षा मंत्री जी इसका जवाब जरा गम्भीरता से, खुल कर देते। लेकिन उन्होंने इस जवाब को इस नाते से दिया कि यह बात फैलेगी तो ज्यादा फ्राड होगा और इस किस्म की चीज और जगह न हो, इसलिए उन्होंने ऐसा जवाब दिया।

यह बात सही है। किन्तु हमारे देश में चाहे पाप हों, चाहे पुण्य हों, चाहे दोष हों, चाहे गुण हों, वह उनके प्रचार से उनसे निकलता है और हमारे लोगों ने उससे राष्ट्र को बनाने की कोशिश की है। गोली से बोली का ज्यादा महत्त्व है

दो बातें इसमें साफ करें कि 6 साल से यह मामला चल रहा है। पहले तो अपनी फौज जो कि राष्ट्र की फौज है, उसके बारे में कोई ऐसी बात न हो कि उसका मनोबल गिरे, लेकिन ऐसा नहीं करने से भी उसका मनोबल नहीं गिरना चाहिए।

मैं रक्षा मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूँ वे फौज से जातीयता को मिटाएँ। जाट रेजीमेंट, राजपूत रेजीमेंट, डोगरा रेजीमेंट, सिक्ख रेजीमेंट—इस तरह से जो जात-पात और धर्म तथा मजहब के नाम पर जो रेजीमेंट बनाए गए हैं, इनको बदलना चाहिए। इनके नम्बर 1, 2, 3 इत्यादि रखे जा सकते हैं या और कोई रास्ता निकला जा सकता है।

दूसरी बात यह कि है कि फौजी लोगों के मानसिक संतुलन को हमें कायम रखना है। हमारे पड़ोस में फौज को क्या मिलता है पाकिस्तान में सिपाही को क्या मिलता है उतना यहाँ भी मिलना चाहिए और चीन में अफसर और सिपाही के बीच कितना अन्तर है उस अन्तर को यहाँ भी कम किया जाना चाहिए। इस अन्तर को कम कीजिए, इससे सेना के अन्दर मनोबल बढ़ेगा।

तीसरी बात में यह कहना चाहता हूँ कि इनकी विधवाओं की और परिवार के अन्य लोगों की जो छोटी-छोटी शिकायतें हैं, उससे इन लोगों के मन का संतुलन बिगड़ता है। एक विधवा को जब पता चला कि मैं आज रक्षा मंत्रालय के बारे में बोलना चाहता हूँ तो वह कल मेरे पास आई। उसके पास प्रधान मन्त्री की और अन्य लोगों की चिट्ठिया हैं, डेढ़ साल से वह घूम रही है। इसके बावजूद कोई कार्यवाही अभी तक नहीं की गई है। इस तरह की बातों को रोकने की कोशिश कीजिए (व्यवधान)

रक्षामन्त्री जी के पास दो महकमे हैं। उनके पास बंदूक भी हैं और तोप भी है। इस प्रश्न का सम्बन्ध गृह मंत्रालय से भी है। इस तरह से जालसाजी द्वारा फर्जी लोग भारत की फौज में भर्ती हो गए, इसकी जिम्मेदारी वहाँ की पुलिस पर भी है। (व्यवधान)

क्या हमारा गृह मंत्रालय इतना कमजोर है कि जिसकी वजह से इतना बड़ा फ्राड हुआ। हमारी सीमाएँ चारों तरफ हैं और अगर इस तरह के लोग फौज में भर्ती किए जाएंगे तो उनकी रक्षा किस तरह से होगी। क्या पुलिस इन लोगों को नहीं पकड़ सकती? गृह मंत्रालय का इसमें दोष है और उसके लिए कार्यवाही की जानी चाहिए। किस डिप्टी कमिश्नर और पुलिस कप्तान के समय में यह काण्ड हुआ? गृह मंत्रालय के कर्मचारी दोषी हैं तो उनको भी सजा मिलनी चाहिए।

क्या रक्षा मंत्री जी बड़ी मजबूती के साथ यह कह सकते हैं कि कोई भी ऐसा फर्जी

[श्री मनीराम बागड़ी]

भर्ती किया हुआ आदमी अभी तक फौज में है या नहीं ? इसका जवाब बड़ी जिम्मेदारी के साथ देना होगा। क्योंकि यह बात लम्बी चलेगी। अगर एक भी आदमी फर्जी तरीके से भर्ती होकर फौज में है तो हम समझेंगे कि यह करप्शन नहीं है बल्कि एक कोलाबरेशन है, जिसके माध्यम से यह भर्ती हुई है।

इसका आप अच्छी तरह से विश्लेषण करिये। एक साल से नहीं छः साल से यह चीज चली आ रही है। पहले साल में कितने केसिस हुए, दूसरे में कितने तीसरे में कितने और छठे साल में कितने। इसको रोकने के दो ही रास्ते हो सकते हैं। एक तो भरती होने वालों को रोकना है और दूसरे जो भरती करते हैं, वे अगर पैसा खाते हैं तो उनको रोकना है। अगर सरकारी मशीनरी, फौज की मशीनरी कुरप्ट है तो उसको भी आप देखें, उनको आप पहचाने, उन तत्वों पर आप नजर रखें। फौज की इस बात की आसानी से आप छोड़ न दें। यह लम्बा चलेगा। कौन किस किस्म के तत्व हैं इसको आप देखें। रोज आप कहते हैं कि विदेशी एजेन्सियाँ हैं, कहीं अमरीकी बता देते हैं, कहीं रूस की बता देते हैं। एजेन्सी किस किस्म के लोगों की है, किस किस्म का उनका पहरावा है, किस किस्म का उनका रहन सहन है, कौन से मुल्क से, कौन सी पार्टियों से, किस किस्म के लोगों से उनका सम्बन्ध है, इसको आप देखें। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो यह चीज राष्ट्र के हित में नहीं होगी। यह राष्ट्र का सवाल है। मुझे भाषण करने का शौक नहीं है। मैं बोलता भी बहुत कम हूँ। यह बड़ी जरूरी चीज है राष्ट्र के लिए। छानबीन करना आपके लिए बड़ा जरूरी है। अखबारों में इस किस्म का एक हिंट आया है कि इस किस्म के कपड़े पहनते हैं, इन किस्म का उनका रहन सहन है, फौजी रेंक उनके ये हैं। कहाँ उनके दफ्तर हैं, किस किस्म के ये लोग हैं, यह तमाम जानकारी आप हमें दें। आपको बड़ी जिम्मेदारी के साथ इसका उत्तर देना होगा। बोगस ढंग···के फौज में भरती किए हुए आदमी ज्यादा से ज्यादा कितने अर्से तक फौज में रहे, अब भी हैं या नहीं और हैं तो कितने, यह सब जानकारी आपको देनी होगी। अगर हैं तो फिर यह कोलेबोरेशन हो गया, बोगस नहीं है।

जो बात मैंने कही है यह राष्ट्र हित की है। बहुत दोषी मैं आपको नहीं मानता हूँ। आप टेम्पोरेरी तौर पर इस डिपार्टमेंट में आए हैं। स्टेशन आया, गाड़ी रुकी और आप बैठ गए थोड़े अर्से से। यह बीमारी लम्बी बीमारी है। हम सब दोषी है समाज और राष्ट्र दोषी है और इसका इलाज भी हम सब को करना है। यह आपका या अपोजीशन का सवाल नहीं है। राष्ट्र की रक्षा का सवाल है। सब का सवाल है। इसलिए मेरा निवेदन है कि इसका गम्भीरता के साथ आप जवाब दें।

श्री आर० वेंकट रामन : उपाध्यक्ष महोदय माननीय सदस्य द्वारा यह जो अपील की गई है कि यह एक ऐसा विषय है जिसमें सभी लोगों को सहयोग करना चाहिए तथा जो बुराई है उसको दूर किया जाना चाहिये मैं उसका पूरी से समर्थन करता हूँ। यह कोई दलीय विषय नहीं है यह राष्ट्रीय सुरक्षा-सम्बन्धी विषय है।

मैं उनको स्पष्ट रूप से यह बताना चाहता हूँ कि धोखाधड़ी से भर्ती किये गये इन लोगों के बारे में पता लगते ही उनको सेवा से निकाल दिया गया है, अतः सेना में इस प्रकार का कोई व्यक्ति नहीं है।

श्री रामावतार शास्त्री : ऐसे कितने भर्ती किये गये थे ?

श्री आर० वेंकट रामन : मैंने बताया है कि छः वर्षों में 227 थे। इन छः वर्षों में 300,000 व्यक्तियों को भर्ती किया गया था। जिनमें से 227 व्यक्ति धोखाधड़ी से भर्ती किये गये थे। उनके बारे में पता लगते ही उनको सेवा से निकाल दिया गया है। अतः मैं माननीय सदस्य को यह आश्वस्त करना चाहता हूं कि अब इन लोगों में से कोई भी सेवा में नहीं है।

एक माननीय सदस्य : सशस्त्र सेना में अथवा सेना में ?

श्री आर० वेंकट रामन : सशस्त्र सेना में। मैंने इनकी संख्या 227 बताया है नवीनतम आंकड़े 231 हैं। चार ऐसे अन्य व्यक्तियों का भी पता लगाया गया है।

माननीय सदस्य ने दूसरी बात यह कही है कि पुलिस इनको पकड़ने में समर्थ नहीं रही है यह कहना सही नहीं है कि पुलिस इनको पकड़ने में समर्थ नहीं रही है। मैंने अपने उत्तर के माननीय सदस्य को यह बताया है कि जब हमको यह मालूम हो जाता है कि धोखाधड़ी से भर्ती किया गया कोई व्यक्ति प्रशिक्षण पा रहा है तब हम तुरन्त ही उसको पुलिस के हाथ में सौंप देते हैं। अतः सबसे पहले सेना द्वारा कार्यवाही की जाती है तथा उसके पश्चात् की अन्य कारंवाई पुलिस द्वारा वे उसे आरोप पत्र देकर यह जानने की कोशिश करते हैं कि किस व्यक्ति द्वारा उसको भर्ती किया गया, वे यह पता लगाने का प्रयत्न करते है कि ऐसी कौन सी एजेन्सी है जो जी ऐसा कार्य करती हैं, आदि।

उपाध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय इस प्रकार धोखाधड़ी के माध्यम से जो लोग भर्ती किये गये वे अभी भी सेना में मौजूद हैं क्योंकि प्रत्येक वर्ष उनकी संख्या का जिक्र किया जाता है। अतः वे अभी भी सेवा में कार्य कर रहे हैं।

श्री आर० वेंकट रामन : इनकी संख्या में कमी आ रही है।

उपाध्यक्ष महोदय : लेकिन वे कार्यरत हैं।

श्री आर० वेंकट रामन : जब तक मानव रहेगा तब तक चोर तथा धोखा धड़ी करने वाले लोग रहेंगे।

श्री मनीराम बागड़ी : चोरी में और फर्जी फौज की भर्ती में फर्क है।

उपाध्यक्ष महोदय : आप सदन को यह आश्वासन दे सकते हैं, कि उनको निकाल दिया जायेगा।

श्री आर० वेंकट रामन : हमारा यह प्रयत्न है कि हम पूर्ण रूप से उनका सफाया कर दें।

मेरे परम मित्र श्री बागड़ी साहब ने मुझे एक बहुत ही दोस्ताना रूप में सुझाव दिया है— मुझे उनमें से एक को छोड़ देना चाहिये। मैं उनकी इस सलाह को…………

उपाध्यक्ष महोदय : बशर्ते कि वह इसको स्वीकार करें।

श्री मनीराम बागड़ी : कभी नहीं।

श्री आर० वेंकट रामन : माननीय सदस्य ने यह कहा है कि मैं सदन को विश्वास में नहीं लेना चाहता हूँ तथा इस व्यवसाय की कार्य प्रणाली को स्पष्ट करना नहीं चाहता हूँ। मेरा अभी भी यही विचार है कि इसे स्पष्ट करना उचित नहीं है। क्योंकि यदि यह समाचार पत्रों में प्रकाशित

[श्री आर० वेंकट रामन]

हो जाता है कि ये लोग कैसे कार्य करते हैं तब दूसरे अन्य लोगों को भी ऐसा करने की प्रेरणा मिलेगी, क्योंकि वे अपने कार्य को बहुत ही बुद्धिमानी से करते हैं तथा में उनके कार्य करने की पद्धति का प्रचार नहीं करना चाहता हूं। लेकिन मुख्य-मुख्य बातों के बारे में मैंने बता दिया है। वे लोगों को बहकाते हैं। वे झूठे दस्तावेज तैयार करते हैं, उनको फर्जी डाक्टर के पास भेजकर डाक्टरी प्रमाण-पत्र प्राप्त करते हैं।

प्रो० मधु दण्डवते : इन सभी बातों को मत बताइये।

श्री आर० वेंकट रामन : इसके अतिरिक्त माननीय सदस्य ने एक अन्य सुझाव भी दिया है कि जवानों तथा अधिकारियों के बीच अन्तर को कम किया जाना चाहिये। इस पर सतत् रूप से विचार किया जाता रहा है। सेना में विभिन्न श्रेणियों के कर्मचारियों के बीच सम्बन्ध का विषय विचाराधीन है। उनको आवश्यक रूप से ध्यान में रखा जायेगा। इन महत्वपूर्ण सुझावों के लिये मैं माननीय सदस्य का धन्यवाद करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री एस० एम० कृष्णा अनुपस्थित। श्री जैनुल बशर।

श्री जैनुल बशर (गाजीपुर) : महोदय, यह एक बहुत ही गंभीर विषय है·········

उपाध्यक्ष महोदय : हमें 1 बजे तक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव को पूरा करना है।

श्री जैनुल बशर : मैं अधिक समय नहीं लूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं सभी सदस्यों को बताना चाहता हूं। जब प्रारम्भ में मैंने यह कहा था, तब आप उपस्थित नहीं थे। मैं प्रत्येक सदस्य को बताना चाहता हूं।

श्री जैनुल बशर : जैसी कि माननीय रक्षा मंत्री ने सारे विषय पर काफी चिन्ता व्यक्त की है, उसे देखते हुए मुझे आशा है कि इस विषय के हर पहलू पर सशस्त्र सेनाओं के उच्च अधिकारियों द्वारा पूरी तरह से जांच-पड़ताल की जायेगी। लेकिन मैं यह समझता हूं कि कुछ मामले तब पकड़े गये थे, जबकि सम्बन्धित भर्ती अधिकारी द्वारा काउन्टर फाइल सम्बन्धित प्रशिक्षण केन्द्र नहीं भेजी गयी। लेकिन अन्य ऐसे बहुत से मामलों के बारे में कार्यवाही करने का विचार है जहां कि धोखाधडी करने वाले ये तत्व स्वयं भर्ती अधिकारियों से मिल जाते हैं? इन मामलों को भी भर्ती कार्यालय के समक्ष लाया जाना चाहिये तथा सभी कागजातों को भी वहां भेजा जाना चाहिये। मेरा यह सुझाव है कि यकायक कहीं-कहीं से लेकर कुछ मामलों की जांच की जानी चाहिये। इन भर्ती किये गये लोगों की शैक्षिक अर्हताओं की जांच-पड़ताल की जानी चाहिये। इसके उपरान्त ही हमको यह मालूम होगा कि उनके प्रमाणपत्र फर्जी हैं अथवा वास्तविक हैं।

मैं यह समझता हूं कि न केवल सेना में ही बल्कि पुलिस बल तथा अन्य बातों में भी काफी संख्या में फर्जी प्रमाणपत्रों के आधार पर लोगों को भर्ती किया जाता है तथा इस बात की सच्चाई का बहुत ही कम पता लगता है, और बहुत से ऐसे लोग जिनके पास वास्तविक प्रमाणपत्र होते हैं, वे भर्ती से वंचित रह जाते हैं। इस विषय की कहीं-कहीं से मामले लेकर जांच की जानी चाहिये।

मैं मंत्री महोदय का ध्यान एक अन्य बात की ओर भी आकर्षित करना चाहता हूं कि प्रत्येक स्थान पर भारी संख्या में दलाल मौजूद हैं। वे भर्ती होने वाले संभावी व्यक्तियों से सम्पर्क स्थापित करते हैं, उनसे धन लेते हैं तथा उस धन को भर्ती करने वाले अधिकारी को देते हैं, तथा

उस व्यक्ति को भर्ती कर लिया जाता है। मेरा विचार है कि प्रत्येक जगह का यही हाल है, विशेष रूप से वाराणसी के भर्ती क्षेत्र में, जो कि मेरा निर्वाचन क्षेत्र है, ऐसा होता है।

कई बार मुझे यह सूचना दी गयी है कि प्रत्येक तालुक में अथवा तहसील में, कोई न कोई दलाल अवश्य है, और यदि कोई व्यक्ति उसके पास जाता है, तो उसको वह अवश्य ही वहीं पर तत्काल भर्ती करा देगा। जबकि बहुत से अन्य वस्तुतः योग्य व्यक्ति भर्ती नहीं हो पा रहे हैं। मंत्री-महोदय ने अपने वक्तव्य में बताया है कि भर्ती खुले रूप से की जाती है। मैं व्यक्तिगत रूप से यह जानता हूँ कि वाराणसी में खुले रूप से भर्ती नहीं की जाती है। मुझे इसका पता नहीं है कि यह कहां पर की जाती है। लेकिन यह खुले रूप से कभी भी नहीं की जाती। भर्ती होने वाले व्यक्तियों को भर्ती करने के क्षेत्र में प्रवेश भी नहीं करने दिया जाता है। केवल उन्हीं व्यक्तियों को प्रवेश करने दिया जाता है जिनकी सिफारिश दलाल द्वारा की जाती है। दलाल जिन व्यक्तियों की सिफारिश नहीं करता है, उनको भर्ती कार्यालय के क्षेत्र में भी नहीं जाने दिया जाता है, और आप कहते हैं कि भर्ती खुले रूप से की जाती है।

अतः महोदय, सशस्त्र सेनाओं में भर्ती के सम्बन्ध में बहुत कार्य किये जाते हैं, विशेष कर इसलिए कि यह हमारी सशस्त्र सेनाओं का एक आधार है। कुछ प्रश्न पूछने से पहले मैं अपनी तीसरी बात भी कहना चाहता हूँ। इससे सम्बन्धित दो बातें हैं—एक है भर्ती की आवश्यकता, अर्थात् रोजगार, तथा दूसरा है इसके प्रति रुझान। अतः जहां तक सशस्त्र सेनाओं का सम्बन्ध है, उसके लिये कुछ ऐसे परम्परागत क्षेत्र मौजूद हैं, जो अपने बच्चों को सेना में भेजते रहे हैं—किसी आवश्यकता को पूरा करने के लिये नहीं, बल्कि सशस्त्र सेनाओं में सेवा करने के रुझान के कारण वे ऐसा करते हैं। ऐसे परम्परागत क्षेत्रों की अब निरन्तर उपेक्षा की जा रही है। सशस्त्र सेनाओं में अपनी इच्छा रखने के कारण वे उसमें जाते हैं। वे रुपया देकर भर्ती नहीं होते हैं। केवल रोजगार की आवश्यकता वाले तथा बेरोजगार व्यक्ति ही अथवा जिनको कोई नौकरी नहीं मिली है, और जो कहीं भी नौकरी करने को तैयार हैं—चाहे वह सेना में हो अथवा किसी अन्य जगह हो,—केवल ऐसे व्यक्ति ही रुपया देकर भर्ती होने में अपनी दिलचस्पी रखते हैं। आमतौर से जिन परम्परागत क्षेत्रों से काफी संख्या में लोग पहले से ही सशस्त्र सेनाओं में जाते रहे हैं, वहाँ से अब कोई भी भर्ती नहीं की जाती है। पहले, अंग्रेजों के जमाने में तथा स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात् भी कुछ समय तक भर्ती करने वाले अधिकारी लोग गांवों में जाया करते थे। ग्राम गाहामार में 5,000 से 10,000 लोग सशस्त्र सेनाओं में भर्ती होने का इन्तजार कर रहे हैं। पिछले 20 वर्षों से भर्ती करने वाली कोई भी टीम वहां पर नहीं पहुँची है, जबकि पहले प्रत्येक वर्ष भर्ती करने वाली टीम इस ग्राम को जाया करती थी।

अतः महोदय, मेरा विचार यह है कि इस सम्बन्ध में अनेकों कदम उठाने की आवश्यकता है। मैं आशा करता हूँ कि पिण्टो समिति, जिसके बारे में मंत्री महोदय ने जिक्र किया है, इस विषय पर विचार करेगी तथा यह सुनिश्चित करेगी कि भर्ती उचित रूप से की जाये। मुझे पूरा विश्वास है कि मंत्री महोदय इस समस्या से निपटने में सक्षम होंगे। धन्यवाद।

श्री आर० वेंकट रामन : उपाध्यक्ष महोदय, इस समस्या के दो पहलू हैं। ध्यानाकर्षण प्रस्ताव फर्जी भर्ती से सम्बन्धित है। नियमित रूप से की गई भर्ती में इस प्रकार की त्रुटियां हैं।

[श्री ग्रार० वेंकट रामन]

जो माननीय सदस्य ग्रभी बोले हैं, उन्होंने नियमित भर्ती में त्रुटियों का जिक्र किया है। मैं इन दोनों मुद्दों को स्पष्ट करूंगा। यह सुनिश्चित करने के लिये कि नियमित भर्ती में किसी प्रकार की कोई त्रुटि न रहे, हमने ग्रब यह निर्देश दिया है कि एक व्यक्ति द्वारा भर्ती करने के स्थान पर बोर्ड द्वारा भर्ती की जाये। हमने उस पद को भी बढ़ाकर लेफ्टीनेंण्ट कर्नल के पद के स्तर तक का कर दिया है, ताकि भर्ती की देख रेख करने के लिये वरिष्ठ उच्च ग्रधिकारी—वहां मौजूद रहे। इसके बावजूद कुछ मामलों में यह संभव है कि कुछ व्यक्ति, भर्ती होने वाले लोगों को एकत्रित करके लायें। हमारा यह प्रयास रहेगा कि इस ग्रोर ध्यान दिया जाये ताकि किसी भी प्रकार की त्रुटि को पूर्णतः समाप्त किया जा सके। यदि माननीय सदस्य के पास कोई जानकारी है, तो मैं उनसे यह निवेदन करता हूं कि उसको हमारे पास भेजें, ताकि हम उस पर तुरन्त कार्यवाही कर सकें।

इसके ग्रतिरिक्त रुझान तथा सेना में ग्रौचित्य पूर्ण वितरण का प्रश्न भी हमेशा बना रहा है। कुछ ऐसे भी क्षेत्र हैं जहां के लोग यह दावा करते हैं कि हमने सेना में काफी लम्बे ग्ररसे तक सेवा की है इसलिए हमको सेना में भर्ती होने का ग्रधिक अधिकार है। कुछ ग्रन्य क्षेत्रों के लोग यह कहते हैं कि हम भी इसी देश के लोग हैं, ग्रौर हमको भी सेना में भर्ती होने का दूसरे लोगों की भांति ही हक है। इस प्रकार के दावा करने वाले लोगों के बीच हमें सामंजस्य स्थापित करना है। इसी उद्देश्य के लिए हमने कुछ भर्ती नियम बनाये हैं जिनके ग्रनुसार एक ग्रच्छे सैनिक के लिए ग्रावश्यक विभिन्न पहलुग्रों को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक क्षेत्र के लिए कोटा निर्धारित किया जायेगा। मेरे विचार से हमने जो समाधान ढूंढ निकाला है, उससे सभी क्षेत्रों के लोगों की ग्रावश्यकताएँ पूरी होंगी तथा वह संतोषजनक होगा। हम इसे तैयार कर रहे हैं।

महोदय, जहां तक जाली प्रमाण-पत्रों का सम्बन्ध है, उम्मीदवार ग्रपने प्रमाण-पत्रों को भर्ती के समय लाते हैं, तथा उनकी जांच की जाती है। यह संभव हो सकता है कि कुछ जाली प्रमाणपत्र हों। माननीय सदस्य द्वारा दिए गए सुझाव के ग्रनुसार हम कहीं-कहीं से यूं ही मामले लेकर उनकी जांच करायेंगे ग्रौर हम यह सुनिश्चित करेंगे कि जहां तक हो सके जाली प्रमाणपत्रों के ग्राधार पर लोग भर्ती न हो पावें।

सीमा-शुल्क टैरिफ (दूसरा संशोधन) विधेयक

उपाध्यक्ष महोदय : ग्रब सभा कार्य सूची की ग्रगली मद—मद संख्या 7 पर विचार करेगी।

वित्त मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : श्रीमन्, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि सीमा शुल्क टैरिफ ग्रधिनियम, 1975 का ग्रौर संशोधन करने वाले विधेयक को पुरः स्थापित करने की ग्रनुमति प्रदान की जाये।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि सीमा शुल्क टैरिफ ग्रधिनियम, 1975 में ग्रौर संशोधन करने वाले विधेयक को पुरः स्थापित करने की ग्रनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुग्रा।

श्री प्रणव मुखर्जी : श्रीमन्, मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूँ।

अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा निधि और बैंक (संशोधन) विधेयक

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम अगली मद लेंगे।

वित्त मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : श्रीमन्, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा निधि और बैंक अधिनियम, 1945 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरः स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाये।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री सोमनाथ चटर्जी······वह अनुपस्थित हैं। श्री समर मुखर्जी।

श्री समर मुखर्जी (हावड़ा) : श्रीमन्, मैं नहीं जानता कि इस विधेयक के पुरःस्थापित करने के पक्ष में मन्त्री महोदय क्या तर्क देंगे। शायद वह कहें कि यह एक तकनीकी बात है। लेकिन हमारे विचार में यह उसी नीति का अनुसरण है जो सरकार अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से ऋण के सम्बन्ध में अपना रही है। हमें मुख्य रूप से अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की शर्तों पर आपत्ति है और इससे न केवल हमारी प्रभुसत्ता पर प्रभाव पड़ता है बल्कि इससे लोकतन्त्र के लिए भी गम्भीर खतरा है और संविधान के अनुसार इसकी रक्षा की जानी चाहिए। श्रीमन् कुछ दिन पहले मंत्री महोदय ने कोष के ऋण की दूसरी किस्त के बारे में एक वक्तव्य दिया था और कोष ने प्रमाण पत्र दिया कि इस सरकार ने ऋण की पहली किश्त पर लगी शर्तों को संतोषजनक ढंग से पूरा किया है। इसलिए वे इस सरकार के कार्य से काफी संतुष्ट हैं और वे दूसरी किश्त की मंजूरी देने के लिए तैयार हैं। लेकिन यह हमारी प्रतिष्ठा के विरुद्ध है। कोष ने कई एक शर्तें लगायीं हैं। हमारी शर्तों पर हमारी जरूरत के समय ऋण नहीं दिया गया। जब वे दें तभी हम इसे ले सकते हैं और हमें उनकी शर्तें भी पूरी करनी होगी। ऋण प्राप्तकर्ता को इसे अपनी इच्छानुसार प्रयोग करने की अनुमति नहीं है इसकी तीन किश्तें हैं। यह बड़े अपमान की बात है। पहली किश्त करीब 90 करोड़ की है। पहली किश्त प्राप्त होने के बाद आपको उन्हें इसके प्रयोग के बारे में एक विवरण देना होगा जिसमें आपको बताना होगा कि आपने इसका कैसे प्रयोग किया है। उसमें बताया गया है कि इसे कैसे प्रयोग करना है। आपको यह रिपोर्ट पेश करनी है। क्या एक प्रभुसत्ता सम्पन्न सरकार का यही आचरण है कि वह उनको 6 या 9 महीनों के बाद रिपोर्ट दे? आपको रिपोर्ट पेश करनी होगी। इसके बाद ही दूसरी किश्त की मंजूरी दी जायेगी। मगर यह उनकी शर्तों के अनुकूल नहीं होगी तो वे दूसरी किश्त की मंजूरी नहीं देंगे। एक तीसरी किश्त भी है। उसके लिए आपको दूसरी अवधि की समाप्ति अर्थात् जून, 1981 से पहले 180 करोड़ डालर के ऋण के उपयोग के बारे में एक रिपोर्ट देनी होगी। इससे यही मालूम होता है कि हमारी सरकार अब कोष की सभी शर्तों को पूरा करने के लिए तैयार है। यह कह कर कि "हम प्रभुसत्ता सम्पन्न हैं।" वे लोगों को धोखा दे रहे हैं। क्योंकि कोष हमें यह प्रमाण पत्र दे रहा है कि आप हमारी शर्तों के अनुसार कार्य नहीं कर रहे लेकिन जिस प्रकार आप कार्य कर रहे हैं वे हमारे दिशानिदेशों के अनुरूप है। इसका मतलब है कि आपने अपने आपको पहले ही उनके संरक्षण में रहने के लिए तैयार कर लिया है—हांलाकि यह एक कठोर शब्द है। लेकिन वे चाहते हैं कि भारत सरकार इसी प्रकार व्यवहार करे और वे हमारी अर्थव्यवस्था को इसी दिशा में चलने के लिए निदेश देते हैं।

असल में शर्तें क्या हैं? एक शर्त यह है कि "आयात में ढ़ील दी जाय", एक वक्तव्य में

[श्री समर मुखर्जी]

मंत्री महोदय ने माना है कि हमने उनकी शर्तों को पूरा किया है। आयात में ढील देने से निश्चित रूप से हमारे स्वदेशी उद्योग को नुकसान होगा।

एक अन्य तर्क जो उन्होंने दिया है, वह है—कि हम कोष से प्राप्त राशि को अपने लघु क्षेत्र के उद्योगों और स्वदेशी उद्योगों पर लगा रहे हैं। जिससे कि वे आगे बढ़ सकें। उन्होंने यही कहा। यह तो सिर्फ लोगों को मूर्ख बनाने के लिए है, क्योंकि सभी जानते हैं कि बड़े एकाधिकार उद्योगों के सामने लघु क्षेत्र के उद्योग टिक नहीं सकते हैं। इसीलिए लघु क्षेत्र के उद्योगों का संकट दिन-प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। इनकी काफी संख्या इकाइयां दिन में प्रतिदिन बन्द होती जा रही हैं। हजारों कामगारों को अपनी आजीविका से हाथ धोना पड़ रहा है।

एक अन्य महत्त्वपूर्ण पहलू है कि, मंत्री महोदय ने माना है कि हम पर विदेशी ऋण बढ़ रहा है। पिछली दफा जब इस सदन में कोष पर बहस हो रही थी तो तत्कालीन वित्त मंत्री श्री वेंकटरामन ने हमें बताया था कि, ' शायद हमारी अर्थव्यवस्था भविष्य में इस तरह विकसित हो कि हमें दूसरी किश्त लेने की आवश्यकता न पड़े; आप यह क्यों सोच रहे हैं कि हमें सारी राशि की आवश्यकता होगी ? श्रीमन्, मैं यह मानता हूँ कि जितना ज्यादा धन आप प्राप्त करेंगे उतना ही अधिक आप उनकी शर्तों से बंध जायेंगे, यह हमारी अर्थव्यवस्था के आत्मनिर्भरता के सिद्धान्त के विरुद्ध है।

मंत्री महोदय ने माना है कि भारत पर विदेशी ऋण में बढ़ोत्तरी हुई है वक्तव्य में कहा गया है :

"सरकारी तौर पर विदेशी ऋण जून 1980 और 1981 के अन्त में क्रमश: 12,094.87 करोड़ रु० और 14, 125, 13 करोड़ रुपये था।"

हर वर्ष इसमें बढ़ोत्तरी हो रही है।

"अस्थायी आकड़ों के अनुसार "मार्च 1982 के अन्त में, विदेशी ऋण 15,453.54 करोड़ रुपये था।"

इस प्रकार हमारे देश को गिरवी रखा जा रहा है, विदेशी सहायता में शर्तें जुड़ी होती हैं जोकि निश्चय ही हमारे राष्ट्रीय हितों के विरुद्ध हैं। ऋण सेवा के लिए दी जाने वाली राशि भी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, और हमें ऋण सेवा के लिए काफी अधिक राशि देनी पड़ रही हैं, हमें अपने निर्यात को बढ़ाना होगा और उनकी शर्त यह है कि हमें अपने निर्यात किये जाने वाले माल का दाम काफी कम रखना होगा जबकि अपने माल का निर्यात करते समय वे हमसे काफी अधिक मूल्य वसूल करेंगे। यह नव-उपनिवेशवाद की नीति है जिसे हमारी सरकार ने मान लिया है। इसीलिए हम इस विधेयक का पूरी तरह से विरोध कर रहे हैं। हालांकि तकनीकी रूप से वे कह सकते हैं कि यह तो मात्र पिछले अधिनियम का तकनीकी विस्तार ही है। यह तो पुरानी नीति को ही आगे बढ़ाया जा रहा है। इसलिये हम इस विधेयक को पुर: स्थापित किये जाने का पूर्णतया विरोध करते हैं।

श्री सोमनाथ चटर्जी (जादवपुर) : श्रीमन्, हमारे नेता ने पहले ही इस पर अपने विचार प्रकट कर दिये हैं और मैं उनको दोहरा रहा हूँ। श्रीमन्, मैं यहां यह कहना चाहता हूँ कि इसे एक समर्थकारी कानून, एक समर्थकारी अधिनियम, कहा गया है, जैसे कि विधेयक के उद्देश्यों

तथा कारणों के कथन से यह पता चलता है कि यह एक समर्थकारी विधेयक है, ताकि सरकार को कोष के साथ हुए करार के प्रावधानों को लागू कर सके। पिछला 1995 का अधिनियम पहले वाले करार के लिए था और शेष ढांचे में परिवर्तन के कारण नया करार 1978 में किया गया था। श्रीमन् अब पांच वर्षों के बाद यह विधेयक पेश किया जा रहा है ताकि सरकार ब्याज आदि अन्य भुगतानों का भुगतान कर सके। श्रीमन्, मेरी आपत्ति मूलभूत है। ऐसे करार करते समय संसद को विश्वास में नहीं लिया जाता है। आप पहले कार्य सम्पन्न कर लेते हैं और फिर संसद में आते हैं हम तो विधेयक में किये जाने वाले केवल मौखिक संशोधन ही पेश कर सकते हैं। इसका अपने आप में कोई असर नहीं पड़ता क्योंकि इससे सरकार को केवल समर्थकारी शक्तियां ही मिलती हैं। अब अगर अभिप्राय यह नहीं है कि जो कुछ किया जायेगा, उसे संसद स्वीकृति दे देगी तो संसद को विश्वास में लिया जाना चाहिए। वे हमेशा संसद की सर्वोच्चता की बात करते रहते हैं। अब अगर संसद को उच्च स्थान प्राप्त करना है तो प्रथम करार करने से पहले करार की शर्तें बदलनी होंगी। माननीय मंत्री कह सकते हैं कि यह कोई द्वि-पक्षीय करार नहीं है इसमें रोष के सभी पत्र, सभी सदस्यों की सहमति से ही अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के करार की शर्तों में संशोधन और परिवर्तन किया जा सकता है। इस चरण पर संसद को विश्वास में लेना चाहिए था। करार के प्रस्ताव क्या हैं? अगर संसद के कोई विचार हैं तो उन्हें हम रख सकते हैं। संसद द्वारा भारतीय जनता के विचारों को प्रकट किया जाता है। यह नहीं किया गया, फिर इसे इतनी देर से पेश किया गया, हम चाहते हैं कि संसद की भूमिका और ज्यादा प्रबल हो। इसे इस तरह की मात्र दिखावटी सेवा ही नहीं होना चाहिए। शायद भीष्म नारायण जी इस विधेयक को पास करवाने की जल्दी में हैं। शायद वह इसे इस तरह पेश करेंगे कि यह जल्द ही मकेनिकल तरीके से पास हो जायेगा, वह कहेंगे कि, ठीक है, मैंने एक घंटे का समय निश्चित किया है। वह अपनी तरफ ह्विप का प्रयोग करेंगे और उस पक्ष का कोई भी सदस्य नहीं बोलेगा।

श्री प्रणब मुखर्जी : यह तो केवल पुरः स्थापना चरण है।

श्रीं सोमनाथ चटर्जी: नहीं, कल या अगले हफ्ते आप इसे पुनः पेश करेंगे जब कोई मंत्री मंत्रीपद बचाने या बनाने के लिए यहां वहां घूम रहा होगा, मैं नहीं जानता, इसलिए मेरी आपत्ति यह है कि जो कुछ कहा गया है, उसके अलावा मैं कहना चाहता हूं कि सरकार द्वारा अपनाया गया यह रास्ता ठीक नहीं। इसलिए यही उचित चरण है जब हम सरकार को अपनी आपत्तियां बता सकते हैं कि कभी कभी भी यह सोचकर न चलें कि संसद की स्वीकृति तो मिल ही जायेगी। हालांकि उनका बहुमत है लेकिन बहुमत बहुत ही चलायमान बहुमत है। कोई नहीं जानता कि कब, कहां और बहुमत क्या है। इसलिए सबको इसके लिए सावधान रहना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : यह सभी पर लागू होता है।

श्री सोमनाथ चटर्जी : हमारा बहुमत ठोस है। श्रीमन्, हमारे राज्य में हमारा मुख्य मंत्री है·············(व्यवधान)·············क्या वे कह सकते हैं··············(व्यवधान)

श्री समर मुखर्जी द्वारा बताये गये कारणों के अलावा मैं इस आधार पर विधेयक के पेश किए जाने पर आपत्ति कर रहा हूं कि यह कोई तरीका नहीं है कि सब कुछ कर चुकने के बाद

[श्री सोमनाथ चटर्जी]

इसे संसद की स्वीकृति की मोहर के लिए पेश किया जाय। इस चरण पर भी हम इसका विरोध करते हैं और इसीलिए इस विधेयक के पुन: स्थापित किये जाने का विरोध करते हैं।

श्री प्रणब मुखर्जी : श्रीमन्, साधारणतया जब पुर:स्थापना के समय ही विधेयक का विरोध किया जाता है तो मुख्यत: यह संसद की सक्षमता के आधार पर ही.........

श्री समर मुखर्जी : केवल यही नहीं।

श्री प्रणब मुखर्जी : साधारणतया ऐसा किया जाता है और मैं आशा कर रहा था कि जब आप आपत्तियां उठायेंगे तो इस प्रश्न को भी रखेंगे, लेकिन भाग्यवश आपने इसे नहीं उठाया क्योंकि आप जानते थे कि संसद कानून के इस हिस्से को पास करने में समर्थ है। श्री चटर्जी द्वारा आपत्ति उठाई गई है कि हमने पहले संसद को विश्वास में नहीं लिया, वास्तव में, मुझे याद नहीं कि उस समय कोई वक्तव्य दिया गया था। यह 1978 में किया गया था।

श्री सोमनाथ चटर्जी : प्रक्रिया 1978 में ही शुरू हो गई थी।

श्री प्रणब मुखर्जी : बहस का उत्तर देते समय मैं इस तथ्य को देख कर, सदन को सूचित करूंगा। जैसा कि हमने विस्तारित निधि सुविधाओं के मामले में किया था, जब हमने करार किया तो, हमने सभा को सूचित किया था और सभा को अपने विचार प्रकट करने का अवसर मिला था। परन्तु कभी-कभी अन्तर्राष्ट्रीय करारों के मामले में यह आवश्यक नहीं होता कि हम सदैव सभा में वक्तव्य दें। जब हम इसे कानून की शक्ल देते हैं तो उस समय हम इस पर चर्चा करते हैं।

जहां तक विस्तारित निधि की सुविधाओं का सम्बन्ध है, मैं बहुत ही आदर पूर्वक यह कहना चाहता हूँ कि जहां तक इस विधान का संबंध है, इसका विस्तारित निधि की सुविधाओं से कोई संबंध नहीं है। यदि हम विस्तारित निधि सुविधाओं से लाभ न उठायें तो भी जैसा कि हमने 1945 में किया था उसी तरह यह संशोधन विधि के ढांचे और मूल करार में संशोधन के लिए आवश्यक है, अन्तर्राष्ट्रीय करारों में हमेशा ही समय सीमा होती है और वास्तव में इसे कानून द्वारा लागू करना, करार की प्रकृति पर निर्भर करता है। कई दफा यह तीन वर्ष होती है, कई दफा यह चार वर्ष होती है और कई दफा पांच वर्ष होती है। इसलिए इसमें कोई बुराई है और कई राष्ट्रों ने अभी तक इस पर कानूनी कार्यवाही भी नहीं की है।

जहां तक श्री मुखर्जी द्वारा उठाये गये तर्कों, आपत्तियों का प्रश्न है—यानि विस्तारित निधि सुविधाओं का प्रश्न है, इस पर हमने सभा में विस्तार से चर्चा की है।

अपने वक्तव्य में भी मैंने सभा के सामने स्पष्ट किया है और सूचित किया है कि भारत और निधि के बीच क्या चर्चा हुई है। मैं यहां पर उसके बारे में बताना नहीं चाहूंगा। उनके अपने दृष्टि कोण हैं और हमारे अपने। हम प्रत्येक अवस्था में सभा को सूचित करते रहे हैं। जब हमने दूसरी किश्त के लिए करार किया तब भी मने सभा के सामने स्थिति को स्पष्ट किया। मैं नहीं सोचता कि इस अवस्था में हम इस पर और अधिक विचार कर सकते हैं।

इन शब्दों के साथ में विधेयक को पुर: स्थापित करने के लिए सभा की अनुमति चाहता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है

"कि अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा निधि और बैंक अधिनियम 1945 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री प्रणब मुखर्जी : मै विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं

तत्पश्चात लोकसभा मध्याह्न भोजन के लिए दो बज कर पन्द्रह मिनट तक के लिए स्थगित हुई।

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

लोक सभा मध्याह्न भोजन के बाद दो बजकर दो मिनट पर पुन: समवेत हुई।

उपाध्यक्ष महोदय : अब नियम 377 के अधीन मामले

नियम 377 के अधीन मामले

(एक) खीरी-लखीमपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में टेलीफोन व्यवस्था के कार्यकरण में सुधार करने की आवश्यकता

श्रीमती ऊषा वर्मा (खेरी) : अध्यक्ष महोदय, मैं नियम 377 के अन्तर्गत टेलीफोन के सम्बन्ध में अपने संसदीय क्षेत्र जनपद लखीमपुर खीरी को टेलीफोन व्यवस्था के बारे में आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहती हूँ कि प्रायः सभी टेलीफोन तथा टेलीफोन लाइनें खराब ही रहा करती हैं। कभी भी समय पर बात हो न पाने से सभी कार्यक्रम अस्त व्यस्त हो जाते हैं। क्षेत्र में जितने ग्रामीण पी० सी० ओ० खोले गए हैं उनकी लाइनें दो-दो साल से टूटी पड़ी हैं जिनकी अभी तक कोई मरम्मत होती नहीं दिखती है तथा यह भी ज्ञात हुआ है कि पी० सी० ओ० के बोर्डों को अटेण्ड करने के लिए स्टाफ ही नहीं है जिससे यह सब पी० सी० ओ० बेकार पड़े हुए हैं जिन पर सरकार का काफी धन खर्च हो चुका है। अतः विभाग को शीघ्र इस ओर ध्यान देकर उपरोक्त त्रुटियों को ठीक कराया जावे।

(दो) प्रस्तावित तालचेर-सम्बलपुर रेल लाइन के निर्माण की मांग

श्रीमती जयन्ती पटनायक (कटक) : तालचेर से सम्बलपुर तक 160 कि० मी० लम्बी प्रस्तावित रेलवे लाईन न बनाये जाने से उड़ीसा के आर्थिक विकास पर बुरा प्रभाव पड़ा है। उड़ीसा के पश्चिमी जिलों में जिसमें, सम्बलपुर, बालंगीर, काला हाँडी तथा सुन्दरगढ आते हैं, काटीमाला में कोयला, चूना पत्थर, बाक्साइट, चीनी मिट्टी आदि के वृहद भण्डार हैं और इनमें समृद्ध वन तथा कृषि क्षेत्र हैं। परन्तु सीधी रेलवे लाइन न होने की वजह से खनिजों तथा कृषि उत्पादनों का आवागमन बहुत कठिन है। राज्य सरकार ने केन्द्रीय सरकार से इस रेलवे लाइन के निर्माण को प्राथमिकता देने की अपील की है। परन्तु खेद है कि केन्द्र सरकार ने इस सम्बन्ध में कोई प्रभावी कदम नहीं उठाये हैं। यद्यपि रेल मन्त्रालय ने प्रस्तावित योजना का दो बार सर्वेक्षण किया परन्तु सर्वेक्षण रिपोर्ट में इस रेलवे लाइन की आर्थिक सम्भावना व भार कारक का पूर्ण व न्यायोचित मूल्यांकन नहीं किया गया। तालचेर व कटक को जोड़ने वाली एक नई रेलवे लाइन से कटक व

[श्रीमती जयन्ती पटनायक]

भुवनेश्वर से दिल्ली तक की दूरी काफी कम हो जायेगी और साथ ही साथ कटक और खड़गपुर से टाटानगर के बीच भीड़-भाड़ कम हो जायेगी जहाँ फिलहाल बहुत ही भीड़-भाड़ रहती है। यह रेलवे लाइन उड़ीसा के तटीय और पश्चिमी जिलों के बीच एक कड़ी का काम करेगी और पराद्वीप के पृष्ठ प्रदेश का रायपुर और भिलाई तक विस्तार करेगी। यातायात काफी बढ़ने की सम्भावना है क्योंकि उड़ीसा के दैतारी और पराद्वीप में क्रमश: इस्पात संयन्त्र व उर्वरक संयन्त्र लगाये जा रहे हैं। इस परियोजना के लिए मध्यप्रदेश के कटनी और सतना क्षेत्रों से उड़ीसा के बीरमित्रापुर और सुन्दरगढ़ जिलों के क्षेत्रों से बना पत्थर, डोलोमाइट और अन्य खनिजों को लाया जायेगा और लगभग 10 लाख टन माल के यातायात की सम्भावना है। रेलवे सर्वेक्षण समिति ने यातायात स्थिति का ठीक ढंग से अनुमान लगाने के लिए राज्य के औद्योगिक विकास को ध्यान में नहीं रखा इसलिए मैं सरकार से निवेदन करती हूँ कि वह रेलवे समिति को, जो इस समय पुन: सर्वेक्षण कर रही है, उपरोक्त मामले पर विचार करने के लिए कहे। मैं माँग करती हूँ कि छठी योजना में तालचेर-सम्बलपुर रेलवे लाइन के निर्माण को सम्मिलित किया जाये।

(तीन) बिहार में पैट्रो-रसायन परियोजना स्थापित करने में विलम्ब

श्रीमती कृष्णा साही (बेगूसराय) : उपाध्यक्ष महोदय 1980 में लोकसभा में एक गैर सरकारी प्रस्ताव आया कि बरौनी (बिहार) में पेट्रो केमिकल कम्पलेक्स की स्थापना की जाये सदन की भावना को मद्दे नजर रखते हुए तत्कालीन पेट्रोलियम मंत्री ने सदन को आश्वासन दिया कि इस संदर्भ में एक तकनीकी समिति का गठन किया जायेगा और कालबद्ध योजना के अन्तर्गत बरौनी में पेट्रो केमिकल कम्पलेक्स की स्थापना के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। समिति का प्रतिवेदन भी भारत सरकार को प्राप्त हो चुका है जिसने इस बात की सिफारिश की है कि बरौनी में पेट्रो केमिकल कम्पलेक्स की स्थापना की जाये। उसके पश्चात् 1981 में पेट्रोलियम की माँग के बाद विवाद के उत्तर में तत्कालीन मंत्री ने आश्वासन ही नहीं दिया बल्कि घोषणा की कि एक बहुत बड़ा पेट्रो केमिकल कम्पलेक्स का प्रोजेक्ट बिहार में होगा। स्थान चयन बाद में होगा। 1980 से बिहार के सदस्यगण संसद एवं बिहार सरकार से बार-बार इस योजना के शीघ्र कार्यान्वियन के लिए स्मारक-पत्र द्वारा मौखिक एवं लिखित रूप से अनुरोध करती आ रही है। परन्तु अभी 1982 के वर्ष का आधा से अधिक समय व्यतीत हो जाने पर भी इस योजना के लिए न तो योजना में राशि आबंटित की गई है और न कोई ठोस कार्यवाही ही की जा रही है। इस योजना के अति विलम्ब एवं भारत सरकार की उदासीनता के कारण बरौनी बेगूसराय एवं बिहार की जनता में क्षोभ व्याप्त है। अत: सरकार इस सम्बन्ध में शीघ्र निर्णय ले।

(चार) दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा जमीन के मालिकों को उनकी जमीन का अर्जन किये जाने पर पर्याप्त मुआवजा दिया जायेगा

श्री राम विलास पासवान (गाजीपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं लोकहित से सम्बन्धित निम्नलिखित तथ्यों की ओर सदन एवं सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ :— डी० डी० ए० की घोषणा एवं नियमों के अनुसार जिन किसानों की कृषि योग्य भूमि अधिग्रहीत की जाती

है उन किसानों को अधिगृहीत भूमि के बदले रोजगार तथा प्राधिकरण द्वारा विकसित कालोनियों में आवासीय प्लाट तथा कमर्शियल प्लाट दिया जाता है। डी० डी० ए० ने कमर्शियल प्लाट देना बिल्कुल बन्द कर दिया है और यही हालत रोजगार की भी है।

रिहायशी प्लाट जरूर दिए जा रहे हैं लेकिन यह नो प्राफिट नो लास पर कतई आधारित नहीं हैं। किसानों का मुआवजा 75 पैसे प्रति वर्ग गज से लेकर 5 या 7 रुपए प्रति वर्ग गज विकास पर करीब 70 रुपए जोड़कर दिया जाता था। यह राशि 1980 तक 75 रुपए प्रति वर्ग गज की दर से दी गई। उन्हीं विकसित कालोनियों में 1980 में 192 रुपए प्रति वर्ग मीटर वसूल किया गया अब 1982 में इसकी दर एकाएक 358 रुपए प्रति वर्ग मीटर तक पहुँच गई है जो सर्वथा अनैतिक एवं असंवैधानिक है। इसको लेकर किसानों में भारी रोष है।

किसानों की जमीन की कीमत 3 रुपए प्रति वर्ग गज और उसी को 358 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से प्राधिकरण द्वारा बेचा जा रहा है।

अतः सरकार से मांग है कि पुरानी विकसित दर 75 रुपए प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से किसानों को प्लाट दिए जाएँ।

(पांच) 10+2+3 प्रणाली के कारण बिहार के छात्रों को दिल्ली विश्वविद्यालय में प्रवेश न दिये जाने का समाचार

श्री रामावतार शास्त्री (पटना) : बिहार, उड़ीसा, आसाम के छात्र सैकड़ों की संख्या में दिल्ली विश्व विद्यालय में दाखिले के लिए चक्कर लगा रहे हैं पर उनका प्रवेश नहीं हो पा रहा है। वे परेशान हैं कि क्या करें।

बिहार के छात्रों ने बतलाया है कि केवल उन्हीं छात्रों की भर्ती दिल्ली विश्वविद्यालय में हो रही है, जिन लोगों ने 10+2+3 को परीक्षा पास की है। बिहार में इस प्रकार की पढ़ाई अभी अभी शुरू हुई है। अतः वहाँ के पहले के छात्र 10+2+3 की परीक्षा पास नहीं कर सकते थे। इस वर्ष दिल्ली विश्वविद्यालय ने इस प्रकार की शर्त लागू कर बिहार, उड़ीसा, आसाम आदि के छात्रों के साथ भारी अन्याय किया है। इस नीति के फलस्वरूप बिहार के अच्छे छात्रों का भविष्य बिगड़ जाएगा। वे वांछित शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकेंगे।

शिक्षा मंत्री जी से मेरा साग्रह अनुरोध होगा कि वह दिल्ली विश्वविद्यालय के उच्चाधिकारियों से वार्ता कर ऐसी व्यवस्था करें कि बिहार, उड़ीसा, आसाम आदि राज्यों के सैकड़ों छात्रों को दिल्ली विश्वविद्यालय में प्रवेश मिल सके और वे वांछित शिक्षा प्राप्त कर अपने देश और प्रदेश का मस्तक ऊंचा उठाने में समर्थ हो सकें।

श्री राम विलास पासवान : उपाध्यक्ष महोदय, पिछले सप्ताह भी मैंने इस प्रश्न को उठाया था और संसदीय कार्य मन्त्री महोदय ने आश्वासन दिया था कि इस विषय पर निश्चित रूप से विचार किया जाएगा। इस वक्त संसदीय कार्य मन्त्री भी हैं और शिक्षा मंत्री भी हैं। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय, फर्स्ट क्लास विद्यार्थी भी इस नई नीति के तहत प्रवेश पाने में समर्थ नहीं हैं। इसमें विद्यार्थियों का कोई दोष नहीं है। विद्यार्थियों के भविष्य का सवाल है। (व्यवधान)

[श्री राम विलास पासवान]

बिहार उड़ीसा उत्तर प्रदेश आदि प्रदेशों के तमाम लड़कों के भविष्य का यह मामला है। यह कोई अपोजीशन और सत्ता रुढ़ दल का मामला नहीं है। भीष्म नारायण जी ने एश्योर किया था हाउस को इस बारे में······

उपाध्यक्ष महोदय : ठीक है। कृपया बैठ जाइये। (**व्यवधान**)

यह 377 है। पासवान जी, आप सूचना दीजिए। (**व्यवधान**)

अब डा० कर्ण सिंह। (**व्यवधान**)

कृपया कार्यवाही वृत्तान्त में शामिल कीजिए। (**व्यवधान**)

यह 377 है। सभी को नियमों के अनुसार कार्य करना चाहिए। संसदीय प्रक्रिया। (**व्यवधान**)

नहीं, मुझे दुख है। अनुमति नहीं देता। श्री पासवान यह नियम 377 है। न कि (**व्यवधान**)

अब डा० कर्णसिंह श्री पासवान कृपया बैठ जाइए। (**व्यवधान**)

मैं उनको अनुमति नहीं दे रहा हूँ। यह कोई तरीका नहीं है। हाँ, डा० कर्ण सिंह। कृपया दूसरी बातों को रिकार्ड न करें। (**व्यवधान**)

मैंने 377 को पूरा नहीं किया है। (**व्यवधान**)

कृपया कुछ भी रिकार्ड न करें। यह तरीका नहीं है। हम इस तरह वाद विवाद नहीं चला सकते। यह नियमों के अनुसार व्यवस्थित ढंग से होना चाहिए अब, यह 377 है। डा० कर्णसिंह। (**व्यवधान**)

आप इसकी सूचना दें (**व्यवधान**)

मैं कोई अनुमति नहीं दे रहा हूँ आपको सूचना देनी चाहिए जो कुछ वह कह रहे हैं उसको, कार्यवाही वृत्तान्त में शामिल न किया जाये। अब ये नियम 377 के अधीन मामले हैं। हाँ, डा० कर्ण सिंह

श्री राम विलास पासवान : प्रोटेस्ट के तौर पर हम लोग वाक आउन्ट करते हैं।

(इस समय श्री राम विलास पासवान तथा कुछ अन्य माननीय सदस्य उठकर सदन से बाहर चले गये।)

(छ) पंजाब में साम्प्रदायिक शान्ति स्थापित करने के लिए तत्काल कदम उठाये जाने की आवश्यकता

डा० कर्ण सिंह (उधमपुर) : कई महीनों से पटियाला शहर में साम्प्रदायिक तनाव है। बहुत सी अपवित्रीकरण भी घटनाओं के समाचार मिले है जैसे पुलिस द्वारा बिना जूते उतारे

मन्दिर में प्रवेश किया जाना। कल फिट अपवित्रीकरण की दो घटना होने के समाचार मिले है जिनमें मन्दिरों में पशुओं के सिर रखे गये। यह बिल्कुल स्पष्ट है कि यह असामाजिक तथा राष्ट्र विरोधी तत्वों द्वारा शान्ति को भंग करने, हिन्दुओं और सिखों के बीच दुर्भावना पैदा करने व पंजाब जो कि भारत का अन्न का भंडार तथा भुजा की तलवार दोनों हैं, को कमजोर करने के लिए चलाये गये सुविचारित आन्दोलन का परिणाम है।

दुर्भाग्य से यह भी स्पष्ट हो गया है कि या तो प्राधिकारी इन घृणित गतिविधियों को दबाने में असमर्थ हैं या ऐसा करने के लिए पूरे प्रयत्न नहीं किये जा रहे हैं। कुछ भी हो स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही है और यदि ऐसा चालू रहता है तो मुसीबत अन्य क्षेत्रों में भी फैल सकती है।

इन परिस्थितियों में, मैं गृह मंत्रालय से बड़े जोरदार शब्दों में तुरन्त कदम उठाने, पंजाब में पुन शान्ति लाने और प्रभावी प्रशासन की स्थापना करने का निवेदन करता हूँ। यदि वर्तमान राज्य सरकार ऐसा करने में समर्थक नहीं है तो इसका एक मात्र विकल्प पंजाब में कुछ समय के लिए राष्ट्रपति शासन लागू करना है।

(सात) राजस्थान सीमा में पाकिस्तान के 5 डकैतों द्वारा लूट-पाट किये जाने के बारे में वक्तव्य की मांग

श्री कृष्ण कुमार गोयल (कोटा) : राजस्थान के सीमावर्ती जिले जैसलमेर में पाकिस्तानी डाकुओं की घुसपैठ व लूटमार ने पाक सीमा के समीप राजस्थान ग्रामवासियों के जीवन को असुरक्षित बना दिया है। पाकिस्तानी डाकू व उसका गिरोह राजस्थान की सीमा में बीस ग्रामों पर अभी तक नौ बार से भी अधिक डाके डाल चुका है व अनेक ग्रामवासियों की हत्या करके उनके अमूल्य धन ऊँटों व मवेशियों की लूट करके ले गया है।

इस बार 15 मई को डाकू के गिरोह ने बीघा ग्राम जो भारत सीमा में 40 किलोमीटर अन्दर है, पर हमला किया, परन्तु अवकाश पर आए जवान की गोली से उक्त दस्यु का लड़का मारा गया, जिसके कारण डाकू दल 6 लुटे हुए ऊँट व हथियार छोड़कर लूनार ग्राम जो सीमा से 30 किलोमीटर है, को भाग गए। इन डाकुओं को देहरा ग्राम का रहने वाला व्यक्ति शरण व संरक्षण देता आया है। पाकिस्तानी डाकुओं के लिए इस क्षेत्र से ऊँट व मवेशी बहुमूल्य वस्तुएँ हैं, जिन्हें लूटकर डाकू पाकिस्तान में अच्छी रकम बनाते हैं।

अभी 29 मई को बाड़मेर जिले के अभियानी ग्राम से पाकिस्तानी जबरदस्ती अनुसूचित जाति के व्यक्ति को उसके ऊँट सहित पाकिस्तान पकड़ कर ले गए हैं।

पाकिस्तान से लगी हुई राजस्थान की सीमा बहुत बड़े आकार की है। उस पर तैनात सुरक्षा सीमा दल की चौकियाँ अपर्याप्त संख्या में होने के इस प्रकार की घटनाओं को रोकने में असमर्थ हैं। इसी सीमा पर बहुत बड़ी तादाद में दोनों ओर से जोंगा जीव व ऊँटों के द्वारा पान, बीड़ी, शकर, चांदी तथा इलैक्ट्रानिक वस्तुएं, सिले हुए कपड़े, जूते, लौंग, घड़ियां व सूखे मेवा आदि की तस्करी होती है।

[श्री जेवियर अराकल]

विशेष डाकू के मारे जाने के कारण ग्रामवासियों को भय है कि बदला लेने के लिए पाकिस्तानी दस्युओं द्वारा उन पर दुबारा कातिलाना हमला होगा। अत: इस गंभीर समस्या पर गृह-मंत्री जी से आग्रह करूँगा कि वे वक्तव्य द्वारा स्थिति का स्पष्टीकरण करें।

(आठ) केरल के चाय उत्पादकों को उत्पाद शुल्क में छूट देने तथा उनके लिए अन्य राहत उपाय किये जाने की मांग

श्री जेवियर अराकल (एर्णाकुलम्) : चाय उद्योग, एक कृषि पर आधारित उद्योग है, जिसमें बहुत अधिक श्रमिक लगे हैं। श्रमिक अधिकतर अनुसूचित जाति/जन जाति तथा अन्य कमजोर वर्गों के हैं। भारी संख्या में बच्चों के अतिरिक्त 50% से अधिक श्रमिक स्त्रियाँ हैं। यह दूरस्थ स्थानों में स्थित है। इस उद्योग को प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र घोषित किया जाना चाहिए।

केरल में 36,150 हैक्टेयर क्षेत्र में चाय की खेती होती है जो दक्षिणी भारत के कुल क्षेत्र का 48% है और भारत के कुल क्षेत्र का 98% है। इसमें एक लाख लोगों को सीधा रोजगार मिलता है। इसके अतिरिक्त भारी संख्या में लोग सहायक गतिविधियों में लगे हुए हैं। केरल सरकार ने बिक्री कर 50% तक कम करके उर्वरकों पर बिक्री कर खत्म करके तथा बागान पर बढ़ाये गये 80% कर से चाय को मुक्त रखकर कुछ कर मुक्ति प्रदान की है। उत्पादन लागत को ध्यान में रखते हुए यह राहत जारी रखनी चाहिए और केन्द्र से और अधिक प्रभावी छूट, मुक्ति या और सहायता दी जानी चाहिए। उत्पादन लागत तो बढ़ रही है लेकिन मूल्य और उत्पादन कम होकर घट रहे हैं यह कहा जाता है कि उत्पादकों को दो रु० प्रति किलो के हिसाब से हानि उठानी पड़ती है।

केन्द्र सरकार द्वारा घोषित की गयी छूटें हैं : (क) बागों से सीधे निर्यात की जाने वाली चाय पर उत्पादन शुल्क से पूरी छूट (ख) व्यापारी-निर्यातकों द्वारा निर्यात की जाने वाली चाय पर 44 पैसे प्रति किलो की दर पर उत्पादन शुल्क से छूट ; तथा (ग) चाय के निर्यात में प्रयोग होने वाली पैकिंग सामिग्री जैसे एल्युमिनियम की पन्नियों व प्लाई वुड पर सीमा। उत्पादन शुल्क में कमी। ये लाभ केवल निर्यातकों के लिए हैं, उत्पादकों व श्रमिकों के लिए नहीं। उत्पादकों द्वारा बहुत ही कम निर्यात किया जाता है। इन उत्पादकों के पास सीधे निर्यात करने के लिए कोई आधार या क्षमता नहीं होती। दक्षिण के सभी राज्यों में यही लत है।

मैं निवेदन करता हूँ कि केरल पर इस संकट का सभी राज्यों से अधिक असर पड़ा है। केरल राज्य अकेले सारी सहायता देने में समर्थ नहीं है। उत्पादन शुल्क में बहुत अधिक कमी (जो कि राष्ट्रीय चाय सम्मेलन की सिफारिशों का आवश्यक भाग है) से ही इस संकट ग्रस्त उद्योग को कुछ हद तक लाभ मिल सकता है। केवल का 63% चाय क्षेत्र, क्षेत्र 1 में आता है जहाँ पर 44 पैसे प्रति किलो उत्पादन शुल्क है।

इसलिए मैं सरकार से उत्पादन शुल्क में काफी कमी करने अर्थात् कम से कम 44 पैसे प्रति किलो कम करने तथा निर्यातों पर घोषित छूटों का लाभ उत्पादकों को दिलवाने तथा चाय उद्योग को प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र घोषित करने की अपील करता हूँ तथा भारत के चाय उद्योग

को बचाने के लिए तुरन्त कुशल तथा सुविचारित उपायों को लागू करने की आवश्यकता है। विशेष रूप से चाय नीति तथा प्रशासन के बीच समन्वय लाने और केन्द्र/राज्य के प्रयत्नों के बीच समन्वय लाने के लिए एक तंत्र बनाना चाहिये और भारत के रूग्ण चाय उद्योग की सहायता करने के लिए शीघ्र ही सभी प्रयत्न किये जाने चाहियें।

(नौ) स्वतन्त्रता सेनानियों की स्मृति में स्मारक बनाना

श्री रामलाल राही (मिसरिख) : उपाध्यक्ष महोदय, आज ऐसे बहुत से स्वतंत्रता-सेनानी हैं, जिनकी आर्थिक स्थिति अत्यन्त दयनीय है। वे आजीविका-अर्जन के लिए शारीरिक रूप से अत्यन्त दुर्बल हो गए हैं। सैनिक-सम्मान-पेंशन योजना के अधीन सरकार से मिल सकने वाली अत्यल्प राशि के लिए भी उन्हें दर-दर की ठोकरें खानी पड़ती हैं। सरकार को इस सम्बन्ध में जांच करनी चाहिए, ताकि उपर्युक्त पेंशन की राशि और सहायता इन व्यक्तियों को निर्धारित अवधि के भीतर प्राप्त कराई जा सके। ऐसा न करने से सरकार ने इन स्वतंत्रता-सेनानियों के प्रति सहनुभूति प्रदर्शित नहीं की है। इस समस्या को उपर्युक्त पेंशन की वितरण प्रक्रिया में सुधार लाकर हल किया जा सकता है।

उन असंख्य स्वतंत्रता-सेनानियों में से, जिन्होंने स्वतंत्रता-संग्राम में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई तथा अमूल्य योगदान दिया, केवल कुछ ही के नाम इतिहास में स्थान पा सके हैं और केवल कुछ ही सेनानियों के स्मारक बन सके हैं।

ग्रामीण क्षेत्रों में भी ऐसे बहुत से व्यक्ति हुए हैं, जिनका जीवन राष्ट्रीयता से परिपूर्ण था और वे न केवल वर्तमान बल्कि भावी पीढ़ियों के लिए भी प्रेरणा के स्रोत रहेंगे। मेरे विचार से यदि सरकार ने स्वतंत्रता-सेनानियों की स्मृति में स्थानिक रूप से स्मारकों का निर्माण किया होता, तो वर्तमान और भावी पीढ़ियां उनके निःस्वार्थ जीवन से प्रेरणा प्राप्त करतीं और जन-साधारण में एक राष्ट्रीयता की भावना पैदा होती तथा उन लोगों को राष्ट्र एवं समाज के प्रति अपने कर्त्तव्यों तथा दायित्वों का बोध होता।

हमारे देश के ग्रामीण क्षेत्र के सुदूरवर्ती स्थानों में बड़े और छोटे पुलों, सड़कों, नहरों तथा बांधों के निर्माण जैसे बहुत से महत्त्वपूर्ण निर्माण कार्य किए गए हैं और शिक्षा संस्थाओं तथा अनुसंधान संस्थाओं की स्थापना हुई है। यही नहीं, "काम के बदले अनाज" कार्यक्रम तथा अन्त्योदय योजना के अन्तर्गत अनेक गांवों को जोड़ने वाली बहुत सी महत्त्वपूर्ण सड़कों का निर्माण किया गया है। मैं सरकार से अनुरोध करता हूँ कि इन सार्वजनिक सड़कों, पुलों, संस्थाओं आदि के नाम दिवगत स्वतंत्रता-सेनानियों के नामों पर रखे जाएं। इस काम का शुभारंभ 15 अगस्त, 1982 से होना चाहिए।

मैं सरकार से यह भी आग्रह करता हूँ कि वह इन स्वतंत्रता-सेनानियों का एक इतिहास भी तैयार करें, जो ग्राम सभाओं अथवा स्थानीय सार्वजनिक संस्थाओं अथवा प्राथमिक विद्यालयों में रखा जाए। इन स्वतंत्रता-सेनानियों के जीवन-चरित्र को स्थानीय प्राथमिक विद्यालयों के शैक्षिक पाठ्यक्रम का अंग बनाया जाए। वस्तुतः इसी प्रकार हमारे देश की जनता अपने प्रतिष्ठित स्वतंत्रता-सेनानियों के प्रति सम्मान प्रदर्शित कर सकेगी।

श्री जगन्नाथ कौशल

अतः सरकार से अनुरोध है कि वह मेरे इन सुझावों को कार्यान्वित करने हेतु युद्ध-स्तर पर कार्य करें और इस सम्बन्ध में कार्यारम्भ के लिए राज्यों तथा संघ राज्यों के क्षेत्रों की सरकारों को निर्देश दें।

एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार (संशोधन) विधेयक

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री जगन्नाथ कौशल) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ—

"कि एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम, 1969 का और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम, 1969, 12 वर्षों से संविधि-संग्रह में है। इसकी व्यापक समीक्षा करने का प्रश्न, एक दशक या इससे अधिक अवधि में इसके कार्यकरण से प्राप्त अनुभव तथा ऐसी समीक्षा के आधार पर उसमें आवश्यक परिवर्तन करना, काफी देर से सरकार से विचाराधीन था।

एक उच्च शक्ति-प्राप्त विशेषज्ञ समिति ने, जिसने न्यायाधीश श्री राजेन्द्र सच्चर की अध्यक्षता में कम्पनी के अधिनियमों के साथ-साथ इस अधिनियम के कार्यों का पुनरीक्षण किया, अगस्त 1978 में दी गई अपनी रिपोर्ट में, इसे सरल और कारगर बनाने तथा इसमें से अनावश्यक बाधाओं को हटाने के विचार से बहुत सी लाभकारी सिफारिशें कीं। अधिनियम के उपबंधों में संशोधन करने की आवश्यकता 1982 में उच्चतर उत्पादकता करने का लक्ष्य प्राप्त करने के संदर्भ में और अधिक सुस्पष्ट हो गयी है, हमारी प्रधान मंत्री ने इसे उत्पादकता वर्ष कहा है।

जबकि मेरा, अगले कुछ महीनों में, सम्पूर्ण अधिनियम के कार्यों की समीक्षा के प्रकाश में एक व्यापक विधेयक पुरःस्थापित करने का विचार है। इस समय मैं यह संक्षिप्त विधेयक पुरःस्थापित करने के लिए सभा की अनुमति लेना चाहता हूँ जो कि मुख्यतः अधिनियम की धारा 21 और 22 के उपबंधों से सम्बन्धित हैं, जो क्रमशः 'पर्याप्त विस्तार' तथा 'नए उपक्रमों की स्थापना के बारे में हैं, को प्रस्तावित करने के लिए सदन की अनुमति चाहता हूँ। इसका मुख्य उद्देश्य उत्पादन में तेजी लाना है, जिसके लिए स्वीकृत क्षमता पहले ही है लेकिन उसे पूरी तरह से लगाया नहीं गया है तथा सरकार को समर्थ बनाना है कि वह राष्ट्रीय अर्थ व्यवस्था के कुछ उन आलोचनात्मक क्षेत्रों, जिनमें निर्यात भी शामिल है, में तेजी लाए जहाँ भारी कमियाँ हैं जो कि अर्थ-व्यवस्था के विकास में बाधा डाल रही हैं और जन साधारण को मार्ग में कठिनाई पैदा कर रही हैं। साथ ही, इन दो न्यायोचित उपबन्धों के वास्तविक कार्यान्वयन के समय जो कमियाँ सामने आईं, उन्हें दूर करने तथा उनके और उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, 1951 के अनुकूल उपबन्धों के बीच मैत्रीपूर्ण संबंध बनाने का भी प्रयत्न किया गया। संशोधन में यह प्रस्ताव भी किया गया है

कि, कुछ क्षेत्रों में, अन्य क्षेत्रों की एकाधिकार कानून की विचारधारा के अनुभव का हम लाभ उठा सकते हैं।

इससे पहले कि मैं आपके समक्ष रखे जाने वाले कानून के विभिन्न संशोधनों पर विचार व्यक्त करूँ, मैं एकाधिकार और अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम के उन मूल उद्देश्यों के वचनबद्धता को स्पष्ट करना चाहता हूँ जिसमें यह सुनिश्चित किया जाता है, कि आर्थिक प्रणाली का संचालन इस प्रकार न हो जिसके कारण परिणामस्वरूप आर्थिक शक्ति का संकेंद्रण न हो और जन साधारण की हानि न हो।

वास्तव में, हमारा विचार स्पष्ट है कि प्रस्तावित संशोधन विधेयक का उद्देश्य इस मूलभूत सिद्धान्त को सुदृढ़ करना है। मुझे यह स्वीकार कर लेना चाहिए कि जब यह विधेयक सदन में पेश किया गया तब इस सम्बन्ध में कुछ माननीय सदस्यों द्वारा व्यक्त की गई गलत फहमियां विधेयक के लक्ष्यों को गलत समझ लेने के कारण हुई हैं। वास्तव में, प्रस्तावित संशोधनों के उपबंधों का गुण-अध्ययन करने से प्रमाणित हो जाएगा कि इसमें केवल संविधान की प्रस्तावना तथा उसकी धारा 28 में बताई गई सामाजिक-आर्थिक विचार धारा को सुदृढ़ करने का प्रयास किया गया है। मैं सदन के माननीय सदस्यों को यह आश्वासन देना चाहता हूँ कि सरकार पूर्णतः और स्पष्ट रूप से इस विचार धारा से जुड़ी हुई है कि यदि बड़े उद्योग 'सार्वजनिक हित' को हानि पहुँचाते हैं और जन साधारण के प्रतिकूल हैं तो उनके विकास पर नियंत्रण रखा जाना चाहिए। यह रूख हमारे चुनाव शोषणा-पत्र का अभिन्न अंग था, है, और यह भविष्य में भी हमारा मार्ग-दर्शी सिद्धान्त रहेगा।

मुझे विश्वास है कि सदन के सभी दलों के सदस्य इस मत से सहमत होंगे कि देश में विशेष कर आंतरिक क्षेत्र में उत्पादन की सुविधाओं में वृद्धि करने और उनमें तेजी लाने की अत्यधिक आवश्यकता है क्योंकि इसका राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के विकास और लोगों के कल्याण पर तीव्र प्रभाव पड़ता है। आपके समक्ष जो संक्षिप्त संशोधन विधेयक रखा गया है। उसमें यह प्रस्ताव किया गया है कि बड़े व्यापारिक गृहों की निपुणता और संशोधनों को यह दिशा दी जाये और आर्थिक शक्ति के संकेन्द्रकरण को रोकने के मूल उद्देश्य में किसी तरह की कमी न आए और जन साधारण को हानि न हो। इस उपाय से इसे लागू करने पर, अर्थव्यस्था को प्रोत्साहन मिलना चाहिए तथा उसमें आत्मनिर्भरता आनी चाहिए। प्रस्तावित उपायों के पीछे यही भावना निहित है और इसमें किसी बात का प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से यह अर्थ नहीं लगाया जाना चाहिए कि इसमें बड़े व्यापार गृहों को अनुचित लाभ उठाने या हमारी अर्थव्यवस्था पर काबू पाने का अवसर दिया जा रहा है।

श्री सोमनाथ चटर्जी : ऐसी बातें सोच रहे हैं (**व्यवधान**)

श्री जगन्नाथ कौशल : इस विधेयक को पेश करते समय कुछ आंशकायें व्यक्त की गई थीं कि प्रस्तावित विधान का सरकारी क्षेत्र तथा लघु उद्योगों के हितों पर विपरीत प्रभाव पड़ सकता है। मुझे विश्वास है कि सरकारी क्षेत्र इतना बड़ा और मजबूत है कि वह अपने हितों का

श्री जगन्नाथ कौशल

ध्यान रख सकता है। तथापि मैं सदन को आश्वासन देना चाहता हूँ कि सरकार की यह दृढ़ नीति है कि न केवल लघु उद्योगों के हितों की रक्षा की जाये अपितु हर संभव तरीके से उनको प्रोत्साहित किया जाये ताकि वह उत्पादन के नये और बड़े क्षेत्रों में प्रवेश कर सकें। एसी विस्तार करने तथा अधिक से अधिक उत्पादन करने की उनकी वैध मांग के रास्ते में कोई अड़चन नहीं आने दी जाएगी।

विधेयक में प्रस्तावित संशोधनों में अन्य बातों के साथ-साथ 'अधिष्ठायी उपक्रम' की संशोधित परिभाषा दी गई है। प्रयास किया गया है कि देश के विस्तृत आकार को, तथा विश्व के अन्य देशों में विचारों को ध्यान में रखते हुए, बाजार को कितने अंश की प्रमुखता देनी चाहिए, सच्चर समिति की सिफारिशों के अनुसार यह प्रस्ताव किया गया है कि बाजार की प्रमुखता के निर्धारण के लिए बाजार के एक चौथाई अंश या उत्पादकता क्षमता को कसौटी माना जाना चाहिए। इस समय प्रमुखता का निर्धारण नियंत्रण, पूर्ति और उत्पादन के आधार पर किया जाता है जो संगठित क्षेत्रों में कुल माल, सेवाओं आदि का एक तिहाई भाग होता है। जबकि उत्पादन, वितरण, पूर्ति अथवा सेवाएँ प्रदान करने में इसके अंश के आधार पर प्रमुखता निर्धारण करने की वर्तमान कसौटी को बनाये रखने का विचार है, साथ ही विधेयक में उन उपक्रमों के मामले में प्रमुखता निर्धारण करने के लिए, जिनके लिए उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम के अंतर्गत लाइसेन्स लेना आवश्यक है, नई कसौटी ली गयी है। दूसरे शब्दों में, बाद के मामले में, किसी ऐसे उपक्रम को उस समय तक प्रमुख माना जायेगा, जब तक किसी प्रकार की वस्तुओं के उत्पादन के लिए इसकी लाइसेन्स शुदा क्षमता उन वस्तुओं के लिए देश में कुल स्थापित क्षमता की एक-चौथाई या इससे अधिक है।

यह भी प्रस्ताव है कि जो उपक्रम उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम के अधिकार क्षेत्र में आते हैं, उन उपक्रम के पर्याप्त विस्तार का निर्धारण करने की कसौटी 'अनुज्ञप्त क्षमता' मानी जाये। इस समय जिस उपक्रमों को सरकार द्वारा क्षमता की मंजूरी दी गई है और संबंधित उपक्रम ने स्वीकृत क्षमता के केवल एक अंश की स्थापना की है। वह उपक्रम एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम के अंतर्गत और स्वीकृति प्राप्त किए बिना और क्षमता नहीं बढ़ा सकता यदि उत्पादन व्यवस्था में 25 प्रतिशत या अधिक अथवा संपत्ति के मूल्य में 25 प्रतिशत या इससे अधिक वृद्धि होती है। यह महसूस किया गया है कि वस्तुओं की मांग और उपलब्धता के सन्दर्भ में जहाँ क्षमता पहले ही स्वीकृत की जा चुकी हो वहाँ आर्थिक शक्ति का और अधिक संचयन नहीं होगा, यदि स्वीकृत सीमा तक क्षमता बढ़ाई जाती है। बाद में, एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम के अधीन अनुमोदन न दिया जाए।

जैसा कि मैंने पहले इस संशोधनकारी विधेयक को पेश करते समय भी बताया कि हमने वर्तमान कानून में कुछ कमियों को दूर किया है। अतः यह विचार किया गया कि अधिनियम की धारा 21 (4) के अंतर्गत दी गई छूट समाप्त कर दी जाये, जो इस समय किसी उपक्रम (जो प्रमुख नहीं है) को किस हद तक समान अथवा एक ही प्रकार की वस्तुओं के उत्पादन, चाहे वह

कम मात्रा में हो, के विस्तार को किसी सीमा तक बढ़ाने के लिए उपलब्ध है। इसके कारण सरकार ने बड़े व्यापार गृहों को कतिपय क्षेत्रों से, जहाँ उन उद्योगों का होना राष्ट्रीय अर्थ-व्यवस्था की दृष्टि से उचित नहीं समझा गया, दूर रखने के जो प्रयत्न किये थे, वह असफल रहे। चूंकि इन परिस्थितियों में वस्तुओं के उत्पादन से भौतिक, धन सम्बन्धी तथा सामान्य संसाधन आवश्यक रूप से बंध जाएंगे जिन्हें अर्थव्यवस्था से अधिक लाभ उठाने के लिए कहीं और लगाया जा सकता है यह आवश्यक समझा गया कि इसमें यह छूट दी जानी चाहिए। तदानुसार धारा 21 (4) के अंतर्गत वैसी ही छूट दी गई है जैसी अब उसी तथा उसी प्रकार की वस्तुओं के अतिरिक्त उत्पादन के लिए दी गयी है, वह छूट तब तक हटा देनी चाहिए जब तक कि वे उस मद में प्रमुखता नहीं प्राप्त नहीं कर लेते। मुझे आशा है, सदन में इस बात का स्वागत किया जाएगा।

साथ ही सभी उपक्रमों को आधुनिकीकरण, मशीनें बदलने आदि में महत्त्वपूर्ण छूट देने का भी प्रस्ताव है, जिसका सच्वर समिति ने जोरदार समर्थन किया था। उनके अनुसार, प्रस्तावित धारा 21 की उपधारा (4) में मशीनें आदि बनवाने, पूरी मशीनरी अथवा उसके किसी एक भाग के आधुनिकीकरण अथवा उपक्रम के अन्य उपक्रम या अन्य उपकरण के प्रतिस्थापन पर भी छूट देने का विचार किया गया है।

प्रस्तावित परिवर्तन उत्पादन में वृद्धि करने के लिए सरकार को खुले दिल से आधुनिकी-करण को प्रोत्सहान देने, प्रोद्योगिकी को नवीनतम बनाने तथा और अधिक आधुनिक व उन्नत तरीके अपनाने की नीति के अनुरूप है।

अधिनियम की धारा 22 में निहित वर्तमान प्रावधान, इस समय अधिनियम की धारा 20 (ख) के अंतर्गत आने वाले अधिष्ठायी उपक्रमों पर लागू नहीं होता है जिसके परिणाम-स्वरूप उसी प्रकार की या उन्हीं वस्तुओं का उत्पादन करने के लिए जिनमें वे अधिष्ठाई हैं। नये अन्तर्संबन्धित उपक्रमों की स्थापना करके अधिष्ठायी उपक्रमों का विस्तार करना इस प्रावधान के अंतर्गत नहीं आता। यह बहुत ही गम्भीर कमी है क्योंकि अधिष्ठायी उपक्रम बिना सरकार की जांच के अधिक आर्थिक शक्तियां अपना सकता है। इस परिस्थिति से निपटने के लिए अब यह प्रावधान किया गया है कि नये उपक्रमों की स्थापना करने से सम्बन्धित धारा 22 (1) अधिनियम की धारा 20 (क) तथा धारा 20 (ख) के अंतर्गत आने वाले दोनों प्रकार के उपक्रमों पर लागू होगी।

इस विधेयक के अन्तर्गत ऐसी शक्तियों का प्रावधान करने का भी प्रस्ताव किया गया है जिनके द्वारा सरकार द्वारा अधिसूचित किए गए उद्योगों को एम० आर० टी० पी० अधिनियम के अन्तर्गत पर्याप्त विस्तार धारा 20 या नये उपक्रमों की स्थापना (धारा 27) के लिए अनुमोदन प्राप्त करने से विनिर्दिष्ट अवधि तथा विनिर्दिष्ट शर्तों के अध्ययाधीन छूट दी जा सके। यह महसूस किया गया है कि ऐसे उद्योगों को जो उच्च राष्ट्रीय प्राथमिकता के हैं और 100% निर्यात के लिए उत्पादन करते हैं सम्बन्धित वस्तुओं के उत्पादन को तेज करने के लिए अधिसूचित

[श्री सोमनाथ चटर्जी]

किया जाना चाहिए जिससे सामान्य जनता तथा देश की आवश्यकताओं की पूर्ति में सहायता मिलेगी। अर्थव्यवस्था की तेजी से बदलती हुई आवश्यकताओं को पूरा करने और आवश्यकता पड़ने पर तुरन्त कार्यवाही करने की अत्याधिक आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए ऐसे उद्योगों तथा सेवाओं को अधिसूचित करने की शक्ति केन्द्र सरकार में निहित करने का प्रस्ताव किया गया है। साथ ही साथ संसद को भी इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा लिए गए निर्णयों पर विचार तथा चर्चा करने के पर्याप्त अवसर प्राप्त होंगे क्योंकि प्रस्तावित विधेयक में यह प्रावधान किया गया है कि जैसे ही ये अधिसूचनाएँ जारी होंगी इनको सभापटल पर रखा जाएगा।

अब मैं प्रस्ताव करता हूं कि सभा विधेयक पर विचार करे।

मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम, 1969 का और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ—

"कि एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम, 1969 का और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

श्री चित्त बसु, क्या आप अपना संशोधन पेश कर रहे हैं ?

श्री चित्त बसु (बारसात) : मैं प्रस्ताव करता हूं—

"कि विधेयक पर 30 सितम्बर, 1982 तक राय जानने हेतु उसे परिचालित किया जाए।"

उपाध्यक्ष महोदय : मूल प्रस्ताव तथा संशोधन चर्चा के लिए सभा सामने हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री सोमनाथ चटर्जी। आपकी पार्टी को 14 मिनट का समय दिया गया है।

श्री सोमनाथ चटर्जी (जादवपुर) : इन्हें हर वस्तु पर एकाधिकार करने की अनुमति न दें।

मुझे खेद है कि मंत्री महोदय का प्रारम्भिक भाषण एक लम्बा भाषण था और विधेयक की तरह यह वर्तमान सरकार की औद्योगिक नीति सम्बन्धी राजनैतिक दृष्टिकोण से मेल खाता है और यह सरकार की कथनी और करनी के अन्तर को भी दर्शित करता है। मैं जानता हूं कि इन्होंने लम्बा भाषण इसलिए दिया कि वे इस विधेयक जिसे वे पास करवाना चाहते है, के बारे में अप्रसन्न अनुभव करते हैं। मैं अनुभव करता हूं कि वह समझ गए हैं कि यह विधेयक इस सरकार के आत्मसमर्पण का सबसे बड़ा उदाहरण है, जो बड़े व्यापारियों के हित में और सर्व साधारण के सहित में काम कर रही है। इसने उद्योग के अमीर संरक्षकों के सामने आत्मसमर्पण कर दिया है और अब तो अन्तर्राष्ट्रीय संरक्षण और अन्तर्राष्ट्रीय मुद्राकोष का भी हस्तक्षेप है। इस बात का पता एक के बाद एक दी जा रही सुविधाओं से लगता है। नये करार के बाद

अन्तर्राष्ट्रीय मुद्राकोष करार, जिसके अन्तर्गत ऋण लिया गया, एक शर्त बड़े व्यापारियों, एकाधिकार व्यापार गृहों तथा बहुराष्ट्रिकों को अधिक से अधिक रियायतें देने की रही है। यह बात बिल्कुल स्पष्ट है। अब अन्तर्राष्ट्रीय मुद्राकोष इन पर ऐसा कानून लाने के लिए जोर डाल रहा है। यह उसका एक उदाहरण है।

यदि हम 1970 में लागू होने से लेकर आज तक एकाधिकार तथा अवरोधक, व्यापारिक व्यवहार कानूनों को लागू करने के इतिहास को देखें तो हमें पता चलेगा कि इसे हर अवसर पर अधिकाधिक बड़े व्यापारियों तथा आर्थिक शक्ति सम्पन्न लोगों के पक्ष में इसमें ढील दी जाती रही है। अब एम० आर० टी० पी० के मेनोपोली रिवार्ड एण्ड ट्रेड प्रोटेक्शन अधिनियम को संज्ञा दी जा सकती है। इसमें अब कोई भी अवरोधक प्रावधान नहीं है। एक विनियमित तथा अवरोधक कानून के बजाय अब यह धीरे-धीरे सरकारी संरक्षण द्वारा आर्थिक शक्ति सकेन्द्रित करने का कानून बन गया है।

1969 में औद्योगिक लाइसेंस देने के प्रश्न पर विचार करने के लिए एक समिति का गठन किया गया था। इसने अपनी रिपोर्ट दी थी। आप जानते ही हैं कि उन दिनों हमारी प्रधान मन्त्री ने देश की आर्थिक, औद्योगिक नीतियों के बारे में बहुत ही महत्त्वपूर्ण कदम उठाये थे। उन्हें इस रवैये के 1969 के कांग्रेस विघटन के संदर्भ में भी अपनाना पड़ा था। उन्होंने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया, शाही थैलियां समाप्त की; गरीबी के विरुद्ध युद्ध छेड़ा। गरीबी हटाओ का नारा लगाया गया, गरीबी हटाओ कार्यक्रम नहीं चलाया गया और कई मंचों पर वे व्यापारियों, एकाधिकारियों तथा बहुराष्ट्रिकों के विरुद्ध शेरनी की तरह गरजी थी। यह कहा गया "कि मैंने एम० आर० टी० पी० एक्ट लागू कर दिया है। देखिये बड़े व्यापारियों तथा एकाधिकारियों का में कितना विरोध करती हूं।" अब शेरनी की वह गर्जना दांत पीसती एक बिल्ली की म्याऊं बन गयी है।

समिति ने 1969 में अपना प्रतिवेदन दिया। आपकी अनुमति से में कुछ महत्त्वपूर्ण अंश पढ़ना चाहता हूं। पृष्ठ 384 पर इसमें कहा गया है :

"अत: इस बात पर आश्चर्य नहीं होना चाहिये कि हमारी जांच की एक लम्बी अवधि के दोराना लाइसेंस का उपयोग बड़े औद्योगिक गृहों में वृद्धि को रोकने की दिशा में किए जाने की बजाय वस्तुतः सारी प्रक्रिया ने ही उनके पक्ष में कम किया।"

1969 तक सरकार की यह औद्योगिक नीति थी।

फिर, इसमें कहा गया है :—

"लाइसेंस प्रणाली कम अनिवार्य उद्योगों की क्षमता में वृद्धि को रोकने में असफल हुई; और इससे सीधे अधिक आवश्यक उद्योगों की क्षमता बनाने को सुनिश्चित करने की आशा नहीं की जा सकती थी।"

इसमें आगे यह भी कहा गया है :—

"तथापि हमारे अध्ययन से पता चलता है कि जब सरकारी तथा गैर सरकारी क्षेत्रों के

[श्री सोमनाथ चटर्जी]

बीच तरजीह देने की बात आती थी तो लाइसेंस जारी करने वाले अधिकारी गैर सरकारी क्षेत्र के पक्ष में निर्णय लेते थे ।

अन्त में लाईसेंसिग प्रणाली के बारे में जो कुछ भी स्पष्टतः कहा जा सकता है वह यही है कि प्रणाली की सीमाओं के भीतर की विशिष्ट उद्देश्यों की प्राप्ति सुनिश्चित करने के प्रयत्न अच्छे मन से किये गये ।

गैर आवश्यक उद्योगों को भी क्षमता लक्ष्य से अधिक के लाइसेंस जारी किये गये। प्रभावशाली पार्टियों तथा बड़े गृहों को अन्य पार्टियों के मुकाबले अधिक क्षमता बढ़ाने की अनुमति दी गयी।

इसमें फिर कहा गया है :—

"हमारे पहले अध्यायों के सामान्य निष्कर्षों का सारांश यह है कि लाइसेंस प्रणाली ने इस ढंग से काम किया जिससे बड़े औद्योगिक क्षेत्रों के कुछ प्रतिष्ठानों को एक अनुपातहीन नई लाइसेंस क्षमता प्रदान की गयी। इसका अधिकतम लाभ कुछ ही बड़े गृहों को मिला।"

अंत में मैं पृष्ठ 39 से उद्धृत करता हूँ :—

"हम आशा करते हैं कि इस प्रस्तावित कानून के फलस्वरूप पर्याप्त शक्ति सम्पन्न तथा संगठन सहित एक एकाधिकार आयोग गठित किया जायेगा जो आर्थिक शक्ति के सकेन्द्रीकरण सम्बन्धी समस्याओं तथा उत्पाद एकाधिकार का समाधान करने का काम करेगा।"

ऐसी आशा प्रकट की गयी थी और एकाधिकार आयोग तथा एम० आर० टी० पी० एकट का आधार था ।

मन्त्री महोदय ने सच्चर समिति प्रतिवेदन का जिक्र भी किया था। अभी हाल में उच्च-शक्ति प्राप्त सच्चर समिति ने इस मामले पर विचार किया। आपकी अनुमति से मैं कुछ ही पैरें पढ़ूंगा। रिपोर्ट के पृष्ठ 248 में कहा गया है :—

"आर्थिक शक्ति के केन्द्रीकरण जो सर्व साधारण के हित के विरुद्ध हैं, को रोकने की आवश्यकता अधिनियम से अचानक उत्पन्न नहीं हुई है।"

इसके बाद इसमें अन्य समितियों की रिपोर्टों का जिक्र भी किया गया है। इसमें आगे कहा गया है :

"एकाधिकार जांच आयोग को यह भी मालूम हुआ है कि शीर्षस्थ 75 व्यापार गृहों (जिसमें 1536 कम्पनियां है) की कुल परिसम्पत्तियां 2,605.9 करोड़ रुपये हैं जो सभी गैर सरकारी कम्पनियों की कुल परिसम्पत्तियों (जो 5,522.14 करोड़ रुपये हैं) का 46·9 प्रतिशत है। इसने यह भी देखा है कि उन गृहों की कुल चुकता पूंजी 646.32 करोड़ रुपये की है जो गैर सरकारी क्षेत्र की 1,465.46 करोड़ रुपये की कुल प्रदत्त पूंजी का 44.10 प्रतिशत है।"

(श्री चिन्तामणि पाणिग्रही पीठासीन हुये)

जब एम. आर. टी. पी. आयोग के क्रियाकलापों का प्रश्न सामने आया तो सच्चर समिति ने यह कहा :—

"जैसे कि आप जानते हैं कि किसी मामले को आयोग को सौंपना या न सौंपना केन्द्र सरकार पर निर्भर है। शुरू में मामला केन्द्रीय सरकार को जाता है। केन्द्रीय सरकार के आंकड़ों से ही आयोग को विचार करने या न करने का अधिकार मिलता है।"

स्थिति क्या थी, इस बारे में यह कहा गया है :—

"कुछ समय से सरकार जनहित में नियमों के अनुसार किन्हीं प्रकार के मामलों की प्रक्रिया में ढील देने का अधिकार देती आ रही है। 1 जून 1970 से 31 दिसम्बर 1977 तक केन्द्र सरकार को प्राप्त कुल 618 आवेदन पत्रों में से कुछ धाराओं के अधीन सरकार ने केवल 59 मामले आयोग को भेजे अतः यह आशा, जो प्रकट की गयी थी, कि आयोग इन मामलों पर विचार करेगा और कुछ लोगों के पास आर्थिक शक्ति के केन्द्रित हो जाने अथवा उन्हें अधिक प्रभावशाली होने से रोकने सम्बन्धी कुछ बुनियादी आर्थिक तथा औद्योगिक नीतियों के ध्यान में रखते हुए अपना निर्णय लेगा। यह आशा धूल में मिल गयी क्योंकि 618 आवेदन पत्रों में से केवल 59 ही आवेदन पत्र सरकार को भेजे गये।"

इसके बाद पैरा 20.16 में यह कहा गया है :—

"केन्द्र सरकार द्वारा आयोग को लिखे बिना स्वयं बहुत अधिक मामले निपटाने के पीछे चाहे कोई भी कारण रहे हों, यह कल्पना नहीं की जा सकती कि जब अधिनियम में मामले को आयोग को भेजने या न भेजने सम्बन्धी केन्द्र सरकार की स्वेच्छा का प्रावधान है, तो इससे ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जायेगी जिसमें आयोग का काम पूरी तरह से समाप्त हो जायेगा। अतः यह आलोचना उचित नहीं है कि आयोग ने धारा 21, 22 तथा 23 के अनुसार आर्थिक शक्ति के केन्द्रीकरण सम्बन्धी मामलों पर विचार करने के लिये अपना सक्रिय योगदान नहीं दिया। इसमें कोई संदेह नहीं है। दूसरी ओर कभी कभी यह कहना कि सरकार किसी उपक्रम के विस्तार अथवा स्थापना के विरुद्ध है..."

मेरा पक्का विश्वास है कि बड़े व्यापार गृहों की परिसम्पत्तियों में इस अवधि में निरन्तर काफी वृद्धि होती रही। एकाधिकार जांच आयोग का अनुमान था कि 1963-64 में गैर-सरकारी तथा गैर बैंकिंग कम्पनियों की परिसम्पत्तियां लगभग 5,552 करोड़ रुपये रही होंगी। एम० आर० टी० पी० एक्ट के अधीन पंजीकृत शीर्ष 20 व्यापार गृहों सम्बन्धी नवीनतम आंकड़ों से पता चलता है कि 1969 में जो 2,430 करोड़ रुपये की परिसम्पत्तियां थी वे 1975 में बढ़कर 4,465 करोड़ रुपये हो गई। 1970 से 1975 के बीच जब गरीबी हटाओ का नारा था, वृद्धि का प्रतिशत 68.6 प्रतिशत रहा। यह दिलचस्प बात है कि 1975 में 20 बड़े औद्योगिक गृहों के इस ग्रुप में से पहले दो गृहों की परिसम्पत्तियां 1760 करोड़ रुपये की जो 20 बड़े औद्योगिक गृहों की कुल परिसम्पत्तियों का 40 प्रतिशत बैठता है।

श्री सोमनाथ चटर्जी

शीर्ष के 20 बड़े औद्योगिक घरानों की परिसम्पत्तियों के मूल्य में हुई वृद्धि से पता चलता है कि वर्ष 1969 से 1975 के दौरान उनमें 29.9 प्रतिशत से लेकर 83.7 प्रतिशत के बीच वृद्धि हुई।

"एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम के कार्यकरण का यह परिणाम रहा है। इन आवेदन पत्रों को निपटाने सम्बन्धी केन्द्रीय सरकार के दृष्टिकोण का यह परिणाम रहा है। परिणाम इस अधिनियम की प्रस्तावना के अनुरूप होना चाहिए था अर्थात, अधिनियम का उद्देश्य यह उपबन्ध करना है कि आर्थिक प्रणाली के संचालन से आर्थिक शक्ति का ऐसा सकेन्द्रण न हो जिसके परिणामस्वरूप आम लोगों का अहित हो और एकाधिकारों का नियंत्रण न हो।"

मैं उच्च शक्ति प्राप्त समिति के प्रतिवेदन में से पढ़ रहा हूं। स्वयं मंत्री-महोदय भी इस पर निर्भर रहे हैं। स्थिति यह है :

एक सुप्रसिद्ध लेखक प्रो० गोयल ने अपनी पुस्तक में कहा है:—

"भारतीय निजी क्षेत्र में व्यापार सकेन्द्रण के तेजी से बढ़ने के कारण.........तथा शीर्ष व्यापारिक घरानों का आश्चर्यजनक विस्तार मूल रूप से सरकार की नीतियों और प्रगतिशील उद्घोषणाओं के परिणामस्वरूप ही नहीं अपितु उच्च स्तरीय निर्णयों के परिणामस्वरूप संभव हुआ है, जिनमें 1948 के आर्थिक कार्यक्रम समिति के प्रतिवेदन तथा 1948 और 1956 के औद्योगिक नीति सम्बन्धी संकल्पों के बाहर कार्यवाही करने का अधिकार दिया गया।"

यह रहा है सरकार का योगदान। आर्थिक सकेन्द्रण रोकने की बजाय उनकी नीति के प्रत्यक्ष परिणामस्वरूप कुछ ही लोगों के हाथों में अधिकाधिक आर्थिक सकेन्द्रण हो रहा है।

यह एक बहुत ही प्रामाणिक पुस्तक है। यदि आप इस पुस्तक के पृष्ठ 112 को देखें, तो आपको मालूम होगा कि हमारे राष्ट्रीयकृत बैंक किस प्रकार काम कर रहे है। पृष्ठ 112 में बताया गया है—

"सरकारी क्षेत्र की वित्तीय संस्थाओं द्वारा उनके आरम्भ से मार्च, 1977 के अन्त तक गैर-सरकारी क्षेत्र को कुल 5,182.3 करोड़ रु० से अधिक की वित्तीय सहायता मंजूर की गई और 3,649.7 करोड़ रु० की धन राशि वस्तुत: वितरित की गई।"

आप यह देख सकते हैं कि हमारे राष्ट्रीयकृत बैंकों के संसाधन किसके लाभ के लिए उपयोग में लाए जा रहे हैं। एक कृषक को धन नहीं मिलेगा, एक छोटे व्यापारी को धन नहीं मिलेगा, उनको इसके लिए जमानती लाना होगा। यह स्थिति है।

मैं इसके अन्य परिणामों के बारे में भी बताऊँगा। मेरे पास जो आंकड़े मौजूद हैं वे इस प्रकार हैं। टाटा की परिसम्पत्तियां जो वर्ष 1937 में 10.46 करोड़ रुपये थी वह वर्ष

1976 में बढ़कर 980.77 करोड़ रुपये हो गई। बिरला की परिसम्पत्तियाँ जो वर्ष 1937 में 1.79 करोड़ रुपये थी वह वर्ष 1976 में बढ़कर 974.63 करोड़ रुपये हो गईं। अब उन्होंने चार अंकों में परिसम्पत्तियाँ प्राप्त कर ली हैं—1,000 करोड़ रु० से भी अधिक।

अतः मैं यह अनुरोध करता हूँ कि इस संशोधन का उद्देश्य जो मंत्री महोदय ने बताया है, वह नहीं है। आपका इन बड़े घरानों को पूरी तरह से समर्पित होने तथा अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की इच्छाओं को पूरा करने के दायित्व के अतिरिक्त यह कुछ भी नहीं है।

यद्यपि यह विधेयक बहुत ही महत्वपूर्ण है, लेकिन मुझे जो समय दिया गया है, वह बहुत ही कम है। हमें विधेयक के कई पहलुओं पर विचार करना है। कृपया उद्देश्यों तथा कारणों के कथन को देखिए। मन्त्री-महोदय ने अपने प्रारम्भिक भाषण में कहा है कि कोई व्यापक विधेयक लाया जायेगा। फिर आंशिक रूप से इस विधान को क्यों लाया गया है? यह किसके लाभ के लिए है? मैं यहाँ यह सिद्ध कर सकता हूँ कि इसका सारा उद्देश्य शक्तियों को सरकार द्वारा अपने हाथ में लेना हैं जिससे कि कतिपय सुस्पष्ट बातों के बदले छूट दी जा सके तथा राजनीतिक संरक्षण प्रदान किया जा सके। इससे देश में राजनीतिक भ्रष्टाचार के व्यापक रूप से बढ़ने के अलावा कुछ भी नहीं होगा जो इस देश के राजनीतिक जीवन को खोखला किये जा रही है। यदि कोई व्यापक विधान लाने की तैयारी की जा रही है तब आंशिक रूप से इस विधान को लाने की क्या आवश्यकता थी?

इस विधेयक में एक अथवा दो प्रस्ताव स्वागत योग्य है। समानुपातिक रूप से एक-तिहाई से एक-चौथाई तक की कटौती करने का प्रस्ताव है। हम उसका स्वागत करते हैं। लेकिन हम यह जानना चाहते हैं कि परिभाषा में "प्रधान उपक्रम" का परिवर्तन कर देने से मन्त्री महोदय को कितने उपक्रमों को इस विधान के अन्तर्गत लाने की उम्मीद है, जो कि इस समय एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार के क्षेत्राधिकार में नहीं आते हैं।

सभापति महोदय : कृपया समाप्त करने की कोशिश कीजिये।

श्री सोमनाथ चटर्जी : मुझे बहुत खेद है कि मुझे शीघ्रता से अपना भाषण समाप्त करना होगा। समय बहुत कम है। कृपया विधेयक की धारा 3(ख) को देखिए जिसे खण्ड 21 के उप-खण्ड (4) में संशोधन करने के लिए लाया गया है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। मन्त्री महोदय ने यह कहा है कि पहले यह कानून था कि यदि उसी अथवा उसी प्रकार की वस्तुओं के उत्पादन से सम्बन्धित विस्तार किया जाता है, तो अधिनियम के लागू न होने का प्रश्न एक अवरोधक कारक था। अब वे यह व्यवस्था कर रहे हैं कि ऐसे उपक्रमों के सम्बन्ध में जिनमें कि मशीनरी को पूरी तरह से अथवा उसके किसी भाग को परिवर्तित, नवीकरण अथवा आधुनिकीकरण किया जाता है अथवा किसी अन्य उपकरण अथवा संतुलन उपकरण को स्थापित किया जाता है तो इस खण्ड का कोई भी भाग उस पर लागू नहीं होगा। इस सम्बन्ध में हमारा अनुभव और भी अधिक दुर्भाग्यपूर्ण रहा है। कोई भी व्यक्ति यह नहीं जानता कि आधुनिकीकरण के नाम पर किस प्रकार की मशीन लगाई जायेगी और आधुनिकीकरण का क्या परिणाम होगा तथा मशीनों

[श्री सोमनाथ चटर्जी]

की बढ़ी हुई क्षमता तथा उत्पादन क्या होगा ? यदि आधुनिकीकरण किया जाता है तो यह अधिनियम का उल्लंघन करेगा तथा आधुनिकीकरण का परिणाम........

सभापति महोदय : माननीय सदस्य को आंवटित समय पूरा हो गया है। उन्होंने 18 मिनट का समय ले लिया है।

श्री सोमनाथ चटर्जी : स्थिति यही है । हम यह जानते हैं कि आधुनिकीकरण के नाम पर क्या होता है । यदि मैं केवल एक ही उद्धारण पढ़...महोदय क्या इस महत्वपूर्ण विषय पर मुझे भाषण शीघ्र समाप्त करना होगा...आप इस का गहरा अध्ययन करते रहे हैं और आप जानते हैं कि कितना महत्वपूर्ण है।

स्थिति इस प्रकार है। हाल ही में एक बहुत ही महत्वपूर्ण पत्रिका में एक लेख प्रकाशित हुआ है और मुझे उम्मीद है कि मंत्री महोदय इसको पढ़ने के लिए कुछ समय निकालेंगे। निःसंदेह रूप से वे इसे पढ़ेंगे अथवा नहीं मैं नहीं जानता । 5 जून के "दी इकानोमिक एण्ड पालिटीकल वीकली" में एक बहुत ही शिक्षात्मक लेख प्रकाशित हुआ है। मैं मंत्री महोदय से यह अनुरोध करता हूं कि वे इसका अध्ययन करें । उसमें यह बताया गया है कि आधुनिकीकरण के नाम पर तथा उपकरणों को संतुलित करने के नाम पर उत्पादन क्षमता में चौमुखी वृद्धि की जाती है और आधुनिकीकरण के द्वारा तिगुनी वृद्धि की जाती है जो अन्यथा एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार के अन्तर्गत आता है। अब धारा 21 में यह बताया गया है कि यदि आधुनिकीकरण किया जाता है तो उस पर कुछ भी लागू नहीं होगा। अन्यथा यह अधिनियम के अन्तर्गत आना चाहिए । इसी कारण से वे इस अधिनियम के अन्तर्गत नहीं आयेंगे । कोई भी मार्गदर्शी सिद्धान्त नहीं है । कोई भी मार्गदर्शी सिद्धान्त नहीं दिया गया है। सन्तुलन सम्बन्धी उपकरण क्या है—स्पष्टीकरण में इसका अर्थ बताने की चेष्टा की गई है। इस आधुनिकीकरण तथा विस्तार आधुनिकीकरण प्रतिस्थापना नवीकरण का तात्पर्य किसी नई मशीन से हो सकता है जिसका मूल्य असीमित हो । कोई भी नहीं जानता। इससे अतिरिक्त उत्पादन के लिए अत्यधिक प्रोत्साहन मिलता है। चूंकि आप इस प्रणाली के अन्तर्गत कार्य कर रहे हैं, इसलिए आप मुझे अधिक समय नहीं देना चाहते हैं।

अपना भाषण समाप्त करने से पूर्व में केन्द्रीय सरकार द्वारा अनधिकतर रूप से स्वयं केन्द्रीय सरकार को दी शक्ति प्रदान करने पर जोरदार विरोध तथा आपत्ति प्रकट करना चाहता हूं। मेरा तात्पर्य खण्ड 22क से है। खण्ड 22क अब राष्ट्रीय प्राथमिकता, निर्यात तथा एक स्वतन्त्र व्यापार क्षेत्र स्पापित करने के आधार पर कई उद्योगों को पूर्णत: छूट देने की शक्तियां प्रदान करता है। हम निर्यात को ही लेते हैं। आप यह कैसे सुनिश्चित करेंगे कि सारी मात्रा निर्यात की जायेगी ? देश की औद्योगिक नीति में यह व्यवस्था करके कि 60 प्रतिशत का निर्यात किये जाने पर ही क्षमता का विकास तथा उत्पादन बढ़ाने की अनुमति दी जायेगी इस नीति के महत्व को पहले ही कम कर दिया गया है। उत्पादन का 40 प्रतिशत देश के बाजारों में जाता

है। वास्तविक रूप में सारी मात्रा को निर्यात करने के सम्बन्ध में न तो कोई नियंत्रण किया जाता है न ही कोई आश्वासन दिया जाता है और इस ओर ध्यान भी नहीं दिया जाता है। वे लोग इससे बचने का उपाय जानते हैं।

जहां तक मुक्त व्यापार क्षेत्र का सम्बन्ध है—हम इसे अभी विकसित करना है। अनेकों सुविधायें प्रदान की जायेंगी। मैं यह नहीं जानता कि इन लाभों का किस रूप में उपयोग किया जायेगा।

इसके पश्चात् राष्ट्रीय प्राथमिकता के प्रश्न को लेते हैं। अधिनियम की धारा 28 है। स्वयं मंत्री महोदय ने धारा 28 का उल्लेख किया है। यह निश्चित करने के लिये इसमें मार्ग-दर्शी सिद्धान्तों को दिया गया है कि किन मामलों में सरकार मापदण्ड को लागू करेगी अथवा नहीं करेगी। इसके अतिरिक्त खण्ड 22क के अन्तर्गत किसी भी व्यापारिक घराने को छूट देने के लिये आम शक्तियाँ प्राप्त करना चाहते हैं। किसी भी बड़े व्यापारिक घराने अथवा बहुराष्ट्रीय कम्पनी का आप उच्च राष्ट्रीय प्राथमिकता के आधार पर पक्ष ले सकते हैं। किसी भी प्रकार का श्रेयस्कर मार्गदर्शी सिद्धान्त निर्धारित नहीं किया जा रहा है। धारा 22क के अन्तर्गत आप इस शक्ति को ग्रहण कर रहे हैं। हम यह कहते हैं और यह आरोप लगाते हैं कि इसको बहुत जल्दी में लाया गया है जबकि अधिनियम की कार्य प्रणाली की व्यापक रूप से छानबीन की जा रही है और इस ओर भी ध्यान दिया जा रहा है कि अधिनियम के उपबन्धों में क्या-क्या परिवर्तन किये जा सकते हैं।

सच्चर समिति द्वारा एक विस्तृत प्रतिवेदन दिया गया है। आपने उस बात को लिया जिसकी किसी ने सिफारिश नहीं की है। क्योंकि चुनाव से पूर्व यह भ्रष्टाचार के दरवाजे खोल देगा। इसका पुनः इस देश में राजनीतिक उद्देश्यों, राजनीतिक भ्रष्टाचार तथा आर्थिक भ्रष्टाचार के लिए उपयोग किया जायेगा। इस प्रकार वे एक पंथ दो काज करना चाहते हैं अर्थात् आप अन्तराष्ट्रीय मुद्रा कोष और बड़े व्यापारिक घरानों दोनों को खुश रखना चाहते हैं आप उनसे धन लेना चाहते हैं इसी कारण से आप यह शक्ति ग्रहण करना चाहते हैं।

जैसा कि पहले बताया जा चुका है कि 600 से पहले अधिक आवेदन-पत्रों में से केवल 59 को ही आयोग के पास भेजा गया। आयोग लगभग पूरी तरह से निष्प्रभावी बनकर रह गया है। केन्द्रीय सरकार इस शक्ति को अपने हाथ में लेना चाहती है। ताकि आर्थिक शक्तियों के सकेन्द्रण को नियन्त्रित करने के नाम पर वह अपने निजी राजनैतिक उद्देश्यों के लिए इसका उपयोग कर सके। इस विधेयक का वास्तविक उद्देश्य यही है। हम इस विधेयक का विशेष रूप से खण्ड 5 का जोरदार विरोध करते हैं।

सभापति महोदय : श्री भीकूराम जैन।

श्री भीकूराम जैन (चांदनी चौक) : सभापति महोदय, मैं एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम के सम्बन्ध में मन्त्री महोदय द्वारा प्रस्तावित संशोधन का स्वागत करने के लिए खड़ा हुआ हूँ। लेकिन मेरे मित्र इस पर हंसते हैं।

[श्री भीकू राम जैन]

(श्री सोमनाथ चटर्जी पीठासीन हुए)

आपने जो कुछ कहा है, मुझे उसके बारे में कुछ कहने का अधिकार हैं। मैं आशा करता हूँ कि आप मुझको गलत नहीं समझेंगे।

सभापति महोदय : अत्यधिक स्वागत है। जब तक आप कुर्सी पर नहीं आते हैं, तब तक ऐसा करने के लिए आपका स्वागत है।

श्री भीकूराम जैन : मैं केवल यह कहना चाहता हूँ कि आप इस संशोधन के बारे में जो कुछ कह रहे थे वह एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम 1969 के संदर्भ में था। जब वर्ष 1970 में अधिनियम लागू किया गया तब उसमें यह शब्दावली उपयोग में लाई गई थी कि इस अधिनियम के द्वारा यह व्यवस्था की जाएगी कि आर्थिक व्यवस्था के संचालन से आर्थिक शक्ति के सकेन्द्रण का परिणाम सामान्य व्यक्ति का अहित न हो।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : यह संविधान का एक निर्देशात्मक सिद्धान्त है।

श्री भीकूराम जैन : वह भी संविधान में है। लेकिन दुर्भाग्यवश वह केवल उद्योग, व्यापार तथा एकाधिकार घरानों और टाटा तथा बिरला तथा अन्य बड़े घरानों के बारे में ही बोल रहे थे। लेकिन उन्होंने यह नहीं बताया है कि साधारण व्यक्ति के अहित में यह किस प्रकार रहा है।

स्वाधीनता से पहले भारत, बहुत ही साधारण वस्तुओं का भी आयात करता था। हम मात्र आयातकर्ता देश थे और सारे व्यापारी और सौदागर चाहे वे बम्बई, कलकत्ता या दिल्ली के थे, अपने नामपटल पर आयातकर्ता और थोक विक्रेता लिखा करते थे। परन्तु आजादी के बाद पिछले 35 वर्षों में सरकार द्वारा अपनाई गई नीतियों के फलस्वरूप अब यह देश विश्व के औद्योगीकृत देशों में गिना जाता है। अगर मुझे ठीक से याद है तो विश्व के औद्योगिक देशों में हमारा सातवां स्थान है और मेरा विश्वास है कि सरकार की इन नीतियों द्वारा ही हम इस स्थान तक पहुंच सके हैं। श्रीमान्, भारत एक विशाल राष्ट्र है और यह खपत वाला देश है। अब भारत एक निर्यातक देश है। जब तक हम पैदा नहीं करेंगे। हम कभी भी अपनी घरेलू जरुरतों को पूरा नहीं कर पायेंगे और न ही हम अपनी निर्यात की समस्याओं को सुलझा सकेंगे। इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि हमें दो बातों का ध्यान रखना चाहिए। क्या हमने अपनी आवश्यकताओं के अनुसार उत्पादन किया है या हम लगातार मुख्यतः आयात पर ही निर्भर रहे हैं? क्या हमारा आयात बिल पहले जैसा ही है? सभापति महोदय, मेरा यह मत है कि विदेशों से सहयोग प्राप्त करने की हमारी नीति काफी राष्ट्रीय है और हम सबके हित में है। आप कह सकते हैं कि यह टाटा की कम्पनी है या बिरला की कम्पनी है, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि ये कम्पनियां हजारों जन व्यक्तियों की हैं जो इनके अंशधारी हैं। यदि हमने इन कम्पनियों को विस्तार और आधुनिकीकरण के लिए प्रोत्साहन न दिया तो हम एक अग्रणी औद्योगिक राष्ट्र के रूप में अपना स्थान नहीं बना सकेंगे। हम पहले ही काफी पिछड़े हुए हैं। हमने जिन विदेशी राष्ट्रों से सहयोग किया, उन्होंने हमें प्रयोग की हुई (पुरानी) मशीनें बेची क्योंकि हमें इस बारे में कुछ भी जानकारी

नहीं थी, हमें उन्हें खरीदना पड़ा, हमें दबाव में आकर उनके सहयोग-अनुबन्ध को मानना पड़ता था क्योंकि हममें से किसी को भी उत्पादन के बारे में जानकारी नहीं थी।

अब हम यह समझते हैं कि उत्पादन क्या है, आधुनिकीकरण क्या है, अब अगर हम अपने कारखानों का आधुनिकीकरण करना चाहते हैं तो क्या इसे राष्ट्र-हितों के विरुद्ध माना जाएगा या क्या ये हमारे संविधान या अधिनियम में बताए गए सिद्धान्तों के विरुद्ध होगा ?

सभापति महोदय, मै चाहता हूं कि एक मिनट के लिए हम भूल जायें कि देश में 63 या 64 बड़े एकाधिकार घराने हैं और यह सोचें कि देश में करोड़ों लोगों की जरूरत की चीजों की कमी को कैसे पूरा किया जा सकता है ? हम इस बात की शिकायत करते हैं कि देश में अमुक वस्तुएँ उपलब्ध नहीं हैं। इसलिए इनकी कालाबाजारी है और जब तक हम इन समस्याओं का उत्पादन बढ़ाकर समाधान नहीं करेंगे तब तक हम इसी प्रकार दुविधा में रहेंगे।

श्रीमन्, मैं नहीं जानता कि लाइसेंसिंग नीति की कितनी प्रशंसा करूं —आप इसकी खुद ही आलोचना करते रहे हैं—लेकिन बिना इसके हम 35 वर्षों में इतनी प्रगति न कर पाते। इसके साथ मैं यह भी कहना चाहूंगा कि बिड़ला और टाटा और अन्य बड़े घरानों के साथ-साथ लघु उद्योगों ने भी काफी तरक्की की है। देश में हजारों लघु क्षेत्र के निर्माता हैं। ये लोग बड़े निर्माताओं को सहायक सामान उपलब्ध कराते हैं, ताकि वे उपभोक्ता को तैयार सामान उपलब्ध करवा सकें। श्रीमन्, हमें गर्व हैं कि पहले जो सामान हम बाहर से मंगवाते थे। उसका अब हम निर्यात कर रहे हैं, और विदेशों में हमारे सामान की काफी माँग है। ऐसी कौन-सी चीज है जिसकी मांग नहीं है ? लेकिन हम मांग के अनुरूप उत्पाद नहीं कर पा रहे है। अगर हम देश की और विदेशों की मांग के अनुरूप उत्पादन नहीं कर सकते, मैं कहना चाहूँगा कि जो जोश देश में पैदा हुआ है, वह सब व्यर्थ हो जाएगा और हम फिर पिछड़ जायेंगे।

श्रीमन्, देश में काफी संख्या में रूग्ण मिलें हैं। इन रुग्ण मिलों का कारण पैसे की कमी और इनका घाटे में चलना है। क्योंकि एक सीमा है और उससे अधिक यह उत्पादन नहीं कर सकती हैं। मैं समझता हूं कि केवल हमारा ही देश ऐसा है जहां उत्पादन पर प्रतिबन्ध लगा हुआ है। हरेक अन्य देश चाहता है कि ज्यादा से ज्यादा उत्पादन हो लेकिन इस देश में उत्पादन पर प्रतिबन्ध लगा हुआ है, और वह भी आम वस्तुओं के नाम पर।

श्रीमन्, आप सत्ताधारी दल की बात कर रहे थे और यह कह रहे थे कि मन्त्री महोदय यह विधेयक कुछ स्पष्ट कारणों अर्थात् चुनाव और राजनैतिक बातों आदि के कारण लाए हैं। दुर्भाग्यवश, मैंने इस अधिनियम के इरादे के बारे में कुछ नहीं सुना, जो कि आपके मत के अनुसार अभी तक पूरा नहीं किया गया है और जिससे आम लोगों का अहित होता है। इसे कैसे पूरा किया जाएगा ? ऐसा कौन सा प्रस्ताव है जिससे आम लोगों का अहित होगा और इसे इस प्रकार करना चाहिए कि उत्पादन पर बुरा असर न पड़े और इससे आम लोगों का अहित न हो।

श्रीमन्, मैं दिल्ली का प्रतिनिधित्व करता हूँ और दिल्ली में हमारी एक समस्या है। पुरानी दिल्ली या गैर-अमनुरूप क्षेत्र में 75,000 लघु और घरेलू उद्योगों की इकाइयाँ हैं। वे

[श्री भीकू राम जैन]

पिछले 25 वर्षों में ही पनपी हैं और वे इस कदर उत्पादन कर रही हैं कि वे काफी हद तक जनता की जरूरतों को पूरा करती हैं। इसलिए मैं कहना चाहता कि...

एक माननीय सदस्य : इस विधेयक का इससे कोई सम्बन्ध नहीं है।

श्री भीकूराम जैन : इस विधेयक का बड़े उद्योगों अर्थात् करीब 65 बड़े उद्योग घरानों जिन्हें एकाधिकार घराने कहा जाता है, से ही सम्बन्ध है लेकिन फिर यह उत्पादकता का विषय है और इसलिए हमें इसे इसी नजरिए से देखना चाहिए। मेरे ख्याल से एम० आर० टी० पी० अधिनियम के लागू होने के पिछले 12 वर्षों में उद्योग की उन्नति को धक्का लगा है। यह अच्छा होता अगर प्रतिबन्ध न लगाये जाते। मैं इस संशोधनकारी विधेयक में किये गये उपायों की सराहना करता हूँ। इस संसोधनकारी विधेयक से उत्पादनकर्त्ता अपनी वर्तमान क्षमता से 25% अधिक उत्पादन कर सकते हैं और अगर वे अपना सारा माल निर्यात करते हैं तो वे किसी भी सीमा तक अधिक उत्पादन कर सकते हैं। हर कोई इस विधान का स्वागत करेगा।

श्रीमान् इसलिए मेरा सुझाव यह है कि हमें इस समस्या को राजनीतिक दृष्टिकोण से देखने की बजाय उत्पादकता, रोजगार और वित्तीय दृष्टि से देखना चाहिये। मुझे डर है कि अगर हम इसे इस दृष्टि से नहीं देखेंगे तो बात कुछ और ही होगी और इससे विस्तार पर असर पड़ेगा। भारत एक विशाल राष्ट्र है और कामगारों के बल पर औद्योगिक देशों के शिखर पर पहुँच जाएगा। लेकिन मगर उन्हें सही अवसर और प्रोत्साहन नहीं प्रदान करेगी तो मुझे डर है कि मुश्किलें पैदा होंगी। सभी प्रकार की वस्तुओं के नियन्त्रण के लिए एक भारतीय कम्पनी अधिनियम और उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम है और इस एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार (संशोधन) विधयक के जरिए उद्योगों पर और अधिक नियन्त्रण लगाया जा रहा है। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि अगर हम उत्पादन बढ़ाने के लिए उनको और प्रोत्साहन दे सकें तो यह आम जनता के हित में होगा। हमें यह देखना होगा कि कुछ आम जरूरत की वस्तु उन्हें उपलब्ध हों। ज्यादा उत्पादन से उपभोक्ता मूल्य में काफी कमी होगी। इससे उनको अच्छी और भारतीय वस्तु उपलब्ध होंगी।

ये कुछ बातें मैं कहना चाहता हूँ। मैं कहना चाहूँगा कि माननीय मन्त्री द्वारा अब प्रस्तावित संशोधन को सदन द्वारा स्वीकार किया जाए। धन्यवाद।

प्रो० अजीत कुमार मेहता (समस्तीपुर) : सभापति महोदय, एम. आर. टी. पी. एक्ट आर्थिक सत्ता के विकेन्द्रीकरण का एक बहुत बड़ा औजार हो सकता था। एम. आर. टी. पी. एक्ट के तहत बने हुए कमीशन ने अपने प्रशासनिक प्रतिवेदन में जो कुछ कहा है, मैं उसको उद्धृत करता हूँ। इससे पता चलेगा कि वह कमीशन कितना प्रभावशाली है और इस एक्ट की कितनी उपादेयता है। आर्थिक शक्ति के एकीकरण के मामलों की जांच के मामले में, आयोग को बहुत ही कम भूमिका अदा करनी होती है, क्योंकि यह केवल केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रेषित मामलों की ही जांच कर सकता है।

सरकार द्वारा बताई गई स्थिति से, भविष्य में ऐसे मामलों की संख्या और भी बहुत कम हो जायेगी।

मुझे प्रसन्नता है कि मंत्री महोदय या सरकार ने यह समझ लिया है कि एक्ट में त्रुटियाँ हैं। इसी कारण इसके संशोधन की व्यवस्था की गई है। किन्तु यह व्यवस्था खंडों में क्यों की जा रही है। जब सरकार समझती है कि इस बारे में एक काम्प्रिहेंसिव बिल लाने की आवश्यकता है, तो फिर यह संशोधन छोटे-छोटे संशो खण्डों में क्यों किया जा रहा है ?

श्रीमती कृष्णा साही (सराय) : माननीय सदस्य की आवाज सुनाई नहीं दे रही है। वह माइक पर बोलें।

श्री जयपालसिंह कश्यप (आंवला) : इनको देश और पब्लिक की आवाज सुनाई नहीं देती। यहां पर एम० पी० की आवाज सुनाई नहीं देती

प्रो० अजीत कुमार मेहता : "डामिनेंट अंडरटेकिंग" की जो परिभाषा की गई है, उसको और सुदृढ़ करने की आवश्यकता है। नई परिभाषा में उत्पादन को आधार माना गया है। इसमें कहा गया है कि यदि लाइसेंस्ड कैपेसिटी का एक-चौथाई उत्पादन हो, तो वह इस एक्ट के तहत आएगा। वह काफी नहीं है, क्योंकि सरकार अपनी औद्योगिक नीति के अनुसार, जिन कम्पनियां और कार्पोरेशन्ज ने असंवैधानिक तरीके से अपनी लाइसैंस्ड कैपेसिटी से अधिक का इनस्टालेशन कर लिया था, उसको रेगुलराइज करने जा रही है। तो जो लाइसैंस्ड कैपेसिटी का एक-चौथाई हिस्सा उत्पादन होगा, उसके अनुसार परिभाषा करना किसी प्रकार उचित नहीं है।

अगर केन्द्रीय सरकार की इच्छा हुई तो किसी उपक्रम के विस्तार अथवा बड़े घराने के द्वारा किसी नये उपक्रम को स्थापित करने के आवेदन को कमीशन के पास रेफरेंस के लिए भेजने का प्रावधान है। इस प्रावधान के कारण ही इस एक्ट की सारी उपादेयता समाप्त हो जाती है और आयोग केवल सिफारिशी आयोग में परिवर्तित हो जाता है। अतः सुझाव है कि इस प्रकार के सभी आवेदनों को स्वतः अनिवार्य रूप से आयोग के पास भेजने की व्यवस्था होनी चाहिए। यदि ऐसा संशोधन आपका होता तो व्यापक रूप से उसका स्वागत किया जा सकता था।

आयोग पर आर्थिक सत्ता केन्द्रीयकरण रोकने में असफल होने तथा इण्डस्ट्रिल ग्रोथ को रोकने का आरोप लगाया गया है। इसको दूर करने के लिए कुछ एसे प्रावधान करने चाहिए थे और जो एन्टरप्रिन्योर (आवेदक) हैं उन्हें अधिकार दिया जाना चाहिए था कि वे अगर यह पावें कि वेस्टेड इन्ट्रेस्ट यानी बड़े घराने या एकाधिकार वाली जो कम्पनियां हैं, वह नौकरशाही को मैनिपुलेट करके उनके रास्ते में रोड़ा अटका कर उन्हें निरुत्साहित कर रही है तो सीधे आयोग के पास अपना निवेदन कर दें और आयोग निष्पक्ष रूप से जाँच-पड़ताल करके अपनी सिफारिश दे। अभी जो प्रावधान है उसमें आयोग को केवल एक सिफारिशी संस्था के रूप में परिणत कर दिया गया है। यदि आप पिछले रिकार्ड को देखें तो पता चल जायेगा कि आयोग के पास बहुत कम कम्पनियों को रेफर किया गया है और इसमें बहुत कम काम हुआ है जबकि वहाँ पर कम से कम समय में अधिक से अधिक केसेज का निपटारा होना चाहिए था।

[श्री अजीत कुमार मेहता]

इसके अतिरिक्त 22-ए में जो प्रावधान किया गया है :

22. क (1) केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, यह निदेश दे सकेगी कि ऐसे निबंधनों और शर्तों के अधीन रहते हुए जो अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जायें, धारा 21 या 22 के सभी या कोई उपबंध किसी ऐसी प्रस्थापना को लागू नहीं होंगे।" परन्तु किसी उद्योग या सेवा को इस प्रकार तब तक विनिर्दिष्ट नहीं किया जायेगा, जब तक केन्द्रीय सरकार का सभी सुसंगत तथ्यों को ध्यान में रखते हुए यह समाधान नहीं हो जाता है कि वह उच्च राष्ट्रीय प्राथमिकता की है;" सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट ने जो सारे अधिकार स्वयं ही अधिगृहीत कर लिए हैं उसके उपरान्त इस आयोग की आवश्यकता ही क्या रह जाती है? केवल जांच करने और जांच करके अपनी सिफारिश देने के लिए? इस आधार पर मैं खास तौर से इस प्रावधान का विरोध करता हूँ वैसे तो पूरा संशोधन विधेयक ही स्वागत-योग्य नहीं है। जब आप कांप्रिहेंसिव बिल लाने की बात करते हैं तब आपको कांप्रिहेंसिव बिल यहाँ पर लाना चाहिए।

इन शब्दों के साथ ही मैं अपना वक्तव्य समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।

श्री चिन्तामणि पाणिग्रही (भुवनेश्वर) : सभापति महोदय, जहाँ तक सदन के इस पक्ष का सम्बन्ध है। हम हमेशा अपनी अर्थव्यवस्था की वास्तविक स्थिति और उज्जवल पक्ष को ही देखते हैं न कि अन्धकार पूर्ण पक्ष को।

श्रीमन्, यह बहुत खुशी की बात है कि मंत्रि महोदय ने सभा में इस संशोधनकारी विधेयक को पेश करते समय उन्होंने जोरदार शब्दों में हमारे दल और हमारी सरकार के इस वचन को दोहराया है कि देश की आर्थिक शक्ति कुछेक हाथों में, एकाधिकार घरानों के हाथों में नहीं रखनी चाहिए।

श्रीमन्, इस एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक अधिनियम की एक काफी लम्बी पृष्ठभूमि है। कांग्रेस दल ने 1965 से 1975 के बीच एक साहसी लड़ाई लड़ी थी, जिसे सारा राष्ट्र जानता है। कांग्रेस जनों को 1971 के उन दिनों से प्रेरणा लेनी चाहिए जब सदन में यह एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार आयोग विधेयक पेश किया गया था।

हम इस शानदार भूत को नहीं भुला सकते।

इतिहास और अर्थशास्त्र के छात्र की हैसियत से, मैं कई बार यह नहीं समझ सकता कि हमारे प्रगतिवादी-दिमाग वाले लोग और हमारे देश के वाम पंथी जो हमेशा ही यह सोचते हैं, कि वे देश की प्रगति की बात सोचते हैं, यह हमेशा क्यों सोचते रहते हैं कि हम हर बात अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के निदेशों पर ही करते हैं। हमारा एक स्वतन्त्र देश है और एक प्रभुत्व-सम्पन्न राष्ट्र है और यह सदन हमारे देश की एक प्रभुत्व सम्पन्न संस्था है। अगर हम यह कहें कि कोष के निदेशों के कारण ही सुबह 11 बजे से सायं 6 बजे तक सब कुछ करते हैं तो यह एक प्रभुत्व-सम्पन्न राष्ट्र और प्रभुत्व-सम्पन्न देश के नागरिकों के लिए ठीक

न होगा। हम यह अच्छी तरह जानते हैं कि चीन जैसे देश भी अपने राष्ट्र के निर्माण के लिए कोष से सहायता प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं। चीन कोई दक्षिण पंथी राष्ट्र नहीं है। यह वामपंथी है। इसलिए, हमें हमेशा इसके बारे में चिंतित नहीं रहना चाहिए।

इसमें कोई शक नहीं है कि हमें अपने देश में इस समय आधुनिकीकरण की अविलम्ब आवश्यकता है और जिस प्रकार हमारा व्यापार घाटा बढ़ता जा रहा है उसको देखते हुए हमें अपने निर्यात और उत्पादकता को बढ़ाने के तत्काल कदम उठाने होंगे, क्योंकि इस समय हमारा व्यापार घाटा 5,000 करोड़ रुपये से भी अधिक का है। हम इसकी पूर्ति करना चाहते हैं। हमें अपनी राष्ट्रीय प्राथमिकताओं को भी तय करना होगा और इस पृष्ठभूमि में यह छोटा सा संशोधनकारी विधेयक उपयुक्त समय पर लाया गया है जो कि सही दिशा में उठाया गया कदम है।

मगर में माननीय से एक बात का और निवेदन करना चाहूंगा। एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम से संशोधन करने के लिए एक व्यापक विधेयक लाने का प्रस्ताव था, शायद लगभग 600 संशोधन प्रस्तुत किये गये थे। मुझे नहीं पता कि केवल तीन चार संशोधनों वाला ही यह विधेयक क्यों लाया गया है। परन्तु में आशा करता हूँ कि आगामी कुछ ही महीनों में एक व्यापक विधेयक लाया जायेगा और जो उद्देश्य हम प्राप्त करना चाहते हैं वे सभी प्राप्त कर लिये जायेंगे।

इस विधेयक की दूसरी अच्छी विशेषता प्रधान उपक्रमों की परिभाषा का संशोधन है इससे प्रधान कम्पनियों की सूची में कुछ और कम्पनियाँ आ जायेंगी। फिलहाल ऐसे उपक्रमों की संख्या 90 है क्योंकि प्रधानता की परिभाषा के एक-तिहाई से एक-चौथाई के प्रस्तावित संशोधन के कारण तीस से चालीस तक और कम्पनियाँ प्रधान कम्पनियों के अन्तर्गत आ जायेंगी।

फिलहाल एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम की धारा 22 के प्रावधानों के अन्तर्गत प्रधान कम्पनियों को केन्द्र के पुर्वानुमोदन के बिना नये उत्पादनों के लिए नये उपक्रमों की स्थापना की अनुमति है। मगर धारा 22 के प्रस्तावित संशोधन से अधिष्ठायी कम्पनियों को भी केन्द्र की स्वीकृति लेनी पड़ेगी। ऐसी स्थिति में हम यह सोच सकते हैं कि उनको अनुमति दी जाये या नहीं और किस क्षेत्र में हम विस्तार कर सकते हैं और किस में नहीं। इससे हमें काफी सहायता मिलेगी।

जहाँ तक निर्यातोन्मुख उद्योगों का सम्बन्ध है, मुझे नही मालूम कि माननीय मंत्री ने कहाँ तक सूचना प्राप्त करने का प्रयत्न किया है, परन्तु मेरे पास इनके बारे में अपनी सूचना है। शत प्रतिशत निर्यातोन्मुख उद्योग स्थापित करने की योजना 1980 में शुरू की गयी थी और 110 इकाई स्थापित की जाती थीं परन्तु इन दो वर्षों में अब तक केवल दो इकाइयाँ ही स्थापित की गयी हैं और हानि की प्रतिपूर्ति के लिए हम जो नकद-प्रतिपूर्ति भत्ता दे रहे हैं उससे भारी व्यापार घाटा होता रहा है। अब राष्ट्रीय प्राथमिकता वाले तथा शत प्रतिशत निर्यातोन्मुख उद्योगों को अपना उत्पादन बढ़ाने की छूट मिलेगी। ये संशोधन स्वागत योग्य हैं।

[श्री चिन्तामणी पाणिग्राही]

जैसा कि मैंने आरम्भ में कहा है, हमारी पार्टी कुछ प्रगतिवादी विचारों के प्रति वचनबद्ध है और हम हमेशा हर बात को उसी दृष्टि से देखते हैं। सभापति महोदय मैं खुश हूँ कि आपने एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार आयोग की रिपोर्ट से पढ़ा कि आयोग को कुछ आवेदन कैसे मिले। इन सब बातों की पुनरीक्षा की जा रही है, ध्यान दिया जा रहा है और जांच की जा रही है। संविधान के अनुच्छेद 39 (ख) में निहित राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों द्वारा राज्यों को यह सुनिश्चित करने का आदेश दिया गया है कि समुदाय के भौतिक संसाधनों के स्वामित्व और नियन्त्रण का वितरण इस प्रकार किया जाये जिससे सर्वोत्तम ढंग से सब लोगों का भला हो। इससे आगे निर्देश दिया गया है कि आर्थिक व्यवस्था इस प्रकार चलाई जाये कि जिससे कि धन और उत्पादन के साधनों का कुछ लोगों के हाथों में केन्द्रीयकरण न हो जाये जिससे सर्वसाधारण का अहित हो।

श्री मूल चन्द डागा (पाली) : इससे क्या उपलब्धि हुई है ?

श्री चिन्तामणि पाणिग्रही (भुवनेश्वर) : उनके कहने और हमारे कहने में बड़ा अन्तर है। मैं निष्पक्ष भाव से बोल रहा हूँ और आप व्यक्तिपरकता के भाव से बोल रहे हैं। इसलिए मैं माननीय मंत्री से निवेदन करूंगा कि कि इन बातों पर पूर्ण रूप से ध्यान दिया जाये।

मैं अपनी बात को स्पष्ट करने के लिए 1979 तथा 1980 के दौरान ऐसे औद्योगिक गृहों की परिसम्पत्तियों का विवरण नीचे दे रहा हूँ—

नाम	1979 में परिसम्पत्तियाँ	1980 में परिसम्पत्तियाँ
टाटा	1309 करोड़	1538 करोड़
बिरला	1309 करोड़	1431 करोड़
मफतलाल	371 करोड़	427 करोड़
जे० के० सिहांनिया	352.53 करोड़	412 करोड़
थापड़	291.01 करोड़	348.06 करोड़
आई० सी० आई०	235.55 करोड़	343.01 करोड़
सारा भाई	249.52 करोड़	317.94 करोड़
ए० सी० सी०	211.96 करोड़	274.51 करोड़
बंगूर	244.20 करोड़	264.33 करोड़
श्री राम	208.65 करोड़	241.00 करोड़

1969 में 20 बड़े औद्योगिक गृहों की परिसम्पत्तियाँ 2,430.61 करोड़ रु० की थी। 1975 में यह बढ़कर 4465.17 करोड़ रु० की हो गयीं और 1980 में 10 बड़े औद्योगिक गृहों की परिसम्पत्तियाँ 5596.85 करोड़ रु० हो गयीं। दूसरे 10 गृहों को इसमें सम्मिलित नहीं किया गया।

विभिन्न औद्योगिक गृहों के उपक्रमों की कुल संख्या निम्न प्रकार है :

टाटा	—	40 उपक्रम
बिरला	—	62
मफत लाल	—	24
जे० के० सिहानियाँ	—	32
थापर	—	31
सारा भाई	—	13
बंगूर	—	45
ए० सी० सी०	—	5
आई० सी० आई०	—	7
श्री राम	—	13

इसकी कोई सीमा नहीं है। एक बार काम शुरू करने पर वे बढ़ते जाते हैं। इसकी कोई सीमा नहीं।

हमने अपने चुनाव घोषणा-पत्र में एक वचन दिया है कि हमने एकाधिकार गृहों की शक्ति को कम करने का निश्चय कर लिया है और मुझे पूरा निश्चय है कि हमारी सरकार ऐसा करने के लिए पूरी तरह से कटिबद्ध है और हमारी पार्टी उन आदर्शों को पूरा करती है जिनका हमें पालन करना है।

इसलिए इस निष्पक्ष शर्तों तथा लोगों को दिए गए वचनों को ध्यान में रखते हुए मैं इस संशोधनकारी विधेयक का स्वागत करता हूँ और साथ ही साथ माननीय मंत्री से निवेदन करता हूँ कि वह अपने वायदे के अनुसार एक व्यापक विधेयक लायें ताकि कुछ बड़े औद्योगिक गृहों के हाथों में वित्तीय शक्ति के केन्द्रीयकरण को रोकने के हमारे मुख्य उद्देश्य को प्राप्त किया जा सके और अधिक से अधिक धन सामान्य लोगों के हाथों में जा सके।

महोदय आपको मालूम है कि हमारा पूरा कार्यक्रम लोगों को गरीबी की रेखा से ऊपर उठाना है और हमने लाखों लोगों की आर्थिक रूप से सहायता की है।

हमने बैंकों का राष्ट्रीयकरण क्यों किया है ? यह इसलिए क्योंकि हम चाहते थे कि धन गाँवों में गरीब लोगों के पास जाना चाहिए। यही हमारा वचन तथा उद्देश्य है।

इसलिए माननीय मन्त्री द्वारा प्रस्तुत किए गए विधेयक को पूर्ण रूप से समर्थन करने के साथ-साथ मैं माननीय मन्त्री से निवेदन करूँगा कि वे उन विषयनिष्ठ शर्तों पर ध्यान दें ताकि हम अपने उन आदर्शों के प्रति जिनका हमने 1971 से लेकर पालन किया है, सच्चे रह सकें और हम उस भावना को जारी रख सकें जो वास्तव में देश की सभी उचित तथा प्रगतिवादी शक्तियों

[श्री चिन्तामणि पाणिग्रही]

को एक जगह जोड़ सकें, ताकि हम प्रतिक्रियावादी शक्तियों का मुकाबला कर सकें और उनसे लड़ सकें और जो भी लड़ाई वे हमारे विरुद्ध लड़ें उनमें उन सबको पराजित कर सकें।

श्रीमती गीता मुखर्जी (पंसकुटा) : विधेयक पर चर्चा करने से पहले मैं अपने आपको तथा सभा के माननीय सदस्यों को ए० आई० सी० सी० की आर्थिक कार्यक्रम समिति की रिपोर्ट के बारे में याद दिलाना चाहूंगी जो जनवरी 1948 में प्रकाशित हुई थी। उस समिति की अध्यक्षता नेहरू जी द्वारा की गई थी। माननीय रंगाजी भी उसमें थे। उनको याद होगा कि इसमें सभी मुख्य उद्योगों, जिनमें बैंकिंग तथा बीमा भी सम्मिलित हैं, के राष्ट्रीयकरण की सिफारिश की गयी थी। उस समिति ने एकाधिकारियों की परिभाषा ऐसे उद्योगों के रूप में की थी जो एक से अधिक राज्यों में चल रहे हों। उसने यह भी सिफारिश की थी कि यह राष्ट्रीयकरण अगले पांच वर्षों के अन्दर-अन्दर कर दिया जाना चाहिए।

अतः मुझे पूरा निश्चय है कि जो व्यक्ति उस समिति में थे और जो कांग्रेस की शपथ लेते हैं वे सभी इस दुर्भाग्यशाली संकल्प के बारे में पूर्ण रूप से भूल गए हैं। यदि मैं उनको इस बात की याद दिलाऊंगी तो मुझसे यह कहा जायेगा कि साम्यवादी हर वस्तु के राष्ट्रीयकरण की बात करते हैं। कुछ भी हो आज मैं उनको उसकी याद दिलाना चाहूंगी।

मैं इस बात पर क्यों गयी? यह इसलिए क्योंकि हमारे विधान में बहुत सी बातें लिखी हो सकती हैं। परन्तु हलवे का स्वाद तो खाने में होता है अर्थात् देखना यह होता है कि किसी विधान को किस प्रकार कार्यान्वित किया जाता है। यह सबसे महत्वपूर्ण बात है।

मेरा समय बहुत ही सीमित है। मैं दोबारा एकाधिकार गृहों की सम्पत्तियों में हुई भारी वृद्धि को नहीं दोहराऊँगी, न केवल एकाधिकार गृहों की बल्कि गैर-एकाधिकार बड़े व्यापारिक गृहों की भी जो कि तथाकथित एम० आर० टी० पी० अधिनियम के अन्तर्गत नहीं आते, परन्तु सभी व्यवहारिक उद्देश्यों के लिए एकाधिकार गृह हैं। यह सब महोदय आपने तथा चिन्तामणि पाणिग्रही ने पहले ही कह दिया है।

श्री चिन्तामणि पाणिग्रही अपनी जबान से इस सरकार की नीतियों का समर्थन करते हैं उनके भाषण का पहला आधा भाग वास्तव में मनोरंजन का ही था केवल पिछले भाग में ही उन्होंने बातें प्रस्तुत की हैं। इसलिए मुझे उनको दोहराने की आवश्यकता नहीं है।

श्री चिन्तामणि पाणिग्रही : आपको सारा भाषण पढ़ना चाहिए इसका एक हिस्सा नहीं।

श्रीमती गीता मुखर्जी : परन्तु हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि एकाधिकार तथा उच्च गृहों की परिसम्पत्तियों में भारी वृद्धि हुई है।

अब मैं विशिष्ट अधिनियम अर्थात् एकाधिकार एवं अवरोधक व्यपारिक व्यावहार अधिनियम तथा सम्बन्धित अधिनियम अर्थात् उद्योग (अनुशासन एवं विनियमन्) अधिनियम पर आती हूं। स्पष्ट शब्दों में, आप सभी ने इस विधेयक विशेष के बारे में इस बात की ओर ध्यान दिलाया है

कि एक व्यापक विधेयक से पहले इसको क्यों लाया गया। मैं समझती हूँ कि एक और तो यह कार्यनिष्पादन को गति देने तथा दूसरी ओर जो कुछ वे भविष्य में करेंगे उसको स्पष्ट करने तथा उस पर स्वीकृति लेने के लिए किया है। दोनों एक ही में निहित हैं। श्री पाणिग्रही सभी चीजें एक ही में निहित देखी जा सकती हैं और वैसे ही आपके पोइन्ट। आपका पहले भाग तथा अन्तिम भाग में बहुत अधिक अन्तर है।

परन्तु इस पर जाने से पहले मैं कहना चाहूँगी कि सम्पूर्ण एकाधिकार एवं अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम को सरकारी रूप से समाप्त करना बेहतर है, क्योंकि सभी प्रकार से देखा जाये तो यह नहीं के बराबर है। बल्कि यह कहा जाना चाहिए कि इसको कभी कार्यरूप ही नहीं दिया गया। आप देखिए लाइसैन्स देने की नीति को कैसे लागू किया गया है। मेरे पास लाइसैन्स देने की नीति की सभी अवस्थाओं पर जाने का समय नहीं—इसको किस प्रकार से निष्प्रभावी किया गया और क्या किया गया। मैं श्री तिवारी के अन्तिम अधिनियम अर्थात् 22 अप्रैल को सभा में उनके द्वारा दिये गये वक्तव्य का हवाला दूँगी। जैसा कि उद्योगपतियों ने कहा, मंत्री ने वास्तविकता पर ध्यान दिया है, अर्थात् उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि व्यवहारिक रूप से सारी अधिक क्षमता की अनुमति दे दी जायेगी, और इसके अलावा स्वत: ही 25% क्षमता होगी। फिर 25% अधिक क्षमता और होगी। यह अन्य वस्तुओं के लिए होगी जैसे उपस्कर आदि। और इस सबके ऊपर जो पहले से उत्पन्न की जा रही है वह अधिक्षमता और 33% अधिक्षमता और।

श्री परांजपे से लेकर श्री गोयल तक कुछ प्रसिद्ध अर्थशास्त्रियों ने, जिनका उन्होंने सन्दर्भ दिया है, गणना की है कि इस प्रकार से उनमें से प्रत्येक, जिसने क्षमता की सीमाओं का उल्लंघन किया है, अब वर्तमान नियमों के अन्तर्गत वैधानिक रूप से अपनी लाइसैन्स क्षमता से 200% और कुछ कहते हैं कि 400% तक अधिक उत्पादन कर सकेंगे। क्या स्थिति है ? आप 30 जून 1982 के 'इण्डियन टुडे' के पृष्ठ 115 को देखिये, इसमें क्या लिखा है :

> "हिन्दुस्तान लीवर की अनुज्ञप्त क्षमता 70,018 टन साबुन की है, परन्तु उसने 1,62,278 टन का उत्पादन किया है। इसी प्रकार जे० एल० मोरीसन्स की मेडिकेटेड टूथपेस्ट की अनुज्ञप्त क्षमता 31,250 कि० ग्रा० की है परन्तु उत्पादन 67,196 कि० ग्रा० हुआ है।"

अब ये लघु उद्योग क्षेत्र की वस्तुएं हैं—साबुन और मेडिकेटेड टूथ पेस्ट। परन्तु क्या पिछले तीस वर्षों में आपने कभी किसी को दण्ड दिया है ? क्षमता से अधिक उत्पादन के लिए एक मामले में भी मुकदमा नहीं चलाया गया। अब उन्होंने इसको विनियमित कर दिया। कैसी बढ़िया बात है ? आपकी सम्पूर्ण लाइसेंसिंग प्रणाली का मजाक बन गया है।

अब, इन परिस्थितियों में, जो विधेयक आप पेश कर रहे हैं, उसके बारे में आपने कहा है कि हमने संच्चर समिति की सिफारिशों को ध्यान में रखा है और यही कारण है हमने इसे एक-तिहाई की अपेक्षा एक-चौथाई कर दिया है। हम कितने प्रगतिशील हैं आदि।" इस एक-चौथाई

[श्रीमती गीता मुखर्जी]

के बारे में भी, सच्चर समिति ने अन्य सिफारिशें की थीं, जिन पर तनिक भी विचार नहीं किया गया है। ऐसा भूल से नहीं हुआ है, यह इरादतन किया गया है। आप देखें कि सच्चर समिति ने पैराग्राफ 19.4 से 19.7 में क्या सिफारिशें की हैं। इसमें अन्य कई कमियों की ओर भी ध्यान दिलाया गया, उदाहरण के लिएआप आंकड़े कैसे एकत्र करते हैं ? उत्पादन कौन कर रहा है और किस वस्तु का उत्पादन किया जा रहा है आदि ? इसमें इस प्रकार कहा गया है—

"कम्पनी कार्य विभाग, जो एम० आर० टी० पी० अधिनियम लागू करता है, के पास इन कम्पनियों द्वारा उत्पादित वस्तुओं से सम्बन्धित आंकड़े अथवा इन कम्पनियों द्वारा दी जाने वाली सेवाओं को एकत्र करने, उन्हें ठीक रखने से और उसके प्रकाशन के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। इसकी बजाय यह डी० जी० टी० डी० जैसे अन्य विभागों और एजेंसियों पर निर्भर करता है...।"

में सच कह रही हूँ, इनके पास विश्वसनीय आंकड़े नहीं हैं। आप किस आधार पर आगे कार्य कर रहे हैं ? क्या आपने इस सम्बन्ध में सच्चर समिति द्वारा की गई सभी सिफारिशों को लागू किया है ? क्या आप आंकड़ों में वृद्धि करने और उन्हें वास्तविक बनाने के लिए किसी क्रिया विधि का पता लगा रहे हैं ? नहीं। सच्चर समिति ने एक अन्य सिफारिश और की है जिससे यह कहा गया है :

"एम. आर. टी. पी. की परिभाषा के अन्तर्गत वे पूंजीनिवेश कम्पनियाँ जो स्टाकों तथा शेयरों सम्बन्धी कार्य में और खनन कार्य, अथवा मछली और पशु उत्पादों के परिष्करण सम्बन्धी कार्य में लगी हुई हैं वे इस परिभाषा के अन्तर्गत नहीं आतीं।"

सच्चर समिति चाहती थी कि उन वस्तुओं को भी परिभाषा में शामिल किया जाए उन्हें इस परिभाषा के अन्तर्गत क्यों नहीं रखा गया है ? यह भी सच्चर समिति की सिफारिश है ? आप उस बारे में चुप हैं। एम. आर. टी. पी. और आई. डी. आर. ए. अधिनियमों को मजाक बना दिया गया है।

अंतिम खंड स्वविवेक सम्बन्धी शक्तियों के बारे में है।

विधेयक का सारा उद्देश्य कार्यपालिका के हाथों से स्वविवेक की शक्ति को छीनना है। उन्हें जो भी रियायतें दी गई हैं, उनसे वे सन्तुष्ट नहीं हैं, और अभी भी और माँगें कर रहे हैं। और भी अधिक की आवश्यकता होगी ताकि किसी और कानून को लाये बिना एक आदेश में यह किया जा सके। जैसा कि आपने स्वयं कहा है, एकाधिकारवादी कम्पनियों को मापने और सन्तुलित करने का काम आयोग को नहीं सौंपा गया है और पहली सरकार ने यह किया है।

मुझे अन्तिम बात यह कहनी है कि आयोग की यदि कुछ प्रतिष्ठा थी तो वह अब उसे खो चुका है। आयोग की बैठक में सारे निर्धारित सदस्य कभी भी भाग नहीं लेते; कभी दो सदस्य होते हैं, कभी एक, कभी वहाँ कुल सदस्य संख्या आधे से भी कम सदस्य होते हैं। आयोग के प्रति यह सब अपनाया गया था। पहले के किसी अध्यक्ष ने कुछ अधिक शक्तियाँ चाहीं। लेकिन सरकार ने जो वर्तमान अध्यक्ष चुना है वह पूरी तरह सरकार के कहे अनुसार कार्य करने के लिए

तैयार है। वर्तमान अध्यक्ष, न्यायाधीश मधुसूदन ने कहा, "एम. आर. टी. पी. अधिनियम के द्वारा ज्यादा शक्तियाँ क्यों दी जानी चाहिए ? मैं किसी को कष्ट पहुँचाना नहीं चाहता।" आप सख्ती किए बिना एकाधिकार पर पाबंदी कैसे कर सकते हैं ? यह वास्तव में ही एक अहिंसात्मक तरीका है, जिसे धरती पर कोई भी नहीं निभा सकता, और यदि आप सोचते हैं कि आप इसे निभा रहे हैं, तो यह आपकी मूर्खता है। मैं दूसरे पक्ष के सज्जन को बता देना चाहती हूँ मैं मूर्ख नहीं हूँ। वे अच्छी तरह जानते हैं कि वे क्या कर रहे हैं। वे राज्य को नीति निर्देशक सिद्धान्तों में बताए गए सभी सिद्धान्तों को तोड़ना चाहते हैं, और इस प्रस्ताव के मूल में यही बात है। अतः हम इस प्रस्ताव का पूर्णरूपेण विरोध करते हैं।

श्री वाई० एस० महाजन (जलगाँव) : सभापति महोदय, एम० आर० टी० पी० अधिनियम, केवल एकाधिकारियों को ही नहीं बल्कि प्रधान उद्यमियों के विनियमन और नियंत्रण के लिए तथा अवरोधक व्यापार प्रक्रियाओं को बचाने के लिए भी, हमारे कानून का एक महत्त्व टाइम पूर्ण अंग है। यह 12 वर्षों से भी अधिक समय से लागू है और सच्चर समिति ने इसके कार्यकाल की व्यापक समीक्षा की है। इस समिति ने अपनी विस्तृत रिपोर्ट में इसे सख्ती से लागू करने तथा इसके प्रशासन को सरल और कारगर बनाने के लिए कुछ सिफारिशें की हैं। इन सिफारिशों का पूरा अध्ययन किये बिना सरकार कुछ सुझाव लेकर यह विधेयक लाई है।

इस विधेयक के उद्देश्य बहुत सीमित प्रतीत होते हैं, जैसे, निर्यात में वृद्धि हो, यह सुनिश्चित करना कि इस उत्पादकता वर्ष में उत्पादन में वृद्धि हो, और यह कि कुछ सामाजिक-आर्थिक उद्देश्य पूरे किये जायें। ऐसा लगता है कि विधेयक का संबंध केवल कुछ शब्दों और परिभाषा से ही है। पर वास्तव में बात ऐसी नहीं है। इसका बहुत दूरगामी प्रभाव और परिणाम होंगे। यह आवश्यक नहीं कि मैं इस विधेयक के उपबंधों का विस्तृत विवेचन करूँ। वे थोड़े से हैं और स्पष्ट हैं। लेकिन प्रधानता निर्धारण के लिए अनुज्ञप्त क्षमता को मापदंड मानने के बारे में कुछ गलत फहमी हो गई है। इस विचार को इस प्रयोजन के लिए प्रयुक्त करने में कुछ कठिनाइयाँ हैं, क्योंकि अनुज्ञप्त क्षमता कभी-कभी प्रत्याशित तरीके से कार्यान्वित नहीं होती, और उसमें कुछ विलम्ब हो सकते हैं, जो अपरिहार्य हों। इसका परिणाम यह हुआ है कि अनेक उद्यमों ने अपनी क्षमता को वास्तविक क्षमता में परिवर्तित नहीं किया है। यदि बहुत सी कम्पनियों की यही स्थिति है तो केवल कुछ उपक्रम ही उद्योग में प्रधान रह सकते हैं।

प्रधानता का निर्धारण करने के लिये अनुज्ञप्त क्षमता को मानदंड बनाने तथा अधिष्ठापित क्षमता को आधार बनाने के जो उद्देश्य से जो उपबन्ध किया गया है वह एकदम उलटा है, इसमें व्यवस्था की जा रही है कि एकाधिकार के उद्भव को रोका जाये अर्थात उत्पादन का संकेन्द्रण कुछ ही लोगों के पास न हो, कुछ ऐसे उत्पादकों के हाथ में हो, जो एक साथ आगे बढ़ सकें, उत्पादन को नियमित कर सकें और अपने लाभ के लिए मूल्यों को प्रभावित कर सकें। इस बात को आम तौर पर लोग जानते हैं और ऐसा अनुभव है कि लाइसेंसों का प्रायः समय पर उपयोग नहीं किया जाता, जानबूझ कर देरी की जाती है और उन्हें उत्पादन

[श्री वाई० एस० महाजन]

क्षमता को पहले ही से अधिकृत करने के लिए प्राप्त किया जाता है। यह हमारे योजना के लक्ष्यों को प्राप्त करने में बाधा पड़ती है अर्थात् यह बढ़ते हुए उत्पादन के निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति में रुकावट डालती है।

इस प्रकार की स्थिति को रोकने के लिये ही यह संशोधनकारी विधेयक लाया गया है। यह उत्पादकों पर दबाव डालेगा कि वे अपने लाइसेंसों का तेजो से उपयोग करें और उत्पादन क्षमता बढ़ायें, न कि क्षमता को पहले से अधिकृत करने के लिए उसका दुरुपयोग करें और योजना के उद्देश्यों को पूरा न होने दें।

औद्योगीकरण के विस्तार और विकास होने तथा नई तकनीकों के अपनाने से, कम्पनियां आकार में और अधिक बड़ी होती जा रही हैं। आज किसी उद्योग को किसी कम्पनी का न्यूनतम लाभकारी आकार भी आज से दस या बीस वर्ष पहले से काफी बड़ा है। उदाहरण के लिए एक समय था, जबकि प्रतिदिन 10 टन उत्पादन को कागज उद्योग में लाभकारी समझा जाता था। आज कोई भी कागज कारखाना लाभकारी नहीं हो सकता यदि उसका उत्पादन प्रति दिन कम से कम 100 टन न हो। प्रौद्योगिकी में इतना भारी परिवर्तन हुआ है। अधिकतर उद्योगों में ऐसा हुआ है। अत: जहां प्रधानता के निर्धारण का आधार कुल उत्पादन का अनुपात है, वहां यह आवश्यक है कि उस अनुपात को कम किया जाए, जैसा कि सरकार ने किसी भी किस्म की सभी वस्तुओं का अनुपात एक तिहाई से एक चौथाई कर दिया है, जिनका उत्पादन किया जाता है, जो बाहर भेजी जाती हैं अथवा भारत में या उसके किसी महत्वपूर्ण भाग में किसी उपक्रम द्वारा अथवा अन्त:-संबंधी इकाइयों से जुड़े उपक्रमों द्वारा वितरित की जाती हैं।

इससे बहुत से उपक्रम एम० आर० टी० पी० अधिनियम के अधिकारक्षेत्र में आ जायेंगे और इससे अधिक विनियमन और नियंत्रण किया जा सकेगा, जो समाज के हित में होगा। अनुपात का कम किया जाना न्यूनतम लाभकारी आकार की इकाइयों की स्थापना के मार्ग में बाधक नहीं बनने दिया जाना चाहिए, क्योंकि केवल तब ही आधुनिक प्रौद्योगिकी और आकार अनुपात का पूरा लाभ उठाना संभव होगा। इस संबंध में, यह कहा जाता है कि डी० जी० टी० डी० द्वारा न्यूनतम लाभकारी आकार इकाइयों सम्बन्धी जो आंकड़े एकत्रित किए गए हैं वे पुराने और त्रुटिपूर्ण हैं। लेकिन मुझे विश्वास है यदि आवश्यक हुआ तो इन्हें आसानी से ठीक किया जा सकता है।

धारा 21 की उपधारा 2 के संशोधन में पर्याप्त विस्तार का निरूपण यह किया गया है कि जो उपक्रम उद्योग अधिनियम के अधिकार क्षेत्र में आते हैं और जिनके पास किसी भी किस्म की वस्तुओं के उत्पादन की अनुज्ञप्त क्षमता है, उनकी अनुज्ञप्त क्षमता में 25 प्रतिशत से अन्यून की वृद्धि हो जाए। अन्य उपक्रमों के मामले में इसकी व्याख्या, उत्पादन, आपूर्ति विपणन अथवा वस्तुओं या सेवाओं के वितरण या उसकी परिसंपत्तियों के मूल्य बढ़ने के सम्बन्ध में की गई है। मुझे आशा है परिसंपत्तियों का अर्थ यहाँ उत्पादनकारी परिसंपत्तियों से लिया गया है। इतने

अधिक विस्तार के लिए केन्द्रीय सरकार के अनुमोदन अर्थात् एम० आर० टी० पी० आयोग की स्वीकृति की आवश्यकता होगी। योजनाबद्ध विकास और उन्नति के लिए यह प्रतिबन्ध आवश्यक है।

इस अधिनियम की धारा 21 की उपधारा 4 के संशोधन में यह प्रावधान दिया गया है कि इस धारा की कोई बात किसी ऐसे उपक्रम के सम्बन्ध में वहाँ तक लागू नहीं होगी जहाँ तक प्रसार उपक्रम की पूर्ण मशीनरी या अन्य उपस्कर के या उसके किसी भाग के प्रतिस्थापन, नवीकरण या आधुनिकीकरण द्वारा अथवा किसी संतोलन उपस्कर के संस्थापन द्वारा किया जाता है। 'संतोलन उपस्कर' शब्दों की भी परिभाषा की गई है तथा उन्हें स्पष्ट किया गया है।

बदलती हुई प्रौद्योगिकी के आजकल के दिनों में मशीनरी के प्रतिस्थापन, नवीकरण और आधुनिकीकरण की बहुत आवश्यकता है। औद्योगीकृत देशों में मशीनें बहुत तेज गति से पुरानी या अप्रचलित हो जाती हैं। यह पता चला है कि अमेरिका में 2 या 3 वर्षों के बाद मशीनरी बदल दी जाती है। जब तक हम अपने सीमित साधनों के अनुरूप यह प्रक्रिया नहीं अपनाते, तब तक उचित लागत से आधुनिक उद्योग का विकास करना और उसे बनाए रखना संभव नहीं होगा।

भारत में मोटर कार उद्योग की ही बात लीजिये। इस उद्योग में कारें बनती हैं जो दुनिया भर में सबसे मंहगी हैं। यह एक पुराना उद्योग है। क्यों? क्योंकि यह पूरी तरह से सुरक्षित है। यह मनमाने मूल्य ले सकता है और अपनी इच्छा के अनुसार किसी भी किस्म का निर्माण कर सकता है। यदि इसका निवारण करना है और यदि विश्व मार्केट में इसे प्रतियोगिता करने योग्य बनाना है यदि इसे अति आधुनिक औद्योगिकी अपनानी है, यदि इसे अधिक उत्पादन करने योग्य बनाना है तो इसे पुरानी मशीनरी के स्थान पर नई मशीनरी लगाने तथा उनका नवीकरण करने की अनुमति देनी चाहिए। अतः हमारे विचार में यह प्रावधान उद्योग का आधुनिकीकरण सुनिश्चित करने के लिये बहुत महत्वपूर्ण है ताकि यह प्रतियोगता कर सके।

दूसरे, संशोधन में किसी नये उपक्रम के विस्तार तथा उसकी स्थापना सम्बन्धी प्रस्ताव की धारा 21 तथा 22 के अन्तर्गत छूट देने की व्यवस्था है, बशर्ते कि सरकार इस बात से संतुष्ट हो कि यह राष्ट्रीय प्राथमिकता का मामला है और निर्यात को बढ़ावा देने के लिए ऐसा किया जाना जरूरी है। ऐसे प्रस्तावों के लिए किसी लाइसेंस या अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी। ये संशोधन अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में हमारी कठिन परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुये बहुत ही जरूरी है। पिछले वर्ष व्यापार संतुलन में हमारा घाटा 5000 करोड़ रुपये का था। इस वर्ष भी यह घाटा तब तक इतना ही होगा जब तक कि पैट्रोलियम तथा पैट्रोलियम उत्पादों की कीमतें तेजी से काफी नीचे न आ जायें। हम उस समय तक अधिक विदेशी मुद्रा नहीं कमा सकते जब तक कि हमारे निर्यात में तेजी से वृद्धि न हो। यह एक कठिन कार्य है क्योंकि औद्योगीकृत देश

[श्री वाई० एस० महाजन]

अपना किला मजबूत कर रहे हैं और इस देश से निर्यात होने वाले माल पर अधिक पाबंदियाँ लगा रहे हैं।

अतः इस स्थिति में, हमें अपने देश की नियोजित वृद्धि तथा विकास की सारी प्रक्रिया की तोड़फोड़ का तब तक सतत खतरा है, जब तक हम अपनी अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति में सुधार नहीं लाते। मैं सरकार के आन्तरिक तथा अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति के प्रति उसके दृष्टिकोण और उसके मूल्यांकन तथा इस विधेयक को जिससे हमारी आर्थिक स्थिति में सुधार करने हेतु दूरगामी परिणाम निकलने की सम्भावना है, लाने के लिए उसे बधाई देता हूं। इन शब्दों के साथ मैं विधेयक का समर्थन करता हूँ।

(श्री चिंतामणि पाणिग्रही पीठासीन हुए)

श्री रीत लाल प्रसाद वर्मा (कोडरमा) : सभापति महोदय, एम० आर० टी० पी० एक्ट 1969 में जो 22 (क) नई धारा जोड़ी जा रही है उसका विरोध करता हूं और ऐसा इसलिए कि आपका जो मूलभूत उद्देश्य रहा है कि हम देश में राष्ट्रीय उत्पादकता को बढ़ायेंगे और साथ ही साथ औद्योगीकरण में वृद्धि लायेंगे और निर्यात में बढ़ावा और प्रोत्साहन देंगे, तो जहाँ तक एम० आर० टी० पी० कमीशन का सवाल है, पहले से जो कार्यवाही रही है उसके अनुसार कमीशन को काफी शक्ति पहले से उपलब्ध थी। लेकिन इसको लाकर केन्द्रीय सरकार को सशक्त बनाने की जो बात कही गई है कि "कतिपय सामाजिक आर्थिक उद्देश्यों को पूर्ण रूप से प्राप्त करने की दृष्टि से और उच्चतर उत्पादकता और उत्पादन की आवश्यकता के संदर्भ में तथा देश की अर्थ-व्यवस्था के संदर्भ में निर्यात को प्रोत्साहन देने के लिये और उच्चतर उत्पादकता प्राप्त करने में आने वाली कतिपय कठिनाइयों को दूर करने के लिये यह अधिनियम है" यह मैं समझता हूँ इसके लिये नहीं बल्कि जो अन्तर्राष्ट्रीय मुद्राकोष से 5 हजार 200 करोड़ ऋण लिया गया उसके संदर्भ में जो शर्त दी गयी थी कि बहुराष्ट्रीय कम्पनियों को छूट देनी होगी और उनको व्यापार और उत्पादक वस्तुओं के उत्पादन, वृद्धि, विपणन और नियंत्रण की छूट देनी होगी इसीलिये यह प्रावधान रखा गया है। जबकि सरकार के पास व्यापक संशोधन के लिये प्रस्ताव विचाराधीन है तो उतने समय में कौन सा पहाड़ धंस रहा था, जिसके लिये तुरन्त एक नई धारा 22-क इसमें जोड़ी जा रही है? इससे बड़ी भ्रान्ति और कोई नहीं हो सकती है।

राष्ट्र की अर्थ-व्यवस्था और औद्योगीकरण की दिशा में प्रगति जो पिछले 35 वर्षों से देखी जा रही है उसमें अभी तक जो लक्ष्य पूरा होना चाहिये था, वहाँ तक हम नहीं पहुँच पाये हैं। सारे देश की पूंजी का 65 फीसदी भाग केवल 565 बड़े उद्योगों में लगा हुआ है और वह मुट्ठीभर पूंजीपतियों के हाथों में सीमित है। अगर इन 565 उद्योगों के हिसाब को देखा जाये तो इसमें 200 बहु-अन्तर्राज्यीय कंपनियों का भाग है और भारत के 169 बड़े-बड़े पूंजी घरानों में है जिसमें 65 प्रतिशत हमारी पूंजी लगी हुई है। जो अनुज्ञप्त क्षमता थी उद्योगों में, उसकी 65 प्रतिशत एक्सेस कैपेसिटी अभी तक प्रयोग में ला रहे हैं। मैं बिड़ला, टाटा वगैरह की कंपनियों

का विवरण यहां नहीं देना चाहता और इस हाउस का समय बर्वाद नहीं करना चाहता, अभी माननीय पाणिग्रही जी उन सभी के आंकड़े सामने रखे थे।

मैं कहना चाहता हूं कि महालनवीस रिपोर्ट, सच्चर कमेटी और हाथी कमेटी के संशोधनों के लिए जो व्यापक सिफारिशें थीं, उन्हें न लाकर केवल आपने अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की शर्तों के तहत ही इसमें संशोधन करने का प्रयास किया है। इसमें देश में जो उद्देश्य रखा गया था, उसकी पूर्ति इससे नहीं हो सकती। मेरा निवेदन है कि इस संशोधन को वापिस लिया जाये और एक कम्प्रीहैंसिव बिल अगर इस सदन में पेश किया जाये तो वह श्रेयस्कर होगा।

महात्मा गांधी का जो निर्देश था कि अगर गांव का विकास नही होगा तो गांव नष्ट हो जायेंगे, और ऐसा होने से देश का भविष्य नष्ट हो जायेगा, तो महात्मा गांधी की जो आर्थिक नीति और उनके विचार थे, उनको हमने नजरन्दाज कर दिया है। आज देश में 6 लाख गांव है और उनमें 70 करोड़ जनसंख्या रह रही है। आज उन गांवों में क्या उद्योग हो रहे हैं। जितने भी उद्योग लाइसेंस दिये जा रहे हैं, वह सब पूंजी घरानों के लिए ही दिये जा रहे हैं।

1980 के बजट में हमारे भूतपूर्व वित्त मंत्री ने जो काफी छूट दी थीं, और कंसेशन दिये थे वह सब पूंजी-घरानों को ही मिले हैं। उसी तरह से फिक्की ने भी जो बीस सूत्री कार्यक्रमों की प्रशंसा करते हुए मैमोरेण्डम दिया और मांग की थी कि सार्वजनिक क्षेत्र में उपक्रमों का क्षेत्र कम किया जाये और प्राइवेट सेक्टर को अधिक प्रोत्साहन देना चाहिए, इसी संदर्भ में वर्ल्ड बैंक ने भारत सरकार को सजैश्चन दिया था कि सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के साथ निजी क्षेत्र वाले मालिकों को भी हिस्सा देना चाहिए ताकि पब्लिक सैक्टर जो धीरे-धीरे ह्रास की ओर जा रहा है वह भी ऊपर उठ सके। लेकिन हम केवल पूंजीपतियों को ही मदद कर रहे हैं, उनको ही प्रोत्साहन दे रहे हैं, उनमें हमारा ज्यादा विकास नहीं हुआ है।

जहां तक देश के ट्रैड बैलेन्स का सम्बन्ध है, मैं आपके सामने कुछ आंकड़े रखना चाहता हूं—

	एक्सपोर्ट.	इम्पोर्ट		ट्रेड गैप
1978-79	5,555 करोड़ रु०	7,398 करोड़ रु०	(—)	1843 करोड़ रु०
1979-80	6,459 „	9,022 „	(—)	2,563 „
1980-81	6,709 „	12,465 „	(—)	5,756 „
1981-82	7,700 „	13,200 „	(—)	5,500 „

निर्यात में जो वृद्धि हुई है, उससे हमारे देश को अधिक लाभ नहीं हुआ है।

लघु उद्योगों में 1979-80 में 65 लाख लोग लगे हुए थे, जो 1980-81 में बढ़ कर 71 लाख हो गये। इसी प्रकार उनका निर्यात 1050 करोड़ रुपये से बढ़ कर 1305 करोड़ रुपये हो गया है। यह बात नजर-अंदाज नहीं करनी चाहिए कि देश के विकास के लिए, रोजगार की वृद्धि

[श्री रीतलाल प्रसाद वर्मा]

के लिए और उत्पादकता को बढ़ाने के लिए गृह-उद्योगों और लघु-उद्योगों का जाल बिछाया जाना चाहिए। लेकिन सरकार ने इस क्षेत्र में पूंजी-निवेश न कर के ८5% पूंजी की छूट बड़े औद्योगिक घरानों को दे दी है। इससे हमारी आर्थिक रचना बहुत दरिद्रता की ओर जा रही है। गांवों के लोगों में आर्थिक विपन्नता है। सारे देश में अकाल और सुखाड़ है, दुर्भिक्ष की स्थिति है, गांवों में जीना दूभर हो गया है। आज सारी पूंजी और सारे साधन केवल बड़े लोगों के हाथों में सीमित हैं।

चूंकि सरकार संविधान में दिए गए निर्देशक सिद्धांतों के अनुसार, आम जनता के लाभ के लिए समानता के आधार पर, गांवों में पूंजी लगाने के लिए तैयार नहीं है, इस लिए मैं इस बिल का घोर विरोध करता हूं।

श्री जगन्नाथ राव (बरहाम पुर) : यह संशोधन विधेयक एक सीमित उपाय है। जब हम इस पर विचार करते हैं तो हमें एकाधिकार के व्यापक प्रश्न पर विचार करने की आवश्यकता नहीं है—अर्थात् एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम सम्पत्ति तथा आर्थिक शक्ति को चन्द हाथों में केन्द्रित होने से रोकने में सफल हुआ है या कि नहीं। निकट भविष्य में सरकार द्वारा एक विस्तृत विधेयक लाने पर ही इस प्रश्न पर विचार किया जा सकता है।

यह एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम का यह दूसरा संशोधन विधेयक हैं। पहला संशोधन दिसम्बर 1980 में किया गया था जिसके द्वारा स्पष्टीकरण 7 विधेयक की धारा 2 (घ) में जोड़ी गयी थी जिसमें पहले ही छः स्पष्टीकरण इस स्पष्टीकरण द्वारा ऐसे निर्यात गृहों और उद्योगों को जो केवल निर्यात माल तैयार कर रहे थे, इस खंड से छूट दी गयी है। दूसरे संशोधन का उद्देश्य कुछ प्रावधानों को सरल बनाना है और कुछ अनावश्यक बातों को हटाना है और प्रभुत्व को एक तिहाई से हटाकर एक चौथाई करना है। विधेयक के चार उद्देश्य निम्नलिखित हैं—

1. इसमें अधिनियम की वर्तमान धारा 21 तथा 22 की त्रुटियों को दूर करने के प्रयत्न किए गये हैं।

2. इसके द्वारा ए० अ० व्या० व्य० अधिनियम तथा उद्योग अधिनियम के बीच अधिक तालमेल स्थापित किया गया है।

3. इसमें कुल लाइसेंस क्षमता अथवा कुल उत्पादन के प्रभुत्व को एक तिहाई से घटाकर एक चौथाई करने के मापदण्ड को भी शिथिल किया गया है जैसे कि अन्य विभिन्न उपक्रमों के लिये भी लागू है।

4. सरकार द्वारा अधिसूचना द्वारा कुछ उद्योगों को राष्ट्रीय प्राथमिकता के आधार पर धारा 21 के अधीन व्यापक विस्तार करने अथवा धारा 22 के अधीन नए उद्योग स्थापित के लिये अधिनियम में अधीन अनुमति लेने के विषय में छूट देने की शक्ति प्राप्त की गई है।

मूल अधिनियम की धारा 2 (घ) में प्रधान उपक्रम की परिभाषा की गई है और इसमें कहा गया है :

एक उपक्रम जो स्वयं अथवा अन्य सम्बंधित उपक्रमों के साथ मिलकर एक तिहाई से अन्यून माल तैयार करता है, उसे आधिपत्य उपक्रम माना जायेगा। अब धारा 2 (घ) की इस परिभाषा को पुन: निर्धारित किया जा रहा है जिसके अन्तर्गत दो श्रेणियां बनाई गयी हैं। एक श्रेणी वह है जहां कोई उपक्रम अपनी लाइसेंसशुदा क्षमता से एक चौथाई यानि 25% से अधिक उत्पादन नहीं करेगा। ऐसे उपक्रम को प्रधान उपक्रम नहीं माना जायेगा। इसका कारण यह है कि अनेक ऐसे उद्योग अपनी लाइसेंसशुदा क्षमता का पूरा उपयोग नहीं कर रहे हैं। फलस्वरूप देश में उत्पादन में गिरावट आ जाती है। दूसरी श्रेणी उन उपक्रमों की है जिन्हें लाइसेंस दिये गये हैं लेकिन लाइसेंस में कोई भी क्षमता निश्चित नहीं की गयी है। उसके लिये इस खंड में कहा गया है कि यदि वे उसी प्रकार से माल का एक चौथाई अधिक उत्पादन करते हैं तो उन्हें प्रधान उपक्रम माना जायेगा। अत: युक्तिसंगत आधार पर यह अन्तर किया गया है कि एक प्रधान उपक्रम कौन-सा होगा और किन परिस्थितियों में।

अब हम धारा 21 तथा 22 की चर्चा करते हैं। धारा 21 विस्तार से सम्बन्धित है। उपधारा (4) में कमियां हैं। कमियों को दूर करने के लिये अब इसे इस प्रकार नया रूप दिया जा रहा है कि यदि उत्पादन की किस्म सुधारने, मात्रा बढ़ाने और लागत कम करने के उद्देश्य से मशीनरी को नया रूप दिया जाये अथवा आधुनिक बनाया जाये अथवा संतुलन उपकरण लगाये जायें तो विस्तार को विस्तार नहीं माना जायेगा। उपकरणों का मूल्य परिसम्पत्तियों में 25% से अधिक हो सकता है लेकिन यदि उत्पादन अधिष्ठापित क्षमता के 25% भाग से अधिक हो तो यह लागू होगा। उसी दशा में इसे प्रधान उपक्रम माना जायेगा। इस नई उपधारा से वह कमी दूर हो जाती है।

मूल अधिनियम की तरह धारा एक के अन्तर्गत आने वाले उपक्रमों अर्थात् जिनकी परिसम्पत्तियां 20 करोड़ तथा उससे अधिक की हैं, की एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार आयोग यह जांच करती है कि क्या उन्हें नये उद्योग स्थापित करने तथा विस्तार के लिए लाइसेंस दिए जाये या नहीं। धारा 20 के खंड (ख) के अधीन आने वाले एक करोड़ रुपये अथवा अधिक परिसम्पत्तियों वाले उपक्रमों की आयोग जांच नहीं करता है। अब वह हटा दिया गया है और कहा गया है कि इस अधिनियम के भाग (3) के अन्तर्गत आने वाले उपक्रमों को अब इसके अन्तर्गत लाया गया है। विस्तार के लिये अथवा नया उद्योग स्थापित करने के लिये अब वही प्रक्रिया लागू होगी।

अब अधिक महत्त्वपूर्ण बात यह है। कुछ ऐसी श्रेणी के उद्योगों, जिन्हें राष्ट्रीय प्राथमिकता का आधार माना गया है, को विस्तार अथवा उसी माल अथवा उसी किस्म के माल का उत्पादन करने के लिये नये उद्योग स्थापित करने हेतु सरकार की स्वीकृति लेने से छूट देने की शक्ति सरकार ने अपने हाथ में ले ली है। एक अधिसूचना द्वारा सरकार एक बार पांच वर्ष की अवधि

[श्री जगन्नाथ राव]

के लिये उन्हें छूट दे सकती है और उस अधिसूचना को सभा पटल पर रखा जायेगा और सरकार अपनी स्वेच्छा का प्रयोग न्यायपूर्ण ढंग से करेगी और अधिसूचना को इसलिये सभा पटल पर रखा जायेगा ताकि सभा को यह चर्चा करने का अवसर मिल सके कि क्या सरकार की कार्यवाही उचित है अथवा नहीं ।

अत: यदि आप इन साधारण उपायों पर विचार करें तो आपको पता चलेगा कि वर्तमान परिस्थितियों में ये बहुत ही आवश्यक हैं। हमारे उत्पादन में वृद्धि की जानी है निर्यात में वृद्धि की जानी है ताकि भुगतान संतुलन स्थिति ठीक हो जाये। अतः यह संशोधन इस समय बहुत जरूरी है। लेकिन एक व्यापक प्रश्न और है एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम एकाधिकार जो अब गुटाधिकार बन गया है, के नियंत्रित करने में असफल रहा है। उस प्रश्न पर उस समय गहराई से विचार करना होगा जब सरकार एक विस्तृत विधेयक लायेगी। आजादी से पहले देश में कोई भी संगठित उद्योग नहीं था। अत: हमने औद्योगिक विकास विनियमन अधिनियम लागू किया। फिर हमारे पास औद्योगिक नीति प्रस्ताव भी है। इसके अधीन महत्वपूर्ण सेक्टर को राज्यों के लिये आरक्षित किया गया था। ऊर्जा कोर क्षेत्र में में है। लेकिन बिजली उत्पादन का प्रबन्ध राज्य बिजली बोर्ड ठीक ढंग से नहीं करते। अत: हमें इन गैर सरकारी क्षेत्र के एककों को निजी बिजली संयंत्र स्थापित करने की अनुमति देनी पड़ती है। उसके बाद गैर सरकारी क्षेत्र में 31 और उद्योग स्थापित हुये। गैर सरकारी क्षेत्र के काफी समय तक काम करने से वे बिना कठिनाई के उत्पादन में वृद्धि कर सकते हैं और वे भारतीय कम्पनियां हैं और इसलिये हमें राष्ट्र तथा देश के लिये अधिक उत्पादन करने की अनुमति देनी चाहिये। उन्हें राष्ट्र के हित में देश की भलाई के लिये अधिक उत्पादन करने की अनुमति देते हुये हमें ऐसे उपायों के बारे में भी विचार करना चाहिये जो एकाधिकार वृद्धि तथा सम्पत्ति तथा शक्ति के केन्द्रित होने पर रोक लगा सकें। जब भी उत्पादन में वृद्धि होती है तो सम्पत्तियों में भी वृद्धि होना भी स्वाभाविक ही है। इसका अर्थ यह नहीं है कि सम्पत्ति कम हो जबकि उत्पादन में वृद्धि हो। वह सम्भव नहीं है। लेकिन साथ-साथ संविधान तथा इस अधिनियम की प्रस्तावन में उल्लेखित उद्देश्यों को पूरा करने के लिये हमें उन्य उपायों के बारे में भी विचार करना चाहिये जिसके लिये एक विस्तृत कानून का होना जरूरी है और मुझे विश्वास है कि सरकार उस कानून को शीघ्रातिशीघ्र लायेगी।

इन शब्दों के साथ में विधेयक का समर्थन करता हूं।

श्री जयपाल सिंह कश्यप (आंवला) : माननीय सभापति जी, इस देश का उद्योग, निर्यात, व्यापार, उत्पादन जो कुछ भी हो रहा है वह कुछ लोगों की जेबों और तिजोरियों में जाता है। उसका पूरा-पूरा मुनाफा उनकी जेबों और तिजोरियों में ही गया है कि जो इस देश के शोषण का एक माध्यम बना है। हम अपने चुनाव घोषणा-पत्रों में और नीतियों में बड़ी ऊंची-ऊंची बातें करते हैं लेकिन जब व्यावहारिक प्रश्न आता है तब हमारा झुकाव उसी ओर हो जाता है जिस

और इस देश के उद्योगपति चाहते हैं। हमारी नीतियां अपने सिद्धांत और घोषणा-पत्र पर नहीं बनी है बल्कि उद्योगपतियों और बड़े-बड़े घरानों ने उनको बनाने में अपनी राय दी है, जिसको नौकर-शाही ने ढाला है जबकि राजनीतिक सत्ता में बैठे हुए लोग केवल मूक-दर्शक ही रह गए।

जहां तक निर्यात का प्रश्न है, हमारे उद्योगों का प्रश्न है, इस देश की अर्थ-व्यवस्था का प्रश्न है, उसने काले धन को जन्म दिया है और उस काले धन को हम दूर नहीं कर पा रहे हैं बल्कि वह बराबर बढ़ता ही जा रहा है। आज काला धन इस देश की व्यवस्था में एक परेलल एडमिनिस्ट्रेशन बना रहा है और एक पैरेलल गवर्नमेंट का काम कर रहा है। जितने भी संशोधन हम कर रहे हैं उनमें क्या हमने इस बात को भी ध्यान में रखा है कि इस देश में जो काले धन की अर्थ-व्यवस्था है और कुछ लोगों के हाथ जो धन की शक्ति केन्द्रित हो गई है उसका विकेन्द्रीकरण हम कर लेंगे? क्या कभी इस तरीके से आपने इसको सोचा है? आज तक आप इस तरीके से नहीं सोच पाए हैं जिसका नतीजा यह है कि एक ओर तो गरीबी बढ़ती जा रही है और दूसरी ओर पूंजीपतियों के पास धन का अम्बार इकट्ठा होता जा रहा है।

निर्यातक के सम्बन्ध में जहां आप उद्योगपतियों के हित की बात सोचें, उनको सहायता दें ताकि वे जो चाहें उसका उत्पादन कर सकें तथा उसका निर्यात कर सकें, वहां आप छोटे उत्पादकों की ओर भी समुचित ध्यान दें। आज छोटे-छोटे उत्पादक जो चीजें बनाते हैं उनको बड़े-बड़े घराने वाले खरीद लेते हैं और उसमें छोटे उत्पादक को मुश्किल से 1-2 रुपए का ही मुनाफा मिलता है जबकि उसी चीज पर बड़े व्यापारी मनमाना मुनाफा कमाते हैं। आज अलीगढ़, मुरादाबाद में बड़ी अच्छी मूर्तियां तथा पीतल और स्टील के बर्तन बनते हैं जिनमें कारीगरों की कला झलकती है लेकिन उसमें कारीगरों को मुश्किल से 1-2 रुपये का ही मुनाफा मिल पाता है जबकि बड़े निर्यातक व्यापारी उससे मनमाना मुनाफा कमाते हैं। ऐसी स्थिति में मैं समझता हूं निर्यात का राष्ट्रीयकरण होना चाहिए। वरना जब तक आप इस प्रकार उद्योगपतियों और बड़े-बड़े घरानों के हाथ में खेलते रहेंगे तब तक इस देश की अर्थव्यवस्था को ठीक नहीं कर पायेंगे। हो सकता है इससे कुछ लोगों को चोट पहुंचे, मनमाने ढंग से मुनाफा कमाने वाले निर्यातकों को चोट लगे। ऐसी कोई भी गाइड-लाइन इस बिल में नहीं है। अगर होती तो सरकार एक विस्तृत बिल लाने की बात नहीं सोचती।

लेकिन बहुत विस्तृत बिल जो कुछ आएगा, उसमें प्रभाव चाहे इन्टरनेशनल मानेटरी फण्ड का हो या उद्योग पतियों का हो या हमारी नीतियों को तोड़कर अधिक धन पैदा करने वाले लोगों का हो या अधिक मुनाफा पैदा करने वाले लोगों का हो या हमारी नौकरशाही का प्रभाव हो, लेकिन उसमें आम लोगों के हित की बात नहीं आएगी। बल्कि उसमें चन्द मुट्ठीभर लोगों के हित की बात आएगी, उन लोगों की जिनके हाथ में आर्थिक सत्ता होती है। उद्योगो में जो हम उत्पादन कर रहे हैं। चाहे किसी भी दिशा में ले लीजिए, और तो और देश में हम आदमियों का निर्यात करते हैं। हमारे जूनियर डाक्टर, इंजीनियर और बढ़ई व लोहार इत्यादि उनके साथ भी मजाक हो रहा है। वे खरीदे जा रहे हैं, बेचे जाते हैं, उनके पासपोर्ट बनाकर भेजते हैं और उनसे पैसा लेते हैं। इन सारी चीजों

[श्री जयपाल सिंह कश्यप]

को दूर करने के लिए हमें एक विशेष नीति तैयार करके देश के हित को ध्यान में रखते हुए एक एक्ट लाना चाहिए। ऐसा एक्ट जिसमें यहाँ के पूंजीपतियों पर, बड़े घरानों पर, उद्योगपतियों पर और बड़े-बड़े व्यापारियों पर चोट होती है। अतः मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि इस सारे एक्ट का और सारे संशोधनों का मैं और मेरा दल विरोध करता है।

सभापति महोदय : आप अपना भाषण 5 अथवा 7 मिनट तक सीमित करें।

(श्री मूलचन्द डागा)

श्री मूलचन्द डागा : मैं बहुत थोड़ा ही बोलूंगा। (व्यवधान)

श्री जयपाल सिंह कश्यप : अगर आपकी दाल गलती तो गढ़वाल में आपने मुंह की क्यों खाई। आपने तो पूरी ताकत वहाँ पर लगा दी थी।

सभापति महोदय : क्या हो गया, कश्यप जी।

श्री जयपाल सिंह कश्यप : कुछ नहीं इनको बीमारी हो गयी थी इनको। (व्यवधान)

श्री मूलचन्द डागा : सभापति जी, अब दाल तो किसकी गलती है, यह जो पूंजीवाद होता है, उसकी दाल गलती है।

श्री जयपाल सिंह कश्यप : आप तीसरी दाल खाइये।

श्री मूलचन्द डागा : यह पूंजीवाद इंसानी फितरत का अद्भुत नमूना है। यह इतना हावी हो जायेगा राजनीति पर कि मेरे ख्याल से हमने अपने संविधान में जो आर्टिकल कोट किया था और संविधान बनाने का जो परपज था, उसको हम पूरा नहीं कर पायेंगे।

"समाज के भौतिक संसाधनों का स्वामित्व तथा नियन्त्रण के वितरण का काम सार्वजनिक हित में हो और आर्थिक प्रणाली के फलस्वरूप सम्पत्ति तथा उत्पादन साधनों का केन्द्रीयकरण कुछ ही हाथों में न हो।"

'लेकिन ऐसा लग रहा है कि हमने जो संविधान बनाया और जो एम० आर० टी० पी० एक्ट बनाया, उसमें जितनी एचीवमेंट्स होनी चाहिये थी, वह नहीं हुई। एक एचीवमेंट हुई कि हमारे लॉ-मिनिस्टर साहब एक तरह से पूरे मन से नहीं, लेकिन एक छोटा सा बिल लेकर आ रहे हैं और साथ-साथ यह कह रहे हैं कि मुझे पूरा बिल पेश करना है और कितनी मियाद में पेश करना है, यह उन्होंने एक शब्द कहा —थोड़े समय में। इस थोड़े समय की परिभाषा मेरी समझ में नहीं आती है। मैंने इस सदन में एक क्वैश्चन किया था, उस वक्त श्री शिवशंकर विधि मन्त्री थे और हमारे सभापति महोदय, जो कि इस वक्त पद पर आसीन हैं, उन्होंने कहा था कि हमारा उद्देश्य था कि धनवानों, दौलतवालों की दौलत नहीं बढ़े गरीब की गरीबी मिटे और अमीर की अमीरी मिट जाए। यह हमने आवाज की थी और आज एक छोटा सा बिल लाने का कारण क्या है, कारण यह कि पूंजीवाद कभी-कभी अपना कदम आगे बढ़ाता है।

श्री नारायण चौबे (मिदनापुर) : आपको मन्त्री बनने का मौका कभी नहीं मिलेगा।

श्री मूलचन्द डागा : मैं मन्त्री बनना नहीं चाहता हूं। यह नौकरी नहीं करना चाहता, यहीं ठीक हूँ। मुझे खुशी है आप ने अच्छा आशीर्वाद दिया, इसके लिए आप को बधाई देता हूं।

1981 में जो उत्तर मन्त्री महोदय ने दिया था उसमें बिरला, टाटा मफतलाल, सिंघानिया थापर, बांगड़ श्रीराम, इस तरह से घरानों की लिस्ट बतलाई थी और यह भी बतलाया था कि उनकी पूंजी दो-गुना, तीन-गुना, चार-गुना बढ़ गई है। उन्होंने उस वक्त सबकी डिटेल्ज देते हुए बतलाया था—

	1972	1978
बिड़ला	589.42 करोड़	1171.15 करोड़
टाटा	641.93 ,,	1102.11 ,,
मफतलाल	183.74 ,,	317.86 ,,
थापर	136.16 ,,	244.06 ,,
सिंघानिया	121.45 ,,	299.57 ,,
बांगड़	225.26 ,,	220.86 ,,

मैं सबके बारे में बतलाने के लिये सदन का ज्यादा समय नहीं लूंगा। आप इस तरह से देखिए कि इस कानून में आप ने दो प्रावीजन्ज बदल दिए हैं और पावर किसको दी है—

"केन्द्रीय सरकार राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना द्वारा आदेश देगी कि अधिसूचना की शर्तों को ध्यान में रखते हुए धारा 21 का कोई अथवा सभी प्रावधान अधिसूचना में निर्दिष्ट उद्योग अथवा सेवाओं के लिए लागू नहीं होंगे।"

इतनी वाइड पावर्स आप देने जा रहे हैं। आपने पब्लिक अण्डरटेकिंग्ज में हजारों करोड़ रुपये की पूंजी लगा रखी है लेकिन वहाँ 3 परसेन्ट ब्याज भी नहीं मिलता है, दूसरी तरफ आप इनकी दौलत को बढ़ाने जा रहे हैं। हमारे बड़े-बड़े अर्थशास्त्री बहाना ले रहे हैं कि एक्सपोर्ट को बढ़ाना है इसलिए उसका यही एक तरीका है। हम बड़ी इण्डस्ट्रीज पर निर्भर होते जायें तभी हमारा एक्सपोर्ट बढ़ेगा। आज हिंदुस्तान टैकनोक्रेट्स के मामले में दुनिया में तीसरे नम्बर पर है लेकिन पूंजीवाद और अफसरवाद दोनों मिल कर एम० आर टी० पी० को बढ़ा रहे हैं, उन्हीं की मिलीभगत की वजह से यह कानून बन रहा है।

सभापति महोदय : डागा जी, अब आप अपनी स्पीच को थोड़ा रेस्ट्रिक्ट कीजिए।

श्री मूलचन्द डागा : आप इस समय जो अमेण्डमेंट लाये हैं उसमें आप ने यह भी कह दिया है कि हम जल्दी ही एक काम्प्रीहैन्सिव बिल लायेंगे। आप इसी समय काम्प्रीहैन्सिव बिल क्यों नहीं लाये। जब आप को मालूम हो गया था कि इस संशोधन से एक्सपोर्ट बढ़ेगी तो आप इस को पहले ला सकते थे। मैं एक बात आप से कह देना चाहता हूं कि सिद्धान्तों के साथ समझौता नहीं हो सकता। जब हम सिद्धान्तों के साथ समझौता करने की नीति अख्तियार कर

[श्री मूल चन्द डागा]

लेंगे तो पूंजीवाद हावी हो जायेगा और यदि देश की राजनीति पर पूंजीवाद हावी हो गया तो फिर यह राजनीति भी पूंजीवाद के सहारे चलेगी। जब राजनीति पूंजीवाद के इशारे पर चलेगी तो आने वाला भविष्य पूंजीवाद पर निर्भर हो जाएगा, उसमें दमन होगा।

इस लिये दो बातें जरूरी हैं—लॉ-मिनिस्टर साहब, सारे संशोधनों को स्टडी करके कम्प्रीहैंसिव बिल जल्दी लाइये।

यह जो कन्सन्ट्रेशन आफ वैल्थ बढ़ रहा है, यह खत्म हो। हम बहुत पहले से यह आवाज लगाते रहे हैं कि अमीर अधिक अमीर हो रहा है और गरीब अधिक गरीब बन रहा है। ऐसी आवाज लगाते 5 पंचवर्षीय योजनायें समाप्त हो गई हैं और अब छठी पंचवर्षीय योजना चल रही है लेकिन देश की हालत वैसी की वैसी है और गरीब और गरीब हो गया है और धनवान और धनवान हो गया है (व्यवधान) आपके इस्पात के जो कारखाने हैं, वे घाटे में जा रहे हैं।

इतना कह कर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री चित्त बसु (बारसाट) : मैं इस विधेयक का विरोध करने के लिए खड़ा हुआ हूं क्योंकि अगर यह संशोधी विधेयक पास कर दिया जाता है तो यह मूल अधिनियम के उद्देश्यों को और कमजोर और खत्म कर देगा। अगर आप एकाधिकारी तथा अवरोधक व्यापारिक कानून, जिसे 1969 में पास किया गया था के उद्देश्यों को देखें तो पायेंगे कि उसमें लिखा हुआ है कि "इस बात का उपबन्ध करने के लिए कि आर्थिक संक्रिया प्रणाली की सक्रिया परिणामस्वरूप आर्थिक शक्ति का जन सामान्य के लिए अहितकर रूप में संकेन्द्रण न हो और एकाधिकारों के नियन्त्रण का तथा एकाधिकारी तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहारों के प्रतिषेध का और उनसे सम्बद्ध या उनके आनुषंगिक विषयों का उपबन्ध करने के लिए।"

मेरा पहला प्रश्न तो यह है कि इस संशोधी विधेयक द्वारा एम० आर० टी० पी० विधेयक का मूल उद्देश्य ही कमजोर और खत्म हो जाता है। मैं चाहता हूँ कि आप इस पर पुनः सही ढंग से सोच विचार करें। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? न तो मैं ऐसे कहता हूँ और न ही दावा करता हूँ, हालांकि वह ऐसा दावा कर सकते हैं, कि एकाधिकारी तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार कानून पर्याप्त रूप से एकाधिकार खत्म करने के लिए सशक्त है। यह पर्याप्त रूप में एकाधिकार विरोधी नहीं है। यह काफी कमजोर अधिनियम है। आज पनप रहे एकाधिकार घरानों का यह कारगार रूप से मुकाबला नहीं कर सकता। इसकी कमियों, असशक्तता और खामियों के बावजूद यह एकाधिकार वाले घरानों पर कुछ हद तक अंकुश रख सकता है। इस संशोधी विधेयक का मूल उद्देश्य उस मूल अधिनियम से इन कमजोर और अंकुश लगाने वाले प्राविधानों को भी खत्म करना है। इसलिए यह प्रतिगामी कदम है। इसलिए यह एक अप्रगतिशील कदम है। इसलिए यह सरकार के मूल दृष्टिकोण से हटने के अलावा और कुछ नहीं है। चाहिए तो यह था कि

एम० आर० टी० पी० अधिनियम को और अधिक मजबूत और सशक्त बनाया जाता लेकिन उनके इसमें जिन शक्तियों का उपबन्ध था उन्हें भी था पूरी तरह समाप्त किया जा रहा है।

आप विधेयक पर एक नजर डालिए। विधेयक के खण्ड 5 के अनुसार कुछ प्रस्तावों की सरकार द्वारा जांच भी जानी आवश्यक नहीं होगी और उन्हें एम. आर. टी. पी. अधिनियम की धारा 21 और 22 के अन्तर्गत गठित एम. आर. टी. पी. आयोग द्वारा जांच से मुक्त रखा गया है। इस तरह विस्तार आदि सम्बन्धी सभी प्रस्तावों को जो कि पहले जांच के लिए सरकार और मूल अधिनियम की धारा 21 और 22 के तहत गठित एम० आर० टी० पी० आयोग के पास भेजे जाते थे अब उन प्रस्तावों को धारा 21 और 22 की सीमा से मुक्त कर दिया गया है। इस तरह इन प्रस्तावों को एम. आर. टी. पी. आयोग और यहां तक की सरकार भी उनकी जांच नहीं करेगी। इस तरह मूल अधिनियम में विस्तार सम्बन्धी प्रस्तावों की जांच और छान-बीन की जो थोड़ी बहुत शक्तियां थी उन्हें भी इस संशोधी विधियेक द्वारा खत्म की जा रही हैं।

इसलिए मैंने यह कहा है कि मूल विधेयक के उद्देश्य इस संशोधी विधेयक द्वारा खत्म हो जायेंगे। श्रीमन्, कानून मंत्री ने दावा किया है कि यह विधेयक सरकार समिति की रिपोर्ट का परिणाम है, वे इस का कुछ हद तक दावा कर सकते हैं। लेकिन सच्चर समिति ने इन बातों के साथ-साथ व्यापक सुझाव दिये थे। उन्होंने केवल छोटी सी बात ही छांटी है। अन्य सुझावों का क्या हुआ? मैं सिर्फ दो बातों का जिक्र करना चाहूँगा, क्योंकि सभी बातों पर विस्तार से बहस करने का मुझे समय नहीं दिया गया है।

सच्चर समिति ने सुझाव दिया था कि "अन्तर सम्बद्ध उपक्रमों और उक्त प्रबन्ध" शब्दावली को पुनः परिभाषित किया जाये। श्रीमन् एक उदाहरण लें। वर्तमान एकाधिकारी तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम के अन्तर्गत, जैसा कि आप भी जानते हैं, टैल्कों, टिस्को और टाटा मिलों को टाटा ग्रुप के अन्तर्गत नहीं माना जाता क्योंकि वर्तमान कानून "अन्तर सम्बद्ध उपक्रमों और उचव प्रबन्ध" शब्दावली को इस प्रकार परिभाषित करता है कि बहुत सी कम्पनियां टाटा ग्रुप के अन्तर्गत नहीं आती। शायद आपको याद होगा कि दत्त आयोग ने जिन 23 कम्पनियों का जिक्र किया था उन्हें शब्दावली की परिभाषा की वजह से बिड़ला ग्रुप में शामिल नहीं किया गया है, जबकि इसमें शामिल किया जाना चाहिए था।

श्रीमती गीता मुखर्जी : ऐसी 49 कम्पनियां हैं।

श्री चित्त बसु : महोदया आपने ठीक कहा। इसलिए सच्चर समिति ने यह सिफारिश की थी कि "अन्तर सम्बद्ध उपक्रमों और उक्त प्रबन्ध" शब्दावली को पुनः परिभाषित किया जाए। श्रीमन्, विधि मंत्री ने इस सुझाव को नहीं माना है। इसके विपरीत उन्होंने ऐसा कदम उठाया है। जिससे देश के अन्दर एकाधिकारी प्रवृतियां और मजबूत होंगी।

[श्री चित्त बसु]

श्रीमन्, सच्चर समिति ने यह भी सुझाव दिया था कि अगर प्रधान उपक्रमों से मालसामान या सेवाओं के निर्माण के लिए अगर कोई प्रस्ताव आता है तो निश्चित रूप से एम० आर० टी० पी० आयोग को जांच के लिए भेजा जाए। अगर प्रस्ताव में पाँच करोड़ रुपये की पूंजी का प्रावधान है तो उन्हें अवश्य ही एम. आर. टी. पी. आयोग के पास भेजना चाहिए। सच्चर समिति ने यह भी सुझाव दिया था कि जिन प्रस्तावों पर आपत्तियां उठाई गई थीं या जिनके एक से अधिक प्रार्थनापत्र प्राप्त हुए थे उन्हें अवश्य ही एम. आर. टी. पी आयोग के पास जांच के लिए भेजा जाना चाहिए। सच्चर समिति ने कुछ सुरक्षा उपायों के बारे में भी जिक्र किया है। लेकिन इन सिफारिशों को नहीं माना गया क्योंकि इससे कुछ हद तक एकाधिकार वाले घरानों को हानि होती थी और व्यापारिक व्यवहार पर नियन्त्रण लगता था।

यहां मेरे लिए यह भी बताना आवश्यक हो गया है कि सच्चर समिति की रिपोर्ट से पहले एम. आर. टी. पी. आयोग ने क्या सुझाव दिये थे। यह पाया गया कि 1 जनवरी 1974 से 30 जून, 1978 की अवधि के बीच धारा 21 और 22 के अन्तर्गत जो 336 प्रार्थना पत्र प्राप्त हुए थे उनमें से 311 को सरकार ने बिना आयोग जिसे एम. आर. टी. पी. अधिनियम के अन्तर्गत गठित किया था, की बिना सलाह या उसे भेजे ही निपटा दिया था। आयोग को विश्वास में नहीं लिया गया था। उन्होंने खुद ही अपनी राय से अपना फैसला ले लिया था और एम. आर. टी. पी. आयोग को जो कुछ भी थोड़ी सी शक्ति का इस्तेमाल करना था, नहीं करने दी गई। श्रीमन् इस तरह सरकार इन सब के प्रति अपने आप ही सन्तुष्ट होती रही और एक-एक करके उनको रियायतें और अवसर देती रही जिसके परिणामस्वरूप पैसे का केन्द्रीयकरण कुछ एक हाथों में हो गया। इस पर मैं बाद में चर्चा करूंगा।

श्रीमन्, 1979 में महिन्द्रा एण्ड महिन्द्रा के मामले में उच्चतम न्यायालय ने सरकार को दोषी पाया था। उन्होंने कहा था कि :

"सरकार ने एम. आर. टी. पी. आयोग के सही गठन और इसकी कार्यवाहियों के बारे में विश्वासघात किया है और अपनी सांविधिक दायित्वों की पूरी तरह उपेक्षा की है।"

श्रीमन्, कुछ मुद्दों का श्रीमती गीता मुखर्जी ने जिक्र किया है। लेकिन यह जानना बहुत जरूरी है कि सरकार एम. आर. टी. पी. आयोग की महत्ता को महत्त्व नहीं दे रही है और एम. आर. टी. पी. को पीछे रखा जाता है। सरकार खुद ही अपने आप निर्णय ले लेती है और यह निर्णय हमेशा ही एकाधिकार घराने के हक में होते हैं। मैं और ज्यादा उदाहरण नहीं देना चाहता लेकिन इस नीति द्वारा एकाधिकार घरानें मजबूत ही हुए हैं। उनके लाभ, लाभांश या या बिक्री में कोई कमी नहीं हुई है। इसके विपरीत सभी एकाधिकार घरानों ने अपनी ताकत में वृद्धि ही की है। मेरे पास उपलब्ध आँकड़ों के अनुसार देश के प्रथम 101 निजी क्षेत्र के उद्योगपतियों की कुल सम्पदा में वर्ष 1980-81 में 18.8% की वृद्धि हुई, जबकि इससे पिछले

वर्ष में यह वृद्धि 15.5% ही थी। कुल पूंजी में 13.2% की वृद्धि हुई जबकि पिछले वर्ष यह 10.9% ही थी और बिक्री में 20.3% की वृद्धि हुई जबकि पिछले वर्ष यह वृद्धि केवल 15.5% ही थी। श्रीमन्, मुझे मालूम है कि माननीय मंत्री महोदय को इन आंकड़ों की जानकारी है लेकिन उनका कहना है कि एकाधिकारी वृद्धि की प्रवृत्ति को रोक दिया गया है, जबकि आकड़े बताते हैं कि एकाधिकार घरानों की दौलत में काफी वृद्धि हुई है। दूसरी ओर हमारा यह हमेशा ही आरोप रहा है कि सरकार बहु राष्ट्रीय कम्पनियों को बढ़ावा देने की नीति पर चल रही है।

श्रीमन्, मैं केवल एक उदाहरण देना चाहता हूँ। शायद आपको हाथी समिति की सिफारिशें याद होंगी। हाथी समिति ने आखिर में कहा था कि :

"अधिक लाभ के उद्देश्य से चलने वाली बहु-राष्ट्रीय क्षेत्र की लगातार मौजूदगी केवल अपने व्यापारिक हितों के लिए ही है। सारे विश्व में एक संगठित रूप से मानव पीड़ा पर ही लाभ कमाने वाले इस क्षेत्र का भारत में बने रहने को, जितना जल्द हो सके खत्म किया जाना चाहिए।"

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

सिफारिश यह थी कि उनको भारत में न बने रहने दिया जाये। इन वर्षों के दौरान सरकार की क्या नीति रही।

लाइसेंस-शुदा क्षमता के बारे में नई औषध नीति में यह व्यवस्था की गई कि मार्च, 1977 में समाप्त हुये पिछले तीन वर्षों के दौरान सबसे वस्तुत: किए गए अधिकतम उत्पादन को नियमित किया जायेगा। अक्तूबर, 1981 में इसमें और ढील दी गई। अपनी घोषित नीति के ही विरुद्ध सितम्बर, 1980 की मौजूदा क्षमता को ही नियमित कर दिया गया। वि. मु. वि. और एम. आर. टी. पी. ने औषध कम्पनियों को कुछ शर्तों के साथ उनकी लाइसेंस शुदा क्षमता से 25 प्रतिशत अधिक उत्पादन करने की अनुमति दी है। क्या आकड़ें यह दर्शाते हैं कि आप बहु राष्ट्रीय निगमों पर नियंत्रण लगाना चाहते हैं या यह बताते हैं कि आप उनको अधिक से अधिक रियायतें दे रहे हैं और आपने ऐसी नीति अपनाई हुई है, जिससे बहु राष्ट्रीय निगम और अधिक मजबूत हों। आप नहीं चाहते कि बहु राष्ट्रीय औषध कम्पनियाँ खत्म हो जाय। इसके विपरीत आप उन्हें और प्रोत्साहन देना चाहते हैं।

श्रीमन्, इस तथ्य को देखते हुए कि सरकार उत्पादकता वर्ष में उत्पादन में वृद्धि करना चाहती है, यह संशोधन मात्र एक संशोधन हो नहीं है।

यह सरकार की गलत नीतियों के परिणाम के अतिरिक्त कुछ नहीं है जिससे सम्पूर्ण राष्ट्र की तबाही और बरबादी हुई है। मुझे विश्वास है कि सरकार ने बरबादी का यह रास्ता विश्व बैंक और अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की सलाह पर अपनाया है। विश्व बैंक और अन्तराष्ट्रीय

[श्री चित्त बसु]

मुद्रा कोष ने बहुराष्ट्रीय कम्पनियों और एकाधिकारवादियों को अधिक रियायतें देने, सार्वजनिक क्षेत्र की भूमिका को कम करने, निजी-सार्वजनिक क्षेत्र का गठजोड़ करने, निर्यात अभियान चलाने तथा आयात का प्रतिस्थापन ढूंढने की सलाह दी है। विश्व बैंक तथा अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा सुझाए गए नुस्खे की ये बुनियादी विशिष्टताएँ हैं। आप केवल उनके हितों की पूर्ति कर रहे हैं, आप पहले की भाँति उनके हितों की पूर्ति के लिए बाध्य हैं। इस सलाह का पालन करके आप देश की सम्पूर्ण अर्थव्यवस्था को विश्व बैंक और अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के निर्देशों पर चला रहे हैं।

आर्थिक मामलों के बारे में हम विश्व बैंक और अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा अपनाई जा रही विश्वव्यापी नीतियों तथा अनुबन्धों के प्रति विस्मरणशील नहीं हो सकते। यह विधेयक केवल संशोधन विधेयक मात्र नहीं है परन्तु यह ऐसी विध्वंसकारी आर्थिक नीति का परिणाम है जिसका सरकार अनुसरण करती आ रही है। अतः सम्पूर्ण स्थिति को ध्यान में रखते हुए, मैं सभा के दूसरी ओर बैठे सदस्यों सहित सभा के सभी माननीय सदस्यों से आग्रह करूंगा कि यदि वे कुछ हाथों में धन एकत्रित नहीं होने देना चाहते, यदि वे राष्ट्रीय हितों की रक्षा करना चाहते हैं, यदि वे किसी एक व्यक्ति के प्रति नहीं अपितु संशोधन के प्रति वफादार हैं तो वे इस विधेयक को पूर्णतया अस्वीकार कर दें। मैं इस विधेयक का विरोध करता हूँ और आशा करता हूँ कि सभा भी इस विधेयक को रद्द करने का सही निर्णय लेगी। धन्यवाद

श्री गिरधारी लाल व्यास (भीलवाड़ा) : एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार संशोधन विधेयक का मैं समर्थन करता हूँ। मोनोपोली बिजिनैस हाउसिस और मल्टीनेशनल्ज के बारे में जिस प्रकार की बातें कही गई है उनको आप देखें। गवर्नमेंट ने इस कानून को इसी वजह से लागू किया है कि इनकी बढ़ोत्तरी को किसी तरीके से रोका जाए और इनको रोकने के उपाय उसने किए हैं। लेकिन हमारे इन माननीय सदस्यों का दृष्टिकोण दूसरा है और सोचने का तरीका दूसरा है। किसी और जगह इनकी निगाहें हैं। इसमें भी आरोप लगाने के सिवाय और कोई बात इन्होंने नहीं की है। देश के सामने मुख्य मुद्दा यह है कि किसी तरीके से प्रोडक्शन को बढ़ाया जाये और आत्म निर्भर बना जाए और आत्मनिर्भर बन कर देश के लोगों की ज्यादा से ज्यादा सेवा की जाए। प्रोडक्शन जब तक नहीं बढ़ेगा देश के आम लोगों को वे सहूलियतें जो हम बढ़े हुए प्रोडकशन के जरिये से देना चाहते हैं, नहीं मिल पाएंगी। इसलिए नितान्त आवश्यक है कि फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रीज के प्रोडकशन को बढ़ाया जाये और उस प्रोडकशन को इस प्रकार से वितरित किया जाए ताकि गरीब से गरीब आदमी तक वह सारा सामान पहुँच सके। साथ ही इसको भी ध्यान में रखने की आवश्यकता है कि जो ये बड़े से बड़े घराने हैं इनके पास ज्यादा धन का संग्रह भी नहीं होने दिया जाना चाहिए। अगर होता है तो निश्चित रूप से उनका प्रभाव राजनीति पर भी पड़ता है और जब वह पड़ता है तो एक दूषित वातावरण बनता

है । इस वास्ते इनको ज्यादा वैल्थ एक्युमुलेट करने नहीं दिया जाना चाहिए । निश्चय ही इसका गलत असर पड़ेगा और भी ज्यादा धन और और भी ज्यादा वैल्थ संग्रह करने की उनकी प्रवृत्ति बढ़ती जाएगी । इस वास्ते यह प्रावधान करना बहुत जरूरी था कि जो बढ़ा हुआ धन है जिसके आंकड़े अभी दिए गये हैं कि 1937 में उनके पास जितना धन था आज वह बढ़ते-बढ़ते एक हजार परसैंट से भी अधिक हो गया है उसको रोका जाए, उसको हम किस तरह से रोक सकते हैं इसके उपाय किए जाएँ ।

इसके लिए कानून मंत्री को कुछ न कुछ व्यवस्था करनी चाहिए ताकि मोनोपलिस्टिक हाउसेज को कंट्रोल कर सकें ।

(ख) उपधारा 4 के स्थान पर जो नई धारा रखी जा रही है : (4) इस धारा की कोई बात किसी ऐसे उपक्रम को वहाँ तक लागू नहीं होगी, जहाँ तक प्रसार उपक्रम की पूर्ण मशीनरी या अन्य उपस्कर के या उसके किसी भाग के प्रतिस्थापन, नवीकरण या आधुनिकीकरण द्वारा अथवा किसी संतोलन उपस्कर के संस्थापन द्वारा किया जाता है । इसके सम्बन्ध में मुझे कहना है कि आजकल के जितने उद्योग लगाने वाले हैं वह एक इंडस्ट्री लगाते हैं और नाजायज तरीके से सारा धन कमा करके अपने उद्योग बढ़ाते रहते हैं । मगर जिस इंडस्ट्री के जरिए से पैसा कमाया और दूसरी नई-नई इंडस्ट्रीज खोल दीं, उस पुरानी इंडस्ट्री को सिक कराने की नीयत रहती है, उसका रिनोवेशन या मौडर्नाइजेशन नहीं करते हैं । करोड़ों रु० सरकार और बैंकों से पूंजीपति इस नाम से लेते हैं और उसका दुरुपयोग होता है । इसलिए जब एक उद्योगपति ने अपनी एक इंडस्ट्री से कई इंडस्ट्रीज खड़ी कर दीं और मोनोपली हाउस में उसका नाम आने लगा, जिसकी पूंजी 50 या 100 करोड़ हो गई, ऐसा पूंजीपति जिस इंडस्ट्री को सिक बना करके दूसरी इंडस्ट्री खड़ी करता है उसको उस इंडस्ट्री को सिक करने का कोई अधिकार नहीं है और पुरानी इंडस्ट्री को मौडर्नाइज करने के लिये अपनी पूंजी में से ही उसको काम करना चाहिए ताकि सरकारी पूंजी उसमें न लगे और उस पैसे से और उद्योग अपने यहाँ हम खड़े कर सकें । आज के पूंजीपति इस तरह से सरकार को धोखा दे करके करोड़ों रुपये का लाभ उठा रहे हैं, और सरकार उनको रोक नहीं पा रही है और रीनोवेशन और मौडर्नाइजेशन के नाम पर पूंजी को लुटाया जा रहा है । इस लूट को रोका जाना चाहिए । मंत्री जी इधर अवश्य ध्यान दें । जो उद्योगपति एक इंडस्ट्री से चार, चार नई इंडस्ट्रीज खड़ी कर ले और करोड़ों रुपया कमा ले, वह पुरानी इंडस्ट्री में काम करने वाले लोगों का किसी प्रकार से ध्यान न रखे उसको किसी प्रकार से पैसा न दिया जाए ।

मैं उदाहरण दूं हमारी कॉस्टीटूएँसी में राजस्थान स्पिनिंग और वीविंग मिल्स थी जिससे करोड़ों रुपया पूंजीपति ने कमाया और उस पैसे से चार नई इंडस्ट्रीज खड़ी कर लीं, 100 करोड़ रु० की नई इंडस्ट्रीज खड़ी कर लीं, लेकिन पुरानी इंडस्ट्री का रिनोवेशन और मौडर्नाइजेशन नहीं किया जिसकी वजह से उस उद्योग में लाभ नहीं होगा क्योंकि उसकी मशीनरी घिस गई है और प्रोडक्शन भी नहीं हो रहा है । इसलिए एक उद्योग से जिस आदमी ने 100 करोड़ रुपया

[श्री गिरधारीलाल व्यास]

कमाया है वैसी परिस्थिति में वहां के मजदूरों को बोनस या वेतन देना उसका कर्त्तव्य है। मगर जब ऐसी मांग की जाती है तो मालिक सरकार की बिना आज्ञा के उस फैक्ट्री का क्लोजर कर देता है और मजदूरों को दर-दर का भिखारी बनाने की कोशिश करते हैं। इस प्रकार के मोनोपलिस्टिक हाउसेस को अगर सरकार कंट्रोल नहीं करती है, उन पर बंदिश नहीं लगाती है तो यह कानून किस काम का है? इसलिये इस कानून के जरिये पूरी बंदिश होनी चाहिए कि जिन हाउसेस को सरकार ने ऋण दिया है और वह ऋण लेकर एक-एक ने 4,4 और 5,5 इंडस्ट्रीज खड़ी कर दी हैं, और वह इंडस्ट्रियलिस्ट्स अपने मजदूरों को भूखा मरने की हालत में खड़ा कर देते हैं तो इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति और कोई नहीं हो सकती। ऐसे हाउसेस का जो मैंने आपके सामने उदाहरण दिया है, मैं कानून मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वह लोग भी इस एम० आर० टी० पी० एक्ट के तहत आते हैं, आप उनकी जांच करायें। जो आदमी इंडस्ट्री को सिक बनाकर ढाई, तीन करोड़ रुपये का ऋण सरकार से प्राप्त करने की कोशिश कर रहा है और अपनी तरफ से कोई पैसा नहीं लगा रहा है, मजदूरों की मांगों के सम्बन्ध में क्लोजर करके सारी इंडस्ट्री को ठप्प करने की कोशिश कर रहा है, ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही होनी चाहिए और उन्हें सजा मिलनी चाहिए तब जाकर यह चीज ठीक हो सकती है।

मैंने यह भी मांग की है कि ऐसे लोग जो करोड़ों रुपया सरकार से प्राप्त करते हैं और सरकारी व फाइनेन्शियल पूंजी से अपने संस्थान खड़े करते हैं, उसके बाद उसे अपनी बपौती मानकर उसको बन्द कर देते हैं, इस प्रकार की अव्यवस्था नहीं होनी चाहिए। ऐसे संस्थान जिनमें सरकार का 90 प्रतिशत से ज्यादा पैसा लगा हुआ हो, उन्हें या तो सरकार को अपने हाथ में लेना चाहिए या उसको नेशनलाइज करना चाहिए। पब्लिक अंडरटेकिंग्ज के तहत उद्योगों में व्यवस्थाओं को ज्यादा मजबूत बनाना चाहिए ताकि मजदूरों को किसी प्रकार की कठिनाई न हो और उसकी कमाई हुई दौलत उसको मिल सके। आज जो इस प्रकार की अव्यवस्था चल रही है, यह अवांछनीय है जिसकी ओर मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। मुझे पूरी आशा है कि कानून मंत्री महोदय इस प्रकार से कानून का उल्लंघन करने वाले लोगों के खिलाफ सख्ती से कार्यवाही करेंगे, उनसे मेरी यही प्रार्थना है। इसके साथ ही साथ मैं इस बिल का समर्थन करता हूं।

श्री जगपाल सिंह (हरिद्वार): उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस बिल का विरोध करने के लिए खड़ा हुआ हूं और विरोध भी यह कहते हुए करना चाहता हूं कि अगर इस बिल की प्रति इस सदन के अन्दर जलाई जा सकती तो इस गन्दगी को हमारे विधि मंत्री अपने सिर पर उठाकर कम से कम हिन्द महासागर में जरूर फेंक आयें। उसका कारण है, एक तरफ तो यह सरकार इस देश में मजदूर विरोधी कानून पास करती हैं, उत्पादन के नाम पर कि मजदूर हड़ताल नहीं कर सकता, मजदूर अपने बोनस और तनख्वाह के लिए आवाज नहीं उठा सकता क्योंकि इस देश का उत्पादन बढ़ाना है और दूसरी तरफ पूंजीवादी व्यवस्था को इस देश के करोड़ों

लोगों का खून चूसकर साम्राज्यवादी हित को सुरक्षा को मजबूत करने का काम यह करने जा रही है। इसलिए मेरी अपील है कि आप इसको इस सदन में न लायें तो ज्यादा अच्छा है।

बार-बार माननीय सदस्यों ने भी कहा है, और इसमें कोई दो राय नहीं हैं कि जब अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से आपने बैंक से पैसा लिया तो एक आशंका यहां अपोजिशन के सदस्य ने जाहिर की थी, जानते रूलिंग पार्टी के सदस्य भी हैं, कि बाकायदा सशर्त आपको लोन दिया जा रहा है। इसकी कीमत इस देश के किसानों और मजदूरों को अपने खून-पसीने की कमाई बहाकर करनी पड़ेगी वरना आपके पास दूसरा कोई रास्ता नहीं है और जो मोनोपली हाउसेस को आप खत्म करने की बात कर रहे हैं, इसमें आपने सेंट्रल गवर्नमेंट को राइट दिया है कि जिसको चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट एग्जम्प्ट कर सकती है। आपने एम० आर० टी० पी० कमीशन के राइट पर एक तरफ चोट की है। 34 साल की आजादी के समय में यह अनुभव रहा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट हमेशा छोटे उद्योग-धन्धों के हित में नहीं, छोटे व्यापारियों और छोटा विदेश-व्यापार करने वालों के हित में कभी फैसला नहीं लेती है।

वह हमेशा बहुराष्ट्रीय कंपनियों और मोनोपली हाउसिज को मजबूत करने की नीति अख्तियार करती है। मैं इस बात का विरोध करता हूँ कि केन्द्रीय सरकार इस अधिकार को अपने हाथ में ले, क्योंकि केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारें पूंजीपतियों के प्रेशर से चल रही हैं। प्रधान मंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी, बाकायदा पूंजीपतियों के साथ कोलैबोरेशन करके सरकार चला रही हैं। इससे साफ जाहिर है कि हिन्दुस्तान की प्रधान मंत्री और इस देश की पूंजीवादी व्यवस्था का जो गठबंधन हो गया है, मंत्री महोदय उसको तोड़ नहीं सकते हैं, वह उसको तोड़ना नहीं चाहते हैं। इस सरकार की नीतियों का यह परिणाम है कि जहाँ 1947 से पहले बिड़ला की पूंजी 50 करोड़ रुपये थी, वह बढ़ कर आज 1500 करोड़ हो गई है। सरकार यह नारा लगाती रही है कि हम देश की गरीबी दूर करेंगे, लेकिन आज भी इस देश के 36 करोड़ लोग गरीबी की रेखा के नीचे का जीवन बिता रहे हैं, जिन्हें दो वक्त खाना नहीं मिलता है, दवा और शिक्षा नहीं मिलती है।

सरकार का कहना है कि देश के आर्थिक और सामाजिक उत्थान के लिए हम चाहते हैं कि उत्पादन बढ़े और विदेश-व्यापार में वृद्धि हो, क्योंकि उसके द्वारा मुनाफा कमा कर हम इस देश की अर्थव्यवस्था को सुधारेंगे। पिछले साल हमारे देश को 5,575 करोड़ रुपये का घाटा हुआ है। क्या बहुराष्ट्रीय कम्पनियों और मोनोपली हाउसिज द्वारा अधिक मुनाफा कमाने से हमारे सोशियो-इकानोमिक आबजेक्टिव्ज पूरे हो सकेंगे ? आज बम्बई में कपड़ा मिलें बन्द पड़ी हैं। क्या इसके पीछे सरकार और पूंजीपतियों की अंडरस्टेंडिंग नहीं थी ? इन्टरनेशनल मार्केट में कोई हमारे कपड़े को उठाने के लिए तैयार नहीं है। देश के गरीब किसान और मजदूर उसको खरीदने की क्षमता नहीं रखते हैं। इस लिए पूंजीपतियों को उन कारखानों को बन्द करना पड़ा है।

बहुराष्ट्रीय कम्पनियों और मोनोपली हाउसिज को ए से जेड हर चीज के निर्माण का

[श्री जगपाल सिंह]

अधिकार देना देश के लिए खतरनाक है। यह व्यवस्था करनी चाहिए कि छोटे उद्योग-धन्धे जो चीजें बना सकते हैं, बड़े कारखानों के मालिक और पूंजीपति उन्हें न बना सकें। छोटे उद्योग-धन्धों को देहात में लगाना चाहिए और खेती के उत्पादन के साथ जोड़ कर खंड के आधार पर उनका विकास करना चाहिए। इससे लोगों को रोजगार मिलेगा, उत्पादन में वृद्धि होगी और देश की अर्थ-व्यवस्था मजबूत बनेगी। इस कानून से केवल 56 मोनोपली हाउसिज प्रभावित होंगे। अगर बड़े-बड़े पूंजीपतियों को छोटी-छोटी चीजें बनाने का अधिकार भी दे दिया जाये, तो वह व्यवस्था शोषणकारी होगी। आज स्थिति यह है कि टाफी भी मोदी बनाता है, साबुन, धागा और सुई भी मोदी बनाता है। आज बड़े-बड़े कारखानों के मालिकों को छोटी से छोटी चीज बनाने का अधिकार प्राप्त है। सरकार को यह अधिकार उनसे छीन लेना चाहिए। बड़े-बड़े पूंजीपति उन चीजों का उत्पादन करें, जो इन्टरनैशनल मार्केट में कम्पीट कर सकें और उसके द्वारा विदेशी मुद्रा कमा कर देश की इकानोमी को मजबूत करें। सरकार उन्हें लाइसेंस और प्रोडक्शन की छूट दे।

लेकिन इस बात की इजाजत नहीं देनी चाहिए कि बड़े-बड़े पूंजीपति देश के गरीब लोगों का खून चूसें, अन्तर्राष्ट्रीय मार्केट में हमारी हर एक चीज पिट जाये और हर साल हमें हजारों करोड़ रुपयों का घाटा हो। इसलिए यह आवश्यक है कि इस तरह की चीजों को बनाने का अधिकार बड़े कारखानों से लेकर छोटे उद्योग-धन्धों को दिया जाए। तभी हम इकानोमिक और सोशल दृष्टि से मजबूत होंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि मंत्री महोदय दोबारा सोचेंगे कि यह एमेंडिंग बिल हमें कहाँ ले जायेगा।

प्रो० मधु दण्डवते (राजापुर) : महोदय, सभा के समक्ष विचारार्थ जिस विधेयक को रखा गया है वह वस्तुत: उद्योग मंत्री द्वारा लाइसेंस प्रणाली को उदार बनाने सम्बन्धी दिए गये नये वक्तव्य का तर्कसंगत परिणाम है। मेरे विचार में यदि आप इन दोनों अर्थात् उद्योग मंत्री द्वारा दिये गये वक्तव्य तथा सभा के समक्ष विचारार्थ रखे गये इस विधेयक को एक साथ लें तो ये दोनों प्रतिगामी प्रक्रिया के द्योतक हैं। यह सरकार काम करने वाली नहीं अपितु अप्रगतिशील सरकार है और इस विधेयक का भी ठीक यही उद्देश्य है।

जहां तक राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों तथा 1969 के सम्पूर्ण एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम की प्रस्तावना का संबंध है, यह बिल्कुल स्पष्ट है कि इस एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम का एक महत्वपूर्ण पहलू जन-सामान्य के लिए अहितकर रूप में आर्थिक शक्ति का संकेन्द्रण न होने देता है और इसी पहलू विशेष की प्राय: उपेक्षा की जाती है।

यह बात नहीं है कि इस विधेयक का बड़े औद्योगिक गृहों ने स्वागत नहीं किया है। अनेक इस सम्बन्ध में अपने विचार हैं क्योंकि वे अधिक उदार नीति चाहते हैं। परन्तु दो बुराइयों में से

एक चुनने के मामले में उन्होंने इसे स्वीकार किया है और उन्होंने इसका स्वागत किया है। एफ० आई० सी० सी० आई० के अध्यक्ष का वक्तव्य इसी बात का संकेत है। उन्होंने इसका स्वागत इसलिये किया है क्योंकि पिछले कुछ वर्षों में उन्होंने जितने गैर-कानूनी कार्य किये थे, वे इस विधेयक की सहायता से वैध हो जायेंगे।

यद्यपि आप विभिन्न औद्योगिक गृहों की परिसम्पत्तियों का ध्यान से अध्ययन करें तो आप देखेंगे कि इनमें से कुछ ने पिछले कुछ वर्षों में गैर-कानूनी ढंग से अपनी क्षमता में वृद्धि कर ली है। बड़े औद्योगिक गृहों के कट्टर समर्थकों द्वारा इसके लिये यह तर्क दिया जाता है कि हम देश की प्रगति और विकास चाहते हैं। अतः वे कहते हैं कि यह विधेयक देश के विकास को सुनिश्चित करने की दिशा में मदद करेगा। वे हमेशा कहते हैं "इस विधेयक विशेष के प्रति प्रगतिशील तत्वों को क्या आपत्ति है जबकि यह देश की प्रगति और विकास में सहायक होगा? क्या आप को अधिक उत्पादकता की आवश्यकता नहीं है? क्या आपको अधिक रोजगार अवसरों की आवश्यकता नहीं है? क्या आपको उच्च विकास दर की आवश्यकता नहीं है? यदि सरकार हमारी क्षमता में वृद्धि करने जा रही है तो आपको क्या आपत्ति है?"

महोदय, मुझे यहां अपना दृष्टिकोण अवश्य ही कड़े शब्दों में व्यक्त करना चाहिये। ऐसी बात नहीं है कि हम विकास गतिविधियों के विरुद्ध हैं। हम विकास दर में वृद्धि चाहते हैं। हम विभिन्न उद्योगों का विस्तार चाहते हैं परन्तु हम नहीं चाहते कि विभिन्न उद्योगों का विस्तार पर कुछ औद्योगिक गृहों का एकाधिकार हो हम देश में एक प्रकार का सन्तुलित औद्योगिक विकास चाहते हैं।

हम अन्तर्राष्ट्रीय मंचों पर स्वयं को सदैव गांधी के देश का बताते हैं। मैं महात्मा गांधी का जिक्र कर रहा हूं। हम जब महात्मा गांधी की विरासत का उल्लेख करते हैं हम सदैव इस बात का आग्रह करते रहे हैं कि हमारे देश में कुटीर उद्योग क्षेत्र, लघु उद्योग क्षेत्र तथा बड़े पैमाने के उद्योगों में उचित सन्तुलन होना चाहिए। इस सन्तुलन की एक से अधिक कारणों की वजह से आवश्यकता है। इससे ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में केवल रोजगार संभावनाएं पैदा नहीं होंगी बल्कि इससे देश में जन और आर्थिक शक्ति का समान बंटवारा भी होगा ताकि कुछ एक हाथों में आर्थिक शक्ति और धन संकेन्द्रित न हो। हमारी आर्थिक नीति का यह उतना ही महत्वपूर्ण और प्रशंसनीय उद्देश्य है और गांधी जी ने भी विश्व के समक्ष यही दृष्टिकोण रखा। गांधी जी के इस दृष्टिकोण को पूर्णतया नष्ट किया जा रहा है। आत्म-निर्भरता की भावना को पूर्णतया तबाह किया जा रहा है। समानता के दृष्टिकोण को पूर्णतया समाप्त कर दिया गया है। और इससे कुछ व्यक्तियों के पास अधिकाधिक धन एकत्रित हो जायेगा।

हम विस्तार के विरुद्ध नहीं हैं। हम विकास दर में वृद्धि के विरुद्ध नहीं है। हम विकास गतिविधियों के विरुद्ध नहीं हैं। हम कुछ नीतियों में ढील चाहते हैं। परन्तु ढील ऐसी नहीं होनी चाहिए कि वह एक व्यक्ति के लिये ढील और दूसरे के लिये कठोरता साबित हो। एक व्यक्ति का भोजन दूसरे के लिए जहर न बन जाए। सरकार को अवश्य ही ऐसा दृष्टिकोण अपनाना चाहिये।

[प्रो० मधु दण्डवते]

मैं यह कहने के लिये विवश हूँ कि जब वे एकाधिकार की विशेषताओं की पुनः परिभाषा करने का प्रयास कर रहे हैं, जब वे इसे पहले से विद्यमान अधिनियम के उपबन्धों में ढील देने का प्रयास कर रहे हैं, जब वे औद्योगिक गृहों को अधिक रियायतें देने हेतु नीति को उदार बनाने का प्रयास कर रहे हैं, जब इसके परिणामस्वरूप हम सम्पूर्ण प्रधान क्षेत्र को बड़े औद्योगिक गृहों और विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम कम्पनियों पर छोड़ने जा रहे हैं तब इस सब के परिणामस्वरूप लघु क्षेत्र को नुकसान पहुँचना अनिवार्य है । यद्यपि आप इस बात से सन्तोष कर सकते हैं कि विकास दर में वृद्धि होगी, औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि होगी, फिर भी कुछ औद्योगिक गृह अधिक उत्पादन कर सकेंगे ।

और वे निर्यात के लिये भी अधिक उत्पादन कर सकेंगे और इसके साथ-साथ ही उन्हें इस तथ्य को नोट करना होगा कि अन्य क्षेत्रों को विकास करने के जो अवसर उपलब्ध हैं उन्हें ये अवसर प्राप्त नहीं होंगे और केवल लघु पैमाने के उद्योगों की कीमत पर ही बड़े पैमाने के उद्योग विकास करने का प्रयत्न करेंगे ।

और हम विधेयक में संशोधन करने की इस भावना के विरुद्ध हैं, और इसी पहलू पर ध्यान दिया जाना चाहिये । इस विधेयक से अन्ततः एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार आयोग के अधिकारों पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा और मैंने जैसा कि पहले कहा है कि उस विधेयक से सम्पूर्ण प्रधान क्षेत्र विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम के अन्तर्गत आने वाली कम्पनियों और बड़े औद्योगिक गृहों के पास चला जाएगा ।

उपाध्यक्ष महोदय : यह महालनोबिस आयोग के प्रतिवेदन के विरुद्ध भी जाएगा ।

प्रो० मधु दण्डवते : यह आर्थिक शक्तियों के विकेन्द्रीकरण के कारण इसके भी विरुद्ध जाएगा, अतः मैं यह कहता हूँ कि सभी प्रशंसनीय उद्देश्य नष्ट हो जाएँगे ।

पिछला बजट जब हमारे समक्ष प्रस्तुत किया गया था तब सौभाग्यवश संसद सदस्यों में अनेक प्रलेख परिचालित किये गये थे और एक महत्वपूर्ण प्रलेख में 1971 से 1981 के दशक में एम० आर० टी० पी० जांच आयोग के पास भेजे गये मामले दिये गये थे । उसमें उल्लिखित आंकड़ों का यदि विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री अध्ययन करें तो वे पाएँगे कि इन दस वर्षों की अवधि में, सरकार के पास मामले भेजने का उपबन्ध होने के बावजूद, दुर्भाग्यवश अनेक मनमाने अधिकार होने के कारण बहुत से ऐसे मामले जिन पर सार्वजनिक रूप से वाद-विवाद हो चुका था, एम० आर० टी० पी० आयोग के पास नहीं भेजे गये । इस प्रकार उपबन्ध होने के बावजूद सरकार द्वारा बहुत से मामले एम० आर० टी० पी० आयोग के पास बिल्कुल नहीं भेजे गये । और अब इस नये विधेयक से उन्होंने औद्योगिक गृहों को नई रियायतें दी हैं और अब भी वे आर्थिक शक्तियों के विकेन्द्रीकरण की बात करते हैं, वे आर्थिक शक्तियों और धन के विकेन्द्रीकरण की बात करते हैं और आप देखेंगे कि औद्योगिक नीति का बुनियादी उद्देश्य नष्ट हो जाएगा ।

जहाँ तक सच्चर समिति के प्रतिवेदन का सम्बन्ध है, उन्होंने कुछ रियायतें प्रदान की हैं और कुछ रियायतों की सिफारिशें की हैं और इन रियायतों की सिफारिशें, जैसा कि मेरे मित्र श्री सोमनाथ चटर्जी ने कहा है, केवल उन मामलों में की हैं जिनमें संतोलन उपस्कर को बदलने उसको आधुनिकीकरण करने तथा उसकी स्थापना करने के कारण परिसम्पत्तियों में पर्याप्त विस्तार और विकास हुआ है। अब सरकार राष्ट्रीय प्राथमिकता वाली तथा निर्यात योग्य वस्तुओं का उत्पादन करने वाली कम्पनियों को एम० आर० टी० पी० आयोग के क्षेत्राधिकार से बाहर कर देगी। आप देखेंगे कि सम्पूर्ण क्षेत्राधिकार का और मूल क्षेत्राधिकार का विस्तार किया जाएगा। सच्चर समिति के प्रतिवेदन का विभिन्न वर्गों द्वारा स्वागत किया गया और विशेषरूप से प्रगतिशील वर्ग ने सच्चर समिति की सिफारिशों का बहुत स्वागत किया। परन्तु दुर्भाग्यवश सच्चर समिति की सिफारिशों के आधार पर जिन त्रुटियों को दूर किया जाना था उन्हें दूर नहीं किया गया यदि आप संसद की कार्यवाही को देखें-आप स्वयं उस समय संसद सदस्य थे तो पाएंगे कि विभिन्न दलों के विभिन्न मंत्रियों ने हमें बार-बार आश्वासन दिया था कि सच्चर समितियों की इन सिफारिशों की उचित ढंग से जांच की जाएगी और उन्हें प्रभाव पूर्ण ढंग से लागू किया जाएगा।

आप जब वाद विवाद का उत्तर दें तब मैं चाहता हूँ कि आप कृपया हमारे इन प्रश्नों का जवाब अवश्य दें कि क्या यह सच है कि सच्चर आयोग ने कुछ सिफारिशें की थी। हमें आश्वासन दिया गया था कि उनका ध्यानपूर्वक अध्ययन किया जाएगा और उन्हें प्रभावपूर्ण ढंग से लागू किया जायेगा परन्तु इस सबके बावजूद इस विधेयक के उपबन्ध सच्चर समिति के बुनियादी ढांचे के विरुद्ध हैं। मुझे शब्द 'बुनियादी ढांचे' का प्रयोग करने का खेद है। उन्हें यह पसन्द नहीं है। यह मैं अच्छी तरह जानता हूँ। इस सम्बन्ध में इस प्रतिवेदन विशेष की मूलभूत विशेषताओं के बारे में, चाहे उन्हें नष्ट किया गया है अथवा नहीं, मैं उनसे एक उत्तर चाहता हूँ सच्चर समिति ने और अनेक त्रुटियों की ओर संकेत किया था और सिफारिश की थी कि इन त्रुटियों को दूर किया जाये। इसके विपरीत इस विधेयक के प्रस्तावक ने इन त्रुटियों को दूर करने की बजाय इन त्रुटियों को बहुत अधिक बढ़ा दिया है। इस प्रकार उन्होंने मौजूदा एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम को पूर्णतया नष्ट करने का प्रयास किया है। अत: जहाँ तक इस विधेयक का सम्बन्ध है, यह विकास की समस्या को हल नहीं करेगा बल्कि यह लघु क्षेत्र के और बड़े क्षेत्र के बीच और अधिक असन्तुलन पैदा करेगा। इससे एक बार फिर हमारा प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र बड़े औद्योगिक घरानों और विदेशी मुद्रा विनियमन कम्पनियों के हाथों पड़ जाएगा। इससे आर्थिक सत्ता के अधिकाधिक केन्द्रीकरण को बढ़ावा मिलेगा और न ही इससे एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम की पहले की कमियों से छुटकारा मिलेगा। परन्तु इससे कमियां और अधिक बढ़ जायेगी। जिसका अर्थ होगा कि उद्योगपतियों को और अधिक छूट मिल जायेगी। इससे उपभोक्ता को कोई लाभ नहीं होगा, आम आदमी को और लघु उद्योगों को कोई लाभ नहीं होगा और उस सीमा तक देशों की विकासात्मक गतिविधियों को भी लाभ नहीं होगा और इसके परिणामस्वरूप जो कुछ होगा वह इस प्रकार है कि आर्थिक सत्ता का और अधिक केन्द्रीयकरण और देश में औद्योगिक घरानों को और अधिक शक्ति प्राप्त होगी तथा यही

[प्रो० मधु दण्डवते]

कारण है कि मैं उस बात को एक बार फिर दोहरा रहा हूँ जो कि मैंने विधेयक को पुर: स्थापित करने का विरोध करते समय कही थी। आमतौर पर मैं किसी विधेयक का पुर:स्थापना के समय विरोध नहीं करता। जब तक कोई पूर्णतया यह अनुभव नहीं करता कि हमारी आर्थिक नीति की मूल विशेषताओं को पंगु बनाया जा रहा है तो कोई भी पुर: स्थापना के समय किसी भी वित्तीय विधेयक का विरोध नहीं करेगा। मैंने इसका इस कारण विरोध किया—मैं दोहराना नहीं चाहता, परन्तु मैं उस बात पर फिर से बल देकर कहूंगा जो कुछ मैंने पुर: स्थापना के समय कहा था और मुझे आशा है कि वह हमारे विरोध पर ध्यान देंगे तथा मैंने जो मुद्दे उठाये हैं उनका उत्तर देने का प्रयास करेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय : अब मन्त्री महोदय उत्तर देंगे।

श्री जगन्नाथ कौशल : उपाध्यक्ष महोदय, प्रो० मधु दण्डवते ने कहा है कि उन्होंने इस विधेयक का पुर: स्थापना के समय भी विरोध किया था और उनका कहना सच है। मैंने उस समय भी उत्तर दिया था और अभी भी मैं दोहरा रहा हूँ कि यह विरोध विधेयक के उपबन्धों के प्रति मिथ्या बोध और भ्रान्त धारणाओं पर आधारित है और यह कहते हुए मुझे खेद है कि यदि विपक्ष के मेरे मित्र सन्देह की दृष्टि से देखने लगें, पीलियाग्रस्त नेत्र से दृष्टिपात करने लगे तो स्पष्ट है कि सीधासाधा विधान भी उन्हें पीलियाग्रस्त लगने लगेगा।

श्री सोमनाथ चटर्जी : आपके भी बहुत सदस्य पीलिया रोग से ग्रस्त हैं।

श्रीमती गीता मुखर्जी : यद्यपि वे ऐसा बताते नहीं हैं।

श्री जगन्नाथ कौशल : मैं कहता हूं कि इस विधेयक के पीछे सरकार के इरादे को मापने के लिए, मेरा माननीय सदस्यों से निवेदन है कि इस विधेयक के कार्य क्षेत्र से बाहर न जायें? विधेयक का कार्य क्षेत्र बहुत ही सीमित है। हम बता भी चुके हैं और हर कोई जानता भी है। इस वर्ष को उत्पादकता वर्ष घोषित किया गया है। हम अधिक उत्पादन चाहते हैं। प्रत्येक सदस्य यह कह चुका है कि सरकार के इस प्रशंसनीय लक्ष्य से तो किसी की कोई लड़ाई नहीं रहेगी कि उन्हें अधिक उत्पादन चाहिए। अब अन्ततः जो मुद्दा खड़ा होता है वह यह है कि क्या इस विधेयक से देश में अधिक उत्पादन प्राप्त करने में सहायता मिलेगी? यदि यह सहायता करता है तो तब तो निश्चय ही कोई मूलमूल विरोध नहीं किया जाना चाहिये।

उनके द्वारा बारम्बार जो विरोध किया जा रहा है वह यह है कि एकाधिकारी घरानों, बड़े घरानों और तथाकथित प्रमुत्व प्राप्त घरानों की आस्तियों में निरन्तर वृद्धि हो रही है और इसलिए यह भी एक निशानी है कि हम फिर से उनकी सहायता करने का प्रयास कर रहे हैं। मैं इस विरोध का उत्तर दे सकता हूं परन्तु हम यह देखेंगे कि उनकी अस्तियों में कितनी वृद्धि हुई है और क्या यह एक असाधारण वृद्धि है। इस तर्क का तो मैं सैकिण्डों में उत्तर दे सकता हूं परन्तु इस क्षण तो मैं केवल इतना ही कहूंगा कि विपक्षी सदस्यों ने जो विरोध प्रकट किया है उसकी

एक विशेषता यह है कि कुछ उद्योगों को इस अधिनियम के कार्य क्षेत्र से बाहर घोषित करने के लिए कार्यकारी सरकार स्वयंमेव सत्ता ग्रहण कर रही है। मैं उनकी बात से कतई सहमत रहता, यदि हम इसकी मनमाने ढंग से अनुमति दे देते। तब तो आप निश्चित रूप से कह सकते हैं "आप इस विवेकाधिकार का मनमाने ढंग से प्रयोग कर सकते हैं, जिसमें आप बड़े घरानों के हक में भेदभाव बरत सकते हैं।"

अब क्या मैं माननीय सदस्यों का ध्यान विधेयक में दिये गये संकेतों की ओर दिला सकता हूं और मुझे आशा है कि आपमें से सभी ने उन्हें पढ़ा होगा। ऐसे दो प्रकार के उद्योग हैं, जिनको कि अन्ततः अधिसूचित किया जायेगा। वे दो प्रकार के उद्योग हैं—मैं परन्तुक में से पढ़कर सुनाता हूँ—

> "ऐसे किसी उद्योग या सेवा को इस प्रकार तब तक विनिर्दिष्ट नहीं किया जायेगा जब तक केन्द्रीय सरकार का सभी सुसंगत तथ्यों को ध्यान में रखते हुये यह समाधान नहीं हो जाता है कि वह उच्च राष्ट्रीय प्राथमिकता की है।"

किसी भी अवस्था में यह अस्पष्ट नहीं छोड़ा गया है। और फिर हमने अपने पास जो शक्ति रखी है, उस पर अन्ततः संसद का ही नियन्त्रण होता है। हम अधिसूचना जारी करने के तुरन्त बाद, संसद के समक्ष उपस्थित होंगे। हम कह चुके हैं कि इस विधेयक के अन्तर्गत जारी की गई प्रत्येक अधिसूचना को संसद के समक्ष रखा जाएगा। अधिसूचना को या तो पूर्णतया रद्द करने अथवा उसे संशोधित करने की शक्ति संसद के पास रहेगी। सारा काम कार्यपालिका के ऊपर ही नहीं छोड़ा गया है। इसमें एक संकेत दिया गया है, 'उच्च राष्ट्रीय प्राथमिकता।' जब सरकार यह अनुभव करती है कि यह उच्च राष्ट्रीय प्राथमिकता का मामला है तो यह कह सकती है कि प्रमुख क्षेत्र के उद्योगों के मामले में एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम की पाबन्दियाँ लागू नहीं होंगी। दूसरी बात है कि निर्यात सम्बर्धन की। उस प्रस्ताव से किसी का विरोध नहीं है। परन्तु जिन माननीय सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया उनका कहना था कि लक्ष्य तो प्रशंसनीय है, फिर भी सरकार इस पर किस प्रकार नियन्त्रण रखेगी? एकमात्र यही आपत्ति उठाई गई है। निर्यात संवर्धन के मामले में हम जानते हैं कि केवल उन्हीं वस्तुओं का निर्यात किया जाता है जिनकी कि विदेशी मण्डियों में मांग होती है। यह निश्चित है कि हम ऐसी वस्तुओं का निर्यात नहीं करेंगे जिनकी वहाँ मांग नहीं है। सरकारी तन्त्र स्पष्टतया इस बात की जांच के लिए है। यदि अन्ततः हमें इस बात का पता चलता है कि इस प्रयोग में कुछ कमी रह गयी है तो यह बताने के लिए हम संसद के समक्ष आयेंगे कि यह प्रयोग सफल नहीं रहा है। वर्तमान विधेयक में हमने एक या दो कमियों को दूर करने का प्रयास किया है। हमने नियन्त्रण को कठोर करने का प्रयत्न किया है।

यह कहना अनुचित है कि इस विधेयक के उपबन्धों को पूर्णतया एकाधिकार तथा अवरोधक व्यवहार घरानों के लिए रखा गया है। जिन दो कमियों को अब दूर किया गया है, सभी ने उनका स्वागत किया है। जहां तक सच्चर समिति के प्रतिवेदन का सम्बन्ध है, विपक्ष के जितने भी सदस्य बोले हैं, बार-बार मुझसे एक ही प्रश्न पूछते रहे हैं कि सरकार एक व्यापक विधेयक

[श्री जगन्नाथ कौशल]

प्रस्तुत क्यों नहीं कर रही है मैंने विधेयक पुरःस्थापित करते समय अपने भाषण में तथा उद्देश्यों और कारण के कथन में आपको यह आश्वासन दिया है कि एक व्यापक विधेयक तैयार हो रहा रहा है। मैं आशा से कही पहले एक व्यापक विधेयक लेकर सदन के समक्ष आ रहा हू। परन्तु जहाँ तक उत्पादन को बढ़ाने का सम्बन्ध है, हम एक दिन भी खोना नहीं चाहते हैं। इस विधेयक को लाने का एक मात्र उद्देश्य है उत्पादन में वृद्धि करना। उस बात से सदन में किसी को भी आपत्ति नहीं है जैसा कि श्री जगन्नाथ राव कह चुके हैं जब एक व्यापक विधेयक संसद के समक्ष लाया जायेगा तो आपको समग्र आर्थिक नीति और समग्र एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम पर चर्चा की छूट होगी। मैं अभी भी पूरी विनम्रता से यह अनुभव करता हूँ कि वर्तमान रूप में इस विधेयक पर आपत्ति करने की बहुत ही कम गुंजाइश है।

विधेयक की प्रमुख विशेषता यह है कि हम मानदण्ड विवेकाधिकार को एक तिहाई से घटाकर एक चौथाई कर रहे हैं। सभी उसका स्वागत करते हैं। हम उस कमी को दूर कर रहे हैं जिसमें कि प्रमुख घरानों के सिवाय अन्य सभी उन वस्तुओं का असीमित संख्या में उत्पादन कर सकते हैं, यदि वे एक समान और एक ही किस्म की हों। हम उन घरानों को इस अधिनियम के सीमा क्षेत्र में ला रहे हैं। हर किसी को यह स्वीकार्य है। यदि हम उन मिलों की नवीनीकरण और आधुनिकीकरण में सहायता करते हैं जो कि बेकार पड़ी हैं, हर दिन और अधिक बीमार होती जा रही हैं तो क्या आपको उस पर आपत्ति है ? यदि आप उन लोगों को बेकार, पुरानी और बीमार तथा खराब मशीनरी को चालू रखने दें तो निश्चित है कि वे बीमार पड़ जायेंगी। जैसे ही कोई मिल बीमार पड़ती है तो उसमें छटनी होती है और तालाबन्दी हो जाती है। तब एक दम से हो-हल्ला मचने लगता है और ठीक भी है कि इस मिल का अधिग्रहण करके इसका राष्ट्रीयकरण किया जाए। आखिर सरकार इन बीमार मिलों का राष्ट्रीयकरण क्यों करें और कर-दाताओं के धन को इनमें क्यों दबायें ? यदि वे उद्योग का आधुनिकीकरण करना चाहते हैं तो उन्हें अनुमति क्यों न दे दी जाये ? अतः हमारे प्रत्येक कदम को सन्देह की दृष्टि से न देखा जाए।

श्री चटर्जी का कहना था कि हमने 'आधुनिकीकरण' या 'प्रतिस्थापन' को परिभाषित करने का प्रयास नहीं किया है यद्यपि हमने 'सन्तुलन उपस्कर' को तो परिभाषित करने का प्रयत्न किया है। मेरा विचार था कि आधुनिकीकरण की परिभाषा करने की आवश्यकता नहीं है जब पुरानी और खराब मशीनरी को बदला जाता है......

श्री सोमनाथ चटर्जी : उस आधुनिकीकरण के बारे में आपको क्या कहना है जिससे उत्पादन बढ़ता है।

श्री जगन्नाथ कौशल : उत्पादन में वृद्धि का हम स्वागत करते हैं।

श्री सोमनाथ चटर्जी : वे अनुज्ञप्त क्षमता, स्वीकृत क्षमता से अधिक उत्पादन करते हैं और जाल से बाहर हो जाते हैं।

श्री जगन्नाथ कौशल : मैं कह रहा हूँ कि उत्पादन वृद्धि का हम स्वागत करते हैं। मैं इस प्रमुख वक्तव्य पर दृढ़ हूँ कि वास्तव में हमें अधिक उत्पादन की आवश्यकता है।

इस संशोधनकारी विधेयक के द्वारा हम जो अन्य परिवर्तन लाए हैं वह यह है कि यदि अनुज्ञप्त क्षमता का पूर्ण उपयोग नहीं किया गया है और यदि स्थापित क्षमता अनुज्ञप्त क्षमता से कम है और यदि कोई उपक्रम अनुज्ञप्त क्षमता के अनुरूप स्थापित क्षमता को पूरा करने का प्रयास करता है तो विद्यमान अधिनियम के अधीन हमारे पास आना पड़ेगा। वर्तमान उपबन्ध में कहा गया है कि जब तक आप अपनी अनुज्ञप्त क्षमता में ही अपनी मशीनरी को बढ़ाते जाते हैं तब हमारे पास आने की आवश्यकता नहीं है। यह एक अड़चन थी जिसे हमने हटा दिया है। अतः यदि कोई व्यक्ति अपनी अनुज्ञप्त क्षमता के अन्दर ही अन्दर आधुनिकीकरण करता है, यदि कोई व्यक्ति अधिक निवेश करना है तो हम उसका स्वागत करते हैं—यह बात मैं बार-बार कह रहा हूँ। चाहे आप इस पर विश्वास करें या न करें, वह आपकी मर्जी है। यहाँ मुझे एक कहावत याद हो आई है : आपके मित्रों को तो इसकी आवश्यकता नहीं है और विपक्ष के सदस्य इस पर विश्वास नहीं करेंगे।

अतः, मेरा यह निवेदन है कि उत्पादन में वृद्धि के विचार से इस सरल और सीधे-साधे विधेयक को लाया गया है। मुझे आशा है कि इसकी मुख्य विशेषताओं पर आपको कोई आपत्ति नहीं है।

प्रो० मधु दण्डवते (राजापुर) : चूँकि आप क्षमता की बात कर रहे हैं तो मैं आप से केवल एक साधारण से पहलू के बारे में जानना चाहूँगा। कुछ ऐसे घराने हैं जिन्होंने अवैध रूप से अपनी क्षमता में वृद्धि कर ली है। चूँकि उन्होंने अवैध रूप से उत्पादन क्षमता में वृद्धि की है, वे अपने बढ़े हुए उत्पादन और विक्रय को दर्शाते नहीं हैं और करों का भुगतान नहीं करते हैं। वे काला धन जमा कर लेते हैं। इस अवैध रूप से बढ़ाये गए उत्पादन को वैध बनाने का अर्थ उस काले धन को पुरस्कृत करना होगा। क्या आपको यह प्रस्ताव स्वीकार्य है ?

श्री जगन्नाथ कौशल : मैं आपकी बात को स्वीकार नहीं करता हूँ। आप कह रहे हैं कि उन्होंने गैर-कानूनी ढंग से काला धन अर्जित किया है। इस विधेयक के उपबन्ध में केवल यह कहा गया है कि यदि स्थापित क्षमता दिये गये लाइसेन्स की क्षमता से कम है तब उनको अपनी स्थापित क्षमता को लाइसेन्स की क्षमता के स्तर तक लाने की अनुमति होगी।

प्रो० मधु दण्डवते : क्या आप इस तथ्य को चुनौती देते है कि क्षमता गैर-कानूनी ढंग से बढ़ायी गयी थी ?

श्री जगन्नाथ कौशल : जैसा कि मैंने बताया है मैं ऐसी कोई बात नहीं करूँगा, जो विधेयक से सम्बन्धित न हो।

श्री सोमनाथ चटर्जी : सरकार द्वारा नियुक्त की गई महत्वपूर्ण समिति के निष्कर्षों के बारे में क्या हुआ ? विधि-मन्त्री इसकी ओर कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं।

श्री जगन्नाथ कौशल : केवल यह आरोप लगाया गया है कि बहुत से मामलों को आयोग के पास नहीं भेजा गया है। श्री चटर्जी ने एक दशक या इसके लगभग समय के आंकड़े प्रस्तुत किए हैं। लेकिन तब प्रश्न यह उत्पन्न होता है कि केवल उन्हीं मामलों को उद्योग के पास भेजा जाना होता है जिन पर वास्तव में आयोग के निष्कर्ष अपेक्षित होते हैं। यदि आप यह चाहते हैं कि सीधे मामलों को भी आयोग के पास भेजा जाये, तो इससे न तो आपको और न हमको कोई मदद मिलेगी।

श्री सोमनाथ चटर्जी : क्या विधि मन्त्री यह नहीं जानते हैं कि केन्द्रीय सरकार के विभाग छोटे-छोटे मामलों को भी निपटाने में कितना समय लगाते हैं और वहाँ पर कितने चक्कर लगाने पड़ते हैं और कम्पनियों के पक्ष में काम कराने वाले लोग कहाँ कार्यरत हैं तथा सम्पर्क अधिकारी वहाँ-कहाँ क्या कर रहे हैं ?

श्री जगन्नाथ कौशल : श्री चटर्जी साहब अब सम्भवतः कार्यवाही शीघ्र की जाती है।

श्री सोमनाथ चटर्जी : अब परिचालन बेहतर है। (**व्यवधान**)

श्री जगन्नाथ कौशल : जैसा कि मैंने कहा है, ऐसे बात करते रहने से कोई काम नहीं बनेगा। अतः मैं यह कहना······।

श्री सोमनाथ चटर्जी : एक प्रकार के लोग ऐसे होते हैं जो किसी के पक्ष में कार्य कराने के लिए कार्यरत रहते हैं, बड़ी कम्पनियों के जन सम्पर्क अधिकारी।

आचार्य भगवान देव (अजमेर) : वेस्ट बंगाल में ये ऐसा कर रहे हैं, उपाध्यक्ष जी।

श्री सोमनाथ चटर्जी : आप तो कुछ नहीं जानते हैं। बस आप यही जानते हैं।

श्री जगन्नाथ कौशल : मैं यह कहना चाहता हूँ कि यह विधेयक मुख्यतः केवल दो धाराओं 21 तथा 22 से सम्बन्धित है।

श्री सोमनाथ चटर्जी : खण्ड 22 क भी तो है।

श्री जगन्नाथ कौशल : खण्ड 22 क के सम्बन्ध में मैंने उत्तर दे दिया है। महत्त्वपूर्ण उद्योगों के क्षेत्र पर भी संसद का सम्पूर्ण नियन्त्रण होगा जिस पर सरकार विधेयक लायेगी और संसद का यह अधिकार होगा कि वह उसको स्वीकार करे अथवा न करे। अतः मैं आदरपूर्वक निवेदन करता हूँ कि इस विधेयक पर विचार किया जाये।

श्री सोमनाथ चटर्जी : मन्त्री महोदय ने कहा है कि वह इन बड़े औद्योगिक घरानों की शक्ति के बढ़ने के प्रश्न पर भी बोलेंगे।

श्री जगन्नाथ कौशल : इस विषय पर यदि मैं आंकड़े देता हूँ तो आप भी अपने आंकड़े देते हैं।

श्री सोमनाथ चटर्जी : उनको हमने तैयार नहीं किया है।

श्री जगन्नाथ कौशल : आपने जो आंकड़े दिए हैं वह 94 बड़े घरानों की कुल परिसम्पत्तियों से सम्बन्धित हैं जो 5,600 करोड़ रु० से बढ़कर वर्ष 1972 में 14,500 करोड़ रु० हो गई—जो प्रति वर्ष लगभग 20 प्रतिशत की वृद्धि है। ये वह आंकड़े हैं, जिनको आपने प्रस्तुत किया है।

श्री सोमानाथ चटर्जी : उनमें से 10 प्रतिशत, 80 प्रतिशत को नियंत्रित कर रहे हैं।

श्री जगन्नाथ कौशल : कृपया एक सेकिण्ड का इन्तजार कीजिये। श्री चटर्जी। मैं आपके आंकड़ों को ही ले रहा हूं। यदि मूल्यों में हुई वृद्धि को देखते हुए तदनुसार परिसम्पत्तियों का तदनुसार सही मूल्यांकन किया जाये तो परिसम्पत्तियां 5,600 करोड़ रु० से बढ़कर 10,700 करोड़ रु० हो गई है तो प्रति वर्ष 12·5 प्रतिशत की वृद्धि है। क्या यह वृद्धि इतनी अधिक है, जिस पर इतना शोर गुल किया जाना चाहिए ?

श्री सोमनाथ चटर्जी : बड़े घरानों की आर्थिक शक्ति में वृद्धि के सम्बन्ध में अब हमें एक नया स्पष्टीकरण दिया गया है। मुद्रा-स्फीति के कारण उनकी परिसम्पत्तियां बढ़ रही हैं और सामान्य व्यक्ति की क्रय शक्ति मुद्रा-स्फीति के कारण घट रही है। यह एक आश्चर्यजनक तर्क है।

श्रीमती गीता मुखर्जी : क्या सामाजिक न्याय का कोई उदाहरण मिलता है ?

श्री जगन्नाथ कौशल : मैं माननीय सदस्यों से यह निवेदन करता हूं कि वे मेरी भांति शांति से सुनें जैसे कि मैंने उनकी बात सुनी है।

उपाध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय आपको यह जानकारी भी देनी चाहिए कि इन एकाधिकार वाली तथा अन्य कम्पनियों में उस समय कितने व्यक्ति कार्य कर रहे थे और अब कितने व्यक्ति कार्य कर रहे हैं। इस जानकारी को भी आप दे सकते हैं। मैं केवल उनकी संख्या ही चाहता हूं। उसे आप दे सकते हैं।

श्री सोमनाथ चटर्जी : महोदय, यह बहुत अच्छा प्रश्न है। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : अगली बार वे इसको भी प्रस्तुत कर देंगे।

श्री सोमनाथ चटर्जी : लाभ में कितनी वृद्धि हुई है तथा कर्मचारियों की कुल संख्या कितनी है। क्या इस समय कम व्यक्ति कार्य कर रहे हैं ?

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : संसद् को उसकी जानकारी दी जानी चाहिए। (व्यवधान) श्री चित्त बसु जी, क्या आप अपने संशोधन को प्रस्तुत करना चाहते हैं ?

श्री चित्त बसु : जी हाँ।

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं श्री चित्त बसु द्वारा प्रस्तुत संशोधन संख्या 1 को विचार के लिए सभा के मतदान हेतु रखता हूं।

संशोधन संख्या 1 के मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं विचार के लिए प्रस्ताव को सभा के मतदान हेतु रखता हूँ। प्रश्न यह है :

"कि एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम, 1969 का और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किए जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 2

उपाध्यक्ष महोदय : अब सभा में विधेयक पर खण्ड-वार चर्चा की जायेगी। अब हम खण्ड 2 को लेते हैं। श्री सुधीर गिरि जी, क्या आप अपने संशोधनों को प्रस्तुत करना चाहते हैं?

श्री सुधीर गिरि (कन्टई) : मैं प्रस्ताव करता हूँ कि :

पृष्ठ 2, पंक्ति 15,—

"एक-चौथाई" के स्थान पर "दसवें भाग" प्रतिस्थापित किया जाये। (2)

पृष्ठ 2, पंक्ति 24,—

"एक-चौथाई" के स्थान पर "दसवें भाग" प्रतिस्थापित किया जाये। (3)

पृष्ठ 2, पंक्ति 37,—

"एक-चौथाई" के स्थान पर "दसवें भाग" प्रतिस्थापित किया जाये। (4)

पृष्ठ 3, पंक्ति 3,—

"एक-चौथाई" के स्थान पर "दसवें भाग" प्रतिस्थापित किया जाये। (5)

"पृष्ठ 3, पंक्ति 11,—

"एक-चौथाई" के स्थान पर "दसवें भाग" प्रतिस्थापित किया जाये। (6)

पृष्ठ 3, पंक्ति 13,—

"एक-चौथाई" के स्थान पर "दसवें भाग" प्रतिस्थापित किया जाये। (7)

पृष्ठ 3, पंक्ति 19 और 20,—

"एक-चौथाई" के स्थान पर "दसवें भाग" प्रतिस्थापित किया जाये। (8)

श्री सुधीर गिरि : मैं अपने संशोधन क्रमांक 12 पर बोलूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं आपको अनुमति दूंगा। अब मैं खण्ड 2 पर श्री सुधीर गिरि द्वारा प्रस्तुत किये गये संशोधन क्रमांक 2 से 8 को सभा के मतदान हेतु रखता हूं।

संशोधन संख्या 2 से 8 मतदान के लिए रखे गये और अस्वीकृत हुए।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 2 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 2 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खण्ड 3

श्री सुधीर गिरि : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

पृष्ठ 4, पंक्ति 31,—

"पच्चीस" के स्थान पर "दस" प्रतिस्थापित किया जाए। (9)

पृष्ठ 4, पंक्ति 38,—

"पच्चीस" के स्थान पर "दस" प्रतिस्थापित किया जाए। (10)

पृष्ठ 5, पंक्ति 5,—

"पच्चीस" के स्थान पर "दस" प्रतिस्थापित किया जाए। (11)

पृष्ठ 5,—

पंक्ति 12 के पश्चात् निम्नलिखित अन्तःस्थापित किया जाए—

"परन्तु यदि किसी माल के उत्पादन, विपणन, प्रदाय, वितरण या नियन्त्रण या किन्हीं सेवाओं की व्यवस्था में, ऐसे प्रसार से ठीक पहले उस उपक्रम द्वारा उत्पादित, विपणित, प्रदाय किये गये, वितरित या नियंत्रित माल में या उसके द्वारा की गई सेवाओं में दस प्रतिशत से अधिक वृद्धि हो जाए, तो ऐसे विस्तार के प्रस्ताव के लिए केन्द्रीय सरकार की मंजूरी लेनी होगी।

परन्तु यह और कि विस्तार के मामले में, उस उपक्रम के कर्मचारियों की संख्या में कोई कटौती नहीं की जाएगी।" (12)

[श्री सुधीर गिरि]

पृष्ठ 4 पर यह व्यवस्था है कि उपक्रम की पूर्ण मशीनरी अथवा मशीन के किसी भाग अथवा अन्य उपस्कर के प्रतिस्थापन, नवीकरण या आधुनिकीकरण द्वारा अथवा किसी संतोलन उपस्कर के संस्थापन द्वारा यदि फर्म के उत्पादन में वृद्धि होती है, तो उस पर यह बात लागू नहीं होगी। मूल अधिनियम का यह उद्देश्य है कि एकाधिकार रखने वाले घरानों पर नियन्त्रण किया जाये तथा उनके व्यापार व्यवहारों पर रोक लगाई जाये। यदि नवीकरण अथवा आधुनिकीकरण के कारण कुल उत्पादन पर कोई सीमा निर्धारित नहीं की जायेगी तो एकाधिकार वाले घराने सरकार की पहुँच से बाहर चले जायेंगे। इसी कारण मैंने इस संशोधन को प्रस्तुत किया है जो क्रमांक 12 पर दिया गया है।

मैं सदन के सभी सदस्यों से यह अनुरोध करता हूँ कि मेरे संशोधनों को स्वीकार किया जाये।

श्री जगन्नाथ कौशल : मुझे खेद है कि मैं स्वीकार नहीं कर सकता।

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं श्री सुधीर कुमार गिरि द्वारा 3 में पेश किये गये संशोधन संख्या 9 से 12 को सभा के मतदान हेतु रखता हूँ।

संशोधन संख्या 9 से 12 मतदान के लिए रख गये और अस्वीकृत हुए।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 3 विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 3 विधेयक में जोड़ दिया गया।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :—

"कि खण्ड विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड विधेयक में जोड़ दिया गया।

खण्ड 5

श्री सुधीर गिरि : मैं प्रस्ताव करता हूँ :—

पृष्ठ 5, पंक्ति 33,—

अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाये—

"और सामान्य व्यक्ति के हित के लिए हानिकारक नहीं है।" (13)

महोदय, हम यह चाहते हैं कि उत्पादन अवश्य बढ़ना चाहिए और उसके लिए सरकार उत्पादन नीति को उदार बना रही है और अधिक उत्पादन करने के लिए एकाधिकार घरानों को लाइसेंस अथवा अधिकार देने जा रही है। लेकिन मैंने इसमें एक बात और जोड़ दी है। वह यह है कि उत्पादन से सामान्य व्यक्ति का अहित नहीं होना चाहिए।

श्री जगन्नाथ कौशल : मैं इसको स्वीकार नहीं करता हूँ। यह पूर्णतः एक निरर्थक वाक्यांश है, जिसे आप जोड़ना चाहते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं श्री सुधीर गिरि द्वारा पेश किये गये संशोधन संख्या 13 को मतदान के लिए रखता हूँ।

संशोधन संख्या 13 मतदान के लिए रखा गया और अस्वीकृत हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :—

"कि खण्ड 5 विधेयक का अंग बने।"

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : श्री चटर्जी साहब क्या आप मतदान पर जोर दे रहे हैं ?

श्री सोमनाथ चटर्जी : जी हां।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रकोष्ठ खाली किये जायें। प्रकोष्ठ खाली हो गए हैं।

अब प्रश्न यह है :—

"कि खण्ड 5 विधेयक का अंग बने।"

लोकसभा में मत विभाजन हुआ।

मत विभाजन संख्या 11

पक्ष में 6 म० प०

अंकिनीडू प्रसाद राव, श्री पी.

बैठा, श्री डूमर लाल

वाजपेयी, डा. राजेन्द्र कुमारी

बालेश्वर राम, श्री

बनातवाला श्री, जी. एम.

भगत, श्री बी. आर.

भगत, श्री एच. के. एल.

भगवान, देव आचार्य

भक्त, श्री मनोरंजन

भाटिया, श्री रघुनन्दन लाल

भोले, श्री आर. आर.

बीरेन्द्र सिंह, राव

बार, श्रीमती गुरबिन्दर कौर

बूटा सिंह, श्री

चक्रधारी सिंह, श्री

चन्द्रशेखर सिंह, श्री

चन्द्राकर, श्री चन्दूलाल

चतुर्वेदी, श्रीमती विद्यावती

चव्हाण, श्री एस. बी.

चेन्नुपति, श्रीमती विद्या

चौहान, श्री फतेहमान सिंह

दाभी, श्री अजीत सिंह

डागा, श्री मूलचन्द

दास, श्री अनादि चरण

डेनिस, श्री एन.

देव, श्री संतोष मोहन

दिग्विजय सिंह, श्री

डोगरा, श्री गिरधारी लाल

ईरा, अनाबारासु श्री

फैलीरो, श्री एडुआर्डो

गहलोत, श्री अशोक

गोमांगो, श्री गिरिधर

गौजगिन, श्री एन.

जय नारायण रौत, श्री

जैन, श्री भीकूराम

जैन, श्री वृद्धि चन्द

जेना, श्री चिन्तामणि

कंडा स्वामी, श्री एम.

लक्ष्मण वर्मा, श्री

कौल, श्रीमती शीला

कौशल, श्री जगन्नाथ

खां, श्री जुल्फिकार अली

किदवई, श्रीमती मोहसिना

कुरियन, प्रो. पी. जे.

लकप्पा, श्री के.

माधुरी सिंह, श्रीमती

महाबीर प्रसाद, श्री

महेन्द्र प्रसाद, श्री

मिश्र, श्री उमा कान्त

मिश्र, श्री हरिनाथ

महन्ती, श्री बृजमोहन

मोतीलाल सिंह, श्री

नहाटा, श्री बी. आर.

नामग्याल, श्री पी.

नीखरा, श्री रामेश्वर

पांडे, श्री केदार

पनिका, श्री राम प्यारे

पटेल, श्री शान्तुभाई

पाठक, श्री आनन्द

पाटिल, श्री ए० टी०

पाटिल, श्री बालासाहिब विखे

पाटिल, श्री वीरेन्द्र

पाटिल, श्री विजय एन०

पटनायक, श्रीमती जयन्ती

पट्टाभिरामा राव, श्री एस० बी० पी०

पुलवारिया, श्री विरदा राम

पोटदुखे, श्री शान्ताराम

प्रसन्न कुमार, श्री एस० एन०

राममूर्ति, श्री के०

रण वीर सिंह, श्री

राणे, श्रीमती संयोगिता

रंगा, प्रो० एन० जी०

राव, श्री जगन्नाथ

राव, श्री एम० एस० संजीवी

राव, श्री पी० वी० नरसिंह

राठौर, श्री उत्तम

रावत, श्री हरीश

साही, श्रीमती कृष्णा

साठे, श्री वसन्त

सत्यदेव सिंह, प्रो०

*शैलानी, श्री चन्द्रपाल

शक्तावत, प्रो० निर्मला कुमारी

शंकरानन्द, श्री बी०

शनगुमम, श्री पी०

शर्मा, श्री काली चरण

शिवेन्द्र बहादुर सिंह, श्री

शुक्ल, श्री विद्या चरण

सिदनाल, श्री एस० बी०

सोलंकी, श्री बाबू लाल

स्पैरो, श्री आर० एस०

सुल्तानपुरी, श्री कृष्ण दत्त

सुन्दर सिंह, श्री

* उन्होंने गलत स्थान से गलती से मतदान किया और बाद में तदनुसार अध्यक्ष को इसके बारे में बताया।

तिवारी, प्रो० के० के०

थुंगन, श्री पी० के०

त्रिपाठी, श्री कमलापति

टाईटलर, श्री जगदीश

वैराले, श्री मधुसूदन

वर्मा, श्री जय राम

वेंकटरामन, श्री आर०

वेंकटसुब्बया, श्री पी०

वर्मा, श्री दीनबन्धु

वर्मा, श्रीमती ऊषा

व्यास, श्री गिरधारी लाल

यादव, श्री राम सिंह

याजदानी, डा० गोलम

विपक्ष में

अग्रवाल, श्री सतीश

बालन, श्री ए० के०

बसु, श्री चित्त

चटर्जी, श्री सोमनाथ

दंडवते, प्रो० मधु

गिरि, श्री सुधीर

होरो, श्री एन० ई०

जगपाल सिंह, श्री

झा, श्री भोगेन्द्र

मैत्रा, श्री सुनील

मेहता, प्रो० अजित कुमार

मुखर्जी, श्रीमती गीता

पाल, प्रो० रूप चन्द

राजदा, श्री रतन सिंह

शमन्ना, श्री टी० आर०

शास्त्री, श्री रामावतार

तिरकी, श्री पीयूष

वर्मा, श्री रवीन्द्र

उपाध्यक्ष महोदय : शुद्धि के अध्याधीन*, निम्नलिखित **सदस्यों ने भी** मत-विभाजन में भाग लिया। मत-विभाजन का परिणाम इस प्रकार है :

पक्ष में—105

विपक्ष में— 18

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 5 विधेयक में जोड़ दिया गया

खण्ड 1 अधिनियम सूत्र तथा शीर्षक विधेयक में जोड़ दिए गए।

श्री जगन्नाथ कौशल : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ।

"कि विधेयक को पास किया जाये।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक को पास किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

---

*निम्नलिखित सदस्यों ने भी मत-विभाजन में भाग लिया :

पक्ष में : सर्व श्री रामजी भाई मावणि तथा बीरबल।

विपक्ष में : श्री मोहम्मद इस्माइल।

कार्य मंत्रणा समिति

बत्तीसवां प्रतिवेदन

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : महोदय, मैं कार्य मंत्रणा समिति का बत्तीसवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

देश के विभिन्न भागों में सूखे की स्थिति तथा सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के बारे में वक्तव्य

कृषि तथा ग्रामीण विकास तथा नागरिक पूर्ति-मंत्री (राव बीरेन्द्र सिंह) : इस वर्ष मानसून 30 मई को, अर्थात् इसके आने की सामान्य तारीख से दो दिन पहले, त्रिवेन्द्रम में आया। दक्षिण कोंकन तथा केन्द्रीय प्रायद्वीप की ओर यह लगभग सामान्य रूप से आगे बढ़ा। लेकिन, बम्बई क्षेत्र के ऊपर मानसून एक सप्ताह विलम्ब से आया अर्थात् यह 17 जून को पहुंचा। उसी दिन उत्तर की ओर बढ़ने वाला मानसून नागपुर, अम्बिकापुर, देहरी तथा रक्सौल से आगे की ओर बढ़ा। इस प्रकार मध्य तथा पूर्वी भारत में मानसून आने में 7-8 दिन का विलम्ब हुआ। 17 जून के बाद 5 जुलाई तक मानसून के आगे बढ़ने में कोई प्रगति नहीं हुई। तभी मानसून सूरत तक दक्षिणी गुजरात में धीमे प्रवाह से आगे बढ़ा। मानसून के इस प्रवाह ने 14 जुलाई तक उत्तर पश्चिम मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश तथा दिल्ली, 15 जुलाई तक हरियाणा और 16 जुलाई तक हिमालय प्रदेश को कवर किया। देश के शेष भागों में आगामी सप्ताह के अन्त तक मानसून आ जाने की संभावना है।

2. 1 जून से 30 जून तक की अवधि के दौरान भारतीय मौसम-विज्ञान विभाग ने बताया कि 35 उप-खण्डों में से 16 उप-खण्डों में सामान्य या सामान्य से अधिक वर्षा हुई, तथापि 19 उप-खण्डों में कम अथवा अपर्याप्त वर्षा हुई। इसके बाद स्थिति खराब हो गई। 14 जुलाई तक 25 उप-खण्डों में कम अथवा बहुत कम वर्षा हुई जबकि केवल 9 उप-खण्डों में सामान्य वर्षा हुई। देश के विभिन्न भागों में वर्षा में 41% से 82% तक की कमी रही। कम या अपर्याप्त वर्षा वाले राज्य-वार जिलों की संख्या नीचे दी गई है :

राज्य	कम/अपर्याप्त वर्षा वाले जिलों की संख्या
1. गुजरात	20 में से 12
2. राजस्थान	26 में से 24
3. पंजाब	12 में से 11
4. हरियाणा	12 में से 8
5. पश्चिमी बंगाल	16 में से 13

[राव बीरेन्द्र सिंह]

राज्य	कम/अपर्याप्त वर्षा वाले जिलों की संख्या
6. उत्तर प्रदेश	54 में से 42
7. मध्य प्रदेश	45 में से 39
8. महाराष्ट्र	27 में से 18
9. बिहार	31 में से 19

3. भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमानों के अनुसार, मौसम संबन्धी लक्षणों से आगामी कुछ दिनों के लिये उत्साहजनक संकेत मिलते हैं। 19 जुलाई की दोपहर को पुरी से लगभग 75 किलोमीटर दक्षिण में हवा का भारी दबाव था। यह कल आधी रात को गोपालपुर और पुरी के बीच उड़ीसा तट को पार कर गया और इसके पश्चिम-उत्तर-पश्चिमी दिशा की ओर बढ़ने की संभावना है। इसके प्रभाव से उड़ीसा, उत्तरी आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, दक्षिणी उत्तर प्रदेश, दक्षिणी बिहार तथा भारत के प्रायः द्वीप के भागों में कहीं-कहीं भारी वर्षा से लेकर बहुत भारी वर्षा होने की आशा है।

4. कृषि विभाग ने मई के शुरू में सूखे के सम्बन्ध में एक आकस्मिक योजना आरंभ कर रखी है। राज्य सरकारों तथा भारत सरकार के विभिन्न विभागों को विस्तृत मार्ग दर्शन दिए गये हैं और उनसे अनुरोध किया गया है कि वे स्थिति पर कड़ी नजर रखने के लिए उपयुक्त कदम उठायें तथा इस बात का सुनिश्चय करें कि मौसम की प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करने में किसानों की सहायता करने के लिये ठीक समय पर कार्यवाही की जाए और ग्रामीण जनता के लिये आवश्यकतानुसार रोजगार, खाद्य तथा पेयजल और चारे की व्यवस्था की जाये। कृषि कार्यक्रम में विशिष्ट कार्यवाही की मदों का पता लगाया गया और राज्य, जिला तथा खण्ड स्तरों पर उन मदों पर सावधानी बरतने के लिये कहा गया। सूखा प्रबन्ध के लिये प्रधान मन्त्री का 12 सूत्री कार्यक्रम, जो 1980 के सूखे का सामना करने का आधार था, राज्य सरकारों के ध्यान में लाया गया है ताकि वे इस वर्ष सूखे की स्थिति में निपट सकें। बैंकिंग क्षेत्रों से भी अनुरोध किया गया है कि वे सूखे से प्रभावित क्षेत्रों में किसानों की सहायता करें। इसी प्रकार सिंचाई मंत्रालय ने भी उत्तर-पश्चिम क्षेत्र महाराष्ट्र तथा मध्य प्रदेश की राज्य सरकारों को निर्देश जारी कर दिये हैं जिसमें उनसे अनुरोध किया गया है कि फसल उत्पादन के प्रयोजनों के लिये जलाशयों में उपलब्ध सिंचाई जल का अधिकतम उपयोग करें।

5. कृषि मंत्रालय में विपदा प्रबंध सम्बन्धी एक अन्तर-मंत्रालय समन्वय समिति ने 9 जून 1982 को मानसून तथा खरीफ मौसम के लिये आनुषंगिक योजनाओं की समीक्षा की। क्षेत्रीय अधिकारी को राज्यों का दौरा करने तथा सूखा प्रबंध सम्बन्धी आकस्मिक योजनाओं की समीक्षा करने के लिये मनोनीत किया गया है। मंत्रिमंडल के सचिव द्वारा स्थिति का जायजा लेने तथा ठीक समय पर कार्यवाही करने के लिए साप्ताहिक बैठकें की जा रही हैं। अल्पावधि किस्मों के बीजों की व्यवस्था करने, ऋणों, उर्वरकों का प्रबन्ध करने, सिंचाई प्रणाली में जल का भरपूर उप-

योग करने, कृषि कार्यों के लिये बिजली तथा डीजल की सप्लाई को प्राथमिकता देने, पेय जल की व्यवस्था आदि के सम्बन्ध में मन्त्रालयों से सम्बन्धित अनेक मामलों की सतत समीक्षा की जा रही है।

6. सूखा जैसी प्राकृतिक आपदाओं के कारण किसी आकस्मिक व्यय को पूरा करने के लिए राज्यों के पास मार्जिन धनराशि होती है। इसके अतिरिक्त, भारत सरकार ने किसानों को कृषि आदानों की खरीद तथा वितरण के लिये राज्यों को 103.50 करोड़ रुपये का अल्पकालीन ऋण भी दिया है।

इसके अलावा सरकार ने द्रुत ग्रामीण जल सप्लाई कार्यक्रम के तहत चालू वर्ष के प्रथम दो तिमाही के 60.42 करोड़ रुपये की धनराशि निर्मुक्त की है। राज्यों के पास 1 अप्रैल 1982 को राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के तहत पिछले वर्ष की खर्च न की गई 165.62 करोड़ रुपये की राशि शेष थी। इसके अतिरिक्त, चालू वित्तीय वर्ष के दौरान राज्यों को 90.34 करोड़ रुपये की अतिरिक्त धनराशि आबंटित की गई। उन्हें सलाह दी गई है कि वे सूखा से प्रभावित क्षेत्रों में कार्यक्रम सम्बन्धी मार्गदर्शन में कोई परिवर्तन किये बिना राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम को क्रियान्वित करने पर अपना ध्यान केन्द्रित करें।

7. मेरा मंत्रालय उन राज्यों में दौरा करने के लिए कृषि, सिंचाई तथा ऊर्जा (ग्रामीण विद्युतीकरण निगम) मंत्रालयों के अधिकारियों के संयुक्त दल भेज रहा है, जहां कम वर्षा हुई है ताकि स्थिति का जायजा लिया जा सके और बिजली, डीजल तथा अन्य कृषि आदानों की सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकारों पर प्रभाव डाला जा सके, जिससे उत्पादन को किसी प्रकार की हानि न हो।

8. सदस्य-गण यह जानकर प्रसन्न होंगे कि अभी-अभी सूचना मिली है कि मानसून तेजी से पश्चिमी दिशा की ओर से आगे बढ़ा है, जिसके अन्तर्गत राजस्थान, हरियाणा और पंजाब आते हैं और इन तीन राज्यों में पिछले 24 घंटों में साधारण से लेकर बहुत अच्छी वर्षा हुई है। राजस्थान में माऊंट आबू और उदय पुर प्रत्येक में 3 से० मी० जालौर में 2 से० मी० और अजमेर, सीकर और अलवर प्रत्येक में 1 से० मी० वर्षा हुई। पंजाब और हरियाणा में अमृतसर और हलवारा प्रत्येक में 3 से० मी०, पठानकोट में 2 से० मी०, चंडीगढ़ और करनाल प्रत्येक में 1 से० मी० और रोहतक में में 6 से० मी० वर्षा हुई। उत्तर प्रदेश में देहरादून में 9 से० मी० हरदोई में 5 से० मी० और कानपुर में 4 से० मी० वर्षा हुई। उड़ीसा के समुद्रतट से परे उठने वाले हवा के दबाव के प्रभाव से मध्य प्रदेश में भी 2 से 6 से० मी० वर्षा व्यापक रूप से हुई। पिछले 24 घंटों में उड़ीसा में भी व्यापक रूप से वर्षा हुई पश्चिम बंगाल में बर्द्धवान में 5 से० मी० और कूच बिहार में 3 सेन्टी मीटर वर्षा हुई।

9. यह दुख की बात है कि 1981-82 के दौरान खराब मौसम के बावजूद खाद्यान्न उत्पादन के रिकार्ड स्तर तथा खाद्यान्न वसूली के रिकार्ड स्तर प्राप्त करने के पश्चात् इस वर्ष हमें

[राव बीरेन्द्र सिंह]

विलम्बित एवं कम मानसून का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि खरीफ के शेष महीनों के दौरान मानसून की प्रवृत्ति का अभी से अनुमान लगाना संभव नहीं है, तथापि, सदन इस बात से सहमत होगा कि केन्द्रीय तथा राज्य सरकारें दोनों ही इस वर्ष मई के आरंभ से ही समय से कार्रवाई कर रही हैं। मैं सदन को इस बात का आश्वासन देता हूँ कि सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक उपाय करेगी कि ऋण, बीज, उर्वरक, सिंचाई का पानी, बिजली तथा डीजल की व्यवस्था करके किसानों को यथासंभव अधिकतम सहायता दी जाएगी। मुझे विश्वास है कि हमारे किसान इस चुनौती का सामना उसी साहस एवं धैर्य से करेंगे जैसा कि पहले करते रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : सभा काल पूर्वाह्न 11 बजे पुन: समवेत होने तक के लिए स्थगित होती है।

तत्पश्चात लोक सभा बुधवार 21 जुलाई, 1982/30 आषाढ़, 1904 (शक) के 11 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

मुद्रक : आकाश दीप प्रिंटर्स, 20 दरियागंज, नई दिल्ली-2.